राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक:11] दसवीं विधान सभा के ग्यारहवें सत्र का उन्नीसवां दिवस [संख्या:12

शुक्रवार,

24 जुलाई, 1998

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अस्थाई अध्यक्ष पदासीन)

श्री अध्यक्ष : सचिव, विधान सभा, अधिसूचनाओं का पठन करेंगे।

सदस्य का त्याग-पत्र

श्री समर्थलाल मीणा का उपाध्यक्ष पद से त्याग-पत्र

विशिष्ट सचिव, राजस्थान विधान सभा (श्री महेश सिंह तंवर) : महोदय, मुझे सदन को सूचित करना है कि माननीय श्री समर्थलाल मीणा ने आज दिनांक 24 जुलाई, 1998 को प्रात: 10 बजे उपाध्यक्ष पद से त्याग-पत्र दे दिया है।

सदन की मेज पर रखे गये पत्रादि

अधिसूचना

श्री पूनमचन्द विश्नोई, सदस्य, विधान सभा की अस्थायी अध्यक्ष पद पर नियुक्ति सम्बन्धी अधिसूचना

महोदय, राज्यपाल महोदय ने फलोदी निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित सदस्य श्री पूनमचन्द विश्नोई की अस्थायी अध्यक्ष पद पर नियुक्ति के सम्बन्ध में निम्न आज्ञा प्रदान की है :--

"अधिसूचना क्रमांक प. 1 (4) संसद/95 दिनांक 18 जुलाई, 1998 यत: वर्तमान में दशम् राजस्थान विधान सभा के अध्यक्ष का पद रिक्त है और यत् : उपाध्यक्ष का पद भी रिक्त हो जाने की सम्भावना है। अत: भारत के संविधान के अनुच्छेद 180 के उप खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, नवरंग लाल टिबरेवाल, राज्यपाल, राजस्थान, फलोदी (190) विधान सभा क्षेत्र से निर्वाचित दशम् राजस्थान विधान सभा के सदस्य, श्री पूनमचन्द विश्नोई को दशम् राजस्थान विधान सभा के ग्यारहवें सत्र में सदन द्वारा अध्यक्ष

(2)

(श्री महेश सिंह तंवर)

के निर्वाचन किये जाने तक अध्यक्ष के कृत्यों का पालन और कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए, दिनांक 24 जुलाई, 1998 को प्रात: 11.00 बजे से नियुक्त करता हूं।"

अध्यक्ष का निर्वाचन

श्री समर्थलाल मीणा का अध्यक्ष पद पर निर्वाचन

श्री अध्यक्ष : अध्यक्ष का निर्वाचन। श्री हरिशंकर भाभड़ा प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

श्री हरिशंकर भाभड़ा (उप मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि श्री समर्थलाल मीणा, सदस्य, विधान सभा, (विभाजन संख्या 176) को राजस्थान विधान सभा का अध्यक्ष निर्वाचित किया जाए।

श्री अध्यक्ष : श्री महावीर प्रसाद जैन।

व्यवस्था का प्रश्न

अध्यक्ष पद पर शून्य की स्थिति

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है। श्री समर्थलाल मीणा ने 10 बजे उपाध्यक्ष पद से त्याग-पत्र दे दिया और राज्यपाल का आदेश है कि आपको 11 बजे नियुक्त किया गया है। तो यह जो एक घण्टे का पीरियड रहा है, क्या इसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, दोनों के पद रिक्त रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : इस पर व्यवस्था दे दी जाएगी। समर्थक श्री महावीर प्रसाद जैन।

अध्यक्ष का निर्वाचन

श्री महावीर प्रसाद जैन (सरकारी मुख्य सचेतक) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव का अनुमोदन करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव रखा जाए सदन में।

श्री परसराम मदेरणा (नेता, प्रतिपक्ष) : अध्यक्ष महोदय, आज जो अध्यक्ष के निर्वाचन हेतु श्री समर्थलाल जी मीणा का प्रस्ताव माननीय उप मुख्य मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है, प्रतिपक्ष भी उसका समर्थन करता है।

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष के लिए श्री समर्थलाल जी मीणा का जो प्रस्ताव माननीय उप मुख्य मंत्रीजी ने रखा है और प्रतिपक्ष के नेता ने उसका समर्थन किया है, मैं और मेरी पार्टी श्री समर्थलाल जी मीणा का समर्थन करते हैं।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : माननीय अध्यक्ष जी, प्रतिपक्ष के नेता महोदय ने, जिनको हम अपना नेता मानते हैं, समर्थन का प्रस्ताव रखा है मैं भी अपने सभी साथियों की ओर से इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

–

(3)

श्री फतेह सिंह (नेता, जनता दल) : अध्यक्ष महोदय, आज विधान सभा में अध्यक्ष के चुनाव के लिए उप मुख्य मंत्रीजी द्वारा जो प्रस्ताव रखा गया है और उसका समर्थन विपक्ष के नेता ने किया है उसका मैं समर्थन करता हूं।

व्यवस्था

अध्यक्ष पद पर शून्य की स्थिति

श्री अध्यक्ष : इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में माननीय सीकर से आने वाले सदस्य ने एक आपत्ति उठायी है कि जब उपाध्यक्ष महोदय ने 10 बजे अपना त्याग-पत्र दिया और मेरी नियुक्ति 11 बजे से प्रभावी होती है तो एक घण्टे के लिए स्थिति क्या बनती है। क्या शून्य की स्थिति बनती है ? इसमें मेरा निवेदन है कि नियमों में इतनी ढील होती है कि शून्य की स्थिति कभी बनी नहीं रहती। इसलिए वह प्रभावी 11 बजे से ही इनका त्याग–पत्र माना जाएगा, उसी वक्त दिया। इसलिए मैं इस पाइंट ग्राफ आर्डर को निरस्त करता हूं।

अध्यक्ष का निर्वाचन

श्री समर्थलाल मीणा का अध्यक्ष पद पर निर्वाचन

प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव श्री हरिशंकर भाभड़ा, विभाजन संख्या 189 ने प्रस्तुत किया है और जिसका अनुमोदन श्री महावीर प्रसाद जैन, विभाजन संख्या 113 ने किया है, उसे स्वीकार किया जाए ?

(स्वीकृत)

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : सर्वसम्मति से जीते हैं, साहब।

श्री अध्यक्ष : वह मुझे अभी विनिश्चय करना है। अभी वह सब व्यवस्था आ जाएगी। श्री समर्थलाल मीणा, विभाजन संख्या 176 को सर्वसम्मति से राजस्थान विधान सभा का अध्यक्ष निर्वाचित किया जाता है।

अनेक माननीय सदस्य : मुबारक हो, बधाई हो।

श्री रामस्वरूप मीणा : मैं मेरी तरफ से विशेष मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं।

बधाई एवं आभार

श्री समर्थलाल मीणा के अध्यक्ष पद पर निर्वाचन पर बधाई

श्री हरिशंकर भाभड़ा (उप मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, आपके अध्यक्ष पद पर सर्वसम्मति से निर्वाचित होने पर मैं आपको अपनी ओर से बधाई देता हूं और मुझे इस बात की खुशी है कि विधान सभा के माननीय सदस्यों ने हमारे यहां की परम्पराओं का निर्वहन करते हुए आपका चुनाव सर्वसम्मति से किया है।

मान्यवर, मुझे अनुभव है कि यह अध्यक्ष पद इतना सरल नहीं है। एक तरह से खाडे की धार पर चलना है। अध्यक्ष की जिम्मेदारी सारे माननीय सदस्यों को साथ लेकर विधान सभा के अन्दर उसके कार्यों

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

को सही ढंग से संचालित करना और माननीय सदस्यों के अधिकारों की रक्षा करना है। बहुत से ऐसे अवसर आते हैं जब अध्यक्ष के सामने बड़ी कठिन समस्याएं आती हैं। उन्हें तत्काल निर्णय करना पड़ता है और इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है कि उनके निर्णय से किसी प्रकार की अव्यवस्था पैदा नहीं हो। यह प्रासंगिक होगा कि जब मैं अध्यक्ष था तो मुझसे यह प्रश्न किया गया कि आप सदन को कैसे कंट्रोल करते हैं तो मैं यह जवाब देता था कि मैं सदन को कंट्रोल नहीं करता, मैं रोज भगवान से यह प्रार्थना करता था कि अपने आप पर कंट्रोल रखूं और इसलिए मैं समझता हूं, कोई भी अध्यक्ष इस बात का ध्यान रखे तो निश्चित रूप से व्यवस्था ठीक रहती है।

अध्यक्ष महोदय, मैं सत्ता पक्ष की ओर से आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सत्ता पक्ष आपके कार्यवाही संचालन में हर प्रकार से आपको सहयोग देगा, आपके आदेशों का पालन होगा और इस विधान सभा की परम्पराओं और मर्यादाओं की रक्षा करने के लिए, इस विधान सभा की गरिमा को अक्षुण्ण रखने में अपनी ओर से पूरा-पूरा प्रयास करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ फिर मैं आपका अभिनन्दन करता हूं, आपको बहुत-बहुत बधाई देता हूं।

श्री परसराम मदेरणा (नेता, प्रतिपक्ष): परम सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत के संविधान में जो सर्वोच्च सत्ता है, सोवरिनटी है, वह जनता में वेस्ट है और यह सदन पांच करोड़ जनता में से तीन करोड़ जो बालिग मताधिकार प्राप्त लोग हैं, उन लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली यह सर्वोच्च संस्था राजस्थान की विधान सभा है। इस विधान सभा के गरिमामय और उच्च पद पर सर्वसम्मति से आपका आज निर्वाचन होने पर हमें बहुत प्रसन्नता है और मैं मेरी ओर से और कांग्रेस विधायक दल की ओर से आपको हृदय से बधाई देता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रतिष्ठापूर्ण पद के भी कुछ कर्तव्य और अधिकार हैं और प्रतिपक्ष को भी जनतन्त्र में और लोकतान्त्रिक व्यवस्था में अपने कर्तव्यों और अपने दायित्वों का निर्वहन करने के लिए इस सदन में हम यह अपेक्षा करते हैं कि आप प्रतिपक्ष के अधिकारों का निष्पक्षता के साथ में संरक्षण करेंगे। अध्यक्ष महोदय, इस सदन में कई बार उत्तेजनापूर्ण वातावरण बन जाता है और जैसाकि अभी भाभड़ाजी कह रहे थे कि इस सदन को चलाने के लिए मुझे स्वयं पर नियन्त्रण रखने के लिए, मैं भगवान से प्रार्थना करता था। हमारी ऐसी अवधारणा है कि आपको इस सदन को संचालित करने में आपके कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए कभी नरम, कभी कठोर तो कभी जब सदन में उत्तेजना हो तो उसको डिफ्यूज करने के लिए और सदन में व्यवस्था स्थापित करने के लिए आपको आवश्यक, हर तरह से सदन का संचालन करना चाहिए। क्योंकि यह लोकतन्त्र का दुर्भाग्य है कि विधान सभाओं में और लोक सभा में भी वातावरण बहुत उत्तेजित होता हुआ आ रहा है और उस वक्त इस गरिमामय पद के बहुत बड़े दायित्व हैं। जो स्थिति

(श्री परसराम मदेरणा)

सामने हैं उसका समाधान उस वक्त की परिस्थितियों और वास्तविकताओं के अनुसार किया जाए ताकि सदन के अन्दर व्यवस्था स्थापित हो सके। प्रतिपक्ष को पूरा विश्वास है कि आप इस सदन के संचालन में हमारा आपको पूरा सहयोग रहेगा और इस गरिमामय पद के प्रति हमारा सर्वोच्च आदर हम हमेशा प्रस्तुत करते रहेंगे। आपका अभिनन्दन और आपको एक बार और बहुत-बहुत बधाई।

श्री पूनमचन्द विश्नोई (फलोदी) : अध्यक्ष महोदय, आपके स्पीकर चुने जाने पर मैं आपको हार्दिक बधाई अर्पित करता हूं। इतिहास की गहराई में जाएं तो यह एक तरह से कांटों का ताज होता था और वर्तमान में भी यह एक तरह से कांटों का ताज है। आपको अध्यक्ष नहीं कहकर, मैं स्पीकर कह रहा हूं। इसलिए स्पीकर शब्द क्यों है, स्पीकर इसलिए है कि जब इंग्लैण्ड में पार्लियामेंट कोई बात तय करती थी तो यह अध्यक्ष का दायित्व था कि सम्राट के जाकर के स्पीक करे, कहे कि पार्लियामेंट ने या संसद ने यह तय किया है। सम्राट उस वक्त निरंकुश थे, अपनी निरंकुशता बनाये रखना चाहते थे इसलिए 2-3 वक्त ऐसे आये कि उन्होंने अध्यक्षों का या स्पीकरों का गला कटवा दिया। इसलिए वर्तमान में जब आप ले जाते हैं वहां पर तो अध्यक्ष बनना कोई नहीं चाहता था, क्योंकि गला कटाने का खतरा होता था तो वह इंकार करता था लेकिन सदन के अलग-अलग पक्ष उनको हाथ पकड़कर, उनकी इच्छा के विरुद्ध ले जाकर पदासीन करते थे। आज परिस्थितियां इतनी विकट तो नहीं है कि सिर कटवाना पड़े लेकिन फिर भी हम ब्रिटिश परम्पराओं से बंधे हुए हैं। आज क्योंकि समाज में आबादी बहुत बढ़ गयी है, समस्याएं बहुत बढ़ गयी हैं। सीमित समय के अन्दर हमको काम करना पड़ता है और हमें अपनी हमारी समस्याओं को सुलझाना पड़ता है इसलिए कई दफा सदन में अव्यवस्था हो, ऐसा वातावरण बन जाता है तो उस स्थिति में आपको, कोई माननीय सदस्य बोल रहा है, बहुत गुस्से में है तो उसका कुछ न कुछ कारण होगा, इस बात पर हमेशा आप विचार किया करें और धैर्य से काम लें कि उनको कोई न कोई तकलीफ है, कोई न कोई कठिनाई है इसलिए वह इतने नाराज हो रहे हैं और इतनी जोर-शोर से बोल रहे हैं। पुनः आपको हार्दिक बधाई देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और ऐसी परम्पराएं सदन में आजकल कुछ नियमों की तरफ, संविधान के प्रावधानों की तरफ ध्यान कम दिया जाता है तो माननीय सदस्यों से मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि कोई भी व्यवस्था का प्रश्न उठाए अथवा अन्य प्रश्न उठाएं तो पूरा नियमों का अध्ययन करके उसके बाद में प्रश्न उठाएं तो प्रश्न ज्यादा कारगर सिद्ध हो सकेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आपको बधाई देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़) : अध्यक्ष महोदय, इस विधान सभा में आपका अध्यक्ष पद पर निर्विरोध निर्वाचन होना बहुत बड़ी बात है और मैं समझता हूं कि यह सदन

(6)

(श्री फतेह सिंह)

सर्वसम्मति से आपका निर्वाचन करके, निर्विरोध करके, इस उम्मीद के साथ आपका निर्वाचन किया है कि आप विपक्ष को साथ में लेकर के इस पद पर रहते सब तरह का काम व्यवस्थित ढंग से चलाएंगे। आपका निर्वाचन निर्विरोध होने पर मैं अपनी तरफ से आपका आभार व्यक्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जो भी समस्याएं माननीय सदस्य इस सदन में रखेंगे उनके ऊपर आप विचार करेंगे, गौर करेंगे, और सदस्यों की मांग के ऊपर उचित निर्णय देंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं और साथ-साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि जिस प्रकार आज सदन में अध्यक्ष का चुनाव निर्विरोध हुआ उसी रूप में सत्ता पक्ष की तरफ से एक अध्यक्ष का चुनाव, आप उनके सदस्य हैं इसलिए उनकी तरफ से आप चुने गये हैं, पर मेरी मांग इस सदन में यह भी है कि विपक्ष का उपाध्यक्ष चुना जाए तो यह उचित रहेगा। इतना कहते हुए मैं आपका स्वागत करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिन्द।

श्री अमराराम (धोद) : सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, सर्वसम्मति से अध्यक्ष पद पर निर्वाचन के लिए मैं आपको हार्दिक बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आज तक जिस तरह से मेरी तरह जो पहली बार चुन कर आये हैं, उनको इस विधान सभा के नियमों और परम्पराओं का, हो सकता है, पता नहीं हो लेकिन निश्चित रूप से उनको सिखाने में आपका जो सहयोग रहा है, मैं समझता हूं आपका उसमें सहयोग रहेगा और आपका जिस तरह से आज सर्वसम्मति है, यह पूरा कार्यकाल उसी तरह से इन्हीं अर्थों के अनुरूप बीतेगा। आपको मैं पुनः बधाई देता हूं।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : माननीय अध्यक्षजी, इस सदन के सर्वोच्च पद पर आपको आसीन देखते हुए बड़ी प्रसन्नता होती है। पिछले कई दिनों से आप इस आसन पर विराजमान रहे हैं लेकिन आज अध्यक्ष के रूप में जब विराजमान हैं तो आपका आभामण्डल बहुत ही सुन्दर लग रहा है, बहुत चमक रहा है और उससे उसकी आभा हमारे ऊपर भी पड़ रही है, हम भी चमक रहे हैं, बहुत प्रसन्न हैं, आपको बहुत-बहुत मुबारकबाद।

माननीय अध्यक्षजी, यह पद गौरवमय भी है, संकटमय भी है। हम सभी सदस्य अपने अधिकारों की बात कहते हैं यहां और आपसे बार-बार निवेदन करते हैं कि माननीय अध्यक्षजी, हमारे अधिकारों की रक्षा की जाए। मेरी मान्यता यह है कि आपके अलावा हम सबके अधिकार हैं, आपका कोई अधिकार है ही नहीं, आपके तो दायित्व ही दायित्व हैं। जब आपको हम अपने अधिकारों की रक्षा के लिए निवेदन करते हैं तो भी यह कहते हैं कि माननीय अध्यक्षजी, यह आपका दायित्व है कि हमारे अधिकारों की रक्षा की जाए। इसलिए अधिकार विहीन होते हुए भी आप सर्वशक्तिमान हैं और सर्वशक्तिमान जो होता है उसकी दृष्टि समदृष्टि होती है। आपकी, हम जो सामने बैठे हैं निर्दलीय और इस श्रेणी में आप भी अपने को मानते

(श्री शिवनाथ सिंह)

लगे हैं, क्योंकि अध्यक्ष किसी दल का नहीं होता है, आपकी दृष्टि हमारे ऊपर हमेशा ही कृपा दृष्टि रहती है, आइन्दा भी रहेगी और किसी भी समय हम ऐसा अवसर नहीं आने देना चाहेंगे जबकि उत्तेजना हो और सदन में उत्तेजना को कहीं आगे बढ़ाने में हम कार्यवाही नहीं करेंगे। आपकी तरफ से भी हम यह अपेक्षा करते हैं कि आप हमारे अधिकारों की रक्षा करेंगे और यदि कहीं कोई हम समझें कि आपकी तरफ से हमारे अधिकारों की रक्षा नहीं हो रही है तो भी माननीय अध्यक्षजी, "समरथ को नहीं दोष गुसाईं"-यह स्वीकार करते हुए आपके उन आदेशों को हम पालना करेंगे। पुनः आपको मुबारकबाद।

श्री समर्थलाल मीणा, अध्यक्ष द्वारा आभार प्रदर्शन

श्री अध्यक्ष : सदन के उप नेता महोदय, प्रतिपक्ष के नेता महोदय, माननीय सदस्यगण, मंत्री परिषद के सदस्यगण, इस सर्वोच्च पद पर सर्वसम्मति से आसीन करके आज आप लोगों ने मुझे यह भार सौंपा है, मैं इस भार को आपके सहयोग से निभा पाऊंगा। यह हमारी विधान सभा हमारे राज्य की सर्वोच्च लोकतांत्रिक संस्था है। इस सर्वोच्च लोकतांत्रिक संस्था के अन्दर जो कार्यकलाप होते हैं उसकी छाया नीचे जितनी भी हमारी जो लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं उनमें जाती है और इसके अलावा जिस प्रदेश का हम प्रतिनिधित्व करते हैं, वहां भी जाती है। इस गौरवमय पद को देने के बाद हम सभी को यह संकल्प करना चाहिए कि सर्वोच्च संस्था की जो छाया है अच्छे रूप में, स्वस्थ परम्पराओं के रूप में राज्य की निचली संस्थाओं में जाए, हमारी लोकप्रिय जनता में जाए, इस बात को इस सदन को और हम सबको ध्यान में रखना चाहिए। इस सर्वोच्च पद पर आप लोगों ने मेरे जैसे साधारण व्यक्ति को साधारण माननीय सदस्य को, यहां जो निर्वाचित किया है सर्वसम्मति से, इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं और सदन के सभी माननीय सदस्यों को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मेरी जो इस आसन पर बैठकर कार्यप्रणाली होगी वह मन, वचन और कर्म से निष्पक्ष कार्य-प्रणाली होगी। यही मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। धन्यवाद।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): यह भी तो बड़ी विडम्बना है कि हम तो आपस में चुनकर आते हैं अलग-अलग और यहां अलग पक्षों से आकर भी अध्यक्ष को सर्वसम्मति से चुन रहे हैं। यह भी बहुत बड़ी बात है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न। श्री शांतिकुमार धारीवाल।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत (भीम) : अध्यक्ष महोदय, एक छोटा सा सबमिशन है कि रूल 31 (1) में स्पष्ट दिया हुआ है कि हाउस की सीटिंग का पहला घंटा प्रश्नकाल का होगा। साढ़े ग्यारह बजे प्रारम्भ कर रहे हैं इसलिए कृपया नियमानुसार एक घण्टा, साढ़े बारह बजे तक प्रश्नकाल हो।

(8)

(श्री लक्ष्मण सिंह रावत)

यह नियम में दिया हुआ है। पहला घण्टा आपका प्रश्नकाल का होगा। साढ़े ग्यारह बजे सीटिंग प्रारम्भ हो रही है तो साढ़े बारह बजे तक रखें। मेरा आग्रह है आपसे।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न। श्री शांतिकुमार धारीवाल।

श्री शांतिकुमार धारीवाल (हिण्डोली): अध्यक्ष महोदय, मैं खुशनसीब हूं कि आपके अध्यक्ष पद के आसन पर बैठने के बाद आज पहला प्रश्नकर्ता मैं हूं।

तारांकित प्रश्नोत्तर

अभियांत्रिकी महाविद्यालय कोटा में अनियमित नियुक्ति प्रकरण

265. श्री शांतिकुमार धारीवाल (हिण्डोली) : क्या तकनीकी शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि कोटा अभियांत्रिकी महाविद्यालय में इलैक्ट्रोनिक इंस्ट्रूमेंटेशन एण्ड कन्ट्रोल इंजीनियरिंग विभाग में "अर्जेण्ट" तदर्थ रीडर नियुक्त किया गया है? यदि हां, तो कब तथा उक्त पद के लिये योग्यताएं निर्धारित की हुई है और उक्त व्यक्ति क्या योग्यताएं रखते हैं?

(2) क्या यह भी सही है कि अंकेक्षण के दौरान इनकी सेवा पुस्तिका की समीक्षा करने पर यह पाया गया कि रीडर के पद पर की गयी उक्त नियुक्ति सेवा शर्तों के अनुरूप नहीं है तथा 1 अगस्त, 1994 से 31 अगस्त, 1997 तक किया गया भुगतान अनियमित हुआ है?

(3) क्या यह सही है कि श्री कृपपाल सिंह चौहान को उक्त महाविद्यालय के रजिस्ट्रार के पद का कार्यभार सुपुर्द कर दिया गया है? यदि हां, तो किस नियम के तहत?

तकनीकी शिक्षा मंत्री (श्री ललित किशोर चतुर्वेदी) : (1) जी, हां। तदर्थ नियुक्ति 1-8-1994 को दी गयी थी। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा योग्यता निर्धारित की हुई है। नियुक्त व्यक्ति इस पद के लिए परिषद् द्वारा निर्धारित योग्यता रखता है।

(2) जी, हां। अंकेक्षण विभाग द्वारा आक्षेप लगाया गया था। उक्त प्रकरण के निस्तारण हेतु अंकेक्षण विभाग के निर्देशानुसार अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली को प्रकरण प्रस्तुत कर दिया गया है।

(3) जी, हां। श्री कृपपाल सिंह चौहान को चयन समिति की अनुशंसा पर वर्तमान में चयनोपरान्त नियुक्ति दी गयी।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि अगस्त 1994 में कोटा इंजीनियरिंग कॉलेज की बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की मीटिंग में यह तय किया गया था कि जब तक कोटा इंजीनियरिंग कालेज अपने स्वयं के नियम न बना

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

से वह मालवीय रीजनल इंजीनियरिंग कालेज, जयपुर के नियमों को फालो करेगा और उस वक्त रीडर की पोस्ट के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन जो मालवीय इंजीनियरिंग कालेज मांगता था वह मांगता था एम.ई. होना चाहिए या एम. टेक. होना चाहिए। जब कुशपाल सिंह चौहान को एडहाक नियुक्ति दी गयी उस वक्त भी उनकी क्वालिफिकेशन जो आज है वह थी और वह थी सिर्फ एम. एससी. II क्लास। मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी जाती थी रीडर पद के लिए एम.टेक. और एम.ई.। जबकि उनकी क्वालिफिकेशन, मैंने अर्ज किया आपसे सिर्फ एम.एससी. II क्लास थी और न कोई उन्हें अध्यापन का अनुभव था। वे एक औद्योगिक प्रतिष्ठान में एक साधारण कर्मचारी थे और वहां से वालेन्टरी रिटायरमैंट लेकर के आये और आते ही आपने, चूंकि रेस्पांसिबिलिटी आपकी पड़ती है मंत्री महोदय, आप उस संस्था के चेयरमैन हैं और आप ही की आज्ञा से उनको रीडर पद के लिए 1994 मे नियुक्ति दी गयी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि कोटा इंजीनियरिंग कालेज अपने नियमों के अतिरिक्त बाकी सारे मामलों में मालवीय रीजनल इंजीनियरिंग कालेज के नियमों के अनुसार चलने को बाध्य है और अगर नहीं, तो इसी विभाग में, जिसमें कुशपाल सिंह जी को नियुक्ति रीडर के पद पर दी गयी, बाकी के जितने भी लोग रीडर और व्याख्याता हैं उनकी क्वालिफिकेशन एम.ई. I क्लास की डिग्री क्यों मांगी क्वालिफिकेशन के लिए, मतलब उनकी नियुक्ति के लिए एम.ई. I क्लास क्यों मांगी गई? पहला सवाल।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : एक-एक का जवाब अच्छा रहेगा।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : जवाब दो न साहब यह एक ही विषय है।

श्री अध्यक्ष : जवाब ले लो आप पहले।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : दूसरा प्रश्न। अच्छा।

श्री अध्यक्ष : अच्छा रहेगा।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो बात प्रकट की है मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि 1992 में बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की मीटिंग हुई थी और उस बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की मीटिंग में यह तय किया गया था कि जहां-जहां इस प्रकार की क्वालिफिकेशंस की बात आयी वहां-वहां आपने प्रश्न किया रजिस्ट्रार का या उसका....

श्री शांतिकुमार धारीवाल : दोनों सवाल हैं मेरे। रीडरों का भी है और रजिस्ट्रार का भी है। आप देख लें।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : दोनों सवाल। जी, हां। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि जो क्वालिफिकेशन ए. आई. सी. टी. ई. की हैं वे आपके माध्यम से मैं पढ़ रहा हूं आपके

(10)

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

सामने उनकी क्वालिफिकेशंस के अनुसार इन कुशपालसिंह चौहान को रीडर के पद पर तदर्थ नियुक्ति दी गयी थी। क्वालिफिकेशंस हैं :—

"(1) First class Master's degree in appropriate branch of Engineering Technology. Five year's experience in teaching, industry, research at appropriate level." नोट लगा हुआ है आगे–"Candidates from industry, professionals with recognized professional work equivalent to Master's Degrees in case of engineering."

यह इसलिए कहना चाहता हूं आपको कि नोट उन संवर्गों के लिए लगाया गया जिन संवर्गों के लोग नौकरी में आते नहीं हैं, मिलते नहीं हैं। यह जो इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए रीडर का और प्रोफेसर का सवाल था, आपके माध्यम से माननीय सदस्य को मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस संवर्ग में जिस समय जयपुर, एम.आर.ई.सी. में यह सब्जेक्ट खुला था उस समय भी कोई व्यक्ति नहीं मिला था और उस नोट क्वालिफिकेशंस का उपयोग करके उस समय पर जो लगाये गये थे, जिनका जिक्र मैं आपको करना चाहता हूं एम. एससी. फिजिक्स एवं इलैक्ट्रिकल इक्विपमेंट विभाग में नियुक्ति की थी डॉ. जी. राजकुमार की। क्योंकि इंस्ट्रूमेंटेशन में इस प्रकार के केडर के लोग नहीं मिलते थे इसीलिए जो नोट लगाया गया है, ए.आई.सी.टी.ई. में, उसके अनुसार दी गयी है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, उसी प्रकार 1992 से लेकर 1994 तक एक वर्ष और तीन महीने में, क्योंकि इंस्ट्रूमेंटेशन के लेक्चरर्स, रीडर्स और प्रोफेसर्स नहीं मिलते थे, लड़कों को पढ़ाने की आवश्यकता थी इसलिए नोट के क्वालिफिकेशंस का उपयोग करते हुए उस समय इंस्ट्रूमेंटेशन में से जो वहां रिटायर हुए थे उनको प्रोफेसर का पद तदर्थ रूप में दिया गया था।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि यह बात सच है कि उसका मैं चेयरमैन हूं, किन्तु यह बात भी सच है कि लड़कों की पढ़ाई किसी कीमत पर हर्ज नहीं हो और इसलिए ए.आई.सी.टी. ने भी इस विशेष नोट को लगाकर... आपने दूसरे प्रश्न में किया है अंकेक्षण विभाग ने इसका विरोध किया है, बात सच है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : वह बाद में आएगा साहब। बाद में आएगा आप इसी पर....

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : जी, हां। मैं चर्चा पहले कर देता हूं। मैं पहले कर देता हूं जो सवाल आ रहा है उस पर।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : बाद में पूछूंगा साहब मैं उसका।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : इसीलिए दूसरी बात अब रजिस्ट्रार का जब सवाल आएगा तो भी बताऊंगा, क्योंकि उसकी

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

क्वालिफिकेशंस जो हैं, वे भी वही हैं और उन्हीं के अनुसार इनको नियुक्ति दी गयी है। इसलिए माननीय सदस्य ने जो सवाल किया है इंस्ट्रूमेंटेशन में रीडर नहीं होने के कारण, लड़कों की पढ़ाई नहीं होने के कारण। मैं आपके माध्यम से बताऊं तो इसका विज्ञापन किया 20-7-92 को, कोई व्यक्ति नहीं आया और 12-7-93 को विज्ञापन किया कोई व्यक्ति नहीं आया उन क्वालिफिकेशंस का। 2-12-93 को विज्ञापन किया, कोई व्यक्ति नहीं आया 13-9-94 को विज्ञापन किया, कोई व्यक्ति नहीं आया उसके बाद भी 20-5-95 को और 31-5-96, 31-7-97 को किया। कारण यह है कि वह सुपर स्पेशिलिटी है और इसीलिए जो इंस्ट्रूमेंटेशन की जो फैक्ट्री हमारे कोटा में चलती है, उसमें कार्यरत रहे इन सज्जन का किया गया। 18 साल का एक्सपीरिएंस है इन्हें और इनके पहले इसी प्रकार के प्रोफेसर को 1992 में जब माननीय मुख्य मंत्री इस विभाग के प्रभारी मंत्री थे, उस समय लड़कों की आवश्यकता के अनुसार क्वालिफिकेशन में नोट का उपयोग करते हुए उनको नियुक्ति दी थी, तदर्थ जो नियमानुसार है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : अध्यक्ष महोदय, अभी जैसा आपने बताया कि वो ही क्वालिफिकेशन जो रीडर के लिए आपने मांगी थी, वो ही क्वालिफिकेशन रजिस्ट्रार के लिए होती है। यह मेरे पास आप ही के कालेज का, इंजीनियरिंग कालेज का जो मिनिमम क्वालिफिकेशन आपने मांगी है वह यह कागज है और उसमें लिखा है साहब एसेंशल जो क्वालिफिकेशन मांगी गयी हैं वे दो पार्ट में मांगी गयी हैं। एक एसेंशल है और एक डिजायरेबल है। एसेंशल में आपने लिखा है:-

"First class graduate in engineering or first class graduate and high second class post graduate degree of any other discipline."

नं.2 में जरूरी है एसेंशल है:-

"At least ten year's administrative experience in a position involving supervision, control and planning preferably in engineering college or university."

कौन सी क्वालिफिकेशन है उनके पास, सिर्फ एम.एससी. हैं वे। मेरा दूसरा सवाल, मेरा सेकण्ड सप्लीमेंट्री है साहब।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : इसका भी जवाब दे देता हूं मैं।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : नहीं मेरा सेकण्ड सप्लीमेंट्री है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : एक-एक का।

श्री अध्यक्ष : नहीं, जवाब एक-एक का ले लोगे तो आपके लिए ज्यादा ठीक रहेगा।

(12)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आप इस बात का भी जवाब दे दें।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : अभी दे देता हूं जवाब सुनो।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आप इस बात का जवाब दे दें कि उस विभाग में कुशपालसिंह जी जब नियुक्त किये गये थे....

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : अभी जवाब दे देता हूं।

श्री अध्यक्ष : उनको तो निबटने दो पहले।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : एक भी आदमी एम.टेक. या एम.ई. से कम है क्या? इस बात का भी जवाब दे दो आप। आप कहते हैं कि हमने विज्ञापन निकाले। मेरे पास उसकी लिस्ट भी है जो आपने विज्ञापन निकाल करके कैसे निरस्त कर दिये।

श्री अध्यक्ष : बिराजें। माननीय सदस्य।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : वो विज्ञप्तियां भी मेरे पास मौजूद हैं। सैकण्ड सप्लीमेंट्री कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : मेरी अध्यक्षता में आप पहला सवाल पूछ रहे हैं। कृपया ध्यान रखें आप, बिराजें। एक-एक सवाल का जवाब आने दीजिये आप।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : सैकण्ड सप्लीमेंट्री कर रहा हूं मैं और मैं यही कह रहा हूं।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : इसका भी जवाब दे दूं पहले, फिर अगली सप्लमेंट्री का फिर दे देता हूं।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मेरी सैकण्ड सप्लीमेंट्री है कि कुशपालसिंह चौहान के विरुद्ध आडिट की जांच और उसकी फाइंडिंग कब आई और क्या यह सही है कि आडिट ने अपनी समीक्षा में 4,05,535/- रुपये, जो चौहान को सन् 1994-95 से लेकर 1997-98 तक इंजीनियरिंग कालेज, कोटा के द्वारा दिये गये थे, को अनियमित मानते हुए राज्य सरकार को लिखा था?

श्री अध्यक्ष : बिराज जाएं।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, जो दूसरा सवाल किया गया है रजिस्ट्रार की क्वालिफिकेशन का, आपके माध्यम से....

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आडिट की बात करें आप।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मैं वो भी करूंगा।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : रजिस्ट्रार का थर्ड क्वेश्चन आएगा, थर्ड सप्लीमेंट्री

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

है । आप कनफ्यूज मत करिए । आडिट रिपोर्ट पर है मेरा सैकण्ड सवाल ।

श्री अध्यक्ष : कृपया आप बिराजें पहले । माननीय सदस्य मंत्री जी को आप बाध्य नहीं कर सकते कि आप इस तरह बोलो, इस तरह बोलो ।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : बाध्य करने का सवाल नहीं है, प्रश्न का उत्तर लेने का अधिकार मुझे है । आप मेरे प्रश्न संख्या के पार्ट बी में देख लें, आडिट पर है मेरा सवाल ।

श्री अध्यक्ष : बिराजें । कृपया आप बिराजें । वह बोल रहे हैं ।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : वह भी करता हूं । आपके पहले सवाल का आंसर मैंने दे दिया । अभी आपने दो सवाल किये । दो सवालों में आपने जो पहला सवाल किया उसका जवाब पहले दे रहा हूं । अगर आपकी इच्छा है कि आडिट वाले का पहले दो तो वह पहले दे देता हूं, मुझे कोई संकोच नहीं है ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बात सच है कि आडिट के अवेक्षण में जैसा माननीय सदस्य महोदय ने कहा है उन्होंने अपने अवेक्षण में इस प्रकार की बात कही है कि इनकी क्वालिफिकेशन नहीं थी । हमने उसको चैलेंज किया । आडिट पैरा, आडिट पैरा रहता है और उस आडिट पैरा को मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं । जो आपने बात कही वह सब सही है, किन्तु इसी आडिट पैरा का अंतिम वाक्य जो आपकी नालेज में, वह तो पूरा पढ़ दूं ?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : पूरा पढ़ दें आप ।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : वह दो फैक्ट तो बता दिये होंगे । जो लास्ट फैक्ट है जिसके बारे में कहना चाहता हूं आडिट की राय में नियुक्ति के समय प्रकरण के उपरोक्त बातों के होते हुए एवं आवश्यकता एवं परिस्थिति को मद्देनजर रखकर पद पर नियुक्ति के नार्म्स तय करने वाली संस्था ए. आई. सी. टी. ई. भारत सरकार की संस्था से योग्यता के संदर्भ में छूट प्राप्त करने की अनुमति लेनी थी वह नहीं ली गयी । मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस क्वालिफिकेशन के बारे में आडिट पैरा पढ़ दिया, ली नहीं थी, अब ले रहे हैं उसे ।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : वह कौनसा आडिट पैरा पढ़ रहे हैं आप ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : वह आडिट पैरा का आखिरी पार्ट है ।

श्री अध्यक्ष : कृपया बीच में नहीं, बिराजें ।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आखिरी पार्ट यह रहा आडिट पैरा का ।

(14)

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : यह ऑडिट पैरा ही है मैं फिर पढ़ रहा हूं।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : ऑडिट रिपोर्ट यह रही, अगर यह गलत हो तो कह दीजिए आप या मैं पढ़ दूं आपको ऑडिट पैरा, पूरा ऑडिट पैरा पढ़ दूं।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मैं कंटेंट बता रहा हूं, आप पढ़ देना।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : ऑपरेटिव पोरशन पढ़ देता हूं। 9-9-97 को ऑडिट पैरा बना है। श्री कृपालसिंह चौहान, रीडर की सेवा पुस्तिका की समीक्षा के दौरान पाया गया कि श्री चौहान की रीडर के पद पर तदर्थ नियुक्ति क्रमांक इतना, इतना।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : हां, हां, पढ़ो, पढ़ो, आगे पढ़ो।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : उपरोक्त शर्तों के अनुरूप नहीं थी। श्री चौहान एम.एस सी. भौतिक शास्त्र की डिग्रीधारी हैं जबकि रीडर एम. ई. या एम. टेक डिग्रीधारी होना चाहिये था। रीडर के पद पर समय-समय पर जारी विज्ञापनों में भी इन शर्तों का उल्लेख किया जाता रहा है। अतः बिना एम. ई. और एम. टेक की डिग्री व अन्य शर्तों के पूरा होने तक श्री चौहान को रीडर के पद पर नियुक्ति अनियमित रही। परिणाम स्वरूप श्री चौहान जिनकी नियुक्ति की तिथि 1-8-94 से 31-8-97 तक वेतन व भत्तों का समस्त भुगतान अनियमित रहा। विवरण इस प्रकार है 1994 में 60,901 रुपया, 1995-96 में 1,25,265 रुपया, 1996-97 में 1,42, 764 रुपया, 1997-98 में 76,538 रुपया और आखिरी दो लाइनें यह है कि 4,05, 535 रुपया उपरोक्त अनियमित भुगतान राज्य सरकार के पास भेजी जाए, अवगत कराया जाए।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : आप विराजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रारम्भ में आपसे निवेदन किया कि क्वालिफिकेशन के अंदर एक नोट लिखा हुआ है। मैं फिर नोट पढ़ रहा हूं :—

"Candidates from industry, professional with recognized professional work."

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आप तो इंजीनियरिंग कालेज के रूल्स को बताइए जिससे आपका इंजीनियरिंग कालेज गवर्न होता है। चाहे वह कोटा इंजीनियरिंग कालेज हो, चाहे मालवीय रीजनल इंजीनियरिंग कालेज हो।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मैं ए. आई.सी.टी. की पढ़ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य बीच में नहीं, माननीय सदस्य श्री शांति धारीवाल जी, जब मंत्री महोदय जवाब दे रहे हों, तो बीच में बार–बार व्यवधान न डालें आप।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : ए.आई. सी.टी.ई. की क्वालिफिकेशन ...

(15)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : ए.आई. सी.टी.ई. से क्या लेना-देना है यहां ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : जिसके आधार पर हिन्दुस्तान के सारे इंजीनियरिंग कालेज गवर्न होते हैं। क्वालिफिकेशन वही होती है जो ए.आई.सी.टी.ई. करती है। कोई भी कालेज इसके खिलाफ नहीं कर सकता।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : इसके खिलाफ नियम करते हैं और यह नियम आपके बनाये हुए हैं और नियमों में जो मिनिमम क्वालिफिकेशन दे रखी है ...

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : बैठो तो सही, पूरी बात तो होने दो। माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या सुनना नहीं चाहते ?

श्री अध्यक्ष : नहीं, मैं दूसरा सवाल ले रहा हूं, नो, गलत। नेक्स्ट श्री हरिसिंह (कुम्हेर)। नहीं, आप सुनना नहीं चाहते सवाल को। आप मंत्री जी के जवाब को सुनना नहीं चाहते। आप बार–बार व्यवधान डालते हैं। आप सुनिये पहले, आप व्यवधान नहीं डालेंगे। मंत्री महोदय।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : लीजिए साहब मैं बैठ गया, बोलिए। हां, जवाब दिलवाइए।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, सारे इंजीनियरिंग कालेज जिसमें रीजनल इंजीनियरिंग कालेज भी है, जिसमे जयपुर का एम.आर.ई.सी. भी है, जिसमे कोटा का इंजीनियरिंग कालेज भी है, जिसमें भीलवाड़ा का इंजीनियरिंग कालेज भी है, जिसमें जोधपुर का इंजीनियरिंग कालेज भी है। इन सब के लिये।

श्री अध्यक्ष : कृपया आप बात न करें।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : ए.आई. सी.टी.ई. जो परिषद है हिन्दुस्तान भर के इंजीनियरिंग कालेज के क्वालिफिकेशन तय करने की, जिसकी मान्यता प्राप्त करना प्रत्येक इंजीनियरिंग कालेज के लिये आवश्यक है। उनकी क्वालिफिकेशन मैं आपके सामने आपके माध्यम से सदन में रख रहा हूं। फिर बताता हूं मैं, इसमें एक नोट है जिसकी कान्मीजेंस अंकेक्षण विभाग ने नहीं लिया है। पहले मैं नोट पढ़ दूं....
"Candidates from industry, professional with recognized professional work equivalent to Master's degree in the case of engineering and technology".

माननीय अध्यक्ष महोदय, उन्होंने जो अपना नोट दिया है, जितना आपने पढ़ा वह तो करेक्ट है, किन्तु अंकेक्षण विभाग पहले मीमो देता है, मीमो के बाद सरकार का या इंजीनियरिंग कालेज का उत्तर जाता है फिर बनता है ड्राफ्ट पैरा। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं इसी ड्राफ्ट पैरा में उनकी जो बात थी प्रकरण में आडिट मीमो 49 जारी किया गया था। विभाग ने अपने उत्तर क्रमांक 7797, 8-10-97 में बताया कि श्री चौहान इलैक्ट्रोनिक इंस्ट्रूमेंटेशन एवं कंट्रोल में काफी अनुभवी थे और यह इंस्ट्रूमेंटेशन

(16)

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

लिमिटेड के रिसर्च एण्ड डवलपमेंट विभाग में कार्यरत थे। यह एक नया विभाग था और ए.आई.सी.टी. के नार्म्स के अनुसार उपलब्ध उम्मीदवार ऑरिजनल के लिये नहीं थे, किन्तु नोर्म्स के थे अतः विषय सम्बन्धी आवश्यकता की पूर्ति हेतु विभागाध्यक्ष की अनुशंषा पर स्वायत्तशासी संस्था होने के नाते अध्यक्ष की स्वीकृति प्राप्त करके श्री चौहान को नियुक्ति दी गयी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से एक और बात उजागर कर रहा हूं। मैंने आपको कहा कि 1992 से 93 तक इसी प्रकार रीडर और प्रोफेसर नहीं मिलने के कारण इन्हीं क्वालिफिकेशन के नोट के आधार पर उसी इंस्ट्रूमेंटेशन कम्पनी लिमिटेड के एक सेवा निवृत्त व्यक्ति को, जिनका नाम....

श्री शांतिकुमार धारीवाल : सेवा दल?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : सेवा निवृत्त व्यक्ति को...

श्री शांतिकुमार धारीवाल : सेवा दल और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की बात नहीं कर रहा हूं मैं।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : यही है, यही है, अब पता लग गया (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य आप व्यवधान डाल रहे हैं। नैक्स्ट।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : नियमों की बात करिए आप, सेवा दल की बात नहीं कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य व्यवधान डाल रहे हैं आप। श्री शांतिकुमार धारीवाल जी आप आसन को बाई-पास करके बोलना चाहते हैं। यह आदत ठीक करिए आप अपनी। बार-बार आसन को बाई-पास करके आप बोल रहे हैं। आप बिराज जाएं। आप उत्तर नहीं सुनना चाहते क्या, उत्तर नहीं सुनना चाहते? फिर उत्तर सुनिए आप शांति से।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, और इसी कारण इसी ए.सी.आई.टी.ई. की नोट को क्वालिफिकेशन के अनुसार एम.आर.ई.सी. ने डाक्टर श्री जी. राजकुमार ...

श्री किशनाराम नाई (श्री डूंगरगढ़) : अध्यक्ष महोदय, महाविद्यालय न बंद करानी चावे।

श्री अध्यक्ष : कृपया शांत रहें।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : क्योंकि उस समय भी नहीं मिलते थे, उनकी क्वालिफिकेशन भी एम.एससी. फिजिक्स थी, इलेक्ट्रोनिक्स विभाग में उनको नियुक्ति दी गयी थी। नम्बर दो, इसी इंजीनियरिंग कालेज में एम.के. तिवाड़ी वह तो प्रोफेसर रहे हैं, सवा साल तक यहां रहकर रिटायर हुए थे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इसी इंजीनियरिंग कालेज में एम. के. तिवाड़ी जो

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड के थे, सेवानिवृत हुए थे एवं एम.एससी. फिजिक्स थे उन्हें तदर्थ आधार पर प्रोफेसर की नियुक्ति दी गयी थी जो 1-4-92 से 30-6-93 तक एक वर्ष और 3 महीने रहे। मैं आपके माध्यम से इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि आखिर वहां के स्टूडेंट पढ़ें नहीं, उनकी पढ़ाई नहीं हो। मैं तो इतना कहना चाहता हूं, मैंने प्रिंसिपल से कहा आपो, वहां के विभागाध्यक्ष से कहा..

श्री शांतिकुमार धारीवाल : भाषण मत करो।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : आपका जवाब दे रहा हूं और आपको कहना चाह रहा हूं, यह जो कृपालसिंह चौहान है, गोल्डन हैंड सेक हुआ, 18वर्ष की नौकरी को छोड़कर गोल्डन हैंड सेक के आधार पर इस व्यक्ति को यहां पढ़ाने के लिए लगाया गया और जितनी पे मिलती थी उसके बराबर पे होने के बाद भी थोड़ा सा 10-20 रुपये कम देकर इनको लगाया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, आखिर छात्रों का हित नहीं होगा। मैंने उदाहरण बताया है इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं हां, अगर मन में कोई कष्ट है कि कभी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ में रहे हैं, तो रहे हैं, किन्तु इनकी क्वालिफिकेशन और अनुभव अगर आप देखेंगे तो आपको आश्चर्य होगा, कंट्रोल एवं इंस्ट्रूमेंटेशन. (व्यवधान).

श्री शांतिकुमार धारीवाल : क्वालिफिकेशन वाला तो यह है (व्यवधान) यह सप्लीमेंट्री आएगा साहब, मेरा क्वालिफिकेशन वाला तो। अध्यक्ष महोदय, मेरा आखिरी सवाल है, यह सप्लीमेंट्री है मेरा।

श्री अध्यक्ष : सप्लीमेंट्री की भी सीमा होती है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मेरा आखिरी सवाल है, सीमा की क्या ?

श्री अध्यक्ष : पूरक प्रश्न की भी सीमा होती है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : अध्यक्ष महोदय, सीमा मैंने पार कर ली क्या ?

श्री अध्यक्ष : नो, नो, सीमा होती है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : सीमा मैंने पार नहीं की है।

श्री अध्यक्ष : दूसरे माननीय सदस्यों को भी पूछने का अधिकार है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मेरा आपसे यह तीसरी सप्लीमेंट्री है।

श्री अध्यक्ष : दूसरे माननीय सदस्यों को भी इस प्रश्न पर पूछने का अधिकार है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मेरा तो आखिरी है, मैं आखिरी बोल रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय, अभी आपने बताया कि ऑडिट की रिपोर्ट को भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली को प्रकरण भेज दिया गया है। क्या आवश्यकता पड़ रही

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

थी कि आडिट की रिपोर्ट को वहां पर भेजने की ? मेरा सवाल यह है कि रजिस्ट्रार के पद पर और दूसरे पदों पर, यानी कि कुल मिलाकर 26 पदों पर आपने एक विज्ञापन जारी किया 16-4-98 को और वह विज्ञापन निकाला आपने, और ठीक उसके 8 रोज बाद में उस पूरे विज्ञापन को, इन 26 पदों को जो आपने बताये कि 26 पद हैं, आपको याद दिला दूं, यह विज्ञापन है 26 पदों का जिसमें रजिस्ट्रार भी है और आठ दिन बाद उसको वापस विज्ञापन देकर निरस्त कर दिया गया, तो पहले निरस्त क्यों किया गया ?

मेरा आगे सवाल यह है कि 15-5-98 को एक दूसरा विज्ञापन दिया गया जिसमें उन 26 पदों में से 24 पदों को तो गायब कर दिया गया और सिर्फ दो पदों के लिए आवेदन पत्र मांगे गये, रजिस्ट्रार और उप रजिस्ट्रार के लिए। जो आवेदन पत्र मांगे गये उसमें 13 आदमियों ने आवेदन दिया और उनमें सिर्फ 5 आदमियों को बुलवाया गया, 3 आदमियों के लिफाफे डिस्पेच के वक्त ही फाड़ दिये गये, सिर्फ 2 आदमियों को अन्दर इंटरव्यू के लिए बुलाया। 2 आदमियों को बुलाकर एक आदमी से यह कहा कि आपको दूसरी नौकरी दे देंगे और कुशपालसिंह चौहान को सर्फबद करके किसी को....

श्री अध्यक्ष : कृपया भाषण न दें, माननीय सदस्य।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : उसी वक्त जयपुर में ही आपने उनसे ज्वाइनिंग करवा ली, कोटा इंजीनियरिंग कालेज के रजिस्ट्रार पद का इंटरव्यू कहां हो रहा है जयपुर में और ज्वाइनिंग आधे घंटे बाद फटाफट इंटरव्यू के बाद में हो रही है।

श्री अध्यक्ष : विराजिये, विराजिये।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : ऐसा किया गया तो क्यों किया गया ?

श्री अध्यक्ष : विराजें।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि ए.आई.सी.टी.ई. की क्वालिफिकेशंस और नोट है तो हम नोट से सेटिस्फाइड हैं इसलिए हमको उनसे पहले पूछने की आवश्यकता नहीं थी। मैंने दो उदाहरण दे दिये कि इन्हीं दो उदाहरणों में इसी नोट का उपयोग करके तदर्थ नियुक्ति दे दी, किन्तु जब अंकेक्षण विभाग बीच में आ गया और उन्होंने कहा हम नोट को नहीं मानते, नोट के लिए करना है तो प्लीज इनसे क्लियरीफिकेशन लेओ; तो उनके आदेश के कारण और आडिट पैरा को रिमूव करने के कारण हमने पूछा है वरना पूछने की आवश्यकता नहीं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात और निवेदन करना चाहता हूं कि जो क्वालिफिकेशन और एक्सपिरिएंस हैं वह है First class graduate in engineering or first class graduate and high second class post graduate degree of any other discipline. ये उसके लिए क्वालिफिकेशंस हैं। आप ठीक कहते हैं 13 को दिया था, 5 केवल उसके लिए

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

उपयुक्त पाये गये, बुलाया गया, आपने कहा 3 तो फाड़ दिये। वह एफ.आई.आर. दर्ज करायें मेरे विरुद्ध कि अगर इन तीनों को बुलाया था और वह नहीं आये तो मैं कहूंगा जाने के लिए? यहां सदन में इस प्रकार की असत्य बातें को कहकर और आप यह बता दें हमको... (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : इंटरव्यू में कितने आदमी आये थे ... (व्यवधान)

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : मेरे ऊपर जो चार्ज लगाया गया .... (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आप यह बता दें कि इन्टरव्यू में कितने आदमी थे? (व्यवधान)..

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : अगर कभी संघ के रहे और आपको पीड़ा है तो मुझे कोई तकलीफ नहीं है। (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आप इंटरव्यू वालों का बताएं .... (व्यवधान) सिर्फ दो आदमी आये इंटरव्यू में।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : संघ के हैं, रहेंगे, निश्चित रूप से रहेंगे। मैं यह कहना चाहता हूं आपसे।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आप बता दें।

श्री अध्यक्ष : विराजिये, विराजिये, शांति कुमार जी। श्री राजेन्द्र चौधरी।

श्री राजेन्द्र चौधरी (बिलाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने बहुत ही स्पेसिफिक सवाल था और मंत्री जी ने इसको आर.एस.एस. और सेवा दल के बीच बना दिया। सवाल यह नहीं है, सवाल यह नहीं है।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : मैंने नहीं कहा, इन्होंने कहा है। पीड़ा तो यह है उनको, असली पीड़ा।

श्री राजेन्द्र चौधरी : अध्यक्ष महोदय, सवाल यह नहीं है कि वह आर. एस. एस. के या सेवादल के है। इसका कोई मतलब नहीं है, मतलब यह है कि क्वालिफिकेशन के लिये जो आपने ए. सी. आई. टी. का नोट निकाला वह एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन तो है ही, मैं यह कहना चाहता हूं कि आवेदन पत्र मांगने के लिए, मैं सिर्फ स्पेसिफिक पूछ रहा हूं उसी का उत्तर दीजिये।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : हां, दे रहा हूं, दे रहा हूं बोलें।

श्री राजेन्द्र चौधरी : जो विज्ञप्ति निकाली है, आपने उसमें कितने पदों की निकाली, उनको बाद में निरस्त किया?

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : किसकी बात कर रहे हैं?

श्री राजेन्द्र चौधरी : कोटा के कालेज की बात कर रहा हूं।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : आप

(20)

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

किसके बारे में कह रहे हैं रीडर की या रजिस्ट्रार, किसके लिए पूछ रहे हैं ?

श्री राजेन्द्र चौधरी : बात तो सुनिये आप। अध्यक्ष महोदय, आपको ही कह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : नहीं, मैं निवेदन कर रहा हूं।

श्री राजेन्द्र चौधरी : आपको ही कह रहा हूं मैं, अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन तो सुन लीजिये।

श्री अध्यक्ष : ये पूछ रहे हैं, आप सुनिये तो सही तसल्ली से।

श्री राजेन्द्र चौधरी : मैं यह कह रहा हूं रजिस्ट्रार के पद के लिए विज्ञप्ति निकाली उसके बाद में उसको निरस्त कर दिया फिर वापस विज्ञप्ति निकाली, वह यहां पर पेश करें। इसके अन्दर न तो ध्यान है कि कहां पर इंटरव्यू लिये जायेंगे, किस समय इंटरव्यू लिये जायेंगे उसमें योग्यता भी नहीं थी और उसके बाद, अध्यक्ष महोदय, यहां जयपुर में चुपचाप इंटरव्यू काल कर लिये गये। 13 लोगों की एप्लीकेशंस आयीं, उसके अन्दर 5 लोगों की एप्लीकेशंस ली गयी और उसके बाद में किस तरह से केवल दो लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया और जोइनिंग अध्यक्ष महोदय, यहीं कर ली गयी। यह क्या राज है ? मंत्री जी इसको बतायें।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : एक मिनट, एक एक का जवाब दूंगा, सुनिये। माननीय अध्यक्ष महोदय, जोधपुर जिले से आने वाले माननीय सदस्य ने शायद विषय को पढ़ा नहीं है, समझा नहीं है। मैं आपके माध्यम से यह ब्रीफ करवाते हैं, उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि आज तक सारे इंजीनियर ...(व्यवधान) जवाब तो पूछो।

श्री अध्यक्ष : सुनिये, आप सुनिये। राजेन्द्र जी नहीं, आप बिराज आएं, उत्तर सुनें, आप पहले उत्तर सुनें, उत्तर।

श्री राजेन्द्र चौधरी : इन्होंने चार्ज कैसे लगाया कि ब्रीफ होते हैं, माननीय सदस्य ब्रीफ होते हैं किसी से ? अध्यक्ष महोदय, आप व्यवस्था दीजिये मंत्री महोदय ने चार्ज कैसे लगाया ?

श्री अध्यक्ष : इसका मतलब आप सवाल का जवाब नहीं चाहते। आप विवाद कर रहे हैं। नहीं, बिराजिये।

श्री राजेन्द्र चौधरी : यह चार्ज लगा रहे हैं कि ब्रीफ किया गया।

श्री मदन दिलावर (राज्य मंत्री, समाज कल्याण) : जो सड़क बनवाना चाहते थे उसका गुस्सा आ रहा है।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज तक रजिस्ट्रार और डिप्टी रजिस्ट्रार के सारे इंजीनियरिंग कालेजेज के जो भी सलेक्शन हुए हैं, इंटरव्यू हुए हैं वे जयपुर में ही होते हैं। चाहे भीलवाड़ा, चाहे कोटा, चाहे जयपुर।

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

नम्बर एक। इसीलिए यह कहना कि गुपचुप करके कर लिया, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि यह अब पढ़ रहे हैं सवाल।

श्री किशन मोटवानी (अजमेर पश्चिम): एम. आर. ई. सी. में जयपुर होते हैं ?

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : हां, जी। जयपुर एम. आर. ई.सी. में, वहां के कैम्पस में, क्योंकि सारे प्रतिनिधि यहां के या बाहर के आते हैं उनके लिए सूटेबिल स्थान यह है। नम्बर दो। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं 13 आवेदन पत्र आये थे, 5 केवल अकार्डिंग टू क्वालिफिकेशन थे, पांचों को बुलाया गया, साक्षात्कार हुए, सलेक्शन कमेटी थी उसका यथानियम निर्णय हुआ और उसके अनुसार कुशपालसिंह चौहान को नियुक्ति दी गई है। किसी ने चेलेंज नहीं किया है।

श्री अध्यक्ष : श्री लक्ष्मणसिंह जी रावत।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत (भीम) : अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहता हूं मंत्री महोदय से कि आपने एक एडहाक रीडर को, कार्यभार आपने रजिस्ट्रार, अतिरिक्त रजिस्ट्रार का दे दिया, उनको आपने फाइनेंशियल पावर्स भी दे दी, डिस्बर्समेंट की और ड्रा करने की पावर भी दे दी, एडहाक आदमी को तो क्या यह नियमों के विपरीत नहीं है कि एक एडहाक व्यक्ति को आपने फाइनेंशियल पावर्स डिस्बर्समेंट और ड्राइंग की दे दी ? और क्या यह आपके भाई-भतीजावाद को और पक्षपातपूर्ण तरीकों को स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर नहीं करता है ?

(12.00 बजे)

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : नम्बर एक, न कोई भाई है और न कोई भतीजा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इनकी क्वालिफिकेशन, इनका एप्रिसियेशन, इनके सर्टिफिकेट्स, उस नाते से केवल मात्र निर्वाचन तक काम होने की बात थी। इतना काम दे दिया, क्या आसमान टूट गया।

श्री अध्यक्ष : मोटवानी साहब।

श्री किशन मोटवानी : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब यह इंजीनियरिंग कालेज चालू हुआ और उस समय आपने सारे अपाइंटमेंट्स करीब-करीब एडहाक बेसिस पर की थी। यह आपका एडमिशन है। आपने 18 जुलाई, 1996 को एक वक्तव्य दिया था, हिंडोली से आने वाले माननीय सदस्य को मैं कहना चाहता हूं कि आगामी 4 माह में कोई भी नियुक्ति तदर्थ नहीं रहेगी। सबका नियमित रूप से सलेक्शन करके इनका सलेक्शन कर लिया जाएगा। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या....

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : यह दूसरा सवाल है, इससे सम्बन्ध नहीं है ।

श्री किशन मोटवानी : नहीं समझे आप, अगर नहीं है इस सम्बन्ध में तो मैं बैठ जाऊं । आप जवाब देना नहीं चाहते हैं ।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : हां, दूंगा आप बोलिये ।

श्री किशन मोटवानी : नहीं, यह आपके और यह एक व्यवस्था चलाने की नीयत से सवाल है कि आपने जो यहां सदन में कहा कि मैं सारे एडहाक अपाइंटमेंट्स को खतम करके, रेगुलर सलेक्शन करूंगा । तो मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आज आपने जो सारी की सारी नियुक्तियां एडहाक थीं, वह खतम करके रेगुलर कर दी हैं ?

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : इसके लिये जब प्रयास किये गये, विशेषकर फोर्थ क्लास और एल.डी.सी. की तो प्रार्थना पत्र ढाई-ढाई हजार आ गये । इसलिए बोर्ड आफ गवर्नेंस की मीटिंग करके, क्या इसमें कुछ न कुछ और दूसरी पद्धति अपनायी जाए, यह विचार किया गया । यह जो काम है, यह तो उसी एश्योरेंस के सन्दर्भ में है, मेरे मन की इच्छा है । काफी कुछ तो रिकोग्नाइज हो गये हैं, किन्तु सब नहीं हुए, मैं मानता हूं । चार महीने में नहीं हुए । किन्तु प्रक्रिया आरम्भ की थी, सफलता नहीं मिली । बी.ओ.जी. की मीटिंग तीन तारीख को है, किन्तु शायद तीन तारीख को अपने इस विधान सभा का सत्र रहेगा । इसलिए उसको आगे सरकाकर, कौनसी तारीख से इसको किया जाए, इस पर स्वायत्तशासी संस्था होने के नाते, निर्णय करेंगे । यह मैं निवेदन करना चाहता हूं ।

श्री किशन मोटवानी : कितने पद रह गये ?

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त ।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न था ।

श्री आर.पी. शर्मा (भरतपुर) : नाम पुकार लिया था आपने हरिसिंहजी का । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त ।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : मेरा नाम पुकार लिया था ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हो गया, मैं क्या करूं ? (व्यवधान)

श्री आर.पी. शर्मा : साढ़े ग्यारह बजे शुरू हुआ तो साढ़े बारह बजे तक चलेगा । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नहीं, नहीं, प्रश्नकाल समाप्त हो गया तो मैं क्या करूं ? कृपया विराजें ।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए परिशिष्ट-1 देखें ।)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

प्रश्न संख्या–336

(स्थगित)

नगरपालिका क्षेत्र झुन्झुनूं में आवास/ व्यापारिक प्रतिष्ठानों का निर्माण

337. श्री दीपेन्द्र सिंह (श्री माधोपुर): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) गत तीन वर्षों में नगरपालिका क्षेत्र झुन्झुनूं में आवास/व्यापारिक प्रतिष्ठानों के निर्माण बाबत कितने आवेदन कब प्राप्त हुए तथा उन पर निर्माण की स्वीकृति कब–कब दी गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या आवासीय निर्माण की स्वीकृति के आधार पर निर्मित भवन निर्माणों में व्यापारिक प्रतिष्ठान चल रहे हैं ? यदि हाँ, तो विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या यह सही है कि व्यापारिक प्रतिष्ठानों की बिना स्वीकृति के बहुमंजिले भवन बना कर नियमों की अवहेलना की गई है ? यदि हाँ, तो क्यों ?

उत्तर

(1) गत तीन वर्षों में नगरपालिका क्षेत्र झुन्झुनूं में आवास/व्यापारिक प्रतिष्ठानों के निर्माण बाबत जितने आवेदन पत्र जब-जब प्राप्त हुए तथा उन पर निर्माण की स्वीकृति जब–जब दी गई, इत्यादि का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है ।

(2) इस सम्बन्ध में जांच कर वस्तुस्थिति की जानकारी भिजवाने हेतु पालिका को निर्देश दिये गये हैं ।

(3) प्रश्न के भाग सं. 2 की जानकारी प्राप्त होने के पश्चात् ही इस सम्बन्ध में उत्तर दिया जाना संभव होगा ।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा)

नगरपालिका सागवाड़ा की सीमा में वृक्षारोपण

338. श्री भीखा भाई (सागवाड़ा) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) नगरपालिका क्षेत्र सागवाड़ा की सीमावृद्धि की अनुमति कब-कब किस-किस वर्ष में सरकार द्वारा दी गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि शहर एवं बाजारों मे वर्ष 1990 से लेकर जून, 1998 तक कोई वृक्षारोपण नहीं करने से प्रदूषण वृद्धि हुई है ? यदि हाँ, तो अब वृक्षारोपण कार्य कब तक करा दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) नगरपालिका सागवाड़ा की सीमा वृद्धि की अनुमति जब-जब व जिस-जिस

(24)

(स्वायत्त शासन मंत्री)

वर्ष में राज्य सरकार द्वारा दी गई उसका विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) शहर एवं बाजार, बाग बगीचों, गार्डन में वर्ष 1990 से अब तक कुछ वृक्षारोपण करवाया गया है, प्रदूषण फैलने की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-2 देखें)

जयपुर शहर में बहुमंजिले भवन

339. श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे।—

क्या यह सही है कि जयपुर शहर में बिना अनुमति के बहुमंजिले भवन बनाये गये हैं और बनाये जा रहे हैं? यदि हां, तो गत दो वर्षों में कौन-कौन से भवन कब-कब किस-किस के द्वारा निर्मित कराये गये तथा सरकार ने उनके विरुद्ध क्या-क्या कदम उठाये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

यह सही है कि जयपुर शहर में पिछले दो वर्षों में कुछ बहुमंजिले भवन बिना अनुमति के बनाये गये हैं। जिन-जिन लोगों ने बिना अनुमति के निर्माण किये है उनके विरुद्ध जो कार्यवाही की है, उनका विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-3 देखें)

नगरपालिका मकराना की चुंगी से आय

340. श्री रूपाराम (मकराना) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) नगरपालिका मकराना में वर्ष 1995 से 1998 तक प्रति वर्ष चुंगी के रूप में कितनी राशि प्राप्त हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त आय में से कितनी-कितनी राशि किन-किन मदों पर व्यय की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) नगरपालिका मकराना में वर्ष 1995 से 1998 तक प्रतिवर्ष चुंगी के रूप में प्राप्त राशि का विवरण निम्नानुसार है :—

वर्ष	रु. लाखों में
1995-96	89 लाख
1996-97	107 लाख
1997-98	87 लाख

(2) उक्त आय में से जितनी राशि जिन-जिन मदों पर व्यय की गई उसका विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-4 देखें)

25

नगरपालिका क्षेत्र सोजत में गाड़िया लुहारों को भू-आवंटन

341. श्री माधव सिंह दीवान (सोजत) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि नगरपालिका क्षेत्र सोजत में गाड़िया लुहारों को बसाने हेतु कुछ भूमि आरक्षित की गई थी ? यदि हां, तो किस–किस खसरा नं. में तथा कितनी-कितनी भूमि ? आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या सरकार इस घुमक्कड़ जाति को एक जगह बसाने हेतु कोई राहत/सुविधाएं उपलब्ध कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या-क्या ?

(3) क्या सरकार उक्त जाति को सड़क पर इनके द्वारा निर्मित सामान बेचने हेतु भू-खण्ड /व्यावसायिक भू-खण्ड आवंटित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) यह सही है कि नगरपालिका सोजत में गाड़ियों लुहारों को बसाने हेतु खसरा नं. 387 में से 38 बीघा 10 बिस्वा आरक्षित की गई थी, जिसकी प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(2) इस घुमक्कड़ जाति के परिवारों को एक जगह स्थाई रूप से बसाने हेतु निःशुल्क भूमि आवंटन करने के आदेश दिये गये थे ।

(3) इस संबंध में कोई प्रकरण राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

(प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

नगरपालिका क्षेत्र सोजत की भूमि पर अतिक्रमण

342. श्री माधव सिंह दीवान (सोजत) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि नगरपालिका क्षेत्र सोजत में अतिक्रमणों की संख्या में भारी मात्रा में वृद्धि हुई है और कई लोगों ने अनधिकृत कब्जे कर रखे हैं ? अतिक्रमियों ने कितनी-कितनी भूमि पर किस वर्ष से अतिक्रमण कर रखा है ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) उक्त प्रकरण में सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) यह सही नहीं है, कि नगरपालिका क्षेत्र सोजत में अतिक्रमणों की संख्या में भारी मात्रा में वृद्धि हुई है । गत वर्षों में जिन-जिन व्यक्तियों द्वारा अनधिकृत कब्जे जितनी-जितनी भूमि पर, जब-जब से अतिक्रमण कर रखे हैं, उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(2) सभी अतिक्रमियों के विरुद्ध सेक्शन 203 राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 1959 के तहत कार्यवाही की जा रही है ।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–5 देखें)

(26)

स्थानीय निकाय निदेशालय में बकाया काम निपटाओ अभियान

343. श्री गोविन्द सिंह गुर्जर (नसीराबाद) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे ।

(1) क्या यह सही है कि इस वर्ष स्थानीय निकाय निदेशालय में बकाया काम निपटाओ अभियान चलाया गया था ?

(2) इस काम निपटाओ अभियान में कितने अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा निदेशालय में लम्बित प्रकरणों को निपटाया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) गत चार वर्षों से निदेशालय में किस-किस नगर परिषद् के वाहन लगा रखे हैं और इन्हें लगाने का क्या औचित्य है ?

(4) उक्त निदेशालय में गत चार वर्षों में किन-किन नगर परिषदों से कितनी स्टेशनरी, कुर्सियां, टेबलें, सोफे अलमारियां, सोफे तथा वाहन लिये गये तथा इनका उपयोग कहां-कहां किया जा रहा है और कितना भुगतान सम्बन्धित नगरपालिका/परिषद द्वारा इन पर किया गया ? क्या इन सामानों को वापस नगर परिषदों को भेजने का विचार है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं। इस वर्ष अर्थात 1997-98 में कोई काम निपटाओ अभियान नहीं चलाया गया । 1996-97 में चलाया गया था ।

(2) इस संबंध में किस-किस अधिकारी/कर्मचारी द्वारा लम्बित प्रकरणों को निपटाया की सूचना अलग से उपलब्ध नहीं है ।

(3) इस संबंध में जानकारी प्राप्त की जा रही है ।

(4) इस संबंध में जानकारी एवं जांच कारवाई की जा रही है ।

झोटवाड़ा रोड दूध मण्डी (जयपुर) में पानी निकासी हेतु पाइप लाइन

344. श्री गोपीराम जाट (आमेर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि झोटवाड़ा रोड दूध मण्डी, सुभाष नगर, जयपुर के पास चौराहे से पानी पेच की तरफ पानी के निकास हेतु पाइप लाइन डाली जा रही है ? यदि हाँ, तो इस पाइप लाइन से कौन-कौन से क्षेत्र के पानी की निकासी होगी ?

(2) क्या यह भी सही है कि पाइप लाइन ढलाई वाले क्षेत्र से ऊंचाई वाले क्षेत्र की तरफ डाली जा रही है ? क्योंकि पानी पेच ऊंचाई क्षेत्र में स्थित है ? क्या इस लाइन से पानी का निकास हो सकेगा?

(श्री गोपीराम जाट)

यदि हां, तो कैसे और नहीं, तो इस पाइप लाइन का क्या उपयोग होगा ?

(3) उक्त प्रोजेक्ट पर कितनी राशि स्वीकृत की गई है ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी हां, कोटवाड़ा रोड, दूध की मण्डी, सुभाष नगर से पानीपेच तक पानी के निकास हेतु पाइप लाइन डाली जा रही है । इस पाइप लाइन से सुभाष नगर क्षेत्र का पानी अमानीशाह के नाले में ले जाकर डाला जायेगा यह कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा करवाया जा रहा है ।

(2) जी नहीं । इस पाइप लाइन का ढलान अमानीशाह के नाले की तरफ रखा गया है । जिससे इस पाइप लाइन से पानी का निकास आसानी से हो सकेगा । साथ ही यह पाइप लाईन सुभाष नगर के पानी को निकालने में उपयोगी होगी ।

(3) उक्त योजना पर कुल राशि 80.00 लाख रुपये स्वीकृत हैं । जिसमें से नगर-निगम द्वारा इस कार्य हेतु 5.00 लाख रुपये का सहयोग दिया गया है । शेष राशि सा. नि. विभाग द्वारा खर्च की जानी है ।

उदयपुर एवं राजसमन्द जिलों के मास्टर प्लान

345. श्री लक्ष्मण सिंह रावत (भीम) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) उदयपुर व राजसमन्द जिले के किन-किन नगरों में मास्टर प्लान लागू करने की सरकार की योजना है ? उक्त नगरों में मास्टर प्लान लागू करने की दिशा में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

(2) मास्टर प्लान लागू करने के मूल सिद्धान्त व प्रक्रिया क्या है ?

(3) क्या राजसमन्द जिले के देवगढ़ नगर में "ड्राफ्ट मास्टर प्लान" के विरोध में पत्रादि प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो सरकार उनके निवारण के लिये क्या विचार रखती है ?

उत्तर

(1) उदयपुर जिले में उदयपुर एवं सलूम्बर तथा राजसमन्द जिले में राजसमन्द, नाथद्वारा एवं देवगढ़ नगरों के मास्टर प्लान तैयार कर लागू करने की सरकार की योजना है । मास्टर प्लान लागू करने की दिशा में अब तक हुई प्रगति का विवरण निम्न प्रकार है :-

1. उदयपुर - प्रारूप मास्टर प्लान क्षितिज वर्ष 2023 के लिए तैयार कर राज्य सरकार को इस कार्यालय के पत्र क्रमांक टी पी आर / एमपी / 1115 दिनांक 2-6-98 द्वारा प्रेषित किया जा चुका है ।

2. सलूम्बर - नगर का बेसमेप तैयार करवाने का कार्य प्रगति पर है ।

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

3. राजसमन्द- प्रारूप मास्टर प्लान तैयार कर जनता से आपत्ति/सुझाव आमंत्रित करने हेतु प्रकाशित किया जाकर प्राप्त आपत्तियों एवं सुझावों की जांच का कार्य प्रगति पर है, ताकि प्रारूप को अंतिम रूप दिया जा सके।

4. नाथद्वारा - प्रारूप मास्टर प्लान पर प्राप्त आपत्ति/सुझावों के आधार पर मास्टर प्लान को अंतिम रूप देकर सरकार को प्रेषित किया गया था। राज्य सरकार से प्राप्त कुछ सुझावों हेतु निर्देशों के अनुरूप प्रारूप मास्टर प्लान का पुनः आंकलन कर सुझावों को समायोजित करने की कार्यवाही की जा रही है।

5. देवगढ़ - प्रारूप मास्टर प्लान क्षितिज 2016 के लिए तैयार कर आपत्ति/सुझाव आमंत्रित करने हेतु प्रकाशित किया गया था। अब तैयार किये जा रहे मास्टर प्लानों का क्षितिज वर्ष लगभग 25 वर्ष रखा जाने का निर्णय के फलस्वरूप द्वितीय प्रारूप क्षितिज वर्ष 2023 के लिये तैयार किए जाने का कार्य प्रगति पर है।

(2) राजस्थान नगर सुधार अधिनियम 1959 की धारा 3 से 7 में वर्णित प्रावधानों एवं राजस्थान नगर सुधार न्यास (सामान्य) नियम 1962 के अनुरूप मास्टर प्लान तैयार कर लागू किए जाते हैं।

(3) कार्यालय में उपलब्ध अभिलेख के आधार पर जनता से प्रारूप मास्टर प्लान पर आक्षेप/सुझावों हेतु निर्धारित समय सीमा (मार्च-अप्रेल, 97) में कुल 65 आक्षेप/सुझाव प्राप्त हुए थे। इसके अतिरिक्त नगरपालिका मण्डल, देवगढ़ का एक प्रस्ताव प्रारूप मास्टर प्लान को निरस्त किए जाने हेतु प्राप्त हुआ था तथा काफी समय पश्चात माननीय श्री लक्ष्मण सिंह रावत, विधायक भीम-देवगढ़ द्वारा इस कार्यालय को दिनांक 12-6-98 को पत्र प्राप्त हुआ है।

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम 1959 के प्रावधानों के अनुसार जनता से प्राप्त आक्षेपों, सुझावों की जांच कर तदनुरूप निवारण की कार्यवाही की जाकर उसे राज्य सरकार को प्रारूप के अनुमोदन हेतु भेजे जायेंगे।

ग्राम पंचायत ढीपरी चम्बल (कोटा) की पेयजल योजना की स्वीकृति

346. श्री रामगोपाल बैरवा (पीपल्दा): क्या विशिष्ट योजना संगठन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या गत पांच वर्षों में कोटा जिले की ग्राम पंचायत ढीपरी चम्बल में तीस

(श्री रामगोपाल बैरवा)

जिला तीस काम योजना के अन्तर्गत पेयजल योजना स्वीकृत की गई थी ? यदि हां, तो कब कितनी राशि से व इसके निर्माण कार्य पूर्ण होने की अवधि क्या थी ?

(2) उक्त योजना का कार्य अभी तक पूर्ण नहीं होने के लिये कौन अधिकारी/कर्मचारी जिम्मेदार हैं और इस योजना का कार्य समय पर पूरा कराने के लिये सरकार द्वारा क्या–क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो दोषी कौन है ?

(3) अब उक्त योजना का निर्माण कार्य कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी हां। कोटा जिले की ग्राम पंचायत ढीपरी चम्बल में वर्ष 1996-97 में 30 जिला 30 काम योजना के अन्तर्गत पेयजल की एक पम्प एवं टैंक योजना अभिकरण द्वारा वर्ष 1996-97 में राशि रुपये 8.30 लाख की स्वीकृत की गयी थी। निर्माण कार्य पूर्ण होने की अवधि 10 से 15 माह की थी।

(2) जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की नीति के अनुसार योजना का राज्य स्तरीय गठित वित्तीय समिति द्वारा अनुमोदन होने के बाद क्रियान्वयन होना था एवं योजना का अनुमोदन दिसम्बर, 97 में हुआ अतः अभी तक कार्य पूर्ण नहीं होने के लिये कोई अधिकारी/कर्मचारी जिम्मेदार नहीं है।

(3) उक्त योजना को शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण करने के लिये कार्यकारी संस्था को निर्देश दे दिये गये हैं।

नेहरू नगर (जयपुर) में सीवरेज लाइन

347. श्री रामकिशन वर्मा (रामगंज मण्डी) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) नेहरू नगर, जयपुर में सीवरेज लाइन डालने का उद्घाटन किस तिथि को किया गया था तथा इसे डालने के लिए कितना समय निर्धारित था ?

(2) क्या यह सही है कि अधिकारियों की लापरवाही की वजह से अभी तक यह कार्य पूर्ण नहीं हो सका है ?

(3) अब सरकार कब तक उक्त कार्य पूर्ण कराने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) नेहरू नगर, जयपुर में सीवरेज लाइन डालने का उद्घाटन दिनांक 4-5-97 को किया गया था तथा इसको डालने के लिए कार्यादेश तिथि से 18 माह 15 दिवस का समय निर्धारित है।

(2) जी नहीं। कार्य आदेश के अनुरूप समय पर प्रारम्भ कर दिया गया था एवं निर्धारित अवधि में पूर्ण हो जायेगा।

(3) कार्य दी हुई निर्धारित अवधि में पूर्ण हो जायेगा।

(30)

प्रताप कालोनी ब्यावर में भूमि विक्रय में अनियमितताएं

348. श्री उगमराज मेहता (ब्यावर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ब्यावर शहर स्थित प्रताप कालोनी मेवाड़ी गेट बाहर की भूमि के नक्शे स्वीकृत करवाने एवं विक्रय करने में नगर परिषद् ने काफी अनियमितताएं की हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त अनियमितताओं एवं गैर कानूनी कृत्यों के तथ्यों की जांच तत्कालीन सहायक कलक्टर ब्यावर द्वारा जांच कर, जांच रिपोर्ट में उचित कार्यवाही हेतु उप-खण्ड अधिकारी से अभिशंषा व्यक्त की है और नगर परिषद् को भी अवगत कराया गया है ? यदि हां, तो रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(3) सरकार द्वारा उक्त रिपोर्ट पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी हां । केवल भू-विभाजन के मानचित्र स्वीकृति करने में अनियमितता हुई है ।

(2) जी हां । रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(3) राज्य सरकार की जानकारी में यह तथ्य अभी आया है अतः इसकी शीघ्र जांच करवाकर अग्रिम कार्यवाही की जावेगी ।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट-6 देखें)

नगरपालिका अध्यक्षों/उपाध्यक्षों का निलम्बन प्रकरण

349. श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकार ने निर्वाचित नगरपालिकाओं के अध्यक्षों व उपाध्यक्षों को पद से हटाया है ? यदि हां, तो मौजूदा पालिकाओं के चुनाव होने के बाद से अब तक किस-किस अध्यक्ष/उपाध्यक्ष को कब-कब किस-किस दोष के कारण हटाया गया ?

(2) क्या यह सही है कि राज्य में कुछ नगरपालिकाओं के अध्यक्षों व उपाध्यक्षों को निलम्बित भी किया है ? यदि हां, तो उक्त अवधि में किस—किस को कब-कब तथा किस—किस दोष के कारण निलम्बित किया गया है ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी हां । पालिकाओं के चुनाव होने के बाद अब तक जिन-जिन अध्यक्षों/उपाध्यक्षों को जब—जब, किस-किस दोष के कारण हटाया गया है, का विवरण संलग्न है । (अ)

(स्वायत्त शासन मंत्री)

(2) जी हां। उक्त अवधि में जिस-जिस को जब-जब तथा जिस-जिस दोष के कारण निलंबित किया गया है, का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है। (ब)

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट–7 देखें)

नगर विकास प्रन्यास (उदयपुर) द्वारा नक्शों की स्वीकृति

350. श्री शिवकिशोर सनाढ्य (उदयपुर) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या उदयपुर नगर विकास प्रन्यास में आवासीय/व्यावसायिक भूस्वामियों के नक्शा स्वीकृत कराने हेतु कोई नियम प्रभावी है ? इन दोनों की दर प्रति वर्ग फीट क्या है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या नगर विकास प्रन्यास द्वारा हिरणमगरी सेक्टर 3, 4, 5, 6 स्थित आवासीय बस्तियों में कोई सर्वे कराया गया है ? यदि हां, तो कब ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर ने बिना नक्शा मंजूर कराये अनधिकृत रूप से मकान बनाने को रोकने के लिए कोई उपयुक्त व्यवस्था कर रखी है ? यदि हां, तो क्या और इसके लिए प्रभारी अधिकारी कौन-कौन नियुक्त हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि हिरणमगरी सेक्टर 5 स्थित प्रभातनगर, उदयपुर में मकान नं. 1340 का नक्शा स्वीकृत है ? यदि हां तो यह किसके नाम पर है और नक्शा कब स्वीकृत किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(5) क्या यह भी सही है कि हिरणमगरी सेक्टर 5 प्रभातनगर, उदयपुर स्थित मकान नं. 1340 पर व्यावसायिक दुकानें निर्मित हैं ? क्या नगर विकास प्रन्यास द्वारा इसकी अनुमति दी हुई है ? यदि नहीं, तो उक्त अनधिकृत निर्माण बाबत प्रन्यास द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

उत्तर

(1) उदयपुर नगर विकास प्रन्यास में आवासीय और व्यवसायिक भू-स्वामियों द्वारा नक्शा स्वीकृत कराने हेतु प्रस्तुत करने पर प्रन्यास की प्लान कमेटी की बैठक दिनांक 24-6-95 के निर्णयानुसार निम्नानुसार शुल्क लिया जाता है :—

(32)

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

क.सं.	साइज	प्लान एन्ट्री शुल्क	
		आवासीय	वाणिज्यिक/सरकारी/अर्द्ध सरकारी/फ्लेट्स-संस्थाएं शैक्षणिक
1.	250 वर्ग गज तक के भू–खण्डों पर	400/-	800/–रु.
2.	250 वर्ग गज से 400 वर्ग गज तक	800/-	1600/–रु.
3.	400 वर्ग गज से ऊपर	1000/-	2000/–रु.

आवासीय फ्लेट्स/बहुमंजिली आवासीय फ्लेट्स के निर्माण की स्वीकृति जारी करने से पूर्व एक रुपया प्रति वर्ग फीट की दर से बहुमंजिली शुल्क, भू-खण्ड के कुल क्षेत्रफल पर देय होता है।

न्यास की सामान्य बैठक दिनांक 18-9-97 के निर्णयानुसार अधिसूचित निर्माण निषिद्ध क्षेत्र को छोड़कर शहर के शेष नगरीय क्षेत्र में पर्यावरण संवर्द्धन शुल्क निम्न प्रकार से मानचित्र प्रस्तुत करने पर लिया जाता है :—

क.सं.	उपयोग	दर प्रति वर्ग फीट
1.	आवासीय भू-खण्डों पर	1.00 रु. प्रति वर्ग फीट (भू-खण्ड के क्षेत्रफल पर)
2.	गैर आवासीय फ्लेट्स, व्यवसायिक भवन पर संस्थागत भवन व विशिष्ट भवनों/फार्म हाउस रिसेर्टस पर/औद्योगिक भवनों आदि पर/राज्य सरकार के विभाग उक्त शुल्क से मुक्त रहेंगे।	2.00 रु. प्रति वर्ग फीट के भवन के तल क्षेत्रफल पर

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

प्रन्यास की सामान्य बैठक दिनांक 18-9-97 के द्वारा स्वीकृत नगरीय क्षेत्र भवन विनियम 1997 राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु दिनांक 6-11-97 को भेजे गये थे, जो राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन है।

(2) हां, वर्ष 1991 से पूर्व ही इस योजना की सर्वे कराई जा चुकी है।

(3) जी, हां। नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर ने अनधिकृत रूप से मकान बनाने को रोकने के लिए व्यवस्था कर रखी है। इस हेतु न्यास के स्थाई आदेश क्रमांक 1/97 द्वारा शहर को पांच जोन में बांटा गया है। प्रत्येक जोन में एक-एक पटवारी को प्रभारी बनाया गया है, जो पूरे जोन में अनधिकृत निर्माण/अतिक्रमण रोकने के लिए कार्यरत है, इनके ऊपर तहसीलदार, न्यास निगरानी रखते है एवं नियमानुसार तहसील न्यायालय में वाद दायर कर कार्यवाही की जाती है।

(4) जी, हां। मकान नं. 1340 का नक्शा श्री जगन्नाथ जोशी के नाम आवासीय उपयोग हेतु दिनांक 5-4-89 को स्वीकृत किया गया है।

(5) जी हां। हिरणमगरी सेक्टर नं. 5 प्रभातनगर, उदयपुर स्थित मकान नं. 1340 पर व्यावसायिक दुकानें निर्मित है। नगर विकास प्रन्यास द्वारा आवासीय प्रयोजनार्थ निर्माण स्वीकृति दिनांक 5-4-89 को जारी की गई। चूंकि व्यावसायिक निर्माण हेतु कोई स्वीकृति जारी नहीं की गई है परन्तु जिन अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गई है। उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है।

जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा पदमावती कालोनी का विकास

351. श्री भरत सिंह (खानपुर) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जयपुर विकास प्राधिकरण ने पदमावती कालोनी "ए" किंग्स रोड जयपुर को अनुमोदित किया है? यदि हां, तो जयपुर विकास प्राधिकरण ने इस कालोनी में अब तक क्या-क्या विकास कार्य कराये हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि वर्ष 1994 में प्राधिकरण ने इस कालोनी में डब्ल्यू बी.एम. की सड़क बनाई थी? क्या उक्त सड़क पूर्ण हो चुकी है? यदि नहीं, तो अब कब तक पूर्ण कराने का विचार है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि पूर्व में उक्त कालोनी में सड़कों का डामरीकरण करने हेतु स्वीकृति जारी की गई थी? यदि हां, तो अब तक सड़कों का डामरीकरण नहीं होने के क्या कारण हैं? क्या सरकार अब इन सड़कों का डामरीकरण करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी, हां । यह कालोनी प्राधिकरण से अनुमोदित है । प्राधिकरण द्वारा इस कालोनी में डब्ल्यू.बी.एम. रोड का निर्माण कार्य कराया गया है ।

(2) वर्ष 1994 में योजना नियमितिकरण के समय भूखण्डधारियों द्वारा जमा कराये गये विकास शुल्क अनुसार डब्ल्यू. बी.एम.सड़क कार्य पूर्ण हो चुका है । योजना में शेष भूखण्डधारियों द्वारा विकास शुल्क राशि जमा न कराये जाने की स्थिति में कुछ सड़कें बनाया जाना शेष है । योजना में शेष भूखण्डधारियों द्वारा पूर्ण विकास शुल्क जमा कराये जाने पर सड़कों का निर्माण कराया जा सकेगा ।

(3) जी, हां । वर्ष 1994 में योजना में पूर्ण रूप से विकास शुल्क जमा कराये जाने की स्थिति में सड़कों का डामरीकरण हेतु सशर्त स्वीकृति जारी हुई थी परन्तु योजना में कुछ भूखण्डधारियों द्वारा ही विकास शुल्क जमा कराये जाने की स्थिति में जमा विकास शुल्क के अनुसार कार्य कराया गया । योजना में सभी भूखण्डधारियों द्वारा विकास शुल्क जमा कराये जाने पर डामरीकरण का कार्य कराया जा सकेगा ।

नगर निगम जयपुर के वार्ड न 41 में सीमेन्ट सड़क का निर्माण

352. श्री रामकिशन वर्मा (रामगंजमण्डी) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि नगर निगम जयपुर के वार्ड नं. 41 में सीमेण्ट की सड़कों का निर्माण किया गया है ? यदि हां, तो बाबा हरिश्चन्द्र मार्ग के मुख्य रास्ते की सड़क को क्यों छोड़ा गया ? क्या सरकार उक्त सड़क का डामरीकरण (पेवर सड़क) या सीमेण्टेड सड़क बनाये जाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(2) क्या यह भी सही है कि गत वर्ष खुंटेटों का रास्ता दूसरा चौराहे से तीसरे चौराहे तक की सड़क को सीमेण्टेड किया गया था ? यदि हां, तो क्या सड़क निर्माण के समय ठेकेदार/अधिकारी/कर्मचारियों की लापरवाही से सीवर लाइन के मेन होल दबा दिये गये हैं ? अब उक्त सीवर लाइन को कब तक चालू करा दिया जायेगा ?

(3) क्या यह सही है कि मित्रज्ञान विद्यालय के पास वाली गली व आम रास्ते की सीवर लाइन अवरुद्ध है ? यदि हाँ, तो किस कारण से ? क्या उक्त गली व स्कूल के बाहर बने मेन होल से सीवर निकासी के संबंध में महापौर नगर निगम जयपुर को भी नागरिकों द्वारा प्रार्थना पत्र दिये गये थे ? यदि हाँ, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई ? अब कब तक उक्त गली व मैन खुटेटों के रास्ते की सीवर लाइन/मेनहोलों को ठीक करा दिया जायेगा ?

(4) उक्त क्षेत्र की सीवर लाइन व सफाई के सम्बन्ध में अधिकारियों ने क्या रिपोर्ट दी है ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी, हां । बाबा हरिश्चन्द्र मार्ग की सड़क का क्षेत्रफल अन्य स्थानों की तुलना में अधिक था, इसलिए यदि उक्त कार्य पूर्ण किया जाता तो अन्य ऐसे छोटे–छोटे कार्य सम्पादित होने से रह जाते । अतः नगर निगम के बजट की उपलब्धता होने पर उक्त कार्य सम्पादित कराने का प्रयास किया जायेगा ।

(2) जी, हां । उक्त सीमेन्ट रोड बनाते समय ठेकेदार द्वारा जो मेनहोल सड़क में दबा दिये गये थे, उन्हें निकलवा कर सीवर लाइन को चालू करा दिया गया है ।

(3) जी, नहीं । वर्तमान में उक्त सीवर लाइन चालू है । पूर्व में सीवर लाइन में आई अवरुद्धता की जानकारी प्राप्त होते ही साफ करवा कर चालू करवा दिया गया है ।

(4) प्रश्न के भाग तीन के उत्तर के उपरान्त यह प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है।

जोधपुर शहर की क्षतिग्रस्त सड़क

353. श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जोधपुर शहर में चांदपोल से सिवांची गेट एवं नाजर जी की बावड़ी तक सड़क काफी समय से क्षतिग्रस्त हालत में है ? क्या इस पर भारी आवागमन रहता है ? क्या सरकार उक्त सड़क को सीमेन्ट की बनाने का विचार रखती है ?

(2) उक्त सड़क को किस अवधि तक सीमेंट की बनवा दी जायेगी ?

उत्तर

(1) यह सही है कि उक्त सड़क चांदपोल से सिवांची गेट तक कई स्थानों पर क्षतिग्रस्त थी । इस संबंध में उल्लेखनीय है कि जब यह सीमेंट की सड़क निर्माणाधीन थी, उस समय यातायात का अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग न होने के कारण सड़क पर सभी प्रकार के वाहन गुजरते थे । यहां तक की रात्रि के समय में भी वाहनों का आवागमन इस क्षेत्र में रहता है । सीमेन्ट के निर्माण कार्य में निश्चित समय तक वाहनों का आवागमन बन्द करना आवश्यक है । इस सड़क के क्षतिग्रस्त भाग की मरम्मत एवं शेष रहे भाग की मरम्मत करवायी गयी है। सिवांची गेट से नाजर जी की बावड़ी तक सीमेन्ट की सड़क बनाने हेतु वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

(2) वर्तमान में चांदपोल से नाजर जी की बावड़ी तक की सड़क को सीमेंट की सड़क बनाने हेतु प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है । इस सम्बन्ध में अब एस्टीमेट बनाकर इस कार्य को करने हेतु भी शीघ्र कार्यवाही की जायेगी ।

शंकर भवन निर्माण सहकारी समिति लि. (जयपुर) का विकास

354. श्री रामेश्वर लाल मांटो (सुजानगढ़) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) शंकर भवन निर्माण सहकारी समिति लि. की आवासीय योजना यशवंत नगर, नांगल जैसा बोहरा (जयपुर) का क्षेत्रफल कितना है और इस योजना में कुल आवासीय/वाणिज्यिक भू-खण्ड कितने हैं ? विवरण मय स्थल मानचित्र के सदन की मेज पर रखें ।

(2) सरकार उक्त योजना के विकास के संबंध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

उत्तर

(1) शंकर भवन निर्माण सहकारी समिति की आवसीय योजना यशवन्त नगर नांगल जैसा बोहरा जयपुर के मानचित्र साइट प्लान व भूमि रूपान्तरण हेतु प्रार्थना पत्र, इकरारनामा आदि गृह निर्माण सहकारी समिति ने प्रस्तुत नहीं किये हैं । अतः योजना में आवासीय/वाणिज्यिक भूखण्डों के बारे में सूचना दिया जाना संभव नहीं है ।

(2) चूंकि उक्त योजना का मानचित्र एवं भूमि रूपान्तरण व उप विभाजन प्लान समिति ने प्राधिकरण में प्रस्तुत नहीं किये हैं । अतः योजना की स्वीकृति के अभाव में कोई विकास कार्य भी प्राधिकरण ने नहीं करवाये हैं ।

विधान सभा क्षेत्र नीमकाथाना के ग्रामों में पेयजल आपूर्ति

355. श्री मोहन लाल मोदी (नीमकाथाना) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र नीमकाथाना में रामपुरा—बेगा की नांगल नाम के ग्राम हैं जो एक होते हुए भी इनको दो अलग-अलग नामों से पुकारा जाता है ? इन दोनों ग्रामों की जनसंख्या क्या है ?

(2) क्या सरकार इन दोनों ग्रामों को शुद्ध जल सप्लाई हेतु कोई योजना प्रारम्भ करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, नहीं । 1991 की जनगणना अनुसार विधान सभा क्षेत्र नीमकाथाना में रामपुरा व बेगा की नांगल दोनों ही अलग-अलग राजस्व ग्राम हैं, जिनकी जनसंख्या क्रमशः 656 व 1283 है ।

(2) जी, नहीं । विभागीय मापदण्ड के अनुरूप पर्याप्त मात्रा में हैण्ड पम्प लगे हुए हैं, वर्तमान में ग्राम रामपुरा में 6 एवं बेगा की नांगल में 10 हैण्ड पम्प चालू हैं ।

पंचायत घोलेट (कामां) की पेयजल समस्या का निराकरण

356. श्री तैयब हुसैन (कामां) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री तैयब हुसैन)

(1) क्या यह सही है कि कामां क्षेत्र की घोलेट पंचायत में पेयजल की गम्भीर समस्या है ?

(2) क्या सरकार इस समस्या को हल करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी; हां। पंचायत घोलेट के 6 ग्रामों में से ग्राम नागल हैण्डपम्प योजना से लाभान्वित तथा इसमें विभागीय मापदण्ड से अधिक हैण्ड पम्प लगे हुये हैं। शेष पांच ग्राम क्षेत्रीय जलप्रदाय योजना से जुडे हैं लेकिन इनमें विभागीय मापदण्ड के अनुरूप पेयजल उपलब्ध नहीं हो रहा है।

(2) जी, हां। पंचायत घोलेट के शेष ग्रामों की समस्या के स्थाई समाधान हेतु एक नलकूप बनाया जा चुका है तथा एक की स्वीकृति दी जा चुकी है दोनों ही नलकूप शीघ्र ही चालू करने के प्रयास किये जा रहे हैं। जिससे पेयजल समस्या का स्थाई समाधान हो जाये।

ग्राम पचार (सीकर) में जलाशय का निर्माण

357. श्री शांतिकुमार धारीवाल (हिण्डोली) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पचार, तहसील दांतारामगढ़, जिला सीकर में एक उच्चीकृत जलाशय का निर्माण कराया गया था ? यदि हां, तो इस कार्य का ठेका किस व्यक्ति को दिया गया और ठेके के सम्बन्ध में क्या प्रक्रिया अपनायी गई ? उक्त निर्माण कार्य में किस-किस व्यक्ति को कितना कितना भुगतान किया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त जलाशय के निर्माण में अनियमितताओं और घटिया निर्माण कार्य के सम्बन्ध में सरकार को कोई शिकायत प्राप्त हुई है ? यदि हां; तो उन पर क्या कार्यवाही की गई और नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। विभिन्न समाचार-पत्रों में निविदा प्रकाशित करवा नियमानुसार न्यूनतम दर दाता मै0 आर.एस. शेखावत एण्ड कम्पनी सिंहासन हाऊस सीकर को ओवर हैड टेंक निर्माण का कार्य का ठेका दिया गया। इस फर्म को 31-5-98 तक 4,54,951 रु. का भुगतान किया गया।

(2) जी, हां। इस ओवर हैड टेंक के निर्माण के सम्बन्ध में ग्रामवासियों की दो शिकायतें प्राप्त हुई हैं, उनकी छाया प्रति परिशिष्ट 'अ' व 'ब' पर है। जिसकी जांच हेतु स0अ0 एवं अधिशासी अभियन्ता वृत सीकर को जांच अधिकारी नियुक्त किया है।

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

जांच कार्यवाही चालू है, तथा रिपोर्ट अपेक्षित है।

(प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

तहसील छबड़ा व छीपा बड़ौद की पेयजल योजनाएं

358. श्री प्रताप सिंह (छबड़ा), श्री कन्हैया लाल पाटोदार (पिड़ावा) एवं श्री फूलचन्द (सलूम्बर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सरकार द्वारा तहसील छबड़ा व छीपा बड़ौद में कितनी योजनाएं किस-किस गांवों हेतु किस-किस तिथि को स्वीकृत की गई ?

(2) क्या स्वीकृत सभी योजनाएं चालू हो गई हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? अब उक्त योजनायें कब तक चालू कर दी जायेंगी ?

उत्तर

(1) चाही गई सूचना परिशिष्ट 'अ' पर है।

(2) चाही गई सूचना परिशिष्ट-'अ' पर है।

(सूचना विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

ग्राम सत्यावद नादौती (करौली) में स्वीकृत हैण्ड पम्प

359. श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या सरकार जिला करौली तहसील नादौती के ग्राम सत्यावद से बरदाला के बीच हैण्ड पम्प लगाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(2) तहसील नादौती में वर्ष 1997-98 में कितने हैण्ड पम्प स्वीकृत हुए तथा कितने लगाये गये और कितने लगाये जाने शेष हैं ? लगाये गये हैण्ड पम्पों का विवरण मय स्थान के सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) नादौती तहसील में वर्ष 1997–98 में कुल 15 हैण्ड पम्प स्वीकृत हुए इनमें से 12 लगा दिये गये हैं 3 हैण्ड पम्प लगाया जाना शेष है सूची परिशिष्ट "अ" पर है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–8 देखें)

तहसील छबड़ा/छीपा बड़ौद के विद्यालयों में स्वीकृत हैण्ड पम्प

360. श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री प्रताप सिह सिघवी)

गत पांच वर्षों में तहसील छबड़ा एवं छीपा बड़ौद के किन-किन गांवों व विद्यालयों हेतु हैण्ड पम्प स्वीकृत किये गये हैं और स्वीकृत हैण्ड पम्प कब तक लगा दिये जायेंगे ?

उत्तर

तहसील छबड़ा एवं छीपा बड़ोद में ग्रामों एव विद्यालयों में स्थापित तथा शेष बचे स्वीकृत हेण्ड पम्प को लगाने सम्बन्धी पूर्ण विवरण परिशिष्ट "क" एवं "ख" पर है शेष बचे स्वीकृत सभी हैण्ड पम्प शीघ्र लगा दिये जायेंगे ।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

पंचायत समिति मकराना की ढाणियों को पेयजल की आपूर्ति

361. श्री रामेश्वर लाल चौधरी (नावां) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति क्षेत्र मकराना में वर्ष 1997-98 में ढाणियों हेतु पाइप लाइन डालने की योजना बनाई गई थी ? यदि हां, तो किस स्कीम के तहत किस-किस ग्राम की ढाणी में एवं किस-किस ढाणी को कितने-कितने मीटर पाइप लाइन से जोड़ा गया ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) सहायक अभियन्ता, मकराना के अधीन गच्छीपुरा कनिष्ठ अभियन्ता को वर्ष 1997-98 में कितना-कितना पाइप किस-किस साइज का उपलब्ध करवाया तथा उक्त पाइप लाइन किस-किस स्कीम में डाली गई ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(3) वर्ष 1997-98 में मकराना, सहायक अभियन्ता के अधीन किन-किन ढाणियों को पाइप लाइन से जोड़ने की योजना है ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(4) क्या पेयजल हेतु जी.एल.आर. स्वीकृति के कोई मानदण्ड है या बिना जनसख्या व मानदण्ड के ही स्वीकृत किया जा सकता है ?

उत्तर

(1) जी, हां । चाही गई सूचना परिशिष्ट "क" पर उपलब्ध है ।

(2) गच्छीपुरा कनिष्ठ अभियन्ता को वर्ष 1997-98 में उपलब्ध करवाये गये पाइपों तथा स्वीकृत योजनाओं पर डाले गये पाइप लाइनों का विवरण परिशिष्ट "ख" पर है ।

(3) स्वीकृत योजना का विवरण परिशिष्ट "क" पर है ।

(4) जी, हां । विभाग द्वारा स्वीकृत की जाने वाली योजनाओं में जी.एल.आर. विभागीय मापदण्ड के अनुसार ही स्वीकृत किये जाते हैं ।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-9 देखें)

(40)

राजसमन्द के मार्बल खनन क्षेत्र की क्षति ग्रस्त सड़कें

362. श्री शांतिलाल खोईवाल (राजसमन्द) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजसमंद तहसील में मार्बल खनन क्षेत्र की सड़कें क्षतिग्रस्त होने के कारण दुर्घटनाएं होती है ?

(2) क्या सरकार उक्त क्षेत्र की सड़कों की मरम्मत कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी, नहीं।

(2) राज्य सरकार द्वारा आवश्यकतानुसार सड़क मरम्मत का कार्य करवाया जाता रहता है। वर्ष 1998-99 में केवा-मोझर-सापोल मार्ग, 14 कि.मी. लम्बी सड़क की मरम्मत एवं मजबूतीकरण एवं चौड़ाई बढ़ाने का कार्य प्रस्तावित है।

उच्चतम न्यायालय द्वारा वन क्षेत्र में खनन कार्यों पर स्थगन

363. श्री शिव किशोर सनाढ्य (उदयपुर) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि उच्चतम न्यायालय ने 1997 में एक फैसले के द्वारा वन क्षेत्र में खनन कार्यों पर पाबन्दी लगा दी थी ? यदि हां, तो इस पाबन्दी के कारण उदयपुर क्षेत्र में कुल कितने खनन कार्य प्रभावित हुए हैं ?

(2) पर्यावरण एवं वन संरक्षण अधिनियम के तहत खनन कार्यों की अनुमति के लिए उक्त विभाग के सहयोग से केन्द्र सरकार को उदयपुर क्षेत्र के कितने प्रस्ताव भेजे गये, उनमें से कितने कार्यों को मंजूरी केन्द्र सरकार ने दी है ?

(3) क्या यह सही है कि उदयपुर के धरियावद तहसील के बाबरमाल क्षेत्र के कतिपय खान मालिकों ने उच्च न्यायालय में उनके कार्य रोक पर रिट दायर की थी और अदालती निर्णय के परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार को अपील की जिसके अनुसार उनकी खानें वन क्षेत्र में नहीं आने का उल्लेख है ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार ने उन आठ खान मालिकों के मामलों को केन्द्रीय पर्यावरण मंत्रालय को भिजवाया ? यदि नहीं, तो अब कब भेज दिया जायेगा ?

(4) क्या बाबरमाल क्षेत्र तहसील धरियावद, उदयपुर जिले के आठ खनन मालिकों ने वन क्षेत्र में न आने तथा जयसमन्द अभ्यारण्य से दूर होने को लेकर कोई ज्ञापन मई, 1998 में सरकार को दिया है ? यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया ?

उत्तर

(1) जी, हां। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा वन क्षेत्र में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत भारत सरकार की अनुमति के बिना खनन कार्य

(खनिज मंत्री)

करने पर दिनांक 12-12-96 को रोक लगाई थी जिसके कारण उदयपुर जिले में 276 खनन पट्टों का कार्य प्रभावित हुआ।

(2) वन (संरक्षण) अधिनियम के तहत उदयपुर जिले में वन भूमि में आने वाले 231 खनन पट्टों में खनन कार्यों की अनुमति हेतु केन्द्र सरकार को प्रस्ताव प्रेषित किये गये। केन्द्र सरकार द्वारा प्रथम एवं द्वितीय चरण में 3 माह एवं 9 माह के लिए 153 मामलों में अस्थाई कार्यानुमति तथा 12 मामलों में अन्तिम स्वीकृति जारी की गई।

(3) जी, हां। तथापि बाबरमाल क्षेत्र ऋरियावाद तहसील में न होकर सराड़ा तहसील में है। इस क्षेत्र के 7 पट्टाधारियों ने माननीय उच्च न्यायालय में एस.बी. सिविल रिट पिटीशन नं. 3486/97 दायर की जिसमें न्यायालय द्वारा 15-9-97 को दिये गये आदेश के अनुसार एक पट्टधारी श्री किशोर भाई ने 24-9-97 को अपना प्रतिवेदन पेश किया। राज्य सरकार द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के दिनांक 15-9-97 को दिये गये आदेश के परिप्रेक्ष्य में दिनांक 28-11-97 को इन मामलों में प्रस्ताव राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार को प्रेषित किये गये हैं।

(4) जी, हां। एक खान मालिक द्वारा दि. 28-4-98 को राज्य सरकार को एक ज्ञापन प्रेषित किया है जिस पर कार्यवाही की जा रही है।

नेशनल हाईवे नं. 8 (उदयपुर) पर खनन कार्य का सर्वे

364. श्री रघुवीर सिंह (सराड़ा): क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि उदयपुर जिले में नेशनल हाइवे नं. 8 पर स्थित परसाद गांव के पास स्थित पहाड़ "बुधालिया" में ज्योलोजिकल विभाग द्वारा सर्वे की "मेमेसाईट" नामक धातु का पता लगाया गया है? यदि हां, तो कब और कितनी मात्रा में है?

(2) क्या राज्य सरकार ने इस विशाल खनन कार्य को प्रारम्भ कराने हेतु कोई नीति बनाई है? यदि हां, तो क्या? और इससे सरकार को कितना लाभ होगा एवं कितने लोगों को रोजगार मिलेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। वर्ष 1988-89 में उदयपुर जिले के ग्राम परसाद के निकट पूर्वेक्षण कार्य विभाग द्वारा किया गया था। पूर्वेक्षण से इस क्षेत्र में खनिज मेग्नासाइट के 1.66 मिलियन टन भण्डार का पता लगाया गया है।

(2) जी, नहीं। खनिज मेग्नेसाइट प्रधान खनिज होने के कारण इसके खनन पट्टे खनिज रियायत नियम, 1960 के प्रावधानों के अन्तर्गत स्वीकृत किये जाते हैं। राज्य सरकार द्वारा पूर्वेक्षण के पश्चात् क्षेत्र रिक्त कर आवेदन पत्र मांगे गये थे किन्तु अभी तक किसी व्यक्ति ने खनन पट्टे हेतु आवेदन नहीं किया है।

(५२)

जिला श्री गंगानगर के आपराधिक प्रकरण

365. श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार श्री गंगानगर जिले में हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार के बढ़ते मामलों पर अंकुश लगाने हेतु कोई ठोस कदम उठाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

(2) उक्त जिले में वर्ष 1997 से जून, 1998 तक कितनी हत्याएं, लूट, डकैती, बलात्कार, अपहरण की घटनाएं हुई हैं ? थानेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि प्रताप मार्केट श्री गंगानगर में दुकानों के ताले तोड़ गये थे ? क्या चोरों को गिरफ्तार कर लिया गया है ? उक्त मार्केट में चोरी की कितनी वारदातें हुई हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) इन अपराधों का "जुलाई, 96 से जून, 97" एवं "जुलाई, 97 से जून, 98" का तुलनात्मक विवरण निम्न प्रकार है :–

क्र.सं.	शीर्षक	1 जुलाई, 96 से 30 जून,97 तक	1 जुलाई, 97 से 30 जून,98 तक	
1.	हत्या	45	45	कोई वृद्धि नहीं हुई है।
2.	लूट	5	10	आंशिक वृद्धि
3.	डकैती	2	—	कमी
4.	बलात्कार	31	28	कमी

इसमें हत्या, डकैती एवं बलात्कार के मामलों में वृद्धि नहीं हुई है सिर्फ लूट के मामलों में वृद्धि हुई है। पुलिस द्वारा मुस्तैदी से कार्यवाही की जा रही है।

(2) थानेवाइज विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(3) जी, हां। चोरों को गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। उक्त मार्केट में 1997-98 में चोरी की यही घटना हुई।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट–10 देखें)

पुलिस अधीक्षक ग्रामीण (जयपुर) के विरुद्ध जांच प्रकरण

366. श्री बाबूलाल (दूदू) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) जयपुर द्वारा कुछ मामलों में अधूरा चालान पेश करने की अनुमति प्रदान की गई थी ? यदि हां, तो किस-किस प्रकरण में एवं किस कारण ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि न्यायालय द्वारा उक्त पुलिस अधीक्षक के विरुद्ध अधूरा चालान पेश करने, राजनीति से प्रेरित एवं दुराग्रहपूर्वक कार्य करने के संबंध में तीखी टिप्पणी की है ? यदि हां, तो किस प्रकरण में ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त दोषी पुलिस अधीक्षक के विरुद्ध जांच करवाकर कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां। विवरण परिशिष्ट "क" में संलग्न है।

(2) जी, नहीं।

(3) बिन्दु संख्या 2 के जवाब के परिप्रेक्ष्य में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-11 देखें)

सीमान्त क्षेत्र खाजूवाला छत्तरगढ़ में काश्तकारों को शस्त्र अनुज्ञा-पत्र

367. श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सीमान्त क्षेत्र खाजूवाला, छत्तरगढ़, पूगल के काश्तकारों द्वारा 12 बोर बन्दूक के लाइसेंस देने की मांग बराबर की जाती रही है ? यदि हां, तो उक्त क्षेत्र के काश्तकारों को 'नील गाय' समस्या से निजात दिलाने हेतु सरल प्रक्रिया अपनाकर लाइसेंस क्यों नहीं दिये जा रहे हैं ?

(2) सीमान्त क्षेत्र पूगल में टोपीदार बन्दूकों के लाइसेंस के नवीनीकरण के कितने प्रकरण कब से लम्बित हैं ? अब तक इनका नवीनीकरण क्यों नहीं किया गया ?

उत्तर

(1) जी, हां। परन्तु नील गाय की समस्या से निजात पाने हेतु 12 बोर बन्दूक की आवश्यकता नहीं होती अपितु टोपीदार बन्दूक आवश्यक है, जिनके अनुज्ञापत्र आवेदन करने पर स्वीकृत किये जाते हैं। उक्त क्षेत्र सीमान्त क्षेत्र होने के कारण जिला मजिस्ट्रेट ही अनुज्ञापत्र अधिकारी है। आवेदक की जांच कर उसका पुलिस से चरित्र सत्यापन करके ही अनुज्ञापत्र देने का निर्णय लिया जाता है। वर्तमान परिस्थिति में इससे अधिक सरलीकरण संभव नहीं है।

(2) कोई प्रकरण नवीनीकरण हेतु लम्बित नहीं है।

कैलादेवी (करौली) में बलात्कार प्रकरण

368. श्रीमती बीना काक (सुमेरपुर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि दिनांक 20 मई, 1998 को कैलादेवी में गई एक महिला के साथ हुये बलात्कार के आरोपियों को अभी तक भी गिरफ्तार नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या यह भी सही है कि जिस थानेदार ने पीड़िता की रिपोर्ट दर्ज नहीं की, उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) दिनांक 20 मई, 98 को कैला देवी में एक महिला श्रीमती लच्छो पत्नी श्री प्रकाश माली के साथ हुए बलात्कार के संबंध में थाना कैला देवी पर इस्तगासा सी.जे.(जे.डी.) एवं जे.एस. न्यायालय करौली से 156(3) जा.फो के अन्तर्गत प्राप्त होने पर अभियोग संख्या 72/98 धारा 376,457,341,323 भादस दि 21-5-98 समय 9 पी.एम. पर दर्ज किया गया। अनुसंधान में चारों अभियुक्तों का एवं पीड़ित महिला के पति का डी.एन.ए. टेस्ट करवाया जा रहा है। अतः पुख्ता प्रमाणों के अभाव में अभी तक किसी भी अभियुक्त को गिरफ्तारी नहीं की गई है।

(2) अब तक की गई पुलिस जांच से पीड़ित महिला का थाने पर आना नहीं पाया गया है। अतः थानेदार के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का औचित्य नहीं है।

राज्य में महिला उत्पीड़न के प्रकरण

369. श्रीमती बीना काक (सुमेरपुर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

राज्य में वर्ष 1997-98 (जून तक) में किन-किन एवं कितनी महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाये जाने की घटनाएं घटित हुई हैं ? पुलिस में दर्ज प्रकरणों की सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

राज्य में 1 जनवरी, 97 से 30 जून, 98 तक महिलाओं को नग्न कर घुमाये जाने की कोई घटना घटित नहीं हुई है।

तहसील लाडनूं के सरपंचों के विरुद्ध शिकायतें

370. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या मुख्य (राज्य अन्वेषण ब्यूरो) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

क्या यह सही है कि चालू वर्ष सहित गत पांच वर्षों में सरपंचों के विरुद्ध राज्य अन्वेषण ब्यूरो को ग्राम पंचायत धीरड़ों मीठा और मंगलपुरा पंचायत समिति लाडनूं, जिला नागौर के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायत प्राप्त हुई थी ? यदि हां, तो कब तथा क्या-क्या ? उक्त शिकायतों पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

ग्राम पंचायत मंगलपुरा के विरुद्ध परिवाद दिनांक 12-8-97 को प्राप्त हुआ था। यह सरपंच द्वारा सैकड़ों फर्जी पट्टे जारी करने बाबत था। यह परिवाद ब्यूरो द्वारा दिनांक 25-4-98 को कलक्टर जिला नागौर को प्रेषित किया गया। परिवाद की जांच अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, डीडवाना द्वारा की जा रही है। ग्राम पंचायत धीरडों मीठा के विरुद्ध कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

ग्राम हाबूर (जैसलमेर) का नामकरण

371. श्री दीपेन्द्र सिंह (श्री माधोपुर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम हाबूर, जिला जैसलमेर का नाम बदल कर पूनमनगर किए जाने का निर्णय किया गया है? यदि हां, तो कब एवं किसके द्वारा? आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि तत्कालीन कलक्टर द्वारा उक्त नाम परिवर्तन की घोषणा की गई थी? यदि हां, तो कब? आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त ग्राम हाबूर (पूनमनगर) के पोस्ट आफिस, सैकेण्डरी स्कूल एवं पशु चिकित्सालय को पूनम नगर के नाम से अंकित किया जा चुका है? यदि हां, तो कब से एवं किस स्तर द्वारा? आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि राजस्व रिकार्ड के अनुसार राजस्व गांव हाबूर ही है और पूनम नगर नहीं परिवर्तित किया गया है? यदि हां, तो क्यों?

(5) क्या हाबूर का नाम राजस्व गांव पूनमनगर के रूप में परिवर्तित किये जाने का सरकार का विचार है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी, नहीं। ग्राम हाबूर का नाम बदलकर पूनमनगर किए जाने का निर्णय नहीं लिया गया है।

(2) जी, नहीं।

(3) 1. भारतीय डाक विभाग द्वारा ग्राम हाबूर में दिनांक 12-2-69 को पूनमनगर के नाम से ही डाकघर खोला जाना प्रतिवेदित हुआ है।

2. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) जैसलमेर की सूचना के आधार पर प्रतिवेदित हुआ है कि प्राथमिक विद्यालय की स्थापना सन् 1955 में, प्राथमिक विद्यालय को क्रमोन्नत कर उच्च प्राथमिक विद्यालय माह जुलाई, 1973 में तथा माध्यमिक विद्यालय क्रमोन्नत 11/92 में हुआ। उच्च प्राथमिक विद्यालय से ही इस विद्यायल का नाम पूनमनगर चल रहा है। ग्राम हाबूर के बजाय पूनमनगर नाम किसके आदेश से परिवर्तित किया गया, इस प्रकार के आदेश उपलब्ध नहीं है।

3. ग्राम हाबूर में पशु चिकित्सालय

(राजस्व मंत्री)

पूनमनगर के नाम से स्वीकृत नहीं है।

(4) जी, हां। हाबूर का नाम परिवर्तित कर पूनमनगर किए जाने के प्रस्ताव को भारत सरकार के गृह मंत्रालय नई दिल्ली के पत्र संख्या: प. 11/10/94–एम.एण्ड. जी. दिनांक 3-5-94 की अनुशंषा को दृष्टिगत रखते हुए ग्राम हाबूर का नाम परिवर्तित कर पूनमनगर करना उपयुक्त नहीं माना गया है।

(5) जी, नहीं।

उप तहसील करेडा (भीलवाडा) का क्रमोन्नयन

372. श्री कालूलाल गूजर (मांडल): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार इस वर्ष राजस्थान में नई तहसीलें खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कहां-कहां पर? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या भीलवाड़ा जिले की करेड़ा उप-तहसील को तहसील बनाने हेतु जिला कलक्टर भीलवाड़ा ने प्रस्ताव भेजा है? यदि हां, तो इस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई?

उत्तर

(1) जी, हां। नई स्थापित होने वाली तहसीलें कहां-कहां स्थापित होगी, इस पर विचार किया जा रहा है।

(2) भीलवाड़ा जिले की करेडा उप तहसील को क्रमोन्नत कर तहसील का दर्जा देने के प्रस्ताव पर औचित्य के अभाव में विचार किया जाना सम्भव नहीं है।

तहसील उदयपुरवाटी (झुंझुनूं) में जारी पास बुकें

373. श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जिला झुंझुनूं की तहसील उदयपुरवाटी के ग्राम बासड़ी तथा भोजगढ़ की जमीनों का आवंटन कुछ लोगों को दिनांक 17-6-70 तथा 21-7-71 को आवंटन समिति द्वारा काश्त हेतु किया गया था? यदि हां, तो किस-किस को? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि इन जमीनों पर वर्ष 1997 तक किसी ने कब्जा नहीं किया तथा आवंटियों ने कोई काश्त नहीं की तथा काश्त करने संबंधी कोई इन्द्राज सम्बन्धित राजस्व रेकार्ड गिरदावरी आदि में दर्ज नहीं है?

(3) क्या यह सही है कि इनमें से कुछ आवंटियों को दिनांक 17-6-98 को ग्राम पोसाना की ग्राम सभा के अवसर पर पास बुक जारी की गई है? यदि हां, तो किन–किन को। सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि ग्राम

(श्री शिवनाथ सिंह)

पंचायत ने इनके नाम कभी कोई नामान्तरकरण नहीं किया है ?

(5) क्या प्रावंटियों के आवंटन पूर्व में ही रद्द हो गये ? यदि हां, तो किन कानूनी प्रावधनों के अन्तर्गत ये पास बुक जारी की गई है तथा खातेदारी के अधिकार दिये गये हैं।

उत्तर

(1) जी, हाँ। दिनांक 17-6-70 तथा 21-7-71 को आवंटन समिति द्वारा किये गये आवंटितियों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं। मई 1997 तक 25 आवंटितियों का आवंटित भूमि पर कब्जा था तथा 19 व्यक्तियों को दिनांक 17-6-98 को कब्जा दिलाया गया। इस प्रकार कुल 44 व्यक्तियों का रेकार्ड में इन्द्राज है। शेष 87 आवंटितियों का रेकार्ड में इन्द्राज नहीं है।

(3) जी, नहीं।

(4) जी, हां। यह सही है कि ग्राम पंचायत ने कोई नामान्तरकरण नहीं किया है।

(5) इन आवंटितियों का आवंटन निरस्त नहीं हुआ है पास बुकें जारी नहीं हुई हैं तथा खातेदारी अधिकार नहीं दिये गये हैं। गैर खातेदारी अधिकार दिये गये हैं।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

ग्राम संगरपुरा की ढाणी गुरजा (करौली) का राजस्व ग्राम प्रकरण

374 श्री हंसराम गुर्जर (करौली) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि ग्राम संगरपुरा की ढाणी गुरजा जिला करौली में ग्राम सगरपुरा से अधिक आबादी है ? क्या सरकार उक्त ढाणी को राजस्व ग्राम घोषित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी, नहीं। ग्राम संगरपुरा की सन् 1991 की जनगणना के अनुसार कुल आबादी 2620 है। जिसमें ढाणी गुरजा की आबादी 750 व मूल ग्राम सगरपुरा की आबादी 1870 है।

ढाणी गुरजा को नवीन राजस्व गांव घोषित करने के प्रस्ताव निर्धारित प्रपत्र में जिला कलक्टर करौली से निबंधक, राजस्व मण्डल, अजमेर के मार्फत राज्य सरकार को प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जा सकती है।

तहसील पूगल (बीकानेर) के काश्तकारों की खातेदारी प्रकरण

375. श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि तहसील पूगल के

(श्री भीमसेन चौधरी)

कुछ काश्तकारों को कृषि भूमि की पूरी किश्तें जमा कराने के बाद भी खातेदारी सनद नहीं दी गई है ? यदि हां, तो क्यों और अब कब तक उक्त सनद जारी कर दी जायेगी ?

उत्तर

यह सही नहीं है। जिन काश्तकारों को कृषि भूमि की दिनांक 15-7-98 तक सम्पूर्ण किश्तें जमा करा कर कब्जा प्राप्त किये पांच वर्ष पूर्ण हो चुके हैं ऐसे 3980 काश्तकार थे। इनमें से 3741 काश्तकारों को खातेदारी सनदें दी गई हैं। 239 काश्तकार अभी भी खातेदारी सनदें लेने से शेष हैं, शेष रहने के मुख्य कारण निम्न प्रकार हैं :—

1. विशेष आवंटन से आवंटित भूमि गजट में विज्ञापित नहीं होना।

2. अनकमाण्ड से कमाण्ड हुई भूमि की अन्तर राशि बकाया होना।

3. आवंटित भूमि का कब्जा प्रमाणित नहीं होना।

4. प्रबंध बेचान की जांच।

5. मौका जांच तथा आडिट आक्षेपों की पूर्ति।

उपरोक्त बिन्दुओं की जांच कर पालना शीघ्र कराई जा रही है। ताकि खातेदारी सनदें शीघ्र जारी की जा सकें।

उपनिवेशन तहसील पूगल/छत्तरगढ़ को खाजूवाला में भू-आवंटन

376 श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

वर्ष 1991-92 में कितने मूल निवासियों को सामान्य आवंटन में ए.सी.सी. छत्तरगढ़ द्वारा उपनिवेशन तहसील पूगल छत्तरगढ़ नं 1 व छत्तरगढ़ नं. 2 मु. खाजूवाला में आवंटन किया गया ? अब तक सम्बन्धित काश्तकारों को पट्टे वितरित करके नहीं दिया जाने का क्या कारण है ?

उत्तर

वर्ष 1991-92 में 112 मूल आवंटितियों को उपनिवेशन तहसील पूगल में सहायक उपनिवेशन आयुक्त, छत्तरगढ़ मु0 बीकानेर द्वारा बारानी भूमि का पुख्ता आवंटन किया गया था। उक्त मूल आवंटितियों को राज0 उपनिवेशन (इगानप क्षेत्र में सरकारी भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1975 के नियम 1–2 के तहत बारानी भूमि का पुख्ता आवंटन किया गया था। परन्तु आदेश क्रमांक प.3(25) उपनि/91 दिनांक 13–3–91 द्वारा बारानी भूमि आवंटन पर प्रतिबंध लग जाने के कारण वर्ष 1991–92 में आवंटित भूमि के पट्टे सम्बन्धित काश्तकारों को नहीं दिये गये तथा कब्जे भी नहीं दिये गये।

नांगल सिरस (आमेर) की माफी मंदिर भूमि

377. श्री गोपीराम जाट (आमेर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री गोपीराम जाट)

(1) जिला जयपुर, तहसील आमेर का ग्राम नांगल सिरस किसकी जागीर में रहा था और इस ग्राम की जागीर कब खत्म हुई ?

(2) क्या यह सही है कि ग्राम नांगल सिरस माफी मन्दिर बेट द्वारका (गुजरात) की जागीर का ग्राम था और माफी मंदिर की जमीनें बेची नहीं जा सकती ? यदि हां, तो उक्त माफी मन्दिर की कितनी भूमियां व आबादी भूमियां बेची गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) नांगल सिरस के अलावा अन्य कितने ग्रामों में मन्दिर द्वारकाधीश(गुजरात) की निजी संपतियां राजस्थान में हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि माफी मन्दिर बेट द्वारका के निजी भवन सुभाष चौक में थाना सुभाष चौक का कार्यालय है ? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह भी सही है कि नांगल सिरस में माफीदारों के आवासीय गृह थे और कृषि भूमियां थी ? यदि हां, तो इन पर किनका कब्जा है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला जयपुर तहसील आमेर का ग्राम नांगल सिरस मंदिर श्री द्वारकानाथजी बेट सोराष्ट्र (गुजरात) की जागीर का ग्राम था। यह जागीर दिनांक 1-1-59 से पुनर्ग्रहण की गई है। जागीर कमिश्नर के फैसले दिनांक 2-1-1964 की प्रति संलग्न है। (परिशिष्ट-क)

(2) जी, हां। यह सही है कि ग्राम नांगल सिरस तहसील आमेर माफी मन्दिर बेट श्री द्वारकानाथ जी सोराष्ट्र (गुजरात) की जागीर का ग्राम था और यह भी सही है कि मन्दिर की माफी की कृषि भूमि का विक्रय या हस्तान्तरण नहीं किया जा सकता। ग्राम नांगल सिरस में 1807 बीघा 6 बिस्वा भूमि माफी मन्दिर द्वारकाधीश जी जागीर में थी। इसका अंकन मिसल बन्दोबस्त सम्वत् 2010 से 2023 में कालम न. 3 (नाम थोक व पट्टी मय नाम पट्टेदार) में व कालम नं. 4 में कृषकों के नाम अंकित है तथा वर्तमान रेकार्ड सम्वत् 2046 से 2065 में मन्दिर श्री द्वारकाधीश जी के नाम कोई भूमि कालम नं. 4 में दर्ज नहीं है। अतः माफी मन्दिर की कोई भूमि का बेचान नहीं हुआ है।

(3) नांगल सिरस के अलावा राजस्थान में अन्य 72 ग्रामों में मन्दिर श्री द्वारकानाथजी सोराष्ट्र (गुजरात) की जागीर होना बताते हुये श्री के. सी. मेहता व्यवस्थापक ठिकाना मंदिर श्री द्वारकानाथ जी बेट ने इस जागीर सालिम व जुज 73 देहात का द्वारा मुआवजा माली आय 30714/- रुपये का कार्यालय जागीर आयुक्त में दिनांक 16-5-61 को पेश किया था। जिसकी सम्बन्धित कलक्टर्स व तहसीलात से तस्दीक कराने के पश्चात यह दावा तत्कालीन जागीर आयुक्त के द्वारा दिनांक 2-1-1964 को निर्णित किया गया था। निर्णय की फोटो प्रति संलग्न

(50)

(राजस्व मंत्री)

है (परिशिष्ट – 'क') । उक्त निर्णय द्वारा इस मन्दिर के 38 देहात की तस्दीक शुदा कुल लगानी आय 24743.17 रुपये में से प्रशासनिक खर्चा 10 प्रतिशत काटा जाकर शेष 22268.85 रुपये की वार्षिक वृत्ति निर्धारित की जाकर उसके भुगतान हेतु मंदिर द्वारिकानाथ जी बेट सौराष्ट्र (गुजरात) मार्फत व्यवस्थापक बेट देवस्थान बेट के नाम प्रपत्र-12ए कार्यालय जागीर आयुक्त राजस्थान जयपुर से दिनांक 2–3–64 को जारी किया गया था जिसकी, तथा संशोधन पत्र दिनांक 21–9–64 की फोटो प्रतियां (परिशिष्ट ख व ग) संलग्न है । इसके आधार पर आयुक्त देवस्थान विभाग, उदयपुर के कार्यालय से प्रपत्र 12-बी, दिनांक 26-10-64 को जारी किया गया जिसकी फोटो प्रति संलग्न है (परिशिष्ट-'घ') ।

(4) जी, नहीं । माफी मन्दिर बेट द्वारिका के निजी भवन सुभाष चौक में स्थित थाना सुभाष चौक का भवन मन्दिर द्वारिकाधीश जी की सम्पत्ति नहीं है । बल्कि थाने के सामने स्थित मकान नम्बर 1457-58 मन्दिर द्वारिकाधीश जी की सम्पत्ति है जो वर्तमान में यह सम्पत्ति थाने के कब्जे में है ।

(5) राजस्व रेकार्ड के मुताबिक मांगल सिरस में माफीदारों के आवासीय गृह नहीं थे बल्कि कृषि भूमियां अवश्य थी जो दिनांक 1-1-1959 से पुनर्ग्रहित हो चुकी है और उन पर कृषकों का कब्जा है ।

(प्रतियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

विधान सभा क्षेत्र हिण्डौन में भूमिहीनों का सेटलमेन्ट प्रकरण

378. श्री कमल (हिण्डौन) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र हिण्डौन में वर्ष 1975 में भूमिहीनों को भूमि आवंटित की गई थी ? यदि हां, तो ग्रामवार सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) उक्त भूमि की सेटलमेन्ट के बाद क्या स्थिति है ? यदि लोकेशन प्लाटों के नाम आदि में परिवर्तन किया गया है तो क्यों ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(3) सरकार को सेटलमेन्ट के दौरान बदले गये नाम व लोकेशन को दुरुस्त करने हेतु कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(4) उक्त क्षेत्र के किन-किन मामलों में दुरुस्ती अब तक नहीं की गई है ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(5) अब उक्त लंबित मामलों को कब तक दुरुस्त कर दिया जावेगा ।

उत्तर

(1) जी हां । विधान सभा क्षेत्र हिण्डौन में वर्ष 1975 में 1657 भूमिहीन

(राजस्व मंत्री)

व्यक्तियों को 8100 बीघा 07 बिस्वा भूमि का आवंटन किया गया था। ग्रामवार सूचना संकलित की जा रही है।

(2) सेटलमेन्ट के पश्चात लोकेशन में अलोटी के नाम आदि के परिवर्तन के कुल 869 प्रकरण पाये गये। सूचना संकलित की जा रही है। सेटलमेन्ट के पश्चात लोकेशन में अलोटी के नाम आदि के परिवर्तन भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा किया गया है। जिसकी सूचना भू-प्रबन्ध विभाग से प्राप्त की जा रही है।

(3) लोकेशन व नाम आदि के परिवर्तन में पाये गये 869 प्रकरणों में से दुरुस्ती हेतु 59 दावेजात न्यायालय उप जिला कलक्टर, हिण्डौन में पेश हुए हैं। सूचना संकलित की जा रही है।

(4) हिण्डौन क्षेत्र के 17 प्रकरणों में दुरुस्ती न्यायालय के आदेशों से हो चुकी है। शेष 42 प्रकरण न्यायिक प्रक्रिया में चल रहे हैं।

(5) प्रकरण न्यायिक प्रक्रिया होने के कारण निर्णय पश्चात ही कार्यवाही की जावेगी।

ग्राम पुनाना (आमेर) में रास्तों पर अतिक्रमण

379. श्री भंवरलाल शर्मा (सरदारशहर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि काश्तकारों को अपने कुओं पर जाने के लिए रिकार्डेड रास्ते नहीं होते और उन्हें खेतों की मेड़ से होकर पैदल जाना पड़ता है? यदि हां, तो क्या सरकार इस सम्बन्ध में कोई दिशा निर्देश जारी करने का विचार रखती है?

(2) क्या यह भी सही है कि ग्राम पुनाना तहसील आमेर जिला जयपुर के खसरा नम्बर 460 एवं 461 पर बने कुओं पर खसरा नम्बर 458 एवं 462 के मध्य बनी मेड़नुमा पगडंडी को तोड़कर इन कुओं पर आना जाना बंद कर दिया है?

(3) क्या यह सही है कि जिला कलक्टर ने उक्त रास्ते के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करने बाबत तहसीलदार, आमेर को निर्देशित किया? यदि हां, तो तहसीलदार, आमेर द्वारा अब तक उस पर क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। कुछ काश्तकारों को अपने खेत/कुएं पर जाने के लिये रिकार्डेड रास्ते उपलब्ध नहीं होते हैं। वर्तमान में जहां भूमि का आवंटन किया जाता है तो राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन) नियम, 1970 के नियम-6(2) (क क) में रास्ते हेतु भूमि आरक्षित की जाती है। काश्तकारों के खेतों में या कुएं तक जाने के लिये काश्तकारी अधिनियम में सुखाधिकार प्राप्त है। इसमें विघ्न आने पर तहसीलदार/ग्राम पंचायत को आवेदन कर उक्त विघ्न को हटाया जा सकता है।

(राजस्व मंत्री)

(2) जी हां। यह सही है कि ग्राम पुनाना तहसील आमेर में ख. नं. 460 में गया चाह तथा ख. नं. 461 गै. मु. चाह स्थित है। जो इन चाह पर जाने के लिये मुख्य रास्ता ग्राम पुनाना से मैंसावा जाने वाले रास्ते से होकर है। इसके अलावा सीधी पगडंडी आराजी ख. नं. 458 व आराजी ख. नं 462 की मेड पर होकर थी, जिसे संबंधित खातेदार काश्तकारों ने तोड़कर छोटा कर दिया है।

(3) जी हां। जिला कार्यालय में इस संबंध में शिकायत प्राप्त होने पर तहसीलदार आमेर को निर्देशित किया गया। तहसील द्वारा अवगत कराया गया है कि राजस्व रेकार्ड में ख नं. 460 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा बारानी–3 रामचन्द्र, भूंथा, रूघनाथ पि० मुन्ना कौम बागड़ा ब्राह्मण के नाम तथा ख. न. 461 रकबा 3 बिस्वा गै. मु. चाह नानगराम दत्तक पुत्र बालू बिरदा पुत्र डूंगा वगैo के नाम खातेदारी दर्ज है। विवादित पगडंडी राजस्व रेकार्ड के अनुसार सिवाय चक रास्ता दर्ज न होने से विवादित प्रकरण का निस्तारण संबंधित ग्राम पंचायत के स्तर से किया जाना है।

राजकीय चिकित्सालय लाडनूं नागौर में शैय्याओं की वृद्धि

380. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1997-98 में राजकीय चिकित्सालय लाडनूं जिला नागौर में पच्चीस शैय्याओं के (बेड) बढ़ाने के आदेश सरकार ने दिये थे? यदि हां, तो कब तथा उक्त वृद्धि के लिये चिकित्सालय को बजट कब आवंटित किया गया? शैय्याओं की वृद्धि व बजट आवंटन के आदेश की प्रति सहित सूचना सदन की मेज पर रखें।

(2) शैय्याओं की वृद्धि के साथ कौन-कौन से स्टाफ के नये पद सृजित किये गये, जिस पर सालाना व्यय कितना होगा?

(3) क्या इस वृद्धि के साथ उपकरण भी बढ़ाये गये हैं? यदि हां, तो क्या-क्या और चिकित्सालय को कब-कब, क्या-क्या उपलब्ध कराये गये?

उत्तर

(1) जी, हां। वित्तीय वर्ष 97-98 में राजकीय चिकित्सालय लाडनूं जिला नागौर में राज्य सरकार के आदेश क्रमांक पं. 13 (22)चि. स्वा./2/97 दिनांक 18-11-97 के द्वारा 25 शैय्याओं की वृद्धि की गई थी। उक्त संस्थान हेतु बजट का आवंटन राज्य आयोजना मद में ओवरआल बचत से किया जाना था, परन्तु वर्ष 1997-98 में बचत राशि उपलब्ध नहीं होने के कारण बजट आवंटन नहीं किया जा सका। वित्तीय वर्ष 1998-99 में इस संस्थान हेतु पूर्व दायित्व मद में राशि का प्रावधान रखा गया है। प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) शैय्याओं की वृद्धि के साथ सृजित

(राज्य मंत्री, चिकित्सा)

किये गये स्टाफ के पदों की सूची प्रश्न के भाग-एक के साथ संलग्न है। सृजित पदों पर लगभग 14.42 लाख रुपये व्यय होने का अनुमान है।

(3) जी, हां। इस वृद्धि के साथ उपकरणों हेतु बजट का प्रावधान रखा गया था, किन्तु राशि उपलब्ध नहीं होने के कारण बजट आवंटित नहीं किया जा सका। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

(प्रति कृपया परिशिष्ट–12 पर देखें)

जिला करौली एवं सवाई माधोपुर में महामारी से मृत्यु

381. श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम): क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) वर्ष 1994 से 1997 तक जिला करौली एवं सवाईमाधोपुर में मलेरिया, हैजे एवं अन्य बीमारियों से कितनी मौतें हुई हैं? वर्षवार तथा तहसील वार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) रोगियों के इलाज के लिए सरकार द्वारा क्या-क्या उपाय किये गये?

उत्तर

(1) जिला करौली एवं सवाईमाधोपुर में वर्ष 1994 से 1997 तक मलेरिया, हैजा एवं अन्य बीमारियों से वर्षवार तथा तहसीलवार हुई मौतों का विवरण निम्नानुसार है?

बीमारी का नाम	वर्षवार हुई मौतों का विवरण			
	1994	1995	1996	1997
मलेरिया	—	8	13	—
हैजा	—	—	—	—
अन्य बीमारियां	80	31	143	138

वर्ष व तहसीलवार सूची संलग्न है।

(2) रोगियों के इलाज के लिए जिला स्तर पर नियन्त्रण कक्ष की स्थापना की गई थी जहां 24 घंटे चिकित्सा दलों की ड्यूटी मय आवश्यक औषधियों के तैयार रखी गई ताकि किसी भी स्थान से बीमारी की सूचना प्राप्त होते ही प्रभावित क्षेत्र में पहुंचकर तुरन्त उपचार किया जा सके। इसके साथ ही सर्वेक्षण, उपचार, नियमित जल शुद्धिकरण का कार्य करवाया गया। मलेरिया रोग का सर्वेक्षण, निदान एवं उपचार को गतिशील करते हुए निःशुल्क औषधि वितरण केन्द्र, बुखार उपचार केन्द्र; तथा मलेरिया क्लिनिकों द्वारा बुखार एवं मलेरिया रोगियों का उपचार किया गया तथा मोबाइल टीमों का गठन कर त्वरित उपचार किया गया। प्रभावित क्षेत्रों में डी. डी. टी. स्प्रे करवाया गया तथा एन्टी-लार्वा कार्यवाही की जाकर मच्छरों के प्रजनन को रोका गया।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–13 देखें)

(54)

राजकीय चिकित्सालय सूरतगढ़ (श्री गंगानगर) की सफाई व्यवस्था

382. श्री राधेश्याम गंगानगर (श्री गंगानगर) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजकीय चिकित्सालय सूरतगढ़, जिला श्रीगंगानगर में सफाई सम्बन्धी व्यवस्था ठीक नहीं है ? क्या सरकार इसमें कोई सुधार करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(2) क्या उक्त चिकित्सालय में वर्षा के पानी की निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है ? क्या सरकार उक्त समस्या का समाधान करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, नहीं । राजकीय चिकित्सालय, सूरतगढ़ में दो सफाई कर्मचारी कार्यरत है । शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है ।

(2) जी, नहीं । राजकीय चिकित्सालय, सूरतगढ़ में वर्षा के पानी की निकासी की पूर्ण व्यवस्था है । शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है ।

जिला झुन्झुनूं के अस्पतालों में चिकित्सा समिति की बैठकें

383. श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) एवं श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला झुन्झुनूं के किन-किन अस्पतालों में चिकित्सा समितियां बनी हुई हैं तथा उनमें कौन-कौन सदस्य हैं ?

(2) उक्त समितियों की कब-कब बैठकें हुई तथा उनमें क्या कार्यवाही हुई ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त समितियों की निर्धारित तरीके से बैठकें नहीं हो रही हैं, जिससे अस्पतालों की सुविधाओं में कोई सुधार नहीं हो रहा है ?

उत्तर

(1) जिला झुन्झुनूं के जिन-जिन अस्पतालों में चिकित्सा समितियां हैं, की सूची मय सदस्यों के संलग्न परिशिष्ट "अ" में दर्शाई गई है ।

(2) उक्त समितियों की बैठक एवं कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट "ब" पर दर्शाया गया है ।

(3) जी, नहीं । जिला चिकित्सालय झुन्झुनूं में अध्यक्ष के निर्देशानुसार बैठकें आयोजित की जाती है एवं अस्पताल की व्यवस्था में गुणात्मक सुधार आया है । जिले के अन्य संस्थाओं में गठन के दिन ही बैठक आयोजित की गई ।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

पंचायत समिति पाली एवं रोहट के स्वास्थ्य केन्द्रों/अस्पतालों में रिक्त पद

384. श्री भीमराज भाटी (पाली) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला पाली की पंचायत समिति पाली एवं रोहट के किस–किस उपस्वास्थ्य केन्द्र/एड पोस्ट/चिकित्सालय/रैफरल अस्पताल में कौन-कौन से पद कब से रिक्त हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) अब सरकार रिक्त पदों को कब तक भरने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जिला पाली की पचायत समिति, पाली व रोहट में उपस्वास्थ्य केन्द्र में कोई पद रिक्त नहीं है एवं एडपोस्ट/चिकित्सालय/रेफरल चिकित्सालय में रिक्त पदों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) चिकित्सा अधिकारियों के रिक्त पदों का राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित प्रशार्थी उपलब्ध होने पर भरा जाना सम्भव हो सकेगा। अन्य पदों को योग्य एवं प्रशिक्षित अभ्यार्थी उपलब्ध होने पर भरा जाना संभव हो सकेगा।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-14 देखें)

जिला झुन्झुनूं में सड़कों की मरम्मत हेतु स्वीकृत राशि

385. श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) एवं श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जिला झुन्झुनूं में विभिन्न श्रेणियों की सड़कों की कितनी–कितनी लम्बाई है ?

(2) वर्ष 1996-97 व 1997-98 में उक्त सड़कों की मरम्मत/पेचवर्क तथा बाढ़ मे क्षतिग्रस्त हिस्सों की मरम्मत हेतु कितनी-कितनी धन राशि स्वीकृत की गई ?

(3) सार्वजनिक निर्माण विभाग के जिला अधिकारी द्वारा उक्त वर्षों में कितनी कितनी धन राशि आवंटन करने हेतु प्रस्ताव पेश किये गये थे तथा प्रस्तावों के विरुद्ध कितनी-कितनी धन राशि स्वीकृत की गई ?

उत्तर

(1) जिला झुन्झुनूं में 31-3-98 को विभिन्न श्रेणियों की सड़कों की लम्बाई निम्न प्रकार है :–

56

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

राज्य मार्ग	मुख्य जिला सड़कें	अन्य जिला सड़कें	ग्रामीण सड़कें	योग
278 किमी.	142 किमी.	421 किमी.	1546 60 किमी.	2387.60 किमी.

उक्त सड़कों का वर्गीकरण निम्न प्रकार है :-

बी.टी.	डब्ल्यू.बी.एम.	जी.आर.	फेयरवेदर	कुल लम्बाई
1913.65 किमी.	231.85 किमी.	165.75 किमी.	76.35 किमी.	2387.60 किमी.

(2) सड़कों की मरम्मत/पेचवर्क तथा बाढ़ से क्षतिग्रस्त हिस्सों की मरम्मत हेतु निम्न प्रकार राशि स्वीकृत की गई :—

वर्ष	मरम्मत/पेचवर्क के लिये स्वीकृत राशि	बाढ़ से क्षति की तात्कालिक मरम्मत हेतु स्वीकृत राशि
1996-97	295.00 लाख	0.50 लाख
1997-98	270.00 लाख	—
	(300.00 लाख संशोधित)	

(3) सार्वजनिक निर्माण विभाग, झुंझुनू के अधिशाषी अभियन्ता द्वारा धन-राशि आवंटन हेतु प्रस्ताव निम्नानुसार पेश किये गये थे तथा इन प्रस्तावों के विरुद्ध निम्न प्रकार धनराशि स्वीकृत की गई :—

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

मद	वर्ष	प्रस्ताव पेश किये	स्वीकृति दी गई
मरम्मत/	1996-97	295.00 लाख	295.00 लाख
पेचवर्क	1997-98	270.00 लाख	270.00 लाख
			(300.00 लाख संशोधित)

ग्राम पंचायत खटवा (लालसोट) की क्षतिग्रस्त सड़क

386. श्री हीरालाल (बामनवास) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला दौसा तहसील लालसोट की ग्राम पंचायत खटवा द्वारा खटवा सड़क की मरम्मत कराने के प्रस्ताव सरकार को प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो इस क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत अब तक नहीं कराये जाने के क्या कारण हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) अब सरकार खटवा सड़क की मरम्मत कब तक कराने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां। इस सड़क पर सामान्य मरम्मत का कार्य करवाया जाता रहा है। वर्तमान में साधारण मरम्मत का कार्य प्रगति पर है।

(2) साधारण मरम्मत के अन्तर्गत वर्षा ऋतु से पूर्व डब्ल्यू. बी. एम. द्वारा पेच निकाले जा चुके हैं एवं बरसात के बाद डामर द्वारा पेच करवा दिये जावेंगे।

बांसवाड़ा जिले की क्षतिग्रस्त सड़कें

387. श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बांसवाड़ा जिले की पुरानी सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं ? यदि हां, तो ऐसी कौन-कौनसी सड़कें हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि कुशलगढ़ से पाटन, कुशलगढ़ से कोटड़ा, कुशलगढ़ से मोयक घाटी, कलीजरा से कुशलगढ़ वाया ताम्बेसरा, डूंगरा से कुशलगढ़, भील कुआ से डूंगरा से सामसेरा वाया हिम्मतगढ़, सड़क क्षतिग्रस्त हैं ? क्या सरकार इनकी मरम्मत एवं पेचवर्क का कार्य कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

(58)

उत्तर

(1) जी, नहीं। बांसवाड़ा जिले की कुछ पुरानी सड़कें गत वर्ष अत्यधिक वर्षा के कारण क्षतिग्रस्त हुई थी, जिन पर सड़क मरम्मत मद से पेच मरम्मत का कार्य करवा दिया गया है परन्तु सीमित धनराशि के कारण कुछ सड़कों पर सम्पूर्ण रूप से पेच मरम्मत का कार्य नहीं हो पाया था जिन पर अब वर्षाकाल के पश्चात् पेच रिपेयर्स व मरम्मत कार्य 12/98 तक करवा दिया जावेगा। सूची परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) जी, नहीं। कुशलगढ़ क्षेत्र में गत वर्ष अतिवृष्टि के कारण वर्णित सड़कें आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुई थी जिन पर डामर द्वारा उपलब्ध बजट राशि से पेच मरम्मत कार्य करवा दिया गया था एवं इस वर्ष वर्षाकाल के पश्चात् मरम्मत मद में उपलब्ध राशि के अनुसार पेच मरम्मत कार्य माह 12/98 तक करवा दिया जावेगा। सूची संलग्न परिशिष्ट 'ब' पर।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-15 देखें)

विधान सभा क्षेत्र कामां (भरतपुर) की क्षतिग्रस्त सड़कें

388. श्री तैयब हुसैन (कामां) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या कस्बा कामां के चारों ओर स्थित रिंग रोड व उत्तर प्रदेश सीमा से कामां स्थित डीग चुंगी नाके तक की सड़क क्षतिग्रस्त है ?

(2) क्या सरकार उक्त सड़क की मरम्मत कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी, नहीं। कामां कस्बा के चारों ओर स्थित रिंग रोड व उत्तर प्रदेश सीमा से कामां स्थित डीग चुंगी नाके तक की सड़क वर्ष 96 में आई बाढ़ के कारण पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थी।

(2) जी, हां। वर्तमान में उक्त सड़कों की मरम्मत हेतु राज्य सरकार के सहायता विभाग से प्राकृतिक आपदा कोष से मई, 98 में सड़कवार निम्नानुसार राशि स्वीकृत की गई :—

सड़क का नाम	स्वीकृत राशि
कामां नन्दगांव सड़क	45.00 लाख
कामां बाईपास	15.00 लाख
कामां-पहाड़ी	16.00 लाख
कामां जुरहरा	12.00 लाख

कुल 88.00 लाख रुपये स्वीकृत किये गये। इस स्वीकृति के विरुद्ध माह 6/98 में निविदायें आमंत्रित कर कार्य आदेश जारी किये जा चुके हैं। उक्त सड़कों की मरम्मत का कार्य प्रगति पर है और कार्य 12/98 तक पूर्ण किया जाना संभावित है।

ग्राम भैरूपाल्या खेड़ा (चित्तौड़गढ़) को राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ने हेतु सर्वे

389. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम भैरू-पाल्या खेड़ा तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़ राष्ट्रीय मार्ग से 03 कि.मी. दूरी पर स्थित है और इसकी जनसंख्या दो हजार से भी अधिक है। यदि हां, तो क्या सरकार उक्त गांव को राष्ट्रीय राजमार्ग की मुख्य सड़क से जोड़ने का विचार रखती है। यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त सड़क मार्ग बनाने हेतु दो बार सर्वे किया जा चुका है। यदि हां, तो इस पर हुई प्रगति का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं, तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़ में भैरू-पाल्या खेड़ा नाम का कोई गांव नहीं है किन्तु पारलिया नाम का गांव है जिसकी दूरी मुख्य जिला सड़क (संख्या-11) चित्तौड़-मंगलवाड़ कि.मी. 29/0 से 3.2 कि.मी. है। उक्त गांव पारलिया की जनसंख्या 1971, 1981, 1991 की जनगणना के आधार पर क्रमशः 716, 899 व 1058 है। उक्त गांव पार-लिया को मुख्य जिला सड़क चित्तौड़गढ़-मंगलवाड़ से सड़क द्वारा जोड़ने के लिये दिनांक 31-3-98 को 'नाबार्ड' योजना में आर.आई.डी.एफ. III (फेज-III) के अन्त-र्गत 25.79 लाख रु. की स्वीकृति जारी हुई है एवं इस कार्य को मार्च 2000 तक पूरा करना प्रस्तावित है।

(2) जी नहीं। सड़क का सर्वे कार्य नाबार्ड योजना के अन्तर्गत एक बार ही किया गया है। सड़क निर्माण हेतु निवि-दाएँ आमंत्रित की जा रही हैं।

ग्राम छत्रपुरा (कोटा) में सड़क निर्माण

390. श्री रामगोपाल बैरवा (पीप-ल्दा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला कोटा की तहसील पीपल्दा के ग्राम छत्रपुरा में सम्पर्क सड़क हेतु राशि स्वीकृत की गई थी ? यदि हां, तो कब व कितनी राशि तथा उसके निर्माण कार्यों की अवधि क्या थी।

(2) क्या निर्माण कार्य समय पर पूर्ण करा दिया गया है। यदि नहीं, तो इसके क्या कारण रहे। निर्माण कार्य समय पर पूर्ण नहीं करने के लिए कौन जिम्मेदार है।

(3) अब उक्त निर्माण कार्य को सर-कार कब तक पूर्ण कराने का विचार रखती है।

उत्तर

(1) जी, हां। सम्पर्क सड़क अयाना से छत्रपुरा की ग्रेवल सड़क निर्माण हेतु

60

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

सुनिश्चित रोजगार योजना में जिला ग्रामीण विकास प्राधिकरण कोटा द्वारा पत्र संख्या 3509 दिनांक 6-2-96 द्वारा 5.00 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की थी। सुनिश्चित रोजगार योजना के प्रावधानों के अनुसार मिट्टी का कार्य श्रमिकों के द्वारा करवाया गया। ग्रेवल परिवहन एवं कम्पेक्शन कार्य के लिये संवेदक को तीन माह की अवधि निश्चित की गई।

(2) जी, नहीं। सुनिश्चित रोजगार योजना के तहत स्वीकृत सड़क कार्यों में भूमि अवाप्ति का प्रावधान नहीं होता है। निर्माणाधीन मार्ग के कि.मी. 0/800 से 1/700 (900 मीटर) सड़क भाग में काश्तकारों की जमीन आती है एवं इस सड़क भाग में भूमि अवाप्ति नहीं होने के कारण, काश्तकारों ने सड़क निर्माण में व्यवधान उत्पन्न किया है। इस कारण सड़क निर्माण पूर्ण नहीं किया जा सका है एवं इसके लिए कोई भी जिम्मेदार नहीं है।

(3) भूमि विवाद को निपटाने के प्रयास किये जा रहे हैं। भूमि विवाद समाप्त होने पर ग्रेवल सड़क का निर्माण कार्य 2 माह में पूर्ण करा दिया जावेगा।

ग्राम फूलेला से सांवलियांजी (बांदीकुई) सम्पर्क सड़क हेतु अवाप्त भूमि का मुआवजा

391. श्री भीखा भाई (सागवाड़ा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति बांदीकुई के ग्राम फूलेला से करणा-बर-सांवलिया जी सम्पर्क सड़क का निर्माण करवाया गया है ? यदि हां, तो उक्त सड़क का सर्वे कब एवं किसके द्वारा करवाया गया था ? उक्त सर्वे में किस-किस ग्राम की कितनी-कितनी भूमि अवाप्त की गयी ? अवाप्त की गई भूमि का खसरा नं. खातेदार के नाम सहित सदन की मेज पर रखें।

(2) सर्वे के समय किस-किस ग्राम के पटवारी को बुलाया गया क्या उक्त समय ग्राम खोहरा के पटवारी को भी बुलवाया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त सड़क के निर्माण में ग्राम खोहरा की भूमि भी अवाप्त की गई थी ? यदि हां, तो किस-किस खसरा नं. की कितनी-कितनी भूमि अवाप्त की गई ? उक्त भूमि की किस्म क्या थी एवं उसका खातेदार कौन था ? सड़क के नक्शे की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि लगभग आठ वर्ष की अवधि के बाद भी उक्त अवाप्त भूमि के खातेदारों को मुआवजा नहीं दिया गया है ? यदि नहीं, तो किस-किस खातेदार को कितनी-कितनी राशि मुआवजे के रूप में कब-कब दी गई एवं किस-किस को दी जानी शेष है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) उक्त मुआवजा राशि देने में विलम्ब के लिए कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी जिम्मेदार है ? क्या सरकार दोषी

(श्री भीखा भाई)

अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही कर पीड़ित पक्षकारों को मुआवजा राशि दिलाये जाने का विचार रखती है ? यदि हाँ, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हाँ। ग्राम फूलेला से करनावर सांवलिया सम्पर्क सड़क का सर्वे वर्ष 93-94 में सा.नि.वि. द्वारा करवाया गया था। उक्त सर्वे में अवाप्त की गई भूमि का ग्राम वार विवरण निम्न प्रकार है :—

ग्राम	अवाप्त की गई भूमि का क्षेत्रफल
1. फूलेला	5 बीघा 18 बिसवा
2. करनावर	14 बीघा 13 बिसवा

अवाप्त की गई भूमि का खसरा नम्बर खातेदार का नाम आदि विवरण परिशिष्ट "अ" में सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(2) ग्राम फूलेला व करनावर की भूमि ही अवाप्त की गई अतः उसी संबंधित ग्रामों के पटवारियों से विचार विमर्श किया गया। ग्राम खोहरा के पटवारी को नहीं बुलाया गया क्योंकि भूमि अवाप्ति की अधिसूचना की धारा 4 (1) के तहत ग्राम खोहरा की भूमि अवाप्त करना प्रस्तावित नहीं था।

(3) जी, नहीं। सड़क के नक्शे की प्रति परिशिष्ट "ब" में सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(4) जी, नहीं। फूलेला एवं करनावर ग्रामों के खातेदारों को मुआवजे के रूप में दी जाने वाली राशि का विवरण परिशिष्ठ "अ" में अंकित है।

(5) उक्त सड़क के निर्माण हेतु ग्राम फूलेला एवं करनावर में भूमि अवाप्ती का अवार्ड माह 1/98 मे जारी किया गया है और मुआवजा भुगतान की कार्यवाही प्रगति पर है। विलम्ब के लिये कोई अधिकारी/कर्मचारी दोषी नहीं है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

ग्राम फलियां (छीपा बड़ौद) के तालाब का अवरुद्ध कार्य

392. श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा), श्री कन्हैयालाल पाटीदार (पिड़ावा) एवं श्री फूलचन्द (सलूम्बर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) फलियां (छीपा बड़ौद) तालाब का कार्य कब प्रारम्भ हुआ था, उस पर अब तक कितनी राशि खर्च हो चुकी है ?

(2) वर्तमान में फलियां सिंचाई तालाब के काम बन्द करने के क्या कारण है ? अब पुनः कार्य कब प्रारम्भ कर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) फलियां लघुसिंचाई योजना का कार्य एन.आर.ई.पी. योजना के अन्तर्गत

(सिंचाई मंत्री)

वर्ष 1985 में प्रारम्भ हुआ था, जिस पर वर्ष 1991-92 तक रुपये 18.25 लाख की राशि खर्च हुई है।

(2) इस योजना के डूब एरिया में 81.90 हैक्टर वन भूमि आजाने के कारण भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा स्वीकृति प्राप्त होने तक कार्य बन्द करना पड़ा। भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने पर कार्य करवाया जाना संभव होगा।

उप खण्ड मुख्यालय ब्यावर में सहायक अभियंता कार्यालय का सृजन

393. श्री उगम राज मेहता (ब्यावर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि उप खण्ड मुख्यालय ब्यावर में सिंचाई विभाग का कार्यालय नहीं है ?

(2) क्या सरकार ब्यावर में उक्त कार्यालय खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, नहीं।

(2) ब्यावर उपखण्डीय मुख्यालय पर सहायक अभियन्ता, सिंचाई उपखण्ड ब्यावर का कार्यालय पूर्व से ही कार्यरत है। अन्य कोई सिंचाई कार्यालय के खोलने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है एवं न ही अन्य कार्यालय की आवश्यकता है।

नर्सरी योजना के कनेक्शनों का सामान्य श्रेणी में परिवर्तन

394. श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राज्य में नर्सरी योजना के अन्तर्गत कृषि कुओं के विद्युतिकरण हेतु अब तक कुल कितने आवेदन प्राप्त हुए तथा उनसे कितनी धन राशि राज्य विद्युत् मण्डल को प्राप्त हुई ?

(2) उक्त आवेदनों में से कितने आवेदनकर्ताओं को कनेक्शन दिये जा चुके हैं तथा कितने कनेक्शन हैं ?

(3) क्या सरकार के ध्यान में है कि नर्सरी कनेक्शन में मोटर के आधार पर विद्युत् शुल्क का भुगतान करना काश्तकार की क्षमता नहीं है तथा किसान ऐसे विद्युत् कनेक्शन को सामान्य कृषि कनेक्शन में तब्दील कराना चाहता है ?

(4) क्या सरकार के ध्यान में है कि अगर इन कनेक्शन्स को सामान्य कनेक्शन में निर्धारित समयावधि दो वर्ष में परिवर्तित न किया गया तो अनेक कृषकों को आन्ध्र

(श्री भीमसेन चौधरी)

व कर्नाटक प्रदेशों को कृषकों की भांति आत्मदाह करने को मजबूर होना पड़ेगा ?

उत्तर

(1) राज्य में नर्सरी योजना के अन्तर्गत कृषि कनेक्शनों हेतु माह मई, 1998 तक 60255 आवेदन प्राप्त हुये थे। प्राप्त आवेदन पत्रों से विद्युत मण्डल को 192.77 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुयी।

(2) उक्त प्राप्त आवेदनों में से 49750 आवेदकों द्वारा डिमाण्ड नोटिस जमा कराये गये हैं। जमा डिमाण्ड नोटिसों में से 45731 कनेक्शन दिये जा चुके हैं एवं 4019 कनेक्शन देने शेष हैं।

(3) नर्सरी योजना स्वैच्छिक योजना है। इस योजना में सामान्य श्रेणी की वरीयता लांघकर कनेक्शन दिये जाते हैं। अत: विद्युत शुल्क, सामान्य श्रेणी के कनेक्शनों से अधिक है जिसके बारे में कृषकों को आवेदन करने से पूर्व ही भली भांति जानकारी रहती है। नर्सरी श्रेणी के कनेक्शनों को 2 वर्ष की अवधि के पश्चात् सामान्य श्रेणी की फ्लेट रेट में परिवर्तित करने हेतु आदेश जारी किये जा चुके हैं।

(4) विद्युत मण्डल ने नर्सरी श्रेणी के कृषि कनेक्शन को दो वर्ष पूर्ण होने के पश्चात् सामान्य श्रेणी में परिवर्तित करने के आदेश दिनांक 8-6-1998 को जारी कर दिये हैं।

ग्राम नालोट (सीकर) में कुओं पर विद्युत् कनेक्शन

395 श्री दीपेन्द्र सिंह (श्रीमाधोपुर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) ग्राम नालोट तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर के किन-किन व्यक्तियों ने कुए पर विद्युत कनेक्शन हेतु आवेदन पत्र कब-कब प्रस्तुत किये ?

(2) उक्त आवेदकों को कनेक्शन कब आवंटित किया गया ?

(3) उक्त कनेक्शनों के लिए पटवारी की रिपोर्ट, सिक्योरिटी जमा राशि की रसीद, एवं एल. फार्म कब तथा किसके द्वारा जमा करवाया गया ?

(4) उक्त कनेक्शनों के लिए "वर्क आर्डर" कब निकाला गया ? उक्त वर्क आर्डर की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला सीकर की तहसील श्रीमाधोपुर के ग्राम नालोट में कुये पर कनेक्शन हेतु सामान्य व नर्सरी श्रेणी में जिन व्यक्तियों ने आवेदन किया था, उनको आवेदन तिथि सहित सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(64)

(ऊर्जा मंत्री)

(2) उक्त आवेदनों में से 9 आवेदकों को सामान्य श्रेणी, 1-2 पोल योजना तथा नर्सरी श्रेणी में वर्ष 1995-96 व 1996-97 में जारी आदेशों के अन्तर्गत कनेक्शन जारी किये गये।

(3) उक्त कनेक्शनों की आवेदन की तिथि पटवारी की रिपोर्ट, सिक्योरिटी जमा की रसीद तथा एस. फार्म व एल. फार्म बन्द होने पर, उसकी जगह आवेदकों द्वारा जमा कराये गये शपथ पत्रों की दिनांक का विवरण संलग्न परिशिष्ट 'ब' में दर्शाया गया है। वांछित औपचारिकताएँ किसके द्वारा पूरी की गई, का रिकार्ड विद्युत मण्डल के कार्यालय में नहीं रखा जाता वरन्तु सामान्यतया उक्त वर्णित औपचारिकताएँ आवेदक या उसके प्रतिनिधि द्वारा ही पूरी की जाती है।

(4) उक्त कनेक्शनों के लिये जारी जाब आर्डर की तारीख सहित प्रतियां परिशिष्ट 'स' पर संलग्न है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

विद्युत मण्डल द्वारा ट्रांसफार्मरों की स्थापना में नियमों की अवहेलना

396. श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि विद्युत मण्डल द्वारा लगाये गये बड़ी संख्या में डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफारमर्स इण्डियन इलैक्ट्रिसिटी एक्ट तथा नियमों में दिये गये प्रावधानों के अनुसार नहीं लगाये गये हैं? जिससे आये दिन दुर्घटनायें होती हैं?

(2) उक्त स्थिति को सुधारने हेतु विद्युत मण्डल क्या कार्यवाही कर रहा है?

(3) क्या यह सही है कि कानून में निहित सावधानी प्रावधानों की अनदेखी होने से बड़ी संख्या में ट्रांसफारमर्स जलते रहते हैं तथा मण्डल को बड़ी धन की हानि होती है?

उत्तर

(1) डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर सामान्यतः इण्डियन इलैक्ट्रिसिटी एक्ट तथा नियमों में दिये गये प्रावधानों के अनुसार ही लगाये गये हैं तथा इनसे आये दिन दुर्घटना घटित होने की जानकारी विभाग को नहीं है।

(2) विद्युत दुर्घटनायें रोकने एवं इण्डियन इलैक्ट्रिसिटी एक्ट के नियमों की पालना हेतु समय समय पर श्रमिकों को प्रशिक्षण देकर प्रशिक्षित किया जाता है।

(3) जी, नहीं। कानून में निहित प्रावधानों की अनदेखी नहीं की जाती है। ट्रांसफार्मर्स आमतौर पर मैन्यूफेक्चरिंग डिफेक्ट, तकनीकी कारण, उपभोक्ताओं द्वारा स्वीकृत लोड से अधिक विद्युत का उपभोग करने, सिंगल फेजिंग के दौरान ऐसे उपकरण लगाकर थ्री-फेजिंग सप्लाई बनाकर विद्युत का उपभोग करने व ट्रांसफार्मर की निर्धारित समय अवधि (जीवन काल) पूर्ण होने के कारण खराब होते हैं।

65

विधान सभा क्षेत्र कामां में अविद्युतिकृत ग्राम

397. श्री तैयब हुसैन (कामां) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला भरतपुर के विधान सभा क्षेत्र कामां में कितने अविद्युतिकृत गांव हैं?

(2) क्या सरकार उक्त गांवों का विद्युतीकरण करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जिला भरतपुर के विधान सभा क्षेत्र कामां की पंचायत समिति कामां में मार्च, 1998 के अन्त तक 47 ग्राम विद्युतीकरण हेतु शेष हैं।

(2) विधान सभा क्षेत्र कामां की पंचायत समिति कामां के शेष अविद्युतिकृत 47 ग्रामों में से 5 ग्राम वर्ष 1998-99 के वार्षिक ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत विद्युतीकरण हेतु प्रस्तावित हैं। शेष रहे अविद्युतिकृत ग्रामों का विद्युतीकरण निर्धारित नीति, आवंटित वित्त एवं उपलब्ध संसाधनों के अनुसार किया जाना संभव हो सकेगा।

विधान सभा क्षेत्र डेगाना में सामान्य श्रेणी के कनेक्शन

398. श्री रिछपाल सिंह (डेगाना) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) जिला नागौर में सामान्य श्रेणी के कुल कितने कृषि कुओं के विद्युत कनेक्शन कब से शेष हैं ? संख्या सूची तहसीलवार सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र डेगाना में वर्ष 1985 से जून, 1998 तक कुल कितने सामान्य श्रेणी के कृषि कुओं के कनेक्शन बकाया हैं ? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) वर्ष 1998-99 में विधान सभा क्षेत्र डेगाना में कितने कृषि कुओं को सामान्य श्रेणी में विद्युतिकृत करने का लक्ष्य रखा गया है ? अब तक उनमें से किस-किस वर्ष के कितनों को विद्युतिकृत कर दिया गया है एवं शेष कितने हैं ? शेष कनेक्शन कब तक पूर्ण कर दिये जावेंगे ?

उत्तर

(1) जिला नागौर में सामान्य श्रेणी में कृषि कुओं के कुल 14450 आवेदन पत्र लम्बित हैं, जिनका तहसीलवार विवरण निम्न प्रकार है :—

66

(ऊर्जा मंत्री)

क्र.सं.	तहसील	कब से लम्बित हैं	आवेदनों की संख्या
1.	नागौर	1985-86 से	3599
2.	डीडवाना	1984-85 से	906
3.	परबतसर	1983-84 से	1868
4.	नावां सिटी	1983-84 से	1914
5.	डेगाना	1985-86 से	881
6.	मेड़ता	1984-85 से	3812
7.	जायल	1987-88 से	1003
8.	लाडनूं	1991 से	467
	कुल		14450

(2) विधान सभा क्षेत्र डेगाना में सामान्य श्रेणी में वर्ष 1985 से जून, 98 कुल 937 कृषि कुओं के कनेक्शन के लिये आवेदन पत्र लम्बित हैं, जिनका वर्षवार विवरण निम्न प्रकार है :—

1985-86	7	1986-87	41
1987-88	126	1988-89	114
1989-90	95	1990-91	27
1991-92	139	1992-93	115
1993-94	185	1994-95	62
1995-96	06	1996-97	04
1997-98	14	1998-99	02
योग:–			937

(ऊर्जा मंत्री)

(3) विधान सभा क्षेत्र डेगाना में वर्ष 1998–99 में सामान्य श्रेणी के कृषि कुओं को मार्च, 1986 तक के लम्बित 48 आवेदनों को कनेक्शन देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इनमें से जिन 6 आवेदकों द्वारा मांग पत्र की राशि जमा करा दी गई हैं, उनको शीघ्र कनेक्शन देने की कार्यवाही प्रगति पर है तथा शेष आवेदकों को भी मांग पत्र जारी कर, मांग पत्र की राशि जमा होने पर लक्ष्य के अनुसार वर्ष 1998-99 में ही कनेक्शन देने के प्रयास किये जायेंगे।

मोखमपुरा व कडैया चोर में ग्रिड सब स्टेशन की स्थापना

399. श्री प्रताप सिंह (छबड़ा), श्री कन्हैया लाल पाटीदार (पिड़ावा) एवं श्री फूलचन्द (सलूम्बर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) मोखमपुरा व कडैया चोर 33 के. वी. ग्रिड सब स्टेशन किस-किस दिनांक को स्वीकृत किया गया ?

(2) क्या उक्त ग्रिड सब स्टेशन बनकर तैयार हो चुके हैं ? यदि नहीं, तो अब तक तैयार नहीं होने के क्या कारण हैं एवं इसके लिए कौन दोषी है तथा दोषियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

(3) उक्त गांवों में 33 के. वी. ग्रिड सब स्टेशन कब तक चालू कर दिये जायेंगे?

उत्तर

(1) जी हां। मोखमपुरा 33 के.वी. सब स्टेशन आर.ई.सी. स्कीम 1993–94 के अन्तर्गत दिनांक 28-3-94 को स्वीकृत किया गया तथा इसे वर्ष 1995-96 में फेज प्रोग्राम में सम्मिलित किया गया। कडैया चोर सब स्टेशन आर.एम.एन.पी. योजना के तहत नवम्बर, 1984 में स्वीकृत हुआ तथा इसे वर्ष 1991-92 के फेज प्रोग्राम में सम्मिलित किया गया।

(2) जी, हां।

(3) मोखमपुरा व कडैया चोर 33 के.वी. सब स्टेशन क्रमशः दिनांक 2-6-98 व 1-3-98 को चालू कर दिए गये हैं।

इटावा (कोटा) में अनियमित विद्युत आपूर्ति

400. श्री रामगोपाल बैरवा (पीपल्दा): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि कोटा के कस्बा इटावा में विद्युत सप्लाई में व्यवधान की हमेशा परेशानी रहती है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या सरकार इस समस्या के समाधान हेतु विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी नहीं। कोटा जिले के इटावा

(68)

(ऊर्जा मंत्री)

कस्बे में तकनीकी एवं प्राकृतिक आपदाओं से हुये व्यवधानों को छोड़कर विद्युत सप्लाई नियमित एवं सुचारू रूप से चालू रहती है, लेकिन इस क्षेत्र की 33 के.वी. लाइन में जो कि चम्बल नदी को पार करते हुये बीहड़ व दुर्गम क्षेत्रों में से निकलती है, जब कभी व्यवधान होता है, तो ठीक करने में कुछ सामान्य से अधिक समय लगने के कारण क्षेत्र में कुछ परेशानी हो सकती है।

(2) इस समस्या के निराकरण के लिये विद्युत मण्डल द्वारा इटावा के लिये 132 के.वी. सब स्टेशन स्वीकृत किया जा चुका है, जिसके पूर्ण होकर चालू हो जाने पर उक्त समस्या का समाधान निश्चित रूप से हो जायेगा।

विधान सभा क्षेत्र पाली के ग्रामों का विद्युतीकरण

401. श्री भीमराज भाटी (पाली) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र पाली के कई गांवों में घरेलू विद्युत कनेक्शनों के प्रार्थना-पत्रों की डिमाण्ड राशि जमा होने के बावजूद भी विद्युत कनेक्शन नहीं दिये गये हैं ? यदि हां, तो कुल कितने ग्रामों के कितने-कितने आवेदन कब से विचाराधीन हैं और अब तक विद्युत कनेक्शन नहीं देने के क्या कारण हैं ? लम्बित आवेदनों की ग्रामवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र पाली के कितने राजस्व गांव व ढाणियों का विद्युतीकरण नहीं किया गया है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त ग्राम व ढाणियों का विद्युतीकरण करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या यह भी सही है कि विधान सभा क्षेत्र पाली में जिन गांवों व ढाणियों का विद्युतीकरण हो चुका है उन गांवों व ढाणियों में विद्युत् कनेक्शन नहीं दिये गये हैं ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार उक्त गांवों व ढाणियों में विद्युत् कनेक्शन देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां। वर्तमान में विधान सभा क्षेत्र पाली के 10 गांवों में 10 आवेदकों द्वारा मांग पत्र की राशि जून-जुलाई, 1998 में जमा करवाई गई थी। आवेदकों द्वारा एल फार्म जमा नहीं कराने के कारण कनेक्शन नहीं दिये जा सके। ऐसे मांग पत्र जमा आवेदनों की ग्रामवार सूची निम्न प्रकार से है :—

(ऊर्जा मंत्री)

पंचायत समिति रोहट

क.सं.	गांव का नाम	जमा मांग पत्र की संख्या
1.	मीवड़ा	1
2.	बागड़िया	1
3.	पिपलिया	1
4.	निम्बली	1
5.	बूदली	1
6.	संतपुर	1
7.	काला पीपल	1
8.	सावलता	1
9.	बायद	1
10.	चेण्डा	1
	योग	10

(2) विधान सभा क्षेत्र पाली में जनगणना पुस्तिका 1981 में वर्णित गांवों में से कोई भी राजस्व गांव/ढाणियां विद्युतीकरण हेतु बकाया नहीं हैं तथा जनगणना पुस्तिका, 1991 में जो नये राजस्व गांव/ढाणियां घोषित की गई हैं उनका विद्युतीकरण 1981 में विद्युतीकृत घोषित गांवों में समायोजित किया गया है। इनमें निम्न चार गांव ऐसे भी हैं जिनमें लाइनें नहीं हैं :—

1. हीरावास, कोड नं. 15/4/11
2. सवाईपुरा, कोड नं. 15/4/56
3. बोम्लाई, कोड नं. 15/4/77
4. भाटी की ढाणी, कोड नं. 15/4/91

(3) उक्त वर्णित गांव/ढाणियों में विद्युतीकरण कार्य कनेक्शन की मांग आने पर ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्वीकृत योजनाओं के प्रावधानों के तहत उपलब्ध संसाधनों के अनुरूप किया जाना संभव है।

(4) विधान सभा क्षेत्र पाली में जिन गांवों/ढाणियों का विद्युतीकरण हो चुका है, उन गांवों/ढाणियों में घरेलू कनेक्शन देने हेतु नियमानुसार प्रक्रिया जारी है। कनेक्शन देने की कार्यवाही बजट प्रावधानों एवं आवेदकों द्वारा औपचारिकताएं पूर्ण होने पर निर्भर होगी।

पद्मावती कालोनी 'ए' जयपुर का ट्रांसफार्मर प्रकरण

402 श्री भरत सिंह (खानपुर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पद्मावती कालोनी "ए" किंग्स रोड, अजमेर रोड (जयपुर) में सरकार ने 64 के.वी. ट्रांसफार्मर लगाने की स्वीकृति जारी की है ? यदि हां, तो कब एवं अब तक क्या प्रगति रही ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) इस कालोनी में 64 के.वी. ट्रांस-

(70)

(श्री भरत सिंह)

फार्मर लगाने की स्वीकृति के पश्चात् नहीं लगाये जाने के क्या कारण हैं एवं इसमें कौन उत्तरदायी है तथा अब कब तक यह ट्रांसफार्मर लगा दिया जायेगा ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। पदमावती कालोनी "ए" सिवल्स रोड, अजमेर रोड (जयपुर) में 63 के.वी.ए. ट्रान्सफार्मर लगाने की स्वीकृति दिनांक 1-10-1996 को दी गई तथा कार्य पूर्ण कर 63 के.वी.ए. का ट्रांसफार्मर दिनांक 16-7-1998 को स्थापित कर चालू कर दिया गया।

(2) उक्त कालोनी के कार्य के दौरान लाइन का सामान आदि चोरी हो गया था जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 2-12-1996 को थाना सोडाला में करा दी गई थी। पुलिस तफ्तीश में देरी के कारण कार्य में विलम्ब हुआ। उपभोक्ताओं के अत्यधिक दबाव के कारण इस कार्य को पूर्ण करने हेतु दुबारा स्वीकृति सक्षम अधिकारी से प्राप्त कर दिनांक 16-7-1998 को ट्रांसफार्मर स्थापित कर विद्युत प्रवाह चालू कर दिया गया है। इसमें प्रथम दृष्टया कोई अधिकारी उत्तरदायी नहीं है।

श्रीगंगानगर जिले में टिटनेस टीकाकरण अभियान

403. श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जिला श्रीगंगानगर में टिटनेस टीकाकरण अभियान में कितनी महिलाओं को लाभान्वित किया गया है ? तहसीलवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार द्वारा टीकाकरण से पूर्व कोई सर्वे करवाया गया था। यदि हां, तो श्रीगंगानगर जिले की सर्वे रिपोर्ट तहसीलवार सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त जिले में आयोजित अभियान में टीका लगवाने से कितनी महिलायें वंचित रह गई हैं तथा उन्हें अब कब लाभान्वित किया जायेगा ? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त जिले में इस अभियान पर कितनी राशि व्यय की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) (अ) प्रथम चरण :—श्रीगंगानगर जिले में टेटनस टीकाकरण अभियान के दौरान लाभान्वित महिलाओं की संख्या तहसीलवार निम्नानुसार है :—

(71)

(राज्य मंत्री, चिकित्सा)

खण्ड प्रा. स्वा. केन्द्र/तहसील	कुल लाभान्वित महिलायें
1. घूमडवाली (तहसील पदमपुर)	14624
2. रायसिंहनगर ,, ,, (रायसिंहनगर)	11816
3. श्री करणपुर ,, ,, करणपुर	14146
4. शिवपुर ,, ,, श्रीगंगानगर	18812
5. सूरतगढ़ ,, ,, सूरतगढ़	12677
6. सादूलशहर ,, ,, सादूलशहर	10970
7. अनुपगढ़ ,, ,, अनुपगढ़, विजयनगर, घडसाना	22024
योग :—	105069

(ब) द्वितीय चरण :—

खण्ड प्रा. स्वा. केन्द्र/तहसील	द्वितीय डोज	प्रथम डोज
1	2	3
1. घूमडवाली तहसील पदमपुर	15105	1993
2. रायसिंहनगर ,, ,, रायसिंहनगर	11622	1909
3. श्रीकरणपुर ,, ,, करणपुर	14380	1259
4. शिवपुर ,, ,, गंगानगर	12416	3474
5. सूरतगढ ,, ,, सूरतगढ	11350	3898

(72)

(राज्य मंत्री, चिकित्सा)

1	2	3
6. सादुलशहर ,, ,, सादुलशहर	10369	3161
7. अनुपगढ़ ,, ,, अनुपगढ़, विजयनगर, घड़साना	19927	6068
योग :—	95169	21762

(2) श्रीगंगानगर जिले में टीकाकरण अभियान से पूर्व सर्वे कराया गया था। जो उपकेन्द्र रिक्त है उन्हें छोड़कर सर्वे रिपोर्ट तहसीलवार निम्नानुसार है :—

खण्ड प्रा. स्वा. केन्द्र/तहसील	सर्वे के अनुसार कुल लाभान्वित होने वाली महिलाओं की संख्या
1. चूनावाली तह. पदमपुर	15238
2. रायसिंहनगर ,, ,, रायसिंहनगर	14930
3. श्रीकरणपुर ,, ,, करणपुर	14239
4. शिवपुर ,, ,, श्रीगंगानगर	22188
5. सूरतगढ़ ,, ,, सूरतगढ़	14705
6. सादुलशहर ,, ,, सादुलशहर	9763
7. अनूपगढ़ ,, ,, अनूपगढ़, विजयनगर, घड़साना	27474
योग :—	118537

(राज्य मंत्री, चिकित्सा)

नोट :— श्रीगंगानगर जिले को खण्ड प्रा. स्वा.केन्द्र वार सूचना प्राप्त हुई है। अतः खण्ड अनूपगढ़ में तहसील अनूपगढ़, विजयनगर, घड़साना की रिपोर्ट सम्मिलित है।

(3) श्रीगंगानगर जिले में गर्भवती महिलाओं व 15 से 20 वर्ष की विवाहित महिलाओं के अनुमानित लक्ष्य 1,40,000 के विरुद्ध टी.टी. अभियान के प्रथम व द्वितीय राउण्ड में 1,26,831 प्रथम डोज लगी (प्रथम चरण में 1,05,069 व द्वितीय चरण में 21,762 महिलाओं के प्रथम डोज के टी.टी. के टीके लगाये गये) इस प्रकार 1,40,000–1,26,831 = 13,169 महिलायें टी.टी. अभियान के दौरान वंचित रही। ये महिलाएं नियमित टीकाकरण के दौरान लाभान्वित हो सकेगी।

4 श्रीगंगानगर जिले में टीकाकरण अभियान के दौरान व्यय राशि निम्न प्रकार है :—

प्राप्त राशि	6,27,000
व्यय	5,47,000
अनुमानित देनदारियां	70,000
शेष	10,000

जिला नागौर में विकास कार्य

404. श्री रिछपाल सिंह (डेगाना) : क्या विशिष्ट योजना संगठन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला नागौर में वर्ष 1997-98 में आश्वासित रोजगार योजनान्तर्गत सड़कों, स्कूल भवनों, सामुदायिक भवनों एवं अन्य विकास कार्यों पर कुल कितनी राशि स्वीकृत कर कितने कार्य कराये गये? संख्या सूची तहसीलवार सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त जिले में वर्ष 1998-99 में आश्वासित रोजगार योजना में कुल कितनी राशि विभिन्न विकास कार्यों में खर्च करने का प्रावधान रखा गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) वर्ष 1997-98 के दौरान स्वीकृत कार्यों में से कितने कार्य पूर्ण हो गये तथा कितने अभी तक अपूर्ण है? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला नागौर में वर्ष 1997-98 में आश्वासित रोजगार योजनान्तर्गत सड़कों,

(74)

(राज्य मंत्री, विशिष्ट योजना संगठन)

स्कूल भवनों, सामुदायिक भवनों एवं अन्य विकास कार्यों पर कुल रु0 1279.61 लाख राशि की स्वीकृतियां जारी कर 324 कार्य स्वीकृत किये गये। योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा पंचायत समितिवार राशि जारी की जाती है। अतः तहसीलवार के स्थान पर पंचायत समितिवार सूची परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) उक्त जिले में वर्ष 1998-99 में आश्वासित रोजगार योजनान्तर्गत विभिन्न विकास कार्यों पर रु0 875.00 लाख राशि की सम्भावित उपलब्धता को देखते हुए निम्नानुसार खर्च करने का प्रावधान है :–

1. सड़क निर्माण कार्य - 175.00 लाख

2. लघु सिंचाई कार्य - 87.50 लाख

3. जलग्रहण विकास कार्य - 437.50 लाख

4. सामुदायिक भवन - 175.00 लाख

(3) वर्ष 1997-98 के दौरान स्वीकृत कार्यों में से 164 कार्य पूर्ण हो गये हैं तथा 121 कार्य प्रगतिरत [अपूर्ण] है एवं 39 कार्य प्रारम्भ नहीं किये गये हैं। सूची परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

ग्राम पंचायत पीपली आचार्यान (राजसमन्द) में ऋण/अनुदान में अनियमितताएँ

405. श्री शांतिलाल खोईवाल (राजसमन्द) : क्या विशिष्ट योजना संगठन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत पीपली आचार्यान जिला राजसमन्द में आई.आर.डी.पी. के अन्तर्गत ग्रामीणों को ऋण/अनुदान में अधिकारियों तथा जन प्रतिनिधियों ने गलत सत्यापन कर गबन किया है ?

(2) यदि हां, तो उक्त प्रकरण में दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विकास अधिकारी राजसमन्द के क्षेम ग्राम सेवा सहकारी समिति के कतिपय सदस्यों/अधिकारियों द्वारा ऋण-अनुदान वितरण में अनियमितता बरती जाने की शिकायत प्राप्त हुई है।

(2) सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां राजसमन्द द्वारा सहकारी अधिनियम की धारा 70 (1) के अन्तर्गत जांच के आदेश प्रसारित किये गये है। जांच रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई।

पंचायत समिति रोहट तथा पाली के अपूर्ण विकास कार्य

406. श्री भीमराज भाटी (पाली) : क्या विशिष्ट योजना संगठन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री भीमराज भाटी)

(1) गत चार वर्षों में पंचायत समिति पाली व रोहट द्वारा किन-किन योजनाओं के माध्यम से कौन-कौन से विकास कार्य करवाये गये हैं ? विकास कार्यों का स्थान, ग्राम पंचायत, राशि, मद व कार्य की वर्तमान स्थिति सहित संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त पंचायत समितियों में विभिन्न योजनान्तर्गत प्रारंभ किये गये विकास कार्य निर्धारित समयावधि में पूर्ण नहीं हुए हैं ? यदि हां, तो कौन-कौन से विकास कार्य किन कारणों से पूर्ण नहीं हुये हैं। ग्राम पंचायतवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि कुछ कार्य अधिकारियों की लापरवाही एवं अदूरदर्शिता के कारण पूर्ण नहीं हुए हैं। यदि हां, तो क्या सरकार उपरोक्त प्रकरणों की जांच करवाकर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है। यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों।

उत्तर

(1) पंचायत समिति रोहट एवं पाली में गत चार वर्षों में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत सम्पादित करवाये गये कार्यों का ग्रामवार योजनावार विवरण तथा स्वीकृत कार्य पर व्यय की गई राशि और कार्य की वर्तमान स्थिति का विवरण परिशिष्ट 'अ' में अंकित है।

(2) कुल 513 स्वीकृत कार्यों में से 59 कार्य अपूर्ण/प्रगति पर हैं जिनकी ग्राम पंचायतवार सूची तथा अपूर्ण रहने के कारण परिशिष्ट 'ब' में अंकित है।

(3) उक्त कार्य ग्राम पंचायत के माध्यम से करवाये जा रहे हैं।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

जिला करौली एवं सवाईमाधोपुर में व्याख्याताओं के रिक्त पद

407. श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला करौली एवं सवाईमाधोपुर में व्याख्याताओं के पद रिक्त हैं ? यदि हां, तो कितने ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार इन रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी, हां। व्याख्याताओं के 42 पद रिक्त हैं। महाविद्यालय एवं विषयवार व्याख्याताओं के रिक्त पदों का विवरण निम्न प्रकार है :—

क्र.सं.	विषय	जिला करौली				जिला सवाईमाधोपुर					
		राज.महा. करौली		राज.महा. हिण्डोन		राज.महा. स. माधोपुर		राज.महा. (महिला) स. माधोपुर		राज.महा. गंगापुर सिटी	
		स्वीकृत पद	रिक्त पद	स्वीकृत पद	रिक्त पद	स्वीकृत पद	रिक्त पद	स्वीकृत पद	रिक्त पद	स्वीकृत पद	रिक्त पद
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	अर्थशास्त्र	—	—	1	1	1	—	—	—	1	—
2.	अंग्रेजी	3	1	1	1	3	1	1	—	2	1
3.	हिन्दी	5	2	2	—	5	2	2	1	4	2
4.	इतिहास	6	—	1	—	7	2	1	—	2	—

(उच्च शिक्षा मंत्री)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.	राजनीति शास्त्र	8	1	1	—	8	3	1	—	4	1
6.	संस्कृत	3	3	1	—	2	—	1	—	2	—
7.	समाज शास्त्र	3	1	1	—	2	—	1	—	1	—
8.	वनस्पति शास्त्र	10	4	—	—	4	1	—	—	2	—
9.	रसायन शास्त्र	7	3	—	—	6	3	—	—	3	2
10.	प्राणी शास्त्र	5	2	—	—	4	2	—	—	2	1
	योग	50	17	8	2	42	14	7	2	23	7

(2) जी, हां। राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा व्याख्याताओं के पदों के चयन हेतु प्रक्रिया जारी कर रखी है। आयोग द्वारा चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर पदस्थापन कर दिया जायेगा।

(78)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :—

(1) श्री हरिसिंह (महुवा) एवं श्री परसादीलाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से जिला नागौर के थाना जायल में दर्ज मुकदमा नम्बर 90, दिनांक 19-7-98 में पुलिस द्वारा कार्यवाही नहीं करने के संबंध में।

(2) श्री भगराज चौधरी एवं श्री भीमसेन चौधरी, सदस्य, विधान सभा की ओर से पाली जिले में निर्माण की जाने वाली उमकली फीडर सिंचाई परियोजना की स्वीकृति को निरस्त करने के संबंध में।

(3) श्रीमती इन्दिरा मायाराम, श्री रामनारायण चौधरी एवं छह अन्य सदस्य, विधान सभा की ओर से झुन्झुनू जिले के पातुसर गांव की एक महिला को चुरू पुलिस द्वारा पकड़ कर ले जाने एवं उसके साथ पुलिस द्वारा कथित अमानुषिक व्यवहार किये जाने के संबंध में।

(4) श्री शैलेन्द्र जोशी, श्री परसादी लाल मीणा एवं चार अन्य सदस्य, विधान सभा की ओर से दौसा शहर में परीक्षा देने जाते समय अनुसूचित जाति की 17 वर्षीय बालिका का अपहरण कर लिये जाने की घटना से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(5) श्री लक्ष्मण सिंह रावत एवं 15 अन्य सदस्य, विधान सभा की ओर से राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों की दशा सोचनीय होने एवं उनमें शैक्षणिक वातावरण का पूर्णत: अभाव होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जाएगा।

(6) डा. जितेन्द्र सिंह एवं दो अन्य सदस्य, विधान सभा की ओर से गुर्जर छात्रावास, मोती डूंगरी, जयपुर को पड़ोस के भू-खण्ड से अलग करने हेतु बनायी गयी दीवार से गुर्जर समाज में व्याप्त असंतोष के संबंध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव की विषयवस्तु का एक अन्य माननीय सदस्य का प्रस्ताव राज्य सरकार को जानकारी हेतु भेजा गया है, अत: इस पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

(7) श्री रामस्वरूप मीणा एवं तीन अन्य सदस्य, विधान सभा की ओर से सिंचाई विभाग में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभियन्ताओं के साथ किये जा रहे कथित पक्षपातपूर्ण रवैये के संबंध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव के विषय पर सदन में चर्चा हो चुकी है अत: इस पर अनुमति देने में मैं असमर्थ हूं।

मुझे माननीय सदस्यों को अग्रेत्तर यह भी सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन

(श्री ग्रध्यक्ष)

प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त हुई है :—

(1) श्री शांतिकुमार धारीवाल, सदस्य, विधान सभा की ग्रोर से राज्य कर्मचारियों की भांति राजकीय उपक्रम विभागों में कार्यरत कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति ग्रायु 60 वर्ष करने में विसंगति होने के संबध में।

(2) श्री हरिसिंह (महुवा) एवं एक ग्रन्य सदस्य, विधान सभा की ग्रोर से गुर्जर छात्रावास, मोती डूंगरी, जयपुर को पड़ोस के भू-खण्ड से ग्रलग करने हेतु बनायी गयी दीवार से गुर्जर समाज में व्याप्त ग्रसंतोष के संबंध में।

(3) श्री रामस्वरूप मीणा एवं एक ग्रन्य सदस्य, विधान सभा की ग्रोर से जिला सवाईमाधोपुर में युवा कांग्रेस (इ) के ग्रध्यक्ष पर कथित प्राणघातक हमला होने से जनता में व्याप्त ग्राक्रोश के संबंध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव ग्रविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं हैं ग्रतः इन पर ग्रनुमति देने में ग्रसमर्थ हूं। प्रस्तावक माननीय सदस्यों को प्रस्ताव की विषयवस्तु पर दो-दो मिनट बोलने की ग्रनुमति होगी।

नियम 295 के ग्रन्तर्गत विशेष उल्लेख की सूचनाएं

(1) श्री उगमराज मेहता, सदस्य, विधान सभा की ग्रोर से ब्यावर को जिला बनाने के संबंध में।

(2) श्री मोहनलाल मोदी, सदस्य, विधान सभा की ग्रोर से नीमकाथाना के राजकीय सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य का स्थानान्तरण कर दिये जाने से विद्यालय की स्थिति खराब होने के सबंध में।

(3) श्रीमती इन्दिरा मायाराम, सदस्य, विधान सभा की ग्रोर से जयपुर के बगरू में उप तहसील कार्यालय खोलने के संबंध में।

(4) श्री भीमराज भाटी, सदस्य, विधान सभा की ग्रोर से पाली शहर में बरसात के पानी के निकास की उचित व्यवस्था करने के संबंध में।

(5) श्री रामेश्वर भारद्वाज, सदस्य, विधान सभा की ग्रोर से जयपुर में सुभाष नगर में दूध मण्डी को जमीन ग्रावंटित करने के संबंध में।

(6) डा0 जितेन्द्र सिंह, सदस्य, विधान सभा की ग्रोर से विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी की सड़कों की हालत जर्जर होने के संबंध में।

(7) श्री नारायण सिंह, सदस्य, विधान सभा की ग्रोर से विधान सभा क्षेत्र दांता-रामगढ़ के पंचायत मुख्यालय स्थित कतिपय प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने के संबंध में।

(80)

(श्री अध्यक्ष)

(8) श्री हरजीराम बुरडक, सदस्य, विधान सभा की ओर से लाडनूं के राजकीय अस्पताल में सांप काटने व कुत्ता काटने के इंजेक्शन उपलब्ध करवाने के संबंध में।

(9) श्री श्रवण कुमार, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र पिलानी के ग्राम पंचायत अडूका में विकास कार्यों में हुई अनियमितता के संबंध में।

(10) श्री खेतसिंह राठौड़, सदस्य, विधान सभा की ओर से निर्वाचन क्षेत्र शेरगढ़ की बालेसर उप तहसील को तहसील में क्रमोन्नत करने के संबंध में।

(11) श्री लक्ष्मण सिंह रावत, सदस्य, विधान सभा की ओर से राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग के कल्याणार्थ अलग से मंत्रालय एवं मंत्री नियुक्ति करने के संबंध में।

(12) श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास एवं श्री रामस्वरूप मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से जन सम्पर्क सेवा के अधिकारियों की वेतन विसंगति दूर करने के संबंध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गयी सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्रीमती कमला (बैराठ) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा दिया हुआ छूट गया इसमें आपने शामिल नहीं किया। मैं कल आपको आपके चेम्बर में देकर आयी थी।

श्री अध्यक्ष : कृपया विराजें। श्री शांतिकुमार धारीवाल।

श्री परसादीलाल मीणा : पाइन्ट ऑफ आर्डर।

श्री अध्यक्ष : पाइण्ट ऑफ आर्डर नहीं होता इस समय। (व्यवधान) सुनिये आप, पहले सुनिये, विराजें आप। जब आसन पैरों पर होता है, उस समय पाइण्ट ऑफ आर्डर नहीं होता है एक बात और जब शून्यकाल होता है, तब पाइण्ट ऑफ आर्डर नहीं होता है। श्री शैलेन्द्र जोशी। नहीं (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर (नसीराबाद) : शून्यकाल में तो पाइण्ट ऑफ आर्डर होता है। प्रश्नकाल में नहीं होता है।

श्री अध्यक्ष : श्री शांतिकुमार धारीवाल। मैं दूसरा नाम पुकारूं ?

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : आप देख लीजिए, रूल्स।

श्री जगदीप धनखड़ (किशनगढ़) : पाइण्ट ऑफ आर्डर यह है कि क्या पाइण्ट ऑफ आर्डर शून्यकाल में होता है ? अब यह देखो। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नहीं होता है, नहीं होता है।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम (सांगानेर) : अध्यक्ष महोदय, महिला के साथ जो किया गया उसके बारे में.... व्यवधान

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या शून्यकाल में पाइण्ट आफ आर्डर होता है, इस पर आप व्यवस्था दे दो।

श्री अध्यक्ष : मैंने व्यवस्था दे दी, पाइण्ट आफ आर्डर नहीं होता है। आप बिराज जाएं। श्री शांतिकुमार धारीवाल।

श्री परसादीलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर दूं।

श्री अध्यक्ष : थोड़ी देर बाद कर लेना आप। थोड़ी तसल्ली रखिये।

श्री परसादीलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : थोड़ा धैर्य रखिये। (व्यवधान) माननीय सदस्य, मैं भी बहुत धैर्य रखता हूं, आप भी थोड़ा धैर्य रखने का अभ्यास करिये। (व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, आज 8 दिन हो गये।

श्री अध्यक्ष : आप भी धैर्य रखने का अभ्यास शुरू करिये। कृपया बिराजें।

श्री परसादीलाल मीणा : तो फिर हम कब कहें आपको व्यवस्था के प्रश्न के लिये ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिये। मैं आपको समय दे दूंगा। इसके बाद समय दे दूंगा। देखिये, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मैं हाऊस को विधिवत् चलाना चाहता हूं, यह मेरी इच्छा है इसलिए मैं आपको समय दे दूंगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आप जिद नहीं करें।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा, इन्दिराजी का और कुछ माननीय सदस्यों का स्थगन प्रस्ताव था। मेरे निर्वाचन क्षेत्र के गांव पासूसर की एक महिला के साथ चूरू जिले की पुलिस, एस.पी. और डी.एस.पी. की मौजूदगी में वहां के पुलिस कोतवाल ने उनको ..

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये। श्री रामनारायणजी चौधरी साहब, आप मुझ से सम्पर्क कर लें। मैं व्यवस्था करूंगा उसकी। श्री शांतिकुमार जी धारीवाल।

श्री शांतिकुमार धारीवाल (हिण्डोली) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने यह एडजोर्नमेंट मोशन इसलिए दिया था कि मैं यह समझ कर चलता था कि इसमें करीब दो-तीन लाख व्यक्तियों को, जो कि पब्लिक अंडरटेकिंग्स में सर्विस में हैं, उन पर असर पड़ता है सरकार का ध्यान उस ओर आकर्षित करना है, क्योंकि सरकार की तरफ से ऐसी गलती रही है कि जिनकी अभी रिटायरिंग एज है, वह राज्य सरकार के द्वारा 58 से 60 कर दी गयी लेकिन वहां तक, उन पब्लिक अण्डरटेकिंग्स में वो आदेश नहीं पहुंचे हैं। मेरा निवेदन करना यह है कि आर.एस.आर. में अमेंडमेंट करके और नौकरीपेशा लोगों को राज्य सरकार ने जो 58 से 60 साल की उम्र रिटायरमेंट की की है, उसके बाबत जो क्रेश वायरलैस मैसेज रिले किया गया, और जिसमें यह लिखा गया, एंडोर्स किया गया सैक्रेटरीज

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

को, पब्लिक अण्डरटेकिंग्स ब्यूरो के सैक्रेटरी को भी यह एण्डोर्स किया गया लेकिन उसके बाद में भी यह लैप्स रही है कि यह करते वक्त भी स्टेट एण्टरप्राइजेज डिपार्टमेंट ने जो डायरेक्शंस इश्यू किये हैं, वे सारे के सारे अपनी पब्लिक अण्डरटेकिंग्स को इश्यू किये हैं लेकिन इश्यू करते वक्त उसमें यह लिख दिया कि आप फ्री हैं। फ्री की वजह से क्या हो रहा है, अध्यक्ष महोदय, कि जैसे आर.एस.ई.बी. है, रोडवेज है, उन्होंने तो अपने एम्प्लाइज के लिये डायरेक्शंस निकाल दिये कि साठ साल की एज होगी लेकिन कई ऐसे पब्लिक अण्डरटेकिंग्स की यूनिट्स रह गयीं, जहां पर इस तरीके के डायरेक्शंस आज तक भी नहीं निकले हैं।

मेरा आपके माध्यम से सरकार से यह निवेदन है कि गवर्नमेंट आफ इंडिया ने भी जब इस तरीके के डायरेक्शंस निकाले थे तो उन्होंने एक-एक पब्लिक अण्डरटेकिंग्स को भी यह डायरेक्शन साथ-साथ इश्यू किये थे, तो क्यों नहीं राज्य सरकार ने सारी की सारी जो पब्लिक अण्डरटेकिंग्स हैं, उनको यह लिखा कि अब रिटायरमेंट की एज 58 से 60 कर दी गयी है। यह विसंगतियां जो पैदा हुई हैं कि कुछ पब्लिक अण्डरटेकिंग्स ने तो आर्डर्स निकाल दिये और रीको वगैरह ने नहीं निकाले। आज उसकी वजह से दो-तीन लाख कर्मचारी जो हैं, वे अंधकारमय हैं। मेरा आपके माध्यम से सरकार से यह निवेदन है कि वह इस मामले को तुरन्त देखे और तुरन्त देखकर के वांछित आदेश जारी करे, ताकि कर्मचारियों का भविष्य सुरक्षित रह सके। वे कन्फ्यूजन में नहीं रहें और उनको इस बात का फायदा मिल पाए। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री हरिसिंह (महुवा)। गुर्जर छात्रावास, मोतीडूंगरी, जयपुर में पड़ौस के भू-खण्ड से अलग करने हेतु बनायी गयी दीवार (व्यवधान) .... यह कहीं भूल से तो नहीं आ गया आपका ?

श्री हरिसिंह (महुवा) : नहीं-नहीं। अध्यक्ष महोदय, यह गुर्जर छात्रावास विजय पथ, मोतीडूंगरी के पास स्थित है। इसको 145 में कुर्क करके पुलिस ने एस. डी. एम. साहब के यहां पेश किया है, इस्तगासा। पुलिस थानेदार, मोतीडूंगरी इसकी सुपुर्दगी में थे। उन्होंने यह आरोप लगाया कि इस छात्रावास की यह जो जमीन है, बगल वाला भू-खण्ड उसकी दीवारों को तोड़-फोड़ दिया है। एस.डी.एम. ने आदेश दिया कि इन दीवारों की मरम्मत कर दी जाए। वह मरम्मत करने के बदले वहां पर छह फीट लम्बी आर. सी सी. की एक दीवार खड़ी कर दी जबकि मरम्मत की बात थी और उसमें पुलिस वहां मौके पर पहुंची। 150-200 आदमी पहुंचे। बेगुनाह छात्रावास में रहने वाले छात्रों को गिरफ्तार किया गया। उन पर डंडे चलाये, ज्यादतियां कीं और उनको गिरफ्तार करके मालवीय नगर और दूसरे अन्य थानों में भेज दिया गया। इस प्रकार से पुलिस ने उन बच्चों के साथ में और भूतपूर्व विधायक जो कोटपूतली से आने वाले रामकरणसिंह जो थे, वे वहां मौजूद थे। बच्चों पर सरे आम डंडे चलाये और वहां पत्रकार मौजूद थे,

(श्री हरिसिंह)

मौके पर। डंडे बरसाती पुलिस के फोटो लिये गये। यह पुलिस की ज्यादती का बहुत बड़ा मामला है और पुलिस थानेदार ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर के थानेदार ने जो काम किया है, उसके खिलाफ जांच करवायी जाए। जबकि एस. डी. एम. का आर्डर, मान्यवर, यह था कि इस दीवार की मरम्मत करवायी जाए। उन्होंने उस आदेश के, अदालत के आदेश के बाहर जाकर के नई दीवार खड़ी कर दी। नई दीवार छह फुट की आर. सी. सी. खड़ी करने पर वहां रहने वाले कुछ एक-दो आदमियों ने उसका प्रतिरोध किया तो छात्रावास में अन्दर जाकर के लड़कों को पकड़ लिया। उनके साथ मार-पीट की, उनको गिरफ्तार किया और शाम तक जब तक वह दीवार नहीं बना दी, थानेदार ने बैठाये रखा। इस ज्यादती के खिलाफ, इस थानेदार के खिलाफ जो कुछ भी है, वह जांच की जानी चाहिये और पूर्व विधायक को जो गिरफ्तार किया है, इसकी जांच करके दोषी अधिकारियों को, जिन्होंने अधिकार क्षेत्र के बाहर जाकर के काम किया है, उसको दण्डित करने के लिये मैं आपसे अनुरोध करता हूं।

डा. जितेन्द्र सिंह (खेतड़ी) : अध्यक्ष महोदय, मेरा यह कहना है....

श्री अध्यक्ष : श्री रामस्वरूप मीणा। श्री रामस्वरूप मीणा।

डा. जितेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, इसी मामले की बात है....

श्री अध्यक्ष : इसमें आपका नाम नहीं है, माननीय सदस्य।

श्री महेन्द्र कुमार मीणा (सिकराय) : माननीय अध्यक्ष महोदय, गुर्जर छात्रावास में जो.... (व्यवधान)

डा. जितेन्द्र सिंह : यह बहुत गम्भीर मामला है। (व्यवधान)

श्री रामचन्द्र रावत (कोटपूतली) : बहुत गम्भीर है, ऐसे मामले की. (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कितना भी गम्भीर हो (व्यवधान) नियमों की पालना करनी चाहिये आपको। आप बिराज जाएं। आप बिराजिये। कृपया, माननीय सदस्य, आप बिराज जाएं। (व्यवधान)

डा. जितेन्द्र सिंह : बहुत गम्भीर है।

श्री अध्यक्ष : इसमें आपका नाम नहीं है, माननीय सदस्य। कृपया, आसन पैरों पर है। आपसे निवेदन कर रहा हूं, इसमें आपका नाम नहीं है। कृपया माननीय सदस्य, बिराजिये। श्री रामस्वरूपजी।

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्रीजी का ध्यान जिला सवाईमाधोपुर की युवा कांग्रेस (आई) के अध्यक्ष श्री विनोद जैन पर प्राणघातक हमले की ओर दिलाना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, 26-6-1998 को सायंकाल 4.00 बजे हमारे जिला युवा कांग्रेस (आई) के अध्यक्ष विनोद जैन

(84)

(श्री रामस्वरूप मीणा)

बजरिया में जिला कार्यालय की तरफ जा रहे थे। उन पर, 27-6-1998 को भी 6.00 बजे जिला अध्यक्ष के खुद के घर पर जाकर के उन पर प्राणघातक हमला किया था। यह कार्यवाही इसलिए की गयी थी उन्होंने अपने ही सवाईमाधोपुर की बजरिया के अन्तर्गत जुआओं के सट्टे खेलने वाले, बदमाश गुण्डागर्दी करने वाले, जिनके खिलाफ आपकी रिपोर्ट में ही यह बताया गया है कि उक्त 16-7-1998 को उनको गिरफ्तार किया गया और मुल्जिमों को न्यायिक हिरासत में भेजने का विचार किया जा रहा है एवं उनके ऊपर 26-6-1998 तक पिछले ग्यारह और मुकदमें हैं, जिनमें कुछ का चालान हो गया और कुछ में चालान होना शेष है, बाकी है। तो मेरा माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह निवेदन है (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मैं प्रेम में इतना विभोर हो रहा हूं, खुशी में मुझे ध्यान ही नहीं रहा इसलिए मुझ से ऐसा कहने में आ गया। मुझे बड़ी खुशी है कि साहब आपका

श्री अध्यक्ष : इनको हमेशा सही बोलने की आदत नहीं है न।

श्री रामस्वरूप मीणा : हां, निर्विरोध हुए, निर्विरोध होने की बड़ी खुशी है आज। इसलिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मन्त्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार लगातार दो बार उसके ऊपर जो प्राणघातक हमले हुए, जिसके तहत मुकदमा भी दर्ज हुआ। अभियोग संख्या 272/98, धारा 405, 323 और दूसरा मुकदमा जो दर्ज हुआ 273/98, धारा 353, 332, 307, 34 भारतीय दण्ड संहिता, कोतवाली, सवाईमाधोपुर में दर्ज हुए। यह दोनों प्रकरण जो आपके दर्ज हुए हैं, यह दोनों प्रकरण ही प्राणघातक हमले के हैं।

इसके साथ-साथ एक प्रकरण और आपके यहां दर्ज हुआ है। जिसके अन्दर उन बदमाशों ने उसके ऊपर जो प्राणघातक हमला किया है, आपकी पुलिस जब उनको पकड़ने के लिये गयी थी तो पुलिस के ऊपर भी प्राणघातक हमला उन्होंने किया था। यह बात बिलकुल सही है कि जो व्यक्ति इतने आदतन अपराधी हैं, जिन्होंने पुलिस के साथ भी इतना बड़ा दुर्व्यवहार किया हो, पुलिस को मारने के लिये जो तैयार हो गये हों, ऐसे बदमाश खुले आम बाजारों के अन्दर घूमते रहे और एक शरीफ आदमी, जिला युवा कांग्रेस (आई) का अध्यक्ष जिसको सारे लोगों ने सर्व-सम्मति से बनाया था जो अपने लोगों की भलाई के लिए, वहां की समस्याओं के लिए हमेशा जो जूझता रहा है। हमेशा जन समस्याओं को उठाता रहा है। हमेशा इन बातों के लिए अपने प्राणों की बाजी लगाकर भी लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, ऐसा सर्वश्रेष्ठ हमारा यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष विनोद जैन, उसके ऊपर कुछ बदमाश लोग, जो सट्टे चलाते हों, बदमाशी करते हों, 11 केसेज उनके खिलाफ हो चुके हों और ऐसे बदमाश सरे आम घूमते रहें और पुलिस पर हमला करने के बावजूद माननीय गृह मंत्रीजी, आज तक पुलिस ने उनके खिलाफ कोई

(श्री रामस्वरूप मीणा)

कार्यवाही नहीं की। यह बड़े दुःख की बात है। ग्रापके पास भी उनका पत्र ग्राया था। ग्रापसे भी हमने उस समय शिकायत की थी कि इन बदमाशों को तुरन्त गिरफ्तार करवाइये। लेकिन उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। उसका परिणाम फिर दुबारा होगा।

श्री ग्रध्यक्ष : ग्रब ग्राप समाप्त करें। समाप्त करें।

श्री रामस्वरूप मीणा : फिर उन्होंने प्राणघातक हमला किया। इसलिए माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, मैं ग्रापके माध्यम से गृह मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि चाहे हमारा यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष हो या ग्रापका ग्रध्यक्ष हो, ग्रगर ऐसे भले ग्रादमियों के साथ इस प्रकार का व्यवहार गुंडे तत्व करते रहे तो ग्रागे कोई भी इतने श्रेष्ठ पदों पर ग्राने के लिए तैयार नहीं होगा। इसलिए ऐसे भले ग्रादमी, जिसने जनहित में कष्ट सहन किया है, मरा है, पिटा है, कुटा है, क्या कार्यवाही कर रहे हैं ग्राप? क्या मुलजिमों को पकड़वाएंगे ग्राप या इसी प्रकार मुलजिम सरे ग्राम घूमते रहेंगे।

श्री ग्रध्यक्ष : ग्रब ग्राप बिराज जाएं। कृपया बिराजें।

श्री रामस्वरूप मीणा : क्या उनके खिलाफ चालान पेश किया जाएगा?

श्री ग्रध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बिराजें।

श्री रामस्वरूप मीणा : मेरा निवेदन है माननीय गृह मंत्रीजी से (व्यवधान)

श्री ग्रध्यक्ष : 295. माननीय उगमराज मेहता।

श्री रामस्वरूप मीणा : गृह मंत्रीजी, आप उनको पकड़वाएंगे कि नहीं पकड़वाएंगे? यह जिला युवा कांग्रेस (इ) का जो ग्रध्यक्ष है, इसको ऐसे ही पिटाते रहोगे क्या? कोई जबाव ही नहीं दिया गृह मंत्रीजी ने। इससे बुरी बात क्या होगी? ग्राज ग्राप प्रथम बार ग्रध्यक्ष बने हैं..

श्री ग्रध्यक्ष : बिराजें। ग्रापने सरकार का ध्यान ग्राकर्षित कर लिया। ग्रब आप बैठ जाइए।

श्री रामस्वरूप मीणा : यह प्रथम स्थगन है, आपके ग्रध्यक्ष बनने के बाद।

श्री ग्रध्यक्ष : कृपया माननीय सदस्य। कृपया। मैं तो वही हूं जो कल था। बिराजें ग्राप। श्री उगमराज मेहता।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

ब्यावर को जिला बनाने की घोषणा

श्री उगमराज मेहता (ब्यावर): निवेदन है कि ब्यावर की जनता निरन्तर यह मांग करती ग्रा रही है कि ब्यावर में समुचित भौगोलिक स्थिति व समस्त सुविधाएं उपलब्ध होने के कारण ब्यावर को जिला घोषित किया जावे। श्रीमान्, समय-

(श्री उगमराज मेहता)

समय पर इस बाबत माननीय मुख्य मंत्री महोदय का ध्यान सदन में भी आकर्षित किया जाता रहा है। लेकिन अभी तक इसकी घोषणा नहीं होने से जनता में काफी आक्रोश व असन्तोष व्याप्त होता जा रहा है। इस सम्बन्ध में उप मुख्य मंत्री महोदय ने अपने बजट भाषण में प्रशासनिक दृष्टि से जिला बनाने हेतु आयोग के गठन की बात कही है। ब्यावर के लिए आयोग की कोई जरूरत नहीं है। आलरेडी इसको जिला बनाने के लिए 1995 में गठित भनोत समिति ने अपनी रिपोर्ट में यह सिफारिश की थी कि करौली, ब्यावर व प्रतापगढ़ को जिला बनाया जावे। जब कि करौली को जिला बना दिया गया है, किन्तु ब्यावर पर अब तक विचार नहीं किया गया है। वर्तमान में ब्यावर के निवासी इस बात से पूर्ण रूप से आशान्वित हैं कि ब्यावर को यथाशीघ्र जिला घोषित कर दिया जावेगा।

श्रीमन्, ब्यावर में तीन बड़ी मिलें स्थापित हैं और एशिया का सबसे बड़ा सीमेंट कारखाना स्थापित है, जहां कि काफी श्रमिकों को रोजगार मुहैया हो रहा है। यही नहीं, श्रीमन्, ब्यावर की आबादी को दृष्टिगत रखते हुए वहां 35 पंचायतें हैं, जैसे मसूदा, पीसांगन, तहसील, दुरड़ा, भीम की जनता ब्यावर में मिलने को तैयार है। जिससे यह भी स्पष्ट हो रहा है कि ब्यावर को जिला घोषित किया जाना चाहिए।

श्रीमन्, ब्यावर में खनिज कार्य, सीमेंट के बड़े व लघु उद्योग, बालकों/बालिकाओं का महाविद्यालय, पांच सीनियर सैकण्डरी स्कूल, दो बालिकाओं के सीनियर सैकण्डरी स्कूल हैं। यही नहीं, श्रीमन्, ब्यावर में काफी अन्य व्यवसायिक केन्द्र भी हैं। मुख्य रूप मे रूई की सबसे बड़ी मण्डी व 'अ' क्लास कृषि मण्डी भी है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार के विभिन्न कार्यालय भी वर्तमान में ब्यावर में ही कार्यरत हैं। ब्यावर क्षेत्र की गत तीन वर्षों की वार्षिक आय लगभग 14,948.49 लाख रुपये है, जिसमें वर्ष 1995-96 की आय राशि 3960.52 लाख, वर्ष 1996-97 की 5453.43 लाख तथा वर्ष 1997-98 की आय 5534.54 लाख रुपये है।

अतः आपसे भी पूर्ण अपेक्षा है कि आप कृपया आज ही सदन में ब्यावर को जिला घोषित कराने की घोषणा करें ताकि ब्यावर की जनता, जो काफी लम्बे समय से जिले की मांग कर रही है, उसकी पूर्ति हो सके और जनता को छोटे–छोटे रोजमर्रा के कार्य के लिए अजमेर नहीं जाना पड़े।

आशा है आप जनता की आवाज को सर्वोपरि समझकर आज ही ब्यावर को जिला बनाने की घोषणा करेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री मोहनलाल मोदी।

नीमकाथाना के राजकीय सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य का स्थानान्तरण

श्री मोहनलाल मोदी (नीमकाथाना) : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के तहत मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना

(श्री मोहनलाल मोदी)

चाहूंगा । राजकीय सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय नीमकाथाना में श्री बनवारीलाल जाट, प्रधानाचार्य के पद पर 27-11-97 को कार्य ग्रहण किया था। इनकी इस अल्पावधि में सबसे पहले शाला को एक पारी में चलाना, ट्यूशन पर पाबन्दी लगाकर शैक्षिक माहौल बनाना, छात्रों में अनुशासन पैदा करना, विज्ञान संकाय का परीक्षा परिणाम 45 प्रतिशत से बढ़ाकर 65 प्रतिशत करना । श्री बनवारीलाल जाट इससे पूर्व माध्यमिक विद्यालय, कोटड़ा में कार्यरत थे, जहां का परीक्षा परिणाम शत-प्रतिशत रहता था। इस पर इनको राजस्थान सरकार से इनकी प्रशंसनीय राज्य सेवा एवं कुशल कार्य निष्पादन की सराहना में योग्यता प्रमाण-पत्र 15 अगस्त, 1997 को प्रदान किया गया है।

राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान (नीपा), नई दिल्ली ने 1995 में राजस्थान के बीस विद्यालयों को सर्वश्रेष्ठ विद्यालयों के रूप में चिन्हित किया था। इन बीस विद्यालयों में एक मात्र राजकीय विद्यालय था, राजकीय माध्यमिक विद्यालय, कोटड़ा (सीकर) था जहाँ यह प्रधानाध्यापक थे। बाकी 19 अराजकीय विद्यालय थे। बनवारीलाल प्राचार्य ने अपने अथक परिश्रम से विद्यालय का कायाकल्प कर दिया। अध्यापकों को समय पर आने की पाबन्दी लगा दी। इससे कुछ अध्यापक नाराज थे और इनका स्थानान्तरण करा दिया।

मैं आपसे स्थानान्तरण कैंसिल करने की मांग नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ आपके ध्यान में यह लाना चाहता हूं कि इस विद्यालय की स्थिति, जो अच्छी हुई है, वह खराब हो जाएगी। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजें। श्रीमती इन्दिरा मायाराम। बिराजें। कृपया रूल 295 में यही होता है, अब तक आपने पढ़ दिया। आगे अब आप जो कह रहे हैं, वह इसमें कवर नहीं हो पाएगा। बिराजें।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम (सांगानेर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले तो मैं आपको बधाई देती हूं कि आज आप पूर्ण रूप से अध्यक्ष बनकर कुर्सी पर सर्वसम्मति से बैठे हो। आप हमारे सबके वोटों से अध्यक्ष बनकर बैठे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : वह लिखा ही पढ़ें।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : लिखा हुआ ही मुझे याद है, वही पढ़ रही हूं जो लिखा हुआ है।

श्री अध्यक्ष : वही पढ़िए। हां वही पढ़िए।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : हूबहू याद है मुझे। आप भले ही पढ़कर देख लें जो मैं बोलती जाऊं। आप देख लें।

श्री अध्यक्ष : ठीक है। पढ़िए।

(88)

बगरु (जयपुर) में उप तहसील कार्यालय

श्रीमती इन्दिरा मायाराम (सांगानेर) : अध्यक्ष महोदय, विधान सभा की प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत बगरू नगर को उप-तहसील बनाने के सम्बन्ध में विशेष उल्लेख के जरिये निवेदन करना चाहती हूं।

अध्यक्ष महोदय; बगरू जो सांगानेर निर्वाचन क्षेत्र में आता है, इस निर्वाचन क्षेत्र का सबसे बड़ा नगर है। इसे उप तहसील बनाया जाना बहुत आवश्यक है क्योंकि यह जयपुर तथा सांगानेर तहसील से 35 किलोमीटर की दूरी पर है और इस कस्बे के आस-पास महापुरा, नरसिंहपुरा, भम्बोरिया, देवलिया, कलवाड़ा, भूकराव-पुरा, दहमीकला आदि पंचायतें जुड़ी हुई हैं जिनके निवासियों को सांगानेर तहसील में अपने कार्य के लिए आना-जाना पड़ता है, जो काफी कठिन है, क्योंकि गरीब किसानों को 30-35 किलोमीटर दूर से आना पड़ता है जिसके कारण पैसा भी अधिक लगता है और समय भी अधिक खर्च होता है।

अतः इस प्रस्ताव के माध्यम से मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहती हूं कि किसानों की परेशानी को मध्यनजर रखते हुए बगरू नगर को शीघ्र ही उप तहसील बनाने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष : श्री भीमराज भाटी।

पाली शहर में बरसात के पानी के निकास की व्यवस्था

श्री भीमराज भाटी (पाली) : अध्यक्ष महोदय, आपके बहुत-बहुत बधाई के साथ मैं आपके माध्यम से जनस्वास्थ्य अभियांत्रिक मंत्रीजी का ध्यान नियम 295 के तहत आकर्षित करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, पाली शहर में प्रतिवर्ष बारिश के मौसम में जवाई नहर एवं पाली शहर में बने गंदे नालों की वजह से शहर की आदर्श नगर, पंकेज कालोनी, ग्रीन पार्क, जनता कालोनी आदि नीचली बस्तियों में पानी भर जाता है। कई-कई दिनों तक इन इलाकों में बरसाती पानी का जमाव रहता है जिसकी वजह से भारी बदबू आती है एवं मच्छर पैदा होने की वजह से कई मौसमी बीमारियां फैलती हैं।

इसी प्रकार रामदेव रोड पर ट्रक की नाड़ी की सफाई व नाला बनाकर गंदे पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं होने की वजह से दुर्गा कालोनी, रामरहीम नगर, गरीब नवाज कालोनी, अम्बेडकर नगर आदि विभिन्न गरीब, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की बस्तियों में भारी तबाही प्रतिवर्ष होती है। लोढ़िया तालाब के ओवरफ्लो के पानी का पांच मौके के पुलिया के पास व्यवस्थित निकासी का प्रबन्ध नहीं होने की वजह से कर्णसिंह की बाली, सर्वोदय नगर आदि इलाकों में बरसात का पानी इन गरीब लोगों के घरों में घुस कर भारी तबाही मचा देता है जिसकी वजह से सारा जनजीवन अस्त-व्यस्त हो जाता है। इस बारे में कई बार पाली शहर की जनता द्वारा मांग उठायी गयी है कि इस समस्या का पूर्णकालीन निदान होना चाहिये किन्तु नगर परिषद्;

(श्री भीमराज भाटी)

पाली द्वारा शहर के पानी की ड्रेनेज व सीवरेज की योजना नहीं बनायी जा रही है। जनस्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग द्वारा जवाई नहर की मरम्मत बाबत प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति क्रमांक 880 दिनांक 5-5-1997 भी जारी की गई है, किन्तु अत्यन्त खेद के साथ अवगत कराना पड़ रहा है कि विभाग द्वारा जवाई नहर की मरम्मत बाबत अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है और मरम्मत के लिए धन उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है जिसकी वजह से पाली शहर के निवासियों को इस तरह की समस्याओं से रूबरू होना पड़ रहा है एवं इन क्षेत्रों के लोगों में त्राहि-त्राहि मची हुई है। किन्तु राज्य सरकार द्वारा इस गम्भीर मुद्दे पर कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है जो कि अत्यन्त चिन्ता-जनक विषय है। इस क्षेत्र के लोगों को जानमाल का भारी खतरा बना हुआ है। राज्य सरकार वित्तीय संसाधन अविलम्ब उपलब्ध करवाए।

वर्तमान में भी बारिश का मौसम है एवं प्रतिवर्ष पाली शहर में अन्य शहरों की भांति बाढ़ से तबाही मचने की पूर्ण सम्भावना है। यह अत्यन्त ही लोकमहत्व का गम्भीर मामला है क्योंकि इससे पाली शहर की गरीब जनता का भविष्य जुड़ा हुआ है। इस बारे में मैं राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री रामेश्वर भारद्वाज।

जयपुर के सुभाष नगर में दूध मण्डी हेतु भू-आवंटन

श्री रामेश्वर भारद्वाज (किशनपोल) : अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत सुभाष नगर, जयपुर में दूध मण्डी की जमीन के आवंटन के सम्बन्ध में माननीय स्वायत्त शासन मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, जयपुर शहर को ताजा एवं शुद्ध दूध उपलब्ध कराने तथा गांव के किसान अपनी रोजी कमाने के उद्देश्य से आस–पास के 250 गांवों से 2500 के लगभग किसान तीन लाख लहटर के लगभग दूध उपलब्ध कराकर दूध वितरण का कार्य कर रहे हैं। वर्तमान में सभी दूध वितरण-कर्ताओं ने अपना एक संगठन "दूध वितरक कल्याण संघ" के नाम से रजिस्टर्ड करवा लिया है।

अध्यक्ष महोदय, पहले यह दूध मंडी चांदपोल दरवाजे के बाहर चलती थी। शहर में यातायात बढ़ने के कारण दूध वितरकों को झोटवाड़ा रोड पैट्रोल पम्प के पास, बाद में नाहरी का नाका, सिन्धु नगर कालोनी में तथा वहां से इन्हें झोटवाड़ा रोड पर श्मशान के बाहर बैठा दिया गया। वहां पर बाहर से दूध लाने वाले वाहनों के कारण यातायात की दृष्टि से कठिनाई हुई तब मेरे आग्रह पर माननीय मंत्री महोदय ने इन दूध वितरकों को सुभाष नगर की खाली जगह पर बैठाया। उस समय यह बात भी ध्यान में आयी थी कि अम्बाबाड़ी में बैठा दिया जाए। तब एक कठिनाई सभी के सामने आयी कि यह

(श्री रामेश्वर भारद्वाज)

स्थान शहर से बहुत दूर हो जाएगा तो शहर के निवासियों, खासकर महिला एवं बच्चों को इतनी दूर जाने में अत्यन्त कठिनाई का सामना करना पड़ेगा एवं दूध लेने से वंचित रहना पड़ेगा। इतने सोच-विचार के पश्चात यह उचित निर्णय लिया गया था। तब से यह दूध मंडी अपना कार्य कर रही है जबकि वहां पूरी सुविधाएं इनको नहीं मिल पाती हैं। जब तक भूमि का आवंटन नहीं हो जाता है तब तक यह मंडी सभी सुविधाएं प्राप्त नहीं कर सकेगी। वहां छाया, पानी तथा अन्य सब सुविधाओं का होना नितान्त आवश्यक है।

अध्यक्ष महोदय, वहां पर इतने लम्बे समय से दूध मण्डी चल रही है, नगर निगम या जयपुर विकास प्राधिकरण को, जिनके भी, अधिकार में आती है, इसके लिए भूमि आवंटन कर देना चाहिये था, पता नहीं किन कारणों से नहीं किया गया, माननीय मंत्री महोदय को इसे देखना चाहिये।

इस दूध मंडी के प्रकरण के लम्बित रहने के कारण एक नयी समस्या खड़ी हुई। 1994 में किसी सोहनलाल पुत्र श्री नानुलाल नाम के व्यक्ति ने एक मुकदमा नगर निगम एवं जयपुर विकास प्राधिकरण पर किया है। इस दूध मंडी के सदस्यों को परेशान किया जा रहा है। यदि यह जमीन किसी व्यक्ति विशेष की है या थी तो वहां दूध वितरकों को क्यों बैठाया गया ? और यदि यह भूमि सरकार की है तो विभाग को तत्परता से न्यायालय में पैरवी कर इसे मुक्त कराकर विधिवत आवंटन दूध मंडी के हित में किया जाना चाहिये।

इसलिए मैं माननीय स्वायत्त शासन मंत्रीजी से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि नगर निगम तथा जयपुर विकास प्राधिकरण, जिसके भी अधिकार में यह भूमि है, जिस व्यक्ति ने इसे अपनी बताकर न्यायालय में मुकदमा दायर किया है अपने पक्ष को दृढ़ता से रखकर न्याय प्राप्त कर अतिमहत्व की इस दूध मण्डी की योजना को शीघ्र भूमि आवंटन करावें ताकि मण्डी संगठन आपकी कल्पनानुसार आदर्श मण्डी बनाकर दूध क्रेताओं की आवश्यकता को पूरा करने का अपना दायित्व निभा सके। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि यह कब तक पूरा कर देंगे ? यह बताने की कृपा करें।

श्री भंवरलाल शर्मा (स्वायत्त शासन मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो बात रखी है, मैं भी इस समस्या से परिचित हूं और मैं उनकी बात से सहमत हूं लेकिन किसी एक व्यक्ति ने इस भूखण्ड को लेकर न्यायालय में कोई मुकदमा कर रखा है। उसकी वर्तमान में क्या स्थिति है, यह तो मुझे जानकारी नहीं है लेकिन ठीक है, इसमें जल्दी से जल्दी पैरवी करके पूरा करा कर निर्णय के बाद ही कार्यवाही करेंगे।

श्री अध्यक्ष : डा. जितेन्द्र सिंह।

खेतड़ी की सड़कों की दयनीय स्थिति

डा. जितेन्द्र सिंह (खेतड़ी) : अध्यक्ष महोदय, विधान सभा की प्रक्रिया संचालन सम्बन्धी नियम 295 के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र, खेतड़ी की सड़कों की हालत जर्जर होने तथा अधिक आबादी वाले ग्रामों को सड़क से नहीं जोड़ने से उत्पन्न स्थिति पर विशेष उल्लेख के जरिये निवेदन करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र की कई सड़कों की स्थिति दयनीय तथा जर्जर है। माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी ने सदन में यह कहा था कि सड़कों के गड्डे मेरे दिल के फफोले हैं। मैं उनको यह फफोले इन सड़कों की दुर्दशा व जर्जर स्थिति होने के कारण याद दिलाता हूं।

अध्यक्ष महोदय, जिन सड़कों की स्थिति जर्जर व क्षतिग्रस्त है उनकी सूची निम्न प्रकार है, उक्त सड़कें 10 वर्ष पूर्व बनायी गयी थीं :—

(1) खेतड़ी नगर से शिमला

(2) खेतड़ी, बसई, निजामपुर स्टेट हाइवे

(3) सिगाना से तातिजा, माणुता, जाटान

(4) बबई से सेफरागवार

(5) खेतड़ी से जसरापुर लोयल

(6) बबई से माधोगढ़

(7) सिहोड़ से मेहाड़ा

इन सड़कों की स्थिति इतनी दयनीय हो गयी है कि लोगों का आना-जाना भी दुश्वार हो रहा है। बीच-बीच में काफी खड्डे हो गये हैं किंतु इनकी सार-सम्भाल करने वाला कोई नहीं है। सड़कें खराब होने से आवागमन पर भी काफी प्रभाव पड़ रहा है।

साथ ही नीचे वर्णित ग्राम ऐसे हैं जो पंचायत मुख्यालय हैं और इनकी आबादी 2000 से अधिक होने के बावजूद भी अभी तक सड़कों से नहीं जोड़ा गया है और यदि जोड़ भी दिया गया है तो ऐसी सड़कें अपूर्ण हैं जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे गामों की सूची नीचे वर्णित है :—

(1) बड़ऊ से श्री कृष्ण नगर (कुम्हारों की ढाणी)

(2) करमाड़ी (पपूरना) से संजयनगर

(3) दलेलपुरा से सेफरागवार

(4) कालोटा से रसूलपुर

(5) नंगली से बिलवा चौराहा

(6) निजामपुर से बांसीवाल

इसके अतिरिक्त मेहाड़ा जाटवा से शिमला सड़क पर मोड़ी बांध का वर्षा में लगभग 8 फुट पानी भर जाने से आस-पास की लगभग 12 पंचायतें सम्पर्क से टूट गयीं और यातायात अवरुद्ध हो गया।

(डा. जितेन्द्र सिंह)

अतः यहां पर पुल का निर्माण शीघ्र किया जावे ।

हेराला बांध के कारण पूपरना पंचायत का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है जिससे लोगों को काफी समय से आने-जाने की समस्या हो रही है । यदि यहां पर भी एक पुल का निर्माण करा दिया जाता है तो ग्रामवासियों के हित में होगा ।

बाडलवास व माणोता कलां की सड़कें भी वर्षा के पानी से डूब जाती हैं । अतः यहां पर भी पुल का निर्माण नितांत आवश्यक है ।

नीमकाथाना सिंहोड स्टेट हाइवे पर भी पुल नहीं होने से वर्षा ऋतु के दौरान आवागमन में काफी परेशानी होती है और लोगों को काफी देर तक पानी उतरने का इन्तजार करना पड़ता है ।

इसी प्रकार सार्वजनिक निर्माण विभाग खेतड़ी के अंतर्गत सिंघाणा, तातीया, देवता व माणोता को रखा जावे ताकि इन सड़कों का रख-रखाव ठीक प्रकार से रह सके ।

अतः इस प्रस्ताव के माध्यम से मैं माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित कर निवेदन करना चाहता हूं कि क्षतिग्रस्त सड़कों को शीघ्र मरम्मत करायें तथा जो अपूर्ण सड़कें हैं इनको भी शीघ्र पूर्ण कराते हुए वर्षा ऋतु में सड़कों पर अत्यधिक पानी जाता है ऐसी जगहों पर पुलियाओं का निर्माण भी शीघ्र कराने का श्रम करें ।

श्री अध्यक्ष : श्री नारायण सिंहजी ।

दांतारामगढ के प्राथमिक विद्यालयों के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रमोन्नति

श्री नारायण सिंह (दांतारामगढ़) : अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत माननीय शिक्षा मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ।

मेरे विधान सभा क्षेत्र दांतारामगढ़ (सीकर) में निम्नलिखित पंचायत मुख्यालयों के प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने का कष्ट करें :–

(1) लढ़ाना पंचायत समिति पिपराली

(2) धोलासरी पंचायत समिति दांतारामगढ़

(3) चैनपुरा पंचायत समिति दांता–रामगढ़

राज्य सरकार की नीति के अनुसार पंचायत मुख्यालयों पर उच्च प्राथमिक विद्यालय होना आवश्यक है ।

उपरोक्त पंचायत मुख्यालयों के 5 किलोमीटर की दूरी में कोई उच्च प्राथमिक विद्यालय नहीं है छोटे-छोटे बच्चों की इतनी दूरी पर जाने के कारण परेशानी तो होती है गरीब लोगों के बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाते हैं ।

अतः ऐसी स्थिति में राज्य सरकार

(श्री नारायण सिंह)

इसी सत्र में उपरोक्त प्राथमिक शालाओं को उच्च प्राथमिक शाला में क्रमोन्नत करने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष : श्री हरजीराम बुरड़क।

लाडनूं के राजकीय अस्पताल में सांप एवं कुत्ते काटने के इंजेक्शन उपलब्ध करवाया जाना

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं नियम 295 के तहत आपके माध्यम से माननीय चिकित्सा मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

राज्य सरकार द्वारा ऐसी व्यवस्था की गयी है कि अस्पतालों में दवाइयों की खरीद के लिए राशि उपलब्ध करायी है ताकि अस्पताल के इन्चार्ज आवश्यक दवाएं खरीद सकें ताकि गरीब मरीजों को तत्काल राहत मिल सके, परन्तु लाडनूं के राजकीय अस्पताल में चालू वर्ष और पिछले दो वर्ष में आवश्यक दवाएं नहीं खरीदी गयी हैं। यदि खरीदी गयी हैं तो वही दवाइयां खरीदी गयी हैं जिनमें अधिक कमीशन मिला वो ही दवाइयां खरीदी गयी हैं।

आवश्यक दवाइयों में सांप काटने व पागल कुत्ते को काटने के इंजेक्शन दो वर्ष से अस्पताल लाडनूं में नहीं खरीदे गये हैं और गरीब मरीजों को यह मंहगी दवाइयां बाजार से खरीदनी पड़ती हैं जबकि राज्य सरकार ने यह व्यवस्था अस्पताल स्तर पर दवाइयां खरीदने की व्यवस्था की थी ताकि गरीबों को तत्काल राहत पहुंचायी जा सके।

अब फिर बरसात का मौसम आ गया। सांप काटने की घटना ज्यादा होंगी और ये घटनाएं भी गरीबों के साथ ही होती हैं, क्योंकि उनको खेतों में काम करने व पशु चराने के लिए जंगल में जाना पड़ता है।

अतः इस सदन के द्वारा माननीय चिकित्सा मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि उपरोक्त दवाइयों की व्यवस्था लाडनूं अस्पताल में तुरन्त करावें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (राज्य मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहता हूं कि सरकारी चिकित्सालयों को सारी दवाइयां उपलब्ध हो जाएं, यह संभव नहीं है लेकिन फिर भी एक एप्रूव्ड लिस्ट बनी हुई है और इस एप्रूव्ड लिस्ट को यहां के विशेषज्ञ लोग बैठकर, कौनसी-कौनसी ऐसी आधारभूत दवाइयां हैं जो जीवन रक्षा के लिए रोज बीमारियों के लिए काम आती हैं उनके टैण्डर यहां से होते हैं। उसके बाद संबंधित चिकित्सालय को हम बजट दे देते हैं। वह अपनी आवश्यकता के अनुसार उनको खरीदते जाते हैं। आपने जिस इंजेक्शन की बात की है। यह एन्टी रेबीज वैक्सीन है। यह इंजेक्शन भारत सरकार द्वारा एक फैक्ट्री है जो कसौली में स्थित है वह बनाती है और वहां से सीधे ही संबंधित चिकित्सालय प्रभारी मंगवाते हैं। फिर

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

श्री माननीय सदस्य ने चिन्ता व्यक्त की है इसलिए मैं लाडनूं चिकित्सालय में पिछले वर्ष कितना बजट दवाइयों के लिए आवंटित किया गया, कौन-कौनसी दवाइयां खरीदी गयीं। आपने जो कमीशन लेने देने की बात कही है, अगर कंक्रीट कोई बात आपके पास हो, तो उसकी भी मैं जांच करवा लूंगा और कुत्ते काटने और सांप काटने के इंजेक्शन उपलब्ध हो जाएं, इसकी सुनिश्चितता निश्चित तौर पर हो जाएगी।

श्री अध्यक्ष : श्री श्रवण कुमार।

पिलानी के ग्राम अड़ूका में विकास कार्यों में की गयी अनियमितता

श्री श्रवण कुमार (पिलानी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, नियम 295 के तहत मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

मैं आपका ध्यान मेरे विधान सभा क्षेत्र पिलानी के ग्राम पंचायत अड़ूका में हुए गबन की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

मान्यवर, सरकार की ओर से ग्राम पंचायत अड़ूका के नाम विकास के कार्य (मिट्टी भराई हेतु) के मद में रुपये 18,000/- स्वीकृत किये गये थे। इस राशि का सही सदुपयोग नहीं होने के कारण शिकायत पर जांच करवाई गयी जिसमें वास्तव में यह स्वीकृत राशि निर्धारित उद्देश्य हेतु प्रयोग में नहीं लायी गयी जिसका दुरुपयोग किया गया जिसके फलस्वरूप वहां की सरपंच श्रीमती पतासी देवी को राज्य सरकार द्वारा पदमुक्त कर दिया गया था। राज्य सरकार द्वारा उनसे दण्डनीय राशि भी वसूल की गयी तथा तदुपरान्त उन्हें पुनः बहाल किया गया।

मेरा आपसे इस सदन के माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि सरपंच को दोषी ठहराया जा चुका है तो पुनः उन्हें पदभार क्यों संभलाया गया है तथा उन्हें सजा क्यों नहीं दी गई।

अतः उन्हें पदमुक्त कर पुनः अन्य को पदभार देने की स्वीकृति प्रदान करें।

श्री अध्यक्ष : श्री खेतसिंह राठौड़।

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं पढ़ तो दूंगा लेकिन मंत्री महोदय यहां उपस्थित नहीं हैं। यहां जो मंत्री थे उन्होंने फौरन जवाब दे दिया और इनकी प्रोब्लम का सोल्युशन हो गया। राजस्व मंत्रीजी चेम्बर में बैठे हैं वो अगर यहां पधार कर सुन लेते....

श्री अध्यक्ष : आपकी प्रोब्लम बहुत लम्बी है इसलिए वे यकायक जवाब नहीं दे पाएंगे। काफी लम्बी है।

श्री रामनारायण चौधरी : कुछ तो दे सकते हैं।

शेरगढ़ की बालेसर उप तहसील को तहसील में क्रमोन्नति

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : बहुत मामूली सा मामला है ज्यादा गम्भीर नहीं है अध्यक्ष महोदय।

अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख।

मान्यवर, मैं इस प्रस्ताव के माध्यम से आपका ध्यान मेरे निर्वाचन क्षेत्र शेरगढ़ के ग्राम बालेसर जो कि उप तहसील मुख्यालय पिछले कई वर्षों से है, को तहसील बनाने के लिए करना चाहता हूं।

बालेसर उप तहसील मुख्यालय तो पिछले कई वर्षों से है। यह तहसील मुख्यालय शेरगढ़ में लगभग दो गुना से भी अधिक बड़ा है तथा यहां तहसील मुख्यालय में बहुत अधिक मात्रा में रेवेन्यू व रजिस्ट्रेशन का कार्य होता है। बालेसर के चारों तरफ सड़क है। यहां यातायात की भी बहुत अच्छी सुविधा है। बालेसर आबादी के हिसाब से भी बड़ा गांव है।

ग्राम बालेसर उप तहसील मुख्यालय होने के कारण यहां अन्य सारी सुविधाएं भी उपलब्ध हैं और उप तहसील से तहसील मे क्रमोन्नत करने पर राज्य सरकार का अधिक खर्च भी नहीं आएगा।

गत वर्ष ही ग्राम बालेसर को तहसील बनाने की बात चल रही थी, किन्तु किन्हीं राजनैतिक कारणों से बालेसर के स्थान पर किसी अन्य उप तहसील को तहसील बना दिया गया।

अतः अनुरोध कर रहा हूं कि बालेसर उप तहसील को तहसील के रूप में कायम किया जावे। (व्यवधान)

हां, मैं भूल गया था खाणियों की बहुत बड़ी आमदनी है। वहां पर ठेके होते हैं नौ-नौ लाख और दस-दस लाख रुपये का होता। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : राज्य मंत्री बैठे हैं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : राज्य मंत्री जी हैं तो वे भी कह सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री लक्ष्मण सिंह रावत।

राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग के कल्याणार्थ प्रथक से मंत्रालय का गठन

श्री लक्ष्मणसिंह रावत (भीम) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान की अन्य पिछड़ी जातियों के सम्बन्ध में मैं अपनी बात कहना चाहूंगा।

राजस्थान की करीब 35 प्रतिशत आबादी अन्य पिछड़े वर्ग की है। इस वर्ग की जातियां हजारों वर्षों से सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक एवं बौद्धिक रूप से पिछड़ रही हैं। पिछले कई दशकों से इनके

(श्री लक्ष्मणसिंह रावत)

उत्थान के लिए मांग उठाई जाती रही है। केन्द्र सरकार ने 1991 में अन्य पिछड़ी जातियों को 27 प्रतिशत नौकरियों में आरक्षण प्रदान किया। राष्ट्रपति शासन काल में 1993 में राजस्थान में भी 21 प्रतिशत आरक्षण नौकरी में प्रदान किया गया।

वर्तमान सरकार ने पिछले चार वर्षों में पिछड़ी जाति के हितों की पूर्णतः उपेक्षा की है। इस सरकार को पिछड़े वर्ग की दुश्मन कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी। देश के अन्य प्रदेशों में पिछड़े वर्ग के कल्याणार्थ कई कदम उठाये गये हैं, परन्तु इस सरकार ने पिछले आठ वर्षों में कोई ठोस कार्य नहीं किया है। हम निम्न मांग करते हैं :—

(1) अन्य पिछड़े वर्ग को नौकरियों में आरक्षण केन्द्र व अन्य राज्यों के समान 27 प्रतिशत करा जाय।

(2) अन्य पिछड़े वर्ग के छात्रों को सम्पूर्ण राजस्थान में छात्रावृत्ति दी जाये जो वर्तमान में सिर्फ सीमावर्ती जिलों में ही दी जा रही है।

(3) नौकरियों में आरक्षण के साथ साथ शिक्षण संस्थाएं तथा मेडिकल कालेजों, आई.टी.आई., इन्जीनियरिंग कालेजों, बी.एड. आदि में भी आरक्षण करा जाय। देश के करीब–करीब सभी राज्यों में यह आरक्षण सुविधा है।

(4) पिछड़े वर्गों के गरीब लोगों को रोजगार के लिये पिछड़ा वर्ग वित्त निगम बनायें। राष्ट्रपति शासन काल में यह निगम बनाने का निर्णय करा था इसमें 80 प्रतिशत राशि केन्द्र से मिलती है। मात्र बीस प्रतिशत राशि राज्य को लगानी पड़ती है। इसमें 6 प्रतिशत ब्याज पर दो लाख रुपये तक ऋण दिया जाता है।

(5) पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों को आरक्षण में रोस्टर में छठे स्थान पर रखा है। इसके स्थान पर तीसरे या चौथे स्थान पर रखा जाए।

(6) सरकार अन्य पिछड़े वर्ग का अलग से मन्त्रालय बनाकर अलग मंत्री नियुक्त करा जाय।

क्योंकि वर्तमान जो हमारे समाज कल्याण मंत्री जी हैं इनसे अपेक्षा नहीं की जा सकती है कि यह अन्य पिछड़े वर्ग की कोई मदद करेंगे। अभी राजेन्द्र जी गहलोत हैं वह करेंगे तो बड़ी खुशी होगी।

श्री अध्यक्ष : कृपया आक्षेप नहीं। श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास। श्री रामस्वरूप मीणा। दोनों में से एक पढ़ें।

श्रीमती बीना अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, आपके कमरे में लड्डू और माला इन्तजार कर रही है। बहुत-बहुत बधाई हो आपको।

जन सम्पर्क सेवा के वेतनमानों में व्याप्त विसंगतियां

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख द्वारा जन सम्पर्क सेवाओं के वेतनमानों में विसंगतियों के संबंध में निवेदन है कि राज्य सरकार की नीति एवं कार्यक्रमों के प्रचार एवं प्रसार के दायित्व को निभाने वाले सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी आज सबसे ज्यादा परिश्रम करते हैं और अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करते हैं। पर बड़े दुःख की बात है कि आज इनके साथ जो अन्याय हो रहा है और वेतन में विसंगतियां हैं।

आज केन्द्र के कर्मचारी एवं अधिकारियों से भी ज्यादा मेहनत करने के बावजूद भी कम वेतन दिया जा रहा है। कुल 112 अधिकारियों दोनों वेतनमानों की विसंगतियों को दूर कर वेतनमान देने पर राज्य कोष पर मात्र डेढ़ लाख का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ेगा। जिला एवं प्रशासन स्तर पर ये उपेक्षा के शिकार हैं। इस कारण इनका मनोबल टूट रहा है अगर इनकी प्रतिभाओं का लाभ उठाया जाए तो वेतनमान में सुधार करें। इस सवर्ग के अधिकारियों से पदोन्नति के अन्य सेवाओं से कम अवसर हैं। विसंगतियों के निराकरण के लिये समिति भी गठित की पर पांचवे वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करते समय इस सेवा वर्ग की सभी विसंगतियों का निराकरण नहीं हो पाया और सदस्यों में असन्तोष है, 112 पद कार्य के स्वीकृत हैं।

अतः मैं इस प्रक्रिया के माध्यम से सदन का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि जन सम्पर्क सेवाओं के वेतनमान में व्याप्त विसंगतियों को दूर कर असंतोष को खतम करें। ताकि यह जो घोर कष्ट उठाते हैं, परेशानी उठाते हैं, आपकी सारी खबरों को दे रहे हैं। आप जो भला बुरा करते हैं सबको लिखते हैं आपका नाम रोशन करते हैं। ऐसा जन सम्पर्क विभाग जिसके साथ अन्याय हो रहा है, विसंगतियां पैदा हों, जो दिल्ली में केन्द्र सरकार ने जो कुछ किया है उसी प्रकार का वेतन इनके लिये भी आप निर्धारित करेंगे। यही मेरा आपसे निवेदन है। आपने मुझे जो अवसर दिया उसके लिये धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : बिराजें माननीय सदस्य। आप हर समय प्रिविलेज ले लेते हैं। बिराज जायं।

प्रक्रिया के नियम 131 के अन्तर्गत श्री राजेन्द्र चौधरी, सदस्य, विधान सभा, बिलाड़ा विधान सभा क्षेत्र में पेयजल समस्या से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिक मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करेंगे।

श्रीमती तारा भण्डारी : अध्यक्ष महोदय, आज तो आपके और हमारे सबके लिये खुशी का दिन है। हमारा जीरो अवर तो कृपया दीजिये।

श्री अध्यक्ष : कृपया बिराज जाएं। श्री रिछपाल सिंह जी।

(98)

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना) : माननीय अध्यक्ष जी, सर्वप्रथम आपके निर्विरोध निर्वाचन पर आपको बधाई।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से गृह मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। शंकरलाल सन् आफ अग्नाराम मेघवाल, निवासी किशनगढ़ 16-7-98 को वह कोटा से एक जीप खरीदकर लाया 3 लाख, 28 हजार रुपये में जिस गाड़ी का बिल 16-7-98 को कटा। कल रात को, अध्यक्ष महोदय, वह गाड़ी चोरी हो गयी। मदनगंज थाने में जिसकी एफ.आई.आर. लिखवायी गयी उसके बावजूद न नाकेबंदी की गयी, न ही पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही की गयी। मैं आपके माध्यम से गृह मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि उस गरीब के परिवार में वह एक मात्र साधन बड़ी मुश्किल से लोन लेकर गाड़ी लाया था। उसकी जीप बरामद नहीं हुई तो उसका परिवार डूब जाएगा। मैं आपके माध्यम से यह मांग करता हूं कि उनके खिलाफ कार्यवाही कराकर उसकी जीप बरामद की जाय। धन्यवाद।

श्री जगदीप धनखड़ : गृह मंत्री जी से मैंने भी अनुरोध किया था। अध्यक्ष महोदय, उस गरीब व्यक्ति को राहत दिलवाएं और पुलिस प्रशासन को थोड़ा चुस्त करें।

श्री कैलाश मेघवाल (गृह मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, आपको तो सूत्र मालूम होंगे। आपको तो इस तफ्तीश में गाइड करना चाहिये। आप तो क्रिमिनल-सा के अच्छे एडवोकेट हैं तो किस दिशा में पुलिस कार्यवाही करे।

श्री जगदीप धनखड़ : मुझे सुनाई नहीं दे रहा है गृह मंत्री जी।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय रिछपाल जी और माननीय धनखड़ साहब ने जिस जीप की चोरी के बारे में यहां चर्चा की है मैं आपके द्वारा उनको आश्वस्त करना चाहता हूं कि मैं अभी इस जीरो आवर के बाद यहां से जाकर अजमेर के डी.आई.जी. और एस.पी. से पुख्ता तौर पर नाकेबंदी करके इस चोरी को बरामद करने का प्रयत्न करें पूरी क्षमता के साथ निर्देश दे दूंगा।

श्री अध्यक्ष : श्री अमराराम (धोद)।

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार और गृह मंत्री जी का ध्यान उन किसानों की ओर दिलाना चाहता हूं जो 1991 से लगातार इस बात के लिये प्रयास कर रहे हैं। सीकर जिले के लिखमावास के 9 किसान, जो शेखावाटी ग्रामीण बैंक बाय के बैंक मैनेजर और फव्वारा सैट बिक्री करने वाली एक कम्पनी ने मिलकर फव्वारे के हिसाब से उनके फर्जी लोन उठाकर जीम गये और उनकी बार बार उसी 91 में फाइल देने के बाद जब उनको फव्वारा सैट नहीं मिला तो लगातार

(श्री अमराराम)

उन्होंने जिलाधीश, मुख्य मंत्री जी और आज तक जो भी अधिकारी हैं उनके सामने पेश होते रहे हैं लेकिन आज हालत यह हो गयी अब उस शेखावाटी ग्रामीण बैंक के मैनेजर और केशियर सब, केवल यहीं नहीं कई लोगों का इस तरह की फर्जी लोनिंग के हिसाब से उठाकर ला गये, वह तो सस्पेंड हो गये लेकिन उन किसानों से जबरन उस बैंक द्वारा, ए. सी. एम. कोर्ट सीकर द्वारा वसूल करने की कोशिश की जा रही है। उस बार सो बीस बैंक मैनेजर और उस कम्पनी के खिलाफ पुलिस थाना खाटू में 70/98 एफ.आई.आर. भी दर्ज है लेकिन पुलिस आज तक कोई कार्यवाही भी नहीं कर रही है। मेरा अनुरोध है कि पुलिस कार्य–वाही की जाए। फर्जी लोन उनके नाम से कर दिया गया। उनको कोई फव्वारा सेट नहीं दिये गये। उनसे इस फर्जी रिक-वरी को रोकने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष : श्री शैलेन्द्र जोशी।

(13.00 बजे)

(श्री रमाकान्त शर्मा, सभापति, पदासीन)

श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) : मान–नीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से झालाना डूंगरी स्थित डा. भीमराव अम्बेडकर प्रशासनिक सेवा परीक्षा पूर्व संस्थान में पिछले दिनों जो तालाबंदी की नौबत आ गयी है। माननीय समाज कल्याण राज्य मंत्री ज्यादा ध्यान दें। माननीय समाज कल्याण राज्य मंत्री के विभाग द्वारा राज्य सरकार को व राजस्थान विश्वविद्यालय को 7.4 लाख रुपये की अदायगी न करने के कारण यह स्थिति हुई है।

सभापति महोदय, समाज कल्याण विभाग एवं राजस्थान विश्वविद्यालय के बीच तालमेल न होने के कारण झालाना डूंगरी स्थित डा. भीमराव अम्बेडकर प्रशा-सनिक सेवा परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण संस्थान पर पिछले चार महीनों से तालाबंदी हो गयी है। संस्थान के संचालन के लिये समाज कल्याण विभाग की ओर से बजट राशि उप-लब्ध नहीं कराने की वजह से विश्वविद्यालय के करीब साढ़े सात लाख रुपये विभाग पर बकाया चल रहे हैं। यह राशि नहीं मिलने पर विश्वविद्यालय ने इस संस्थान को चलाने में अपनी असमर्थता जाहिर कर बंद कर दिया है। भारतीय प्रशासनिक सेवाओं मे भर्ती के लिये होने वाली प्रति–योगी परीक्षाओं में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के प्रशिक्षणार्थियों के निःशुल्क प्रशिक्षण एवं छात्रावास सुविधा देने के लिये सन् 1972 में डा. अम्बेडकर प्रशास-निक सेवा पूर्व प्रशिक्षण संस्थान कांग्रेस के राज में जयपुर में झालाना डूंगरी में स्थापित किया गया था। खर्चे में केन्द्र एवं राज्य सरकार की बराबरी की हिस्सेदारी के जरिये चल रहे इस संस्थान को व्यवस्थित रूप से चलाने की सारी जिम्मेदारी शुरु से ही राजस्थान विश्वविद्यालय पर डाल दी गयी। विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त निदेशक के माध्यम से इस संस्थान में अनुसूचित

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

जाति एवं अनुसूचित जनजाति के प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण देने का कार्य संचालित किया गया। जिसका खर्चा समाज कल्याण निदेशालय अपने स्तर पर प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में बजट राशि उपलब्ध करवाता रहा है। किन्तु निदेशालय से स्वीकृत राशि समय पर नहीं मिलने पर विश्वविद्यालय की ओर से अपने कोष से पैसा खर्च करने के कारण समाज कल्याण विभाग पर विश्वविद्यालय के करीब 7.4 लाख रुपये बकाया चल रहे हैं जबकि विश्वविद्यालय की इन दिनों दयनीय आर्थिक स्थिति से सभी भली भांति परिचित हैं। ऐसी स्थिति में बजट भुगतान राशि में अनावश्यक विलम्ब से शिक्षकों को मार्च, अप्रेल, 1997 एवं अक्टूबर, नवम्बर 1997 में सम्पन्न प्रशिक्षण कार्य का पारिश्रमिक अभी तक नहीं दिया गया है। समाज कल्याण विभाग के ऐसे चलते संस्थान के तत्कालीन निदेशक डा.आर.डी.गूजर ने धनाभाव के कारण इस संस्थान को चलाने में अपनी असमर्थता जाहिर की एवं औचित्य स्पष्ट करते हुए इसे बंद करने की सलाह दी। अप्रेल, 1998 से इस संस्थान में ताला लग गया है....

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह 295 है, स्थगन प्रस्ताव है, कोई किताब नकल कर रहे हैं ?

श्री शैलेन्द्र जोशी : देखिये, आप सरकार के बूस्टर होंगे। आप मेरे बीच में व्यवधान बनकर नहीं आ सकते हैं। शांति से...(व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया जारी रखें।

श्री रामस्वरूप मीणा : ताला लगा हुआ है। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे कह रहा हूं। यह बीच में इंट्रप्शन करने वाले कोई नहीं होते हैं। इनको कोई स्पेशल राइट नहीं है। इनका कोई फंडामेंटल राइट नहीं है। यह इंट्रप्शन करके सदन की मर्यादा को भंग करते हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय रामस्वरूपजी आप बिराजिये। कृपया जारी रखें।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : आपने इजाजत दी है।

श्री सभापति : आप तीन-तीन, चार-चार एक साथ बोलेंगे, किसी की बात न तो समझ में आएगी और न अंकित होगी।

श्री शैलेन्द्र जोशी : यह बी.जे.पी. के बूस्टर हो सकते हैं लेकिन सदन के बूस्टर नहीं हैं। न आपको बूस्ट कर सकते हैं। यह सदन में किस केपेसिटी से बोलते हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया आस्था रखें। एक-एक करके मैं सबको समय दूंगा। संक्षिप्त में अपनी बात कहें।

श्री महावीर प्रसाद जैन : सभापति महोदय, चीफ व्हिप सभी माननीय सदस्यों का अच्छा मित्र और सलाहकार होता है।

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

सलाहकार और मित्र के नाते मेरा सलाह देने का फर्ज है ।

श्री शैलेन्द्र जोशी : आप+ + + हैं । आप + + + हैं । आप मित्र नहीं हैं किसी के । + + + (व्यवधान)

माननीय सभापति महोदय, अंत में मेरा आपके माध्यम से समाज कल्याण राज्य मंत्रीजी को यह निवेदन है कि डा. भीमराव अम्बेडकर अनुसूचित जाति, जनजाति प्रशिक्षण संस्थान को आप शीघ्र ही जो उसकी बकाया राशि 7.4 लाख रुपये है, जो राजस्थान विश्वविद्यालय को नहीं दी गयी है, उसको तुरन्त अदा करें और भविष्य में भी आप हर साल के बजट में इस तरह की राशि को पहले ही जनवरी माह में दे दें ताकि संस्थान पुनः चालू हो जाए और उससे होने वाला नुकसान नहीं हो पाये । धन्यवाद ।

श्री सभापति : माननीय राजेन्द्र सिंह जी (व्यवधान) कृपया विराजें । माननीय मंत्री महोदय बोल रहे हैं । कृपया विराजें । माननीय मंत्री महोदय बोल रहे हैं । आप बैठें (व्यवधान) आप बैठें तो सही ।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : इसी से संबंधित बोल रहा हूं ।

श्री सभापति : मंत्रीजी, यह आपसे ही कुछ संबंधित है, इसलिये विराजें । आपसे संबंधित वह कुछ बोल रहे हैं फिर जवाब दे देना आप ।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : मंत्री महोदय, इसी से संबंधित बोल रहा हूं । यह मई महीने में माया, 1998 के अंक में यह सारी बातें लिखी हैं । आपने भी पढ़ी होगी आपकी फोटो भी छपी है । इसका कुछ निस्तारण कीजिये । अनुसूचित जाति, जनजाति के जो लड़के हैं....

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : अखबारों की बातें नियम विरुद्ध हैं ।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : जो आई.ए.एस. की तैयारी कर सकते हैं, उनको इस लाभ से वंचित होना पड़ रहा है और आपने मई में पढ़ने के बाद भी जब उसमें ताला लग गया तब तक भी आपने कोई कार्यवाही नहीं की । (व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया विराजें । हर बात पर बोल देते हो रामस्वरूपजी (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर (राज्य मंत्री, समाज कल्याण) : सभापति महोदय, माननीय सदस्यों ने अम्बेडकर प्रशिक्षण संस्थान के बारे में यहां असत्य जानकारी दी है और कहा है कि अम्बेडकर प्रशिक्षण संस्थान पर ताला लग गया और यह भी बताया कि मई से ताला लगा हुआ है । यह असत्य

+ + + शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी ।

(102)

(श्री मदन दिलावर)

है। केवल अखबार के आधार पर, अखबार का पठन करके इस प्रकार की चर्चा कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति : देखिये, आपने अपना प्रश्न उठा दिया, अब उनका उत्तर सुन लीजिये। इस वाद–विवाद में कुछ नहीं मिलेगा।

श्री मदन दिलावर : माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से 2 अप्रैल, 98 से 28 मई तक भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रशिक्षणार्थियों को एवं 5 जून से राजस्थान प्रशासनिक सेवा के प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दिया गया है तथा इन परीक्षाओं में राजस्थान विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि, विभाग के प्राचार्य एवं सह प्राचार्य ने भी व्याख्यान दिये हैं। इसलिये यह प्रश्न कहां पैदा होता है कि यह बंद हो गया है। माननीय सभापति महोदय, मैंने तो बल्कि इस प्रशिक्षण संस्थान को, जो कि असामाजिक तत्वों का अड्डा बन गया था, निदेशक को भेजकर वहां से उनको हटाया है।

माननीय सभापति महोदय जो भुगतान की चर्चा कर रहे हैं इसमें वास्तविकता यह है कि हम सारा का सारा पैसा विश्वविद्यालय को देते हैं और विश्वविद्यालय ने उन प्राचार्यों को जिन्होंने पढ़ाया है, उनको भुगतान नहीं किया। क्योंकि वही उसको रन करते थे और जब इस प्रकार पैसे की मांग आयी तो हमने कहा, इसका आडिट करवा लो। कितना पैसा दिया और कितना नहीं दिया। आडिट के लिये भेजा तो हमारे अधिकारियों को विश्वविद्यालय ने रिकार्ड नहीं दिया। रिकार्ड नहीं दिया तो फिर भी हम चाहते थे कि जिन्होंने मेहनत की उनको पैसा मिले। हमने 3.15 लाख रुपया एडवांस में भी दे दिया है ताकि उनका भुगतान हो सके। इसलिये, सभापति महोदय, यह कहना नितांत गलत है, असत्य है, निराधार है, मिथ्या है, मैं इसका खंडन करता हूं। (व्यवधान)

श्री सभापति : बंद नहीं किया चालू है। माननीय श्री राजेन्द्र सिंहजी।

श्री शैलेन्द्र जोशी : मंत्री महोदय ने असत्य कथन किया है। कोई भी ट्रेनिंग वर्क नहीं हो रहा है, कोई ट्रेनिंग नहीं हो रही है। मेरी व्यक्तिगत जानकारी है कि इस समय कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम्स नहीं चल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : आपने ताला लगवाया है इसका मतलब। आपकी मिली-भगत है। (व्यवधान)

श्री सभापति : सदन में माननीय मंत्री जी ने कहा, बंद नहीं किया चालू है, यह काफी है। इस पर कोई विवाद का प्रश्न ही नहीं उठता है। माननीय श्री राजेन्द्र सिंह जी।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : आप पुछवा लो।

श्री सभापति : पुछवा लेंगे हम। (व्यवधान) सदन के फ्लोर पर माननीय मंत्रीजी

(श्री सभापति)

कुछ कहते हैं उसे मानना चाहिये। इसमें कोई विवाद का प्रश्न नहीं उठता है। माननीय श्री राजेन्द्र सिंहजी। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : आप गलत कह रहे हैं, माननीय मंत्री महोदय बिल्कुल असत्य वचन कर रहे हैं....(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय जोशी जी विराजिये। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : असत्य बोले जा रहे हैं। +++की बात है इस सदन के अंदर। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : इनका कोई इलाज नहीं है शासन के पास ?

श्री सभापति : है। समय पर कर दिया जाएगा। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : परसादीलाल जी ने ही सुझाव दिया है। (व्यवधान)

श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी (माण्डलगढ़) : अगर अंकित नहीं होगा तो वह अपने आप ही नहीं बोलेंगे।

श्री राजेन्द्र चौधरी (बिलाड़ा) : सभापति महोदय, मैं सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि सरकार ने यह नीति बनाई थी कि पंचायत मुख्यालयों को और एक हजार की आबादी वाले गांवों को सड़कों से जोड़ा जाएगा और उसी नीति के अन्तर्गत मेरे विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में सरकार ने एक सड़क की स्वीकृति की घोषणा की। बोरूंदा से पटेल नगर सड़क सैंक्शन हो गयी और सड़क सैंक्शन होने के बाद 42 लाख रुपये के करीब वह सैंक्शन हुई। पिछले दो सालों से मैं माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री चतुर्वेदी जी से बराबर अनुरोध करता रहा, बार-बार मिलता रहा और यहां के स्तर से बार–बार उस सड़क को रोका जाता रहा। मंत्री महोदय ने वहां के अफसरों को बुलाकर के बार–बार बात की और हमेशा वापस आदेश दिये कि यह सड़क सही है और उसके बाद में फिर बार-बार रोका जाता रहा। मैंने आपसे कटौती प्रस्ताव के माध्यम से, मैंने प्रश्न के माध्यम से, चिट्ठी के माध्यम से बार-बार सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी को बहुत अनुरोध किया। पर मंत्री महोदय ने जो सड़क मार्च में स्वीकृत हो चुकी है बोरूंदा से पटेल नगर वाया मांकरों की ढाणी, जो 9 किलोमीटर लेन्थ की है, 42 लाख रुपये जिसके लिये है, मंत्री महोदय के ऊपर इस बात का दबाव है कुछ लोगों का कि जो दोनों गांवों के बीच में मांकरों की ढाणी, गांव आता है वह भी उस सड़क से लाभान्वित हो रहा है और मंत्री महोदय उस सड़क की स्वीकृति जारी नहीं कर रहे हैं और टेंडर्स बार-बार पोस्टपोंड किये जा रहे हैं। इस हठधर्मिता के विरोध में मैंने

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री राजेन्द्र चौधरी)

मंत्री महोदय से कल उनके चैम्बर में अनुरोध किया।

श्री सभापति : हो गया, बिराजें।

श्री राजेन्द्र चौधरी : सभापति महोदय, मेरी बात सुनिये, हम यहां इसलिए खड़े हैं (व्यवधान) मैंने अनुरोध किया और यह कहा कि आप इस सड़क की स्वीकृति क्यों नहीं दे रहे हैं ?

श्री सभापति : माननीय मंत्री आपको नहीं बोलना चाहिए। मैंने बार-बार आपसे निवेदन किया है।

श्री राजेन्द्र चौधरी : दिलावर जी, आप मेरे से क्यों उलझना चाहते हैं ? आप मेरे से मत उलझो कृपया अपने तक ही सीमित रहो। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि 9 किलोमीटर सड़क की लेंथ है और केवल उस सड़क को नहीं बनने देने के लिए मंत्री महोदय यहां निर्देश जारी नहीं कर रहे हैं और जनता के साथ अन्याय हो रहा है। सरकार की जो नीति है, मंत्री जी की दोहरी नीति है, मंत्री जी कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। इस बात के लिए मैंने अनुरोध किया पर मंत्री जी मानने के लिए तैयार नहीं हैं। इसलिए मैंने कहा कल सदन में मैं इस बात को उठाऊंगा और आपकी कथनी और करनी में जो अन्तर है, मंत्री जी जो आप करते हैं....

श्री सभापति : अब उठा दी आपने बात। बैठ जाएं। माननीय श्रीमती तारा भण्डारी।

श्री राजेन्द्र चौधरी : मैंने उठा दी और मैं इसके विरोध में, मंत्री जी के विरोध में सदन में धरना देता हूं।

श्री सभापति : आप तो लोगों को धरने से उठाते रहे हैं। आप स्वयं क्यों बैठ रहे हैं ? बिराजें, अपने स्थान पर। बिराजें। माननीय राजेन्द्र जी चौधरी (व्यवधान) माननीय सदस्य बिराजें। अपने स्थान पर (व्यवधान) माननीय रामस्वरूप जी इतनी देर से कह रहे थे कि मुझे भी उठाओ। आपने उनको उठाया नहीं। बिराजिए अब आप (व्यवधान) मैंने श्रीमती तारा भंडारी का नाम ले दिया है। अब आप बिराजें।

श्री खेतसिंह राठौड़ : सड़क के बारे में जवाब दिलवा दीजिये न उनसे। (व्यवधान)

श्री सभापति : कोई जरूरी नहीं है। वह बोलना चाहें तो बोल देते। बिराजिये। माननीय सदस्य, अब आप बिराजें।

श्री रामनारायण डूडी (भोपालगढ़) : यह जो पंचायत मुख्यालय है..(व्यवधान) मेरी बात तो सुनिए।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप बिराजें। आपकी बात अंकित नहीं होगी।

श्री रामनारायण डूडी : ×××

श्री सभापति : कोई आर्डर बनाये रखें यहां पर। अंकित नहीं होगा आप विराजें। श्रीमती तारा भण्डारी।

श्रीमती तारा भण्डारी (सिरोही) : सभापति महोदय, एस. एम. एस. हास्पिटल राजस्थान का प्रमुख हास्पिटल है और पिछले 7-8 वर्षों में निश्चित रूप से राजस्थान सरकार ने इसमें विस्तार भी किया है। कुछ नई यूनिट्स भी खोली हैं। अच्छा काम भी किया है लेकिन इन अच्छे कामों के साथ एक और व्यवस्था भी मैं बताना चाहती हूं। एस. एम. एस. हास्पिटल का जो शवगृह, मोर्चरी रूम है उसमें मात्र तीन शव रखने की जगह है यानि तीन ट्रे ही हैं जिनमें शवों को वातानुकूलित स्थान पर रखा जा सकता है। सभापति महोदय, आप ठीक प्रकार से जानते हैं कि जयपुर एस. एम. एस. में राजस्थान भर के रैफर्ड केस आते हैं। जयपुर की ज्यादा जनसंख्या है उसके हिसाब से भी बहुत सारे केस आते रहते हैं और दुर्घनाएं भी होती रहती हैं। इन सारी परिस्थितियों में कभी-कभी जयपुर में मुर्दाघर में 10-15 शव भी रखने पड़ जाते हैं। कई बार उनकी पहचान नहीं होने से दो से तीन दिन तक भी रखने पड़ जाते हैं।

सभापति महोदय, लेकिन उस शवगृह की हालत इतनी खराब है कि वहां पर शव सड़ांध मारने लगते हैं, विकृत भी हो जाते हैं और उनका पोस्टमार्टम करने के लिए जो भी डाक्टर्स या कर्मचारी जाते हैं उनकी भी बड़ी हालत खराब होती है। वह जब शव परिजनों को देने लगते हैं तो उन परिजनों की भी हालत खराब होती है।

इसी प्रकार से एक आपातकालीन यूनिट भी पिछले वर्षों में अपने यहां स्थापित की लेकिन एक वर्ष से उस आपातकालीन यूनिट में ए.सी. वगैरह सब खराब हैं। अब आपातकालीन यूनिट में तो इमरजेंसी में ही लोग आते हैं और ऐसे गम्भीर जो भी घायल या बीमार होते हैं उनको ही लाया जाता है, तो वहां का भी ए.सी. खराब है।

इसके साथ-साथ मैं सिरोही का भी ध्यान दिलाना चाहूंगी माननीय चिकित्सा मंत्रीजी को कि दो वर्ष पहले आपने विधान सभा में घोषणा की थी कि सिरोही में आई.सी-यू. प्रारम्भ कर देंगे। घोषणा तो हो गयी लेकिन आई.सी.यू. आज दिन तक वहां पर प्रारम्भ नहीं हुआ। उसमें जो भी उपकरण चाहिए वह नहीं मिले। मेरा आपके माध्यम से चिकित्सा मंत्री जी को अनुरोध है कि आप जयपुर में ही बैठे हैं, जयपुर में बैठकर कम से कम एस.एम.एस. की व्यवस्था पर तो निगाह रखें।

श्री सभापति : श्रीमती मीना जी, विराजें आप। दो नहीं बोलते हैं एक साथ।

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्रीमती तारा भण्डारी : सभापति महोदय, बैठ रही हूं।

श्रीमती मीना अग्रवाल (अलवर) : मैं भी बोलना चाह रही हूं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, दो नहीं बोलते एक साथ। आप बिराजें। बाद में आपको समय दूंगा, । बाद में दूंगा समय, इनके बाद में। उनकी बात को तो स्पष्ट होने दीजिए वरना उनकी बात गड़बड़ा जाएगी। आप मदद करना चाहती हैं, गड़बड़ हो जाएगी।

श्रीमती तारा भण्डारी : सभापति महोदय, मेरी बात पूरे राजस्थान के लिए है। पूरे राजस्थान के लोग जयपुर में आते हैं और मुर्दाघर को भी ठीक रखना हमारा पूरा–पूरा कर्तव्य है। मैं माननीय चिकित्सा मंत्री जी को कहना चाहती हूं कि इस मुर्दाघर का आधुनिकीकरण करके वातानुकूलित बनाएं। साथ ही आपातकालीन यूनिट को ठीक करें और सिरोही में जल्दी से जल्दी उपकरण उपलब्ध कराकर आई.सी.यू. प्रारम्भ करें। सभापति महोदय, चिकित्सा मंत्री जी कुछ जवाब देने के मूड में हैं। फिर मेरा एक सवाल और है आप टाइम देंगे, तो मानवीय दृष्टिकोण से मैं बोलना चाहूंगी।

श्रीमती मीना अग्रवाल : एस.एम.एस. हास्पिटल से ही लगा हुआ एक प्रश्न है।

श्री सभापति : आप क्या इस पर बोल रही हैं या दूसरा बोल रही हैं ? क्या बोल रही हैं आप ?

श्रीमती मीना अग्रवाल : इसी के बारे में बोल रही हूं।

श्री गोपीराम जाट : सभापति महोदय, यह जयपुर का मामला है।

श्रीमती मीना अग्रवाल : सभापति महोदय, एस.एम.एस. हास्पिटल राजस्थान का पहला हास्पिटल है, ए क्लास हास्पिटल है। सारे राजस्थान के लोग जयपुर में आते हैं इसमें जो वातावरण होता है वह सारे राजस्थान में फैलता है। मेरा निवेदन मंत्री जी से यह है कि एस.एम.एस. हास्पिटल में जो मृत्यु प्रमाण-पत्र मिलता है वह नहीं मिलता है। जनता परेशान होती है। हरेक आदमी को मृत्यु प्रमाण-पत्र कहीं देने को चाहिए। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहती हूं कि मृत्यु प्रमाण पत्र उपलब्ध करायें और लापरवाह स्टाफ है उनकी थोड़ी सी जांच करके खिचाई करें।

श्रीमती तारा भण्डारी : वहां मुर्दे भी परेशान है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बिराजें।

श्री गोपीराम जाट (आमेर) : सभापति महोदय, माननीय सिरोही से आने वाली सदस्या ने जो सवाई मानसिंह अस्पताल....

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : सभापति महोदय, पहले मैं खड़ी हुई थी।

श्री गोपीराम जाट : शवगृह के बारे

(श्री गोपीराम जाट)

में और आपातकालीन यूनिट के बारे में चिन्ता व्यक्त की है....

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : सभापति महोदय, पहले मैं खड़ी हुई थी।

श्री सभापति : आपने चिट दी थी क्या इस बारे में ?

श्री गोपीराम जाट : चिट तो नहीं दी।

श्री सभापति : तो हो गयी न बात सब। सबकी भावनाएं इन्होंने बता दीं।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : सभापति महोदय, पहले मैं खड़ी हुई थी।

श्री सभापति : यदि इसी विषय पर सारा सदन बोलेगा तो आगे क्या होगा। बिराजें आप।

श्री गोपीराम जाट : मैं एक बात यह कहना चाहता हूं कि एस.एम.एस. आपात–कालीन स्थिति को सांसद कोटे से उसके अंदर एक वातानुकूलित बनाया गया था वह खराब पड़ा हुआ है। उसके साथ-साथ मैं आमेर

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : सभापति महोदय, पहले मैं खड़ी हुई थी।

श्री सभापति : कृपया बिराजें मान–नीय सदस्य। अंकित नहीं होगा।

श्री गोपीराम जाट : ×××

श्री सभापति : आप जो बोल रहे हैं वह अंकित नहीं होगा। आप बिना इजा-जत से बोल रहे हैं।

श्री गोपीराम जाट : ×××

श्री सभापति : कृपया बिराजें। मान-नीय सदस्य कृपया बिराजें।

श्री गोपीराम जाट : ×××

श्री सभापति : श्रीमती इन्दिरा मायाराम।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम (सांगानेर) : सभापति महोदय, पहले एस.एम.एस. पर बोलूंगी, मेरा नाम तो बाद में आएगा। मैं अपनी जगह पर नहीं बोल रही हूं। मैं सिर्फ एस.एम.एस. के बारे में तारा भण्डारी जी की जो बात है, उसके बारे में बोल रही हूं। मेरा नम्बर बाद में है।

श्री सभापति : किस बारे में बोल रही हैं ? इस बारे में आप नहीं बोलेंगी। मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा। आप बोलेंगी तो अंकित नहीं होगा। आपने जो चिट दी है, उसके बारे में बोलिए। आप अपने बारे में बोलिए जो चिट दी है आपने।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : अच्छा अब मैं अपना बोल देती हूं।

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्रीमती तारा भण्डारी : इन्दिराजी, जरा सी मेरी बात पूरी हो जाए। सभापति महोदय, चिकित्सा मंत्रीजी बैठे हुए हैं, कुछ बजट की बात हो जाए। कुछ तो कहलवाइए इनसे।

श्री सभापति : विराजिये। मंत्रीजी कुछ बोल रहे हैं।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : ×××

श्री सभापति : नहीं आवश्यक नहीं है। आपने चिट नहीं दी है। बिलकुल आवश्यक नहीं है। आपने चिट नहीं दी है, सारा सदन बोलना चाहेगा। मैं मंजूरी नहीं दूंगा। मैं बिलकुल नहीं दे सकता। कृपया विराजें। सारी अव्यवस्था हो जाएगी।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : ×××

श्री सभापति : देखिए, जिसने चिट दी है वही बोलेगा दूसरा नहीं बोल सकता। माननीय मंत्रीजी। सभी का जरूरी है यहां। गैर जरूरी चीज नहीं होती कुछ यहां पर। सुबह से लेकर रात 11 बजे तक प्रत्येक शब्द जरूरी है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (राज्य मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य) : सभापति महोदय, सदन में अभी सवाई मानसिंह चिकित्सालय के मुर्दाघर एवं आपातकालीन कक्ष की चर्चा हुई। सभापति महोदय, इसमें कोई शक नहीं कि यह राजस्थान का सबसे बड़ा चिकित्सालय है और गम्भीर रोगों और दुर्घटना से ग्रसित लोग बड़ी संख्या में रोज यहां आते हैं। जिस मुर्दाघर के डीप फ्रीजर की बात कही है, वह दिनांक 5-10-1988 को स्थापित हुआ था। जिस तेजी से वाहनों की संख्या और दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ी है। तीन शव वहां पर एक साथ रखे जा सकें इसकी व्यवस्था तो है। माननीय सदस्या ने कहा कि वह डीप फ्रीजर जिसमें शव रखे जाते हैं, वह भी खराब है। अगर वह खराब है तो उसको एक सप्ताह में दुरुस्त किया जाए इसकी व्यवस्था करेंगे और इस बार बजट में और अगर बजट में प्रोविजन नहीं होगा तो मेडिकल रिलीफ सोसायटी के पैसों से वहां एक वाटर कोल्ड चैंबर इस तरीके से लगाएंगे ताकि वाकिंग कूलर, इन सारी चीजों की व्यवस्था हो जाए।

जिस आपातकालीन कक्ष की बात आपने की है, अच्छा रहता कि आप उस आपातकालीन कक्ष में कितने लोग प्रतिदिन आते हैं और कितने लोगों का उपचार होता है इसकी भी थोड़ी चर्चा करतीं।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ : वहां जितने एअर कण्डीशनर्स लगे हुए हैं आपातकालीन कक्ष में, वहां के आपरेशन थियेटर और अलग-अलग जगह पर आठ एअर कण्डीशनर्स लगे हुए हैं, वे सारे के सारे चल रहे हैं। वहां दो एअर कूलर्स लगे हुए हैं जिनमें एक कूलर तो हमें जे.डी.ए. ने दिया और

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(109)

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

दूसरा हमारे विभाग ने खुद खरीदा है। उसमें एक खराब है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि निश्चित तौर पर उस एयर कूलर को, जिससे वहां ठंडा होता है, यदि खराब है तो उसको भी ठीक करने की व्यवस्था करेंगे और आपने एक संवेदनशील विषय उठाया है, निश्चित तौर पर उसकी सारी व्यवस्था की जाएगी। (व्यवधान)।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : X X X

श्रीमती तारा भण्डारी : सिरोही में आई.सी. यू अभी तक शुरू ही नहीं हुआ। आपकी घोषणा है। (व्यवधान)।

श्री सभापति : माननीय रामस्वरूपजी, आपने इन्टरवीन किया तो मैं आपकी चिट सबसे नीचे रख दूंगा। अभी आई थी। मैं बुलवाऊंगा नहीं आपको।

एक माननीय सदस्य : जिनकी पर्चियां है उनको तो बुलवाएंगे न ?

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : X X X

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सघन चिकित्सा इकाई सारे जिला चिकित्सालयों में स्थापित हो, इस सोच को चार वर्ष पूर्व सरकार ने लिया था। पहले जिलों के अन्दर कोई थोड़ा-सा ज्यादा बीमार हो जाता तो मेडिकल कालेज से जुड़े चिकित्सालयों के अलावा दूसरी जगह इलाज नहीं था। लेकिन हमने सभी जिला चिकित्सालयों पर इसे स्थापित किया है और आवश्यक बजट भी दिया है, आवश्यक स्टाफ भी स्वीकृत किया है।

आपने सिरोही का विषय उठाया। निश्चित तौर पर अगर सिरोही में सघन चिकित्सा इकाई को सुचारू रूप से चलाने में किसी तरह की कोई कठिनाई आई तो वित्तीय प्रावधान करके इसे तीन महीने में वहां सारी व्यवस्था कर दी जाएगी।

श्री सभापति : माननीय श्रीमती इन्दिरा मायाराम।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : आपने मेरे मामले पर कृपा की, धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, जयपुर में जिला पशु चिकित्सालय सांगनेर में बनाने के बारे में 1995 में एक निर्णय हुआ था, वह आज तक लागू नहीं हुआ और एक पशु चिकित्सालय जो था, उसका जयपुर में ही हैडक्वार्टर कर दिया गया।

श्री रामस्वरूप मीणा : यह ए. सी. तो चलवा दो साहब। सब के सबको पसीना आ रहा है, यह तो बोल दूं ?

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : अब मुझको तो बोलने दो। अब पुनः जिला पशु

X X X अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्रीमती इन्दिरा मायाराम)

चिकित्सालय जयपुर से बाहर ले जाने की बात है तो मेरा निवेदन है कि सांगानेर के अन्दर इतनी खराब हालत है कि जो गौ शाला है उसमें भी पिछले तीन-चार महीनों में दो सौ गाएं मर गयीं, क्योंकि उनका इलाज नहीं किया गया । पावलिया पंचायत; जयपुर से करीब 8-10-15 किलोमीटर पर है, वहां पर कुत्ता और सियार के खाने से 70 जानवर बीमार हुए । मैंने वहां के डिस्ट्रिक्ट एनीमल हजबेंडरी आफिसर से बात भी की लेकिन उन्होंने वहां पर कोई इन्तजाम नहीं किया और उसके कारण से वहां पर 15 पशु मर गए । उनको दिखाने के लिए, कोई इलाज नहीं किया । महल रिक्शा में पशु बीमार हैं इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहती हूं कि कम से कम आप अगर वहां मानवों का अस्पताल बड़ा नहीं बना रहे हैं तो हमारे क्षेत्र में पशुओं का तो अस्पताल सांगानेर में बनाने में मदद करें । यही मेरा आपसे निवेदन है । धन्यवाद । (व्यवधान)

श्री सभापति : नहीं, इनकी चिट थी, चिट में से आधा रह गया था इनका ।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : यह क्या है साहब ? हमको तो बोलने का मौका नहीं दिया और इनको । (व्यवधान)

श्री सभापति : दो-दो विषय उठाते रहे हैं ।

श्रीमती तारा भण्डारी : एक सूचना का प्रश्न है, माननीय सभापति महोदय ।

श्री सभापति : दो-दो तीन-तीन विषय उठाते रहे हैं यहां पर । इन्होंने दो विषय उठाये थे ।

श्रीमती तारा भण्डारी : मैं तो कभी-कभी बोलती हूं ।

श्री किशन मोटवानी (अजमेर पश्चिम) : आपकी व्यवस्था है न ? आप हां तो बोलो कि यह व्यवस्था है ।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : मैंने बोलने की स्वीकृति मांगी थी, इतना जरूरी विषय था ।

श्री सभापति : साधारणतया एक सदस्य को एक ही विषय उठाना चाहिए ।

श्री किशन मोटवानी : आप तीन-तीन मसले उठाने की स्वीकृति दे रहे हैं ।

श्रीमती तारा भण्डारी : सभापति महोदय, मैं बहुत कम विषय उठाती हूं । पर यह बहुत ही मानवीय ।

श्री सभापति : आप मेरा ख्याल है जरा बैठ कर लें तो ज्यादा अच्छा रहे जिससे ये निपटा दें, क्योंकि दो विषय उठाए हैं तो आप थोड़ा इन्तजार कर लें ।

श्रीमती तारा भण्डारी : सभापति महोदय, पिछले दिनों जयपुर के पास मानसर खेड़ी में एक छात्रावास है बाल रश्मि

(श्रीमती तारा भण्डारी)

सोसायटी उसमें एक बालिका की हत्या हो गई है, संदिग्ध मौत हो गयी है, उसके बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहती हूं।

श्री सभापति : थोड़ी देर बाद।

श्रीमती तारा भण्डारी : अभी बता देती हूं।

श्री सभापति : अच्छा संक्षिप्त में जल्दि कीजिए। संक्षिप्त में जरा जल्दी उठाइए। ... (व्यवधान)

श्रीमती तारा भण्डारी : सभापति महोदय, मैं बिल्कुल शोर्ट में बता देती हूं।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : सभापति महोदय, महारानी कालेज की छात्राओं ने आंदोलन कर रखा है मैं भी (व्यवधान)

श्रीमती तारा भण्डारी : माननीय सदस्या, कृपया मुझे कहने दीजिए, महिलाओं का मामला है। (व्यवधान)

श्री सभापति : इन्होंने नोटिस दिया हुआ है।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : मैंने भी नोटिस दिया है।

श्रीमती तारा भण्डारी : मेरा नोटिस है।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : महारानी कालेज की जो छात्राएं हैं वे आंदोलन कर रही हैं।

श्रीमती तारा भण्डारी : मेरा नोटिस दिया हुआ है।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : सभापति महोदय, मुझे बहुत जरूरी प्रश्न उठाना है।

श्री सभापति : नोटिस दिया है इन्होंने। सुबह साढ़े दस बजे का नोटिस दिया हुआ है, बीच में मंत्री जी बोलने लग गए, मंत्रीजी बीच में बोलने लग गए इसलिए अधूरा रह गया वह मामला।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : सभापति महोदय, एक ही नोटिस अलाउ करते हैं, दो को कभी नहीं करते हैं।

श्रीमती तारा भण्डारी : मेरा नोटिस दिया हुआ है। आप बैठिए, बोलने दीजिए न, आप भी उसमें सपोर्ट कर देना। मामला बालिका हत्या का है।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : सभापति महोदय, मुझे तो कहा कि मामला एक है इसलिए बोलने नहीं दिया जाएगा। हमारा गला घोंट दिया गया, हमको बोलने नहीं दिया गया।

श्रीमती तारा भण्डारी : आप बोल लेना।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : हमारा गला घोंटा गया है, बन्द किया गया है।

श्रीमती तारा भण्डारी : बालिका हत्या का मामला है। आप भी बोलो, आप जरूर बोलना।

श्री सभापति : श्रीमती भण्डारीजी, जरा जल्दी करें, बहुत मामले हैं।

श्रीमती तारा भण्डारी : सभापति महोदय, मैं बहुत जल्दी और बहुत छोटे में आपको कहना चाहती हूं कि यह जो बाल रश्मि सोसायटी है, इसमें एक गरीब कर्मचारी शिवराम मीणा था, उसकी दो लड़कियों को वहां पर गरीबी के कारण भर्ती किया था।

श्री जगदीप धनखड़ (किशनगढ़) : सभापति महोदय, यह हो क्या रहा है?

श्री सभापति : इन्होंने नोटिस दिया है। आप भी तो तीन–तीन मसले उठाते हैं एक साथ।

श्रीमती तारा भण्डारी : और उसकी एक सात वर्षीय बालिका (व्यवधान) माननीय सदस्य आप लोग बोलते हैं तो हम बीच में डिस्टर्ब नहीं करते हैं। आप बैठिए, बैठिए आप।

श्री सभापति : मेरा विनम्र निवेदन है कि छोटा–सा विषय है, अत्यंत गंभीर है।

श्री जगदीप धनखड़ : नहीं, वह छोटा सा विषय है, क्या नियमों से आप बन्धे हुए नहीं हैं?

श्री सभापति : नियमों से बंधा हुआ हूं पर नोटिस दिया हुआ है।

श्री जगदीप धनखड़ : आप एकदम +++ दिखाने लग जाते हो, +++ मत दिखाइए। समझिए बात को, किस प्रकार की +++ कर देते हैं।

श्री सभापति : माननीय, इन्होंने आज नोटिस दिया है।

श्रीमती तारा भण्डारी : माननीय सदस्य, मैं आपसे अनुरोध करती हूं कि बालिका का मामला है, आप उसको....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, इन्होंने नोटिस दिया हुआ है। एक साथ ही बोलने वाली थी, बीच में मंत्रीजी आ गए। बीच में मंत्रीजी के आने से इनका अधूरा रह गया।

श्रीमती तारा भण्डारी : मैंने बाकायदा नोटिस दिया है। आप मुझे बोलने दीजिए।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : मैं भी एक से ज्यादा विषय ले लूं तो आप मुझे बोलने नहीं देते हैं।

श्री जगदीप धनखड़ : छह दफे बोल चुकी हैं, समझ में नहीं आता क्या व्यवस्था है?

श्री सभापति : छह दफे नहीं बोली हैं, विराजिये।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : एक से ज्यादा कभी बोलने नहीं देते। मेरा बहुत

+++शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्रीमती इन्दिरा मायाराम)

महत्वपूर्ण मामला है और महिलाओं का है।

श्रीमती तारा भण्डारी : आप लोग बोलते हैं तो हम कभी आपको नहीं कहते, कभी हम आपको अड़चन नहीं डालते।

श्री सभापति : आप भी दो विषय बोल देना। विराजें तो सही।

श्री जगदीप धनखड़ : क्या मतलब है ? एक आदमी बोल देगा, कुछ नियमों से कार्य कीजिए।

श्री सभापति : उनका नोटिस दिया हुआ है। दोनों चीजों का नोटिस दिया था। बीच में मन्त्रीजी बोलने लग गए इसलिए बात अधूरी रह गयी इसलिए कौनसी बात हो गयी ?

श्रीमती तारा भण्डारी : सभापति महोदय, मैं आपकी इजाजत से बोल रही हूं, नियमों में बोल रही हूं और मैंने पहले सूचना देकर बोलना शुरू किया है।

सभापति महोदय, शिबूराम मीणा की दो लड़कियों को गरीबी के कारण छात्रावास में भर्ती कराया गया था। एक बच्ची की दो दिन पहले मौत हो गयी तो उसकी मौत की सूचना शिबूराम को नहीं दी। उसको बताया कि तेरी लड़की बीमार है और मौत होने के बाद बच्ची को जे.के. लोन में भर्ती कराया। जे.के. लोन के डाक्टर्स ने बच्ची को देखते ही कह दिया कि यह मरी हुई है।

सभापति महोदय, शिबूराम मीणा और उसकी पत्नी अपनी बच्ची को मिलने इधर-उधर ढूढ़ते रहे, भटकते रहे लेकिन उनको कोई सूचना नहीं मिली। जब वे जयपुर के उप महानिरीक्षक, जैन साहब के पास गए और उनको बताया कि हमारी लड़की बीमार थी, अस्पताल में भर्ती थी और कहां है, मालूम नहीं। तब मालूम पड़ा कि वह लड़की मर चुकी है।

सभापति महोदय, मैं आपके ध्यान में यह लाना चाहती हूं कि किस प्रकार से इस गरीब बालिका के साथ अत्याचार होता है और कैसे उसको मार डाला जाता है। उस लड़की की बड़ी बहन शारदा भी वहीं पढ़ती थी, उसे भी नहीं बताया कि तेरी बहन बीमार है। बीमारी की हालत में उसकी बहन को बताना चाहिए था। सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहती हूं यहां पर +++ नाम की एक महिला है। उन्होंने एक पूंजीपति के संरक्षण में उसको साथ लेकर, उसका सहयोग लेकर बाल रश्मि सोसाइटी नाम की एक संस्था खोली। वह संस्था जब चलने लग गयी तो वह +++ उसकी सर्वेसर्वा बन

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्रीमती तारा भण्डारी)

गयी। सर्वेसर्वा बनने के बाद गरीब काश्तकारों को उजाड़कर अपने प्रभाव से कितनी ही एकड़ जमीन हड़प ली (व्यवधान) सभापति महोदय, मैं पूरी बात कहना चाहूंगी...

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : इसने ऐसा क्या कर दिया ?

श्रीमती तारा भण्डारी : आपको क्या एतराज है ? आप लोग बोलते हैं तो हम कहां मना करते हैं।

श्री सभापति : कृपया समाप्त कीजिए।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : क्या +++के फांसी लगा देंगे ?

श्रीमती तारा भण्डारी : हम मना नहीं करते। अगर +++ ने सही काम किया तो जांच हो जाएगी। यहां गलत काम हुआ। आप पैरवी क्यों कर रहे हैं ?

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपने ध्यान आकर्षित कर दिया, अब आप बिराजिए।(व्यवधान) खतम कीजिए इसको जल्दी से।

श्री शैलेन्द्र जोशी : आपके मंत्रीजी इसके प्रोग्राम में जाते हैं। (व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : पाइंट आफ आर्डर।

श्री सभापति : पाइंट आफ आर्डर नहीं होता।

श्रीमती तारा भण्डारी : सभापति महोदय, इस संस्था के बालक-बालिकाओं को न तो खाना अच्छा मिलता है, न पहनने को अच्छा मिलता है और अगर कोई बालक शिकायत करे तो उसको मारा-पीटा जाता है, उनको खिड़की से बाहर फैंक दिया जाता है। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय श्री रामस्वरूप मीणा।

श्रीमती तारा भण्डारी : सभापति महोदय, यह +++ प्रभावशाली लोगों के साथ मिलकर (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : यह बी.जे.पी. के लोगों की ही साथी है। उनको ही रखते हैं। (व्यवधान) भारतीय जनता पार्टी के मंत्री लोग उनके प्रोग्राम में जाते हैं और आप अपने ही मंत्रियों से पूछिए कि वे क्यों प्रोग्राम अटेण्ड करते हैं ? (व्यवधान)

श्री सभापति : आप बिराजिए।

श्रीमती तारा भण्डारी : सभापति महोदय, यह +++ प्रभावशाली लोगों के साथ मिलकर....

श्री शैलेन्द्र जोशी : आपके बी.जे.पी. के ही प्रभावशाली हैं।

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्रीमती तारा भण्डारी : आप चुप रहिए ।

श्री शैलेन्द्र जोशी : भारतीय जनता पार्टी के मंत्री ही इनके कार्यक्रम में जाते हैं । (व्यवधान) मानसर खेड़ी में जाते हैं आपके मंत्री ।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, अब आप विराजें । हो गया ध्यानाकर्षण ।

श्रीमती तारा भण्डारी : माननीय सभापति महोदय, इन्होंने उस संस्था के नाम से चिकित्सा विभाग से लाखों रुपया ले लिया । (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्या, अब आप विराजें । माननीय तारा भण्डारी जी, विराजें । (व्यवधान) माननीय श्रीमती तारा जी, विराजें ।

श्रीमती तारा भण्डारी : माननीय सभापति महोदय, यह बालिका हत्या का मामला है । इस बात को हम बोलेंगे । अगर ये विरोध करेंगे तो हम इनको विरोध नहीं करने देंगे ।

श्री रामस्वरूप मीणा : आप इनको बाहर निकालो । (व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : पाइंट आफ आर्डर ।

श्रीमती तारा भण्डारी : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से बात समाप्त करते हुए इतना ही कहना चाहती हूं, गृह मंत्री जी बैठे हैं, समाज कल्याण मंत्री जी बैठे हैं । (व्यवधान)

श्री सभापति : आपको अनुशासन रखना चाहिए । मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, विराजिए आप ।

श्रीमती तारा भण्डारी : जो भी फर्जी संस्था अनुदान लेती है उनको बन्द करना चाहिए और एक ऐसी महिला जो बच्चों के साथ दुर्व्यवहार करती है उसको गिरफ्तार करना चाहिए । +++ गिरफ्तार होनी चाहिए । (व्यवधान)

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर) : इनको क्या तकलीफ हो रही है ?

श्री शैलेन्द्र जोशी : भारतीय जनता पार्टी के एक मंत्री मानसर खेड़ी बाल रश्मि सोसाइटी के प्रोग्राम में जाते हैं । आप इनको तो कहना नहीं चाहते । भारतीय जनता पार्टी के एक-एक मंत्री बाल रश्मि सोसाइटी के प्रोग्राम में जाते हैं । (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्यों से निवेदन है विराजिए । माननीय श्री रामस्वरूप जी मीणा । (व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : पाइन्ट आफ आर्डर ।

+++ शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी ।

(116)

श्री सभापति : कोई पाइन्ट आफ आर्डर नहीं होता।

श्री जगदीप धनखड़ : सभापति महोदय, हाऊ डू यू से सो ?

श्री सभापति : मैं निवेदन कर रहा हूं यह कोई विषय नहीं है जिसके ऊपर पाइंट आफ आर्डर हो।

श्रीमती मीना अग्रवाल : माननीय सदस्य, यह कचहरी नहीं है। (व्यवधान)

श्री सभापति : क्या पाइन्ट आफ आर्डर है ?

श्री जगदीप धनखड़। आप सुनिए। (व्यवधान)

श्री सभापति : अब आप बिराजिए।

श्रीमती तारा भण्डारी : सभापति महोदय, बात पूरी करने दीजिए। (व्यवधान)

श्री सभापति : आपने बात फरमा दी, अब आप बिराजिए।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : सभापति महोदय, ये वकील हैं तो कचहरी के अंदर हैं, विधान सभा में वकालत नहीं चलती। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, मैंने आपको दूसरा विषय उठाने की बात कह दी, आपने उठा दी, अब मेरा नम्र निवेदन है कि आप बिराजें। (व्यवधान)

श्रीमती तारा भण्डारी : सभापति महोदय, यह सरकार बालिकाओं के कल्याण के लिए काम कर रही है। (व्यवधान)

श्री सभापति : मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि अब आप बिराजें। दूसरे विषय को आने दें। (व्यवधान)

श्रीमती तारा भण्डारी : सभापति महोदय, इस +++ के बड़े–बड़े कारनामे हैं। चिकित्सा मंत्री जी से भी जांच कराओ। भारत सरकार से अनुदान लेकर चिकित्सा के नाम पर एक योजना चलायी थी। लाखों रुपया हड़प लिया। आखिर में भारत सरकार को वह योजना बन्द करनी पड़ी।

श्री जगदीप धनखड़ : सभापति महोदय, आप इनको बिठाइए।

श्री सभापति : सुन लिया मैंने, उनकी बात खतम होने दीजिए। क्या करूं मैं इनका। मैं नाम ले रहा हूं, बोल रहा हूं। क्या करूं ?

श्री जगदीप धनखड़ : +++ (व्यवधान)

श्री सभापति : आप बिराजिए। (व्यवधान) माननीय सदस्य, बिराजें। माननीय श्रीमती ताराजी, आप बिराजें।

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री सभापति)

(व्यवधान) मैं आपका नाम ले चुका हूं ।

श्रीमती तारा भण्डारी : एक लाइन बोलने दीजिए । एक लाइन में मैं बात पूरी कर रही हूं । (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : इनको कोई प्रिमियम या बोनस उपलब्ध है क्या ? (व्यवधान) इनको कोई स्पेशल राइट है क्या ?

श्री सभापति : बिराजिए । (व्यवधान)

श्रीमती तारा भण्डारी : एक लाइन में अपनी बात पूरी करूंगी, केवल एक लाइन में । (व्यवधान)

श्री सभापति : आप एक साथ बोलेंगे तो मेरी कुछ समझ में नहीं आएगा । यदि आप सब बिराज जाएंगे एक-एक करके मैं सबकी चिट खोल रहा हूं । (व्यवधान) बैठिए आप । ऐसी क्या जरूरत पड़ रही है?

एक माननीय सदस्य : आप हम पर इतने नाराज क्यों होते हैं ? (व्यवधान)

श्री सभापति : आप तो बिराजिए । (व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : सभापति महोदय, ये एक संस्था की बात कर रही हैं । बलात्कार एवं चरित्रहीनता का केन्द्र बने विश्वविद्यालय की बात क्यों नहीं कर रही हैं ? (व्यवधान)

श्री सभापति : कोई नहीं छूटेगा, सबकी चिट्ठियां हैं, सबको बुलाऊंगा । (व्यवधान) इतने आवेश में क्यों आ रहे हैं, अभी आपका नम्बर आएगा तब मैं आपको भी रिक्वेस्ट कर दूंगा । बिराजिए । (व्यवधान)

श्रीमति इन्दिरा मायाराम : बलात्कार, चरित्रहीनता के केन्द्र बने विश्वविद्यालय की जांच क्यों नहीं करायी जाती ? आप एक संस्था के बारे में बोल रही हैं, मैं विश्वविद्यालयों के बारे में बोल रही हूं । सारे विश्वविद्यालयों में ऐसा है । (व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : सभापति महोदय, पाइंट आफ आर्डर ।

श्री सभापति : बोलिए, आपका पाइंट आफ आर्डर क्या है ?

श्री जगदीप धनखड़ : सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान सदन के उन नियमों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जिसके तहत जो कोई सदन का सदस्य नहीं है.... (व्यवधान)

श्रीमती तारा भण्डारी : सभापति महोदय, ये किस बात की पैरवी कर रहे हैं । समाज में विकास के नाम पर+++ ।

+++ शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी ।

(118)

(श्रीमती तारा भण्डारी)

लोगों का घर उजाड़ रही है, विधवाओं के घर उजाड़ रही है और ये उसकी पैरवी कर रहे हैं। इनको ऐसी महिला की पैरवी करते हुए +++। वह समाज सेवा के नाम पर +++। (व्यवधान)

श्री सभापति : मैं आपकी बात समझ गया, आप विराजें। आपने कहा है नाम नहीं आना चाहिए। साधारणतया नहीं आता है और नहीं लिया जाना चाहिए। अब आप विराजें। माननीय श्री रामस्वरूप जी मीणा।

श्री जगदीप धनखड़ : आप मेरी बात सुन लीजिए।

श्री सभापति : माननीय रामस्वरूपजी मीणा।

श्री जगदीप धनखड़ : सभापति महोदय, मैं जब भी बोलता हूं, आपके पास कोई नियम है क्या ?

श्री सभापति : सदन में व्यवस्था बनाना चाहते हैं या अव्यवस्था बनाना चाहते हैं ? आपने ध्यानाकर्षण कर दिया, मैंने व्यवस्था दे दी।

श्री जगदीप धनखड़ : एक्सपंज कीजिए। (व्यवधान)

श्रीमती तारा भण्डारी : सभापति महोदय, वह संस्था के नाम पर समाज कल्याण विभाग से अनुदान लेती है। लोगों के घर उजाड़ दिए, विधवाओं के घर उजाड़ दिए। वह महिला होकर महिलाओं का शोषण करती है और ये इसका साथ देते हैं। +++

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : विश्व-विद्यालय बलात्कार और चरित्रहीनता के केन्द्र बने हुए हैं। आप उनका साथ दे रही हैं।

श्री जगदीप धनखड़ : सभापति महोदय, आपको मेरी बात समझ में नहीं आती ?

श्री सभापति : आ गयी समझ में। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : भारतीय जनता पार्टी के मंत्री एलिस वर्मा की बाल रश्मि सोसायटी के प्रोग्रामों में मानसर खेडी जाते हैं। उनको मना कीजिए, वे क्यों जाते हैं ?

श्री जगदीप धनखड़ : Mis. Tara Bhandari is at large, free to say anything, level any accusation ? जो कोई सदन का सदस्य नहीं है, सदस्या नहीं है उस पर ये आरोप लगाएं। यदि यही आरोप बाहर लगाएं तो इनको कोर्ट में सज़ा कर दें।

श्रीमती तारा भण्डारी : सारे अखबारों

+++ शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्रीमती तारा भण्डारी)

में आया है। (व्यवधान) वह उस संस्था की सर्वेसर्वा है। सारे अखबारों में आया है। गरीब की बेटी मारी जाती है तो इनको दर्द नहीं है। किसी अमीर की बेटी होती तो आपको दर्द होता? उस चौकीदार की कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। गरीब की बेटी मर गयी तो आपको कोई तकलीफ नहीं है। मैं गृह मंत्रीजी को कहना चाहती हूं इसको गिरफ्तार करो।

श्री सभापति : माननीय सदस्य बिराजें।

श्रीमती तारा भण्डारी : समाज कल्याण राज्य मंत्री जी को कहना चाहती हूं कि इस संस्था का अनुदान बन्द करो। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्या, बिराजिए। कुछ सुनने दीजिए। (व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : पाइंट आफ आर्डर।

श्री सभापति : माननीय सदस्या, आप एक मिनट बिराजिए। पाइंट आफ आर्डर की बात सुनने दीजिए। (व्यवधान)

श्रीमती तारा भण्डारी : महिलाओं का मामला आता है तो पाइंट आफ आर्डर। किसी अमीर की बेटी मारी जाती (व्यवधान) आप अमीरों के हिमायती हैं, गरीबों के नहीं हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बिराजिए। यह उचित नहीं है।(व्यवधान)

श्रीमती बीना काक (सुमेरपुर) : आपको आज महिलाओं की याद आ रही है। आखिरी तीन महिलाएं बची हैं तब आपको महिलाओं की याद आ रही है। अब तक क्यों नहीं बोली? (व्यवधान) महिलाओं के बारे में क्यों चुप रहीं? इतने बलात्कार हुए, कभी बोली आप? अब आपको महिलाओं की याद आ रही है।

श्रीमती तारा भण्डारी : आपके सुमेरपुर क्षेत्र में मेरे साथ चलो ताकि पता चले लोगों को मालूम नहीं बीना काक कैसी है।

श्री सभापति : माननीय ताराजी, बिराजिए।

श्री परसादी लाल मीणा : 33 प्रतिशत महिलाएं आने के बाद इस हाउस का क्या होगा? (व्यवधान)

श्री सभापति : मैं व्यवस्था दे रहा हूं। आपकी बात समझ में आ गयी। क्यों लम्बी बात कर रहे हैं? (व्यवधान) मैं व्यवस्था दे रहा हूं, आप बिराजें।

श्री जगदीप धनखड़ : मैं एक बात कह देता हूं, फिर आप व्यवस्था दे देना।

श्री सभापति : आप जो कह रहे हैं वह मेरी समझ में आ गया। आपके फेवर में व्यवस्था दे रहा हूं।

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय सभापति महोदय, आप विद्वान हैं। मैंने जो कहा नहीं वह भी आप समझ गए।

(120)

श्री सभापति : मैं समझ गया और आप व्यवस्था से संतुष्ट हो जाएंगे। बिराजें आप। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : 6 परसेंट में यह स्थिति है, 33 परसेंट में जाने क्या स्थिति होगी ?

श्री जगदीप धनखड़ : सभापति महोदय, आपकी स्थिति को मैं समझता हूं।

श्री सभापति : आप बिराजें। आप जो बात कह चुके उस पर मैं व्यवस्था दे रहा हूं।

श्री जगदीप धनखड़ : मैं यह कहना चाहता हूं कि इस सदन में यदि कोई बात कही जाती है उसके संबंध में कोई नागरिक मुकदमा नहीं कर सकता। (व्यवधान)

श्री सभापति : मैं जानता हूं। मैं निवेदन कर रहा हूं कि +++ का नाम इसमें से हटा दिया जाए। माननीय श्री रामस्वरूप जी मीणा। (व्यवधान)

श्रीमती तारा भण्डारी : इसमें क्यों हटाया जाए ? नाम बिलकुल नहीं हटाना चाहिए। (व्यवधान)

श्री सभापति : नाम नहीं आना चाहिए। कोई बात नहीं। (व्यवधान)

श्रीमती तारा भण्डारी : क्यों हटाया जाएगा ? अगर कुछ ऐसे काम किये हैं तो उसका नाम लेने में क्या +++ ? (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय श्री रामस्वरूप जी मीणा। (व्यवधान) रामस्वरूप जी, आप बोलिये नहीं तो अगला चिट खोलूंगा (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से विद्युत मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं।(व्यवधान)

श्रीमती तारा भण्डारी : माननीय सभापति महोदय, एक महिला महिला का शोषण करती है और उसका नाम हटाया जाए, क्यों हटाया जाए उसका नाम, यह क्यों उसके हिमायती बनकर आ रहे हैं ? ....(व्यवधान).... +++ एक गरीब मीणा की बेटी मारी गयी है और नाम हटवाते हो। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : वह ही मैं कह रहा हूं, बैठ जाओ। (व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : कितने बलात्कार के केस हो रहे हैं (व्यवधान)

श्री सभापति : आप बिराजिये, गोविन्द सिंह जी। (व्यवधान) सदन की व्यवस्था बनने दीजिये। आप उल्टा अव्यवस्था फैला रहे हैं। (व्यवधान) मैंने

+++ शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री सभापति)

व्यवस्था दे दी, बात खतम हो गयी। अब अगले आदमी को बोलने दीजिये। आप कोई बात नहीं। क्या हो गया? (व्यवधान)

श्रीमती वीना काक : आन्दोलनों में आप आगे-आगे चलती हैं, (व्यवधान) बलात्कारियों के आंदोलन में आप आगे-आगे चलती हैं, कहां से आपको औरतों का दर्द आ गया। (व्यवधान)

श्री सभापति : बिराजिये आप।

श्री शैलेन्द्र जोशी : +++ कर रही हैं माननीय सदस्या। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय श्री रामस्वरूप जी मीणा।

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से विद्युत मंत्री जी से निवेदन करूंगा। एक मिनट, मेरी बात का भी जवाब दे दें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (ऊर्जा मंत्री) : सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, शासन की आज्ञा शिरोधार्य है। सदन में कुछ आपराधिक मामले उठते हैं उनमें भी नामों की चर्चा होती है। मानहानिकारक नाम नहीं लिये जाने चाहिए। कुछ संस्थाएं होती हैं जो सरकार के अनुदान से, किसी काम से चलती हैं। उनके बारे में जो मामले उठे तो भी नाम आता है। इसलिए कोई जनरल नियम नहीं है कि किसी माननीय सदस्या ने कोई नाम ले लिया, नाम मानहानिकारक, अपमानजनक कब हो....(व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : +++ यह कहा माननीय सदस्या ने....(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : आपको असलियत का पता नहीं है। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय धनखड़ साहब, बिराजिये। आप व्यवस्था के नाम पर अव्यवस्था फैला रहे हैं। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : आप सारे फैक्ट से अवेयर नहीं हैं (व्यवधान) माननीय मंत्री महोदय, कौन-कौन सी संस्थाओं को क्या एड मिलती है उसका पता ही नहीं है। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय धनखड़ जी, बिराजिये। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : Let me complete, Sir. मुझे तो अपनी बात कम्प-लीट करने दीजिये।

श्री सभापति : माननीय शैलेन्द्र जी जोशी।

+++ शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(122)

श्री जगदीप धनखड़ : +++ सदस्य हैं ? मंत्री हैं, व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मैं अपनी बात कह रहा हूं। (व्यवधान)

श्री सभापति : अब आप तो बिराजिये (व्यवधान) उन्हें कहने दीजिये जो कहेंगे। क्या हो गया आपको ? (व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : माननीय रामस्वरूप जी ने बोलना शुरू कर दिया जब मंत्री महोदय खड़े होकर....(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : समापति महोदय, मेरा निवेदन यह है कि ऐसे मामले (व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : ये सदस्य तो महोदी जाते थे....(व्यवधान) 3-4 महिने के लिए (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : सदन में अपराधी की चर्चा करें, किस का मर्डर किया, किसी ने कोई अपराध किया तो केस रजिस्टर हुआ है। उसका नाम ले सकते हैं। इस घटना के बारे में चौकीदार की लड़की मारी गयी। पुलिस में रिपोर्ट हुई है। अखबारों में स्टेटमैंट छपा है उसका माननीय सदस्या ने उल्लेख कर दिया और जो सब नाम निकल आएंगे। इसलिए, समापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप अपनी व्यवस्था पर पुर्नविचार करें। आपकी व्यवस्था शिरोधार्य है। इसको आप संशोधित करने की कृपा करें। (व्यवधान)

श्री सभापति : जो पहले ही व्यवस्था दे दी गयी है वह यों ही रहेगी।

श्रीमती तारा भण्डारी : समापति महोदय, वह अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके ....(व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया बिराजें। इस प्रकरण को समाप्त करें। (व्यवधान)

श्रीमती तारा भण्डारी : उस चौकीदार को अभी धमकी दी जा रही है। समापति महोदय, चौकीदार को दबाया जा रहा है, उसको धमकियां दे रहे हैं कि तू मत बोल। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्या, जो मुख्य मुद्दा था वह आपने बोल दिया, ध्यानाकर्षित कर दिया, अब सरकार इस पर ध्यान देगी। मुख्य मुद्दा नाम नहीं, मुख्य मुद्दा जो घटना बतायी है वह घटना है। उस घटना पर कार्यवाही होगी। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ : समापति महोदय, व्यवस्था बिगड़ जाएगी। यानि एक महिला संस्था चलाती है उस संस्था में किसी की हत्या हुई ... (व्यवधान)

+++ शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(123)

श्री सभापति : शासन की व्यवस्था हो गयी। मेरी आपसे निवेदन है कि आप विराजें। (व्यवधान)

श्रीमती तारा भण्डारी : (व्यवधान) संस्था की संचालिका है, गवर्नमेंट की एड लेती है उसके हस्ताक्षर होते हैं...(व्यवधान)

श्री टीकमचन्द कान्त : सभापति महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि उस संस्था का नाम आ जाए, संस्था की संचालिका....(व्यवधान)

श्री सभापति : संस्था का नाम आ चुका। तीन दफे बोल दिया। संस्था का नाम आ चुका है इसलिए मैंने जो व्यवस्था दे दी है वह ठीक है इस पर चर्चा नहीं होगी। (व्यवधान) माननीय श्री रामस्वरूप जी।

श्री जगदीप धनखड़ : लगातार मंत्री-गण चुनौती दे रहे हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति : संस्था का नाम आ चुका है, अब आप विराजें। माननीय टीकम चन्द जी, सुन तो लिया कीजिये सारी बातें। इसमें संस्था का नाम 3–4 दफे वह बोल चुकी हैं। संस्था का नाम आ चुका है। (व्यवधान)

श्रीमती तारा भण्डारी : सभापति महोदय, आपको इस बात का धन्यवाद है कि आपने सारी बात सुनी। (व्यवधान)

श्री सभापति : क्या व्यवस्था के बाद में इस प्रकार आपको बोलना चाहिये? (व्यवधान)

श्रीमती तारा भण्डारी : सभापति महोदय, यह +++ महिला उस चौकीदार को धमका रही है और उसको भी मरवा डालेगी। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय रामस्वरूप जी। अब आप नहीं बोलेंगे तो मैं दूसरा नाम पुकार लूंगा। (व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : सदन कैसे चलेगा ऐसे? (व्यवधान)

श्री सभापति : अव्यवस्था पैदा करते हैं माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्रीमती तारा भण्डारी : सभापति महोदय, वह अपने प्रभावशाली लोगों के साथ उनको धमका रही है ....(व्यवधान)

श्री सभापति : मैंने व्यवस्था दे दी। (व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : Do you have a licence कमाल कैसे है, माननीय सभापति महोदय, +++। (व्यवधान)

श्री सभापति : आपकी बात मेरी समझ में आ गयी। व्यवस्था दे दी फिर आप क्या चाहते हो? (व्यवधान) 6 दफे

+++ शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

124

(श्री सभापति)

तो नाम ले लिया और क्या चाहते हैं आप मेरे से ? (व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : +++

श्री सभापति : माननीय श्री रामस्वरूप जी ।

श्री रामस्वरूप मीणा : सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान एक बहुत ही महत्वपूर्ण मसले की ओर दिलाना चाहता हूं। माननीय विद्युत मंत्रीजी यहां विराजमान हैं। आपके विभाग में यह सबसे दुःख की बात है कि बरसात के दिनों में राजस्थान के अन्दर जानवर मर रहे हैं और चिपककर आदमियों की मौतें हो रही हैं। सभापति महोदय, मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि बिजली की लाइनें हैं वह पुरानी लाइनें हैं। लोहे के खम्बें हैं सारे, लोहे के खम्बे में बिजली तुरन्त नीचे आ जाती है। तार सर्किट में से बिजली नीचे आ जाती है। हमारे यहां 4 तो गाय मर गयी, दो आदमी घायल हो गये और एक भैंस मर गयी। इस प्रकार से आज राजस्थान में कितने ही मर रहे होंगे। मेरा सुझाव है कि पुरानी लाइनों को बदलें। पुराने तारों को आप बदलें और वहां की जो पुरानी व्यवस्था है उसमें आप परिवर्तन करें ताकि आये दिन होने वाली घटनाएं, आपके कर्मचारी भी मर रहे हैं, वह भी कई बार ऊपर से नीचे गिर जाते हैं, इसलिए मैं आपका ध्यान इस महत्वपूर्ण विषय की ओर दिला रहा हूं। आप क्या सुधार करेंगे ? कृपया कुछ आश्वासन दें सदन में। कब से तो आप बोल रहे थे लगातार बिना मतलब ही। अब तो दे दो इसका जवाब।

श्री सभापति : माननीय श्री महादेव सिंह ।

श्री रामस्वरूप मीणा : जानवर मर गये, आदमी मर गये चिपक कर। कोई व्यवस्था करायी जाए। इसके लिए क्या व्यवस्था करेंगे वह बताइये ? बदलोगे क्या इन व्यवस्थाओं को आप, या उसी प्रकार कौशलजी की तरह ...(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय महादेव सिंह जी ।

श्री रामस्वरूप मीणा : कुछ तो जवाब दो। (व्यवधान) बोलो। कुछ तो जवाब दो। मर रहे हैं लोग। (व्यवधान)

श्री महादेव सिंह (खण्डेला) : सभापति महोदय, कल दिनांक 23-7-98 को केन्द्रीय सरकार ने विद्युत नियामक आयोग का गठन किया है....

श्री रामस्वरूप मीणा : कोई जवाब ही नहीं मिलता है। (व्यवधान) आदमी मर रहे हैं, जानवर मर रहे हैं और मंत्रीजी

+++ शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री रामस्वरूप मीणा)

चुपचाप बैठे हैं। (व्यवधान) यह क्या मतलब हुआ? बिना मतलब बोलते हैं और जवाब नहीं देते मंत्री लोग। ऐसे मंत्री बैठे हैं। (व्यवधान)

श्री महादेव सिंह : केन्द्र सरकार ने इस विद्युत नियामक आयोग का गठन विश्व बैंक के दबाव में आकर के किया है। मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार के द्वारा विद्युत नियामक आयोग का जो गठन किया गया है उसके बाद यह जरूरी है (व्यवधान)

श्री सभापति : पूरी पार्टी ही काबू में नहीं हो तो।

श्री महादेव सिंह : विद्युत नियामक आयोग का गठन जब केन्द्र सरकार ने कर दिया तो हर प्रांत की सरकार के लिए यह जरूरी हो जाता है कि वह भी विद्युत नियामक आयोग का गठन करे।

श्रीमती कमला : ए.सी. को क्या हो गया?

श्री सभापति : ए.सी. ठीक किया जा रहा है, अभी चालू हो जाएगा।

श्री महादेव सिंह : मैं यह जानना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार ने जो विद्युत नियामक आयोग का गठन किया है वह विश्व बैंक के दबाव में आकर किया है। यह जरूरी हो जाता है कि जब केन्द्र सरकार विद्युत नियामक आयोग का गठन कर चुकी है तो हर प्रांत की सरकार भी विद्युत नियामक आयोग का गठन करेगी। यह हमारा जो सत्र है, यह 10वीं विधान सभा का मैं जहां तक जानता हूं, आखिरी सत्र माना जा रहा है। मैं आपके द्वारा यह जानना चाहता हूं कि क्या विद्युत मंत्रीजी राजस्थान में भी विद्युत नियामक आयोग का गठन करने के लिए यह बिल ला रहे हैं?

श्री सभापति : विराजिये। श्री बनवारी लाल जी।

श्री रामस्वरूप मीणा : पंखे ही चलवा दो ए.सी. ठीक नहीं हो रहा है तो।

श्री बनवारी लाल शर्मा (धौलपुर) : सभापति महोदय, मैं खनिज मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। खनिज मंत्री महोदय से मेरा निवेदन है कि खनिज विभाग ने अपनी रायल्टी वसूल करने के लिए, एक्सेस रायल्टी वसूल करने के लिए आपने कुछ ठेके दिये हैं और ठेकेदारों को ठेके देकर मनमानी करने की छूट दे दी है। विभाग का इरादा तो यह था कि अवैध रूप से अगर कहीं रायल्टी की चोरी हो रही है तो रोका जाए। लेकिन जो ठेके दिये हैं उन ठेकेदारों ने, जो पट्टेधारी ठेकेदार हैं उनसे भी जिनके पट्टे आते हैं; रेवेन्यू आती है उनसे पैसे लेते हैं और 3-3 जगह उन्होने चैक पोस्ट लगा रखी हैं। धौलपुर जिले में सरमथुरा एक पत्थर की मण्डी है। पहले तो चैक पोस्ट लगाकर वहां पर पैसा लेते हैं उसके बाद में वह इंटरनल सैल करते हैं उसमें पैसा लेते हैं...इन्टर-स्टेट सैल करते हैं उस पर पैसा लेते हैं और वह

(126)

(श्री बनवारी लाल शर्मा)

धांधली मचा रखी है। मेरा आपसे निवेदन है कि अगर इस धांधली को आप द्वारा रोका नहीं गया तो वहां ला-एण्ड-आर्डर की स्थिति और समस्या आपके सामने खड़ी हो सकती है। मेरा आपसे निवेदन है कि इसमें दखल दें और अनियमितताओं को रोकें।

श्री सभापति : माननीय पल्लीवाल जी। (व्यवधान)

श्री बनवारी लाल शर्मा : मंत्री महोदय कुछ कह रहे हैं सभापति महोदय।

श्री हरिसिंह (महुवा) : मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं।

श्री बनवारी लाल शर्मा : सभापति महोदय, मंत्री महोदय कुछ कह रहे हैं।

श्री सभापति : ... उन्होंने बहुत साफ शब्दों के अन्दर बता दिया है। (व्यवधान) माननीय मंत्रीजी चाहेंगे तो जवाब दे देंगे। आज यह बात कई दफे हो चुकी है यहां पर।

श्री बनवारी लाल शर्मा : वे दे रहे हैं न, दे रहे हैं।

श्री सभापति : दे रहे हैं तो सुन लीजिए, मुझे क्या एतराज है। आप विराजिये। मंत्रीजी खड़े हो गये।

श्री कैलाश मेघवाल (खनिज मंत्री) : सभापति महोदय, रायल्टी वसूली के ठेके दिये गये हैं, वह कुछ मर्यादाओं में, सीमाओं में और नियमों के अन्तर्गत दिये गये हैं। माननीय सदस्य ने मेरा ध्यान जिस तरह से अनियमितताओं की ओर खींचा है और देय राशि से अधिक राशि वसूल करना और एक जगह की बजाय 2–2, 3–3 जगह पर उसी खनिज की रायल्टी वसूल करना, ये तथ्य हैं। अगर ये तथ्य सही हैं तो मैं आज ही एडिशनल डायरेक्टर, माइन्स एण्ड जियोलोजी, जो जयपुर सर्किल के हैं, उनको निर्देशित करूंगा कि वे कल चले जाएं क्षेत्र में और सारी जानकारी लाकर के सारी व्यवस्था को भी ठीक करें और जो अव्यवस्था की जा रही है, उस अव्यवस्था को समाप्त करें।

श्री सभापति : माननीय पल्लीवाल जी। (व्यवधान) आप विराजिये। मैं पल्लीवाल जी का नाम ले रहा हूं।

श्री बलजीत सिंह (बाड़ी) : मैं इसी मुद्दे के ऊपर... (व्यवधान)

श्री सभापति : नहीं, यह कोई विवाद नहीं है। माननीय सदस्य, यह विवाद नहीं है। उन्होंने चर्चा की है, इन्होंने उठा दिया, इन्होंने जवाब दे दिया। अब यह सदन के लिए कोई विवाद का विषय नहीं है, यह चर्चा का विषय नहीं है।

श्री बलजीत सिंह (बाड़ी) : नहीं, यह विवाद वाली बात नहीं है। मैं इसी मुद्दे पर कहना चाहता हूं। यह चर्चा नहीं है, यह चर्चा नहीं है। अभी जो खनिज मंत्रीजी ने आश्वासन दिया है उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं एक तो

(श्री रणजीत सिंह)

यह जानकारी देना चाहूंगा कि जो रायल्टी वसूल करने के लिए इन्होंने जो ठेके दिये हैं, वे दे रहे हैं एक्सेस रायल्टी के लिए। एक्सेस रायल्टी का मकसद यही होता है कि यह रायल्टी केवल लेसीज से, जो रजिस्टर्ड लेसीज हैं, जो उनसे डेड रेंट के अलावा जो वे माल निकालेंगे उससे वसूल होगा, परन्तु वे जो रायल्टी वसूल किया जा रहा है, न केवल लेसीज किया से आ रहा है पर इल्लीगल माइनिंग का जो भी पत्थर आ रहा है, उसके बराबर ही रेट्स से इल्लीगल माइनिंग से भी किया जा रहा है। इसका मतलब यह है कि जो दो करोड़ रुपये का ठेका धौलपुर जिले के लिए दे रखा है, वह एक्सेस रायल्टी का है। जो रायल्टी केवल डेड रेंट से आता है 40 लाख रुपये तो दो करोड़ रुपये जो वसूल किया जा रहा है वह ज्यादातर 90 प्रतिशत पैसा इन इल्लीगल माइनिंग से किया जा रहा है, जिसके ऊपर 12 गुना रायल्टी लगनी चाहिए। इससे सरकार को 24 करोड़ रुपये का नुकसान पहुचाया जा रहा है। माननीय सभापति महोदय, मैं इनके ऊपर कोई आरोप नहीं लगाना चाहता। मैं खनिज मंत्रीजी के ध्यान में ला रहा हूं कि इसकी भी जांच की जाए और वास्तव में यह जो रायल्टी से आ रहा है, सभापति महोदय, ..

श्री सभापति : बात आ गयी ध्यान में। इसका ज्यादा विश्लेषण करने की आवश्यकता नहीं है। बात समझ में आ गई, वे जवाब दे रहे हैं।

श्री कैलाश मेघवाल : बाड़ी से आने वाले माननीय सदस्य ने जो समस्या रखी है, उसमें भी सत्यता है और सत्यता इसलिए है कि नाके पर जो खनिज जाता है, वह तो जो नाकेदार है, जो ठेकेदार है उस पर रायल्टी वसूल करता ही है नाके पर जाने वाले खनिज पर दोनों तरफ का खनिज होता है जिसमें इल्लीगल माइनिंग का भी खनिज होता है, वह भी नाके पर पहुंचता है। मैं आपको निवेदन करूंगा और इसलिए इस बात का पुख्ता प्रबन्ध किया जाएगा....

श्री बनवारी लाल शर्मा : इन नाकों पर विभाग का आदमी बैठाना चाहिए कानून के अनुसार।

श्री कैलाश मेघवाल : कि इल्लीगल माइनिंग के जो स्पाट्स हैं उन पर भी निगरानी रखें और इल्लीगल माइनिंग करने वालों से दण्डनीय तरीके से वसूल की जाए। यह भी जांच का विषय हो जाएगा।

श्री सभापति : माननीय श्री ताम्बी साहब।

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल (गंगापुर) : मेरा है सर। सभापति महोदय, मेरा है। आपने पहले मेरा नाम पुकारा है।

श्री सभापति : क्षमा करें ताम्बी साहब। पल्लीवाल जी का नाम पहले बोल चुका था। (व्यवधान)

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल (गंगापुर) : सभापति महोदय, मैं गृह मंत्रीजी से विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं कि थाना गंगापुर के अन्तर्गत एक गांव है छावा को

(128)

(श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल)

चाहिये। आज से दो महीने पहले एक माली जाति की महिला जो अपने पास के जंगल के अन्दर लकड़ी बीनने गयी थी, जो उसने कड़े पहन रखे थे पैरों में, दिन-दहाड़े उसके पैरों को कुल्हाड़ी से काटकर कड़े ले गये। उसके हाथ काटकर, हाथ का वह गहना निकालकर ले गये और उस औरत को इतना, मैं आपको बताऊं, मैंने स्वयं ने देखा था लेकिन आज तक न तो जो मारने वाला है उनका सुराग लगा और न, वह क्या बोलते हैं, उस औरत के लिए, उसके पांच बच्चे हैं, उसका पति है, वह कोई काम नहीं करता है। न राज्य सरकार ने कोई उसको आर्थिक सहायता प्रदान की। अगर आपके जयपुर में कुछ हो जाए, रास्ता जाम कर दें तो फटाफट 50,000 या एक लाख का तो वहीं अनुदान दे दें। मेरा निवेदन है कि उस महिला को जिन्होंने मारा है, उनका तो पता नहीं कब होगा, लेकिन उस महिला को आर्थिक सहायता दिलवाने की कृपा करें।

दूसरी मेरी व्यवस्था यह थी कि गंगापुर थाने के अन्तर्गत एक गांव है हिगोट्या। हिगोट्या में एक रैगर जाति का युवक करीब डेढ़ महीने पहले कुए में गिर कर मर गया..

श्री टीकमचन्द कान्त : आज गर्मी भयंकर हो रही है, थोड़ा ए.सी. शुरू करवाइये।

श्री सभापति : ए.सी. ठीक हो रहा है। 2-4 मिनट थोड़ा संयम रखें। पंखे चलवा दिये हैं। कुछ खराबी आ गयी है इसलिए ठीक हो रहा है।

श्री कालूलाल गूजर (मांडल) : ज्यादा देर लगे तो हाउस एडजोर्न कर दीजिए। (व्यवधान)

श्री सभापति : आप अपनी मानसिकता ठीक करो।

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल : उसकी जेब से यह पर्ची मिली कि इसने आत्महत्या की है। ग्राम की पंचायत हुई। ताज्जुब तो यह है कि जो मरने वाला है, वह पढ़ा लिखा नहीं है। ग्राम में पंचायत हुई, एक युवक के ऊपर शक किया गया जिसने कि दो साल पहले एक पंच के मर्डर में शामिल था। उसकी सूचना गंगापुर थाने में दी गयी लेकिन आज तक न तो उसको बुलाया, न कोई कार्यवाही की गयी इसलिए मेहरबानी करके जो इस प्रकार का प्रकरण हुआ है। पहले गंगापुर के अन्दर अपराध नहीं होते थे लेकिन न जाने क्यों दिन-प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं।

मैंने इसी के अन्दर दिया है कि वाहनों की चोरियों के बारे में, सभापति महोदय, आप ताज्जुब करेंगे, एक साल के अन्दर गंगापुर के अन्दर कम से कम 50 से अधिक मोटर साइकिलें और वह भी बिलकुल नई जैसे कम्पनी से निकली हो और 3 दिन, 4 दिन बाद गायब हो गयी। ऐसा महसूस हो होता है कि ये आपके शहर के अन्दर गैंग हैं उसने अब गांवों के अन्दर जाना शुरू कर दिया है। इसलिए मेहरबानी करके जो इस तरह की वारदातें हो रही हैं, चोरियों की वारदातें हो रही है, डकैती की वारदातें हो रही हैं और वाहनों की चोरियों की अत्यधिक वारदातें हो रही हैं चाहे गंगापुर हो,

(श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल)

चाहे हिण्डौन हो, चाहे करोली हो, अब ये जो चोर हैं, इन्होंने सरकार को लूट लिया है....

श्री सभापति : कृपया रिपीट मत कीजिये । संक्षेप में कहिये, बहुत चर्चा है । माननीय श्री ताम्बी साहब ।

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल : अब कह दिया मैंने तो, गृह मंत्रीजी, आप एक तो इस महिला को आर्थिक सहायता निश्चित रूप से दिलायें, यह तो आप कम से कम करें ।

श्री सभापति : विराजिये, विराजिये । हो गयी बात । ताम्बी साहब ।

श्री रतन लाल ताम्बी (जहाजपुर) : सभापति महोदय, मैं जिस विषय के ऊपर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, उस विषय के मंत्री महोदय यहां विराजमान नहीं हैं और जोइंट रेस्पोंसिबिलिटी के नाम पर कोई नोट करेंगे नहीं, इसलिए मेरा यह निवेदन है कि अगर मंत्री महोदय कहीं हो तो बुलवा दीजिये ।

श्री सभापति : तो फिर आप बाद में बोलना । माननीय श्री खेतसिंह जी । विराजिये अब आप ।

श्री रतन लाल ताम्बी : वे आएंगे ही नहीं तो क्या होगा ?

श्री सभापति : नहीं, व्यवस्था मैं नहीं कर सकता अभी आपको ।

श्री रतन लाल ताम्बी : अच्छा मैं निवेदन कर दूं ।

श्री सभापति : तो फिर बोलिये ना संक्षिप्त में अपनी बात । वे एक मिनट में बात कहना चाहते थे और यहां....

श्री रतन लाल ताम्बी : मैंने निवेदन यह किया है कि जहाजपुर से अजमेर और जहाजपुर से बूंदी वाया सरस्या, बिलेटा, इटुण्डा राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसें पिछले एक महिने से इसलिए बंद है कि वहां जो स्टाफ लगाया जाता है वह आना नहीं चाहता और बताया गया कि आय कम है जबकि ऊपर-नीचे बसें चलती हैं और हालत बहुत खराब है । अजमेर से और बूंदी से उस इलाके का काफी सम्बन्ध है और लोगों का आना-जाना रहता है । बीच में काफी गांव लगते हैं । उनमें यातायात की अन्य सुविधा उपलब्ध नहीं है इसलिए मैं आपकी मार्फत सरकार, सरकार में बैठे मंत्री महोदय और उनकी मार्फत यातायात मंत्रीजी से अनुरोध करना चाहूंगा कि जहाजपुर से अजमेर वाया सावर केकड़ी की बस को और जहाजपुर से बूंदी वाया सरस्या, बिलेटा, इटुण्डा, इन बसों को पुनः जल्दी आरम्भ की जाए और स्टाफ के भरोसे मैनेजमैंट नहीं चले । स्टाफ की मर्जी हो तो चालू कर देते हैं और स्टाफ की मर्जी हो तो बंद कर देते हैं इसलिए इन दोनों रूटों पर व्यवस्था स्थाई रूप से की जाए ।

श्री सभापति : माननीय खेतसिंह जी ।

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : माननीय सभापति महोदय, आज से चार रोज पहले, जिस रोज मुख्य मंत्री महोदय स्वयं उपस्थित थे तब हमने एक प्रश्न उठाया कि पश्चिमी राजस्थान के अन्दर अकाल की स्थिति बहुत ही गहन हो गयी है, चारे की कमी आ गयी क्योंकि सारी घास जल गयी। फसलें बोई थीं वे नष्ट हो गयी हैं। लोगों ने ट्रैक्टर से और बीज खर्च करके पैसा लगाया था वह बरबाद हो गया है लिहाजा आप वापस से फेमिन वर्क शुरू करवाइये ताकि वहां कुछ राहत कार्य शुरू हों। मुख्य मंत्रीजी ने उस वक्त, राहत मंत्री जी यहां मौजूद थे, उनसे कहा था कि आप जिलों से रिपोर्ट्स मंगवाइये। हमने आज जिलों से मालूम की है कि उन्होंने एस. डी. ओज. को भेजकर रिपोर्ट मंगा ली है। हम आपसे यही निवेदन कर रहे हैं कि मेहरबानी करके 29 या 30 तारीख को, एप्रोप्रिएशन बिल जिस समय पास हो, उस रोज यह स्टेटमैंट आ जाए कि जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर की चार तहसीलें, जालोर, ये सारा इलाका है, यह बिलकुल बैरन है, फेमिन है ऐसा फेमिन है कि बारिश बिलकुल नहीं हुई है।

श्री भीमराज भाटी (पाली) : पाली जिले में भी बारिश नहीं हुई है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : और जैसा पाली के माननीय सदस्य कह रहे हैं, पाली जिला भी इसमें शरीक है। पश्चिमी राजस्थान के लोगों को यह वहम है, चूंकि पूर्वी राजस्थान में अच्छी बरसात हुई है तो लोग

(14.00 बजे)

यही सोचते हैं कि सारे राजस्थान में बरसात हो गयी है। हकीकत यह है कि पश्चिमी राजस्थान में सिर्फ एक साइक्लोन की बारिश हुई, वह भी कुछ इलाके में हुई थी, बाकी के इलाके में हुई नहीं थी। लिहाजा मेरा यह निवेदन है कि 29 या 30 तारीख को आप सरकार को बाध्य कीजिये कि वह हमें यह स्टेटमैंट दे और आगे क्या पालिसी है गवर्नमैंट की, वह हमको बतलाये।

श्री सभापति : श्रीमती मीना जी।

श्री राजेन्द्र चौधरी : सभापति महोदय, अभी माननीय खेतसिंहजी ने जो बात कही, वास्तव में अकाल की बहुत भयंकर विभीषिका है, असमान स्थिति है। (व्यवधान)

श्री सभापति : हर विषय पर माननीय राजेन्द्रजी, बोलना आवश्यक नहीं है, न नियमों में है। इन्होंने पर्ची दी, बात खतम हो गयी। क्योंकि इस विषय पर तो बीसों सदस्य बोल सकते हैं और सही है.... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र चौधरी : अकाल उसी क्षेत्र में है ...

श्री सभापति : ऐसा कायदा नहीं है, नियम नहीं है। इन्होंने ध्यान आकर्षित कर दिया, आप भी दे देते पर्ची।

श्री मगराज चौधरी (आहोर) : बिलकुल ठीक आपने कहा मगर जो महत्वपूर्ण, गम्भीर समस्या के बारे में ध्यान आकर्षण करवाया है, कम से कम आप जवाब.... (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय खेतसिंहजी बहुत सक्षम हैं, इनकी आवाज के अन्दर ताकत है। इन्होंने बात रेज कर दी है, अब आप क्या कहना चाहते हैं ? (व्यवधान)

श्री भीमराज भाटी : सभापति महोदय, वहां जानवरों की हालत बहुत गम्भीर हो गयी है, पीने के पानी की बहुत भारी समस्या हो गयी है।

श्री सभापति : कोई अर्थ नहीं है। आपकी चर्चा आ रही है, बैठिये आप।

श्री खेतसिंह राठौड़ : इनसे कहिये कि कोई तारीख दें, उस तारीख को स्टेटमेंट दे देंगे, इतने–इतने बड़े मिनिस्टर बैठे हैं, कम से कम आप यह तो कहिये कि 29 या 30 तारीख को हम स्टेटमेंट दे देंगे। (व्यवधान)

श्रीमती मीना अग्रवाल : सभापति महोदय, अलवर की जो सड़कें हैं वह काफी खराब हैं। यू. आई. टी., पी. डब्ल्यू. डी., नगर परिषद, यह तीनों सड़क बनाती हैं। मैं आपको यह बताना चाहती हूं कि पी. डब्ल्यू. डी. की जो सड़कें हैं उनकी लिस्ट है, दस सड़कों की बहुत हालत खराब है....

श्री भगराज चौधरी : साहब, मैं कोई जानकारी नहीं दे रहा हूं मगर कम से कम यह तो कहें कि सारे जिलों से हम खबर मंगवा लेंगे और उसके आधार पर जो भी व्यवस्था होगी इसके बारे में, करने का प्रयत्न करेंगे, चेष्टा करेंगे। जब इस प्रकार का महत्वपूर्ण मामला सदन के सामने आने के पश्चात् भी कोई सरकार मौन बैठी रहे, आखिर में लोगों का हौंसला टूट गया है वहां पर, बरसात की बूंद तक नहीं पड़ी है। 95 प्रतिशत गांवों के अन्दर यही हालत है, चारे–पानी की स्थिति है।

श्रीमती मीना अग्रवाल : मैं आपको बताना चाहूंगी, काशीराम के चौराहे से सिंधी चौराहे, भगतसिंह चौराहे, वहां एक है। दूसरी सड़क तबेले चौराहे से लाल डीबी चौराहे से मौनी बाबा के प्याऊ तक, यह सड़क खराब है। तीसरी है विवेकानन्द चौराहे से गोरापेट चौराहे से प्रताप स्कूल के सामने। चौथी सड़क है जनाना अस्पताल से मनी का बड़। पांचवी सड़क यह है पावर हाउस से रानी मिल तक की। छठी है पुराने स्टेशन रोड वाया सदर थाना काली मोरी फाटक देहली रोड वाया पुराना सबय चेतक, पॉली टेक्नीक कालेज से इटाराना तक आईसा फैक्ट्री तक, मनु मार्ग तिराहे से विवेकानंद तक, यह सड़क बिलकुल खराब पड़ी है। इसी तरह कचहरी तिराहे से बाला किला तक जो अपन चढ़ते हैं वह सड़क भी बिलकुल खराब है। गोरापेट के चौराहे से जयपुर रोड पर आप भी आते-जाते हैं, वह सड़क बिलकुल खराब है। मैंने आपको दस पी. डब्ल्यू. डी. की सड़कों की लिस्ट बताई है। कोई सड़क की मरम्मत नहीं हो रही है।

दूसरी बात मैं यू. आई. टी. की बताऊंगी साहब। यू. आई. टी. ने घोषणा करी थी छह महीने पहले कि 60 लाख रुपये में स्कीम नं. 1, स्कीम नं 2 की सड़क हम बनाएंगे, प्रशासन ने घोषणा अखबारों

(श्रीमती मीना अग्रवाल)

में की। उसमें क्या लिखा, 60 लाख में 13 किलोमीटर सड़क बनेगी। 13 किलोमीटर बनती है तो जनता का सवाल आता है हमारे पास कि एक किलोमीटर में पांच लाख रुपये लगेंगे, पांच लाख कैसे लगेंगे जबकि पहले से सोलिंग वहां मौजूद है। पहले से जब कालोनी बनी थी, सड़क बनी थी, अब वह सड़क टूटी-फूटी है तो जनता के सामने से यह बात मेरे पास आई कि पांच लाख एक किलोमीटर पर कैसे लगेंगे। इस बारे में मंत्रीजी विचार करें कि नई सड़क बने उसमें तो पांच लाख हो सकते हैं, पर जो पुरानी सड़क है, उस पर पांच लाख कहां से लगेंगे। तीसरी बात, जैसे कुछ अलवर में याचिकाएं दायर हुई हैं कि सड़कों का मामला हमारे खराब है, गड्ढे हैं, एक्सीडेंट होते हैं, किसी के फ्रेक्चर होता है, किसी की हड्डी टूट जाती है, सड़क एक बहुत बड़े पुण्य का काम है, सड़क तैयार होनी चाहिए वहां पर।

श्री सभापति : ठीक है। हो गया ध्यानाकर्षण। माननीय श्री हरजीरामजी।

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि नागौर जिले में सारे सरकारी अस्पतालों में एक्स-रे मशीनें खराब पड़ी हैं। कई जगह तीन-तीन चार-चार साल से और डीडवाना-लाडनूं जैसे महत्वपूर्ण अस्पतालों में 93 से मशीनें खराब हैं और जहां कोई छोटे अस्पतालों में मशीनें ठीक हैं वहां एक्स-रे टेक्नीशियन नहीं है। जिला अधिकारी और अस्पताल के इंचार्ज पूरे जिले के मिलकर के ऐसी लूट मचा रखी है कि जहां अगर एक्स-रे मशीनें ठीक हैं, तो वहां एक्स-रे टेक्नीशियन नहीं हैं और जहां मशीनें वर्षों से खराब पड़ी हैं वहां उनको बैठा रखा है। सारी जगह जहां सरकारी मशीनें हैं वहां पांच-पांच मशीनें प्राइवेट लग रही हैं। डाक्टर और सी. एम. एण्ड एच. ओ. उनसे कमीशन ले रहे हैं और ऐसी अव्यवस्था कर रखी है कि सारे गरीब आदमी वहां लूटे जा रहे हैं। मैंने पूर्व में भी माननीय चिकित्सा मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित किया था तो उन्होंने इस बात को स्वीकार किया था कि वहां की हालत खराब है मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार का पुनः ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि गरीब जनता की भलाई के लिए जो एक्स-रे मशीनें लगाई गयीं हैं और अस्पताल खोले, वहां पर लूट मची हुई है, सी. एम. एण्ड एच. ओ. और सारे डाक्टर्स मिल कर जनता को लूट रहे हैं।

श्री सभापति : श्री शम्भूदयाल बड़गूजर।

श्री शम्भूदयाल बड़गूजर (केकड़ी) : सभापति महोदय, मेरा पांइट आफ इन्फोर्मेशन है। मेरे केकड़ी विधान सभा क्षेत्र में आज प्रातः 11 बजे और 12 बजे के बीच में केकड़ी-सावर मार्ग पर जीप और बस की एक भयंकर दुर्घटना से 12 व्यक्तियों की तो मौके पर ही मृत्यु हो गयी, दो गम्भीर रूप से घायलों को अजमेर रेफर किया गया और एक को केकड़ी अस्पताल

(श्री शम्भूदयाल बड़गूजर)

में भर्ती किया है। दुर्घटना ऐसी भयंकर हुई कि 12 व्यक्ति, जिनमें मेरे निर्वाचन क्षेत्र के कांटेड़ा, खवास के राजपूत समाज, माली समाज और कुछ अनुसूचित जाति के व्यक्ति थे, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि मुख्य मंत्री सहायता कोष से सरकार उन मृत यात्रियों के परिजनों को समुचित सहायता उपलब्ध करवाएँ। मेरा यह भी आपके माध्यम से आग्रह है कि राजस्थान सरकार के किसी मंत्री को घटना स्थल पर तुरन्त भेजा जाए, मैं भी वहां जाना चाहता हूं। मैंने मेरी पर्ची आपको बहुत पहले इसीलिए दी थी कि यह बहुत प्राथमिकता वाली और एक दर्दनाक घटना है। मैं आपके माध्यम से पुनः सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि उनके परिजनों को सहायता राशि दिलावें, क्योंकि हो सकता है, गरीब व्यक्ति हैं, दाह संस्कार के लिए भी पैसे न हो। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिला प्रशासन को यहां से निर्देश भिजवाएँ ताकि वह भी पहुंचे, मैं भी अनुमति चाहता हूं कि घटनास्थल पर जाऊं।

श्री सभापति : श्री भगराज चौधरी।

श्री भगराज चौधरी (आहोर) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सहकारिता मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। जालौर जिले की सायला पंचायत समिति के ग्राम ढूंढवा में फव्वारा सैट कुओं पर लगाने के लिए ऋण दिया गया था और उस ऋण की अदायगी के पेटे उन काश्तकारों से भूमि रहन रखवाई गयी थी। उसके बाद में आज से करीब दो महीने पहले जो भी राशि बकाया थी उन काश्तकारों ने सायला भूमि विकास बैंक की शाखा में जाकर जमा करवा दी। जमा करने के पश्चात नो ड्यूज सर्टिफिकेट प्राप्त कर लिया। नो ड्यूज सर्टिफिकेट प्राप्त करने के पश्चात् उन परिवारों को ट्रैक्टर खरीदने की जरूरत थी इसलिए दूसरी बैंक से जाकर ऋण प्राप्त कर लिया, इससे उनको नाराजगी हो गयी कि आपने ट्रैक्टर हमारे से क्यों नहीं खरीदा। अगर आप हमारे से खरीदते तो हमें कुछ कमीशन मिलता। खैर, इस बात को लेकर नो-ड्यूज सार्टिफिकेट देने के पश्चात्, बकाया नहीं होते हुए भी उन ऋणों की दोबारा फर्जी वसूली निकाल कर के भूमि जो रहन रखी गयी थी, उसको तो कुर्क नहीं किया और जो ट्रैक्टर बैंक के मार्फत, दूसरी बैंक से खरीदा गया था, जो दूसरी बैंक के रहन रखा गया था उस ट्रैक्टर को कुर्क करने के लिए वहां चले गये। बिना नोटिस दिये, बिना कार्यवाही किये, और कुर्क करने की कार्यवाही कर ली। राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम, 1956 और उसके तहत जो रूल्स बनाये गये हैं उनमें व्यवस्था की गयी है कि सहकारी संस्थाओं और सहकारी बैंकों के जो ऋण बकाया हैं उनकी वसूली पेटे काश्तकारों के एग्रीकल्चर इक्यूपमेंट्स ट्रैक्टर, दूधारू मवेशी, बैल आदि जो खेती के काम में आते हैं वह कतई कुर्क नहीं किये जाएगे क्योंकि सिविल प्रोसीजर कोड सेक्शन-60 है, उसमें व्यवस्था की गयी है कि इस प्रकार की वस्तुएं बिक्री होने के बावजूद भी उन काश्तकारों से कुर्की के जरिये वसूल

(श्री भगराज चौधरी)

नहीं की जाएगी । इसी धारा को रूल्स के अन्दर मान्यता दी गयी है और साफ इसमें व्यवस्था की गयी है कि किसी प्रकार की सहकारी संस्थाओं को बकाया हो, चाहे बैंक की बकाया हो, ऋण की वसूली पेटे, वह सारी वस्तुएं, जिनका कि एक्जम्प्शन कुर्की से है, कुर्की से जिनको मुक्त रखा है, सैक्शन 60 सी. पी. सी. के तहत, वह सारी वस्तुओं को सहकारी संस्थाओं की वसूली, बकाया पेटे कुर्क नहीं किया जायेगा । मगर सभापति महोदय, इस प्रकार की धांधलीबाजी की गयी और जब उन संबंधित परिवारों ने एतराज किया, तो औरतों के साथ अभद्र व्यवहार किया गया, भला-बुरा कहा गया और जब औरतों ने वह ट्रैक्टर नहीं लाने दिया तो उन्होंने पुलिस की सहायता लेकर मुकदमा दर्ज करवा दिया तीन औरतों को और दो आदमियों को गिरफ्तार करवा दिया और धांधलीबाजी करके वहां से उन्होंने ट्रैक्टर हटा लिया पुलिस की सहायता से ।

सभापति महोदय, इस प्रकार की धांधलीबाजी के बारे में मैं माननीय मंत्री महोदय से आश्वासन चाहता हूं कि आप नियमों के आधार पर चलना चाहते हैं या नहीं चलना चाहते । आप ऋण देते हैं किसानों को आर्थिक दृष्टि से सम्बल प्रदान करने के लिए और रूल्स में व्यवस्था न होते हुए भी, कानून में व्यवस्था न होते हुए भी इस प्रकार की धांधलीबाजी करते हैं उन अधिकारियों के खिलाफ क्या कुछ आप एक्शन लेने को तैयार हैं या नहीं हैं ?

साथ में मैं गृह मंत्री महोदय आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जब इस प्रकार की व्यवस्था में इनको ट्रैक्टर कुर्क करने का अधिकार नहीं था और जब अधिकार नहीं था तो ऐसी स्थिति में उन परिवारों द्वारा ट्रैक्टर कुर्क करने की कार्यवाही करने में व्यवधान पैदा करने का कोई प्रश्न पैदा नहीं होता । अगर ट्रैक्टर कुर्क करने के बाद ले जाने में रुकावट भी पैदा की है अथवा नहीं ले जाने दिया है तब भी किसी प्रकार का उन्होंने आई.पी. सी. के तहत कोई दण्डनीय अपराध नहीं किया है फिर भी जो मुकदमा दर्ज किया गया है मैं समझता हूं बहुत गलत है इसलिए कम से कम आप तो उस मुकदमे में एफ.आर. लगाने की व्यवस्था करावें ।

साथ में मैं सहकारिता मंत्री महोदय, आपके जिन बैंक अधिकारियों ने एन.ओ. सी. देने के बाद में केवल मात्र बनावटी मामला बनाकर के और परेशान करने के दृष्टिकोण से जो ये सारे मुकदमें दर्ज कराये हैं और जो ट्रैक्टर कुर्क करवाया है उसके बारे में आप एक्शन लें । इस बारे में मैं आपसे आश्वासन चाहता हूं ।

श्री सभापति : माननीय श्री हरिसिंह जी (महुआ) ।

श्री हरिसिंह (महुआ) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी का

(श्री हरिसिंह)

ध्यान आकर्षित करवाना चाह रहा हूं। अभी पिछले दिनों मेरे इलाके में भारी वर्षा और अतिवृष्टि से दो सड़कें क्षतिग्रस्त हो गयी। एक सड़क देवलिन मोड़ से बालघाट वाया देवलिन--महमूदपुर-जग-दीशपुरा-मुड़िया इस सड़क की तीन जगह से पुलिया टूट गयी। पिछली बरसात में भी इन्हीं स्थानों पर ये पुलियाएं टूटी थीं। सरकार ने इनकी मरम्मत की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। वहां स्थानीय लोगों ने इन्हें ट्रैक्टर से मिट्टी डालकर वाहन चलने लायक बनाया। बरसात निकलने के बाद में सरकार को ज्ञापन दिये गये और आंदोलन की स्थिति बनी। चक्का जाम किया तब सरकार कहीं जागने की पोजीशन में आयी और उस समय उन पर थोड़ा बहुत काम शुरू किया। प्रोटेक्शन वाल बनवाई लेकिन वह काम, माननीय सभापति महोदय, अधूरा छोड़ दिया गया। अब पुनः वर्षा हो गयी और वर्षा होने के बाद वह सड़क बिलकुल तहस-नहस हो गयी है और आवागमन का रास्ता बिलकुल अवरुद्ध हो गया है। उस पर जो राजस्थान रोडवेज की बसें चलती हैं, सीमित मात्रा में बसें चलती हैं सवारियां ऊपर–नीचे चलती हैं। इस प्रकार सड़क टूटी हुई कि अगर किसी प्रकार का कोई हादसा हो गया तो सैकड़ों लोगों के मरने की आशंका है। इसलिए मैं आपके माध्यम से पुरजोर शब्दों में सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि देवलिन मोड़ से बालघाट तक जो सड़क जा रही है, उस टूटी हुई सड़क पर पुलियाओं का निर्माण कार्य अतिशीघ्र करवाया जाए और अतिवृष्टि के कारण जहां सड़क जगह-जगह टूट गयी है उससे भारी क्षति हो रही है अतः मेजर स्केल पर पेचवर्क करवाने के तुरन्त आदेश प्रदान करें।

श्री सभापति : माननीय श्री अहारी। अनुपस्थित। माननीय डा. जितेन्द्र सिंह। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : वे आ गये नाथूराम जी अहारी। बोलोगे आप ? बोलो।

श्री नाथूराम अहारी : सभापति महोदय जी, मैं शिक्षा मंत्री तो यहां हैं नहीं। आजकल द्वितीय श्रेणी के अध्यापकों की भर्ती हो रही है उसमें डूंगरपुर में मध्यप्रदेश, बिहार, और गुजरात से फर्जी डिग्री लेकर आने वाले अभ्यर्थियों की वहां बाढ़ लग गयी है। अध्यापक बाहर से फर्जी डिग्री में 80 से 85-90/. अंक ला करके बाहर से वहां आ गये हैं जिससे स्थानीय जो प्रशिक्षित अध्यापक हैं वे वंचित रह गये हैं। इससे वहां बड़ी समस्या हो गयी है। प्रशिक्षित जो अध्यापक हैं वे बेरोजगार हो गये हैं, ओवरएज हो रहे हैं। मैं शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि फर्जी डिग्री देने वाली जो संस्थाएं हैं उनकी छानबीन करके उन पर रोक लगायी जाए। उदयपुर में भी एक संस्था ऐसी है, ऐसी जानकारी मिली है। मेरा सरकार से और शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन है कि फर्जी डिग्री लेकर आने वालों को वहां आने से रोक लगायी जाए। धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय डा. जितेन्द्र सिंह ।

डा. जितेन्द्र सिंह (खेतड़ी) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से राजस्थान में अन्य पिछड़े वर्ग को दिये गये आरक्षण में क्रिमीलेयर के मापदंड के पुनरावलोकन के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। महोदय, सरकार ने समाज के दबे और पिछड़े वर्ग के लिए पिछड़े वर्ग का आरक्षण किया और केन्द्र सरकार के डायरेक्शन्स के अनुसार पिछड़े वर्ग में क्रिमीलेयर का उन्होंने मापदंड रखा। महोदय, अभी जो वर्तमान स्थितियां हो रही हैं मनी का डिवेल्यूएशन हो गया है, तनख्वाहें बढ़ गयी हैं। उसमें स्थिति यहां तक आ गयी है कि एक बैंक का कर्मचारी, और तो और मेरे विधान सभा क्षेत्र में जो कापर प्रोजेक्ट का मजदूर है, वह भी क्रिमीलेयर में आ गया है। जिस व्यवस्था का लाभ एक मजदूर और एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को नहीं मिलेगा उससे बड़ा दुर्भाग्य कि पिछड़े वर्ग के साथ क्या बात होगी। इससे तो अच्छा था आरक्षण ही नहीं किया जाता।

महोदय, दूसरा आपसे निवेदन इस विषय में है कि कल ही प्रधान मंत्री जी ने लोक सभा में इस बारे में वक्तव्य दिया है कि वे जो सीमा निर्धारित की गयी है उस सीमा को बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं। महोदय, मेरा सरकार से निवेदन है कि समाज के उत्थान के लिए इस पर पुनर्विचार किया जाए। सबसे बुरी स्थिति यह पैदा हो रही है कि गांव में तहसीलदार ओ.बी.सी. का प्रमाण पत्र ही जारी नहीं कर रहे हैं। मैं सरकार से यह निवेदन करूंगा कि वह निर्देश दें अपने तहसीलदारों को कि वे ओ.बी.सी. के क्या मापदंड हैं उसके तहत लिबरलाइज करके, सही तरीके से उनको सर्टीफिकेट जारी करें।

अन्त में, महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जिस व्यवस्था का लाभ समाज के दबे हुए और पिछड़े वर्ग को आप देना चाहते हैं अगर शैक्षणिक संस्थानों में उनके लड़के ही पढ़कर डाक्टर, इंजीनियर और आई.टी.आई. में नहीं जाएंगे तो वह लाभ उस वर्ग को कहां मिल पाएगा। मेरा आपसे पुरजोर निवेदन है कि शैक्षणिक संस्थाओं जैसे दक्षिण भारत में मेडिकल कालेज और इंजीनियरिंग कालेज और आई.आई.टी. हैं समाज के इस वर्ग को इनमें भी प्रतिनिधित्व दिलाने के लिए सिफारिश करें। धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री धनखड़, साहब ।

श्री जगदीप धनखड़ (किशनगढ़) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपका आभार प्रकट करता हूं कि आप मुझे बोलने का अवसर दे रहे हैं। मान्यवर, मैं एक अहम मुद्दे की ओर माननीय सहकारिता मंत्री और राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

मान्यवर, राज्य में करीब पांच हजार ग्राम सेवा सहकारी समितियां हैं और पांच हजार ग्राम सेवा सहकारी समितियों में करीब चार हजार सहकारी व्यवस्थापक कार्यरत

(श्री जगदीप धनखड़)

हैं। आज के दिन इनकी स्थिति अत्यन्त दयनीय है। इन सहकारी व्यवस्थापकों के आज के दिन न तो कोई नियोजक हैं, न यह कह सकते हैं कि ये किसके एम्प्लोयमैंट में है। मान्यवर, इनके हितों के लिए कोई उत्तरदायी नहीं है। बैंक इनका तबादला करता है, बैंक इनका निलम्बन करता है, बैंक इनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही करता है, बैंक ही अन्य निर्देश भी देता है पर जो नियोजक का उत्तरदायित्व है वह बैंक निभाने को तैयार नहीं है। आज के दिन स्थिति यह है कि पहले इन व्यवस्थापकों का पी.एफ कटता था, अब ऐसा नहीं हो रहा है। कुछ जगह हो रहा है। अधिकांश जगह नहीं हो रहा है। आज के दिन स्थिति यह है कि न तो यह कह सकते कि ये कहीं एम्प्लोयमैंट में हैं और इनका पूरा भार ग्राम सेवा सहकारी समितियों पर डाल दिया गया है। अब जब एक ग्राम सेवा सहकारी समिति से तबादला दूसरी पर हो गया तो दूसरी पर डाल दिया गया इसका असर यह हुआ, मान्यवर, कि ग्राम सेवा सहकारी समिति की वित्तीय स्थिति तो खराब हो ही गयी और यह जो लोग सहकारी आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभा रहे थे और जिनको नोकरी राज्य सरकार से निर्देश पर केडर अथोरिटी के बिहाफ पर बैंक ने दी थी और बैंक इनको अपना नोकर मान रहा था। चूंकि एक उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार 1991 में केडर अथोरिटी के गठन को अवैध मान लिया गया। मान्यवर, आवश्यकता थी उस समय कि सरकार कोई ऐसा कदम उठाती कि जिसके कारण चार हजार से ज्यादा सहकारी व्यवस्थापकों की स्थिति दयनीय नहीं होती।

मान्यवर, उच्चतम न्यायालय ने जो निर्णय दिया है उसमें स्पष्ट रूप से कहा है कि यह बैंक के कर्मचारी हैं। ऐसी परिस्थिति में न्यायालय के आदेश की पालना न करना और इन लोगों को ग्राम सेवा सहकारी समिति के अधीन रखना, जो ग्राम सेवा सहकारी समिति भी नहीं मान रही है, ग्राम सेवा सहकारी समिति कहती है कि न तो हमने इनको नोकरी दी, हम किस आधार पर अपने आपको इनका एम्प्लाई मानें।

मान्यवर, आपके माध्यम से मैं माननीय सहकारिता मंत्री जी से अनुरोध करूंगा जो व्यवस्थापक हैं वह खुद कहते हैं कि मंत्री जी हमदर्द हैं, उनकी समस्याओं को बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। माननीय मंत्री जी, मैं आपसे विशेष अनुरोध करूंगा कि इन चार हजार सहकारी व्यवस्थापकों की स्थिति को सुधारने के लिए या तो आप एक कमेटी का गठन कर दें जो एक निश्चित समयावधि में एक पैकेज दे जिससे इनकी जो समस्याएं हैं उनका निराकरण हो सके। या विधान सभा की एक समिति इस मुद्दे को एग्जामिन करे ताकि इन लोगों को राहत मिल सके। और सहकारी आंदोलन इसकी वजह से जो थोड़ा झटका खा रहा है वह भी तीव्र गती में आये। माननीय सहकारिता मंत्री जी से मैं अनुरोध करूंगा इस विषय पर आप अवश्य कुछ कहें ताकि उन लोगों को राहत मिल सके।

(138)

श्री सुजान सिंह यादव (सहकारिता मंत्री) : फिर +++ शुरू हो जाएगा। मैं बोला और +++ शुरू हुआ।

श्री जगदीप धनखड़ : बोलिये, बोलिये मंत्री जी।

श्री सुजान सिंह यादव : सम्माननीय सभापति महोदय, मैं गत चार वर्षों से निरन्तर प्रयासरत हूं। व्यवस्थापक मेरे विभाग की रीढ़ की हड्डी है। मैं भली प्रकार से जानता हूं इनका कुछ–न-कुछ होना चाहिये। मगर यह समस्या चार साल की नहीं है, यह समस्या चालीस साल की है। इनके राज में भी यह समस्या थी, यहां भी समस्या है मगर आपने तो उसका कोई विचार नहीं किया। मैं निरन्तर चार साल से प्रयासरत हूं काफी प्रयासरत हूं और मैंने बारम्बार जब इनकी केडर प्रयोरिटी हाई कोर्ट ने निरस्त कर दी, ये सुप्रीम कोर्ट में गये। उस बीच में भी मैंने इनके नेताओं को बुलाया मगर इनके नेता नहीं आये। लगभग 5223 व्यवस्थापक राजस्थान में हमारे विभाग से सम्बन्धित हैं। अन्य सोसायटियों में उन्होंने अपने आप रखे हैं। हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने हमारे पर फैसला छोड़ दिया। जब विभाग इनकी, नियमों की व्यवस्था करने लगा तो इनके नेता हाई कोर्ट में चले गये और हाई कोर्ट ने विभाग को यह आदेशित किया कि आप जब तक हमारा कोई फैसला नहीं हो, इनका निस्तारण नहीं करेंगे। फिर भी एक सप्ताह पहले यह लोग मुझसे मिले थे। मैंने उनसे निवेदन किया कि विधान सभा सत्र के बाद मेरे साथ बैठ लें, जो प्रस्ताव विभाग आपको रखे या विभाग की बात आपके समझ में आती है तो आप, मान लो, यदि आपके विभाग की बात समझ में नहीं आती है तो आपका विषय हाई कोर्ट में निर्णयाधीन है, फिर जो भी उच्च न्यायालय करेगा उसको मानना पड़ेगा। स्वीकार करेंगे। इसलिए मैं यह चाहता हूं कि यह समस्या कोई मेरे टाइम की नहीं है, यह समस्या तो प्रतिपक्ष के टाइम की पैदा हुई है।

श्री सभापति : माननीय श्री रघुवीर सिंह जी। अब इसमें विवाद नहीं चलेगा। यहां कोई निर्णय नहीं होने वाला है। ध्यान आकर्षित कर दिया, मामला जाएगा, देखेंगे।

श्रीमती कमला : सभापति महोदय, मेरा नाम भी है। सभापति महोदय, मैं थोड़ा जानना चाहती हूं कि मेरा नाम लिस्ट में है या नहीं?

श्री हरजीराम बुरड़क : 5200 व्यवस्थापकों का मामला है, यह गलत है मंत्री महोदय। यह समस्या कब उत्पन्न हुई, यह समस्या जब उत्पन्न हुई जब केडर प्रयोरिटी खतम हुई और केडर प्रयोरिटी खतम हुई तब आपकी सरकार थी। उसके पहले कोई अव्यवस्था नहीं थी। बैंक इनको दिला रही थी।

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्रीमती कमला : मैं खुद माननीय अध्यक्ष महोदय, को उनके चैम्बर में उनके हाथ में थमा करके आई थी। मेरा इसमें नाम होना जरूरी है, इसी के कारण मैं यहां पर बैठी हूं।

श्री सभापति : आप बिराजें। मेरे पास में नहीं है। मैं बाद में बुलवा दूंगा। आप बिराजें, मेरे पास कोई पर्ची नहीं है आपकी। तथापि आपसे समय आएगा तब मैं निवेदन कर दूंगा।

श्रीमती कमला : पहले ही दिला दें तो अच्छा है। मुझे अभी भोजना करना है।

श्री सभापति : मैं पर्ची में अभी जरा सी भी गड़बड़ करूंगा तो आपके ही लोग मुझसे कहेंगे ऊपर-नीचे कर रहे हैं। इधर से तो नहीं कहते। यही कहते हैं ऊपर-नीचे कर रहे हैं। आप तो हर विषय में विवाद जरूर करेंगे। कल जब लिखाकर लाये सचेतक महोदय से और उस पर मैंने नाम ले दिया, बड़ा झंझट हो गया। जब सचेतक महोदय ने लिख दिया उस समय जो लोग थे कि इनका नाम ऊपर कर दीजिए, मैंने ऊपर कर दिया। मैं तो गाइडेड होता हूं इस मामले में। सचेतक महोदय लिख दें फिर इसमें इतना हल्ला किस बात का था ?

श्री हरजीराम बुरड़क : मैंने जब पर्ची दी उस समय एक भी पर्ची नहीं थी। लेकिन मैं कहां कह रहा हूं, हमें कोई एतराज नहीं है, आप कह रहे हो कि आप एतराज करते हो, हम तो कोई एतराज नहीं कर रहे हैं। आप जब भी बुलाओ, आपको छूट है।

श्री सभापति : मैं कहां कह रहा हूं, मुझे यहां पर अध्यक्ष महोदय जिस प्रकार पर्ची दे गये थे उसके अनुसार मैं बुलवा रहा हूं। ऊपर-नीचे कर देंगे जैसे आप चाहें, मुझे क्या है ? माननीय श्री रघुवीर सिंहजी।

श्री रघुवीर सिंह (सराड़ा) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से पंचायती राज राज्य मंत्री भी नहीं है, शिक्षा मंत्री भी नहीं है, वे यहां उपस्थित होते तो अच्छा रहता, क्योंकि हमारी बात वजनदार नहीं रहेगी। एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर आप के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। पिछली सरकार ने, मेरा मतलब कांग्रेस सरकार से है, के समय में, विशेषकर मेरे उदयपुर जिले की बात कह रहा हूं, वहीं तक सीमित रहूं तो अच्छा है, वैसे राजस्थान में सब जगह थी। काफी नवयुवक जवानों को जो शिक्षित बेरोजगार थे उनको संविदा टीचर के रूप में शिक्षा विभाग में, पंचायती राज में सब जगह एडजेस्ट करके अध्यापन कार्य उनके माध्यम से करवाया जा रहा था। जब हमारी सरकार बनी उस समय उन्होंने बंद कर दिया। उसके बावजूद भी कोई आपस में बैठकर यह तय हुआ कि जो संविदा टीचर थे उनको एस.टी.सी. कराई जाए। फिर दो साल का उन्होंने एस. टी. सी. कोर्स किया। अब उसमें कई ऐसे टीचर थे जिन्होंने 10 साल नौकरी की, किसी ने 8 साल की, कोई आयु सीमा पार करने आ गया या कोई पार कर गया। अभी एक लिस्ट तो कल लगी है जिला परिषद के जो तृतीय श्रेणी के अध्यापकों का अपाइंटमेंट हो रहा है उसमें वे सभी संविदा टीचर थे

140

(श्री रघुवीर सिंह)

जिन्होंने एस.टी.सी. कमप्लीट की दो साल में। उनका परसेंटेज भी अच्छा है, यह कह कर उनके फार्म अलग कर दिये, जबकि उनका साक्षात्कार लिया है, इंटरव्यू दिया है उन्होंने और वह उम्मीद कर रहे थे कि लिस्ट में हमारा नाम आएगा। कल उनको यह पता चला है कि उनका नाम अलग कर दिया गया है। इतना बड़ा अन्याय उनके साथ हो रहा है।

मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि सरकार सहानुभूतिपूर्वक विचार करें, क्योंकि कई परिवार ऐसे हैं जो उन व्यक्तियों पर आधारित थे, जो यह आशा लगाये हुए थे कि कोई उम्र पार कर भी गया, कोई उम्र पार करने वाला है तो वह दूसरी जगह कहां जाएंगे। इसलिए सरकार को चाहिये कि ऐसे संविदा अध्यापकों को, जो एस. टी. सी. ट्रेंड हैं, जिन्होंने एस. टी. सी क्लियर कर ली है, उनको लगाया जाए। उनको अपाइंमैंट दिया जाए। अगर यह मानते हैं कि दसवीं पास करने के बाद वे लगे थे एस. टी. सी. करवायी है, उनका इंटरव्यू भी लिया है, इंटरव्यू काल दिया है, इंटरव्यू में सलैक्ट हुए हैं, अगर ऐसी बात है, तो उनको पाबन्द किया जाए कि दो-तीन साल में जब भी हो, सीनियर कर लें, जो सीनियर हों उनको रख लिया जाए। इस तरह से कोई नीति सरकार बनाये ताकि जो बेरोजगार इस आशा में है कि उनको रोजगार मिले, वह मिले। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री श्रवण कुमारजी (अनुपस्थित)। माननीय श्री भंवरसिंह जी।

श्री भंवरसिंह शेखावत (नवलगढ़) : माननीय सभापति महोदय, मैं गृह मंत्री महोदय का आपके माध्यम से ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि पिछले दिनों में नवलगढ़ शहर में एक गरीब ब्राह्मण के घर में कुछ बदमाशों ने घुसकर उसकी स्त्री को चाकुओं से मार डाला और उसका गला काट कर उसके घर में जो भी सामान था वह ताला तोड़कर ले गये। ब्राह्मण बाहर गया हुआ था अपने पूजा-पाठ के काम से, जब आया उसने देखा खून बह रहा था। खून बहकर कमरे से बाहर चौक में आया हुआ था। उसने आस-पड़ौस को बुलाया। लोग वहां इकट्ठा हुए। थाने में रिपोर्ट भी लिखवाई गयी। पूरा शहर बन्द हुआ। यहां के सभी अधिकारी तक गये, मेरे ख्याल से एक डेपुटेशन यहां गृह मंत्री महोदय के पास भी आया, लेकिन आज तक उस गरीब ब्राह्मण को कोई राहत नहीं मिली, न कोई सुराग लगा और न कोई वहां कार्यवाही हुई। इतनी बेदर्द घटना के लिये आज भी शहरवासी रो रहे हैं। इस संकोच में हैं कि कहीं इस तरीके से महिलाएं घरों में अकेली रहती हैं, तो किसी के घर पर भी ऐसी घटना हो सकती है। उसके बाद लगातार चार-पांच चोरियां तो दिन में घरों में लोगों के हो गयीं। और कई ऐसी घटनाएं हुईं, अभी मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि एस. पी. आफिस में मेरे क्षेत्र का मूंगा-

(श्री भंवरसिंह शेखावत)

राम चौधरी का लड़का, जो जवान था, करीब 5-6 वर्ष की उसकी नौकरी थी, झुन्झुनूं में एस. पी- आफिस में डेप्यूट था। उसको झुन्झुनूं में जहां उसका मकान था वहां से बुलाकर ले गये और उसकी हत्या कर दी गयी, मार कर निर्जन स्थान पर डाल दिया गया। यह तो पुलिस के कांस्टेबिल की बात है। उसका भी कोई सुराग नहीं है। उसके पिताजी यहां आये रोते हुए घूम रहे थे, उनको मैंने डी. आई. जी. से मिलाया लेकिन उसमें भी आज तक कुछ नहीं हुआ। जब ऐसी हालत है, पुलिस वालों की भी सुरक्षा नहीं है, तो सोचिये कि आम पब्लिक की क्या स्थिति बन रही है। गृह मन्त्रीजी इन दोनों घटनाओं के बारे में जानकारी लेकर बताने का श्रम करें, यह चाहता हूं।

श्री सभापति : माननीय श्री रिछपाल जी मिर्धा - (अनुपस्थित)। श्री अमराराम जी।

श्री अमराराम (धोद) : मैं बोल दिया, साहब।

श्री सभापति : हो गया? ठीक है।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रक्रिया के नियम 131 के अन्तर्गत श्री राजेन्द्र चौधरी, सदस्य विधान सभा बिलाड़ा विधान सभा क्षेत्र में पेयजल से उत्पन्न स्थिति पर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करेंगे।

श्री राकेश मेघवाल : सभापति महोदय, मेरा रह गया, कहीं स्लीप थोड़ी इधर-उधर ही हो गयी?

श्री सभापति : आपका बाद में आया, कल दे देना। कल दे दीजिये न, ऐसी कोई बात नहीं है।

श्री राकेश मेघवाल : आज जरूरी था, कल क्या काम आएगा?

श्री सभापति : कोई बात नहीं आज, इनको बोल लेने दीजिये।

श्री राकेश मेघवाल : माननीय सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान और आपके माध्यम से राज्य सरकार का ध्यान परबतसर विधान सभा क्षेत्र ग्राम पंचायत मंगलाना में रेलवे क्रासिंग के पास अवैध रूप से डाला जा रहा नगरपालिका मकराना का मैला, गन्दगी, कूड़ा-करकट और कचरा जिससे वह कम से कम 50-60 बीघा जो सरकार की भूमि है वह पांडु डालने के लिए अलाट है, वहां पांडु के बजाय उसमें नगरपालिका का कचरा डाला जाता है, मैला डाला जाता है जिससे आसपास के गांवों में इतनी बदबू और सड़ांध पैदा हो गयी कि वहां के किसान और आसपास के जो गरीब काश्तकार हैं उनका वहां रहना दुश्वार हो गया। कई बार मैंने इस ओर विधान सभा में नियम 131 और 295 के तहत राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित किया। यहां तक कि इस नगरपालिका का कचरा, रेलवे क्रासिंग बन्द रहता है तो सड़क के ऊपर रात को वे डालकर चले जाते हैं तो आने-जाने वालों को इतनी परेशानी होती है कि उनका वहां

(श्री राकेश मेघवाल)

से गुजरना भी मुश्किल हो जाता है और रेलवे क्रासिंग जब बन्द हो जाता है तो कम से कम वहां 100–150 गाड़ियों की लाइन लगती है क्योंकि विश्वविख्यात मार्बल मण्डी से मकराना जाने का एक ही यह रास्ता है जहां देश के कोने कोने से व्यापारी आते हैं और जब रेलवे क्रासिंग बन्द हो जाता है तो लम्बी लाइन में कतार लग जाती है। इसलिए मैं आपसे पुख्ता व्यवस्था के लिए एक बार पुनः पुरजोर शब्दों में निवेदन करूंगा कि वहां के किसान, ऐसा नहीं हो, पहले भी दो-तीन बार कहा है कि चक्का जाम हड़ताल करेंगे, आन्दोलन करेंगे लेकिन मैंने उनको हाथ जोड़कर समझाया कि मैं भा.ज.पा का विधायक हूं और मेरे क्षेत्र में अगर चक्का जाम हड़ताल करोगे, धरना देओगे, किसी तरह का आन्दोल करोगे तो वह सरकार के खिलाफ होगा, मेरे खिलाफ होगा। इसलिए मैं पुरजोर शब्दों में निवे–दन करना चाहूंगा कि उस जमीन पर जो बांध डालने के लिए प्लाट है, न कि नगर-पालिका का मैला, कचरा डालने के लिए और अभी बारिश का मौसम हो गया। जो किसान की नाडी है, पीने के पानी का स्रोत है, जहां हम नाडी तालाब बनवा रहे हैं, खुदवा रहे हैं, पक्का करवा रहे हैं वह मैला उस बारिश में बहकर उस नाडी में चला जाता है। एक गरीब आदमी जो ट्यूबवैल का पानी नहीं पीता, नाडी का पानी पीता है तो इतनी गन्दगी पीने से वहां महामारी और बीमारी फैल रही है। मैं आपसे सदन के माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि आज ही पाबंद किया जाए कि वहां नगर-पालिका का मैला, कचरा, कूड़ा-करकट नहीं डाला जाए, वहां चिकित्सा विभाग की एक टीम भेजी जाए और आसपास के किसानों को वहां दवाइयां दी जाएं। यही बात में आपसे निवेदन करना चाह रहा था। आपने समय दिया उसके लिए धन्य-वाद। जय हिन्द।

श्री सभापति : धन्यवाद। माननीय श्री राजेन्द्र चौधरी।

श्री राजेन्द्र चौधरी : वह ध्यानाकर्षण तो कर लें पहले।

श्री भंवरलाल शर्मा (स्वायत्त शासन मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो कठिनाई बतायी, मेरा यह निवेदन है कि अभी मेरा यह ध्यानाकर्षण है। इसके बाद मेरे साथ चलें। मेरे डी.एल.बी. आये हुए हैं, इनको व्यवस्था करने की कोशिश करता हूं।

श्री सभापति : सुन लिया, न आपने। अभी इसके बाद माननीय मंत्री जी के कक्ष में जाकर मिल लेना। आपकी व्यवस्था हो जाएगी।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

बिलाड़ा विधान सभा क्षेत्र में पेयजल समस्या

श्री राजेन्द्र चौधरी (बिलाड़ा) : माननीय सभापति महोदय, मैं जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के मंत्री जी का बिलाड़ा विधान सभा क्षेत्र में पेयजल समस्याओं की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

श्री सभापति : माननीय प्रभारी मंत्री जी।

श्री राजेन्द्र गहलोत (राज्य मंत्री, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी) : माननीय सभापति महोदय, विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में बिलाड़ा तहसील के....

श्री राजेन्द्र चौधरी : जोर से बोलिये।

श्री राजेन्द्र गहलोत : अभी जोर से बोल लूंगा। शुरू हो रही है गाड़ी। विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में तहसील बिलाड़ा के 2 नगर एवं 55 गांव तथा 3 नये राजस्व ग्राम एवं तहसील भोपालगढ़ के 33 एवं 2 नये राजस्व ग्राम सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त इस विधान सभा क्षेत्र में 'राजीव गांधी पेयजल मिशन' के अन्तर्गत चयनित बिलाड़ा की 126 ढाणियां व तहसील भोपालगढ़ की 56 ढाणियां सम्मिलित हैं।

शहरी क्षेत्र :

नगरपालिका क्षेत्र बिलाड़ा एवं पीपाड़ शहर नगरीय पेयजल योजनाओं से लाभान्वित है।

बिलाड़ा शहर की आबादी 1991 की जनगणनानुसार 31157 तथा वर्तमान में लगभग 37400 है। इस शहर को 15 किलोमीटर दूर जोड़ी नाडी स्थित 5 नलकूपों एवं पिचियाक गांव स्थित 2 नलकूपों से प्रतिदिन औसतन 35 लाख लीटर पेयजल की आपूर्ति की जा रही है जो वर्तमान आबादी के अनुसार लगभग 90 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है। यह निर्धारित विभागीय मापदण्डों के अनुसार 90 प्रतिशत है। इसके अतिरिक्त बिलाड़ा शहर के विभिन्न मौहल्लों में 4 हैण्ड पम्प भी कार्यरत हैं।

पीपाड़ शहर की आबादी 1991 की जनगणनानुसार 27828 है जो वर्तमान में लगभग 33400 है। इस शहर को रणसी गांव स्थित नलकूपों से 250 मिली मीटर व्यास की डाली गयी पाइप लाइन के माध्यम से आपूर्ति की जा रही है। इस पाइप लाइन का सम्बन्ध पीपाड़ शहर से लगभग 15 किलोमीटर दूर लटियाली स्थान से 250 एम.एम. व्यास की ए.सी. लाइन के माध्यम से किया हुआ है। शहर को प्रतिदिन लगभग 17.60 लाख लीटर पेयजल की आपूर्ति वर्तमान आबादी के हिसाब से लगभग 50 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की जा रही है जो कि निर्धारित विभागीय मापदण्डों के अनुसार 50 प्रतिशत है।

इसके अतिरिक्त शहर के विभिन्न मौहल्लों में 13 हैण्ड पम्प भी कार्यरत हैं। पेयजल आपूर्ति में सुधार हेतु 10 वें वित्त आयोग के बजट प्रावधानों के अन्तर्गत 205 25 लाख रुपये की पुनर्गठित जलप्रदाय योजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दिनांक 14-5-97 को तथा 157.78 लाख रुपये की राशि की तकनीकी स्वीकृति जनवरी, 98 में जारी की जा चुकी है। स्वीकृति योजना के अनुसार लटियाली से पीपाड़ शहर तक वर्तमान में डाली हुई 250 मिली मीटर लाइन के समानान्तरण 200 मिली मीटर व्यास की ए.सी. लाइन, ग्राम लटियाली में बूस्टर पम्प की स्थापना, पीपाड़ शहर में 650 किलो

(श्री राजेन्द्र गहलोत)

लीटर की क्षेत्र के स्वच्छ भू-तल जलाशय का निर्माण एवं क्रमशः 200 किलो लीटर 520 किलो लीटर क्षमता के 2 स्वच्छ जलाशयों का निर्माण किया जाना सम्मिलित है। साथ ही स्वच्छ जलाशय पर नई पम्पिंग मशीनरी एवं वितरण पाइप लाइनों में सुधार किया जाना भी सम्मिलित है। योजना के क्रियान्वयन हेतु वर्ष 1997–89 एवं 1998-99 में क्रमशः 55 लाख एवं 100 लाख रुपये की राशि का आवंटन किया जा चुका है जिसमें से माह जून, 1998 तक 58.75 लाख की राशि व्यय की जा चुकी है एवं योजना का कार्य प्रगति पर है।

ग्रामीण क्षेत्र

विधान सभा क्षेत्र में सम्मिलित बिलाड़ा एवं भोपालगढ़ के 87 ग्राम विभिन्न पेयजल योजनाओं से लाभान्वित हैं, विवरण निम्नानुसार है :—

	बिलाड़ा	भोपालगढ़	कुल
1. पाइप्ड योजना से लाभान्वित ग्राम	4	--	4
2. क्षेत्रीय योजना से लाभान्वित ग्राम	38	25	63
3. हैण्ड पम्प योजना से लाभान्वित ग्राम	1	2	3
4. पम्प एवं टैंक/पनघट योजना से लाभान्वित ग्राम	—	3	3
5. अन्य योजनाएं, डी.एस.एस. से लाभान्वित ग्राम	11	3	14

तहसील बिलाड़ा का एक ग्राम पटेलनगर स्वीकृत है जिसे 31-7-98 तक लाभान्वित किया जाना लक्षित है। इसमें बिलाड़ा तहसील के 27 व भोपालगढ़ तहसील के 5 कुल 32 गांवों में (व्यवधान) 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के हिसाब से निर्धारित मापदण्डों के अनुसार नियमित पेयजल आपूर्ति की जा रही है।

श्री हीकमचन्द कान्त : सभापति महोदय, कांग्रेस के माननीय मुख्य सचेतक को क्या हो गया, वे सो रहे हैं ?

श्री राजेन्द्र चौधरी : सुन रहे हैं, इस बात को गम्भीरता से सुन रहे हैं। नीचे माइक लगा हुआ है उसमें सुन रहे है, माइक में।

श्री हीकमचन्द कान्त : ठीक है, ठीक है फिर।

श्री राजेन्द्र गहलोत : बिलाड़ा तहसील के 47 गांव एवं भोपालगढ़ तहसील

(श्री राजेन्द्र गहलोत)

कि 17 कुल 64 गांवों में मापदण्डों के 50 प्रतिशत से अधिक पेयजल आपूर्ति हो रही है। बिलाड़ा तहसील के ग्राम खुंटलिया, रावणी-साणा, मालावास, थानामगरा, तिलवासनी, नानण, भांडोली एवं तहसील भोपालगढ़ के ग्राम मुण्डाना, मलारा, बांडाकला, हिंगोलिया, खेड़ी चारण, साथीन, कोसाना, कागल, गोड़ी कुन्दल, सियारा एवं ग्राम सगरिया सहित कुल 18 गावों में पेयजल आपूर्ति औसतन 10 मीटर से....(व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री) : माननीय सभापति महोदय, मेरा यह निवेदन है कि जो उत्तर आप पढ़ रहे हैं उसकी प्रति हमने प्रश्नकर्ता को दी है। अगर आप इसको पढ़ाना चाहें तो पढ़ा लीजिए। मैं समझता हूं कि....

श्री राजेन्द्र चौधरी : मैं पढ़ा हुआ मान लेता हूं।

श्री भंवरलाल शर्मा (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री) : नहीं, आपके पास कापी है इसकी। (व्यवधान)

श्री टीकमचन्द कान्त : पढ़ा हुआ मान लें तो..., पढ़ लेंगे, साहब, थोड़ा जोर से पढ़ लेंगे, क्या बात हुई। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र चौधरी : आप जोर कहां से लाएंगे इनका।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : माननीय सभापति महोदय, यह उत्तर सदन का मैटर है, माननीय मंत्री महोदय को पढ़ने दीजिए। (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री) : पढ़ लीजिए आप।

श्री राजेन्द्र गहलोत : तो धीमी गति, तेज गति लाऊं।

जल स्रोत बन्दड़ा व बासनी खारिया से लाभान्वित सुंडाना, मण्डाना, मलारा, सगरिया कलां, कागल की पेयजल आपूर्ति सुधार हेतु ग्राम बासनी खारिया में पर्याप्त विद्युत आपूर्ति के लिए डायरेक्ट फीडर लाइन ली जा रही है। जल स्रोत मंडाना और गांव खेड़ी सालवा एवं खेड़ी चारणा की पर्याप्त विद्युत आपूर्ति के लिये हाई-टेंशन फीडर लाइन प्रस्तावित की जा रही है।

रणसी गांव में स्थित नलकूपों की लाभान्वित रणसी गांव, हिंगोनिया, जवा-सिया, नानण, मंडाना आपूर्ति में सुधार हेतु रणसी गांव स्थित नलकूपों को गहरा करने के लिये वैकल्पिक स्रोत के चयन हेतु भू-वैज्ञानिकों से सर्वेक्षण करवाया जाकर कार्यवाही की जानी प्रस्तावित है।

जालीवाड़ा स्थित खुले कुओं से लाभा-न्वित ग्राम साथीन, कोसाना पेयजल आपूर्ति में सुधार हेतु जालीवाड़ा स्थित कुओं को गहरा करवाने व वैकल्पिक स्रोत के चयन हेतु भूजल वैज्ञानिक की राय ली जा रही है। साथ ही ग्राम कोसाना में एक खुले कुए का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है।

(श्री राजेन्द्र गहलोत)

पिचियाक नलकूपों से लाभान्वित ग्राम बनामगरा, तिलवासनी में पेयजल सुधार हेतु ग्राम तिलवासनी में 2 खुले कुएं का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

ग्राम चोकड़ी कलां स्थित नलकूपों से लाभान्वित चोकड़ी खुर्द व सियारा ग्राम में पेयजल आपूर्ति में सुधार हेतु 40 से 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की पुनर्गठन योजना के प्रस्ताव बनाये जाने की प्रक्रिया में है।

बरटिया खुर्द से लाभान्वित ग्राम बांड़ाकलां पेयजल आपूर्ति में सुधार हेतु ग्राम तिमड़ा नलकूप बनाया जा चुका है। इसको शीघ्र ही विद्युत कनेक्शन लेकर चालू किया जाना प्रस्तावित है।

खोखरिया ग्राम पेयजल आपूर्ति में सुधार हेतु पुनर्गठन योजना के प्रस्ताव बनाये जा रहे हैं एवं हैण्ड पम्प योजना से लाभान्वित ग्राम माडपुरिया व बासनीवृद्ध की परियोजनाओं के प्रस्ताव भी बनाये जा रहे हैं।

ग्राम बामनाखुर्द, खुदरिया, मालावास के लिये वैकल्पिक स्रोतों हेतु भू–जल वैज्ञानिकों से सर्वे करवाया जाकर कार्य किया जाना प्रस्तावित है।

नवसृजित राजस्व गांव

तहसील बिलाड़ा के 3 नवसृजित राजस्व ग्राम में गांव खोजानगर की पेयजल आपूर्ति 40 एल. पी. सी. से ग्राम जसवंतपुरा को लाभान्वित करने हेतु भावी पिचियाक पुनर्गठित योजना सम्मिलित कर ली गयी है। इसकी प्रशासनिक स्वीकृति जारी हो चुकी है। तकनीकी स्वीकृति के विचाराधीन गांव स्वरूपनगर स्थिति योजना के प्रस्तावित बनाने, बनाये जा रहे तहसील भोपालगढ़ से नवसृजित गांव शेखनगर एवं डूडीनगर योजना प्रस्तावित विचाराधीन है।

ढाणी/मगरा

राजीव गांधी पेयजल मिशन के अन्तर्गत चिन्हित बिलाड़ा तहसील की कुल 126 ढाणियां एवं भोपालगढ़ तहसील की 66 ढाणियों सहित विधान सभा क्षेत्र में कुल 162 ढाणियां हैं जिसमें 31 ढाणियां हैण्ड पम्पों से, लाभान्वित एवं 8 ढाणियों में पाइप लाइन व जी. एल. आर. के माध्यम से पेयजल आपूर्ति की जा रही है। इस प्रकार कुल 79 ढाणियां वर्तमान में पेयजल योजनाओं से लाभान्वित हैं। 17 ढाणियों की पेयजल योजना स्वीकृत है। शेष 96 ढाणियों की पेयजल योजना की स्वीकृति के प्रस्ताव बनाये जा रहे हैं।

इसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर कुल 225 हैण्ड पम्प स्थापित हैं जिनमें से 30 जून, 98 तक 24 हैण्ड पम्पों पर मरम्मत अभियान के अनुसार 141 हैण्ड पम्प कार्यरत हैं एवं 84 हैण्ड पम्प नकारा घोषित किये गये हैं।

विधान सभा क्षेत्र में कुल निर्मित 12 भूतल जलाशयों को पाइप लाइन से जोड़ा जाना लम्बित है। इसमें मुख्य, पाइप

(श्री राजेन्द्र गहलोत)

लाइन उपलब्ध नहीं होने के कारण एवं अपर्याप्त जल स्रोत के कारण जलाशयों को नहीं जोड़ा जा सका। अब आवश्यक स्रोत का निर्माण हो चुका है। अतः सभी जलाशयों को माह 10/98 तक जोड़कर वितरण करना लक्षित है।

बिलाड़ा तहसील के कुल चार मूतन जलाशयों को जोड़ा जा चुका है परन्तु स्रोत का भूजल स्तर नीचे चले जाने के कारण जलाशयों में पानी नहीं पहुंच रहा है। वैकल्पिक एवं उपयुक्त स्रोत के लिये भूजल वैज्ञानिक द्वारा सर्वेक्षण करवाकर राय ली जा रही है। इसके पश्चात् पाइप लाइन से जुड़े पांच जलाशयों में जल वितरण करना सम्भव होगा।

जिन स्रोतों का भू-जल स्तर नीचे चला गया है, वहां पर वैकल्पिक स्रोत हेतु अथवा वर्तमान में चल रहे नलकूपों को गहरा कराने हेतु भूजल वैज्ञानिक से राय लेकर समस्या के समाधान हेतु शीघ्र उचित कदम उठाना प्रस्तावित है।

बिलाड़ा तहसील के 15 गांव एवं भोपालगढ़ तहसील के 6 गांव, कुल 21 गांव की योजना 40 से 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन हेतु पुनर्गठन के प्रस्तावों के तहत बिलाड़ा तहसील के पांच गांव हेतु "माविपिचियाक योजना" को प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति 54.73 लाख रुपये हेतु प्राप्त हो चुकी है एवं तकनीकी स्वीकृति की कार्यवाही की जा रही है। बिलाड़ा तहसील के सात गांवों में जल सेवा स्तर 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन के हिसाब से दिया जा रहा है एवं पेयजल वितरण बढ़ाने हेतु निर्धारित मापदंडों के अनुसार भण्डारण क्षमता बढ़ाने के प्रस्ताव बनाने की प्रक्रिया में है। तहसील बिलाड़ा के ग्राम बोरूंदा, हरियाढाणी, लवारीजागीर एवं तहसील भोपालगढ़ के ग्राम खोखरिया, बासनीबुद्धा, माडपुरीया, चोकड़ीकलां, चोकड़ीखुर्द व सियारा सहित कुल नौ ग्रामों हेतु संवर्धन योजना के प्रस्ताव बनाये हुए हैं।

श्री राजेन्द्र चौधरी : सभापति महोदय, मैं आपके और सदन के सारे सदस्यों के धैर्य के लिये धन्यवाद देता हूं कि मंत्री जी ने बहुत प्रयास किया बोलने का। कई इनके शब्दों की त्रुटियां रहीं और लास्ट में कह दिया कि बनाये गये हैं जबकि बे बनाये जा रहे हैं, लिखा है। आखिर में यह है। बनाये जा रहे हैं। बनाये गये नहीं हैं। आप क्यों बनाते हैं? (व्यवधान) नहीं–नहीं, आप बोलें, सही है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : सबकी समझ में आये इसलिए बहुत तसल्ली से पढ़ा है।

श्री राजेन्द्र चौधरी : आप तो कृपया मेरे पर मेहरबानी ही रखो।

श्री टीकम चन्द कान्त : यह राजेन्द्र और राजेन्द्र का मामला है।

श्री राजेन्द्र चौधरी : सभापति महोदय, मैं जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आज से लगभग ढाई वर्ष पूर्व इसी सदन में मेरे प्रश्नों के उत्तर के आधार पर सदन में

(श्री राजेन्द्र चौधरी)

आपने आश्वासन दिया कि चालीस से सत्तर मीटर की जो योजनाएं हैं; वे अभी तक क्यों नहीं बनी, इसके लिये कौन जिम्मेदार है, मैं उनके विरुद्ध कार्यवाही करूंगा। और मैं सदन को और आपको यह विश्वास दिलाता हूं कि अमुक तारीख तक, वह तारीख इन्होंने यहां पर घोषित की थी कि यह योजनाएं बन जाएंगी और मैं इनकी स्वीकृति जारी कर दूंगा और मैं आपको यह भी सुझाव दे रहा हूं, अधिकारियों को निर्देश दे रहा हूं कि वे आपके साथ बैठकर के आपकी क्षेत्र की समस्याओं के बारे में बात करें। मैं मंत्रीजी के उत्तर से उस समय बहुत प्रसन्न हुआ और बहुत संतुष्ट हुआ और मैंने वापस कोई सप्लीमेंट्री नहीं किया।

सभापति महोदय, मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि मंत्री महोदय की उन घोषणाओं का, उन आश्वासनों का इन दो-ढाई वर्षों में कोई एग्जीक्यूशन नहीं हुआ है। मेरा पुनः यह प्रश्न है, उत्तर देते वक्त यह कहें कि जो इन्होंने कहा था कि मैं कार्यवाहीं करूंगा, वह क्या कार्यवाही की, उसके बाद में उन्होंने जो निर्देश दिये, क्या वो योजनाएं बनीं, वो नहीं बनीं, मैं यह कहना चाहता हूं। उसके बाद में जब मैंने यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लगाया, सभापति महोदय, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के उत्तर की जो प्रक्रिया होती है, मैं भी मन्त्री रहा हूं, मैं जानता हूं इस प्रक्रिया को। नीचे के स्तर से, सैक्रेटरी से, इसके बाद में मिनिस्टर के पास से एप्रूवल होकर के आती है। मैं मंत्रीजी को दोष नहीं देता। मैं सैक्रेटरी, कृष्णा भटनागरजी को भी दोष नहीं देता। मैं जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, वहां पर मिस्टर गर्ग, उन्होंने बिना अपने नीचे ए.ईएन, जे.ईएन. को कोई जानकारी दिये हुए, आनन-फानन में एक सूचना बनायी और उस सूचना में अधीक्षण अभियंता, जोधपुर शेखावाटी के साइन करवाये और पता नहीं चौहान साहब के भी हों, मुख्य अभियन्ता हों, उनके भी साइन करवा दिये और आनन-फानन में मंत्रीजी विश्वास करते हैं, सैक्रेटरी साहिबा पर और सैक्रेटरी ने भी साइन कर दिये और वह अध्यक्ष महोदय के सैक्रेटेरिएट के अन्दर वह उत्तर आ गया सरकार का।

सभापति महोदय, जब मैंने उस उत्तर को देखा, मैंने मंत्री महोदय के चैम्बर में स्वयं जाकर के यह कहा कि आपका उत्तर असत्य है। आपके राज्य मंत्री महोदय भी वहां थे। इनके सामने भी मैंने यह बात कही और मैंने अधीक्षण अभियन्ता को जोधपुर फोन करके शेखावतजी को कहा कि आपने सूचना गलत भेजी है। मैंने चौहान जी, जो मुख्य अभियन्ता यहां आये थे, मैंने उनको भी कहा कि आपने सूचना गलत भेजी है। मैंने कृष्णा भटनागरजी को टेलीफोन करके कहा कि आपने सूचना गलत भेजी है। मेरे मन में, मेरी नीयत में कोई खराबी नहीं है, सभापति महोदय, और उसके बाद में आपने एक संशोधित सूचना यहां पर पढ़ी। मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और मंत्री महोदय का विशेष तौर पर क्योंकि मंत्री महोदय, आप जोड़-बाकी का हिसाब दूर कर लीजिये। यह सूचनाओं में जो अंतर आया

(श्री राजेन्द्र चौधरी)

है, क्या आपके अधीनस्थों ने आपको मिसलीड नहीं किया ? आपको गलत जानकारी नहीं दी ? कल तक और उसके बाद में मेरे अनुरोध पर, मेरे मन में आपके प्रति कोई अनादर नहीं था और मेरे को विश्वास था इसलिए मैंने आपको सूचना दी। आपने इसकी करेक्ट इन्फोर्मेशन मंगायी इसके लिये अगर कोई दोषी है, आप उनको रखना चाहते हैं, आप उनके भरोसे जो ढाई साल में आपके कहने के बावजूद, आश्वासन सदन में देने के बावजूद काम नहीं कर सकें।

दूसरी बात मैं यह पूछना चाहता हूं कि यह जो उत्तर पढ़ा गया, इसमें बहुत सारी डिफरेन्सेज हैं। पहले जो उत्तर था, उसकी कार्यवाही का आप जवाब देंगे, मेरे को सारे डिटेल पता है। मैं यह अनुरोध करना चाहूंगा कि विभाग के अन्दर दोहरी नीति क्यों अपनायी जाती है ?

सभापति महोदय, एक तरफ किसी भी योजना की तकनीकी स्वीकृति के लिये एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन जब निकलती है, किसी योजना के लिये ए. एस., जिसको बोलते हैं हम वित्तीय स्वीकृति एवं प्रशासनिक स्वीकृति, एक तरफ वह, उसमें सात-आठ साल लग जाते हैं। सात-आठ वर्ष तकनीकी स्वीकृति जारी होने में। खेड़ी-बंदड़ा योजना की बात कर रहा हूं, स्पेशली। मंत्री महोदय, आप नोट कर लें। उसके लिये आपने पिछली बार यह कहा था कि मैं उनको पनिश करूंगा, जो इसके लिये दोषी हैं। ढाई साल में आपने कैसा पनिश किया ? और मैं यह अनुरोध करना चाहता हूं कि खेड़ी बंदड़ा योजना के आठ साल के बाद, स्वीकृति के बाद, तकनीकी स्वीकृति के बाद में यह योजना शुरू की गयी और उस खेड़ी गांव के अन्दर एक ट्यूबवैल जियोलोजिस्ट, जो कि भूजल वैज्ञानिक है, मैं उसके बारे में अनुरोध करना चाहूंगा। यह आपकी जो संस्था है, भू-जल वैज्ञानिकों की, इसकी मानीटरिंग बहुत जरूरी है।

सभापति महोदय, भू-जल वैज्ञानिक से इन्होंने आनन-फानन में एक फर्जी रिपोर्ट ली और बिना ए.एस और बिना टी.एस. के जो वित्तीय, प्रशासनिक व्यवस्था है, विभाग की, इन्होंने तत्काल वहां पर एक मशीन भेज दी नलकूप खोदने के लिये। जब मुझे पता चला तो मैंने शेखावत जी, जो अधीक्षण अभियन्ता हैं, उनको फोन किया। मैंने कहा कि इस तरह की कोई स्वीकृति हुई है और आपने कोई मशीन भिजवायी है। अधीक्षण अभियन्ता शेखावत ने मुझे कहा कि मुझे जानकारी नहीं है। मुख्य अभियन्ता ने सीधे अधिशासी अभियन्ता को निर्देश दिये हैं। मैंने कृष्णा भटनागरजी को जोधपुर से टेलीफोन करके पूछा। मैंने कहा मैडम, यह आपके विभाग की कौनसी नीति है ? एक तरफ तो तकनीकी स्वीकृति में सात-आठ वर्ष लगते हैं और दूसरी तरफ ए.एस. और टी.एस के मुख्य अभियन्ता आपके पाली में बैठे हुए हैं और आपकी यह मशीन चल रही है। मुझे एतराज नहीं है, आपकी

(श्री राजेन्द्र चौधरी)

+++ पर भी एतराज नहीं है। आप कितने और खुदवा दीजिये। मैं उसका विरोध नहीं करता पर यह कौनसी प्रक्रिया है ?

मैं मंत्री महोदय; आपसे जानना चाहूंगा कि बैंक डेट के अन्दर मुख्य अभियंता ने उसके बाद में आकर के साइन कर दिये, आप इस योजना को देखना, यह जो ट्यूबवेल, टेस्टिंग ट्यूब वैल के नाम से खोदा गया है। एक ही दिन के अन्दर ए.एस. हुई और एक ही दिन में टी.एस. हुई और मशीन बता दिया गया कि अगले दिन पहुंच गयी। इतनी तत्परता आपके विभाग में आ गयी, ढाई साल में आपके निर्देशों की पालना नहीं हो रही है और एकदम से इतनी तत्परता कैसे आ गयी, एक–दो दिन के अन्दर ही, इसकी आप जांच करें और उनके खिलाफ कार्यवाही करें।

(15.00 बजे)

दूसरी बात मैं निवेदन करना चाहूंगा कि उत्तर देते हुए और मुझे अपने कक्ष में ले–जाकर सभी अधिकारियों के साथ बैठकर बात की थी, उस समय आपने यह कहा था कि जो बासरी रतकुड़िया का फीडर है वह डायरेक्ट फीडर का जो डिस्पुट है उसको खतम करते हैं और आपने अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि एक हफ्ते के अंदर-अंदर यह योजना बनाकर लाइए, मैं इसकी स्वीकृति देता हूं। मैंने आपका आभार ज्ञापित किया था और आपने अविलम्ब उसके निर्देश देकर 9 लाख 60 हजार रुपये 20 जनवरी, 1996 को जमा करवा दिए। डेढ़ महीने बाद में लगभग डेढ़ लाख रुपये का और एवरेज एस्टीमेट था, डिफरेंस, वह भी जमा करवा दिया गया।

मैं आपसे पूछना चाहता हूं आपके अधिकारियों की तत्परता, मंत्री महोदय, आज ढाई साल होने को आए हैं, उसके ऊपर अभी तक डायरेक्ट फीडर नहीं लगाया हुआ है और विभाग ने और सरकार ने पैसे दे दिये हैं। इसके लिए कौन जिम्मेदार है ? एक तरफ तो एक दिन के अंदर ही आप यह सारा काम कर देते हैं और दूसरी तरफ ढाई वर्ष तक आपका 12 लाख रुपया आपके विभाग का जमा किया हुआ है, उसका डायरेक्ट फीडर आज तक चालू नहीं हुआ और उसका पानी लोगों को मिल ही नहीं रहा है। इस योजना के जो ट्यूब वैल खुदे हुए हैं इसके अंदर, यह कह दिया गया है आपके एस.आर. सैंक्शन हो गयी। एक तो खांगटा के अंदर और दूसरा रतकुड़िया के अन्दर। वह एस.आर. का अभी तक काम ही शुरू नहीं हुआ है। योजना कब सैंक्शन हुई ?

मंत्री महोदय, मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि आज इसके अंदर उत्तर दिया गया है, छोटी-सी बात बताना चाहूंगा। पहले जब मैंने कहा कि देव नगर के अंदर आपने उत्तर दिया है पूरे उत्तर के अंदर, देवनगर में पर्याप्त पेयजल मिल रहा है।

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री राजेन्द्र चौधरी)

मंत्री महोदय, गांव का नाम लिखा है देव-नगर, बिलाड़ा में, नवसृजित गांव देव नगर में पर्याप्त पेयजल मिल रहा है, यह उत्तर था। आपने उसी उत्तर में यह कहा था कि स्वरूप नगर के अंदर योजना बनायी जा रही है। संशोधित उत्तर, जो आपने दिया, उसके अंदर देव नगर का नाम तो गायब कर दिया और यह लिख दिया कि स्वरूप नगर में प्रस्ताव बनाये जा रहे हैं। मेरे कहने के बाद में इतना संशोधन जरूर किया पर मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि स्वरूप नगर नाम का गांव बिलाड़ा तहसील के अन्दर है ही नहीं। यदि यह गांव बिलाड़ा तहसील में हो तो मैं सदन की सदस्यता से त्यागपत्र की घोषणा करता हूं। इतना असत्य जवाब और किन के भरोसे आप बात करना चाहते हो ? सही बात कहने के बावजूद भी गलत सूचना, बताने के बाद भी गलत सूचना।

आपसे मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि जो आपको सूचनाएं दे रहे हैं, आप उनके खिलाफ इस सदन के अंदर कार्यवाही की घोषणा करें। आपने जलाशयों को जोड़ने की बात कही है। पहले जो 11 जलाशय बताए थे, संशोधित में आपने 12 जलाशय कह दिया। मैं यह जानना चाहता हूं कि वह जलाशय कौन-से हैं जिनके कारण आपने बताये हैं कि वहां जल स्तर नीचे चले जाने के कारण हमने जोड़े नहीं हैं, उनका नाम बताएं आप। केवल 12 जला-शय कहने से काम नहीं चलेगा। मैं जानना चाहता हूं उन जलाशयों का नाम। आपने जो योजनाएं बतायी हैं उनकी सूचनाओं को देखिये, कितना डिफरेंस है। मैं कोई एक-दो की बात नहीं करना चाहता हूं, इन्होंने जो संशोधित सूचना दी है, सभापति महो-दय, यह आपके चार नम्बर पर जो योजना है, उसमें पम्प और टैंक, उसके अंदर इन्होंने अभी जो संशोधित जवाब दिया है उसमें एक भी योजना को नहीं बताया बिलाड़ा के अंदर, जबकि पहले इन्होंने बिलाड़ा में 15 बतायी थीं और 4 बतायी थीं गोपालन में, कुल 19 बतायी थीं। अभी उन्होंने केवल तीन बतायीं गोपा-लन में, अब इतना डिफरेंस। इस तरह से इतना इम्बैलेंस है, जान-बूझकर तथ्यों को छिपाया गया है आपसे। आपको मिस-लीड आपके आफिसरों ने किया। उसके आधार पर आपने सदन को यह सूचना दे दी, और मैं चूंकि आप पर विश्वास करता हूं, मैं आपकी सैक्रेटरी पर विश्वास करता हूं इसलिए मैंने टेलीफोन करके आपको बताया और उसके बावजूद भी आपको यह गलत सूचना दे रहे हैं। कृपया पहले इन प्रश्नों का उत्तर दे दें।

श्री भंवरलाल शर्मा (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री) : माननीय सभापति महोदय, यह बात सही है कि कुछ सूचनाएं इसमें गलत आयी थीं और आपने मुझे बताया भी था। मैंने अधिकारियों से कहा कि मुझे यह सूचना दी है माननीय सदस्य ने कि आपकी सूचनाएं शायद ठीक नहीं हैं। इसके बाद उन्होंने संशोधन कर दिया। कुछ सूचनाएं तो वह थीं जिनको आप गलत मानते हो। अनुमानित जनसंख्या कितनी होगी आगे चार-पांच साल बाद में, यह आज के दिन ही है। वह फिगर भी गलत था। किसी तहसील में जो गांव

(श्री भंवरलाल शर्मा)

है, उसका नाम शायद दूसरी तहसील में डाल दिया, ऐसी कुछ सूचनाएं थीं। मैं आपकी इस बात से सहमत हूं कि सूचनाएं जो आनी चाहिए थीं, उसमें कहीं न कहीं थोड़ी भूल हुई है। उसके लिए मैंने आपके कहने के पहले ही हमारे अधिकारियों को निर्देश दिया कि उसकी जांच करिए और जांच करने के बाद जिसकी गलती है, उसके खिलाफ कार्यवाही करेंगे। वह मैं सदन में कह चुका हूं।

अब सवाल आपका यह है कि वह तो आपकी समस्याओं का समाधान नहीं करेंगे, आपकी समस्या का समाधान तो जब तक पानी नहीं पहुंचेगा, तब तक नहीं होगा। यह बड़ा महत्वपूर्ण विषय मेरे सामने है और मैं समझता हूं उसके लिए आपने जैसा कहा, जो विवरण मैं दे रहा हूं उस पर आप फिर से विचार कर लें और इसमें भी कोई भूल हुई है तो कृपया मुझे बता दें। यह 40 से 70 लीटर पानी करने की जो योजना थी, जिसका जिक्र किया आपने। 1987 में दो योजना स्वीकृत हुई थीं।

श्री राजेन्द्र चौधरी : मैं मंत्री महोदय आपसे उस आश्वासन के बाद का पूछ रहा हूं जो आपने सदन को दिया था। 1982 से मत चलो आप। आश्वासन दिया तब से कह रहा हूं। उसी की बात कह रहा हूं।

श्री भंवरलाल शर्मा (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री) : चलो, आपके कार्यकाल की बोल देता हूं....

श्री राजेन्द्र चौधरी : नहीं, आपने आश्वासन दिया था, वहीं से बोलो आप। हां।

श्री भंवरलाल शर्मा (जन-स्वा. अभियांत्रिकी मंत्री) : 1993 में दो योजना स्वीकृत हुई और उससे तीन गांव लाभार्थ होने वाले थे। वह पूर्ण हो गयी और तीनों गांवों को पानी मिल रहा है। 1993 में योजना स्वीकृत हुई, यह आप नोट कर लें।

श्री राजेन्द्र चौधरी : यह कौनसे गांव हैं ?

श्री भंवरलाल शर्मा (जन-स्वा. अभियांत्रिकी मंत्री) : होगा, यह पर्चा है मेरा आपके पास।

श्री राजेन्द्र चौधरी : इसमें नहीं है कुछ भी।

श्री भंवरलाल शर्मा (जन-स्वा. अभियांत्रिकी मंत्री) : नहीं है तो नोट कर लें। कोई बात नहीं, मैं दे दूंगा आपको। 1993 में दो योजना स्वीकृत हुई और वह दोनों ही पूर्ण हो गयी और पूर्ण होने के कारण तीन गांवों को लाभान्वित किया जा रहा है। वह पूर्ण हो चुकी है। इसी प्रकार 1995 में चार योजनाएं स्वीकृत हुई। इन चार योजनाओं से पांच गांवों को लाभ मिलना था। दो पूर्ण हो गयीं, दो बाकी हैं। ये 1995 की हैं। फिर 1996 में 12 योजनाएं स्वीकृत हुई उनसे 12 गांवों को लाभ होने वाला था। उनमें से नौ पूर्ण हो गयीं, तीन

(श्री भंवरलाल शर्मा)

बाकी हैं। फिर 1996 में ही, इसके आगे की हुई हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि ये योजनाएं सामान्यतया दो-तीन साल में पूरी होती हैं जो 1995-96 में हुई हैं उसको मैं विलम्ब नहीं मानता। उसके पहले का विलम्ब है, वह दो गांव का है, यह मैंने आपको निवेदन किया।

लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या है जो मेरे सामने है और आपके सामने भी है कि यह योजना बनी थी जो आपका रणसी गांव है, उस गांव से यह योजना लाभान्वित होने वाली थी, आपके भी जानकारी में है कि जो कुए हैं, वह धीरे-धीरे उनका जलस्तर कम हो रहे हैं विशेषकर जब विभाग के कुए सफल हुए हैं तो वहां के काश्तकारों ने, जितने परिणाम में कुएं खोदने चाहिए थे, उससे अधिक खोद लिए जिससे वहां पानी का स्तर कम हो गया। इसलिए पूरा पानी नहीं मिला। आज वे नया कुआं नहीं खोदने देना चाहते। यदि हम योजना पूरी करें तो रणसी गांव में गांव वाले कुआं खोदने की अनुमति नहीं देते हैं। आपका मैं सहयोग चाहता हूं। दो-तीन ट्यूब वेलों की आप अनुमति दिलवा दें, अधिक न सही, दो-तीन ट्यूब वेलों की अनुमति अगर आप दिला देंगे तो मेरा विश्वास है कि उससे जो पानी मिलेगा, उससे आपकी यह योजना पूरी होगी।

दूसरी बात मैं यह भी सोचता हूं कि पहले जोधपुर को आधार मानकर के योजना बनी थी कि जोधपुर में नहर का पानी आ जाएगा और वह आ गया। जोधपुर को रणसी गांव का पानी देने के बाद जो पानी बचेगा, उसको आपको देने का हम विचार कर सकते थे। इसी प्रकार से जवाई से भी जोधपुर को पानी आता है। वहां भी शायद अब उतना नहीं जाएगा। यह दोनों पानी जो स्पेयर होंगे, मैं आश्वासन तो नहीं देता, अभी इसकी कोई बात कह भी नहीं सकता लेकिन यह एक विचार है, यदि यह पानी स्पेयर होगा तो उसके कारण आपको जो पानी की कमी तब ही पूरी हो सकती है। वरना मेरे अधिकारियों को आप कुछ भी कहो। रणसी गांव में कुए खोदने नहीं देते। पानी वहां पर है नहीं। इसके अलावा और कोई रास्ता आप बता दो, मैं करने के लिए तैयार हूं। आप वैसे भी मेरा पूरा सहयोग करते हैं और मैं भी आपकी समस्याओं को समझ रहा हूं लेकिन यह प्रेक्टिकल प्राब्लम है। हाऊ टू साल्व इट ? यह आप मुझे बताएं, हम वही करने के लिए तैयार हैं।

श्री राजेन्द्र चौधरी : ऐसा है, सभापति महोदय, मंत्री महोदय ने इतनी बड़ी बात को, मैंने इतनी बातें कही हैं, इन्होंने एक ही लाइन में जवाब दे दिया कि मैंने उसकी जांच करवाने के लिए कह दिया है। मैं, मंत्री महोदय, आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि आपने क्या जांच की ? जब आपके पास उत्तर में डिफरेंस आ गया, तो प्रथम दृष्टया तो उस एक्स.ईएन. को सस्पेंड कीजिए।

आपको यहां घोषणा करनी चाहिये,

(154)

(श्री राजेन्द्र चौधरी)

तत्काल प्रभाव से आपको यह बात कहनी चाहिये कि आपने बिलकुल मेरा ध्यान आकर्षित किया, आपने सही किया यह सरकार को मिसगाइड कर रहे थे, बिलकुल ठीक कहा आपने।

दूसरा, आप जो पानी की बात कह रहे हैं उस पर तो मैं आऊंगा, मैं खुद ही सजेशन दूंगा आपको। मैं तो यह कह रहा हूं कि यह जो इतनी इर्रेगुलरिटी हुई है, जो मैंने आपको बतायी है, जो आपके स्वयं के सामने आयी है उसके बारे में आप उस एक्स.ईएन. के सस्पेंशन की क्यों नहीं घोषणा करते हैं? आपके अनुरोध पर मैंने भार्गव, जो चीफ इंजीनियर थे, उनके साथ मीटिंग की, मैंने मिस्टर चौहान हैं, जो अभी जोधपुर में हैं. उनके साथ मीटिंग की, आपके एस. ई. शेखावतजी और एक्स. ईएन. सारे लोग थे और बराबर मैं उनसे मानीटरिंग करता रहा। मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि पौने पांच साल में मेरा जो टेलीफोन का बिल है उसमें से 70 परसेंट पी.एच.ई.डी. के अधिकारियों से बात करने में गया है। मैं हमेशा सहयोग करता रहता हूं पर, मन्त्री महोदय, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि मुझे पी.एच.ई.डी. का सहयोग नहीं मिले।

मैं आपके ऊपर आरोप नहीं लगाता, आपने बराबर निर्देश दिये हैं, आपने कहा है, आपकी सेक्रेटरी से कहा है, मैंने सेक्रेटरी को चिट्ठी लिखी, रिमाइंडर दिया, मैंने आपसे भी बात की, आपने भी सेक्रेटरी को कहा पर मुझे आप बताएं कि उस चिट्ठी पर कुछ कार्यवाही नहीं हुई। उलटा मुझे यह कहा गया, मैंने यह सुना कि इस तरह से चिट्ठी लिखने से क्या चौधरी साहब योजनाएं मंजूर करवा लेंगे? मेरे घर पर योजना थोड़ी है मैं तो बिलाड़ा क्षेत्र का प्रतिनिधि हूं। मेरे घर पर कोई पानी की बालटी आ नहीं रही है, मैं तो उस क्षेत्र की जनता को रिप्रजेंट करता हूं इसलिए बोल रहा हूं। मेरे घर का कोई काम नहीं है यह जनता का काम है, पी. एच.ई.डी. का जो डिवीजन है, उसका काम है। अब इस तरह की बात की जाती है। मंत्री महोदय, पिछली बार सत्र के अन्दर मैंने पी.एच ई डी. का सवाल नहीं उठाया। मुझे चीफ इंजीनियर चौहान ने यह कहा कि आप प्रश्न नहीं करना, हम आपके सारे काम करेंगे, जो भी आपके जायज हैं। मैंने उनकी बात मानी। धोखा नहीं है। विश्वास किया मैंने। बाद में क्या कहा, मेरे यह सुनने में आया कि हमने तो बैठ कर बात कर ली, काम तो हमको करना नहीं है। काम तो निर्देश की बात है। मैं खुद कहता हूं कि आपने कभी कोई निर्देश मेरे खिलाफ नहीं दिये। मैं यह सदन में कह रहा हूं। पर आप मुझे बतायें कि फिर अधिकारियों की हठधर्मिता क्यों है? मैं कोई चाइना का, पाकिस्तान का नागरिक हूं क्या? इस तरह का व्यवहार अगर आपके अधिकारी मेरे साथ करते हैं तो उनके खिलाफ जब तक जो चाबुक आपके हाथ में है उसका यहां पर इस्तेमाल नहीं करेंगे, कुछ नहीं होगा।

(श्री राजेन्द्र चौधरी)

सभापति महोदय, यह रणसी गांव की जो बात मंत्री महोदय कह रहे हैं, यह बिलकुल असत्य बयान है। आपने पीपाड़ की जो योजना स्वीकृत की है, जिस पर 50 लाख रुपये खर्च होना अभी राज्य मंत्री महोदय ने यहां बताया, वह योजना ही आपकी स्वीकृत इस आधार पर हुई कि रणसी गांव का जो पानी जोधपुर जा रहा था, उस समय मैं सदन के अन्दर था, आप इधर बैठते थे और मैं उधर था और मैं खड़ा होकर बोला था, जोधपुर के पानी की समस्या थी तो मैंने कहा मेरे क्षेत्र से पानी देने के लिए मैं तैयार हूं, जनता को सहयोग करूंगा और मैंने उस समय ट्यूब-वैल खुदवाये थे जो आप अभी बता रहे हो जो जोधपुर पानी रेल से भी गया है और पाइप लाइन से भी गया है। मैं खड़ा होकर बोला था कि सरकार को हम सहयोग देंगे। आज वह योजना जो स्वीकृत हुई है वह योजना इसी आधार पर स्वीकृत हुई है कि वह पानी जोधपुर नहीं जाएगा, क्योंकि जोधपुर लिफ्ट से पानी आ चुका है। कायलाना में पानी आ चुका है। सैंक्शन ही इस आधार पर मिली है। पता नहीं आपको गलत बयान कैसे दिया। वह आधार ही यह है इसके अन्दर। पीपाड़ के अन्दर दो करोड़ की योजना स्वीकृत की, उसका आधार ही यह है और आपको यह कह रहे हैं कि उधर से पानी कम पड़ गया। कम नहीं पड़ा है। उसके अन्दर पानी है, उस गांव के लिए बहुत है, हमारे क्षेत्र के लिए बहुत पानी है। कोई तकलीफ नहीं है।

दूसरी बात, जो ट्यूब वैल खुदे हुए हैं, मैंने आपसे यह खेड़ी बंवला की बात कही, 8 साल बाद में आपके टी.एस. निकली। आपने आर्डर दिये फाइल पर कार्यवाही करने के ढाई साल पहले, आपके आदेशों की ढाई साल में पालना नहीं हुई। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? आज मुझे यह समझाएं कि उसके बावजूद भी जब मुश्किल से योजना बन गयी; मंत्री महोदय, आपके अधिकारी हर जगह कह देते हैं कि सोर्स नहीं हैं, जल स्तर नीचे है, बिलकुल गलत बयान दे रहे हैं। तब ही तो मैं पूछना चाहता हूं कि कौनसे जलाशय हैं, वह कौनसे गांव हैं? आप क्यों गलत बयान दे रहे हो? ट्यूब वैल आपके बने हुए हैं, बंवला में दो ट्यूब वैल बन गये, पाइप लाइन डल गयी; सभापति महोदय, वो पानी लाना नहीं चाहते हैं। मैंने यह बात व्यक्तिगत रूप से चीफ इंजीनियर चौहानजी से और शेखावतजी से कही कि आप स्वयं साइड पर जाइये और देखिये पानी कैसे नहीं जा रहा है। हालत यह है कि वहां पर फर्जी ट्यूब वैल खोदा गया, अब उसमें पानी नहीं निकला एक अलग बात है पर एक तरफ तो भारी अनियमितता और स्फूर्ति एवं जादू जैसा काम होता है और दूसरी तरफ विभाग पानी नहीं पहुंचाना चाहता है।

मैंने सजेशन दिया कि बीच में माराथल स्थान है वहां पर आप बूस्टर लगाइये। बूस्टर लगाने से पानी सीधा रामसागर चला जाएगा जो इस स्कीम का टेल पार्ट है। मेरी बात को एक्स.ईएन.ने नहीं माना, उसने मुझे कहा कि हम को पता है, हम इंजीनियर हैं, चौधरी साहब, हमारी

(156)

(श्री राजेन्द्र चौधरी)

जिम्मेदारी है पानी पहुंचाने की। मैंने कहा देखिये, पानी अठारह किलोमीटर दूर से नहीं जाएगा, चढ़ाई है यह मारायल जो बूस्टर है, जहां से अभी आप जनरेटर लगा कर भेज रहे हैं, पानी यहीं से जाएगा। मेरी बात नहीं मानी और अब आपको जो जवाब पहले दिया था उसके अन्दर उन्होंने जवाब दे दिया पानी पहुंचा रहे हैं। अब इन्होंने जनरेटर उसी जगह लगाया है, मारायल पर वापस लगाया है। अब वहां से पानी पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। पानी वहीं से जाएगा, यह बात मैंने पहले भी कही थी पर इन्होंने सारा पैसा विभाग का खर्च कर दिया। उस जगह बंदला के अन्दर बूस्टर लगा दिया, टंकी बना दी।

श्री मदन दिलावर (राज्य मंत्री, समाज कल्याण) : सभापति महोदय, धारीवाल जी को पता नहीं क्या हो गया, चिंता करें। माननीय सदस्य को अस्पताल पहुंचाएं।

श्री परसादी लाल मीणा : आप विराजें।

श्री मदन दिलावर : सभापति महोदय, गंभीर मामला है।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : आपकी डिमांड चालू हो जाएगी तब उठ जाएंगे।

एक माननीय सदस्य : धारीवालजी, आपको छेड़ रहे हैं, मदन दिलावरजी छेड़ रहे हैं।

श्री टीकमचन्द कान्त : समाज कल्याण मंत्रीजी को चिन्ता हो रही है।

श्री राजेन्द्र चौधरी : मंत्री महोदय, यह दो-एक, ट्यूब वैल आपके खुदे हुए हैं, लाइन बिछ गयी, मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि आपके अधिकारियों ने यह योजना कब कम्प्लीट की ? हालांकि बहुत पहिले से की है पर कब कम्प्लीट की और उसके बाद में पानी क्यों नहीं पहुंचाया ? इसके लिए कौन जिम्मेदार है ? आप जो कहते हैं कि जल स्तर नीचे है, यह बिलकुल गलत बात है। दो ट्यूब वैल आपके चल रहे हैं, कनेक्शन है, बिजली है सब कुछ है। यह जनता को पानी क्यों नहीं पिला रहे हैं ? सरकार का पैसा खर्च हो गया। स्पेसिफिक बात पूछ रहा हूं।

दूसरा, रतकुड़िया बासनी के अन्दर आपके सारे ट्यूब वैल खुदे हुए हैं, कोई जल स्तर नीचे नहीं गया, बिलकुल गलत बयान है। वहां पर डायरेक्ट फीडर का आपने 12 लाख रुपया जमा करा दिया। आपके अधिकारियों ने क्यों नहीं तस्दीक की ? आपने तत्काल कार्यवाही कर दी थी और 12 लाख रुपये जमा करा दिये, इसके लिये क्या आपके अधिकारी जिम्मेदार नहीं हैं ? मैं हमेशा इनको कहता रहा कि आप बिजली विभाग से बात करो और यह कनेक्शन लो, क्यों नहीं लिया इन्होंने ? यह जल स्तर नीचे रहने की बारबार बात क्यों की जा रही है ? जल तो है वहां पर। विभाग के अन्दर भी जल है और इसमें कह दिया कि हम योजना बना रहे हैं। आप मुझे बताएं कि एक तरफ तो

(श्री राजेन्द्र चौधरी)

आप तकनीकी स्वीकृति आठ साल बाद जारी करते हैं और एक तरफ एक दिन में ही कर देते हैं, ए. एस., टी. एस. है। इसके बारे में आप जवाब दें और अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की घोषणा करें।

श्री सभापति : श्री हरजीराम बुरड़क।

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : सभापति महोदय, इस चर्चा में एक जो गम्भीर प्रश्न उभर कर सामने आया है, उसकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मैं सरकार का ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहता।

सभापति महोदय, आपने दोनों तरफ की बात सुनी। हम कोई मामला उठाना चाहते हैं वह सचिवालय को लिख कर देते हैं और आप द्वारा यह निर्देश दिये जाते हैं कि राज्य सरकार से जवाब मंगाया जाए। राज्य सरकार से जवाब मंगा लिया। जब ध्यानाकर्षण फिक्स हो गया तब तो इसमें चेंज हो गया। अगर यह फिक्स नहीं होता तो यह सारी की सारी गलत सूचना आपके पास पहुंचती और उस गलत सूचना के आधार पर आप अपना निर्णय लेते हैं जिससे माननीय सदस्यों के अधिकारों का कितना हनन हो रहा है, यह एक बड़ा गम्भीर मामला है। इस पर आपको व्यवस्था देनी है। क्या सरकार को आप प्रताड़ित करेंगे ? इसी तरह के और दूसरे मामले जितने भी होंगे, जिनमें गलत सूचना के आधार पर आप यहां व्यवस्था देकर हम को सुना देते हैं कि राज्य सरकार ने यह जवाब दिया है और उस आधार पर आप अपना निर्णय देकर माननीय सदस्यों के सारे अधिकारों को हनन करते हैं और राजस्थान की जनता, जिसका हम प्रतिनिधित्व करते हैं, उसके भी अधिकारों का हनन हो रहा है। आपको व्यवस्था देनी है।

श्री सभापति : माननीय हरिसिंहजी (कुम्हेर) : हरिसिंहजी बोल रहे हैं कुछ।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : सभापति महोदय, बहुत ही गम्भीर मसला सदन के सामने आया है। हमारे पी. एच. ई. डी. मंत्री जैसे वरिष्ठ मंत्री, जो बहुत ही संवेदनशील मंत्री हैं, उनको इनके विभाग के अफसरों की यह जुर्रत हो गयी कि वो गलत सूचना देते हैं। यह तो हमारे माननीय सदस्य ने उनको जानकारी दे दी और वह सूचना ठीक हो रही है और आपने कह दिया कि हम उसमें दोषियों के लिए नोटिस देंगे। यह आपका मैटर नहीं रह गया अब यह सदन के सामने प्रश्न आ गया। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार से जो गलत सूचना आपके अधिकारियों ने आपको दी है और आपने उस पर कार्यवाही करके उनको नोटिस भी दिया है, कार्यवाही भी कर रहे हैं। यह कंटेम्प्ट आफ दी हाउस है, यह हाउस का कंटेम्प्ट है और इसके लिए आप जो भी कार्यवाही करें, उनके खिलाफ जो भी एक्शन आप लें उसका रिजल्ट सदन में आना चाहिये जिससे सदस्यों को संतोष हो सके कि इसमें क्या कार्यवाही की गयी है।

श्री सभापति : माननीय श्री खेतसिंह जी।

श्री खेतसिंह राठौड़ : सभापति महोदय, मैं दो प्रश्न पूछना चाहता हूं मंत्री महोदय से। मंत्री जी, आपने स्वयं ने यह एग्री किया है कि निश्चित तौर पर आपके पास में सूचना गलत आयी। प्रश्नकर्ता ने यह साफ कहा है कि एक्स. ईएन. और ए. ईएन. की गलती की वजह से आपके पास में सूचनाएं गलत आयीं। आपने स्वयं ने भी कल और परसों डिपार्टमेंट की मीटिंग कर के उसमें यह खुद ने तय कर लिया है कि वाकई सूचना गलत आयी है और देने वाले ये अधिकारी हैं, तो इनके खिलाफ आप एक्शन क्यों नहीं लेते हो ? निश्चित तौर पर इन्होंने आपको मिसगाइड किया, They should be suspended Immediately पहला सवाल मेरा यह है। (व्यवधान)

श्री सभापति : आप बीच में नहीं बोलें, अच्छा नहीं लगता। माननीय बुरड़कजी, मैंने आपको समय दिया उस वक्त बोल लिये आप।

श्री खेतसिंह राठौड़ : दूसरा सवाल मेरा यह है कि डिपार्टमेंट बहुत बड़ा है और आपके स्टेट मिनिस्टर हो गये हैं, जोधपुर डिवीजन का कार्य आप इनको सौंप दीजिये ताकि उसमें आपको सहूलियत रहेगी।

श्री सभापति : माननीय पूनम चन्दजी बिश्नोई।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई (फलोदी) : माननीय सभापति महोदय, पहले विधान सभा में गलत सूचना देने की हिम्मत नहीं करते थे अधिकारीगण लेकिन मेरे स्वयं के ध्यान में है कि या तो गोलमोल जवाब या गलत सूचनाएं धड़ाधड़ देते हैं। इसलिए इस प्रवृत्ति को अगर रोका नहीं गया तो इसके आगे जाकर बहुत गम्भीर परिणाम होंगे। इस सदन की जो प्रतिष्ठा है वह गिर जाएगी।

श्री सभापति : माननीय मंत्रीजी। (व्यवधान) ठहरिये, क्षमा चाहूंगा साहब। माननीय रामकिशनजी भी बोलना चाहते हैं।

श्री रामकिशन वर्मा (रामगंजमण्डी) : माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी से मैं यह कहना चाहता हूं कि अधिकारियों की असत्य बोलने की कोई सीमा तो होगी। हमेशा बात को गोलमोल करके बोलना चाहते हैं। जनता प्यासी मरती है। ये इतनी संवेदनशीलता भी नहीं रखते तो क्यों नहीं हम लोग ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करें ? क्या तकलीफ है ?

श्री सभापति : माननीय सदस्य, यह बात आ गयी। माननीय प्रभारी मंत्रीजी।

श्री हरिसिंह (महुआ) : सस्पैण्ड करो।

श्री भंवरलाल शर्मा (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री) : एक सेकण्ड। जो मूल है उसको मूल मानने में कोई आपत्ति की-

(श्री भंवरलाल शर्मा)

बात नहीं है। सवाल यह है कि भूल किस प्रकार की है? (व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री भंवरलाल शर्मा (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री) : बात ही नहीं सुनना चाहते।

श्री परसादी लाल मीणा : अधिकारियों की वजह से आपसे भूल हुई है इसलिए उनको सस्पेंड करो। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय परसादीलाल जी, ये सब बातें विस्तार से आ गयीं। माननीय मंत्रीजी ने शुरू भी नहीं किया फिर आपने डिस्टर्ब कर दिया। ऐसे कैसे चलेगा? आप सबने आधा-पौन घंटे तक अपनी बात कही है तो उनको सुनिये तो सही। किसलिए बोले हैं आप सब? माननीय मंत्रीजी की बात सुनने के लिए बोले हैं न? मौका तो दीजिये।

श्री भंवरलाल शर्मा (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री) : अगर सुनने का मूड नहीं है तो ...

श्री हरिसिंह (महुआ) : मूड खूब है।

श्री भंवरलाल शर्मा (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री) : तो फिर मुझे बोलने दीजिये। I am with you. मेरे खिलाफ थोड़े ही कोई बात हो रही है। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुआ) : Who is responsible ?

श्री भंवरलाल शर्मा (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री) : मेरी बात तो सुनो। हां, नहीं कर रहे हो मैं भी जानता हूं। यदि मेरे से भूल हुई है तो मैं भी क्षमा मागूंगा। ऐसी क्या बात है? लेकिन मेरी बात ही नहीं सुनेंगे तो फिर... (व्यवधान) बात तो सुनें। हम दिन-रात आपकी सुनते रहते हैं आवश्यक-अनावश्यक, आप आवश्यक तो सुन लो।

जो भूल आप बता रहे हैं वह अंकों की भूल है। जो सूचना विधान सभा में दी है उसका संकलन बड़े अधिकारी नहीं करते हैं। वह प्रारम्भ से शुरू होता है और प्रारम्भ से शुरू होने के बाद वह एक के बाद, दूसरे, तीसरे के बाद, वह विधान सभा तक आती है। अब उस भूल के लिए कौन जिम्मेदार है। (व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : प्रारम्भ में ए. ईएन. है।

श्री भंवरलाल शर्मा : एक सैकण्ड। दोनों बात हैं। मान लो प्रारम्भ में किसी ने सही खबर दे दी और आगे किसी को अनुकूल नहीं पड़ती तो उसने चेन्ज कर दिया उसको। तो फिर दो हो गये न? मैं यह नहीं कहता कि मैं उसके खिलाफ एक्शन नहीं करूंगा। I am prepared to take action. एक्शन लेने को तैयार हूं और मैं लूंगा। मैं उसके लिए मना नहीं कर रहा हूं।

(160)

श्री रामकिशन वर्मा : कब ?

श्री भंवरलाल शर्मा : तुरन्त प्रभाव से लूंगा। (व्यवधान)

श्री सभापति : चर्चा समाप्त हुई।

श्री राजेन्द्र चौधरी : सभापति महोदय, आप यह आश्वासन दें कि यह कार्यवाही करके कल में हाउस में बताऊंगा। बात मंत्री महोदय ने स्वीकार कर ली है। मैं यह कह रहा हूं कि आपने इसको गलती मान ली। मैं आपको बिलकुल अधिकृत रूप से कह रहा हूं कि एक्स. ईएन. ने, नीचे के ए. ईएन. और जे. ईएन. को भी नहीं बताया है। उसने खुद ने सूचना तैयार की है। मैं आपको कह रहा हूं। आपको गलत थोड़े ही कह रहा हूं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, ये सब बातें आप कह चुके।

श्री राजेन्द्र चौधरी : सभापति महोदय, मेरी बात सुनिये। मैं सरकार को सहयोग कर रहा हूं। मैं असहयोग नहीं कर रहा हूं। मैं तो मंत्री महोदय को बराबर सहयोग कर रहा हूं। मैं यह कह रहा हूं कि आप ऐसी स्थिति में भी, जब अधिकारी गलती कर रहे हैं, उनके खिलाफ यदि कार्यवाही नहीं करेंगे, यहां सदन के अन्दर आप सस्पेंशन की कार्यवाही नहीं कर सकते तो....

श्री भंवरलाल शर्मा : किसने कहा नहीं करूंगा। मैं निश्चित करूंगा कार्यवाही और कार्यवाही ऐसी करूंगा जिसकी कोई कानून के अन्दर त्रुटि नहीं रह जावे। कैसी बात कर रहे हैं ?

श्री सभापति : चर्चा समाप्त हुई। माननीय श्री शिवकिशोरजी सनाढ्य। अनुपस्थित दिखाई देते हैं। (अनुपस्थित)

माननीय श्री मदन दिलावर, समाज कल्याण राज्य मंत्री अनुदान की मांग संख्या 33, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण एवं श्री नन्द लाल मीणा, जनजाति क्षेत्रीय विकास, राज्य मंत्री अनुदान की मांग संख्या 30, जनजाति क्षेत्रीय विकास, विचार एवं मतदान हेतु प्रस्तुत करेंगे।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 33–सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण की प्रस्तुति

श्री मदन दिलावर (राज्य मंत्री, समाज कल्याण) : माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 33, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण के संबंध में 31 मार्च, 1999 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 3,28,04,50,000 (तीन अरब अठाइस करोड़ चार लाख पचास हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे।

मांग संख्या 33 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 33 मुख्य शीर्षक सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय, इस आशय के प्रस्ताव निम्नांकित सदस्य प्रस्तुत करेंगे/करेंगी कि :–

श्री शांतिलाल खोईवाल (राजसमंद)

(1) राजसमंद विधान सभा क्षेत्र में बड़े कस्बे, कुंआरिया एवं केलवा में अनुसूचित जाति एवं जन जाति के विद्यार्थियों के लिये समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों के अभाव से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

(2) समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित पूर्व प्रतिस्पर्धा परीक्षा के लिये जयपुर स्थित संस्था को गम्भीरतापूर्वक न चलाने से आशार्थियों को वांछित लाभ न मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़)

(3) समाज कल्याण द्वारा संचालित छात्रावासों की इमारतों की मरम्मत एवं रख-रखाव में हुई अनियमितताओं से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

(4) प्रदेश के असहाय एवं कमजोर वर्गों के व्यक्तियों को रोजगार मुहैया कराने के समुचित प्रबध करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

(5) प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण से संबंधित योजनाओं की क्रियान्विती में सरकार की विफलता पर चर्चा के लिये ।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर)

(6) जहाजपुर तहसील के राजकीय छात्रावास पंडेर में 29 छात्र, शंकरगढ़ में 25 छात्र, जहाजपुर में 25 छात्र, पारोली में 35 छात्र बढ़ाने एवं जहाजपुर आदिम जन जाति छात्रावास में 40 छात्रों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्रीमती तारा भण्डारी (सिरोही)

(7) शिवगंज नगर में अनुसूचित जाति के छात्रों के लिये स्वीकृत छात्रावास का पिछले तीन वर्ष से निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं करने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये ।

(8) सिरोही नगर मुख्यालय पर अनुसूचित जाति की छात्राओं को अध्ययन सुविधा हेतु बालिका हास्टल के निर्माण करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

(9) कालन्द्री गांव में अनुसूचित जाति के छात्रों हेतु नवीन भवन उपलब्ध होने के बावजूद भी पिछले तीन वर्ष से छात्रों को किराये के भवन में रहने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिए ।

श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर)

(10) डूंगरपुर जिले में सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण से संबंधित कार्यों की क्रियान्विति में राज्य सरकार की विफलता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर)

(11) जोधपुर शहर विधान सभा क्षेत्र में बाईजी तालाब पर वृद्धा आश्रम को सुचारू रूप से चालू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(12) वृद्धावस्था पेन्शन सभी असहाय व 55 वर्ष से ज्यादा उम्र वाले को देने महावारी पेन्शन बढ़ाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(13) जोधपुर शहर में कमजोर वर्गों के उत्थान की विशेष योजना बनाकर राहत देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मांगीलाल मेघवाल (केशवरायपाटन)

(14) समाज में गरीब लोगों, महिलाओं, अनुसूचित जाति, जन जाति की सुरक्षा के लिये हर तहसील में पुलिस थानों पर इन्हीं समाज के व्यक्तियों एवं महिला पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति करने में विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(15) समाज के गरीब लोगों, अनुसूचित जाति जन जाति के आर्थिक उत्थान हेतु पंचायत समिति स्तर पर आवश्यक कदम उठाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(16) प्रदेश में विधवा पेन्शन, वृद्धावस्था पेन्शन, विकलांग पेन्शन स्वीकृति हेतु विशेष शिविर या अभियान चलाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(17) समाज कल्याण विभाग द्वारा गरीब लोगों, अनुसूचित जाति/जन जाति आदि को दी जा रही आर्थिक सहायता, ऋण, अनुदान आदि के दुरुपयोग रोकने हेतु तिमाही समीक्षा कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री भीमराज भाटी (पाली)

(18) रोहट जिला पाली में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति छात्रावास के भवन निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(19) समाज कल्याण छात्रावास पाली में छत के पखें, पानी की समुचित व्यवस्था किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अमराराम (धोद)

(20) धोद पंचायत समिति में समाज कल्याण छात्रावास धोद में शुरू करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी)

(21) झुन्झुनू जिले में सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण की विभिन्न योजनाओं की प्रभावी क्रियान्विति की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर)

(22) जालौर जिले में अनुसूचित जाति, जन जाति विकास सहकारी निगम द्वारा अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के लिये बनाई गई दुकानों का आवंटन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

(23) जालौर जिले में विकलांगों की अत्यधिक संख्या को देखते हुये विशेष कल्याण योजना लागू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री किशन गोपाल कोगटा (मसूदा)

(24) सामाजिक सुरक्षा के कार्यों की समीक्षा एवं इस कार्यक्रम को प्रभावशाली बनाने के लिये और बजट बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) एवं
श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा)

(25) समाज के वृद्ध असहाय व्यक्तियों के लिये सामूहिक रिहायशी व्यवस्था करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

(26) सामाजिक सुरक्षा व कल्याण की विभिन्न योजनाओं के लिये उचित मात्रा में धन की व्यवस्था करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

(27) समाज में आर्थिक दृष्टि से असहाय व्यक्तियों के भरण–पोषण का जिम्मा सरकार द्वारा लिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत (भीम)

(28) अन्य पिछड़ी जाति को सरकार द्वारा आरक्षण व ऋण की उचित सुविधा नहीं प्रदान करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

श्री कन्हैया लाल पाटीदार (पिड़ावा)

(29) विधान सभा क्षेत्र पिड़ावा (झालावाड़) के छात्रावास सुनेल व पिड़ावा के भवन का निर्माण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

(30) विधान सभा क्षेत्र पिड़ावा (झालावाड़) के रायपुर व भिलवाड़ी में छात्रावास खोले जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

श्री रामरिछपाल नुवाल (भीलवाड़ा)

(31) भीलवाड़ा में समाज कल्याण के अधिकारियों द्वारा छात्रावासों एवं अन्य परियोजनाओं में सरकारी राशि का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य (उदयपुर)

(32) समाज कल्याण द्वारा चलाये जाने वाले छात्रावासों से पर्याप्त धन उपलब्ध न होने से छात्रों व छात्राओं को पर्याप्त भोजन, वस्त्र तथा अन्य साधन उपलब्ध नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

(164)

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

(33) पोषाहार केन्द्रों पर समय पर सामग्री उपलब्ध नहीं होने से बच्चों तथा महिलाओं को पोषाहार से वंचित रहने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(34) वरिष्ठ नागरिकों को विभिन्न सुविधायें उपलब्ध करवाने हेतु घोषणा करने के बावजूद भी आवश्यक सुविधायें प्रारम्भ नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(35) गुरु गोविन्द सिंह उच्च माध्यमिक विद्यालय, उदयपुर तथा अजमेर तोपदड़ा विद्यालय में चलने वाले छात्रों के छात्रावास पर छात्रकोष द्वारा खर्च करने की स्थिति में छात्रवृत्ति का पैसा समय पर प्राप्त नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री कमल (हिण्डौन)

(36) हिण्डौन क्षेत्र में सामुदायिक पम्प सैट वितरण में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों से प्रति सैट 6 हजार रुपये वसूल करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(37) हिण्डौन क्षेत्र में सम्पन्न व्यक्तियों को चयनित कर गरीबों के साथ अन्याय करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल (गंगापुर)

(38) समाज कल्याण अधिकारी, मुख्यालय सवाईमाधोपुर द्वारा अनुसूचित जाति की बस्तियों की समस्याओं के निराकरण हेतु डी. आर. डी. ए. की आम सभा में चर्चा नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(39) समाज कल्याण अधिकारी सवाईमाधोपुर द्वारा विकास के कार्यों में विशेष रुचि नहीं लेने के कारण, अनुसूचित जाति की बस्तियों में विकास कार्य नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(40) गंगापुर विधान सभा क्षेत्र में अनुसूचित जाति निगम द्वारा अनुदान दिलवाने में व्याप्त भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(41) गंगापुर विधान सभा क्षेत्र के ग्राम ऊदेई कला, ग्राम सेवा व ग्राम पीपलो में, अनुसूचित जाति बैरवा बस्ती में, विद्युतीकरण करने की स्वीकृति प्रदान नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर (नसीराबाद)

(42) विकलांग व्यक्तियों को विभाग द्वारा सुरक्षा प्रदान करने में असफलता पर चर्चा के लिये।

(43) वृद्ध एवं असहाय व्यक्तियों को सुरक्षा देने तथा विधवा एवं निराश्रित महिलाओं को आश्रय देने में विभाग की विफलता पर चर्चा के लिये।

(44) अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों

(श्री गोविन्द सिंह गुर्जर)

को आरक्षण का पूरा लाभ न देकर उन्हें येन केन प्रकारेण लाभ से वंचित करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(45) विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों में छात्राओं का शोषण करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(46) समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुदानित संस्थाओं को दी गई राशि का उपयोग सही न कर भारी गबन व भ्रष्टाचार किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री परसादी लाल मीणा (लालसोट)

(47) पंचायत समिति मुख्यालय लालसोट पर अनुसूचित जाति का छात्रावास बंद हो जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री हरिसिंह (महुआ)

(48) समाज कल्याण विभाग की विभिन्न प्रवृतियों के क्रियान्वयन में संलग्न स्वयं सेवी संस्थाओं की कार्य प्रणाली में सुधार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(49) अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों को शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर)

(50) राज्य सरकार जोधपुर जिले में कमजोर वर्गों के उत्थान की विशेष योजना बना कर राहत देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(51) वृद्धावस्था पेन्शन की उम्र 40 वर्ष किये जाने व पेन्शन बढ़ोतरी की जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सभापति : माननीय श्री नन्दलाल मीणा।

मांग संख्या 30-जनजाति क्षेत्रीय विकास की प्रस्तुति

श्री नन्दलाल मीणा (राज्य मंत्री, जन जाति क्षेत्रीय विकास) : माननीय सभापति जी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 30, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के सबंध मे 31 मार्च, 1999 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 3,41,54,23,000 (तीन अरब इकतालीस करोड़ चवन्न लाख, तेईस हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे।

मांग संख्या 30 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 30 मुख्य शीर्षक जन जाति क्षेत्रीय विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय, इस आशय के प्रस्ताव निम्नांकित सदस्य प्रस्तुत करेंगे/करेंगी कि:–

166

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़)

(1) प्रदेश में जनजाति विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन पर सरकार की असफलताओं से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(2) जन जाति के परिवारों के शैक्षणिक एवं आर्थिक उन्नयन हेतु विशेष योजनायें बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री शांतिकुमार धारीवाल (हिण्डोली)

(3) जन जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति न दिये जाने से व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

श्री दयाराम परमार (खैरवाड़ा)

(4) जन जातिय क्षेत्र के विकास के लिये महाराष्ट्र पैटर्न लागू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर)

(5) जन जाति के लोगों को नौकरियों में आवश्यक आरक्षण नहीं मिलने से व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

(6) जन जाति बाहुल्य ग्रामों में बिजली नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(7) जन जाति शिक्षित बेरोजगारों की निरन्तर बढ़ोतरी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री रघुवीर सिंह (सराड़ा)

(8) जन जातीय उप योजना क्षेत्र में आदिवासियों को विद्युत कनेक्शन की डिमाण्ड राशि में छूट दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(9) राज्य में अनुसूचित जन जाति के विभिन्न प्रतियोगियों को राज्य सरकार द्वारा पूर्ण प्रशिक्षण एवं सहायता दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम)

(10) करौली जिले में जन-जातियों के कल्याण के लिये विशेष कार्यक्रम चलाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मांगीलाल मेघवाल (केशवराय-पाटन)

(11) जन जाति बाहुल्य जिलों में जिला कलक्टर एवं जिला पुलिस अधीक्षक दोनों में से एक अधिकारी जन जाति एवं अनुसूचित जाति का लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(12) कोटा सम्भाग में जन जाति बाहुल्य तहसील केशवराय पाटन में माड़ा के गांवों में विद्युत, पानी, सड़क एवं स्वास्थ्य जैसी सुविधाओं में और विस्तार

(श्री मांगीलाल मेघवाल)

की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(13) बूंदी जिले के तहसील केशवरायपाटन में माडा की विशेष आबादी वाले पचासों गांव होने माडा कलस्टर की आबादी होने से तहसील में 60 हजार की आबादी जन जाति की होने से मालीजी का बराना गांव में जन जाति छात्रावास खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(14) जन-जाति बाहुल्य क्षेत्र में जहां पर बिखरी जन जाति आबादी निवास करती है वहां सड़क, विद्युत, स्वास्थ्य आदि में योजनाबद्ध तरीके से और विकास करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री फतेहसिंह (कुशलगढ़)

(15) राज्य सरकार की जन जाति क्षेत्र कुशलगढ़ में गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वालों को लाभ दिलाने में विफलता पर चर्चा के लिये।

(16) जन जाति क्षेत्र कुशलगढ़ में विभिन्न जन जाति विकास योजनान्तर्गत आवश्यक निर्माण कार्य कराकर जनता को राहत दिलाने में सरकार की विफलता पर चर्चा के लिये।

श्री भीखा भाई (सागवाड़ा)

(17) जन जाति क्षेत्रीय विकास विभाग को स्वतंत्र विभाग का दर्जा देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(18) सागवाड़ा क्षेत्र के बड़गांवा, चित्रकूट, आश्रम स्कूलों के विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि करने एवं नये आश्रम स्कूल प्रारम्भ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री भीमराज भाटी (पाली)

(19) जिला पाली के पंचायत समिति रोहट के जन जाति बाहुल्य भीलों की ढाणी-खुटाणी, पाती, हंजावा, राखाणा छींगाणा, आदि गांवों में पेयजल, बिजली, प्राथमिक विद्यालय आदि खुलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(20) जिला पाली के गोरिया-मीणाना नाणां आदि गांवों में मूलभूत सुविधायें उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालोर)

(21) जालोर जिले की आहोर तहसील में अनुसूचित जन जाति छात्रावास खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हरिनारायण (खण्डार)

(22) जन जाति क्षेत्र के विकास योजना के तहत चम्बल नदी से जनजाति बाहुल्य शहर सवाईमाधोपुर को पीने के पानी की योजना से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री हरिनारायण)

(23) अनुसूचित जन जाति क्षेत्र के गांवों में लोगों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिये कुटीर उद्योग लगाने में विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(24) अनुसूचित जन जाति बाहुल्य क्षेत्र में विद्यालयों को क्रमोन्नत किये जाने व बालिका विद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(25) अनुसूचित जन जाति के गांवों में बिजली के डोमेस्टिक कनेक्शन प्राथमिकता के आधार पर देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(26) अनुसूचित जन जाति के गांवों को सड़कों से जोड़े जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री शिव किशोर सनाढ्य (उदयपुर)

(27) वनवासी कल्याण परिषद उदयपुर को सहायता बन्द कर देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(28) जन जाति क्षेत्रों में छात्रावासों के भवन बन जाने पर भी उनमें साधन उपलब्ध नहीं करने से समुचित उपयोग नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(29) जन जाति छात्र छात्राओं हेतु सम्भागीय मुख्यालय उदयपुर में कालेज छात्रावास अलग से प्रारम्भ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(30) जन जाति उप योजना क्षेत्र के खुले छात्रावास जो जयपुर में चल रहे हैं को जन जाति सम्भाग मुख्यालय पर स्थानान्तरित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(31) जन जाति विकास हेतु आवंटित बजट को स्वयं सेवी संगठनों को उपलब्ध करा देने तथा उनके द्वारा उस पैसे का दुरुपयोग करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर (नसीराबाद)

(32) जन जाति क्षेत्रीय विकास योजनाओं के तहत जन जाति के व्यक्तियों को दिये जा रहे अनुदान व ऋण में व्याप्त भारी भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(33) विभाग द्वारा जन जाति क्षेत्रीय विकास योजनाओं में जन जाति के व्यक्तियों को भागीदारी देने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये।

(34) जन जाति क्षेत्रीय विकास योजनाओं में संस्थापन/प्रशासनिक व्यय अधिक करने के दुरुपयोग को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(35) जन जाति क्षेत्रीय विकास कार्यक्रमों का मोनीटरिंग एवं मूल्यांकन पर ध्यान न देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(36) केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के तहत जन जाति क्षेत्रों के विकास हेतु आवंटित

(श्री गोविन्द सिंह गुर्जर)

धनराशि का पूर्ण व सही उपयोग न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री परसादी लाल मीणा (लालसोट)

(37) पंचायत समिति लालसोट के ग्राम बगड़ी एवं रामगढ़–पचवारा में मांडा छात्रावास नहीं होने के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री ओमप्रकाश शर्मा (बूंदी)

(38) बून्दी जिले के बरड़ क्षेत्र में लगभग 19 पंचायत आदिवासियों की है इनको मांडा में लिया जाकर विकास कार्य करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर)

(39) जन जाति विकास के अन्तर्गत लघु औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान को ट्रेड बदलकर वापस चालू करवाने एवं टोंकड़, ग्रोड़, पीपलुन्द में नये छात्रावास तथा आश्रम स्कूल बनवाये जाने पर चर्चा के लिये।

श्री कन्हैयालाल पाटीदार (पिड़ावा)

(40) विधान सभा क्षेत्र पिड़ावा (झालावाड़) में अनुसूचित जाति के परिवारों में कुटीर ज्योति योजनान्तर्गत आर्थिक दृष्टि से कमजोर परिवारों को लाभान्वित करने के संबंध में चर्चा के लिए।

मांग संख्या 30 एवं 33 पर विचार

श्री सभापति : माननीय श्री चुन्नीलाल गरासिया।

श्री चुन्नीलाल गरासिया (उदयपुर ग्रामीण) : माननीय सभापति महोदय, आज सदन में मांग संख्या 30 एवं मांग संख्या 33 पर विचार किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार मार्च, 1990 में आयी। बीच में एक साल के अन्तराल के बाद दुबारा 1993 में चुनाव हुए और आज दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपना कार्यकाल पूरा करने जा रही है। इस समयावधि में दोनों विभागों ने पूरे प्रदेश में अपनी खूबी को निभाया और उन्होंने संख्या ही नहीं गुणात्मक आधारों पर भी बहुत प्रगति की है।

मांग संख्या 30, इसमें अलग से जनजाति विभाग बना हुआ है राजस्थान में। हमारे प्रदेश में लगभग 4 करोड़ 40 लाख जनजाति बन्धु रहते हैं।

श्री शंकरलाल अहारी : देश में या प्रदेश में ?

श्री चुन्नीलाल गरासिया : प्रदेश में बोल रहा हूं, देश नहीं बोल रहा हूं। हमारे राजस्थान की, कुल आबादी का लगभग 12.44 प्रतिशत है और उसी अनुपात में हमारे प्रदेश का बजट खर्च करने का एक सरकारी मापदण्ड है, आधार है। मांग संख्या 30 पर मंत्रीजी विचार रखने वाले हैं। वैसे देखा जाए तो जन

(170)

(श्री चुन्नीलाल गरासिया)

जाति विभाग के मद में लगभग 34154. 23 लाख रुपये खर्च किये जाएंगे लेकिन बड़े दुःख के साथ कहना पड़ेगा कि जिस तरह की व्यवस्था है, उस व्यवस्था के अन्तर्गत इस विभाग को सीधे केन्द्र सरकार से जो पैसा मिलता है उसमें से 10 करोड़ रुपया, और हमारे राज्य का पैसा मिलाकर लगभग 30 करोड़ रुपये का, देश में जिस तरह का प्रगति विवरण रखेंगे, और मेरा सरकार से निवेदन है कि वास्तव में हमारे प्रदेश में जिस प्रकार की व्यवस्था है, क्योंकि जिस तरह विभाग का निर्माण किया गया था, विभाग की जब स्थापना की गयी थी उस समय एक मानसिकता थी, एक विचार था कि जनजाति बंधु जो प्रदेश में रह रहे हैं, उनका सर्वांगीण विकास किया जाए। चाहे शिक्षा की दृष्टि से हो, चाहे सामाजिक दृष्टि से हो, चाहे आर्थिक दृष्टि से हो, लेकिन व्यवहार में

(15.30 बजे)

(श्रीमती तारा भण्डारी, सभापति, पदासीन)

इतना समय होने के बाद भी हम नहीं कर पाये। देश में इनके लिये अध्ययन भी किया गया कि किस प्रदेश में किस तरह की योजनाएं चल रही हैं। कितनी उसमें सफलताएं मिलीं, कितने परिणाम मिले। उसमें योजना महाराष्ट्र पैटर्न हमारे सामने आयी और पूरे देश में उस पैटर्न को लागू करने के लिये एक वातावरण बना। भारत सरकार ने भी प्रान्त की सरकारों को अपील की कि महाराष्ट्र पैटर्न लागू करके हम जनजाति बन्धुओं के सर्वांगीण विकास में ज्यादा प्रगति ला सकते हैं। हमारे यहां की टोली भी महाराष्ट्र, आन्ध्र प्रदेश, गुजरात वहां चलने वाली योजनाओं के अध्ययन के लिये गयी। स्वयं मंत्री महोदय के नेतृत्व में गयी, अधिकारियों के नेतृत्व में गयी और वहां जो योजनाएं चल रही हैं उन योजनाओं को लाकर यहां सरकार को पेश किया गया। उन योजनाओं के बारे में आदरणीय मुख्य मंत्री जी के सामने रिपोर्ट पेश की गयी। जनजाति मंत्री जी ने उनको कन्विंस किया कि इस महाराष्ट्र पैटर्न को राजस्थान में लागू किया जाए ताकि हम यहां के जनजाति समुदायों को, जनजाति क्षेत्र को अधिक से अधिक विकसित कर सकें। विभाग ज्यादा उत्तरदायी बने। जनजाति विभाग को जो पैसा मिलता है उसको सही ढंग से खर्च कर सके। सही ढंग से इसके ऊपर प्रशासनिक नजर रख सके।

मैं समझता हूं यह विषय मंत्रिमण्डल में भी आया, स्वयं मुख्य मंत्री जी से मंत्रिमण्डल में रखवाया गया। लेकिन पता नहीं कुछ अधिकारियों की मानसिकता के कारण कि कहीं जनजाति मंत्री ताकतवर नहीं बन जाए, कहीं जनजाति का सचिव ताकतवर नहीं बन जाए, कहीं जनजाति का कमिश्नर ताकतवर नहीं बन जाए और यह साढ़े बारह प्रतिशत पर जो कब्जा है हमारा, जो दबदबा चलता है उसमें कहीं हमारा अधिकार छीना न जाए, मैं समझता हूं उस मानसिकता के कारण इस विषय को डाइल्यूट कर दिया। यह कमेटी को दे दिया गया और उस कमेटी ने इस विषय

171

(श्री चुन्नीलाल गरासिया)

पर नेगेटिव कमेंट्स करके एक बार मंत्रिमण्डलीय बैठक से इसको ग्राउट कर दिया।

मैं सभापति महोदया, ग्रापके माध्यम से सरकार को निवेदन करना चाहता हूं कि इस पैटर्न पर पुनः विचार किया जाए। चाहे जनजाति मंत्री कोई भी बने लेकिन ग्रगर हमारी मानसिकता स्पष्ट है कि हम जन-जाति भाइयों का विकास करना चाहते हैं, उनका सर्वांगीण विकास करना चाहते हैं तो हमें इस बिन्दु पर सोचना पड़ेगा, क्योंकि यह पैटर्न मध्यप्रदेश में लागू हुग्रा है, महाराष्ट्र व ग्रान्ध्र प्रदेश में चल रहा है, ग्रन्य प्रदेश भी इसको लागू करने के लिये ग्रपनी मानसिकता बना चुके हैं। ऐसी परिस्थिति में हमें भी इस पैटर्न को लागू करना चाहिये। ऐसी हमारे सभी माननीय सदस्यों की भी भावना है।

सभापति महोदया, इस पैटर्न को क्यों लागू किया जाय, इसकी क्या विशेषता है, मैं थोड़ा सा इसकी गहराई में जाना चाहूंगा। हमारे पूरे बजट का साढ़े बारह प्रतिशत हमारे जनजाति बन्धुग्रों पर खर्चा किया जाता है। लेकिन उससे जितनी प्रगति होनी चाहिये, जितना ग्राउट पुट ग्राना चाहिये वह नहीं ग्राता है। चाहे किसी विभाग को उठाकर देख लें हम। चाहे बिजली हो, चाहे सड़क हो, चाहे पी. एच. ई डी. हो लेकिन इसका एलोकेशन कहीं भी दिखाकर हमारे विभाग को संतुष्ट कर दिया जाता है कि ग्रापका साढ़े बारह प्रतिशत खर्च कर दिया गया है। मैं बिजली का उदाहरण देना चाहता हूं।

सभापति महोदया, ग्राज तक बिजली विभाग ने साढ़े बारह प्रतिशत खर्च नहीं किया है ग्रौर करता भी है तो उसका एलोकेशन दिखा देता है सूरतगढ़ की जो हमारी ताप परियोजना है, यह हाई टेंशन की लाइन जा रही है इसके ऊपर हमारी जनजाति का बजट दिखा दिया जाता है, ग्रापका यह खर्च कर दिया। चाहे माही में हाई टेंशन की बिजली का ट्रांसमिशन हो रहा हो लेकिन सीधा लाभ क्या मिला ग्रादि-वासी को ? सीधा लाभ उस ग्रादिवासी जनजाति क्षेत्र को क्या मिला। इस मान-सिकता को क्लियर करने के लिये, इस एलोकेशन को रोकने के लिये जब महा-राष्ट्र पैटर्न पर विभाग के पास सीधा पैसा ग्राएगा तो विभाग के ग्रधिकारी, विभाग का मंत्री ग्रपने आधार पर योजना बनाकर उन पैसों का सदुपयोग करेगा ग्रौर उन योजनाग्रों का सही ढग से जनजाति क्षेत्र को उसका लाभ मिलेगा। बिजली विभाग अगर चाहता, जितना पैसा उसको जनजाति के हैड से मिला तो ग्राज सारे जनजाति गांव विद्युतीकृत हो गये होते लेकिन ग्राज भी कई ऐसे गांव हैं जिनका विद्युतीकरण नहीं हुग्रा है।

सभापति महोदया, आपके माध्यम से मेरा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि ग्रापने एक योजना हाथ में ली है। गांवों के साथ-साथ कुग्रों का भी हम विद्युतीकरण कराएंगे। ग्रच्छी योजना है, ग्रच्छी सोच है लेकिन सभी ग्रादिवासी

(172)

(श्री चुन्नीलाल गरासिया)

जनजाति बंधुओं के पास कुए नहीं होते हैं। इसलिये गांव का जो विद्युतीकरण आप शत-प्रतिशत कराते हैं उस लक्ष्य से दूर नहीं हटें। क्योंकि सारे गांव का विद्युतीकरण होगा तो मैं समझता हूं कुओं का विद्युतीकरण भी उसी अनुपात में निश्चित रूप से होगा। सभापति महोदया, जैसा मैं आपको निवेदन कर रहा हूं महाराष्ट्र पैटर्न के आधार पर सरकार जरूर विचार करेगी।

मैं आगे आपसे निवेदन करता हूं हमारा साढ़े बारह प्रतिशत जो खर्चा है वह सारे विभाग का सीधा जनजाति परिवारों को लाभ क्या मिले उस पर विचार करें और हमारा सोच है कि जनजाति विभाग द्वारा सर्वांगीण विकास हम जनजाति भाइयों का करना चाहते हैं, निश्चित रूप से होगा न कि अपनी योजनाओं में पैसा दिखाकर के केवल बजट में यह दिखा देना कि हमने आदिवासी क्षेत्र के लिये इतना पैसा खर्च कर दिया, आदिवासी बंधुओं के लिये इतना पैसा खर्च कर दिया। मैं समझता हूं कि यह अपने आप में हम जिस समुदाय के लिये कार्य कर रहे हैं उसके लिये ठीक नहीं होगा।

माननीय सभापति महोदया, हमारे जनजाति मंत्री जी ने कई सीधी योजनाएं ऐसी ली हैं जिनका सीधा लाभ जनजाति परिवारों को मिला है। विशेष रूप से शिक्षा के क्षेत्र में कई छात्रावास खोले हैं। तहसील हैडक्वार्टर पर, पंचायत समिति हैडक्वार्टर पर इन्होंने योजनाबद्ध ढंग से छात्रावास खोलकर एक शैक्षणिक वातावरण जनजाति क्षेत्र में बनाया है। आवश्यकता भी है इस बात की। वास्तव में अगर आदिवासी समुदायों का विकास करना है तो सबसे पहले शैक्षणिक वातावरण बनाकर उनको शिक्षित बनाना पड़ेगा। एक कदम आगे बढ़ते हुए मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि वास्तव में शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन आया है, साथ ही साथ छात्रावास जहां खोल रहे हैं; आवासीय विद्यालय जहां खोल रहे हैं वहां आधारभूत सुविधाओं को प्राथमिकता देनी पड़ेगी। एक बार काम्पलैक्स तो तैयार हो जाएगा; असेट तो तैयार हो जाएगा लेकिन अगर आधारभूत सुविधाएं नहीं दी हमने तो वहां छात्रों के जीवन का जो निर्माण होने वाला है उसके निर्माण में कहीं न कहीं कमी रह जाएगी। जैसे कि वहां कर्मचारियों की आवश्यकता, छात्रावास अधीक्षक की आवश्यकता, खेल के लिये कोच की आवश्यकता, भवन में सारी आधुनिक आवश्यकताओं की आपूर्ति करना। अभी-अभी वित्त विभाग ने एक प्रशासनिक आदेश निकालकर कुछ पदों की कटौती कर दी। सौ छात्राओं का छात्रावास है। एक उसमें चपरासी होगा; भोजन बनाने वाला होगा, रसोईया होगा।

माननीय सभापति महोदया, कल्पना करें कि एक रसोईया सौ छात्राओं का भोजन कैसे बनाएगा ? हमने 2 करोड़ का छात्रावास बना दिया। सारे साधन जुटा दिये। हम चाहते हैं कि यहां से निकले हुए छात्रों का सर्वांगीण विकास हो, उनकी प्रतिभा निखरकर वह आगे बढ़ें। लेकिन अगर वहां उनको समय पर रोटी नहीं मिली;

(श्री चुन्नीलाल गरासिया)

कच्ची मिली तो जैसा लक्ष्य है, उस लक्ष्य से भटक जाएंगे। इसलिये मेरा निवेदन है कि सरकार इस पर ध्यान दे। क्योंकि सारा पैसा केन्द्रीय सरकार खर्च करती है। राज्य

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सरकार तो यहां केवल टोकन मनी के रूप में देती है। ऐसी परिस्थिति में कहीं वित्त विभाग की इस अड़चन के कारण इन मूल-भूत सुविधाओं की कमी रही तो जिस तरह का हम छात्राओं का सर्वांगीण विकास करना चाहते हैं उसमें कहीं न कहीं कमी रहेगी।

सभापति महोदय, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। हमारे जो छात्रावास चल रहे हैं। आपने एक खेल छात्रावास बांसवाड़ा में चलाया है। उसका सर्वांगीण विकास अभी नहीं हुआ है। उसमें कई कमियां हैं। उसका एक अच्छा काम्पलेक्स तैयार करके जनजाति के छात्रों को एक खिलाड़ी के रूप में निकालकर राज्य ही नहीं, राष्ट्र ही नहीं, अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर जाकर अपनी प्रतिभाओं को निखारें और इसके लिये आवश्यकता होगी आधारभूत सुविधाओं के निर्माण की, उपयुक्त स्टाफ की, उपयुक्त धन की और उसके लिये पूरी आर्थिक व्यवस्था करें। मंत्री महोदय, एक उदाहरण कायम करेंगे कि राजस्थान मे इस तरह का एक खेल छात्रावास है जो राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाये। मेरा इस तरह का इस सदन के माध्यम से आपको निवेदन है।

सभापति महोदया, जनजाति विभाग से कई इस तरह की योजनाएं चलती हैं जो सीधे जनजाति के व्यक्तियों को लाभान्वित करती हैं। ऐसी योजनाओं की संख्या बढ़ाई जाए तो अधिक से अधिक आदिवासी बंधु लाभान्वित होंगे। सेरिकल्चर के बारे में, मत्स्य पालन के बारे में, मत्स्य प्रोजेक्ट के बारे में, इसमें अगर अधिक आर्थिक सहयोग करेंगे तो संख्या में बढ़ोतरी होगी। जिस तरह की संख्या में अभी लाभान्वित हो रहे हैं उससे दुगुने लाभान्वित होंगे। मैं समझता हूं सबसे ज्यादा व्यक्तिगत लाभ पहुंचाने की योजना होगी।

डी. आर. डी. ए. के माध्यम से जिस तरह की योजनाएं चल रही हैं उस तरह की योजना हमारे जनजाति विभाग से चलनी चाहिये। यह भी मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं। डी.आर.डी.ए. के माध्यम से, एम.एस.ओ. के माध्यम से इंदिरा आवास की योजना चलती है। इंदिरा आवास की योजना लिमिटेड होती है, संख्या में कम, इतनी पूरी होती नहीं है जिसके कारण पूरे आदिवासी, क्योंकि सारे परिवार गरीबी की रेखा से नीचे होते हैं, चयनित होते हैं। सारे डी. आर.डी.ए. के माध्यम से चयनित नहीं हो पाते हैं। तो एक पेरेलल योजना, समानान्तर योजना, हम एक आवासीय योजना चाहे एकलव्य आवास के नाम से, नाम कोई भी रखें लेकिन इस तरह की योजना, अगर माननीय मंत्री महोदय कंसेप्ट, सोच रखते हों तो एक बहुत बड़ा उदाहरण कायम करेंगे। क्योंकि आज आदिवासी के सामने सबसे बड़ी

(174)

(श्री चुन्नीलाल गरासिया)

परेशानी मकान की है। रोटी, कपड़ा

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

और मकान अगर व्यक्ति को मिल जाए तो व्यक्ति की मानसिक स्थिति बढ़ जाती है। इसलिये विशेष रूप से इंदिरा आवास के पेरेलल में एक इस तरह एकलव्य आवास की योजना आप बनाकर, इस तरह का प्रारूप तैयार करके आदिवासी समुदाय में देंगे तो बहुत बड़ा लाभ मिलेगा।

जीवन धारा की तरह ही उप जीवन धारा एस.एस.ओ. की योजना है। जन–जाति के माध्यम से अगर इस तरह कुओं का पूरा निर्माण करके खोद दिया, पानी निकाल दिया वाटर पम्प लगाकर के यूनिट के रूप में अगर आदिवासी परिवार को आप समर्पित करेंगे तो सिंचित क्षेत्र में लाभान्वित होने की बहुत बड़ी योजना होगी, ऐसा मैं सोचता हूं।

आपने एक ट्यूब वैल योजना चलायी है। यह नयी योजना है। इसका भी लोगों में अभी इतना प्रचार-प्रसार नहीं हुआ है। ग्रुप ट्यूब वैल की योजना से भी सिंचित अच्छी योजना आपने क्रियान्वित की है। उसको भी संख्या के रूप से आप बढ़ाएं और उसका प्रचार-प्रसार अधिक से अधिक करेंगे तो सिंचाई के क्षेत्र में बहुत बड़ा लाभ मिलेगा।

जनजाति क्षेत्र में सबसे बड़ा लाभ मिला सिंचाई क्षेत्र में लिफ्ट माध्यम से। आज माही का बेक वाटर हो, चाहे कनाड़ा का बेक वाटर हो, या और तालाब हों। जहां-जहां बेक वाटर है, जहां–जहां पानी की सुविधा है, जनजाति विभाग ने, विशेष रूप से हमारे आदरणीय मीणा साहब ने लिफ्ट सिंचाई योजना पर बहुत बड़ा ध्यान दिया है। सिंचाई की योजनाओं के माध्यम से हमारे आदिवासी बंधु के पास में जो छोटी-छोटी जमीन, जोत है उनको पानी मिला, पानी के माध्यम से उनको सिंचाई की सुविधा मिली और आर्थिक सम्बल बढ़ा, आर्थिक स्तर बढ़ा। वास्तव में हमें इस क्षेत्र में और सोचना पड़ेगा कि जहां-जहां भी पानी की सुविधा है वहां जलोत्थान के माध्यम से हम अधिक से अधिक सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराएं।

मैं बहुत कम समय में खतम करना चाह रहा हूं।

मैं समाज कल्याण विभाग की मांग के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगा कि वास्तव में यह भी पूरे समाज का कल्याण करने हेतु विभाग बना है। मांग संख्या-33 जिसे हमारे माननीय मंत्री मदन दिलावर देख रहे हैं, पूरे समाज के उत्थान के लिये इन्होंने कई काम अच्छे भी किये हैं। कई लोगों की शादियां करायी हैं, कई लोगों के घर बसा दिये। कई नये छात्रावास खोले हैं आप सबके उत्थान के लिये। इन्होंने अपने कार्यकाल में कई छात्रावास खोले हैं। इस तरह के नये छात्रावास खोलने की माननीय वित्त मंत्रीजी ने बजट में घोषणा की है। मैं तो उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि यह विभाग बहुत बड़ा है। इसमें काम

(श्री चुन्नीलाल गरासिया)

करने की काफी गुंजाइश है। मैं विशेष रूप से आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जो योजना चल रही है। उस योजना में जो छठी से दसवीं तक की आप छात्रवृत्ति देते हैं, वह कम है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि कुछ छात्रवृत्ति में बढ़ोतरी करेंगे तो जो गरीब परिवार से छात्र पढ़ता है, अपने घर से स्कूल आता है और 30, 40 रुपये में, क्योंकि महंगाई का जमाना है, इसमें कुछ होता नहीं है इस लिये निवेदन करता हूं कि इसमें कुछ गुंजाइश अगर हो और अगर थोड़ी स्कालरशिप बढ़ाएंगे तो बहुत बड़ा लाभ उसको मिलेगा।

अभी आधुनिकीकरण है। कम्प्यूटर का जमाना है। आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि जो आप प्रशिक्षण देते है, रोजगार मिले इसके अनुसार प्रशिक्षण देंगे तो हमारे एस.टी., एस. सी. के लड़कों को ज्यादा रोजगार मिल जाएगा।

सभापति महोदया, मैं एक बात भूल गया। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे मुख्य मंत्री महोदय ने एक बहुत बड़ा साहसिक कदम उठाया कि 1 से 6 स्केल तक की जो नौकरियां थीं उनमें 12 प्रतिशत से बढ़ाकर 45 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर रोजगार के दरवाजे खोले हैं। बहुत बड़ा एक साहसिक कदम था इसके कारण रोजगार के कई अवसर हमारे जनजाति बंधुओं को मिले। जनजाति क्षेत्र में विशेष रूप से हमारे राजस्थान का दक्षिणांचल है, वहां भर्तियां होती हैं 1 से 6 स्केल में वहां पहले 12 प्रतिशत आरक्षण था। इस सरकार ने और विशेष रूप से हमारे मुख्य मंत्रीजी ने 45 प्रतिशत करके साहसिक कदम उठाया है। लेकिन एक कदम आगे बढ़कर मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि 1 से 6 ही क्यों, उस क्षेत्र में सभी नौकरियों में अगर 45 प्रतिशत आरक्षण करने की सरकार मंशा रखेगी तो बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम होगा। क्योंकि जनजाति क्षेत्र में दूर-दराज के जो विभाग हैं उनमें कोई भी अधिकारी हो, चाहे डाक्टर हो, चाहे कम्पाउंडर हो, चाहे प्रधानाध्यापक हो, क्योंकि उस क्षेत्र का रहने वाला नहीं होते हैं इसलिये वहां टिकते नहीं हैं। स्थायीकरण नहीं होने के कारण उस विभाग को जो सेवा मिलनी चाहिये, वह सेवा नहीं मिलती है। इसलिये, मान्यवर, अन्य जो स्केल हैं जिनमें आर.पी एस.सी. के माध्यम से चयन नहीं होता है, सीधा सरकार करती है उनमें भी अगर सरकार कर सकती है, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि 1 से 6 के ऊपर जो स्केल हैं ...

श्री सभापति : समाप्त करें।

श्री चुन्नीलाल गरासिया : उसमें आरक्षण करने का प्रावधान रखें।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, पूरा करें।

श्री चुन्नीलाल गरासिया : आपने जो समय दिया, उसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद

(176)

(श्री चुन्नीलाल गरासिया)

देता हुआ अपनी बात समाप्त करता हूं। जय भारत।

श्री सभापति : श्री दयाराम परमार।

श्री दयाराम परमार (खैरवाड़ा) : सभापति महोदया, मांग संख्या 30 और 33 पर चर्चा हो रही है, लेकिन मैं मांग संख्या-30, जो ट्राइबल एरिया डवलपमेंट से संबंधित है, उसी को अपना केन्द्र बिन्दु बनाऊंगा। ट्राइबल एरिया डवलपमेंट डिपार्टमेंट 1975 में बनाया गया और इस डिपार्टमेंट को बनाने की इसलिए आवश्यकता पड़ी कि जब प्रदेश के नेताओं ने देखा कि इस प्रदेश में रहने वाले ट्राइबल जो हैं, दक्षिणी जिले जिसमें बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़ की दो पचायत समितियां, सिरोही की आबू रोड, वह सदियों से शैक्षणिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है और उस एरिये को, उस समुदाय के लोगों को प्रदेश के अन्य समुदायों के साथ में सभी दृष्टि से समान रूप से लाने के लिए एक विशेष व्यवस्था की गयी और उस विशेष व्यवस्था के अन्तर्गत ट्राइबल एरिया डवलपमेंट डिपार्टमेंट की स्थापना की गयी। इस डिपार्टमेंट को बनाने के पीछे इसके चार मुख्य उद्देश्य रखे। पहला था, जनजाति उप योजना क्षेत्र का सर्वांगीण विकास। दूसरा था, जनजातियों का आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं बौद्धिक विकास। तीसरा था, जनजाति विकास की विभिन्न योजनाओं का निर्माण, समन्वय, नियन्त्रण एवं निर्देशन और चौथा था, जनजाति बाहुल्य क्षेत्र में प्रशासन के स्तर को अन्य क्षेत्रों के समकक्ष लाना एवं जनजाति वर्ग के जीवन स्तर का उन्नयन करना।

सभापति महोदया, इस तरह का विकास करने के लिए धन की आवश्यकता पड़ती है और सरकार ने एक तात्कालिक यह व्यवस्था की कि प्रत्येक विभाग ट्राइबल एरिये में 12 प्रतिशत अतिरिक्त पैसा खर्च करेगा और चाहे वह सरकार किधर की भी रही हो, किसी भी पार्टी की रही हो लेकिन किसी ने भी उस जिम्मेदारी को नहीं निभाया और हर साल पैसा बराबर लैप्स होता रहा और उसका नतीजा यह हुआ कि ट्राइबल एरिया में जो विकास होना चाहिए था वह विकास अभी तक नहीं हुआ है और जब विकास नहीं हुआ तो केन्द्रीय कल्याण मंत्रालय ने देश के सभी राज्यों के कल्याण मंत्रियों और सचिवों की मीटिंग करके यह निर्णय लिया कि किस तरह के विकास नहीं हुए हैं और किस तरह की योजनाएं विभिन्न स्टेटों में चल रही हैं। ट्राइबल डवलपमेंट के लिए सबकी समीक्षा करने के बाद में महाराष्ट्र का पैटर्न था उसको सबसे उपयुक्त माना गया और उसी पैटर्न को सभी स्टेटों में लागू करने के लिए केन्द्रीय कल्याण मंत्रालय ने निर्देश दिये।

सभापति महोदया, हमारे यहां पर उस पैटर्न को लागू करने के लिए पहले तो यह चर्चा चली कि कुछ लोगों को महाराष्ट्र भेजकर उसकी स्टडी कराई जाए। हमारे यहां मंत्री जी की अध्यक्षता में कमेटी गयी, स्टडी करके आ गयी। स्टडी करने के बाद

(श्री दयाराम परमार)

में और मंत्रिमण्डल स्तर पर उसका विचार हुआ। एक सब कमेटी भी बना दी गयी और थोड़े दिन अखबार में यह छपने लगा कि मंत्रिमण्डल की बैठक में तय कर लिया गया है कि जल्दी ही महाराष्ट्र पैटर्न राजस्थान में लागू हो रहा है। हम लोग बड़े प्रसन्न हुए।

सभापति महोदया, थोड़े समय के बाद यह फैसला हुआ कि इस सब कमेटी ने यह फैसला करके दिया कि महाराष्ट्र पैटर्न तो लागू नहीं होगा लेकिन ट्राइबल एरिया डवलपमैंट डिपार्टमैंट प्रपोजल तैयार कर संबंधित मंत्रीजी के पास में भेजेगा और वह जाकर के सेंक्शन जारी करेंगे। सभापति महोदया, अब हमें क्या करना है। हमारे आदमी अनपढ़ हैं, पढ़े–लिखे नहीं हैं, समझते नहीं हैं, रास्ता नहीं जानते हैं। पहले तो वह जाएंगे ट्राइबल डवलपमैंट कमिश्नर के कार्यालय में फिर उनको कागज लिखकर देंगे फिर वह प्रपोजल तैयार करके किस मंत्री के पास में भेजा है हम कहां ढूंढ़ते रहेंगे।

सभापति महोदया, यह महाराष्ट्र पैटर्न का प्रश्न क्यों खड़ा हुआ? महाराष्ट्र पैटर्न का प्रश्न इसलिए खड़ा हो गया कि ट्राइबल एरिया डवलपमैंट मिनिस्टर जिनको कहा जाता है कि ट्राइबल एरिया का डवलपमैंट करने वाले मिनिस्टर हैं लेकिन उनके पास पैसा कहां है। उनको धन कौन दे रहा है। सारे का सारा 12 प्रतिशत जो पैसा है वह तो सब अपने-अपने मिनिस्टर लेकर के बैठे हैं। भारत सरकार से उनको जो पैसा मिलता है एक अरब के करीब वह लेकर के यह कहते हैं कि हम डवलपमैंट कर रहे हैं और वह भी पैसा उनके पास नहीं है। उनके ट्राइबल एरिया कमिश्नर के पास में या डिपार्टमैंट के पी. डी. खाते में नहीं आता है वह पैसा तो डी. आर. डी. ए. के खाते में जाता है। फिर हमारे ट्राइबल एरिये का विकास करने के लिए इस विभाग में मंत्रीजी को क्या अधिकार दे रखे हैं? हम ऐसा मानते हैं कि हमारा मजाक बनाया जा रहा है और पढ़े-लिखे और समझदार, संबल लोग हमारे ट्राइबल लोगों की मजाक बना रहे हैं और इसलिए हम उसको मजाक मानते हैं कि आपने जब उसका डिपार्टमैंट बना दिया, ट्राइबल एरिया डवलपमैंट मिनिस्टर बना दिया और उसको एक पैसा नहीं देते। लेकिन महाराष्ट्र पैटर्न यह कहता है कि जो भी पैसा उसका है, इस डिपार्टमैंट में चार अरब के करीब का हर साल बजट होता है, जो लिखते हैं चार अरब इतना रुपया लेकिन वह रुपया है कहां। यह इनके डिपार्टमैंट से भी बिलकुल स्पष्ट है जबकि महाराष्ट्र सरकार से पैसा आता है उनका उस पर पूर्ण रूप से अधिकार है। स्टेट गवर्नमैंट का पैसा तीन अरब, साढ़े तीन अरब रुपया होता है वह उनके पास में, एक पैसा उनको खर्चा करने के लिए नहीं है। दूसरे डिपार्टमैंट जो खर्चा करते हैं वे उन आंकड़ों का कलेक्शन करते हैं और उन आंकड़ों का कलेक्शन करके कहते हैं कि हमने ट्राइबल एरिये में यह विकास कर दिये।

सभापति महोदया, हम चाहते हैं कि सरकार को सोच बदलनी पड़ेगी। हम

(श्री दयाराम परमार)

ऐसा मानकर के चलते हैं कि सरकार किसी भी पार्टी की हो लेकिन सबके सब सम्पन्न सुसंस्कृत परिवारों के नागरिकों को यह एक षड्यंत्र है कि इन लोगों को किस तरह से हम अपने कब्जे में रखें। किस तरह से ये पढ़े-लिखे नहीं हों और किसी तरह से सम्पन्न नहीं हों। यह एक चाल चली जा रही है। अगर ऐसा नहीं होता तो क्यों महाराष्ट्र पैटर्न को रोक दिया गया, महाराष्ट्र पैटर्न को लागू करते। हम मंत्री जी के पास जाते और कहते कि अम्मा धणी हमारा काम करो। लेकिन यह अम्मा धणी हम करें किस आधार पर, हमके पास एक पैसा नहीं है। हम चाहते हैं कि यह षडयंत्र अब ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। इस षड्यंत्र के खिलाफ में ज्यादा दिन नहीं लगेंगे, हम इसके खिलाफ में आवाज उठाने के लिए तैयार हैं (व्यवधान) ये तो हमारे साथ में हो जाएगी। ये हमारी चीफ मिनिस्टर होंगी।

सभापति महोदया, हम चाहते हैं कि सरकार इस बात को स्वीकार कर ले कि हमें महाराष्ट्र पैटर्न लागू करना है। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जब 1990 में असेम्बली के चुनाव हुए थे तब माननीय मुख्य मंत्रीजी ने पूरे ट्राइबल एरिये में घूम-घूमकर कहा था कि आदिवासियों का विकास तभी संभव हो सकता है जब स्वायत्तशासी विकास परिषद उनकी बनाई जाए। उसका असर यह हुआ कि हमारे ट्राइबल एरिये से 17 में से 13 सीटें बी.जे.पी. के पक्ष में आयीं। लेकिन आज वह स्वायत्तशासी विकास परिषद कहां चली गयी। हम तो समझते नहीं कि उसका स्वरूप कैसा होगा? लेकिन आज बजट में उसका पैसा देना पड़ेगा मंत्रीजी को और वह पैसा देने के लिए तैयार नहीं हैं तो फिर वह हमारी स्वायत्तशासी विकास परिषद हो। अब हम सभी राजनीतिक पार्टियों से यह निवेदन करना चाहते हैं और यह कहना चाहते हैं कि आप हम से इस तरह से असत्य वादे करके, असत्य घोषणाएं करके ज्यादा दिन वोट नहीं ले पाएंगे। वक्त आ गया है कि अब हमको इसको समझना पड़ेगा कि हम जो भी कहें वह हमको करना पड़ेगा।

सभापति महोदया, जहां तक ट्राइबल एरिया डवलपमेंट मिनिस्टर साहब का सवाल है। उन्होंने हमारी एडवाइजरी कौंसिल और बनायी। बनाते, उनको संवैधानिक अधिकार हैं। वह हमको मीटिंग में बुलाकर कहते हैं कि हमको यह करना है, यह करना है, निर्णय कर दिया। एक बार पहले-पहले जब कमेटी बनाई शुरू में मैं मैम्बर होकर के गया तो मैंने उनसे पूछा कि साहब हम ट्राइबल एरिया डवलपमेंट डिपार्टमेंट एडवाइजरी कौंसिल के मेम्बर हैं या गवर्नमेंट की एडवाइजरी कौंसिल के हैं? तो मंत्री जी ने कहा कि ऐसा तो नहीं है यह पावरफुल कमेटी है, वह है। मैंने कहा सरकार तो अपनी नीति और कार्यक्रम के अनुसार चलती है। पैसा उनके पास है और आप हमें मीटिंग कर-करके फिर उसकी प्लानिंग बनाते हो कि ये कर देंगे, कुएं खोद देंगे वह कह रहे थे कि ट्यूब वैल खोद देंगे। पैसा तो हमारे पास है नहीं, ट्यूब वैल खोदकर

(श्री दयाराम परमार)

के मीटिंग करके वह प्लानिंग क्यों करते हैं? यह भी एक गुमराह करने का एक तरीका है कि हम आदिवासियों को कुछ दे रहे हैं, कुछ दे रहे हैं। ऐसा करके हमको अपने साथ बांधे रखने के लिए यह चाल चल रहे हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह कमेटी पावरफुल बने या नहीं बने लेकिन पैसा इस डिपार्टमेंट को मिलना चाहिये। यह हमारी मांग है।

सभापति महोदया, सरकार की सड़क नीति बनी, वह हमारे खिलाफ है। सड़क नीति कहती है कि 700 के ऊपर वाले गांव को ही रोड करेंगे, बाकी में कुछ नहीं करेंगे। हम कह रहे है कि 200, 300, 400, 500 की जनसंख्या वाले हैं उनका रोड़ में नम्बर कब आएगा। 50 साल आजादी को हो गये और फिर क्या 100 साल के बाद में नम्बर आएगा? तब वह रोड बनेगा तो पता नहीं कितनी पीढ़ियां अनपढ़ हो वहां खतम हो जाएंगी। इसलिए सरकार जो सड़क नीति बनाती है तो वह भी हमारे खिलाफ है। सरकार हमारे लिए यदि शिक्षा नीति बनाती है तो उसमें भी यह लोग हमारे खिलाफ हैं और वह खिलाफ में इसलिए जाते हैं कि वह कहते हैं कि हम तो केवल 150 की आबादी वाले गांव में स्कूल खोल देंगे। हमारे ऐसे-ऐसे गांव हैं जिनकी जनसंख्या पांच हजार, तीन हजार, चार हजार हो,

(16.00 बजे)

एक स्कूल या तो वह प्राइमरी होगा या मिडल होगा, खोल दिया स्कूल। ट्राइबल एरिये की बस्ती का मतलब है कि वह 10 किलोमीटर के रेडियस में हो। अब वह छोरा हमारा कब बड़ा होकर, कब स्कूल में पढ़ने जाएगा। वह पढ़ने जाना नहीं है फिर वही अनपढ़, फिर वही घूमता रहेगा तो हम यह कहना चाहते हैं कि दिल्ली में महाराष्ट्र पैटर्न यही कहता है, यदि ट्राइबल एरिया डवलपमेंट डिपार्टमेंट जहां भी 20 लड़के आते हैं, वहां पर आप स्कूल खोल दो, वहां पर वह पढ़ेगा, और नो क्राइटेरिया कि वहां की जनसंख्या कितनी है, उससे कोई मतलब नहीं, इस तरह की व्यवस्था की हम मांग करें तो मुझे सरकार की नीयत अच्छी नहीं लगती है, नहीं नीयत अच्छी है तो सरकार नहीं करना चाहती। मंत्रीजी हमारे उत्साहित थे इस पैटर्न को लागू करने के लिए लेकिन मंत्रीजी पर पड़ी डांट-फटकार कि टिकट लेना कि नहीं लेना है। कहां जाएगा, तो मंत्री जी ने कहा कि अपने चुपके से चल लेना ही ठीक है। यही नहीं, इनकी भी मजबूरी है, कांग्रेस भी राज में रही है तो उसमें भी मिनिस्टर जो बना ट्राइबल एरिये का, अभी आने वाले चुनावों में क्या करेंगे, तो वह चुप।

माननीय सभापति महोदया, अब हमारे माननीय सदस्यों को खुराफात आने लगी है, इन टिकटों से हम डरने वाले नहीं हैं, अगर मन में ख्वाहिश हो कि हमको विधान सभा में आना है तो हम जनता के वोट से आरक्षित हैं, उसको लेकर आ जाएंगे। मगर हमारी टिकट को सुरक्षित करने के लिए और एम.एल.ए. के ठाठ-बाट को

(180)

(श्री दयाराम परमार)

भुगतने के लिए हजारों, 24 लाख ट्राइबल हैं, उन 24 लाख लोगों को हम धोखा दे रहे हैं कि हम वहां गए थे, तुम्हारे लिए कुछ कर रहे हैं, कर रहे हैं, वह हमसे उम्मीद रखता है कि वे हमारे लिए कुछ करने वाले हैं लेकिन हम हमारी टिकट के भय के कारण इनके खिलाफ नहीं बोल सकते, उनके पक्ष में नहीं बोल पाते हैं तो उसका खामियाजा अभी तक भोगते रहे हैं और उसका फायदा हम उठा रहे हैं। अब हमारी यह मजबूरी हो गयी कि हमको सरकार के खिलाफ चाहे वह किसी भी पार्टी की सरकार आए, अगर हमारे ट्राइबल की भलाई के बारे में काम नहीं करती है हमारे इलाके की कोई नीतियां नहीं बनाती है, हमको हमारे अधिकार जो संविधान ने दे रखे हैं उसको नहीं देती है तो हम हमारी आवाज बुलन्द करेंगे। जो भी आदिवासी यहां आकर, ट्राइबल यहां आकर नहीं बोलेगा ट्राइबल के लिए, उनको दुबारा इस विधान सभा में शक्ल नहीं देखने देंगे। यह हमने सोच बनाई है।

माननीय सभापति महोदया, हमारी यही सोच नहीं है, हम इस बात पर भी आने वाले हैं कि हमारे फतेहसिंहजी, कुशलगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य, वह कभी कभी बोलते हैं कि हमको एक सूबा अलग बनाना पड़ेगा। माननीय सभापति महोदया, ऐसा बोलने वाले वह एक ही आदमी नहीं हैं, हजारों आदमी इसी तरह की सोच में बैठे हुए हैं कि अगर सरकार हमें हमेशा उपेक्षा की दृष्टि से देखती रही, हमसे बड़े-बड़े वादे करती रही, बड़े-बड़े आश्वासन देती रही और काम नहीं कर रही तो आने वाले 10 साल के अंदर हम बागड़ प्रदेश बनाएंगे और उस बागड़ प्रदेश का मुख्य मंत्री नन्दलालजी मीणा को बनाएंगे। यह हमारा दावा है (व्यवधान) यह कोई पार्टी पोलिटिक्स का मामला नहीं है।

माननीय सभापति महोदया, यह कोई भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का मसला नहीं है, हमारी कम्यूनिटी का सवाल है। हमारे ट्राइबल एरिये का सवाल है। वहां पर ट्राइबल भी रहते हैं, हमारे दूसरे भाई भी रहते हैं, बनिया, ब्राह्मण और राजपूत भी रहते हैं। यदि हमारे एरिये का कोई विकास नहीं होता है तो उसका खामियाजा वह भी भुगतते हैं। इसलिए हम ज्यादा दिन तक इस मामले को नहीं चलने देंगे और हमें इस बात को दिमाग में सोचना पड़ेगा कि आगे-पीछे हम क्या करना चाहते हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि ट्राइबल एरिये में जो कुछ भी विकास के कार्य किए जा रहे हैं।

श्री सभापति : आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं पर थोड़ी-सी चेतावनी दी है कि जल्दी से पूरा करें (व्यवधान) बोलने दीजिए। आप इन्टरप्ट क्यों करते हैं? महावीरजी ने कुछ बोला ही नहीं, आप यूं ही करते हैं।

श्री दयाराम परमार : माननीय सभापति महोदया, मुख्य मंत्री नन्दलालजी को इसलिए बनाने के लिए कहा है कि हमारे पास जो भी आदमी डिजर्विंग होगा, चाहे वह किसी भी पार्टी में रहता होगा, डिजर्विंग होगा उसी को तो नेता बनाएंगे। हम इस

(श्री दयाराम परमार)

बात को मानते हैं और इनको बार–बार कहते हैं कि हम आपको लालू यादव बनाना चाहते हैं लेकिन वह कमजोर पड़ जाते हैं इसलिए मेरे भी मन में तकलीफ होती है। इसलिए माननीय मंत्रीजी आप कमजोर मत होइए और मैं आपसे कहता हूं कि अगर सरकार हमारे महाराष्ट्र पैटर्न लागू करने की बात नहीं मानती तो दो इस्तिफा, कोई जरूरत नहीं है यहां पर विधान सभा में बैठने की। हमारे लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, हमारे लोगों के साथ विश्वास-घात हो रहा है, हमारे भाइयों की उपेक्षा हो रही है, उनको उपेक्षित दृष्टि से देखा जाता है और हम यहां पर मिनिस्टर बनकर बैठे रहेंगे, मैं एम.एल.ए. बनकर बैठा रहूंगा तो फिर उनके साथ अन्याय ही करते हैं। इसलिए कम से कम हमें उनके साथ अन्याय नहीं करना चाहिए।

माननीय मंत्रीजी, मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं कि ट्राइबल एरिया में हमारा राजस संघ भी चलता है, यह राजस संघ ट्राइबल्स का शोषण करने के लिए गवर्नमेंट ने बना रखा है। उस शोषण से हम मुक्ति करना चाहते हैं और मेरा केवल एक ही प्रस्ताव है कि उस राजस संघ को आप भंग कर दीजिए। अगर वह भंग नहीं करेंगे तो वह हमारा हमेशा शोषण करता रहेगा और वह उस व्यक्ति का शोषण करता है जो बिलकुल गरीब है, अनपढ़ है।

फिशरीज, वह मछली मरवाता है, तीन रुपये किलो में खरीद कर बीस रुपये में बेच देता है और बीस रुपये में खरीद कर पचास रुपये और अस्सी रुपये में बेच देता है और इनको तीन महीने से पैसा देता है। क्यों उस आदमी को राजस संघ बांध कर रखना चाहता है? वह आदमी हमारा जाएगा सड़क पर मजदूरी करेगा, किसी का मकान बन रहा होगा तो वहां काम करेगा, चालीस रुपये लेकर आएगा। आप तीन महीने से पेमेंट करें, तीन रुपये किलो के हिसाब से आप उसको देते हैं, तो यह उसका शोषण नहीं तो क्या है?

इसी तरह सफेद मूसली, नौ सौ रुपये किलो वाली, साठ रुपये में ले रहे हैं, अस्सी रुपये किलो में ले रहे हैं। वह मार्केट में बेचेगा तो राजस संघ कहेगा कि कैसे बेची, तुम्हारे खिलाफ कार्यवाही होगी। पुलिस वाला दौड़ा कर इनके दो डण्डे रखवा देता है।

इसलिए माननीय सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस राजस संघ के बारे में सोचें और जो आपके मंत्रीकाल का समय है, उसके दौरान ही इसका फैसला करके जाएं ताकि कम से कम इस राजस संघ का तो सफाया हो जाए।

माननीय सभापति महोदया, आपने मुझे समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। लेकिन मेरे मन में जो तकलीफ है, वह यही है कि सरकार ने महाराष्ट्र पैटर्न को लागू नहीं करके हमारे भाईयों के साथ विश्वासघात किया है, कुठाराघात किया है। माननीय सभापति महोदया, यहां पर बैठकर हम कभी–कभी कोई बात कहने की भी कोशिश करते हैं लेकिन सरकार हमारी बात सुनती नहीं है और सरकार हमारे

(श्री दयाराम परमार)

महाराष्ट्र पैटर्न को लागू नहीं करना चाहती है और नहीं लागू कर रही है। मुझे अफसोस है और इस अफसोस को जाहिर करने के लिए मैं सदन का वाक आउट करता हूं।

श्री सभापति : बोल भी लिए और वाक आउट भी कर रहे हैं। श्री टीकमचन्द कान्त।

श्री टीकमचन्द कान्त (सिवाना) : माननीय सभापति महोदया, आज अनुदान की मांग संख्या 33, सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण और अनुदान की मांग संख्या 30 जनजाति क्षेत्रीय विकास पर चर्चा हो रही है।

जहां तक समाज कल्याण विभाग का प्रश्न है, मैं मानता हूं कि समाज के अंदर कमजोर वर्ग भी होता है, समाज के अंदर दलित वर्ग भी होता है, समाज के अंदर असहाय, बेसहारा, विकलांग, अनाथ, इन लोगों की समस्याएं हैं, उनके कल्याण का काम यह विभाग देखता है। पिछड़ों, वंचितों के बारे में शासन विचार करता है, अपना बजट रखता है लेकिन क्या यह समस्या इस समाज के अंदर मात्र सरकार के कर्तव्यों से, इसके बजट से सुधर जाएगी? समाज के अंदर, आज मैं हिन्दू समाज के समक्ष, कुछ बातें रखना चाहूंगा इस सदन के माध्यम से। इस हिन्दू समाज के अंदर दलित और कमजोर वर्ग, जो वर्ग सिर्फ जन्म लेने के कारण अपराधी बना हुआ है। सब कुछ उसके पास में होते हुए भी, चूंकि उसने विशेष जाति के अंदर जन्म लिया है इसी कारण से उसके साथ में समानता का व्यवहार नहीं हुआ। वर्षों-वर्ष, पीढ़ियों तक उसका शोषण हुआ।

सभापति महोदया, उस पुराने समय को देखें, स्वतन्त्रता आंदोलन के काल को, उसके पूर्व के काल को देखें, इस देश के अंदर इस वर्ग के नेताओं को सार्वजनिक तालाब के अंदर, जहां कुत्ते और पशु भी पानी पीते थे वहां भी पानी नहीं भरने दिया जाता था। जिन देवी-देवताओं की, जिस भगवान की वे आराधना करते थे, जिसको मानते थे, जिसका स्मरण करते थे, जिसकी भक्ति करते थे उन मन्दिरों के अंदर उनको नहीं जाने दिया। अगर सड़कों पर चलते थे तो उसे आवाज देनी पड़ती थी कि शूद्र आ रहा है, सवर्णों तुम अलग रहना, कहीं मेरी छाया तुम पर न पड़ जाए। मार्ग पर चलते हुए उनके पदों के चिन्ह उस मार्ग पर न रह जाएं इसलिए पीछे की तरफ उनको कुछ बांधना पड़ता था ताकि वे पांव साफ हो जाए। यह हालत इस समाज के अंदर उस वर्ग की रही है। वे कौन थे? हिन्दू दलित कहलाये। कोई ऐसा समाज हो सकता है? जिसका अपना अंग, जो अपने आपको हिन्दू कहते हों और इस प्रकार से पीड़ित अवस्था में जीये हों, यह हिन्दू समाज के लिए बहुत बड़े कलंक की बात है।

स्वतंत्रता आंदोलन के अंदर भी यह अलग से लड़ाई लड़ी गयी। कांग्रेस का अपना इतिहास है। बहुत बाद में यह

(श्री टीकमचन्द कान्त)

अस्पृश्यता और अछूत को साथ लेने की बात हुई। उसके लिए भी एक लड़ाई लड़नी पड़ी। बात यहां तक उठी थी कि सामाजिक सुधार पहले होना चाहिए, राजनैतिक सुधार की पहले आवश्यकता नहीं। अगर सामाजिक सुधार नहीं हुए तो यह राजनैतिक सुधार इस देश को, इस समाज को कुछ नहीं दे पाएंगे, समानता नहीं दे पाएंगे। पहले सामाजिक और धार्मिक क्रांति होनी चाहिए, उसके बाद में राजनैतिक क्रांति होनी चाहिए। इस बात को कांग्रेसी नेताओं ने नहीं माना। लेकिन अंततोगत्वा महात्मा गांधी के साथ में जब दलित नेताओं की चर्चा हुई, समाज सुधारकों की चर्चा हुई तब उन्होंने कांग्रेस के कार्यक्रमों के अंदर अस्पृश्यता का विषय रखा। उससे पहले नहीं।

सभापति महोदया, बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है। मात्र 50 साल इस देश को आजाद हुए गुजरे हैं। उस 50 साल से पूर्व की जितनी भी पीड़ाएं, जितना भी शोषण इस समाज ने भुगता है वह याद करने पर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस अवस्था में यह समाज जीया है। वह तो भला हो उस निर्णय का, भला हो उस समय का जब इस बात का समझौता हो गया कि इस अनुसूचित जाति, जिसको दलित समाज कहा जाता है, जिसको अछूत कहा जाता था उनको भी हम आरक्षण देंगे, उनको हम सुरक्षा देंगे, उनको हम मुआवजा देंगे। अगर यह समाज साथ नहीं होता तो इस देश का चित्र कुछ और होता। इस समाज ने अगर साथ नहीं दिया होता, इसको हिन्दू समाज के अंदर सारे अधिकार या समानता मिलनी चाहिए थी, उस बात का समझौता नहीं हुआ होता तो यह देश न मालूम कितने टुकड़ों में विभक्त हो जाता।

सभापति महोदया, इस देश के अंदर जातियों से पहले वर्ण व्यवस्था रही। वर्ण व्यवस्था को शास्त्रों का समर्थन रहा, वेदों का समर्थन रहा। पुरुष सूक्त, जो वेदों के अंदर आया, उस पुरुष सूक्त के अंदर जो वर्ण व्यवस्था है उसमें इस समाज रूपी ब्रह्म के मुंह से ब्राह्मण, उसके बाहु से क्षत्रिय, उसकी जंघाओं से वैश्य, उसके पांवों से क्षुद्र। ब्रह्म का स्वरूप एक है, सम्पूर्ण माना है उस समय तक के लिए। जब जातीय स्वरूप सामने आ गया और समाज के अंदर विभाजन जिस ढंग से देखा गया, अब वर्ण व्यवस्था भी समाज में नहीं रहनी चाहिए, इस प्रकार के विचार खड़े हो रहे हैं। हालांकि वर्ण व्यवस्था के काल तक एक-दूसरे वर्ण के साथ में कोई भेद नहीं था। कर्म के अनुसार किसी भी वर्ण में व्यक्ति जा सकता था। ऊंच-नीच, अस्पृश्यता जैसी उसमें बात नहीं थी। इसको सामान्यतः डिवीजन आफ लेबर हम कह सकते हैं। क्षुद्र ब्राह्मण बन सकता था, ब्राह्मण क्षुद्र हो जाता था। ऐसे-ऐसे उदाहरण भी हैं कि ऋषि किसी को भी मंत्र के द्वारा ब्राह्मण बना सकता था; शुद्धि के द्वारा उसको दीक्षा दे सकता था। (व्यवधान)

सभापति महोदया, उपनिषद काल तक, वेद काल तक व बौद्ध के समय तक ये जातियां अस्तित्व में नहीं थीं। इस

184

(श्री टीकमचन्द कान्त)

समाज में जब जातियां आयीं और जातियों का रिश्ता जब जन्म से हो गया तब ये कुरीतियां, यह शोषण इस समाज में आरम्भ हो गया।

सभापति महोदया, आज यह आरक्षण की बात है। नहीं चाहिए आरक्षण यदि समाज समानता लाता है। नहीं चाहिए आरक्षण यदि समाज इस जाति प्रथा को समाप्त कर दे। इस समाज का सबसे बड़ा दूषण, प्रदूषण यदि कोई है तो यह जातिवाद है। आज व्यक्ति के शोषण का कोई कारण है तो यह जातिवाद है।..(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : समाज कल्याण मंत्रीजी ने क्या घोटाले किए उन पर फरमाओ +++।

श्री टीकमचन्द कान्त : +++ आप बैठ जाओ तो ठीक है। आपके दोषों के कारण समाज ने बहुत कुछ भुगता है। आप जैसे अग्रणियों के कारण ही समाज ने बहुत कुछ भुगता है।

श्री रामनारायण चौधरी : व्यावहारिक बात करो।

श्री टीकमचन्द कान्त : मैं व्यावहारिक बात पर आता हूं। अगर यह समाज क्रांति नहीं करेगा तो यह समाज विभक्त हो सकता है।

श्री राजेन्द्र पारीक : धरती पर आओ। आप तो अंतरिक्ष पर पहुंच गये, धरती पर आओ।

श्री टीकमचन्द कान्त : इस समाज के अंदर, अभी-अभी थोड़ी देर पहले बागड़ प्रदेश की बात उठी है। उसका कारण क्या है। समाज की समानता समाप्त हो गयी है, समाज में समानता नहीं रही है।

मेरे कहने का तात्पर्य, सभापति महोदया, इस समाज के अन्दर परिवर्तन के लिए महात्मा गांधी ने जब इस प्रकार का संकल्प लिया था, याद आता है, गांधीजी ने कहा था, अछूत नेताओं से कहा था कि आप जन्म से अछूत हो और मैं स्वीकृति के द्वारा अछूत हूं। किस प्रकार इस समाज में समानता आये, किस प्रकार से इस समाज में से अस्पृश्यता खतम हो, किस प्रकार से यह समाज समझे, इसके लिए उन्होंने यह कहा है। उन्होंने आगे कहा, हम एक व अविभाज्य हैं। हिन्दू समाज के विघटन को टालने के लिए मैं अपने जीवन को भी देने के लिए तैयार हूं। और कांग्रेस की तरफ बैठे हुए लोग, जब मैंने कहा था कि जातिवाद को समाप्त कर दो, जाति प्रथा को खतम कर दो तो उन्होंने कहा कि जैसा है वैसा चलेगा और गांधीजी, जिनका यह बार-बार नाम लेते हैं उन्होंने क्या कहा।

श्री राजेन्द्र पारीक : धर्म के नाम पर +++। धर्म के नाम पर शासन कर रहे हैं। (व्यवधान) क्या समाप्त कर रहे हो?

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, इंटरप्ट नहीं करें, बिराजिये । इंटरप्ट नहीं करें।

श्री राजेन्द्र पारीक : एक रामजी के झंडे को लेकर ऐसे पूरे मुल्क में इन्होंने तबाही मचा दी, पूरे मुल्क को खून के आंसू रुलवा दिये । किस जातिप्रथा की समाप्ति की बात करते हैं ?

श्री सभापति : बिराजिये । वह विषय पर बोल रहे हैं ।

श्री राजेन्द्र पारीक : विषयान्तर हो रहे हैं । विषय पर बोलते तो एतराज नहीं होता ।

श्री सभापति : बैठिये । आपको अधिकार नहीं है विषयान्तर हो रहे हैं तो ।

श्री टीकमचन्द कान्त : आपको समझ में नहीं आती है तो बैठे रहो । बात समझ में नहीं आयेगी आपको । समझ में बात नहीं आयेगी । +++ समझ में थोड़ी आ सकती है यह बात । स्वतंत्रता आंदोलन का काल, 25 सितम्बर, 1932, बम्बई में एक बड़ी आम सभा हुई, मालवीयजी ने अध्यक्ष पद से घोषणा की कि अब किसी को भी जन्म से अछूत नहीं समझना चाहिए और देश में छुआछूत का अन्त होना चाहिए ।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कुछ गति बढ़ाओ ।

श्री टीकमचन्द कान्त : इसमें कुछ तथ्य मैं रखना चाहता हूं, उसके पीछे भाव हैं मेरे ।

श्री सभापति : वर्तमान में आ जाओ ।

श्री टीकमचन्द कान्त : सभापति महोदया, बंच ऑफ थॉट्स, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के द्वितीय सर संघ संचालक माननीय माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर । बंच ऑफ थॉट्स, विचारों का संकलन, जिस शाखा में कोई जाति हिन्दू की नहीं पूछी जाती लेकिन जब पीड़ित जो बोलते हैं, समाज की जाति व्यवस्था को जब उन्होंने देखा तो उन्होंने अपने विचारों के अन्दर लिखा कि अस्पृश्यता रोग की जड़ जनसामान्य के इस विश्वास में निहित है कि यह धर्म का अंग है । अस्पृश्यता धर्म का अंग है और इसका उल्लंघन महापाप होगा । यह विकृत धारणा ही मूल कारण है जिससे शताब्दियों से अनेक समाज सुधारकों एवं धर्म धुरन्धरों के समर्पित प्रयासों के बाद भी यह घातक परम्परा जन सामान्य के मन में आज भी घर किये बैठी है । गुरु नानक, आचार्य रामानुजम, बसेश्वर शंकर देव, स्वामी दयानन्द, नारायण गुरु, गांधीजी और वीर सावरकर गुरुजी, श्री माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर, द्वितीय सर संघ संचालक अपने विचारों में गांधीजी को भी कहते हैं कि उन लोगों ने समाज सुधार का कार्य किया जिनके लिए आप बार-बार कहते हो आर.एस.एस. के लिए । गांधीजी और वीर सावरकर सरीखे अनेक महापुरुषों

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी ।

(186)

(श्री टीकमचन्द कान्त)

ने इस हिन्दू समाज के मस्तिष्क पर लगे इस कलंक को मिटाने का अथक प्रयास किया है। फिर भी यह दूषित दाग अभी विद्यमान है। आज भी तथाकथित उच्च जातीय लोग उन तथाकथित अस्पृश्यों को अपने समान मानने को तैयार नहीं हैं। समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है, राजस्थान की कोई बात होगी उस समय। उस समय कांग्रेस का शासन रहा होगा, कहा है कि राजस्थान के एक गांव में एक हरिजन युवक को इस कारण से पीट-पीट कर मार डाला गया क्योंकि उसने मूछें बढ़ा रखी थीं।

हमारे धर्माचार्य भी ऐसे आचरण की निन्दा नहीं करते क्योंकि गलती से वे भी कुप्रथाओं को धर्म मान बैठे। सभापति महोदय, इस दिशा के अन्दर जिस प्रकार से गांधीजी ने कार्य किया, जिस प्रकार अन्य समाज सुधारकों ने कार्य किया, 1969 के अन्दर कर्नाटक के अन्दर, उडुपी के अन्दर विश्व हिन्दू परिषद् का सम्मेलन हुआ और उस सम्मेलन के अन्दर शैव, वीरशैव, मद्व, वैष्णव, जैन, बौद्ध, सिख आदि समस्त हिन्दू सम्प्रदायों के लोग इकट्ठा हुए और इन्होंने एक प्रस्ताव पास किया और प्रस्ताव पास करके कहा कि पूज्य धर्माचार्यों का ऐतिहासिक निर्देश इस प्रकार है- समस्त हिन्दू समाज को अविभाज्य, एकात्मकता के सूत्र में पिरोकर संगठित करने एवं स्पृश्य, अस्पृश्य की भावना व प्रवृत्ति से प्रेरित विघटन को रोकने के उद्देश्य की प्राप्ति हेतु विश्व भर के हिन्दुओं को अपने पारस्परिक व्यवहार में एकात्मकता एवं समानता की भावना को बरकरार रखना चाहिए। यह प्रस्ताव 1969 के अन्दर, क्योंकि समाज के अन्दर उस समय भी जाति व्यवस्था, अस्पृश्यता, छुआछूत मौजूद रही, विभेद हिन्दू समाज के अन्दर मौजूद रहा इसलिए प्रस्ताव पास करना पड़ा।

सभापति महोदया, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जनसंघ था। उस जनसंघ के चिन्तक पण्डित दीनदयाल जी उपाध्याय ने भी अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा था कि यह समाज में क्या है? बिना छुआ भोजन करना धर्म है। कुछ लोगों के मन में तो धर्म का यही मतलब है कि हरिजनों के कान में अगर वेदमन्त्र पड़ जाए तो शीशा गलाकर कान में डाल देना चाहिए। इस प्रकार हम देखते हैं कि धर्म के नाम पर ऐसी कई चीजें चल पड़ी हैं जो वास्तव में धर्म नहीं है। इस प्रकार के चिन्तक ने इस समाज को बार-बार चेताने का प्रयत्न किया लेकिन यह समाज दिन-व-दिन अपनी जातियों में और दृढ़ होता गया और हिन्दू समाज को जिस प्रकार से समानता के साथ में एक होना चाहिए वह हिन्दू समाज एक नहीं हो पाया। यह तो समय ने बचाव कर लिया. सभापति महोदया, उस समय अभ्यावेदन जब अंग्रेजों को दिये गये थे जब इस दलित समाज को हिन्दू समाज से अलग करने की बातें जब हुई थीं। काश अगर वह हो गया होता। यहां का दलित समाज अगर बदल गया होता तो इस देश की और हिन्दू समाज की क्या हालत होती?

मैं "देश बंट गया" नामक पुस्तक में से हो. वे. शेषाद्रि के कुछ वाक्य प्रस्तुत

(श्री टीकमचन्द कान्त)

करना चाहूंगा। नाम मात्र के हिन्दू कहलाने वाले निम्न वर्ग की बहुसंख्या को हिन्दुओं से अलग कर दिया जाए तो हिन्दू और मुस्लिम जनसंख्या के बीच जो असमानता दिख पड़ती है वह निश्चय ही फिर इतनी विषम नहीं दिखेगी। यह जाति और समुदाय जनगणना हेतु नाममात्र के हिन्दू हैं। वास्तविक हिन्दू और इनमें कोई समानता नहीं है। हिन्दू के लिए तो उनका स्पर्श और बहुधा उनकी छाया भी दूषित है। हमें तो यह न्यायसंगत नहीं दिखता। इस समुदाय को पहले हिन्दू जनसंख्या में शामिल किया जाए और फिर उसे मुस्लिम जनसंख्या में तौला जाए। उन्होंने कहा कि यह घोर अन्याय है, अत्याचार है कि अछूतों के भाग्य का विधाता हिन्दू प्रतिनिधियों को बना दिया जाए। हिन्दू समाज उनको क्या देगा? उनसे कहीं आर्थिक सुरक्षा और सम्मान अछूतों को मुस्लिम भाईचारे में मिल सकेगा। उन्हें हिन्दू मानने का परिणाम यह होगा कि हिन्दू-मुस्लिम प्रतिनिधित्व के अनुपात में हिन्दुओं का पलड़ा भारी रहेगा।

अगर वास्तव में यह अभ्यावेदन मान लिया गया होता और दलित समाज, अस्पृश्य समाज, वह भी इसी प्रकार पाकिस्तान के निर्माण के साथ में जुड़ जाता, इस हिन्दुस्तान की क्या स्थिति होती, इस हिन्दू समाज की क्या स्थिति होती? मेरे कहने का तात्पर्य कुल मिलाकर यह है कि आज भी यह समाज इन जातियों के अन्दर जिस प्रकार बंटा हुआ है, ये राजनीति के अन्दर तो उद्धार बने हुए हैं, राजनैतिक भाषा में हम उद्धार हैं लेकिन वास्तविकता में हम उद्धारता नहीं रखते। समाज सुधारकों ने कहा था कि दिल और दिमाग, ये अलग-अलग इस मामले में एक नहीं हो सकते। दिल और दिमाग एक मामले में एक नहीं करोगे, तब तक इस समाज का उत्थान नहीं हो सकता। इस समाज कल्याण का उद्देश्य फिर वर्षों-वर्षों चलता रहेगा। ये जातियां इसके अन्दर सम्मिलित होती जायेंगी। इनके कल्याण के लिए थोड़ा सा बजट आता जायेगा, इसके अन्दर पूर्ण परिवर्तन चाहिए।

सभापति महोदया, मैं थोड़ा सा इस मामले में, आरक्षण के मामले में कहकर अपनी बात पूरी करूंगा।

श्री सभापति : अब आप समापन पर आ जाइये। यथार्थ समय दे दिया।

श्री टीकमचन्द कान्त : मैं आ रहा हूं। आप बोर नहीं हों। सभापति महोदया, आरक्षण भिक्षा, दान या याचना में इस समाज को नहीं मिला है।

श्री सभापति : सुझावों पर आ जाइये।

श्री टीकमचन्द कान्त : यह नहीं मिला। यह तो एक समझौता हुआ है और उस समझौते की शर्त उस समय अगर यह देखी जाए और उस समझौते के ऊपर दस्तखत हुए हैं। उस समझौते पर दस्तखत करने वाले इस देश का स्वतंत्रता आंदोलन लड़ने वाले महान नेता रहे हैं। मदन मोहन

(188)

(श्री टीकमचन्द कान्त)

मालवीय रहे हैं, तेज बहादुर सप्रू थे, चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य रहे, कमला नेहरू भी इसमें शामिल रही हैं, ठक्कर बापा इसमें शामिल रहे हैं यानी इतने बड़े-बड़े नेता इसमें शामिल रहे हैं तो समझौता हुआ उस समझौते के अन्दर उसका नाम दिया गया पूना पेक्ट, जिसकी बात मैंने पहले भी की थी। उस समय समझौते के अन्दर शर्तें थी...

श्री सभापति : इतिहास सब जानते हैं। आप तो वर्तमान बता दो, वर्तमान।

श्री टीकमचन्द कान्त : मैं इतिहास की बात कर रहा हूं। आज भी आरक्षण के नाम पर समाज के लोग आज जो यह कहते हैं कि दलित हमारा हिस्सा खा रहे, दलित हमारा आरक्षण खा रहे हैं, मैं उनसे यह कहने की बात कर रहा हूं, मैंने आज इतनी भूमिका हिन्दू समाज की इसलिए बनाई है यह आपके समक्ष रखी है। यह आरक्षण के मुद्दे के अन्दर कभी मन आ जाता है तो गुजरात से माधवसिंह सोलंकी उठता है, आरक्षण के विरुद्ध आवाज चला देता है। कभी आता है तो कांग्रेस का कोई नेता अगर फेल होने लगता है तो आरक्षण के विरोध के अदर रैलियां निकालने लग जाता है। इस समाज के अन्दर किसी को भी नेता बनना होता है तो कहता है कि आरक्षण के ऊपर पुनर्विचार करो। यह कोई सामान्य बात नहीं है।

श्री सभापति : यह तो विचारों की स्वतंत्रता है।

श्री टीकमचन्द कान्त : ये समाज की एकता बिगाड़ते हैं। मैं इस सदन के अन्दर जिस बात को उठा रहा हूं, इस बात के पीछे मेरी भावना है कि यह समाज एक रहे, यह हिन्दू समाज एक रहे, यह शक्तिशाली बना रहे, यह देश नहीं टूटे। (व्यवधान)

श्री सभापति : आप तो विराजिये। आपको किसने पूछा है।

श्री टीकमचन्द कान्त : मेरे कहने का तात्पर्य कुल मिलाकर यह है (व्यवधान) सभापति महोदया, जिस समय समझौता हुआ है, अगर वे शर्तें देखी जाएं कि समाज में चुनाव सुरक्षित स्थान के साथ....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, हमारे समय के साथ में भी समझौता करिये। समय के साथ समझौता करो साहब।

श्री टीकमचन्द कान्त : कोई बात नहीं, लीजिये, मैं और नहीं बोल रहा हूं। सुरक्षित स्थान के साथ संयुक्त चुनावों के द्वारा होगा। दलितों के प्रतिनिधित्व का विशेष अधिकार 15 वर्षों तक रहेगा, उस समय की बात और उसके आगे की बात सुन लीजिये। इसके बाद यह प्रश्न अछूतों की राय से ही बदला जा सकेगा। दलितों के नाबालिग मातृ को वोट देने का हक होगा। सभी छोटी बड़ी लोकल बोडीज में अछूतों को अनुपात से प्रतिनिधित्व मिलता रहेगा। केन्द्र तथा प्रांत की सरकारी नौकरियों में अछूतों को जनसंख्या के अनुपात में जगह मिलेगी। शिक्षा की शर्तें अछूतों के

(श्री टीकमचन्द कान्त)

लिए आसान होंगी। अछूतों को केन्द्र तथा प्रांत के बजट में शिक्षा और व्यवसाय में ग्रांट कर दी जायेगी। यदि इन शर्तों में कोई सरकार या अधिकारी गफलत करे तो इसकी अपील उस समय वायसराय को की जा सकेगी जैसाकि कनाड़ा में है। उस समय शर्तों में था। समापति महोदया, मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि इसको भीख नहीं समझें और ...

श्री समापति : कौन समझता है ?

श्री टीकमचन्द कान्त : आज भी इस मानसिकता के कुछ लोग बैठे हैं। ये अधिकारी वर्ग में भी बैठे हैं। मैं यह मानता हूं कि पार्टियां तो राजनैतिक दृष्टि से उद्धार होती हैं लेकिन जिनके हाथ में कलम हैं, उनके हाथों के द्वारा बहुत कुछ बिगाड़ा जा रहा है इस प्रदेश का। समापति महोदया, 1993 में निकली हुई 7000 बैक-लॉग की रिक्तियों को पूरा किया गया? क्यों नहीं किया गया ?

श्री राजेन्द्र पारीक : अब तक तो पूरा करवा लेते।

श्री टीकमचन्द कान्त : समापति महोदया, 16 (4) के ऊपर जब प्रश्न लगाया गया था और उसके अन्दर इंदिरा साहनी केस के अन्दर न्यायालय का फैसला आया कि चूंकि 16 (4) के अन्दर नियुक्तियों के अन्दर सिर्फ आरक्षण हैं, इसके कारण से पदोन्नति के अन्दर आरक्षण नहीं हो सकता। फैसला आ गया, अब तक चलता आ रहा है। कौन है हमारे साथ ? क्यों ये अलग-अलग फैसले हुए ? क्यों इस समझौते की तरफ नजर नहीं आती, क्यों इतिहास की तरफ नजर नहीं जाती, क्यों इस देश के इस समाज को बराबर बनाये रखने के लिए उस तरफ ध्यान नहीं जाता ? समापति महोदया, किस-किसने फैसले बिगाड़ दिये। वह तो अच्छा हुआ, संशोधन आ गया....

श्री समापति : अब आप मुझे मजबूरन दूसरा नाम बोलना पड़ेगा। समापन करें। कोई जिद नहीं चलेगी। आपका समय पूरा हो गया। समापन पर आइये।

श्री टीकमचन्द कान्त : समापति महोदया, ऐसा मत कीजिये। मैं किताब लेकर बैठा हूं।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर) : डाक्टर भीमराव अम्बेडकर का भी उल्लेख करना मत भूलिये।

श्री टीकमचन्द कान्त : हां, मैं नहीं भूलता हूं।

श्री समापति : अब आप पूरा करिये।

श्री टीकमचन्द कान्त : इंदिरा साहनी बनाम यूनियन बैंक के अन्दर जो सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया 16-11-92 को, उसके अन्दर प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं रहेगा। उसने कह दिया। इसके पश्चात् 77वां संविधान संशोधन आया और 17-6-95 को नयी धारा 16 (4) (ए) जोड़ी और 16 (4) (ए) के अन्दर पूर्णतः स्पष्ट कर दिया कि पदोन्नति को मौलिक

(श्री टीकमचन्द कान्त)

अधिकारों में गिन लिया गया और उसके पश्चात् फिर फैसला आता है, उसके पश्चात् फिर निर्णय आता है ....

श्री सभापति : अब करोगे क्या ? आते रहेंगे निर्णय तो । (व्यवधान)

श्री टीकमचन्द कान्त : और, सभापति महोदया, जुनेजा और पंजाब सरकार का फैसला....सबरवाल बनाम पंजाब स्टेट का फैसला....

श्री राकेश मेघवाल : ज्ञान की बात कह रहे हैं, सुनो जरा ।

श्री सभापति : आप तो अपने अमूल्य सुझाव दीजिये ।

श्री टीकमचन्द कान्त : मैं अमूल्य सुझाव ही दे रहा हूं, उसी तरफ जा रहा हूं । सबसे बड़ा यह मामला है । आज अनुसूचित जाति का व्यक्ति या उसका अधिकारी यह सोचता है कि उसकी सुनने वाला कोई नहीं ...

श्री सभापति : आप बिराजिये ।

श्री राजेन्द्र पारीक : पूरे सदन का सुझाव यह है कि इनको मंत्री पद दिया जाए ।

श्री सभापति : आप बिराजिये माननीय सदस्य । (व्यवधान) देखिये, ऐसा इंटरप्ट मत कीजिये । यह बहुत हल्की बात है । इस तरह से अच्छा नहीं लगता, आपको शोभा नहीं देता । वे अपनी भावना प्रकट कर रहे हैं ।

श्री राकेश मेघवाल : वह मंत्री पद आपके कहने से नहीं देंगे । वह भामड़ाजी, मुख्य मंत्रीजी देंगे । आपसे उधार या भीख में नहीं मांगना है हमको ।

श्री टीकमचन्द कान्त : सभापति महोदया, आज अनुसूचित जाति का व्यक्ति या उसका अधिकारी यह सोच रहा है कि उसकी सुनने वाला कोई नहीं है । उसको एकांत में बैठा दिया जाता है, प्रभावी जगहों पर उसको बैठने नहीं देते, उसके दोष पहले देखे जाते हैं, उसकी ए.सी.आर. बिगाड़ी जाती है । उसके प्रमोशन पर रोक लगाई जाती है....

श्री सभापति : समाप्त करें । माननीय सदस्य, सुझाव दें ।

श्री टीकमचन्द कान्त : सभापति महोदया, मेरा निवेदन यह है, इस प्रदेश के अन्दर कम से कम एक बॉडी ऐसी होनी चाहिए, एक कमीशन इस प्रकार का होना चाहिए वह यहां की नियुक्तियां, यहां की पदोन्नतियां आदि को भी देखे । सभापति महोदया, यहां देश के अन्दर, केन्द्र के अन्दर जोन आफ कंसीडरेशन नहीं है । कल बता रहे थे माननीय मंत्रीजी, जोन आफ कंसीडरेशन केन्द्र के अन्दर नहीं है और हमारे यहां जोन आफ कंसीडरेशन है और जोन आफ कंसीडरेशन के माध्यम से भी जो लोग जिन्होंने वह क्वालिफाइंग सर्विसेज पूर्ण कर ली है, वह समय पूर्ण

(श्री टीकमचन्द कान्त)

कर लिया है वह अगर जोन आफ कंसीडरेशन में नहीं आते..

श्री सभापति : माननीय सदस्य, मुझे मालूम है आपके पास कहने को बहुत कुछ है पर मेरे पास समय की सीमा है।

श्री टीकमचन्द कान्त : सभापति महोदया, आप और हम क्यों टकराहट में आयें। सीधी सी बात है थोड़ा सा समय दे दीजिये।

श्री सभापति : बहुत दे दिया मैंने।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : चांद-सितारों से शुरू किया था, धरती पर आने में टाइम लगेगा।

श्री टीकमचन्द कान्त : सभापति महोदया, मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि इसके माध्यम से इन लोगों को पदोन्नतियों में पीछे रखा जाता है। आज 16 और 12 का जो कोटा है, क्यों नहीं भरा गया, कौन देखेगा इसको ? और आप गर्दन मत हिलायें, आपके समय से ही हम नुकसान उठा रहे हैं। जोन आफ कंसीडरेशन कांग्रेस के समय आया, वह कौन सा मस्तिष्क था जिसने इसके अन्दर बाधाएं खड़ी कर दीं। इस कांग्रेस ने इस अनुसूचित जाति को दिमाग से गुलाम बना दिया। (व्यवधान)

सभापति महोदय, इस देश के अन्दर अनुसूचित जाति के किसी नेता को इन्होंने रहने नहीं दिया, किसी नेता को इन्होंने आगे बढ़ने नहीं दिया। जगजीवन रामजी को जैसे घी में से मक्खी को निकाल कर डालते हैं इस तरह से डाल दिया। राम धन जी आज भी विचार कर रहे हैं कि क्या स्थिति है उनकी। भीखा भाई पुराने यहां बैठे हुए हैं, कैसे हो भीखा भाई।

श्री रतनलाल ताम्बी : बीस साल मंत्री रखा। (व्यवधान)

श्री सभापति : देखिये, माननीय सदस्य, आप इनको प्रवोक मत कीजिये; आप अपने सुझाव दीजिये, नहीं तो मैं अभी दूसरे सदस्य का नाम पुकार लूंगी। मेरे पास समय की सीमा है, मैं दूसरा नाम पुकारती हूं।

श्री टीकमचन्द कान्त : मैं अभी पूरा करता हू। मुझे तो बहुत आपने कह-कह करके, मेरा तो बहुत जल्दी पूरा होने वाला था लेकिन आपने बहुत बार कह दिया इसलिए थोड़ा मामला गड़बड़ हो गया। कुल मिलाकर के..(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : कांग्रेस ने तो मुख्य मंत्री बनाया लेकिन आपके यहां गृह मंत्री बनाया (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बिराजिये। इन्टरप्ट नहीं कीजिये। कृपया बिराजिये आप। मैं आपको इजाजत नहीं दूंगी।

श्री राजेन्द्र पारीक : राजस्थान में कांग्रेस ने इनको मुख्य मंत्री बनाया और

(श्री राजेन्द्र पारीक)

बी.जे.पी. ने गृह मंत्री भी बनाया तो ऐसा बनाया जिसको कोई अधिकार नहीं दिये ।

श्री सभापति : आप इन्टरप्ट नहीं करेंगे, आप बिराजिये । अंकित नहीं होगा आपका । (व्यवधान) वह कितने मिनट बोलते हैं, मेरे देखने का है । (व्यवधान)

श्री टीकमचन्द कान्त : आज जो हम यह भुगत रहे हैं सारी स्थिति (व्यवधान)

श्री राकेश मेघवाल : किसने कहा, कोई अधिकार नहीं दिये । आज राजस्थान सरकार में सबसे बड़ा अगर कोई महत्वपूर्ण पद है मंत्रिमण्डल में तो गृह मंत्री बनाया । आपको कैसे पता है यह अधिकार नहीं दिये.. (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : ×××

श्री सभापति : बिराजिये । माननीय सदस्य, आपके मुंह से यह बातें शोभा नहीं देती हैं, बिराजिये आप ।

श्री राजेन्द्र पारीक : ×××

श्री सभापति : नहीं रोकेंगे, बोलेंगे वह । (व्यवधान)

श्री राकेश मेघवाल : आपने क्या अधिकार दिये, कभी अनुसूचित जाति के किसी को गृह मंत्री बनाया, दिये क्या अधिकार ? आप तो अपनी जेबों में रखना चाहते हैं, अनुसूचित जाति के कोई भी एम.एल.ए को आज तक अपनी जेबों में रखा, कलम जेबों में रखी है । यह बी. जे. पी. की सरकार है जो गृह मंत्री बनाया ।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : होपलैस होम मिनिस्टर । पावरलैस होम मिनिस्टर ।

श्री सभापति : अब आप पूरा करिये ।

श्री टीकमचन्द कान्त : मैं अपनी बात को विराम देते हुए निवेदन करूंगा..

श्री सभापति : विराम दीजिये । केवल दो मिनट हैं आपके लिए ।

श्री टीकमचन्द कान्त : इस प्रदेश के अन्दर इन सारे मामलों को देखने के लिए, मैं एक मिनट में ही पूरा करता हूं, एक अलग एजेन्सी सरकार को बनानी चाहिए ताकि इनके हितों की रक्षा हो सके..

श्री राजेन्द्र पारीक : ×××

श्री सभापति : आपको किसने पूछा यह सब, इनको क्यों इन्टरप्ट कर रहे हैं आप ?

श्री टीकमचन्द कान्त : इतना ही कह कर आपको धन्यवाद देता हूं ।

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया ।

श्री राकेश मेघवाल : कांग्रेस में से कोई भी अनुसूचित जाति का एम.एल.ए. इनके बराबर जवाब दे देना, तब यह पता चलेगा कि कांग्रेस में कोई इतना वक्ता है अनुसूचित जाति का, आपका अभी बहस में नम्बर आएगा न, आप इनकी बातों का जवाब देना, तब आपको पता चलेगा।

श्री टीकमचन्द कान्त : सभापति महोदय, कांग्रेस के ऐसे मस्तिष्क के लोग जो इस समय पैदा हुए हैं, यहां आये हैं, यह अनुसूचित जाति का शोषण करने वाले हैं, अनुसूचित जाति को बढ़ा हुआ, बोलता हुआ यह नहीं देख सकते, इनको ईर्ष्या होती है। यही है जातिवाद का मूल, जो बार–बार खड़े होकर के मुझे दबाने का प्रयत्न कर रहे थे। इससे यह संकेत मिलता है कि कांग्रेस का चरित्र क्या है। धन्यवाद। जय भारत।

श्री सभापति : श्री फतेह सिंहजी।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री सुरेन्द्र गोयल (सरकारी उप मुख्य सचेतक) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय एक घंटे के लिए बढ़ाया जाय।

श्री सभापति : सदन का समय एक घंटे बढ़ाया गया।

एक माननीय सदस्य : दो घंटे बढ़ाइये।

श्री परसादीलाल मीणा : मांगें पारित होने तक बढ़ाया जाए। एक साथ ही बढ़ा दो, बार-बार क्यों बढाते हो ?

श्री सभापति : आज तो आपको मौका दूंगी बोलने का, आप क्यों दुःखी होते हो ?

श्री परसादीलाल मीणा : सभापति महोदय, मांग पारित तक करो, मैं तो यह कह रहा हूं।

मांग संख्या 30 एवं 33 पर विचार

श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़) : सभापति महोदय, आज मांग संख्या 33 और 30 के ऊपर चर्चा होने जा रही है। अच्छा तो यह होता, यह बजट हर साल पेश किया जाता है, मांगों के ऊपर हर साल बहस होती है पर मेरा यह मानना है कि सदस्यों के द्वारा जो चर्चाएं होती हैं उन चर्चाओं के बाद में इस मांग के अन्दर जो सुझाव सम्मिलित होते हैं, और होना यह चाहिए कि आज डिमाण्ड आने के पहले माननीय सदस्यों के सुझाव लेने के बाद किस तरह की चर्चा, किस तरह की मांग किस तरह की बात बजट में रखी जाए, यह बातें आने के बाद अगर चर्चा होती और यह मांग पास होती तब तो उचित होता। पर यह परम्पराएं शुरू से ही आती रही हैं कि डिमाण्ड के ऊपर चर्चा हो, माननीय सदस्य सुझाव देवें, पूरे प्रदेश की या अपने-अपने क्षेत्र की मांग रखें और हर माननीय सदस्य यह मांग रखता है, उसमें करोड़ों और अरबों रुपये, जितनी आपकी डिमाण्ड है, उसके अनुपात में अरबों खरबों की तादाद में उनके सुझाव आते हैं और खाली सुझाव देकर यहीं सीमित रह

(श्री फतेहसिंह)

जाते हैं, प्रोसीडिंग्स में लिखा जाता है, अखबारों में छप जाता है और जो डिमाण्ड होती है वही पास होती है।

मेरा तो यह एक सोच है, विचार है कि इस तरह की अगर परम्परा डाली जाए कि बजट प्रस्तुत करने के पहले या बजट या डिमाण्ड की रकम दर्शाने के पहले माननीय सदस्यों की राय ली जाए और उसके बाद में बजट को सामने लाया जाए तो उचित होता। लोगों की सब तरह की जो डिमाण्ड है, जिस प्रकार की जो मांग है, सड़क की हो, बिजली की हो, हर तरह की मांग को सम्मिलित किया जा सकता है। आज तो हम मोटे रूप में चर्चा कर लेंगे कि हमारे यहां के अनुसूचित जाति, जनजाति के उत्थान के लिए शुरू से अब तक जो सरकारें रहीं हैं उन्होंने कोई काम नहीं किया, इस-इस इलाके में यह-यह काम होने थे इन जातियों के लिए, वह नहीं हो पाये। अगर नहीं हुए तो पिछली सरकारों ने भी नहीं किये और अभी वाली सरकार भी नहीं कर रही है तो हमें मजबूरन, हमारे माननीय सदस्य दयारामजी बोल गये कि मजबूरन हमको इस तरह का स्टेप उठाना पड़ेगा। उन्होंने यह भी बताया कि महाराष्ट्र का पैटर्न अगर हम लागू करते हैं तो हो सकता है कि हमारे इस ग्रामीण क्षेत्र में अनुसूचित जाति, जनजाति के ऊपर जो एक कलंक है, एक गरीबी की जो रेखा बंधी हुई है उससे हम हट जाएं। लेकिन सरकार अब तक उसको लाने की स्थिति में नहीं है।

मैं तो यही कहना चाहूंगा कि पचास साल हुए, राजस्थान में कांग्रेस की हुकूमत रही, कांग्रेस की हुकूमत के रहते अनुसूचित जनजाति के मंत्री भी रहे और फिलहाल वर्तमान में जो सरकार है उसमें भी कई मंत्री ट्राइबल के हैं, हमारे नन्दलालजी मीणा साहब हैं, वह भी ट्राइबल मिनिस्टर हैं। लेकिन अभी अभी साथी कह गये कि ट्राइबल मिनिस्टर को यह विभाग तो दे दिया लेकिन उनके हाथ में कोई बजट नहीं दिया, उनके हाथ में कोई पावर नहीं दिया, तो वह कुछ कर नहीं पाते। मैं इस मौके पर यह कहना चाहूंगा कि शुरू से अब तक ट्राइबल क्षेत्र का विकास नहीं होने का कारण क्या है, हमारे साथी बता गये। यह चाहते हैं कि आदिवासी इलाके या ट्राइबल क्षेत्र के इलाके के जो समाज हैं वह सक्षम हो जाएंगे तो स्वर्ण जाति के लोग, जो धनी लोग हैं, उनकी पूछ नहीं होगी।

सभापति महोदया, आप जानते हैं आदिवासी इलाका जिसमें बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर और चित्तौड़, सम्मिलित है यह इलाका शुरू से बिखरी हुई आबादी में बसा हुआ है और उस इलाके में अब तक पैसा खर्च हुआ है वह आपके रिकार्ड में है आपके आंकड़ों में है लेकिन हम आज देखते हैं तो इलाकों में गांवों में जाने के लिए सड़क नहीं, किसी गांव के अन्दर बिजली नहीं, कई गांवों में या मोहल्लों में अस्पताल नहीं, किसी इलाके में स्कूल नहीं और सिचाई के साधनों का तो इतना बड़ा अभाव है कि उसका तो कोई कहा नहीं जा सकता।

(श्री फतेहसिंह)

मेरा यह मानना है कि मान लो हम प्रदेश के लिए लड़ें या न लड़ें वह एक हमारी तैयारी अलग रहेगी लेकिन जब तक सरकार जो है, आने वाली सरकार है उसको यह चाहिए कि ट्राइबल फंड का जो पैसा आता है वह अलग-अलग डिपार्टमैंट में न बांट करके एक ट्राइबल सबप्लान का अलग से कोष बनाया जाए और उसके अन्दर उस इलाके की योजना बनाई जाए। योजना इस तरह की बनाई जाए कि जितना बरसात का पानी उस इलाके में आता है पहाड़ी एरिया है। बरसात के पानी को रोकने के लिए स्टॉप डेम, चेक डेम, एनीकट या छोटे-छोटे तालाब इस तरह की योजनाएं अगर हाथ में ली गयीं और उस ट्राइबल फंड का पैसा उसमें लगाया गया तो मैं मान सकता हूं कि उस इलाके की जो धरती सूखी है उस इलाके के छोटे किसान, लघु सीमान्त किसान हैं, जो गरीबी रेखा में अपना जीवनयापन कर रहे हैं, उनको लाभ होगा।

दूसरा हमारे यहां पर सड़कों का अभाव है अगर हर गांव को जोड़ने के लिए कोई एक प्लान तैयार किया जाए, योजना तैयार की जाए और हर गांव को अगर इस तरह से जोड़ा जाए तो आवागमन का साधन भी हो जाएगा। स्कूल में जाने के लिए लड़कों की सुविधा हो जाएगी। किसी शहर में जाने के लिए लोगों के आवागमन का एक साधन जुटेगा और उसमें शिक्षा की जो कमी है उस कमी की भी पूर्ति होगी। गांव का आदमी अगर कस्बे में जाएगा, पढ़े-लिखे आदमी के साथ में बैठेगा तो उस तरह के वातावरण में वह ढलेगा और एक उसका दिमाग विकसित होगा और शहरों की जो दौड़ है उसके मुकाबले में वह आएगा। उसी तरीके से उस इलाके में कई तरह की योजना चला रखी है। एक जीवनधारा योजना है। चयनित परिवारों को गाय, बैल, बकरे, भैंस।

सभापति महोदया, जिन गरीबों का चयन किया है और आदिवासी इलाकों में उन लोगों को लाभ दिया जा रहा है उसके अन्दर सरकार की कोई निगरानी नहीं है। सरकार के अधिकारियों का कोई रख-रखाव नहीं है और....

श्री टीकमचन्द कान्त : एक मिनट, सभापति महोदया।

श्री फतेहसिंह : आप बोल रहे थे तो हम कुछ नहीं कह रहे थे आप हमें बोलने दीजिये।

श्री सभापति : नहीं। बोलने दीजिये इन्हें आप इन्टरप्ट नहीं करेंगे विराजिये।

श्री टीकमचन्द कान्त : एक बात बता रहा हूं।

श्री सभापति : मैं नहीं सुनूंगी। (व्यवधान)

श्री टीकमचन्द कान्त : जो बात कही मैंने उसमें सदाशिवराव होलकर की जगह माधवराव सदाशिवराव होलकर कहा है। इतना सा कहना चाहता हूं। वह सुधार कर लें।

(196)

श्री सभापति : विराजिये ।

श्री फतेहसिंह : सभापति महोदया, मैं यह कह रहा था कि वहां की गरीबी को मानते हुए राज्य सरकार ने एक चयन किया । गरीबी की रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले लोगों का चयन किया । चयन करने के बाद । (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, शांति रखें ।

श्री फतेहसिंह : उन गरीबों के लिये गाय, बैल, बकरी, भैंस या दुकान के लिए हर तरह की एक व्यवस्था की है लेकिन हुआ यह है कि गरीब को भैंस सैंक्शन हुई सैंक्शन निकलने के बाद भैंस लाने के लिए जो डीलर होता है वह ठेकेदार होता है, बैंक के मैनेजर से मिल लेता है । बैंक मैनेजर उस व्यक्ति को, जिस गरीब को भैंस मिलने जा रही है उस व्यक्ति को जीप में बैठा कर किसी गांव में या मेले में ले जाएगा और वहां से भैंस को गाड़ी में भर करके उसके घर तक पहुंचा देगा, उसमें जनप्रतिनिधियों का कोई रोल नहीं है ।

इस मौके पर मेरा यह कहना है कि अगर वास्तव में किसी गरीब को किसी योजना का लाभ देना है तो जनप्रतिनिधियों को भी साथ में रखना चाहिए । उस क्षेत्र के सरपंच को भी साथ में रखना चाहिए, वार्ड पंच को भी रखना चाहिए । तब तो उस गरीब आदमी को लाभ मिलेगा वरना ये चयनित परिवारों का इतना शोषण हो रहा है और आज लोगों के ऊपर लाखों करोड़ों रुपये का कर्जा चढ़ रहा है । मैं चाहूंगा कि इन लोगों को वास्तव में हम गरीबी से ऊपर उठाना चाहते हैं तो उनके ऊपर निगरानी रखें और उनका जो शोषण हो रहा है उस शोषण से उनको मुक्त रखें । इस तरह की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए ।

दूसरा, मैं यह कहना चाह रहा था कि आदिवासी इलाके में ट्राइबल फंड से, टी. ए. डी. मद से एक लिफ्ट योजना चली है । आदिवासी इलाके बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर में कई नदियां बहती हैं उनमें लिफ्ट लगा करके लोगों के खेतों में पानी देने की वह योजना है । पूर्व में भी हमने मंत्री महोदय से निवेदन किया था उस इलाके में 90 प्रतिशत राशि टी. ए. डी. देगा और 10 प्रतिशत राशि लोगों से वसूल होगी तो 10 प्रतिशत राशि लोगों से वसूल होनी नहीं है इसलिए उस इलाके में जो लाभ लिफ्ट से लोगों को मिलना चाहिए वह लाभ नहीं मिल पा रहा है । इस मौके पर मेरी यह मांग है और मंत्री महोदय से भी यह निवेदन करना चाहूंगा कि 10 प्रतिशत राशि काश्तकारों से जो वसूल की जा रही है और लिफ्ट लगाने की बात है, तो लाखों-करोड़ों रुपये आप दूसरी योजना में उन लोगों पर खर्च कर रहे हैं तो क्या 10 प्रतिशत राशि आप उस आदिवासी किसान और गरीब के लिए अनुदान के रूप में नहीं दे सकते ? मेरी मांग है कि 10 प्रतिशत राशि की पूरी सब्सिडी देकर उन लोगों को लिफ्ट योजना में लाभ दिया जाए ।

(श्री फतेहसिंह)

दूसरा, मैं यह कहना चाहता हूं कि उस इलाके में जीवनधारा योजना के अन्तर्गत पैसा दिया जा रहा है। गरीब यानी लघु सीमान्त काश्तकार को पहले तो 16 हजार से 19 हजार किया, 25 हजार और 35 हजार किया। यह पैसा पहले उस इलाके में काश्तकारों को दिया कुओं के नाम से, जीवनधारा के नाम से लेकिन बीच में बांसवाड़ा या डूंगरपुर में कई कुओं की शिकायतें हुई। शिकायतें होने पर जांच हुई। उस इलाके में हार्ड राक है जितनी कुए में गहराई जानी चाहिए थी वह नहीं जाने से कई तरह की लोगों ने शिकायतें कीं। लोगों की शिकायतों के ऊपर बांसवाड़ा जिले में जीवनधारा में कुए खुदवाने के लिए कलक्टर ने रोक लगा दी है।

मैं इस मौके पर यह कहना चाहूंगा कि जीवनधारा स्कीम में पहले जितने भी कुए खुदे हैं हो सकता है 10 प्रतिशत कुए फैल हो गये हों लेकिन कम से कम लोगों को लाभ हुआ है। मैं मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि बांसवाड़ा जिले में जीवनधारा में कुओं की जो स्कीम बन्द कर रखी है उस योजना को आप वापस लागू करें। कलक्टर को अगर आपने कोई मनाही के निर्देश भी दिये हैं तो वापस उनको निर्देश देवें कि उस इलाके में जो जीवनधारा के कुए हैं उन कुओं को शुरू करें।

दूसरा मैं यह कहना चाहता हूं कि इन्दिरा आवास भी एक जनजाति विकास में आता है। इन्दिरा आवास का आपका जो लक्ष्य है वह बहुत कम है। मेरी यह मांग है कि इन्दिरा आवास में अधिक लक्ष्य रख करके बजट का आवंटन करावें ताकि जो 2 या 5 मकान मिलते हैं उससे वहां पर विवाद और झगड़े खड़े हो जाते हैं। वह झगड़े नहीं होंगे। पंचायत में 10 या 15 मकान मिल जाएंगे तो लोगों में शांति रहेगी। सबसे बड़ी एक बीमारी हमारे यहां पर विद्युत की है। ग्रामीण इलाके कई गांवों में बिजली पहुंची है और कई गांवों में नहीं पहुंची है लेकिन एक आदिवासी किसान कुए का कलेक्शन लेने के लिए जाता है, तो उसकी डिमाण्ड 30 हजार, 40 हजार और 50 हजार रुपये आती है और उसकी जमीन 5 बीघा या 7 बीघा है इतनी डिमाण्ड वह काश्तकार नहीं भर सकता।

(17.00 बजे)

मेरी यह मांग है कि पूरे प्रदेश की पॉलिसी आपने एक बना रखी है। क्या आदिवासी क्षेत्र के उत्थान के लिये, जनजाति क्षेत्र विकास में गरीबों के उत्थान के लिये उस इलाके में यह जो डिमाण्ड निकलती है, कुए पर कनेक्शन के लिये या घरेलू कनेक्शन के लिये उसमें आप रियायत नहीं देंगे? मेरा यह मानना है कि पहले एक ग्रुप में कनेक्सन दिये जाते थे, राज्य सरकार ने या आपके डिपार्टमैंट ने ग्रुप में कनेक्शन नहीं देकर अलग-अलग हिसाब से उन्होंने डिमाण्ड जारी की है। मैं इस मौके पर यह कहना चाहूंगा कि उस डिमाण्ड में भी आप कमी लायें। उस इलाके के किसानों के हित में अगर आप कुछ सोचते हैं तो उसके बारे में भी आप विचार करें

(198)

(श्री फतेह सिंह)

और जो डिमाण्ड अधिक आ रही है उसमें फेर बदल कर उनको रियायत दें।

दूसरा, मैं कहना चाहता हूं कि आदिवासी इलाके में अस्पताल हैं वहां पर उस इलाके में जनजाति विकास के हिसाब से कहीं तो डाक्टरों की कमी है और कहीं नर्सों की कमी है। एक तरफ कहते हैं कि हम आदिवासी का विकास करेंगे, जनजाति क्षेत्र का विकास करेंगे लेकिन वहां आदिवासी ही नहीं आते हैं, उस इलाके में तो आदिवासी भी हैं, गैर आदिवासी लोग भी हैं, सब तरह के समाज के लोग रहते हैं इसलिए मैं यह चाहूंगा कि उस इलाके में एक मेडिकल स्टोर चूंकि लोगों को दवाइयों की सुविधाएं कम हैं, स्टाफ की कमी है, उस कमी को दूर करने के लिये भी आप पहल करेंगे।

मान्यवर, उस क्षेत्र में शिक्षा की कमी है। मैं कहना चाहूंगा कि ट्राइबल क्षेत्र में आपने एक क्राइटेरिया बना रखा है कि इतनी आबादी के ऊपर, डेढ़ सौ या दो सौ या ढाई सौ की आबादी पर स्कूल खोले जायेंगे। लेकिन, सभापति महोदया, आपने यह देखा होगा कि उस इलाके में एक-एक गांव 5-5, 10-10 किलोमीटर पर बसा हुआ है और मेरे पूर्व माननीय सदस्य बोले भी हैं। मेरा भी इसमें यह सुझाव है कि उस इलाके की गरीबी को अगर दूर करना चाहते हैं तो शिक्षा में हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। शिक्षा की फैसेलिटी उस इलाके के लोगों को देनी पड़ेगी। इसके लिये यह जरूरी है, एक तो हर गांव, हर ढाणी में एक किलोमीटर दो किलोमीटर या तीन किलोमीटर के एरिया में स्कूल खुले और जो अध्यापकों की कमी है, उस कमी को भी हमें दूर करना पड़ेगा। जब तक आप शिक्षा में लोगों को आगे नहीं लाएंगे, अध्यापकों की पूर्ति नहीं करेंगे और उस क्षेत्र के जनजाति क्षेत्र के इलाके के आदिवासी शिक्षा में आगे नहीं बढ़ेंगे तो यह शहरी वातावरण में नहीं ढलेंगे और वहां की गरीबी वैसी की वैसी रहेगी और हम भी चिल्लाते जाएंगे कि हम सूबा बना लेंगे, हम यह कर लेंगे, हमारी सरकार बना लेंगे। लेकिन उत्थान होना नहीं है। इसलिए मेरा यह मानना है कि अधिक से अधिक बजट उस आदिवासी क्षेत्र में लगे, जो कमियां हैं उन कमियों को दूर करें और जनजाति क्षेत्र में जो विकास की कमियां हैं उन कमियों को दूर करते हुए उस इलाके के लोगों को राहत दें। इतना ही कहते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : श्री रामस्वरूप मीणा।

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय सभापति महोदया, आज राजस्थान के इस पवित्र सदन में उन पवित्र जातियों के बारे में जिक्र हो रहा है जिन पवित्र जातियों को भगवान श्रीराम ने गले लगाया था। भगवान श्रीराम की दुहाई देने वाले यह भारतीय जनता पार्टी के लोग, यह राम राज की बात करते हैं आज। माननीय सभापति महोदया, भगवान श्रीराम के आदर्शों पर अगर यह पार्टी चले तो मैं कहता हूं कि इस पार्टी में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं हो सकता है जो आकर के कांग्रेस

(श्री रामस्वरूप मीणा)

को ज्वाइन नहीं कर ले। श्रीराम जिस समय वनवास गये थे यही वह एस सी.,एस. टी. की जातियां थीं, निषादराज, केवट, इन सबको गले लगा कर उन्होंने उस समय रिजर्वेशन दिया था। यह रिजर्वेशन उसी समय से श्रीराम का दिया हुआ रिजर्वेशन है। शबरी-भील लोगों को रिजर्वेशन देकर उन्होंने गले लगाया था।

लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि माननीय समाज कल्याण मंत्री महोदय यहां विराजमान हैं और हमारे माननीय श्रीनन्दलाल जी मीणा साहब, जो बहुत बड़े मंत्री बने हुए हैं इनके कल्याण के लिये, वह भी यहां विराजमान हैं, मैं कहना हूं कि आपने कितने हरिजनों❀ के घर में जाकर उनको गले लगाया आज तक? बात करते हो आप दुनियां भर की। यह कर दिया हमने, वो कर दिया हमने, यह सब कहने वाली बातें हैं। आज उनको कोई भी व्यक्ति आपको पानी देता है अपने हाथ से तो उस समय यही लोग कहते हैं, घृणा करते हैं और उनका पानी नहीं पीते हैं।

श्री सभापति : आपको तो राजेन्द्र जी को गले लगाना चाहिये। राजेन्द्र जी गले लगायें तो ठीक होगा।

श्री रामस्वरूप मीणा : उनका आज तक यह पानी पीना पसन्द नहीं करते हैं। कथनी और करनी में रात-दिन का अंतर है। लेकिन भला हो कांग्रेस का जिस कांग्रेस ने इन जातियों को ऊपर उठाने के लिये, उन जातियों से, भले चाहे उनको कुछ भी सुनना पड़ा लेकिन इन गरीबों के उत्थान के लिये, अनुसूचित जाति और जनजाति के उत्थान के लिये उन्होंने रिजर्वेशन दिया और आज उसी का परिणाम है....

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय सभापति महोदया, अभी इन्होंने कहा कि रिजर्वेशन भगवान श्री राम का दिया हुआ है और अभी दो मिनट में ही इन्होंने अपनी बात बदल कर कहा कि कांग्रेस ने आरक्षण किया है। सदन के अंदर इतनी जल्दी-जल्दी (व्यवधान) आपने कहा कि भगवान राम ने ...

श्री शांतिकुमार धारीवाल : भगवान राम ने स्वतन्त्रता से पहले चालू किया था।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : उन्होंने बंद किया हमने शुरू किया।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : सभापति महोदया, रामस्वरूप जी ने अपने भाषण में साफ बात कही कि स्वतन्त्रता के पहले तो राम जी ने चालू किया था और स्वतन्त्रता के बाद कांग्रेस ने।

❀ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार प्रतिस्थापित किया गया।

श्री सभापति : विराजिए, विराजिए, आप अगर रामजी को मानने को तैयार हैं तो अच्छी बात है।

श्री राजेन्द्र पारीक : बीच में इन +++ ने बंद कर दिया था, कांग्रेस ने इसको दुबारा चालू कर दिया।

श्री रामप्रताप कासनियां : राम को तो मानने लगे, यह तो बहुत बढ़िया बात है, हम आपका समर्थन करते हैं इस बात का।

श्री सभापति : माननीय सदस्य विराजिए। अंकित नहीं करिये। बोल रहे हैं रामस्वरूप जी, विराजिए।

श्री रामकिशन वर्मा : ×××

श्री सभापति : आप विराजिए, रामस्वरूप जी सक्षम हैं, आप क्या समझते हैं रामस्वरूप जी नहीं बोल सकते, विराजिए।

श्री रामस्वरूप मीणा : सभापति महोदया, कांग्रेस ने श्रीराम के आदर्शों को वास्तव में अपनाया और कांग्रेस ने इनको रिजर्वेशन दिया और आज रिजर्वेशन का ही परिणाम है, सभापति महोदया, यह जो मन्त्री महोदय विराजमान हैं अनुसूचित जाति और जनजाति के, वे दोनों मंत्री बैठे हैं और गृह मंत्रीजी बैठे हैं, आज यह बोलने लायक योग्यता जो इन्होंने प्राप्त की है, राजस्थान के पवित्र सदन में आने लायक योग्यता जो इन्होंने आज प्राप्त की है वह किस की देन है, वह कांग्रेस की देन है, बातें करते हैं। अभी मेरे भाई बुराई कर रहे थे कांग्रेस की, कुछ नहीं है कांग्रेस में, मैं तो कहता हूं कि सब कुछ कांग्रेस ने दे दिया। आज कोई बेटा अपने बाप की बुराई करे, बाप ने मेरे साथ क्या किया है, तो उससे बड़ा गद्दार कोई नहीं होगा। जो अपने मां-बाप का नहीं हो सका वह किसका हो सकता है? अब आपकी मां तो कांग्रेस है जिसने आपको आगे बढ़ाया है आज उसी कांग्रेस मां की बुराई करते हो। आपको +++ ।

श्री सभापति : माननीय सदस्य बोलने दीजिए इनको।

श्री रामप्रताप कासनियां : सभापति महोदया, यह "बाप" और "मां" शब्द यूज कर रहे हैं।

श्री श्रीकिशन सोनगरा : सभापति महोदया, मैं माननीय सदस्य से जानकारी चाहूंगा कि पूना पैक्ट किनके साथ हुआ था गांधी जी का और उस पूना पैक्ट की क्या स्थिति थी और किस स्थिति में हुआ? अम्बेडकर जी के कहने से यह सारे आरक्षण की व्यवस्था हुई थी कि नहीं हुई,

---

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री श्रीकिशन सोनगरा)

आप इंकार करें इस बात से। यह गांधी जी के नहीं अम्बेडकर जी के प्रयास से रहा है आरक्षण।

श्री रामस्वरूप मीणा : गांधी जी ने नहीं दिया, कांग्रेस ने नहीं दिया, आपने दिया है। नहीं, यह आडवाणी जी ने दिया है, अटल जी ने दिया है, बात करते हैं। हां, नहीं दिया अटल जी ने।

श्री श्रीकिशन सोनगरा : आपको मालूम होना चाहिये गोलमेज सम्मेलन सन् 1931 और 1932 (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : अम्बेडकर जी भी कांग्रेस में ही थे उस समय। नेहरु जी के मंत्रिमण्डल के सदस्य थे अम्बेडकर जी।

श्री श्रीकिशन सोनगरा : अम्बेडकर जी ने जो पक्ष रखा वह आपको मालूम होना चाहिए और उसके अनुसार, पूना पैक्ट के अनुसार यह आरक्षण आया जो अम्बेडकर जी की देन है। गलतफहमी में मत रहिये आप।

श्री राजेन्द्र पारीक : अम्बेडकर जी नेहरू जी के मंत्रिमंडल के सदस्य थे। वह भी कांग्रेस के सदस्य थे आपको ज्ञान नहीं क्या अभी ?

श्री श्रीकिशन सोनगरा : आप तो अम्बेडकर जी को याद करिए याद ही करना है तो। आप अम्बेडकर जी को याद करिए आरक्षण के लिये।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : सभापति महोदया, इनको याद नहीं है नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर थे तब अम्बेडकर जी मिनिस्टर थे।

श्री रामप्रताप कासनियां : मां और बाप का शब्द इन्होंने यूज किया है। गीता में लिखा है अगर मां–बाप दुष्ट हों तो उसको मारने का पाप नहीं है, यह गीता में लिखा हुआ है। दुष्ट को मारने का पाप नहीं होता।

श्री रामस्वरूप मीणा : बैठ जाइए आप।

श्री कन्हैया लाल मीणा : माननीय सभापति महोदया, अभी माननीय सदस्य रामस्वरूप जी बता रहे हैं कि रिजर्वेशन कांग्रेस ने दिया है। आप दो दिन पहले की चाहे प्रोसीडिंग उठाकर देख लें अनुसूचित जनजाति के भारतीय लेवल के जो लीडर हैं आदरणीय श्री भीखा भाई जी, जो कांग्रेस में बैठे हैं, आज इनके दिल से पूछ लो इन्होंने क्या शब्द कहे थे, दो दिन पहले की प्रोसीडिंग उठाकर देख लें (व्यवधान)

श्री सभापति : विराजिए। मंत्री महोदय, विराजिए।

श्री कन्हैया लाल मीणा : जब भीखा भाई यहां पर कह सकते हैं, जो इतने पुराने हैं तो आप और हमारी तो बात ही क्या है। इसलिए आप कांग्रेस को तो भूल जाओ इस बात के लिए कि रिजर्वेशन दिया है।

(202)

श्री सभापति : ग्रार्डर प्लीज ।(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : यह तो ढाई दिन का झोपड़ा है, ढाई दिन की बात है क्यों चमच्च में भ्रा रहे हो इस मंत्री पद के ऊपर (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय रामस्वरूप जी, ग्रासन की तरफ (व्यवधान) ग्रासन को सम्बोधित कीजिये । ग्राप विराजें । ग्राप दोनों तरफ इंटरप्ट करते हैं, रामस्वरूप जी को भी इंटरप्ट करते हैं, उधर भी करते हैं । ग्राप विराजें ।

श्री राजेन्द्र पारीक : सभापति महोदया माननीय सदस्य बहुमूल्य सुझाव दे रहे हैं । इनको देखियेगा (व्यवधान)

श्री सभापति : ग्राप विराजें । ग्राप इंटरप्ट नहीं करें ।

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय सभापति महोदया, मैं ग्रापके माध्यम से माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि...

श्री सभापति : ग्राप सुझावों पर ग्रा जाग्रो ।

श्री रामस्वरूप मीणा : हां, सुझावों पर ही ग्रा रहा हूं साहब । ठीक है, उन्होंने ग्रापको रिजर्वेशन दिया ग्रौर ग्राप ग्रागे बढ़ गये । ग्रच्छी बात है यह तो लेकिन ग्रब ग्रापका भी यह उत्तरदायित्व बनता है कि इस रिजर्वेशन को ग्राप कायम रखें । ग्राज सारे लोगों में यह भ्रम पैदा होता जा रहा है, ग्रनुसूचित जाति ग्रौर जनजाति के लोगों में कि हमारे रिजर्वेशन कोई खतम करने वाली पार्टी है तो यह भारतीय जनता पार्टी है ग्रौर रिजर्वेशन खतम करके छोड़ेगी, हमारी यह जितनी भी ग्रारक्षण की सीटें हैं....

श्री दलीचन्द (दानपुर) : माननीय सभापति महोदया, मैं ग्रापसे निवेदन करूंगा कि ये आरक्षण खतम करने की बात कह रहे हैं, कांग्रेस ने 40 साल राज किया लेकिन ग्रनुसूचित जाति जनजाति की तरह...

श्री रामस्वरूप मीणा : बैठ जाग्रो । श्रीमान् जी, बिराजो ।

श्री दलीचन्द : उदयपुर डिवीजन में हमने 40 प्रतिशत ग्रारक्षण दिया, बी.जे.पी. ने दिया है जब कि कांग्रेस ने नहीं दिया है । (व्यवधान)

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : क्या राम जेठमलानी ने यह नहीं कहा कि संविधान में पुनर्विचार किया जाए ।

श्री दलीचन्द : हां, इस पर पुनर्विचार किया जाएगा ।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : बोलिये ।

श्री राजेन्द्र पारीक : ग्रापकी ही पार्टी में मिनिस्टर हैं वह ।

श्री दलीचन्द : 45 प्रतिशत ग्रारक्षण

(श्री दलीचन्द)

किसने दिया, कांग्रेस ने दिया या बी.जे.पी. ने दिया। यह बताओ आप तो।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : राम जेठमलानी की इस बात पर संसद के अन्दर हल्ला हुआ है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : आप राम जेठमलानी ने जो कुछ कहा, उसकी बात करो (व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : आपने विरोध किया (व्यवधान)

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : और जब राम जेठमलानी को अपने शब्द वापस लेने पड़े थे यह कहकर कि वह मेरे व्यक्तिगत विचार थे।

श्री राजेन्द्र पारीक : क्योंकि कांग्रेस ने उसकी वहां पर मुखालफत की थी इसलिए (व्यवधान)....

श्री रामस्वरूप मीणा : यह तो हमको मानना ही पड़ेगा (व्यवधान) यह सही बात है तो सुननी पड़ेगी। यह कटु सत्य है, आपको सुनना पड़ेगा।

माननीय सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान के मुख्य मंत्री माननीय श्री भैरोंसिंह जी शेखावत साहब ने, उनके बारे में व्यक्तिगत नहीं कहना चाहता कुछ भी लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूं जो गुप्त बात है। उन्होंने हमारे अनुसूचित जनजाति के मीणाओं के बारे में एक रिपोर्ट दिल्ली के अन्दर भेजी थी कि इन जातियों को अब आरक्षण की जरूरत नहीं है। इनका आरक्षण खतम किया जाए।

श्री श्रीकिशन सोनगरा : यह बिलकुल असत्य बात है।

श्री रामस्वरूप मीणा : यह रिपोर्ट गयी है जिसको मैं उजागर कर सकता हूं अगर आप चाहो तो, दिल्ली भेजी है इन्होंने। उसका बड़ा भारी रोष है हमारे मीणाओं में और यह मीणाओं के साथ अन्याय किया है आपने। दूसरा, मैं निवेदन करूं....

श्री सभापति : आपके मीणा तो आपके साथ ही नहीं हैं, अभी श्री परसादीलाल जी तो कुछ और ही कह रहे थे।

श्री रामस्वरूप मीणा : मुझे तो, सभापति महोदया, आपका साथ चाहिए, कोई साथ मत हो मेरे, आपका आसन साथ चाहिए। मैं पुनः निवेदन करूंगा....

श्री सभापति : सुझाव दीजिये, आपके सुझाव बड़े अमूल्य हैं।

श्री रामस्वरूप मीणा : हां, आ रहा हूं साहब। आपने जो मुझे अवसर दिया है, अभी हमारे जनजाति विकास के जो मंत्री महोदय बिराजमान हैं उनसे निवेदन करूंगा कि पूर्वी राजस्थान के साथ आपने हमेशा भेदभाव बरता है। मेरा सवाईमाधोपुर जिला जो अनुसूचित जनजाति की कांस्टीट्यूएंसी है, लोक सभा सीट भी अनुसूचित जनजाति की है और मेरा टोडाभीम

(श्री रामस्वरूप मीणा)

और नादोती क्षेत्र यह भी अनुसूचित जनजाति का है, हमारा खण्डार भी रिजर्वेशन में है और सपोटरा भी रिजर्वेशन में है। इस प्रकार से हमारी कई कांस्टीट्यूएंसीज रिजर्व सीट्स हैं। लोक सभा की रिजर्व सीट है। मैं तो यह कहना चाहता हूं कि इस लोक सभा सीट के लिए आपने अब तक कितना पैसा दिया, बताओ। मैं तो यहां तक कहना चाहूंगा कि माननीय मंत्री महोदय, आपने एक भी मीटिंग करौली और सवाईमाधोपुर जिले में जाकर देखी तक नहीं, मीटिंग भी नहीं ली और न कभी हम लोगों को बुलाया। क्या इससे आपकी मंशा इस बात को नहीं बताती है कि सिवाय अपने क्षेत्र के अलावा कभी भी आपने हमारी ओर ध्यान नहीं दिया। क्या अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग नहीं है, क्या हमारा क्षेत्र जनजाति का नहीं है इसलिए मैं आपसे विनम्र निवेदन करूंगा, माननीय मंत्री महोदय से कि आप कृपया अब तक जो कुछ हो गया, अब तो वक्त आ गया आपके जाने का, अब तो कम से कम इन दो जिलों का भला कर जाओ। उसका वह भला भी कैसे करोगे, यह मेरे सुझाव हैं आपको।

आपने सबसे बड़ी बात जो बतायी सिंचाई के बारे में, आप पैसा देते हैं। हमारे एनीकट हैं, हमारी गम्भीरी नदी है श्री महावीर जी के पास, जिसका एनीकट माननीय श्री शिवचरण जी माथुर साहब ने स्वीकृत किया था लेकिन आज तक वह एनीकट नहीं बना है। हमारा यह अनुसूचित जनजाति का क्षेत्र है और इस क्षेत्र में गम्भीरी नदी पर अगर एनीकट बना देते हैं तो हमारा सारा क्षेत्र उससे लाभान्वित हो जाएगा। यह बहुत अच्छी बात है, आपकी हमारे क्षेत्र के लिए लाभकारी देन होगी।

दूसरा, मेरा निवेदन है कि हमारी सिंचाई के लिए जो आपने लिफ्ट योजना का जिक्र किया था, हमारे यहां जो पांचना बांध है, इसकी नहरें हमारे पूरे इलाके को कवर करने लग गयी हैं, बहुत गांवों में आ गयी हैं, कुछ गांव ऐसे हैं कि जिनमें पानी चढ़ नहीं सकता इसलिए आप मेहरबानी करके इस पांचना बांध की जो नहर निकली है इस नहर से आप लिफ्ट के द्वारा, उससे कम से कम हजार गांव लाभान्वित हो सकते हैं, उन हजार गांवों को फायदा आप लिफ्ट के द्वारा दे सकते हैं। क्या हमारे इस बांध की जो नहरें हैं, उनसे लिफ्ट योजना के लिए कोई कार्यक्रम बना रहे हैं?

इसके अलावा, आपने जो कहा है कि हम सिंचाई के लिए और अन्य के लिए पैसा देते हैं पर हमारे यहां बड़े दुःख की बात है मेरे पूरे क्षेत्र को डार्क जोन घोषित कर रखा है, करौली, सवाईमाधोपुर दोनों जिलों में जहां पानी के भण्डार हैं उन पानी के भण्डारों में इन्होंने डार्क जोन घोषित कर दिया उसका परिणाम यह है कि न तो इंजन सैट के लिए पैसा मिलता है, न कोई कुए वगैरह के लिए पैसा मिलता है और अनुसूचित जाति और जनजाति के 90 प्रतिशत किसान हैं वे आज तक लोन नहीं उठा सके हैं। इसलिए मेरा सुझाव है कि मेरे क्षेत्र से आप डार्क जोन हटवा दें,

(श्री रामस्वरूप मीणा)

आपका बहुत अहसान मानूंगा, मेरा पूरा क्षेत्र आपका ऋणी रहेगा। अगर आप वास्तव में जनजाति का भला करना चाहते हो, तो करो वरना जो बात हमको कहनी है वह तो आपसे कहेंगे ही और आने वाला समय आपको भी नहीं बख्शेगा इसलिए मेहरबानी करके इधर ध्यान दें।

तीसरा, मेरा निवेदन बिजली के बारे में है। आपने कहा बिजली के लिए हम सहायता देते हैं। एक फण्ड में से पैसा जाता है बिजली के लिए लेकिन बिजली का पैसा सीधा उन गरीबों के पास नहीं पहुंचता है, अनुसूचित जाति और जनजाति को फायदा नहीं होता है। बिजली विभाग उस पैसे को, माननीय सभापति महोदया, बजाय गरीबों को देने के, उन पर पैसा खर्च करने के उनकी छोटी लाइनों के लिए, उनकी मोटर वगैरह के लिए और उनकी डिपियों के लिए, जो खर्चा होता है उसमें खर्च न करके वह आपकी बड़ी लाइनों पर खर्च करते हैं। ये बड़ी लाइनें जनजाति के लिए नहीं होती हैं। डिपार्टमैंट को जो पैसा उनके ऊपर खर्चा करना चाहिए था वह डिपार्टमैंट हमारे इस फण्ड को उनके फण्डों में लगा देता है और आपको सारे आंकड़े दिखा देते हैं कि इतने गांवों को लाभान्वित कर दिया, इसका पैसा आपने दिया था वह हमने खर्च कर दिया। यह एक बहुत बड़ी बात है। इनको महाराष्ट्र पैटर्न में, जिसकी बात हम कर रहे थे वह इसलिए कर रहे थे कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी है, इसकी जरूरत इसीलिए पड़ी है ताकि इन जातियों को सीधा लाभ मिल सके। नहीं तो डिपार्टमैंट के जरिये इनको सीधा लाभ नहीं हो पाता है इसलिए आप महाराष्ट्र पैटर्न को भी अगर राजस्थान में लागू करें तो हमको लाभ मिल सकता है।

अब माननीय समाज कल्याण मंत्री जी से दो बातें कहनी हैं।

श्री सभापति : कहिये, कहिये।

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय समाज कल्याण मंत्रीजी, बहुत अच्छा विभाग आपको मिला है जिसका नाम समाज कल्याण है, इससे बढ़िया और क्या बात होगी लेकिन बड़े दुःख की बात है मंत्री जी मैं आपसे निवेदन करूं कि अनुसूचित जाति और जनजाति के जितने भी हॉस्टल हैं जो इन लोगों के लिए ठहरने के लिए आपने बना रखे हैं, इनके बच्चों के लिए जो शिक्षा अध्ययन करते हैं, आज उन हास्टलों की हालत बहुत खराब है। उनको जो भोजन दिया जाता है वह भोजन इतना खराब होता है सबसे बेकार आटा कहीं कोई होता है तो उसको खरीदा जाता है। बच्चों के लिए और कोई सुविधाएं नहीं हैं, ठहरने के लिए नहीं है। उनके जो छात्रावास हैं, उनकी छतें चू जाती हैं। गिरने को तैयार हो रही हैं। मैं खुद आपके क्षेत्र की बात बताता हूं। आपके क्षेत्र में, आपके छात्रावास होते हुए भी प्राइवेट छात्रावासों में बच्चे जाने लग गये हैं क्या कारण है इसका? कभी आपने उनको भी जाकर देखा है, प्राइवेट छात्रावासों से अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग जिनमें रह

206

(श्री रामस्वरूप मीणा)

रहे हैं वहां की क्या स्थिति है। कभी आपने विचार किया इस बात का ? नहीं किया। आपने कभी हमारे करौली और सवाई–माधोपुर जिले के किसी हास्टल को आकर देखा ही नहीं आज तक, एक भी नहीं चैक किया। आपने जाकर नहीं देखा, कभी उनके साथ भोजन तो करो, बैठकर पता लग जाएगा कि वह कैसा भोजन करते हैं। मेरे यहां एक बार भोजन के साथ उनको कोई जहरीला पदार्थ मिल गया जिसके कारण सात रोज बहुत से बच्चे बेहोश रहे, बाद में उनका इलाज कराया गया और बड़ी मुश्किल से उनकी जानें बची थीं। यह स्थिति उन हास्टलों की रहती है। वह आपके ही भाई हैं, आपकी ही बहनें हैं, मेहरबानी करके इन हास्टलों की हालत को सुधारें वरना हास्टलों की हालत यह होती जा रही है कि प्राइवेट हास्टल खुलने लग गये जिनमें छात्र और छात्राएं रहने लग गये हैं। आप मेहरबानी करके इन हास्टलों की जांच करें। आप मेरे यहां आकर जांच कर लें। अपने किसी अधिकारी को भेजकर जांच करा लें ताकि उनकी स्थिति सुधर सके।

माननीय सभापति महोदय, दूसरा मेरा निवेदन यह है कि हास्टलों में जो कुछ हो रहा है वह तो आपने सुन लिया लेकिन महिला सदन भी इन्हीं के अन्दर में आते हैं। अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाएं भी वहां ठहरती हैं आकर, उनके केस लग जाता है और कोई बात हो जाती है तो महिलाओं को सीधा महिला सदन के अन्दर भेजा जाता है लेकिन आप भी, आप भी महिला हैं, हमारी कई बहिनें आज सुबह ही पुकार रही थीं। इनमें आप भी साथ थीं। महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। महिला सदन के अन्दर, जयपुर के अन्दर मेरी बहन जो महिला सदन में रह रही हैं, उनको गर्भवती किसने किया। यह बता दो मंत्री महोदय। कौन दोषी है, उनको गर्भवती करने के पीछे। वहां कोई पुरुष नहीं रहता है महिला सदन के अन्दर, लेकिन किसने इनको गर्भवती कर दिया। कोई उनको अपनाने को तैयार नहीं होगा और न कोई उनको अपना सकता है। वहां पर गर्भ गिराने का धन्धा किया जाता है। महिलाएं गर्भवती होती हैं। बड़े-बड़े लोग जाकर महिला सदनों में घुसते हैं। रात्रि को वहां पहुंचते हैं और महिलाओं और बहनों के साथ बलात्कार करते हैं।

अगर आपने यह नहीं देखा तो रात्रि को चैक कर लेना। दरवाजे पर जाकर बैठ जाना, भेष बदलकर के। गाड़ी दूर छोड़ जाना, अगर गाड़ी लेकर जाओगे, लाल बत्ती, तो वे सचेत हो जाएंगे। इसलिए खतरे की घण्टी को तो दूर छोड़ जाना। आप जाकर के रात्रि में 2-4 दिन चैक कर लो। अगर रात्रि में यह धन्धा नहीं हो, जिसको आपने पहले एक बार स्वीकार किया था कि हां, ऐसा होता है। आपने उसको चैक भी किया होगा। कुछ आपको मिला भी होगा तो आपने कोई सुधार की योजना भी बनायी होगी। ठीक है, आपकी नजर में नहीं आया होगा, क्योंकि आपने

(श्री रामस्वरूप मीणा)

उनको जाकर के नहीं देखा। अब मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि उनमें ऐसा होता है, मेरी बहनों के साथ, बलात्कार भी होता है। गर्भवती वे रहीं तो किसके कारण से रही हैं, बलात्कार से ही तो गर्भवती रही हैं। अपनी इच्छा से रहेंगी क्या? वहां तो कोई मर्द भी नहीं रहता है। वहां तो बहनें ही बहनें होती हैं। वे गर्भवती कैसे रहीं।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, पूरा करें इसको।

श्री रामस्वरूप मीणा : इसलिए मेहरबानी करके आप इस पर विचार करें। सभापति महोदया, इसलिए पुनः मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि आप मेरे पूर्वी राजस्थान में जिला करौली और सवाईमाधोपुर जो जनजाति क्षेत्र हैं, उसकी सारी योजना में पैसा देते हैं उसका हिस्सा जिलों के हिसाब से आप बंटवारा करके दें। वहां जाकर के मीटिंग लें आप, उन मीटिंगों में हमको भी एक बार तो बुलाकर देख लें। तब पता लगेगा कि मेरे जिले में क्या हालत हो रही है अनुसूचित जाति और जनजातियों की।

पुनः मैं आपके माध्यम से माननीय समाज कल्याण मंत्रीजी से निवेदन करता हुआ कि वे बहनों की रक्षा करेंगे, समाज कल्याण विभाग में वे दुःख पा रही हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति : अब आपका रिपिटीशन हो रहा है। नया कुछ नहीं है। धन्यवाद। श्री शांतिलालजी खोईवाल।

श्री रामस्वरूप मीणा : उनकी रक्षा करेंगे। माननीय सभापति महोदया, अभी आप बता रहे हैं कि हरिजनों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, दूल्हों को घोड़ी से उतारा जा रहा है।

श्री सभापति : बिराजिए, बिराजिए, हो गया, आपके पास कुछ नहीं है अब आगे।

श्री रामस्वरूप मीणा : नकेल डाली जा रही है। इसलिए ऐसा जो काम हो रहा है उनको कृपया रोकिये। सभापति महोदया, आपने जो समय दिया उसके लिये बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री शांतिलाल खोईवाल (राजसमंद) : माननीय सभापति महोदया, आज मांग संख्या 33-सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, एव मांग संख्या 30-जनजाति क्षेत्रीय विकास के बारे में इस सदन में चर्चा हो रही है।

दोनों ही विभाग बहुत महत्वपूर्ण विभाग हैं और इनका दायित्व समाज के उस वर्ग के उत्थान के लिये है जो आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है, सामाजिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है, राजनैतिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है और शैक्षणिक दृष्टि से भी पिछड़ा हुआ है। इस सारे पिछड़ेपन को एक लेवल तक लाने के लिये राजस्थान सरकार ने इन विभागों को दायित्व दिया है। इसलिए, माननीय सभापति महोदया, मैं निवेदन कर रहा हूं कि ये दोनों ही विभाग बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है। लेकिन दुर्भाग्य से,

(श्री शांतिलाल खोईवाल)

जैसा कि आप आश्चर्य कर रही हैं, अभी तक इसके बारे में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के वक्ताओं के अलावा किसी ने पार्टिसिपेट करने के लिये अपना नाम नहीं दिया।

श्री सभापति : इसको सुधारें कृपया। मैंने उन लोगों का नाम रोककर आपको बुलवाया है। इसलिए इसको सुधार लें।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : मैं भी बोलने के लिये इन्तजार कर रही हूं।

श्री शांतिलाल खोईवाल : माननीय सभापति महोदया, जो तथ्य है उसको नकारा नहीं जा सकता है। (व्यवधान)

श्री सभापति : मेरे पास लिस्ट है, तथ्यों की बात नहीं है। मैंने ही उन लोगों को रोका है।

श्री शांतिलाल खोईवाल : जो भी है, आप चाहें तो उनको पहले बुलवा लें, मुझे बाद में बुलवा लें। इसके बारे में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन यह चिंतन का विषय है, और इस चिंतन के विषय को... (व्यवधान)

श्री सभापति : आपसे पहले शम्भूदयाल बड़गूजर का नाम था। उनका काटकर आपको बुलवा लिया।

श्री शांतिलाल खोईवाल : शम्भूदयाल बड़गूजर भी अनुसूचित जाति के ही माननीय सदस्य हैं। वह किसी दूसरे, शायद आपको यही मालूम नहीं है अभी तक कि शम्भूदयाल बड़गूजर (व्यवधान) अनुसूचित जाति के हैं कि नहीं हैं।

श्री सभापति : मैं तो इतना जातिभेद रखती नहीं, इसलिए मुझे कुछ भी नहीं मालूम।

श्री शांतिलाल खोईवाल : इस बात पर मैं अपना समय बेकार नहीं गंवाऊं तो ज्यादा उचित रहेगा।

माननीय सभापति महोदया, कल्याणकारी गतिविधियों की रफ्तार भारतीय जनता पार्टी के शासन में बहुत तेज हुई है। इस बात को नकारा नहीं जा सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के शासन में जिस तरह राजस्थान में समाज कल्याण विभाग के माध्यम से छात्रावासों की स्वीकृति जारी हुई है, छात्रावासों के भवनों का निर्माण हुआ है और नाना प्रकार की अन्य कल्याणकारी सेवाओं में जो विस्तार हुआ है, इस बारे में तो अभी सदन में माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये। लेकिन मैं निवेदन इस बात के लिये करूंगा कि जो विस्तार हुआ है उसमें सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता है। यदि उसको सुदृढ़ नहीं करेंगे तो मैं समझता हूं कि जो हमारा आब्जेक्ट हैं, जो उद्देश्य हैं वे उद्देश्य किसी कीमत पर पूरे नहीं होने वाले हैं। सिर्फ यह भाषण के लिये ही महज रह जाएंगे जिसका कोई औचित्य नहीं रहेगा।

(श्री शांतिलाल खोईवाल)

मैं निवेदन करूं आपको कि राजस्थान में समाज कल्याण विभाग के छात्रावास भवनों का निर्माण काफी संख्या में हुआ है। पिछले 8 वर्ष में जितने छात्रावास भवनों का निर्माण हुआ है वह उसके पहले 40 साल की कांग्रेस की सत्ता में उस संख्या में नहीं हुआ। यही हाल है कि जो नये छात्रावासों के खोलने की जो स्वीकृतियां जारी की गयी हैं समाज कल्याण विभाग के द्वारा उसकी संख्या भी पहले से कम नहीं है। इसलिए मैं निवेदन कर रहा था कि कल्याणकारी गतिविधियों का विस्तार काफी तेज गति से हुआ है इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसमें व्यवस्थाओं को सुधारने की आवश्यकता है।

मैं एक छोटा सा नमूना आपके समक्ष पेश करूं कि आज समाज कल्याण विभाग के छात्रावास में जो छात्र रहते हैं, अध्ययन के लिये, जो अपन इस प्रोजेक्ट से वह स्वीकृति जारी करते हैं कि इनका कैरियर फोरमेशन हो। सभापति महोदया, कैरियर फोर्मेशन के लिये आप उसको एक सीमित धनराशि में बांध देंगे कि वह साढ़े चार सौ रुपये तक, एक छात्र के लिये समाज कल्याण विभाग के छात्रावास में रह रहा है उससे कपड़े भी खरीद लेंगे, किताबें भी खरीद लेंगे, फीस भी जमा करा देंगे और उसके खान-पान की व्यवस्था भी। क्या वास्तव में इस राशि में सम्भव है।

मैं समाज कल्याण विभाग के मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे अपने पड़ोस में बैठे हुए कारागार मंत्रीजी से परामर्श करें कि कारागार में जो व्यक्ति सजा भुगत रहा है उसके लिये भी कोई निर्धारित राशि नहीं है। उनके लिए भी एक मानदण्ड बना हुआ है कि उनको सौ ग्राम दाल मिलेगी, आधा किलो आटा मिलेगा, सौ ग्राम घी मिलेगा, सौ ग्राम अन्य कोंडीमेंट्स मिलेंगे, तो इस तरह समाज कल्याण विभाग में भी यह व्यवस्था करने की आवश्यकता है। यदि किसी व्यक्ति को, आप यह समझते हैं कि साढ़े चार सौ रुपये में यह सारी व्यवस्थाएं सम्भव हैं। क्या हम इस तरह का यह पैसा खर्च करके कुछ उपलब्धि प्राप्त करना चाहते हैं, उपलब्धि सम्भव होगी। मेरे विचार से किसी कीमत में यह उपलब्धि नहीं मिल सकती है। इसलिए माननीय समाज कल्याण मंत्रीजी, आपसे मेरा अनुरोध है कि इस को धन से मत बांधो, इसको मात्रा से बांधो। ताकि वह पेट भर खाना खाए, अच्छे कपड़े पहने, उनको पुस्तकें खरीदने के लिये सारी सुविधाएं मिलें और अन्य स्टेशनरी का सामान जो उनको चाहिए, वह उनको उपलब्ध हो। मेहरबानी करके, इसमें इस तरह से व्यवस्थाओं में परिवर्तन करने की आवश्यकता है, करिये। नहीं तो आप जिस प्रोजेक्ट को लेकर बैठे हुए हैं वह प्रोजेक्ट कभी पूरा होने वाला नहीं।

सभापति महोदया, यही नहीं, आज मैं निवेदन करूं आपको कि समाज कल्याण विभाग की तरफ से जो छात्रावास बने हुए हैं, नये भवन बने हुए हैं, बहुत अच्छे भवन बने हुए हैं। लेकिन उन भवनों के

(श्री शान्तीलाल चोईवाल)

अनुरूप, एक गांव का बच्चा आता है, वह अपनी गठरी में कपड़े लाता है, नीचे कपड़े रखकर सो जाता है। उनके पास न रैक्स हैं, न उनके पास बैग्स हैं, न उनके पास बेड–रोल्स हैं और न ही उनके पास अन्य सुविधाएं हैं। जो नये भवन बनते है उनको सुसज्जित करने के लिये, वेल-फर्निश्ड करने के लिये भी आप राशि मंजूर करिये। ताकि उस भवन के अनुरूप व्यवस्थाएं भी हो सकें। इसी के साथ मैं निवेदन करूंगा कि जितने भी अभी पिछले 5–7 साल में भवनों का निर्माण हुआ है उसमें बाउण्ड्री वाल्स का मंत्री महोदय, आपने प्रोविजन नहीं रखा है। यह प्रोविजन भी रखने की आवश्यकता है। मैं समझता हूं कि इस बार जो एप्रोप्रिएशन बिल पास होगा उसमें आप इन बाउण्ड्री वाल्स को निर्माण कराने के लिये राशि निर्धारित करेंगे तो मैं समझता हूं कि जो अच्छे कीमती भवन बने हुए हैं उनमें चार चांद लग जाएंगे।

माननीय सभापति महोदया, मैं एक बात और निवेदन करना चाहूंगा कि सर्विसेज में आरक्षण ओ. बी. सी. का भी हुआ है और ओ. बी. सी. की गतिविधि भी समाज कल्याण विभाग के अधीनस्थ ही आती है। आपको मैं निवेदन करूं कि ओ. बी. सी. में कुछ ऐसे वर्ग हैं, कुमावत समाज, गाड़ी लुहार समाज, गाडरी समाज, गुर्जर समाज, रेबारी समाज, मैं दावा करता हूं कि 10 हजार व्यक्तियों मे एक एम.ए. व्यक्ति नहीं मिलेगा। आप सर्वे करा लीजिये। ऐसी स्थिति में इस ओ. बी. सी. समाज के लोगों के लिये भी छात्रावास बनाने की और उनको शिक्षा उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। मेरा अनुरोध है कि जिस तरह से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को शिक्षण सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं, उसी तरह की ओ. बी. सी. के छात्रों को भी यह सुविधाएं प्रदान की जाएं तो मैं समझता हूं कि जो घोषणाएं हुई हैं, रिजर्वेशन की, आरक्षण की, उस घोषणा का कोई सही मतलब निकल पाएगा।

माननीय सभापति महोदया, इसी के साथ मैं एक निवेदन और करना चाहूंगा। जो प्री-एग्जामिनेशन कोम्पिटेटिव सेंटर्स समाज कल्याण विभाग संचालित करता है, मैं मंत्रीजी से पूछना चाहूंगा कि आपने यह जो संस्था संचालित कर रखी है, उसमें शिक्षा प्राप्त करके हमारे पिछले दस वर्षों में कितने आर. ए. एस आफिसर्स प्रोड्यूस किये? कितने आई.ए.एस. आफिसर्स प्रोड्यूस किये? कितने आपने आई. पी. एस. आफिसर्स प्रोड्यूस किये या सेंण्ट्रल सर्विसेज के जो भी अधिकारी हैं, वो प्रोड्यूस किये? मेरी रिपोर्ट के हिसाब से, मेरी जानकारी के हिसाब से यह सिर्फ फॉर्मलटी के नाते चलाये जा रहे हैं, इसमे कोई सुख-सुविधाएं, जो भी इस तरह की तैयारी करें, ऐसी सुविधाएं मैं समझता हूं कि नहीं है और इसका नतीजा है, मैंने पिछले साल भी इस मुद्दे को उठाया था और पिछले साल माननीय मंत्रीजी ने यह वादा किया था कि इसको सुदृढ़ करेंगे, इनकी व्यवस्था सुधारेंगे लेकिन आज जिस तरह हाउस में चर्चा हुई है, कि उसके ताला लग गया।

(श्री शांतिलाल खोईवाल)

आपने सारी व्यवस्थाएं यूनिवर्सिटी को दे दी है और यूनिवर्सिटी वाले सब-स्टेण्डर्ड तौर-तरीके से संचालित करे कि इस पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, यह तो संस्था शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के बच्चों को शिक्षा-दीक्षा देने वाली बात है, इसमें कोई एक्सपर्ट टीचर्स को डेपुट नहीं किया जाता, जो गरीब होता है, जिसको आर्थिक दृष्टि से अलाउंसेज लेने की आवश्यकता होती है, वह व्यवस्था, इस तरह के टीचर्स के डेपुट करके और फिर आप चाहती हैं, सभापति महोदया, कि वहां से आई. ए. एस. आफिसर्स तैयार होकर के आयें, आप यह चाहती हैं कि वहां से आर. ए. एस. आफिसर्स तैयार हो जाएं या आई. पी. एस. आफिसर तैयार हो जाएं, किसी कीमत पर इस तरह के आफिसर्स को आप तैयार नहीं कर सकतीं। यह ख्वाहमख्वाह इस राज्य सरकार का और केन्द्र सरकार का पैसा खर्च हो रहा है। इसलिए इस बात की मुझे बड़ी तकलीफ है, इसमें सुधार होना चाहिये। यदि इसमें सुधार नहीं हुआ तो यह ढकोसला साबित होगी सारी व्यवस्थाएं।

माननीय सभापति महोदया, इसमें सुधार करने की आवश्यकता है और वहां भी आप उन्हे अच्छा खाना दीजिये और मेरा तो सुझाव है कि वहां पर एक इण्डिपेंडेंट एडमिनिस्ट्रेटर की पद स्थापना करिये, जो सब्जेक्ट का एक्सपर्ट हो और एक घंटे का कम से कम दो सौ रुपये उसको अलाउंस मिले। सब्जेक्ट एक्सपर्ट को, तभी उसमें इंट्रेस्ट क्रिएट होगा और तभी उन बच्चों को मां-बाप भेजेंगे कि हमने आई.ए.एस, आई.पी.एस. और आर. ए.एस. बनाने के लिये समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित संस्था में भिजवा रहे हैं लेकिन उनकी भावनाओं को कितना कुठाराघात पहुंचता होगा जब चार साल यह यहां जयपुर में खोज-खोजकर वापस चले आते हैं। वह बच्चा घर का रहता है, न घाट का और आज जितने आई.पी.एस., एक निवेदन करूं कि एक फोर्मर प्रोफेसर स्वर्गीय इकबाल नारायणजी थे। उनके समय में उनके अधीनस्थ एक संस्था संचालित होती थी, उस समय के मैं समझता हूं कि यहां पर अधिकारी बैठे होंगे। उन्होंने भी प्रशिक्षण लिया होगा।

Hen'ble Madam, Mr.K.L. Meena is the product of this Institute.

और कई आई ए एस. आफिसर्स हैं, पी.सी. बलाई जो आज आई.ए.एस. हैं, वह भी उसी की प्राडक्ट है। दस साल में कितने प्रोड्यूस कर दिये इन संस्थाओं के माध्यम से, यह तो जानकारी दे दो मेहरबानी करके मंत्री महोदय। नहीं है। इसमें यह व्यवस्थाओं की गलती है, क्योंकि समाज, एज ए होल को चिन्तन. बदलने की आवश्यकता है।

थोड़ी देर पहले जब मैं यहां पर बैठा हुआ था, विचार कर रहा था कि आज शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के अतिरिक्त माननीय सदस्यों को ज्यादा इंट्रेस्ट नहीं है। मैंने काउण्ट किया सब

212

(श्री शांति लाल खोईवाल)

लोगों को, 51 परसेंट जो माननीय सदस्य यहां बैठे हुए थे, वे सिर्फ शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के ही बैठे थे। अन्य वर्ग के नहीं थे। अभी तो थोड़े-बहुत ज्यादा आ गये हैं इसलिए संख्या गड़बड़ हो गयी। देखो, आप शिड्यूल्ड कास्ट (व्यवधान) साम्बोजी, आप शिड्यूल्ड कास्ट के नहीं हैं, इस बात को मैं एडमिट करता हूं। सांसद हैं, उससे कोई शिड्यूल्ड कास्ट या शिड्यूल्ड ट्राइब्स नहीं बनता है। इसलिए इस बात की चिन्ता मत करो। (व्यवधान) लगते हैं, इस बात को मैं नहीं कहूंगा। ये वैसे ही व्यवधान डाल रहे हैं, इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं ...

श्री शांति कुमार धारीवाल : मेरे बारे में क्या विचार है?

श्री शांतिलाल खोईवाल : आपके बारे में मेरे बहुत अच्छे विचार हैं। अच्छे आदमी हो आप। माननीय सभापति महोदया, मैं निवेदन कर रहा था कि यह सारी व्यवस्थाओं के लिये हमें चिन्तन में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। आज डी.आर.डी.ए. के माध्यम से समाज कल्याण द्वारा आवंटित राशि डिस्ट्रीब्यूट होती है। मेरा दावा है कि उन लोगों को जो आई.आर.डी.पी. के तहत चयनित लोगों को 40 परसेंट का लाभ नहीं मिलता।

(17.35 बजे)

(श्री रमाकान्त शर्मा, सभापति, पदासीन)

मैं एक रेलमगरा तहसील का उदाहरण दूंगा। माननीय सभापति महोदय, वहां पर हालत यह है कि पिछले तीन साल में सौ इंजन डिस्ट्रीब्यूटर हुए हैं, डीजल इंजन मेरा दावा है, आज आप सर्वे करवा लीजिये। एक भी इंजन वहां किसी व्यक्ति के पास मिल जाए, उन्होंने धनराशि प्राप्त करके और सिर्फ खानापूर्ति की गयी। यह एक ही उदाहरण नहीं है, मैं समझता हूं कि इस तरह के उदाहरण पूरे राजस्थान में होंगे। यह कोई रेलमगरा ही नहीं है अकेली तहसील जहां पर इस तरह की व्यवस्थाएं हो रही हैं लेकिन इसमें सभी लोगों के चिन्तन और सोच के बदलने की आवश्यकता है। जब तक हम सभी लोग सोच नहीं बदलेंगे, तब तक गुजारा नही होगा। अब आपका सोच कितना अच्छा है, इसका एक नमूना आपको और प्रस्तुत कर दूं।

आज रोस्टर सिस्टम के हालात क्या हैं? राजस्थान में एक किसी डिसीजन को लेकर जो निर्णय दिया है, कोर्ट ने उसके आधार पर सारा मटियामेट कर दिया। माननीय सभापति महोदय, मैं यह कह रहा हूं, सबसे पहले रोस्टर पाइंट्स के हिसाब से पहले हमने इसको फालो किया है, केन्द्र सरकार से और केन्द्र सरकार का आज भी रोस्टर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। हमारे राजस्थान के आस-पास की स्टेट्स में आज भी परिवर्तन नहीं हुआ है। जिसमें पहले शिड्यूल्ड-कास्ट व्यक्ति का पदोन्नति में आया करता था, दूसरा शिड्यूल्ड ट्राइब्स का आया करता था, फिर तीसरा अन्य; अन्य व्यक्तियों का आया करता था लेकिन

(श्री शांतिलाल खोईवाल)

राजस्थान, भला हो उस फोर्मर चीफ सेक्रेटरी का जिसने प्रशासनिक आदेश निकाल कर रोस्टर सिस्टम का सारा + + + कर दिया है और जो अपेक्षाएं की जाती हैं हमारी सरकार से वह अपेक्षाएं धूमिल कर दीं। धूमिल कर दिया और मुझे इस बात की बड़ी चिन्ता है (व्यवधान) मुझे बोलने दो। आज की स्थिति यह है, यह परिवर्तन क्यों किया? क्योंकि जो अधिकारी बैठे हुए हैं, जिम्मेदार अधिकारी निर्णायक कुर्सियों पर बैठे हुए हैं, उन्होंने निर्णय कुछ इस तरह के लिये, आप कहते हैं कि अरबों, खरबों, करोड़ों रुपये खर्च कर दीजिये आप, हमारे इस अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओ. बी. सी. के उत्थान के लिये लेकिन जब तक स्वर्ण जाति के अधिकारियों का चिन्तन में परिवर्तन नहीं आएगा तब तक मैं नहीं समझता की इस राजस्थान स्टेट में किसी तरह का सुधार हो सके। क्योंकि जो निर्णायक अधिकारी हैं। + + +। इस समाज कल्याण विभाग की सारी व्यवस्थाओं को कर दिया। रोस्टर सिस्टम का तहस–नहस कर दिया उन्होंने। (व्यवधान)

श्री बनवारीलाल बैरवा : यह तो बी. जे. पी. सरकार की गलती है।

श्री शांतीलाल खोईवाल : यह सरकार की गलती नहीं है। अधिकारियों की है। चाहे सरकार किसी की भी हो, अधिकारी की मंशा क्या है, अधिकारियों का मन्तव्य क्या है, उस पर ज्यादा निर्भर करता है। अधिकारी का सोच क्या है, उस पर निर्भर करता है।

श्री बनवारीलाल बैरवा : जब आप यह बात कह रहे हैं कि....

श्री शांतिलाल खोईवाल : नहीं, बारबार स्वाहमख्वाह आप (व्यवधान)

श्री बनवारीलाल बैरवा : वे मुख्य सचिव थे और उन्होंने व्यवस्था बदल दी। यह व्यवस्था बदल दी, उसकी बात हुई है। (व्यवधान)

श्री शांतिलाल खोईवाल : प्लीज, आप मेरे को बात कहने दीजिये।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, व्यवधान नहीं डालें। अच्छा भाषण हो रहा है, क्यों खराब करना चाहते हैं, इस भाषण को? (व्यवधान)

श्री शांतिलाल खोईवाल : बनवारी लालजी, मुझे अपनी बात कहने दीजिये। मेहरबानी करके मुझे अपनी बात कहने दीजिए।

श्री सभापति : विराजिये अब। वह बात कर रहे हैं आपका नम्बर आएगा तब आप अपनी बात कह देना।

श्री शांतिलाल खोईवाल : माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि आज रोस्टर सिस्टम में कितने लोगों

+ + + शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री शांतिलाल चोईवाल)

को निराशा हो रही है ? इस बात की आप क्या चाहते हैं ? आप यह चाहते हैं कि एक तरफ तो ढोल पीटेंगे कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों के उत्थान के लिये हम कटिबद्ध हैं, हम अरबों रुपये खर्च करने के लिये तैयार हैं लेकिन एक कैंची धारदार रखते हैं ताकि तत्काल उसको काटकर एक तरफ कर देते हैं। क्यों ? क्या यही उम्मीद है, इस कल्याणकारी सरकार से, क्या यही चाहते हैं, आप लोग ? ऐसा नहीं चलेगा। लम्बे समय तक इसमें। मैं फिर दुबारा मेरी शब्दावली को रिपीट कर रहा हूं। अधिकारियों की, नेताओं की ओर जो निर्णायक स्थिति में लोग बैठे हुए हैं, उनके चिन्तन में परिवर्तन की आवश्यकता है। माननीय सभापति महोदय, मुझे मेरे विचार व्यक्त करने के लिये आपने समय दिया और मेरी बात में, चर्चा में व्यवधान नहीं डाला, इसके लिये मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। अपना भाषण समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री गोविन्द सिंह गुर्जर।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री सुरेन्द्र गोयल (सरकारी उप मुख्य सचेतक) : माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 30 व 33 पर माननीय सदस्यों द्वारा विचार रखने, मंत्रीगण द्वारा जवाब देने और मांगें पारित होने तक सदन का समय बढ़ाया जाए।

श्री सभापति : मांग पारित होने तक समय बढ़ाया गया। माननीय गोविन्द सिंहजी गुर्जर। (व्यवधान) मैं जानता हूं आप बढ़ाना चाहेंगे।

मांग संख्या 30 एवं 33 पर विचार

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर (नसीराबाद) : माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 30 और 33 पर जो मैंने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं, उनको पेश करते हुए मैं समाज कल्याण मंत्रीजी का ध्यान भारत के संविधान के आर्टिकल 15, आर्टिकल 46 और 330 से 342 की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। इन प्रावधानों में, सभापति महोदय, इस बात को सुनिश्चित करने की कोशिश की गयी है जो पद दलित, जो शोषित वर्ग है, जो कई सदियों से पिछड़ा हुआ है, उनको बराबरी का अधिकार दिया जाए। वह जीवन में और लोगों के, और समाज के, और वर्ग के बराबर आ सके इसलिए उनके लिए कुछ विशेष प्रावधान भारत के संविधान में किए गए हैं। लेकिन जैसा अभी राजसमंद से आने वाले माननीय सदस्य ने यहां बताया, मैं उनके विचारों से पूरी तरह सहमत हूं। आज इन प्रावधानों को लागू करने के लिए, जिन लोगों के ऊपर जिम्मेदारी है, जिन लोगों का उत्तरदायित्व है वह चाहे नेता हों, चाहे अधिकारी हों और चाहे और कोई दूसरे वर्ग के लोग हों, मुताबिक इस बात की

(श्री गोविन्द सिंह गुर्जर)

कोशिश की जा रही है कि इन प्रावधानों को ईमानदारी से लागू नहीं किया जाए। सारा समय इस बात पर लगाया जाता है कि किस तरीके से इन प्रावधानों को नकारा बनाया जाए।

सभापति महोदय, आपको भी ध्यान होगा, एक सर्कुलर यहां निकाल दिया कि जो ओ. बी. सी. के लोग हैं और वह इस कैटेगरी में काम कर रहे हैं, उनको रिज–र्वेशन का, आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाए। आज मैं एक बाबू हूं किसी दफ्तर में और मैं कोई आर. ए. एस. या आई. ए. एस. का इम्तिहान देना चाहता हूं तो मुझे वह सहूलियत नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं क्रिमिलेयर के तहत आ गया। यह जो इस तरह के रास्ते निकालने की कोशिश की जा रही है कि यह जो पद दलित लोग के हैं, यह बराबरी पर नहीं आ सकें, इसकी पूरी कोशिश इस तरीके से की जाती है और पूरे संगठित तरीके से की जाती है कि इन लोगों को यह लाभ नहीं मिले ताकि यह बराबरी पर नहीं आ सकें।

सभापति महोदय, इसीलिए भारत के संविधान में एक राष्ट्रीय एस. सी., एस.टी. कमीशन, जिसके अपने यहां के मीखा भाई भी अध्यक्ष रह चुके हैं, वह बनाया गया और उसमे प्रावधान किया गया है कि हर साल वह कमीशन अपनी रिपोर्ट देगा कि इन जातियों की स्थिति केन्द्र में और अलग-अलग राज्यों में क्या है। मुझे अफसोस है यह कहते हुए, मैं मंत्रीजी से खास तौर से कहना चाहता हूं कि अच्छा होता अगर आज आप उस कमीशन की रिपोर्ट, जो वार्षिक रिपोर्ट पार्लियामेंट में पेश होती है, आपको भी यहां पेश करनी चाहिए। पहले पेश होती रही है। लेकिन इन दो–चार सालों मे मैं देख रहा हूं कि वह पेश नहीं हो रही है। वह आपको पेश करनी चाहिए थी ताकि इस सदन को पता लगता कि पूरे देश में और हमारे प्रदेश में शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब के साथ किस तरह का बर्ताव हो रहा है और क्या सुझाव उस कमीशन के हैं और उसको लागू करने के लिए सरकार क्या कर रही है? लेकिन अफसोस है, क्योंकि इनकी सोच ऐसी नहीं है। उस बात को टाल दिया जाता है और जब भी यह मामला आता है तो हम उसको एक दूसरे नजरिये से देखने की कोशिश करते हैं।

सभापति महोदय, यह प्रगति प्रतिवेदन माननीय मंत्री महोदय ने हमें दिया है। इस प्रगति प्रतिवेदन में ओ.बी.सी. के लिए, जिसको 52 प्रतिशत जनसंख्या है, उस 52 प्रतिशत के लिए केवल एक लाइन लिखी हुई है। एक लाइन कि 6-8-94 को, भला हो उन राज्यपाल महोदय का, जिन्होंने राष्ट्रपति शासन के दौरान इस वर्ग को वह यह आरक्षण का हक दिलाकर चले गये। यह एक लाइन लिखी है कि वह जो 6-8-94 को आरक्षण दिया है, उसको लागू किया जा रहा है।

श्री मदन दिलावर (राज्य मंत्री, समाज कल्याण) : सभापति महोदय, 1994 में

(श्री मदन दिलावर)

माननीय राज्यपाल महोदय नहीं थे, चुनी हुई सरकार आ गयी थी।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : इसमें एक लाइन के अलावा और ज्यादा लिखा क्या आपने ? 52 प्रतिशत आबादी जनसंख्या वाले वर्ग के लिए आपकी इस पूरी पुस्तक में एक लाइन यही है। आप कोई सुविधा नहीं दे सकते। आपने तीन अरब अट्ठाइस करोड़ का बजट पेश किया है, हम से यहां स्वीकृति मांगी है कि इसको स्वीकार किया जाए। 3 अरब 28 करोड़ में से उस 52 प्रतिशत जनता के लिए एक पैसा नहीं है। आप ताज्जुब करोगे, सभापति महोदय, कि इस प्रकार की सोच जिन लोगों की हो, वह आगे क्या कर सकते हैं और क्या करेंगे, यह मुझे तो कुछ दिखता नहीं है।

सभापति महोदय, आरक्षण के सम्बन्ध में शिड्यूल्ड कास्ट, शिड्यूल्ड ट्राइब और ओ.बी.सी. का कोटा निश्चित है और जैसा अभी रामसमंद से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि मंशा नहीं है कि उस आरक्षण को लागू किया जाए और इसका नतीजा क्या है कि कई तरीके निकालकर एक कोशिश की जाती है कि जो आरक्षित पद हैं, उनको या तो सार्वजनिक कर दिया जाता है या भरा नहीं जाता है और अगर किसी तरह से भरने की कोशिश भी की तो यह बता दिया जाता है कि उस कैटेगिरी के आदमी उपलब्ध नहीं हैं।

मैं आपके ध्यान में खास तौर से लाना चाहता हूं कि आज इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कोई मशीनरी नहीं है। सभापति महोदय, आप तो आई.ए.एस. अधिकारी रहे हैं। कोई कानून बना दो, बड़ा प्रोजेक्ट बना दो और उसकी मोनिटरिंग अगर नहीं होगी तो उसको लागू करने का और उसको पूरा करने का जिनके पास जिम्मा है, वह लोग अपनी मनमानी करेंगे।

आज मैं यह कहना चाहता हूं मंत्री महोदय को, खास तौर से राजस्थान यूनिवर्सिटी में 700 आदमियों का टीचिंग स्टाफ है। उन 700 आदमियों में आप ताज्जुब करेंगे, सभापति महोदय, शिड्यूल्ड कास्ट के पांच आदमी, शिड्यूल्ड ट्राइब का एक आदमी और ओ.बी.सी. के बीस आदमी हैं। अब जो रिजर्वेशन है, उस रिजर्वेशन के मुताबिक कितने होने चाहिए ? उनकी तुलना में यह क्या है ? यह एक मानसिकता बताती है इस सरकार की, इस सरकार में बैठे हुए लोगों की, कि वह क्या करना चाहते हैं।

सभापति महोदय, यह कायदा बना हुआ है कि रोस्टर के अनुसार आरक्षण दिया जाए। जैसा अभी बताया पहले नम्बर पर शिड्यूल्ड कास्ट का आना चाहिए, उसको कर दिया तीसरे नम्बर पर, चौथा नम्बर शिड्यूल्ड ट्राइब को कर दिया और पांचवे नम्बर पर ओ.बी.सी. को कर दिया। अब अगर किसी विभाग में तीन ही जगह हैं तो बाकी कैटेगिरी का तो नाम ही नहीं आएगा। जबकि होना यह चाहिए था कि जो रिजर्वेशन कैटेगिरी के आदमी हैं, उनको पहले लिया जाना

(श्री गोविन्द सिंह गुर्जर)

चाहिए। उसके बाद जनरल कैटेगिरी का आदमी आना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता और यह एक आदमी, एक ब्यूरोक्रेट सारा काम कर गया और हमारे लोग, जो आज बैठे हुए हैं, जिनके कंधों के ऊपर इस शिड्यूल्ड कास्ट, शिड्यूल्ड ट्राइब और ओ बी.सी. की जिम्मेदारी है, वह उसको बैठे-बैठे देख रहे हैं। नतीजा यह हो रहा है कि लोगों में फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, लोग कह रहे हैं कि जिस भावना से यह सब काम किया गया है, उसका नतीजा है, जब संविधान बना तो यह बनाया गया था कि दस साल तक यह व्यवस्था लागू रहेगी। लेकिन आज इसे पचास साल हो गए, लेकिन आज भी हम उस संविधान में जो मंशा थी कि यह वर्ग, जो उपेक्षित वर्ग है, यह पिछड़ा वर्ग, यह दलित वर्ग बराबर आ सके, उसको पूरा नहीं कर सके। नतीजा यह है कि इसमें एक हैंडिल बनाकर, एक टूल बनाकर हर साल दस-दस साल इस आरक्षण को बढ़ाते जा रहे हैं। जबकि कोशिश यह होनी चाहिए कि वह आरक्षण नहीं बढ़े। लेकिन यह लोग इस लायक बन जाएं कि बराबर उनके साथ कम्पीटीशन में आ सकें, मैदान में आ सकें। इसको नहीं करके आरक्षण को चालू रखने की कोशिश की जा रही है।

इसी तरह, सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि इस आरक्षण को लागू करने के लिए आपको आदमी उपलब्ध हो, ऐसी व्यवस्था बहुत जरूरी है। आज आपने ओ.बी.सी. को 21 प्रतिशत आरक्षण दिया, आज 21 प्रतिशत डाक्टर बनें, 21 प्रतिशत इंजीनियर बनें, 21 प्रतिशत और दूसरे बनें लेकिन जब तक वो आरक्षण इन शिक्षण संस्थाओं में, जब पी.एम.टी. में ही मेरा 21 प्रतिशत नहीं होगा, पी एम.टी. में मेरा सलेक्शन नहीं होगा तो मैं डाक्टर कैसे बनूंगा? मैं इंजीनियर कैसे बनूंगा? मैं और दूसरे क्षेत्र में कैसे आऊं?

सभापति महोदय, पूरे उत्तर भारत में जो यह इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो शैक्षणिक हैं चाहे तकनीकी हैं, उन सब में यह 21 प्रतिशत का आरक्षण दिया हुआ है। पर ओ.बी.सी. को देना तो दूर रहा, आज शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब को पी.एम.टी. में आपने केवल 8 प्रतिशत और 6 प्रतिशत दिया है, उनकी जो प्रवेश की परीक्षा है उनमें 8 प्रतिशत और 6 प्रतिशत दे रखा है जब कि जनसंख्या 18 प्रतिशत और 12 प्रतिशत है। आज उनको आप इतने प्रतिशत में नहीं देंगे तो वो कैसे बराबरी में आ सकेंगे? इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि शिक्षण संस्थाओं में, चाहे पी.एम.टी. है, चाहे पी.ई.टी. है, चाहे बी.एड. है, चाहे एस.टी.सी. है इन सब में भी उनको आरक्षण दिया जाये ताकि वो उस नौकरी में आ सकें वरना यह सारा एक दिवा स्वप्न है, एक मारा दिखावा है, छल है। जैसा मैंने पूर्व में कहा है कि इसे सुनियोजित तरीके से किया जा रहा है।

इसी तरह से मैं आपको कह रहा था कि आप ट्रेनिंग देते हैं। अभी शून्य काल

(श्री गोविन्द सिंह गुर्जर)

मैं थोड़ा-बहुत डिस्कशन हुआ था, मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता। यहां पर अम्बेडकरजी के नाम से आई.ए.एस. की ट्रेनिंग वाली बात कर रहा हूं जो यूनिवर्सिटी चला रही है, वो बंद है। आप जाकर पता कर लेना, यहां अधिकारी बैठे हैं, इनसे पूछ लो। इसमें हो क्या रहा है, इसमें कोशिश यह हो रही है कि यूनिवर्सिटी से इसको हटा कर आपके विभाग के अण्डर में ले लिया जाए और आपके जो अधिकारी हैं उनकी पत्नियां हैं, उनके पुत्र हैं, उनके दूसरे लोग हैं जो विभिन्न कालेजों में पढ़ा रहे हैं, क्योंकि जयपुर में तो कोई कालेज नहीं है इसलिए बाहर जाना पड़ता है, कोई शाहपुरा जा रहा है, कोई कहीं पर जा रहा है, तो उन पत्नियों को जगह देने के लिए उनको वहां से तो हटाया और आपके अण्डर में ला रहे हैं। जहां पर केवल 40 हजार रुपये हर महीने इस शिक्षण संस्थान को दे रहे हैं वह 40 की जगह 20-25 लाख रुपये का खर्चा शिड्यूल्ड कास्ट, शिड्यूल्ड ट्राइब की भलाई के लिए खर्च होना चाहिये, उन लोगों को सुविधा देने के लिए कर रहे हैं जो कि बाहर पढ़ाने जा रहे हैं और यहां रहना चाहते हैं। इन सब बातों को रोकिये। उस शिक्षण संस्थान को ठीक करिये, ढंग का करिये। वहां क्या हो रहा है? एक रेजिडेंट आफिसर रख रखा है वह रेजिडेंट आफिसर कहां काम कर रहा है? वह आपके समाज कल्याण निदेशालय में काम कर रहा है। वह कभी वहां गया ही नहीं तो छात्रावास का क्या हाल होगा, बिल्डिंग का क्या हाल होगा, लड़कों का क्या हाल होगा? लाइब्रेरी आपने दे रखी है लेकिन वहां लाइब्रेरियन है नहीं। एक पैसा फंड का नहीं है पुस्तकें खरीदने के लिए,, कहां से बच्चे पढ़ेंगे और कहां से तैयार करेंगे? तो इन बातों को आप देखिये। मैं कोई ज्यादा लम्बी-चौड़ी बात इसके बारे में नहीं कहना चाहता हूं लेकिन आपको विशेष ध्यान इसमें देना होगा।

सभापति महोदय, मैं पांच मिनट में खतम करता हूं। इसी तरह से पदों की गणना में भी सुनियोजित तरीके से कैसे हमें वंचित किया जा रहा है, शिड्यूल्ड कास्ट, शिड्यूल्ड ट्राइब को, ओ. बी. सी. को कैसे वंचित किया जा रहा है, उसका मैं आपको थोड़ासा विवरण दे रहा हूं। सभापति महोदय, पदों में अगर कैडरवाइज आरक्षण दिया जाए तब तो कुछ लाभ मिल सकता है। और जैसे एक कैडर है प्रोफेसर का, उसमें जितनी जगह है वह कैडर के हिसाब से 100 है तो हिसाब से दे दीजिये। 21 प्रतिशत ओ.बी.सी. को दे दीजिये, 12 प्रतिशत शिड्यूल्ड ट्राइब को दे दीजिये, 18 प्रतिशत शिड्यूल्ड कास्ट को दे दीजिये, पूरा हो जायेगा। लेकिन, सभापति महोदय, वो क्या कर रहे हैं, वो यह नहीं कर रहे हैं। वो यह कर रहे हैं कि उस कैडर में से विभाग वाइज, पोलिटिकल साइंस अलग, हिस्ट्री अलग, साइंस अलग, दूसरी साइंस अलग एक एक फैकल्टी वाइज इनको अलग-अलग करके फैकल्टी में भी डिपार्टमेंटवाइज उसको अलग कर के उन पोस्टों को कम कर देते हैं। पोस्टों को कम करने का नतीजा यह होता है कि दो-तीन जगह होती है और वो-तीन जगह जनरल से भर लीजिये। तो इसको रोकना

(श्री गोविन्द सिंह गुर्जर)

होगा। पूरे कैडर को एक मान कर उसके अनुसार आरक्षण होना चाहिये तभी हम लोगों को लाभ मिल सकेगा, एस. सी. और एस. टी. को लाभ मिल सकेगा।

इसी तरह से, सभापति महोदय, जो चयन समितियां हैं, जो सलेक्शन करने वाली एजेंसीज हैं, चाहे बोर्ड है चाहे कमीशन है उसमें अगर इन कैटेगरी का आदमी नहीं होगा, कोई भी हो, चाहे शिड्यूल्ड कास्ट का हो, चाहे शिड्यूल्ड ट्राइब का हो, चाहे ओ. बी. सी. का हो, उस चयन करने वाली समिति में एक आदमी उस वर्ग का जरूरी होना चाहिये जिनको आरक्षण मिला हुआ है। जब तक यह नहीं होगा उनके हितों की रक्षा करने वाला वहां कोई नहीं है। वो ही मानसिकता वाले लोग वहां बैठे हुए हैं जो चाहते हैं कि यह लोग नहीं आएं। सभापति महोदय, आप ताज्जुब करेंगे कि इस आरक्षण का किस तरह से उल्टा असर हो रहा है पुलिस में कांस्टेबल में जो भर्ती होती है उसमें इस तरह से हो रहा है कि 50 प्रतिशत जनरल के लिए, 21 प्रतिशत शिड्यूल्ड कास्ट के लिए और 29 प्रतिशत बाकी दूसरे लोगों के लिए। तो क्या करते हैं कि पहले तो शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब के लोगों को ले लेते हैं, उसमें एग्जेक्टली उतना जितना है, उतने लोगों को लेंगे उसके बाद ओ. बी. सी. वालों को लेंगे और यह 50 प्रतिशत लेने के बाद उस 50 प्रतिशत को लेंगे, तो यह आरक्षण किसके लिए हुआ? यह उन लोगों के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण हो गया कि जो इसमें आते ही नहीं। आज शिड्यूल्ड कास्ट में कौन लोग आते हैं? आज कांस्टेबल की जो भर्ती होती है उसमें कौन आएंगे? या तो मार्शल कौम के लोग आएंगे जो ओ. बी. सी. में हैं, या शिड्यूल्ड कास्ट के आएंगे या शिड्यूल्ड ट्राइब के आएंगे, तो इनको तो बांध दिया कि आपके तो 21 प्रतिशत से ज्यादा आदमी नहीं आ सकते और वो 50 प्रतिशत उनको कर दिया जो पहले आते ही नहीं थे।

इस प्रकार यह उल्टा काम हो गया। होना यह चाहिये कि पहले जनरल में जो लोग आ जाते हैं तो उन लोगों को लेना चाहिये। अगर मैं जनरल में सलैक्ट हो जाता हूं तो मेरा जनरल में नम्बर आना चाहिये। अब जो जनरल में लोग आ सकते थे उनको कम कर दिया और उनको 21 प्रतिशत में लिमिट कर दिया कि यह आपकी सीमा है, इससे ज्यादा नहीं आ सकते। तो हमें तो नुकसान है। कई कैटेगरीज में नुकसान हो गया। इस तरह से मैं कहना चाहता हूं कि इस आरक्षण को विफल बनाने की यह जो कोशिशें हो रही हैं, मंत्रीजी, उनको आप रोकिये और दृढ़ता से रोकिये। अगर आप यह उम्मीद करें कि ब्यूरोक्रेसी इस काम को कर देगी, वह नहीं करने वाले। मैं आपको यह उदाहरण देकर इसलिए बता रहा हूं कि टीचर्स की अभी भर्ती हुई, टीचर्स की भर्ती में विज्ञापन में लिखा हुआ है कि 50 प्रतिशत भर्ती साधारण श्रेणी में अन्य लोगों के लिए है।

श्री शिवनाथ सिंह : सभापति महोदय, एक मिनट। माफ करिये, मैं समझ नहीं पाया। क्या माननीय सदस्य यह कहना चाहते हैं कि रिजर्वेशन कोटे में जो आ गये सो आ गये लेकिन 50 में उस श्रेणी का आदमी नहीं आएगा, क्या यही कहना चाहते हैं (व्यवधान) नहीं ऐसा नहीं है। 50 में रिजर्व श्रेणी के बाद में भी आ सकता तो वह आता है। आज ऐसी स्थिति है।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : वही मैं बता रहा हूं कायदा यह है कि (व्यवधान)

श्री सभापति : मेरा निवेदन यह है कि आप 30 मिनट से ज्यादा ले चुके हैं। मेरी बात सुनिये। वहां पर भी वही हो रहा है, टेल एंडर्स को मिलेंगे दो मिनट और जो अग्रणी हैं वो ले लेंगे 30 मिनट इसलिए सबको बराबर समय मिले। 11 बजने पर भी टेल एंडर्स को दो ही मिनट मिलेंगे इसलिए कृपा कर के समाप्त करिये।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : यह बात अब टीकम चन्दजी कान्त कह रहे थे तब किसी ने नहीं कहा। मैं पूरी डिमाण्ड पर पहली मर्तबा बोला हूं और कोई इर्रेलेवेंट नहीं बोला हूं।

श्री सभापति : मैंने तो समस्या आपके समक्ष रखी है कि टेल एंडर्स को दो मिनट मिलेंगे और आप 30 मिनट लेंगे, तो वही चीज यहां भी हो रही है।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : आप दो बजे तक चलाइये न, कौन मना कर रहा है।

श्री सभापति : खैर, चलाने वाले तो आप हैं, दो बजे तक चलाएं, मुझे क्या दिक्कत है, दो बजे तक चलाएं, रात को तीन बजे तक चलाएं पर वो चलता नहीं है। होता यह है कि बाद में यह कहा जाता है कि दो-दो मिनट में खतम कीजियेगा क्योंकि वो अग्रणी नहीं हैं, वो पिछड़े हैं।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : यह शुरू से ही लागू करिये न। अब आप सब को बराबर समय देते हैं।

श्री सभापति : इसलिए बराबर समय लीजियेगा। आप स्वयं को संयम रखना होगा, मैं क्या कर सकता हूं।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : एक पार्टी को तो आप (व्यवधान) एक पार्टी को घंटाभर देओ।

श्री महावीर प्रसाद जैन : सभापति महोदय, समय तो पूरा लेना चाहिये, कोई दिक्कत नहीं है पर मेरा निवेदन है कि इसमें किसी न किसी को आगे होना चाहिये। नसीराबाद से आने वाले माननीय सदस्य मंत्री भी रहे हैं और अगर इस प्रकार का कोई काम करते जिसमें अपनी ऐसी क्षमताओं को प्रदर्शित करते तो मैं समझता हूं हमारे सबके लिए मार्गदर्शन होता।

श्री सभापति : साधारण परम्परा यह है कि जो पहले....

श्री महावीर प्रसाद जैन : अपन सब उपदेश ही उपदेश दे रहे हैं, कोई आगे आ कर, जिसको भी अवसर मिले वो अपनी क्षमताओं का परिचय दे ।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : कटमोशन दिये हुए हैं हमारे ।

(18.00 बजे)

श्री सभापति : साधारण परम्परा यह है कि पहले और दूसरे नम्बर पर जो बोलते हैं उनको ज्यादा टाइम दिया जाता है बाकी सबको बराबर दिया जाता है । परन्तु अब यह दिक्कत है कि वे कहते हैं कि वे इतनी देर बोले मैं भी इतनी देर बोलूंगा । अब कृपया समाप्त करें ।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : ठीक है मैं खतम कर रहा हूं ।

श्री बनवारी लाल बैरवा : सभापति महोदय, ये तो हमारी पार्टी के टाइम में से ले रहे हैं । बात बहुत अच्छे तरीके से कह रहे हैं कहने दीजिये इनको ।

श्री सभापति : कोई बात नहीं मुझे क्या एतराज है ? सदन का टाइम है । पार्टी के टाइम से क्या बात है ।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : सभापति महोदय, इन्होंने जो प्रश्न उठाया है वह बहुत सीधा है और उसमें न्यायालय से भी निर्णय हो चुका है । अगर कोई परीक्षार्थी जनरल श्रेणी में आता है और वह शिड्यूल्ड कास्ट का है तो उसे जनरल में माना जाएगा और शिड्यूल्ड कास्ट की जगह है उसमें अलग से माना जाएगा । लेकिन इसको ये लागू नहीं कर रहे हैं । ये क्या करते हैं कि जैसे मैं आ गया जनरल में, मेरे को उधर से निकाल कर शिड्यूल्ड कास्ट वालों में ले जाएंगे जो जनरल वाले हैं, जो अपर क्लास वाले हैं उनको ले आएंगे मेरी जगह । यह व्यवस्था बदलनी चाहिए । यह मैं कहना चाह रहा था ।

इसी तरह का कल एक प्रश्न था । सभापति महोदय, आपने भी देखा होगा कि न्यायिक सेवाओं में चार साल हो गये, चार साल से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं कि न्यायिक सेवाओं में भी यह आरक्षण दिया जाए जिसे नहीं दे रहे हैं, अभी तक नहीं दे रहे हैं । पहले भी हुआ है, कई बार उठा चुका हूं और जब तक न्यायिक सेवा में आरक्षण नहीं दिया जायेगा तो कौन फैसला करेंगे । फैसला करने वाले वो ही लोग हैं जो एक मानसिकता से ग्रस्त हैं । इसलिए मेरा मंत्रीजी से आग्रह है कि वह न्यायिक सेवाओं के आरक्षण में जो विलम्ब हो रहा है, उस विलम्ब को, समाज कल्याण मंत्री जी, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, चार साल हो गये, चार साल में आप न्यायिक सेवाओं में आरक्षण ओ.बी.सी. वालों को नहीं दिला सके । तो अब कब दिलाओगे ? आप चले जाओगे तब ?

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि यह आरक्षण का लाभ लोगों को वास्तव में मिले तो एक तो आप मानीटरिंग की व्यवस्था करें और दूसरा, जो इसमें विफल हों, आरक्षण के जो प्रावधान हैं, बैकलाग है, जो इसे जानबूझकर

(श्री गोविन्द सिंह गुर्जर)

नहीं भरे उसको दण्ड का प्रावधान करें ताकि उन लोगों को पनिशमैंट का जब डर होगा तब वह इन सब कामों को करेंगे। आपने समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री बद्री प्रसाद गुरुजी—(अनुपस्थित)

श्री बद्री प्रसाद गुरुजी : मैंने मना कर दिया न। एबसेन्ट नहीं हूं।

श्री सभापति : बोलना नहीं चाहते ?

श्री बद्री प्रसाद गुरुजी : नहीं-नहीं. सचेतकजी ने मना कर दिया।

श्री सभापति : श्रीमती तारा भण्डारी।

श्री शिवनाथ सिंह : समाज कल्याण से आपका क्या लेना देना है ?

श्रीमती तारा भण्डारी (सिरोही) : मेरा पूरा लेन-देन है। समाज कल्याण में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाएं सभी आते हैं। पूरा लेन देन है। सारा कमजोर वर्ग और महिला भी इसमें शामिल है।

सभापति महोदय, आज अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े और अगड़े वर्ग के बारे में विधान सभा में एक अच्छी बहस चली है। मैं कहना चाहूंगी कि जिस प्रकार की बहस हुई इसमें हमें जरा यह सोचना पड़ेगा कि आखिर इसमें कारण क्या है। आज अनुसूचित जाति के लोग हों, जनजाति के लोग हों, पिछड़े हों या अगड़े हों। जैसे हमारे शरीर के हाथ-पैर अंग हैं इसी प्रकार से ये सभी वर्ग हमारे अभिन्न अंग हैं, आपस में लड़ने के लिए नहीं, समन्वय करने के लिए हैं और जब तक सभी वर्गों का विकास नहीं होगा, हमारे राष्ट्र की उन्नति नहीं होगी और इसीलिए ठीक कह रहे थे हमारे पूर्व वक्ता भाई शांतिलालजी जो राजसमंद से आते हैं कि आज सोच बदलने की जरूरत है। अभी कुछ अनुसूचित जाति के भाइयों ने भी अपना रोष व्यक्त किया, जनजाति के भाइयों ने भी किया और मैं भी बता सकती हूं आपको कि हम भी सभी वर्गों में घुमते हैं। आज मेरा बेटा पढ़ाई छोड़कर बैठ गया। मैंने बेटे से बार-बार पूछा कि पढ़ाई क्यों छोड़ते हो, पढ़ाई तो करो। बोला क्या करना है नौकरी तो मिलने वाली है नहीं। इस प्रकार का आज जो भ्रम है, संदेह है सभी के अन्दर है। न कोई अकेले अनुसूचित जाति में है और न जनजाति में है बल्कि सभी वर्गों में है।

सवाल आज यह है कि हम सब इस सर्वोच्च संस्था में जहां चुनकर आये हैं वहां कुछ ऐसा प्रयास किया जाए कि समाज के सभी वर्ग वर्गभेद भुलाकर आगे बढ़ने की कोशिश करें। सभापति महोदय, मैं धन्यवाद देना चाहूंगी राजस्थान सरकार को, मुख्य मंत्रीजी को और हमारे अनुसूचित जाति के मंत्रीजी को, इन्होंने सबने बहुत प्रयास किये हैं कि अनुसूचित जाति–जनजाति का

(श्रीमती तारा भण्डारी)

कुछ न कुछ विकास हो। वर्षों से जो लोग पिछड़े रहे हैं, वर्षों से जो शोषित रहे, पीड़ित रहे और दलित रहे। यह बात सत्य है सभापति महोदय। उदाहरण दिये जा सकते हैं और यहां तक उदाहरण है कि हमारे क्षेत्र में तो शिड्यूल्ड कास्ट के लोगों के गले में मटकी बांध दी जाती थी कि थूकना हो तो भी उसमे थूके। लेकिन आज वह कटुता याद करने का दिन नहीं है।

आज हमें याद करना है भारत के उस भविष्य को और हम किस प्रकार से सबको साथ लेकर चलें, इसकी आवश्यकता है। तो यह बहुत पिछड़ा वर्ग है, वर्षों से दलित रहा, शोषित रहा। इनके लिए बहुत काम किये हैं माननीय दिलावरजी ने। दिलावरजी को एक बार तो धन्यवाद देना चाहूंगी, क्योंकि ये स्वयं जाते हैं आकस्मिक निरीक्षण करते हैं कि होस्टल में बच्चे को खाना कैसा मिलता है, कैसा नहीं मिलता है। इन्होंने कई बार प्रयास किये और तरह तरह के काम करके उदाहरण प्रस्तुत किये और इतनी लम्बी सूची है आज समाज कल्याण विभाग की जो कल्याणकारी योजनाओं की सूची है, सभापति महोदय, मैं सूची तो आपको पूरी नहीं गिना सकती लेकिन इन्होंने काफी अच्छे काम किये हैं।

छात्रावास मे रहने वाले बच्चों को बहुत कम रुपया पर हैड मिलता था। हमारी सरकार ने इसको 450 रुपये किया। मैं यह नहीं कहती कि बहुत बड़ा काम कर दिया। आज जिस प्रकार से मंहगाई बढ़ रही है, 450 रुपये भी बहुत कम हैं। उनका जीवन स्तर सुधारना है तो 450 रुपया भी बहुत कम है लेकिन जो किया, काफी अच्छा किया।

इसके साथ-साथ विधवाओं की बेटियों की शादी होती थी तो भी पांच हजार रुपये का अनुदान देने का इन्होंने प्रावधान किया। सभापति महोदय, दोनों वर्गों में समन्वयता बढ़े, आपसी तालमेल बढ़े इसलिए इन्होंने अन्तरजातीय विवाह को भी प्रोत्साहन दिया और अन्तरजातीय विवाह करने वाले व्यक्ति को भी पांच हजार का अनुदान दिया। मैं आपको बताना चाहूंगी कि विकलांगों की तरफ तो कोई नहीं देखता। यह समाज कल्याण का ही कार्य है इन्होंने इस बार विकलांगों की प्रतियोगिता भी आयोजित की, मैच करवाये। यह एक बढ़ता हुआ कदम है हमारा सभापति महोदय। इन सब वर्गों के उत्थान की योजना बहुत बनायी इन्होंने और बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं। कई सारे शिशु गृह चल रहे हैं, कई सारे निराश्रित गृह चल रहे हैं, बाल गृह चल रहे हैं, और महिला सदन भी चल रहे हैं। सभापति महोदय, कमियां निकालना शुरू करें तो उसका अन्त नहीं आयेगा, क्योंकि समाज कल्याण के कार्यों की बहुत लम्बी सूची है लेकिन जो कुछ किया है वह सराहनीय है। करने की इच्छा है और मैं समझती हूं कि हम सभी मिलकर अच्छे-अच्छे सुझाव देंगे तो इसमें और प्रगति होगी।

सभापति महोदय, मैं हमारे समाज कल्याण मन्त्रीजी के ध्यान में एक बात लाना

224

(श्रीमती तारा भण्डारी)

चाहूंगी। इनके यहां से कई सारी अनुदानित संस्थाएं चलती हैं। मैंने सुबह भी एक संस्था की बात उठायी थी तब हल्ला हो गया था पर फिर मुझे कहना पड़ेगा कि उनकी एक सोसायटी है बाल रश्मि सोसायटी और उसमें निराश्रित बच्चों को भी रखते हैं और इनके लिए अनुदान भी सरकार से प्राप्त कर रहे हैं। उस सोसायटी की संचालिका है+++ (व्यवधान) बिलकुल नाम बोला जाएगा, क्योंकि वे उसकी संचालिका हैं और उसके दस्तखतों से अनुदान प्राप्त किया जाता है। उसने ऐसे-ऐसे काम किये हैं, मेरे पास फरियादें हैं, बहुत सारे विधवाओं के प्रार्थना-पत्र हैं। एक विधवा श्रीमती अशोक देवी है। उसकी शादी होते ही चार-पांच साल में उसके पति गुजर गये लेकिन उसमें उसका क्या दोष ? लेकिन उसके साथ सास-श्वसुर ने उसको प्रताड़ित किया कि तू मेरे बेटे को खा गयी।

सभापति महोदय, उसके दो-दो बच्चियां हैं लेकिन +++ के साथ षड्यंत्र करके अपने बाल गृह के दो बच्चे फोस्टर केयर में दे दिये और फोस्टर केयर में एक लड़की 12 वर्ष की सोनिया और एक लड़का दे दिया 7 वर्ष का कैलाश। सभापति महोदय, आगे आपको कहना चाहूंगी कि थोड़े दिन बाद वह 12 वर्ष की सोनिया कहां गयी, कैसे हुआ और कहां है ? आज उसका अता-पता नहीं। मेरा यह आरोप है कि +++ उसको बेचकर खा गयी। सभापति महोदय, मेरा आरोप है। उसके बाद एक और लड़की उसी +++ को दे दी मंगला नाम की।

मुझे समझ में नहीं आता फोस्टर केयर में देने, इनके यहां के साफ कानून हैं, प्रावधान है, मैं पढ़कर सुना देती हूं कि नियमानुसार शिशु गृह से फोस्टर केयर में 6 वर्ष से पूर्व आयु के बच्चों को दे दिया जा सकता है, 6 वर्ष पूर्ण होने पर बालकों को निराश्रित बाल गृह में स्थानान्तरित करना पड़ता है। 6 वर्ष के बाद यह फोस्टर केयर में नहीं दे सकते। इन्होंने बारह वर्ष की लड़की फोस्टर केयर में दे दी। सात वर्ष का बच्चा दे दिया। जब एक लड़की गायब हो गयी तो एक मंगला नाम की लड़की और दे दी। जांच करायी है समाज कल्याण विभाग ने। मेरे पास इनकी जांच रिपोर्ट की प्रतियां हैं चाहें तो मैं सदन के पटल पर रख सकती हूं। इनके बाल अधिकारियों ने जांच की है उस बारे में और उनकी साफ स्पष्ट शब्दों में रिपोर्ट है कि सोनिया कहां गयी, मालूम नहीं। कैलाश और मंगला की हालत इतनी खराब है कि नौकरों से गयी गुजरी दशा में वह लोग उनको रख रहे हैं।

सभापति महोदय, मैं आपको कहना चाहती हूं जब समाज कल्याण विभाग यह जानता है कि बच्चों की सूची इनके पास नहीं है। वह +++ जब भी जांच करने

+++ शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्रीमती तारा भण्डारी)

जाते हैं तो बच्चों की संख्या नहीं बताती, उनकी सूची नहीं बताती। कोई रिकार्ड नहीं। कहीं से बच्चे लाती है किसी को दे देती है। लोगों को ब्लैकमेल करती है। आज वह अशोक देवी जो महिला है विधवा, उसके श्वसुर मर गये, पति पहले ही मर गये थे, दो-दो बेटियां हैं। आप जानते हैं, आप कानून के जानकार हैं, सभापति महोदय, कि अगर किसी की पोतियां या पोते हों तो उनके वारिस के हकदार, उनके वारिसान वह पोते–पोती होते हैं लेकिन यह +++ दस–दस, पन्द्रह-पन्द्रह लोगों को ले जाकर उस विधवा को रोज सताती है कि तुझे भीख मंगवा कर छोड़ूंगी, तुझे इस प्रोपर्टी से बेदखल करूंगी और उसने षड्यंत्र करके, सभापति महोदय, तीन चार बार इन बच्चों को वारिसान हक दिलाने के कोर्ट में केस भी किये और हर बार उनका केस खारिज हुआ। केस खारिज की मेरे पास प्रति है।

श्री रघुवीर सिंह (सराड़ा) : यह बात तो सुबह भी हो गयी।

श्रीमती तारा भण्डारी : यह बात सुबह नहीं हुई।

श्री रघुवीर सिंह : हमें पूछने का अवसर मिलेगा कि नहीं मिलेगा ?

श्री सभापति : माननीय सदस्य, यह बात सवेरे नहीं हुई थी। सवेरे दूसरी बात हुई थी। आपने ध्यान नहीं दिया। (व्यवधान)

श्री रघुवीर सिंह (सराड़ा) : हमें बोलने का हमारा नम्बर आएगा कि नहीं आएगा आप कह दीजिये।

श्री सभापति : मैंने व्यवस्था दे दी सवेरे यह बात नहीं थी। आएगा, आएगा नम्बर। बिराजें।

श्रीमती तारा भण्डारी : समाज कल्याण में महिला कल्याण, विधवाओं और परित्यक्ताओं का सबका मामला आता है। यह एक विधवा अशोक देवी का मामला है। जिसको रात-दिन +++ परेशान करती है तथा अपने साथ ऐसे भाड़े के टट्टुओं को लेकर जाती है और उसको कहती है कि तू यहां से निकल जा, वर्ना तेरे को भीख मंगवाकर छोड़ूंगी, तेरी दशा खराब करूंगी। मैं समाज कल्याण मंत्री जी से कहना चाहती हूं कि आपने यह जांचें करायी, आपके बाल अधिकारी ने जांच की है और रिपोर्ट साफ–साफ दी है कि कोर्ट में भी फर्जी मामले पेश हुए और इन बच्चों की जिन्दगी बिगड़ रही है। वहां कौनसा उनको सुख है। वह तो सारा बच्चों के माध्यम से भी ब्लैकमेल करती है। बच्चे तो नौकरों की तरह रह रहे हैं उनके सेठों के घर में। उनकी क्या जिन्दगी बन रही

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्रीमती तारा भण्डारी)

है; बच्चों की जिन्दगी खराब हो रही है, विधवा की जिन्दगी खराब हो रही है। ऐसी संस्था की, सभापति महोदय, जांच करनी चाहिये और मैं मांग करती हूं जब समाज कल्याण मंत्री जी इसका जवाब दें, अक्सर ऐसी अनुदानित संस्था जो सरकार का अनुदान ले रही है, जो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है, जो संस्था लोगों का भविष्य उजाड़ रही है, उसके बारे में इनकी क्या मान्यता है क्या सोच है, मैं चाहती हूं इसका जवाब दें।

सभापति महोदय, मैं दो–चार सुझाव देकर अपनी बात पूरी करूंगी। मुझे लम्बी बात कहने की आदत नहीं। सभापति महोदय, मैंने कटौती प्रस्ताव दिये थे कुछ। हमारे समाज कल्याण मंत्री जी ने बहुत अच्छा प्रिंट करवाकर इसका जवाब भी दिया। मेरा कटौती प्रस्ताव था कि शिवगंज नगर में अनुसूचित जाति के छात्रों के लिये स्वीकृत छात्रावास का पिछले तीन वर्ष से निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं करने से उत्पन्न स्थिति की समस्या के लिये। उत्तर आया, वर्ष 1995 में छात्रावास में भवन निर्माण की स्वीकृति जारी की गयी जिसके विरुद्ध आवास विकास संस्थान को 3.88 लाख रुपये दिये गये। विभाग ने आवास विकास संस्थान को कार्य त्वरित गति से पूर्ण करने हेतु निर्देश दिये।

सभापति महोदय, 1995 में स्वीकृति हो गयी, आवास विकास संस्थान को पैसे भी दे दिये और माननीय समाज कल्याण मंत्री हमारे शिवगंज गये, उस छात्रावास की हालत देखी। जहां बच्चे आज जर्जर स्थिति में रह रहे हैं। वहां सांप, बिच्छू निकल जाते हैं। कभी भी वह छात्रावास गिर सकता है। आज 1995 के बाद 1998 आ गया। आवास विकास संस्थान ने वह काम प्रारम्भ नहीं किया तो यह जिम्मेदारी किसकी है ?

सभापति महोदय, एक काम नहीं, मैं आपको दस काम गिना सकती हूं आवास विकास संस्थान के दस काम जो हमारे जिले के भी हैं। समाज कल्याण ने पैसे दे दिये, काम एक प्रारम्भ नहीं किया। जनजाति छात्रावास शिवगंज, उसके रुपये दे दिये, काम शुरू नहीं हुआ। अनुसूचित जनजाति अचपुरा, रुपये आवास विकास संस्थान को दे दिये, काम शुरू नहीं हुआ। अनुसूचित जनजाति छात्रावास निचलाघर रुपये 1 लाख, 76 हजार, 885 आवास विकास संस्थान को 30–1–95 को दिये, काम शुरू नहीं किया ! अनुसूचित जनजाति छात्रावास आबू रोड, आवास विकास संस्थान को पैसे दे दिये। अनुसूचित जनजाति छात्रावास सिरोही, अनुसूचित जाति छात्रावास आबू रोड, अनुसूचित जाति छात्रावास सिरोही, अनुसूचित जाति छात्रावास रेवदर, अनुसूचित जाति छात्रावास फिर सिरोही। लगातार इन छात्रावासों के पैसे पिछले 1995-96, 1997-1998 में दिये गये। एक भी काम आवास विकास संस्थान से शुरू नहीं किया। मैं पूरी बात करती हूं....

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

(श्रीमती तारा भण्डारी)

अभी दो मिनट में । तो, यह जिम्मेदारी किसकी है । छात्रावास के लिये पैसा भी दे दिया, इनकी मंशा भी है बच्चे अच्छे वातावरण में रहें । तो आखिर उसका निर्माण कौन कराएगा ? मैंने बार-बार सम्पर्क किया है इनके अधिकारियों से भी बात की है, तीन साल से कह रही हूं लेकिन अभी तक काम शुरू नहीं हुआ ।

एक सवाल और है, सभापति महोदय, जो कटौती प्रस्ताव का जवाब है वह जवाब तो बहुत सुन्दर दिया है इन्होंने । मैं आपको बताना चाहती हूं कालन्दरी गांव में अनुसूचित जाति के छात्रों हेतु नवीन भवन उपलब्ध होने के बावजूद पिछले तीन वर्षों से छात्रों को किराये के भवन में रहना पड़ता है । सभापति महोदय, जवाब दिया है, कालन्दरी छात्रावास का भवन 1992 में नवोदय विद्यालय को उपयोग हेतु दिया गया था जिसमें यह शर्त रखी गयी थी कि विभाग को वापस सही स्थिति में संभलाएंगे । भवन में मरम्मत की आवश्यकता है । अभी तक उसको कब्जे में नहीं लिया । सभापति महोदय, 1992 में नवोदय को जब इन्होंने भवन दिया तो यह शर्त तय हुई, यह बात सही है लेकिन 1995 में नवोदय का अपना भवन तैयार हो गया और इनके अनुसूचित जाति के छात्रावास में जो नवोदय विद्यालय चलता था वह अपने भवन मे शिफ्ट हो गया । अब इनका छात्रावास जो नया निर्माण हुआ था, वह कुछ तोड़-फोड़ करके चले गये, मरम्मत नहीं करायी, इसके लिये पड़ा है । उसकी मरम्मत की कोई व्यवस्था नहीं । कलक्टर नवोदय के भी चेयरमैन होते हैं । राज्य सरकार के मातहत हैं कलक्टर । आज तीन-तीन वर्ष हो गये, सभापति महोदय, गांव के लोग उस भवन का पैसा किराये के रूप में भर रहे हैं जहां पर आज अनुसूचित जाति के छात्र पढ़ रहे हैं क्योंकि गांव ने एक अनुबंध किया था कि हमारे यहां अगर नवोदय विद्यालय आता है तो हम इन बच्चों को किराये के भवन में रखेंगे तो उसका किराया गांव भुगतेगा ।

सभापति महोदय, 1992 से लगातार 1998 आ गया, गांव किराया भरता है उस छात्रावास का । तो एक तो गांव के ऊपर बेवजह भार पड़ रहा है । दूसरा, हमारा नया छात्रावास तो खराब हो रहा है और बच्चे उसी पुराने छात्रावास में रह रहे हैं । तो, यह जिम्मेदारी किसकी है ? उस भवन की मरम्मत करवाकर अपने अधिकार में नहीं लेना है क्या । इस प्रकार अनुसूचित जाति के छात्रावासों के साथ जो ध्यान देने की बात है वही मैंने दिलवाया है । मैं एक धन्यवाद देना चाहती हूं कि जनजाति उप योजना क्षेत्र में 1 से 6 तक की नौकरियों में 45 प्रतिशत सरकार ने आरक्षण दिया, बहुत अच्छी बात है क्योंकि आप तो आदिवासियों को 1 से 6 से ऊपर मानते ही नहीं, 1 से 6 से ऊपर की नौकरी वह कर नहीं सकते इसलिये उनको आपने 45 प्रतिशत दिया, वह भी ठीक किया, इतना तो दिया । लेकिन, सभापति महोदय, हमारे क्षेत्र में एस. सी. के लोग भी बहुत हैं, सिरोही में, जालोर में, उदयपुर में, राजसमन्द में बहुत सारे लोग

(श्रीमती तारा भण्डारी)

हैं। हमारे यहां तो सीटें भी एस. सी. की हैं, जालौर, सिरोही लोकसभा सीट भी एस. सी. की है। लेकिन किया क्या है? साढ़े सत्रह प्रतिशत एस. सी. का जो नौकरियां देने का प्रावधान था, उधर तो 45 कर दिया और यहां घटाकर पांच प्रतिशत ले आये। यह अन्याय है, सभापति महोदय, यह अन्याय है। एस. सी. और एस.टी. में भी वर्ग भेद उत्पन्न करने की स्थिति आप कर रहे हैं और यह असंवैधानिक निर्णय है। इस पर सरकार को विचार करना चाहिये कि अगर पहले साढ़े सत्रह प्रतिशत था, आप बढ़ाकर बीस प्रतिशत नहीं करते हैं, ठीक बात है लेकिन कम से कम इसको पांच प्रतिशत तो नहीं करिये।

मैं महिलाओं के सम्बन्ध में एक-दो बाते निवेदन करके अपनी बात समाप्त करती हूं। लम्बा नहीं करूंगी (व्यवधान) मैं आपकी भावना को (व्यवधान) स्पेशल पैकेज मैं जानती हूं उप योजना क्षेत्र, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि एस. सी. को कुछ नहीं देंगे।

सभापति महोदय, राज्य महिला आयोग के गठन की पिछले कई सालों से मांग की जा रही है। हम भी जब तक सदन में कहते हैं कि महिला अत्याचार को रोकने, महिलाओं की सुनवाई करने के लिये आप महिला आयोग का गठन कीजिये। सरकार ने कई बार आश्वासन भी दिया। वायदे भी किये, लेकिन आज दिन तक महिला आयोग का गठन नहीं हुआ। जब हमारा राष्ट्रीय महिला आयोग है, अन्य राज्यों में भी महिला आयोग के गठन हुए तो राजस्थान में क्या समस्या आ रही है कि महिला आयोग का गठन नहीं होता।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से महिला बाल कल्याण मंत्रीजी को, समाज कल्याण मंत्रीजी, सबसे कहना चाहूंगी कि इस राज्य में भी महिला आयोग का गठन करवाएं तो महिलाओं की सुनवाई होगी, नहीं तो महिलाओं की हालत क्या है? हमारी मंत्रीजी स्वयं सिरोही पधारी थीं। इन्होंने हमारे यहां द्वाकरा योजना की घोषणा की, हमने खूब तालियां बजायीं लेकिन आज तीन साल हो गये द्वाकरा में एक भी स्टाफ नहीं लगाया। हमारे यहां द्वाकरा की कोई उन्नति नहीं मंत्री महोदया, उसका स्टाफ लगाइये। तब हमारी महिलाओं का आर्थिक स्तर बढ़ेगा।

सभापति महोदय, हमारी महिलाओं के ऊपर बहुत अत्याचार होते हैं। यह पुरुष लोग, उसमें किसी की कैटेगिरी नहीं है, सारा पुरुष वर्ग एक है। वह लोन ले लेते हैं। लोन में घर गिरवी रख दें, जमीन गिरवी रख दें, जो मर्जी आएं जो करें। महिलाओं को तो पता नहीं चलता। वह लोन लेकर दारू पी जाते हैं और दारू पीने के बाद असमय उनकी मौत होती है। उनकी मौत के बाद उन विधवाओं की हालत बड़ी खराब है। एक तो घर का कमाने वाला चला गया। पति चला गया और फिर बैंक वाले आते हैं, कुर्की करके उनके घर और जमीन से बेदखली करते हैं। यह बहुत संवेदनशील इश्यु है मैं माननीय समाज

(श्रीमती तारा भण्डारी)

कल्याण मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं कि लोन देने की जो प्रक्रिया है, जैसे कि आपने इंदिरा आवास में महिला प्रमुख बनाया है। महिला के नाम पर ही इंदिरा आवास मंजूर होते हैं। ऐसे ही लोन देने में भी महिला की सहमति को भी आवश्यक कर दीजिये। वरना आदमी लोग पैसा खा गये, पी गये, उड़ा गये, दारू पी गये, चाहे कुछ कर लिया, लेकिन उसके मरने के बाद उसकी पत्नी उसके बच्चों को पाले, अपना छप्पर ठीक रखे, उसकी जमीन को बचाए क्या क्या करे बहुत बड़ी मुश्किल आती है। सभापति महोदय, आपने मुझे समय दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री रतन लाल ताम्बी।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) : माननीय सभापति महोदय, आज मांग संख्या 30 और 33 के माध्यम से समाज में उपेक्षित, पीड़ित और शोषित वर्ग के कल्याण के लिये हम चर्चा करने जा रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, इस देश में आजादी के आन्दोलन के समय से ही नेताओं ने इस प्रकार के समुदाय के उत्थान के लिये चिन्तन किया और सोच के आधार पर जब वह शासन में आरूढ़ हुए तो सबसे पहले महात्मा गांधी की प्रेरणा और पंडित नेहरू के प्रधान मन्त्रित्वकाल में हमारे देश के उस समय के केबिनेट मंत्री अम्बेड़कर साहब को यह जिम्मेदारी दी और उन्होंने एक संविधान बनाकर देश में ऐसे वर्गों की सुरक्षा और उनके कल्याण के लिये योजनाबद्ध तरीके से संवैधानिक गारंटी देने का जो प्रयास किया है उसी का प्रतिफल है कि इस आजादी के बाद इस देश में इस वर्ग का जो वर्षों से, सदियों से शोषित और पीड़ित रहा उसके उत्थान का क्रम शुरू हुआ। देश में ऐसी अनेक कल्याणकारी योजनाएं उनके लिये बनीं जिनके माध्यम से वह विकसित हो आगे बढ़ें, समाज के अन्य वर्गों के समकक्ष खड़े हों। बहुत सारी चर्चाएं इस समय हुईं। मैं इतना ही कहना चाहता हूं योजनाएं उनके लिये अच्छी बनी, प्रावधान भी बहुत होता है परन्तु उसका समुचित ढंग से उपयोग नहीं होने से जितनी उनकी तरक्की होनी चाहिये, आर्थिक दृष्टि से उनका स्तर बढ़ जाना चाहिये, शैक्षणिक और सामाजिक दृष्टि से जो आगे बढ़ना चाहिये, उतनी उसमें उपलब्धि नहीं मिली, यह हम सबके लिये एक चिन्ता का विषय है।

मैं समझता हूं न इसमें कोई राजनैतिक सवाल है। सवाल इस बात का है कि समाज में जो पिछड़े लोग हैं वह कैसे योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ें और जहां कहीं भी इनकी योजना ठीक प्रकार से क्रियान्वित नहीं हो रही हो और जो वास्तव में हकदार है उनको पूरे तौर से सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो रही है, उसको देखने की आज सबसे बड़ी आवश्यकता है। यह कहता हुआ मैं अपने क्षेत्र की बात शुरू करना चाहता हूं।

230

(श्री रतनलाल ताम्बी)

मेरे क्षेत्र में मांडा योजना के अन्तर्गत करीब 113 गांव आते हैं और शिड्यूल्ड कास्ट की दृष्टि से भी करीब 26,000, 27,000 के आसपास जनसंख्या उस इलाके में होती है। उनके शैक्षणिक विकास के लिये लगातार हम सबने प्रयत्न किया। काफी वर्षों से हमारी आवश्यकताएं इस बारे में रही। तत्कालीन सरकारों ने 1960 और 58 में स्व. माणिक लालजी वर्मा का इस मौके पर स्मरण करना मैं उचित समझता हूं। इन्होंने उस क्षेत्र के जनजाति विकास के लिये, शिड्यूल्ड कास्ट के लोगों के लिये और विमुक्त जातियों के लिये हमारे इलाके में, मैं भी उनके साथ कार्यकर्ता के रूप में चला करता था काफी काम किया और उस समय छात्रावास स्थापित किये और दूसरी कई कल्याणकारी योजनाएं चलीं। आदरणीय श्री मीणा भाईजी साहब भी यहां विराजमान हैं, इनका भी उस समय हमारे क्षेत्र में काफी सहयोग रहा। यह भी हमारे क्षेत्र में कई बार गये। योजनाएं और छात्रावास स्थापना में हम इनको भी नहीं भूल सकते।

मैं निवेदन आपके माध्यम से करना चाहता हूं सन् 58 में जहाजपुर में राजस्थान आदिम जाति सेवक संघ जिसके स्वयं माणिक्य लालजी वर्मा अध्यक्ष थे और हरिदेवजी जोशी, मीणा भाई जैसे व्यक्ति इस संगठन में थे। उन्होंने एक अच्छे रूप में काम शुरु किया। सन् 60 के बाद आज तक वह छात्रावास उसी स्थिति में हैं। जहां पर 60 छात्रों की संख्या निर्धारित है। हम लगातार मांग कर रहे हैं कि वहां 60 के बजाय 100 छात्र होने की आवश्यकता है। तो मैं चाहूंगा कि इस प्रकार जो जागृति पैदा हुई है पढ़ने की, बड़ी भीड़ प्रवेश के समय उपस्थित होती है। बड़ी तकलीफ रहती है, लड़के पढ़ना चाहते हैं, मगर हम पूरी सुविधा मुहैय्या नहीं कर पाते। इसलिये मैं सुझाव देना चाहता हूं, जहाजपुर में जो अनुदानित छात्रावास राजस्थान आदिम सेवक संघ चलाता है उसमें 60 के स्थान पर 40 छात्र और बढ़ाकर 100 किये जाने चाहिये। पंडेर जहां पर विमुक्त जनजाति का छात्रावास सन 60 से चलता है। 71 छात्र वहां निर्धारित हैं। लगातार हम मांग करते आ रहे हैं 29 और बढ़ाए जाएं। इसी तरह मकरगढ़ में जहां मात्र 25 छात्र हैं, वहां पर 25 छात्र और बढ़ाने की मांग बराबर करते आ रहे हैं,। पारोली में 35 छात्र हैं वहां 25 की और मांग कर रहे हैं।

सभापति महोदय, हमारे क्षेत्र में जनजाति बालिका का एक मात्र छात्रावास है। इस साल भी भर्ती का सवाल था। वहां 50-60 बालिकाएं इकट्ठी हो गयीं और उसकी स्ट्रैंथ ओनली 25। जहां जनजाति में बालिकाओं में एक जागृति पैदा होती है, वह पढ़ना चाहती हैं मगर सरकार उनको सुविधा उपलब्ध करे, यह मेरा खास तौर से निवेदन है। इन छात्रावासों में जैसा अभी सिरोही से आने वाली माननीय सदस्या ने जिक्र किया पंडेर में भी जो आवास विकास संस्थान बना हुआ है उसको एक छात्रावास के लिये स्वीकृति ढाई साल पहले दी गयी। ढाई साल पहले मंत्रीजी

(श्री रतनलाल ताम्बी)

गये थे। 10-15 आदमी उपस्थित हुए, शिलान्यास का पत्थर लगाकर आ गये। उसके बाद ढाई साल से वह पत्थर इंतजार कर रहा है, आवास विकास संस्थान आज तक छात्रावास का निर्माण नहीं कर पा रहा है। सकरगढ़ और पारोली में जमीन मांगी गयी। विभागों को दे दी गयी। देने के बाद भी आज तक स्वीकृति नहीं हुई। मैं समझता हूं कि स्वीकृति की जाना बहुत आवश्यक है। हमारे एक क्षेत्र में जहां पर 95 प्रतिशत जनजाति के लोग रहते हैं।

(18.29 बजे)

(श्री समर्थलाल मीणा, अध्यक्ष, पदासीन)

जहां पर 95 प्रतिशत भूतपूर्व सैनिक परिवार रहते हैं कोटा नेशनल हाईवे रोड़ पर कीकर ग्राम स्थित है। जहां कि बालिकाएं आज भी साइकिल से 33, 35, 60 किलोमीटर तक भी देवली पढ़ने जाती हैं, मेरा निवेदन यह है कि वहां पर बालिका छात्रावास स्थापित किये जाने की आवश्यकता है और सेकेंडरी स्कूल तक वहां व्यवस्था मौजूद है।

इसी तरह धौल वहां जनजाति क्षेत्र का एक बीच में बहुत प्रमुख स्थान है। अच्छा मेला भरता है, बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, वहां पर एक आश्रम स्कूल और छात्रावास की आवश्यकता है।

इसी तरह खजूरी हमारे एक बड़ा गांव है। उसके मध्य में काफी आस-पास गांव हैं। वहां आस-पास शिड्यूल्ड कास्ट की काफी जनसंख्या है। वहां छात्रावास की मांग है। आश्रम स्कूल हमारे क्षेत्र में जो एक लुहाइकला में चलता है। बहुत अच्छा चलता है। उससे पिछले 12-13 साल से काफी लाभ मिल रहा है। मैं जनजाति मंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहूंगा पीपलूंद और घोद में यह नये आश्रम स्कूल स्थापित करें जिससे उस क्षेत्र की जनता को काफी लाभ मिल सकेगा।

मैं इस समय एक निवेदन करना चाहता हूं कि आई.आर.डी.पी. हो, चाहे आपका यह विधवाओं को पेंशन, गर्भवती महिलाओं को और कई प्रकार की जो आपकी योजनाएं हैं। ये योजनाएं बहुत अच्छी हैं। भारत सरकार भी पैसा देती है, राजस्थान सरकार भी पैसा देती है परन्तु योजनाओं का जो पैसा उन लोगों को मिलना चाहिए वह सही ढंग से नहीं मिलता है। कई बार आपको लिखना पड़ा है, परन्तु पैसा नहीं मिलता है यह भी आम तौर पर शिकायतें आती हैं तो इसके लिए आप मैं समझता हूं कि पंचायत समिति लेवल पर आप एक ऐसी कमेटी बनायें जिसमें एस.डी.ओ. हो, तहसीलदार हो, विकास अधिकारी, प्रधान, विधायक 6-7 व्यक्ति मिलकर महीने में एक बार बैठें, दो महीने में बैठें और सारे जितने भी फार्म आयें और पैंडिंग जितने भी हों उनकी जांच करके स्वीकृति करें। उसके बाद उनका भौतिक सत्यापन भी लगातार होता रहे। उनको जो पैसा वास्तव में मिलता है उसको पूरी तरह से देखने की आवश्यकता है।

मैं जनजाति मंत्री महोदय से निवेदन

(श्री रतनलाल ताम्बी)

करना चाहता हूं कि माडा की आपने मीटिंग बुलाई। प्रारम्भ में काफी उत्साह दिखाया और उससे थोड़ी गति भी इस कार्यक्रम ने पकड़ी। पर उसके बाद साल-डेढ़ साल से उस कार्यक्रम के बारे में जिस तरह से मीटिंगें करके योजनाओं पर चर्चा करते थे। बजट पर चर्चा करते थे कई सुझाव, प्रस्ताव लेते थे। आपने उस योजना को समाप्त करके अच्छा नहीं किया। मेरा यह सुझाव है कि आप कोई माडा सलाहकार समिति भी गठित करनी चाहिए हर माडा क्षेत्र में और उसमें सारा कामकाज इस ढग से होना चाहिए कि आर्थिक लाभ लोगों को इस ढग से मिले जिससे उनको रोजी-रोटी उपलब्ध हो। तो यह योजनाओं का जो पैसा खास तौर से मैं निवेदन करना चाहता हूं एनीकट्स, हमारा जो पहाड़ी इलाका है, एनीकट की बहुत बड़ी आवश्यकता है और मांग है। अब आप बड़ी मुश्किल से एक एनीकट साल में एक दफा देते हैं और हमारे जहां 113 गांव हों वहां एक एनीकट कहां बने। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप योजनाओं का इस तरह से जो पैसा उपलब्ध है उसका उपयोग सही ढंग से हो। ऐसी योजनाओं में हो जिससे उनका आर्थिक विकास हो सके। ऐसे ही तालाब जो जनजाति क्षेत्र में हैं माडा योजना में तालाब हैं। उन तालाबों की मरम्मत के कार्यक्रम को, पेयजल की पाइप लाइन, जी.एल.आर. भी उसमें बन सकें। इन नये कार्यक्रमों को भी हाथ में लें तो मैं समझता हूं कि उन लोगों को ज्यादा लाभ होगा।

मैं अंत में यह आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि शोषण विहीन समाज रचना हर कल्याणकारी सरकार का दायित्व है और उसको उसी ढंग से निर्धारण करने की आवश्यकता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में आदिम जाति सेवक संघ एक ऐसी संस्था है जिसमें माणिक्य लाल जी वर्मा जैसा मैंने नाम लिया, भोगीलाल जी पंड्या, भीखा भाई जी वगैरह यह सब लोगों ने इसको स्थापित करके एक अच्छी संस्था के रूप में जनजाति क्षेत्र के लोगों को लाभान्वित करने के लिए स्थापना की। इस संस्था को इन वर्षों में मैं देख रहा हूं कि इतनी महंगाई बढ़ने के बाद पूरी तरह से उसको अनुदान नहीं मिलता है। उनको पूरा पैसा नहीं मिलता है। उदाहरण के तौर पर मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजकीय छात्रावास में आप 1500 रुपये मानदेय देते हैं और अनुदानित अतिरिक्त अधीक्षक को देते हैं आप 250 रुपये कितना बड़ा डिफरेंस है। इस बात को आज देखने की आवश्यकता है। विभाग में और इनके बीच में कितना फर्क है। इसी तरह से आप रसोइये को देते हैं वहां पर 600 रुपये और आपके यहां 1200 रुपये देते हैं तो मैं समझता हूं कि वह अनुदानित संस्थाएं चला ते हैं, एक जिम्मेदारी वहन करते हैं और आप भी अपनी सरकार की ओर से ऐसे कार्यक्रमों को आगे प्रयत्न करते हैं तो दोनों के बीच एक समानता होनी चाहिए थी। निराश्रित बाल गृहों की भी यही स्थिति है। रसोई में वहां गृहमाता को 600 आप देते हैं, 350 रसोइये को देते हैं, 300 पर्यवेक्षक को देते हैं, मैस भत्ते में भी 300 देते हैं। यह सारी बातें आज के 15-15,

(श्री रतनलाल ताम्बी)

20-20 साल पहले निर्धारित की हुई हैं तो समाज कल्याण मंत्री महोदय से, जनजाति विकास के मंत्री महोदय से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अनुदानित संस्थाओं में जो आपके काम करने वाले लोग हैं उनके बीच में और सरकार के बीच में जो बहुत बड़ा अंतर है उसको भी पाटने की आवश्यकता है।

मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि 350 के आपने 450 किये। पर मंत्री महोदय जिस दिन हमारे राजस्थान के बजट में 450 की आपने घोषणा की उसके बाद इन 20-25 दिन के बीच में आप देख लें कि आलू का क्या भाव हो गया, प्याज का क्या हो गया, टमाटर का क्या हो गया? बाजार में महंगाई कितनी बढ़ी है उसका आप अनुमान लगाकर के देखें तो यह ऊंट के मुंह में जीरा है। मेरा निवेदन यह है कि आज की महंगाई की जो स्थिति है उसको 600 रुपये प्रति छात्र के हिसाब से उनको देने के बाद ही उनको सही खाना-पीना मिलेगा। सही व्यवस्था उनकी होगी वरना यह पैसा जो आप दे रहे हैं इसमें जैसा आप जानते हो सभी जगह जैसा होता है उसमें यह पर्याप्त तरह से उनके जीवन निर्वहन के लिए अच्छी खाद्य सामग्री उपलब्ध हो, उनका रहन-सहन का स्तर ठीक हो मैस की दृष्टि से इसलिए मेरा निवेदन है कि 450 के मामले में भी आपको इसमें पुनर्विचार करके, वित्त मंत्री महोदय से चर्चा करके 600 रुपये प्रति महीने आपको देने की व्यवस्था करने की मैं चाहूंगा।

मैं इसी के साथ इस आदिम जाति सेवा संघ के बजट पर भी चर्चा करना चाहता हूं। आप 1985 से पहले से ही 2160 रुपये मंत्री को देते हैं मानदेय के रूप में, कार्यालय अधीक्षक को 2400 रुपये, कार्यालय सहायक को 1200 रुपये, कनिष्ठ लेखाकार को 1440 रुपये और वाहन चालक को 1140 रुपये, चतुर्थ श्रेणी को 900 रुपये, तो मंत्री महोदय आज की इस महंगाई में आपकी सरकार ने जो इनके पदों के जो वेतनमान और जो सुविधाएं हैं उनके मुकाबले अनुदानित संस्थाओं को जिस प्रकार यह शोषण होता है उस पर भी आप पुनर्विचार करें। इनके बजट को भी उनके अनुरूप लायें। ताकि संस्थाएं आत्मनिर्भरता के साथ सही ढंग से समाज के इन पिछड़े लोगों के लिए जो काम करती हैं, ठीक तरीके से काम करें। यह राजस्थान अनुसूचित जाति संघ भी कोई होगा उसका मेरे को ध्यान नहीं है। लेकिन इस संस्था से मेरा भी काफी संबंध और लगाव रहा है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे पास जो जानकारी उपलब्ध हुई है उसके आधार पर आपने मकान, बिजली किराये जो भी आपने दे रखा है। उसके बाद कई बार पानी की रेट्स बढ़ गयी। बिजली की रेटें बढ़ गयीं। डाक-तार, टेलीफोन की रेट्स बढ़ गयीं। पेट्रोल की, डीजल की ये सारी रेट्स इतनी बढ़ गयी हैं तो यह बजट एक तरह से ऊंट के मुंह में जीरा है। तो दोनों मंत्री महोदय इस तरह की जो संस्थाएं अनुदानित हैं उनके बजट को, उनको देने वाली ग्रान्ट्स वगैरह पर भी पुनर्विचार

(श्री रतनलाल ताम्बी)

करें ताकि राजस्थान में यह संस्थाएं, जिस कार्यक्रम को आप पूरा करना चाहते हैं उसी कार्यक्रम के अंतर्गत कुछ कर सकें और हमारे समाज के पिछड़े और गरीब लोगों को आगे बढ़ा सकें। यह मैं निवेदन करना चाहता हूं।

अंत में मैं एक बात जो राजसमन्द से आने वाले माननीय सदस्य ने कहीं उस बात से मैं भी इत्तफाक करना चाहता हूं कि डी. आर. डी. ए. को आप जो फंडिंग देते हैं हमारी योजनाओं का, उसका सही रूप से लोगों को उपयोग नहीं हो पाता है। आपका उस पर भी कोई कंट्रोल नहीं है। इसलिए जिला स्तर पर भी जहां यह माडा स्कीमें हैं डी. आर. डी. ए. की आप अपने विभाग का एक अधिकारी वहां रखिये ताकि वह पर्यवेक्षण भी कर सके। उनकी गुणवत्ता और भौतिक सत्यापन भी कर सके और वास्तव में जो अनुदान और सहायताएं आप गरीबों को देते हैं उसका सही उपयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है इसको भी रोका जाए। इस दृष्टि से भी मेरा सुझाव है कि माडा योजना के कार्यक्रम को आप थोड़े नये रूप में अच्छे ढंग से इसको सुनिश्चित करें और साथ में इन कार्यक्रमों को रोजगारमूलक बनाएं जिससे लोगों को रोजी-रोटी मिल सके और लोग आत्मनिर्भर बनकर खड़े हो सकें। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं आप सबसे मैंने जो विचार प्रकट किये हैं, मैं आशा करूंगा आप उसे बहुत गम्भीरता से लेकर विचार करें। जय हिन्द, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री नाथूराम अहारी।

श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर) : अध्यक्ष महोदय, आज मांग संख्या 30 और 33 पर चर्चा हो रही है। मेरे पूर्व वक्ताओं ने कई विचार दिये। मैं भी इन दोनों मांगों के बारे में अपने विचार रखूंगा। सर्वप्रथम हमारे यहां कई ऐसी चर्चाएं हुईं जो कि कांग्रेस और बी. जे. पी. के काम में बहुत अंतर है और बहुत ही अच्छा काम बी. जे. पी. कर रही है। लेकिन मैं खास तौर से जनजाति और जाति के जो माननीय सदस्य हैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि आज से 40 साल पहले हमारी और आपकी क्या हालत थी। आप जो बोलते हैं वह उपज केवल कांग्रेस की है। क्योंकि बी. जे पी. के तो 10 साल का बच्चा है उसने पांच साल पढ़ाई की होगी। लेकिन आप जो बोलते हैं जैसा टीकमचन्द कान्त जी बढ़–चढ़कर के जो इस तरह से बात कर रहे थे। जैसे हमने तो कांग्रेस ने तो पानी फेर दिया और आपने कोई सोना बरसा दिया। आप बहुत +++ करते हो। खोईवाल ने जो बात कहीं वाकई में सही कहीं और मैं तो कहता हूं कि इतनी +++ करना ठीक नहीं है। इससे आदमी को निराशा होती है। मंत्री बनो तो भी इस तरह से तो मंत्री बनना ठीक नहीं है। इसको

+++ शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री नाथूराम अहारी)

+++ कहते हैं । सही बात के लिए बात कहनी चाहिए लेकिन अभी जो अपने ट्राइबल की तरफ से मैं समझता हूं काफी लंबा समय हो गया है । उसमें अरबों-खरबों रुपया खर्च हुआ है । मैं तो यह कहता हूं कि अगर इस पैसे को पूरा जितने साल तक यह पैसा खर्च हुआ, उसका कैलक्यूलेट करके जोड़ा जाए तो हर आदिवासी लखपति होता, ऐसा मेरा मानना है । जब से यह योजना चालू हुई और आज तक उस पैसे को जोड़कर अगर आदिवासी परिवारों को बांट दिया जाता तो वे लखपति होते, यह मेरा मानना है ।

ट्राइबल विभाग में मुझे कम से कम 20 साल तक मौका मिला है, उसमें मैं बराबर देखता आता हूं कि ट्राइबल विभाग में जो भी बड़े अफसर हैं उनकी मानसिकता ही नहीं होती है कि ट्राइबल का भला हो । मानसिकता ही बिलकुल ऐसी भिन्न होती है जिससे कि ट्राइबल का, अनुसूचित जनजाति का विकास न हो सके । मैं यह बात शुरू से ही कह रहा हूं । मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो आदमी खाने के पहले हिंगवास्टक चूर्ण लेता है और इसके बाद उसको भूख लगती है, उसको भूख का पता नहीं होता है । भूख का पता उसी को होता है जो दो-तीन टाइम तक खाना नहीं मिले और तब खाना मिले, उसको पता रहता है कि भूख क्या चीज है ।

ट्राइबल के लिए मछली पकड़ने का, धोली मूसली लाने का, गोंद लाने का....

श्री अध्यक्ष : यह चूर्ण का अभ्यास आपको भी है क्या? माननीय सदस्य, चूर्ण का अभ्यास कैसे है आपको ?

श्री नाथूराम अहारी : यह सारा जो पैसा है, सारा धन्धा है वह गरीबों के लिए इस तरह का है कि ऊंट के मुंह में जीरा है । अभी मेरे पूर्व वक्ता दयारामजी ने बताया कि किस हिसाब से मछली पकड़ने वालों को पैसा मिलता है और आप किस हिसाब से बेचते हैं । मैं समझता हूं कि यह शोषण है और इस तरह केवल ट्राइबल में ही नहीं, मैं तो हर विभाग के लिए कहता हूं कि ट्राइबल हर क्षेत्र में शोषित है, हर जगह शोषित है । उदाहरण के लिए मैं बताऊं, सिचाई के लिए जितने भी ट्राइबल लोग हैं, सारे पहाड़ों में रहते हैं और पहाड़ों में बांध बनते हैं, उनकी जमीन डूबती है, नीचे के लोग जो सवर्ण लोग हैं, उनकी जमीन को फायदा होता है ।

इसी तरह ट्राइबल का पैसा है, लग जाता है, कोई कडाना में लगता है, कोई माही में लगता है, कोई सोम में लगता है, बड़े-बड़े पुलों में लगता है । मेरी तो यह मांग है कि इस पैसे को आप, जैसे मेरे पूर्व वक्ता ने बताया, ट्राइबल मिनिस्टर हैं और विभाग है, उसको सीधा देना चाहिए और यह बड़ी योजनाएं हैं, इन सारी योजनाओं

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया ।

(श्री नाथूराम महारी)

को आप जनरल बजट से क्यों नहीं करते। आप इसी पैसे से अगर करते हैं तो आदिवासी को सीधा फायदा मिलने वाला नहीं, नहीं मिल पाएगा, नहीं मिलेगा। इसलिए हमारी यह मांग है कि महाराष्ट्र पैटर्न का मतलब ही यही है कि वह पैसा सीधा आदिवासी को मिले, आदिवासी को फायदा हो, यह इसका मतलब है।

अभी माही कैनाल बनायी थी, कांग्रेस के राज में माही कैनाल का सर्वे करके डूंगरपुर को दिया था लेकिन जब से कांग्रेस का राज गया, उस समय से कैनाल पर एक टोपला नहीं डाला है और आप कह रहे हैं कि हम खूब काम कर रहे हैं, हम कई विकास कर बैठे हैं। उस समय में और इस समय में कितना अंतर है? आप कहते हैं इतना रुपया खर्च कर दिया। उस समय कितना खर्च कर दिया, उस समय डेढ़ रुपये किलो गेहूं मिलता था, उस समय दो रुपये, ढाई रुपये में एक किलो गेहूं मिलता था, आज क्या आता है, 10 रुपये किलो गेहूं आता है, आप इसका मूल्यांकन करें, ये थोथी बातें हैं लोगों को बरगलाने की बातें हैं। मेरी आपसे मांग है कि जो बड़ी-बड़ी योजनाएं हैं, कांग्रेस के राज में जितनी बड़ी-बड़ी योजनाएं बनी हैं, ऐसी योजनाएं आप भी करवाते और शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को फायदा दिलाएं तो मेरी समझ में आता है, नहीं तो नहीं।

इसी तरीके से मेरी डूंगरपुर कांस्टीट्यूएंसी में कहीं भी कोई बड़ा तालाब नहीं है। अगर डूंगरपुर तहसील को पानी मिल सकता है तो सोम कागदर से मिल सकता है। मैंने एक तारांकित प्रश्न उठाया था, सोम कागदर को ऊंचा उठाकर उस पानी को, डूंगरपुर पंचायत समिति में पूरी में जा सकता है, उसका लेवल है अच्छा है तो मेरी आपसे मांग है और ट्राइबल मिनिस्टर से भी और कमिश्नर साहब से भी कि आप सिंचाई मंत्रीजी से मिलकर चाहे केन्द्र सरकार से पैसा लेना पड़े, डूंगरपुर पंचायत समिति में जो नहरें नहीं हैं उनको देने के बारे में आप कोशिश करें।

लिफ्ट के बारे में माननीय मंत्रीजी ने यह आदेश किया कि 10 प्रतिशत राशि काश्तकार करेगा, 10 प्रतिशत के लिए भी मेरी मांग है कि आप शतप्रतिशत आदिवासी एरिये में ज्यादा नहीं तो 90 प्रतिशत आदिवासी हैं, वहां शतप्रतिशत लिफ्ट के लिए पैसा अपने ट्राइबल फण्ड से दें जिससे आदिवासी लिफ्ट का फायदा ले सकें।

मैंने पहले बताया कि आदिवासी हर जगह से शोषित हैं, जैसे शिक्षा विभाग जहां पहले कस्बे थे, जहां सवर्ण जातियां थी, वहां स्कूल थे, वहां प्राइमरी स्कूल थी तो मिडल हुई, मिडल थी तो दसवीं हुई और दसवीं थी तो सीनियर हुई लेकिन पालों में प्राइमरी स्कूल ही नहीं है तो उस आदिवासी बच्चे को बारहवीं और दसवीं कब पढ़ने को मिलेगी? आपने मापदण्ड कर रखे हैं कि इतनी आबादी में स्कूल खोलेंगे। भले 10 टापरे हों, आदिवासियों के भले 20 हो तो भी मांग है कि वहां स्कूलें, हैण्ड पम्प, ये सुविधाएं हमको वहां देनी चाहिए तभी जाकर आदिवासियों को सही फायदा मिल सकता है। कई जगह

(श्री नाथूराम महारी)

पालों में बड़े-बड़े खाले हैं, कम से कम पांच सौ, हजार-हजार की आबादी में खाले हैं, जैसे कोलखण्डा में लेणिया, इसी तरह बड़े-बड़े खाले हैं, यहां प्राइमरी स्कूल तक नहीं है तो मेरी मांग है कि सर्वे कराकर, पंचायत समिति वहां सर्वे कराकर जो-जो बड़े गांव हैं उन सबमें प्राइमरी स्कूल खोलने की जरूरत है। कई पालों में स्कूलें तो हैं लेकिन उनके बाउण्ड्री वाल नहीं है, हैण्ड पम्प नहीं है, उसमें भी यह सुधार होना चाहिए, यह मेरी मांग है।

स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के बारे में भी हम शोषित हैं, किसी पाल में अचानक प्रसव पीड़ा में कोई महिला आए तो वह या तो हमारे डूंगरपुर जाएगा, तब जाकर उसको फायदा मिलेगा। कई गांवों में यह पी.एच. सी. भी है लेकिन आवश्यक सुविधाएं नहीं हैं तो वह डूंगरपुर जाएगा और डूंगरपुर में जाने के बाद भी वहां जाते ही उसको हिलप मिलेगी कि वह यह दवाई लाए, नहीं तो खाट पर पड़े-पड़े तड़फती है। मेरी मांग है कि इस बारे में एक योजना हो सकती है कि ट्राइबल एरिया में जो पी.एच.सी. हैं, उनके लिए कुछ पैसा आप बैंक में रख दें और उसके ब्याज से उसको दवाई देने की व्यवस्था करें, यह ट्राइबल फण्ड से भी हो सकता है और सरकार भी दे सकती है कि अमुक पैसा है इसको बैंक मे रख लिया जाए और इमर्जेन्सी के समय उस पैसे को काम में लिया जाए। अपने एरिये में जो भी पी.एच.सी. हैं, वहां पर गोलियों के अलावा कोई दवाई नहीं मिलती है तो मेरी स्वास्थ्य मंत्रीजी से विनती है कि ऐसे ट्राइबल एरिये के पी.एच.सी. और डिस्पेंसरी में यह व्यवस्था हो। डिस्पेंसरी और पी.एच.सी. ज्यादा से ज्यादा ट्राइबल एरिये में खोली जाए, यह मेरी मांग है आपसे।

बिजली के बारे में बताऊं, मैं समझता हूं कि आजादी के पचास साल गुजरने के बाद और आगे वाले पचास साल के बाद भी ट्राइबल को बिजली नहीं मिलेगी क्योंकि आपने नौ हजार से बारह हजार रुपये पोल का कर दिया है। मेरे यहां खुद के भी 33 हजार रुपये का डिमाण्ड आया था। मैं स्वयं भी यह महसूस करता था कि मैं दीया ही जलाऊंगा। 18 साल हो गए, जो एम.एल.ए. 33 हजार रुपये की डिमाण्ड न भरे तो आम आदमी तो भर ही नहीं सकता है। मेरा निवेदन है कि ट्राइबल मिनिस्टर साहब, इनको फ्री में बिजली देने की व्यवस्था करें और ज्यादा नहीं करे तो कम से कम गांव में पोल ही पहुंचा दिए जाए, इसके बाद अगर डिमाण्ड नोटिस आएगा तो वह भर देगा, यह मेरी मांग है कि कोई गांव न बचे बिजली से।

इसी तरह शिक्षित बेरोजगार और प्रशिक्षित बेरोजगार, हालत यह है कि हमारे वहां शिक्षक हैं, उनको भी पूरा रोजगार नहीं मिलता है, प्रशिक्षण लेने के बाद में आपने परिपाटी ले रखी है कि फिर इन्टरव्यू लेना। यह तो रिश्वत लेने की बात है, जब ट्रेनिंग कर ली है तो आप काहे का इन्टरव्यू ले रहे हैं? जगह 10 हैं और आप 100 बुला रहे हैं। क्यों समय को वेस्ट करते हैं, क्यों बरबादी कराते हो, क्यों? घर का पत्थर भी उठाए तो जमीन

(238)

(श्री नाथूराम ग्रहारी)

साफ होगी। आप ज्यादा से ज्यादा 10 प्रतिशत ज्यादा बुलाओ, पर आप 10 पोस्टें हैं तो 100 आदमी बुलाते हैं। यह कहां का न्याय है ? यह रिश्वत लेने का तरीका है। अध्यापक भर्ती में भी वह अध्यापक लेकर घूमता है 30-30, 40-40 हजार रुपये, इसके बाद भी उसका नाम नहीं आता है।

तो यह तो रिश्वत लेने का एक तरीका अपना लिया है। मेरी मांग है कि ट्रेनिंग होने के बाद उसकी लिस्ट बना लीजिए। जिसके ज्यादा नम्बर है उसको पहले लीजिए, इसके बाद आप लेते जाइए। लेकिन यह तरीका एक आदिवासी के लिए, अनुसूचित जन जाति के लिए बहुत बुरा है, यह मेरा मानना है। उन प्रशिक्षित युवकों को बुलाकर परेशान करना न्यायोचित नहीं है। मैं खासकर समाज कल्याण मंत्री और ट्राइबल मंत्री जी से निवेदन करता हूं आप इस बारे में पहल करें। आप केवल मोहर बनकर न रहें, अधिकारों का कुछ उपयोग करें तो मैं समझता हूं कि जन-जाति का कुछ फायदा होगा, नहीं तो आपको घोड़ागाड़ी मिल गई, बगला मिल गया, टेलीफोन मिल गया, इससे हमारा विकास होने वाला नहीं है।

श्री अध्यक्ष : अब आप बैठ जाइए माननीय सदस्य।

श्री नाथूराम ग्रहारी : मेरा आपसे कहना है....

श्री अध्यक्ष : श्री ग्रहारी जी, आप इधर देखिए।

श्री नाथूराम ग्रहारी : अभी 106 पोस्टों में 45 प्रतिशत कर दिया है, लेकिन अभी कोई लेते तो हो नहीं। मेरे ख्याल से पुलिस की भर्ती के अलावा कोई नयी भर्ती नहीं की है। चपरासी की जगह खाली कर दी है, जो पेंशन में गए वे वापस नहीं आए। दूसरा कोई लिया ही नहीं। कहां यह 45 प्रतिशत है ? लोगों को क्यों बेवकूफ बनाया जाता है, यह मेरी समझ में नहीं आता।

इसी तरह हमारे यहां बांसवाड़ा में एक इंटरव्यू हुआ था उसमें कह दिया कि आदिवासी तो हैं ही नहीं, जनरल ही मिलेंगे। वहां आदिवासी सक्षम थे। उन्होंने सत्याग्रह किया, हड़ताल की जिससे इनको यह नियम तोड़ना पड़ा।

अभी राजस संघ के बारे में चर्चा हुई थी कि राजस संघ कोई काम का नहीं है, यह आदिवासी एरिया को बेवकूफ बनाने का काम है। उनके व्यवस्थापकों को 10-10 साल हो गए हैं उनको स्थायी नहीं किया गया। अभी किया हो तो अलग है। यह शोषण नहीं तो और क्या है। 240 दिन में तो स्थायीकरण किया जाता है और आप सांप बनकर बैठे हुए हैं। उन आदिवासियों को परेशान करते हो। मेरी मांग है कि जो भी व्यवस्थापक हैं उनको आप स्थायी करें। अगर काम करें, तो ढंग से करें, नहीं तो आदिवासियों के

(श्री नाथूराम मिर्धा)

नाम से इस विभाग को नहीं चलाना चाहिए तथा पैसे का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए । यह मेरी मांग है ।

इसके साथ ही एक खास बात है माइंस । माइंस आदिवासियों के कब्जे में है, आदिवासियों के खाते में है । उस माइन्स में सोना है, चांदी है, उससे उनको कोई मतलब नहीं, वे उसमें काश्तकारी करते थे । आपने सर्वे करके उनको बेदखल कर दिया और करोड़पति आदमी को वहां बिठा दिया । अगर यह रवैया नहीं बदला तो सत्याग्रह होगा, सर कटेंगे और जो करोड़पति वहां आएगा उसकी लाश ही जाएगी, यह मेरा कहना है । आप इसमें परिवर्तन कीजिए, वहां पर जो आदिवासियों के खातों में जो जमीनें हैं उनमें खनिज निकले तो दूसरी जगह का कोई आकर ले जाए यह कहां का न्याय है । इसलिए मैं मांग करता हूं कि ऐसे आदिवासी एरिया में जहां भी माइन्स है उसमें आदिवासी को पहली प्रायरटी मिले । इसके बाद दूसरे को मिले, यह हमारी मांग है ।

आपने घण्टी बजा दी है, मुझे कहना तो खूब था, लेकिन सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि सरकार इस बारे में पहल करे । खासकर समाज कल्याण मंत्री जी और ट्राइबल मंत्री जी से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इन आदिवासी और जनजाति के लोगों को फायदा देना है तो अधिकार का उपयोग करें और महाराष्ट्र पैटर्न लगाने के लिए आप जितना भी चाहें हम लोगों से मदद चाहें, हड़ताल करनी पड़े, सत्याग्रह करना पड़े तो हम तैयार हैं, लेकिन यह जो 12 प्रतिशत पैसा है वह आप सीधे इस विभाग को दीजिए, हमारे मंत्री को दीजिए और जो जनरल दूसरे बड़े-बड़े काम हैं उन कामों को करने के लिए आप जनरल बजट से बजट दें । आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद ।

श्री अध्यक्ष : श्री जोगेश्वर गर्ग ।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालोर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, समाज कल्याण के बारे में जो कुछ चर्चा इस समय सदन में हो रही है मैं उसमें आपकी अनुमती से सम्मिलित होते हुए कुछ बातें निवेदन करना चाहता हूं । बहुत कुछ कहा जा चुका है । मैं निवेदन करना चाह रहा था कि समाज कल्याण विभाग के माध्यम से अनुसूचित जाति के लोगों के कल्याण के लिए बहुत सारी योजनाएं समय-समय पर बनीं, चलीं, लागू हुई, पर इस वर्ग के प्रति जो नजरिया सरकार का होना चाहिए था वह नजरिया परिवर्तित होने में बहुत देर लगी । वर्षों तक एक नजरिया यह बना रहा कि जो समाज में चलता था कि इन लोगों को हम कुछ दे रहे हैं और ये लेने वाले हैं । हम दाता हैं और ये ग्रहण करने वाले हैं । यह भाव वर्षों तक समाज में बना रहा और समाज के कारण सरकार में बना रहा ।

मैं बधाई देना चाहता हूं हमारे समाज कल्याण मंत्री जी को जब से उन्होंने इस

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

विभाग की बागडोर संभाली वह दाता वाली छवि इस विभाग की बदली । हम उनके दाता नहीं हैं उनके सहयोगी हैं, साथी हैं और सहयोगी व साथी की भावना से हम उनको खड़ा करेंगे उनके आत्मविश्वास को बढ़ाएंगे, उनके सम्मान को बढ़ाएंगे, उनमें आत्मसम्मान की भावना पैदा करेंगे । यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि, जो विचारधारा है, नजरिये में आई है इसके लिए मैं सरकार को और सरकार के समाज कल्याण मंत्री को बधाई देना चाहता हूं ।

उदाहरण के लिए हम आजादी की पचासवीं वर्षगांठ मना रहे हैं । मेवाड़ इस राजस्थान का सबसे बड़ा अनुसूचित जनजाति का क्षेत्र है और उस मेवाड़ की धरती से पैदा हुए उन सपूतों ने सबसे अधिक राज किया राजस्थान प्रदेश में । सुखाड़िया जी हों, जोशी जी हों, माथुर साहब हों, चाहे देवपुरा जी हों, लेकिन अनुसूचित जनजाति के नाम पर अरबों रुपया खर्च करने के बाद भी इन 50 साल में हम उस पूरे बैल्ट से किसी भी युवक को इस काबिल नहीं बना पाये कि वह भारतीय प्रशासनिक सेवा में आ सके । अगर कोई हो, किसी की जानकारी में हो तो बताएं । आज तक कोई नहीं है । इतने सारे हॉस्टल हमने चलाये होंगे, इतने सारे स्कूल हमने चलाये होंगे, इतने सारे कालेज चलाये होंगे, इतनी सारी कल्याणकारी योजनाएं चलायी होंगी, लेकिन उन सबका मतलब क्या है । क्या हम सिर्फ उनका पेट भरना चाहते थे ? क्या हम सिर्फ उनका तन ढंकना चाहते थे ? हम उनको इतना काबिल बनाना चाहते थे कि वे इस सरवाइवल आफ दी फिटेस्ट सिद्धान्त वाले संसार में अपने बलबूते पर खड़े रह सकें और इस संसार के दैनन्दिन जीवन की चुनौतियों को स्वयं फेस कर सकें ? वह आत्मविश्वास व आत्मबल यदि हम नहीं दे पाए तो फिर हमारी इतनी सारी योजनाएं बेकार हैं, ये सारे कार्यक्रम बेकार हैं । इस आत्मबल और आत्मशक्ति को बढ़ाने की तरफ आत्मविश्वास को बढ़ाने की दिशा में जो प्रयोग हमने किया, पहले भी किया, मुझे याद है जब मैं नया-नया एम. एल. ए. बनकर आया था, अनुसूचित जाति विकास निगम के माध्यम से ढर सारे कोर्स चलते थे । उसमें कम्प्यूटर ट्रेनिंग के लिए भी था । उस समय कम्प्यूटर नया-नया आया था । कंसेप्ट यह लिया कि अनुसूचित जाति के लोगों को भी कम्प्यूटर की जानकारी होनी चाहिए और उस जानकारी के कारण ये लोग मार्केट में अपनी स्थिति बना सकेंगे ।

अध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत दुःख हुआ उन सारे कोर्सेज की जानकारी में मैं गया, गहराई में गया, जयपुर में जितने इंस्टीट्यूशंस चल रहे थे, अधिकांश प्राईवेट इंस्टीट्यूशस में एस. सी. के लड़कों को वे एनरॉल करते थे, उनका रजिस्टर में नाम दर्ज होता था, उनके नाम से 300 रुपये महीने स्टाइपेण्ड उठता था । उनके नाम पर उस इंस्टीट्यूशन को महीने में हजारों रुपये की फीस मिलती थी । मैंने उन इंस्टीट्यूशन में खुद जाकर देखा । उनके रजिस्टर में 30–30, 40–40 लड़के चल

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

रहे हैं। मैंने कहा, मुझे पांच–सात लोगों से मिला दीजिए। दुर्भाग्य से वहां एक भी नहीं मिला। अधिकारियों की मिलीभगत से, कुछ बेईमान अधिकारियों की मिलीभगत से सिर्फ कागजों में अनुसूचित जाति के लड़के कम्प्यूटर की ट्रेनिंग लेते रहे और सरकार का पैसा उठता रहा। कम्प्यूटर किसी लड़के ने नहीं सीखा। इन सारी परिस्थितियों में और इन परिस्थितियों से निकालकर इस विभाग के माध्यम से इस अनुसूचित जाति वर्ग को अधिक लाभ देने की दिशा में जो प्रयास अभी हो रहे हैं उसका मैं एक उदाहरण दे रहा हूं।

(19.00 बजे)

पी.एम.टी और पी.ई.टी. टैस्टों में पास होना अपने आपमें बहुत बड़ी उपलब्धि है। उसके लिए अपने आपको तैयार करने के लिए आजकल जो फैशन चला है, परम्परा चली है, बहुत लम्बी-चौड़ी कोचिंग लोग लेते हैं। उस कोचिंग के लिए इंस्टीटयूशंस खुले और इन इंस्टीट्यूशंस के लिए भी एंटरेंस टैस्ट होने लगे। ऐसे कुछ इंस्टीट्यूशन कोटा में हैं। 2-3 इंस्टीट्यूशन कोटा के ऐसे हैं जिन्होंने बहुत नाम कमाया। उन इंस्टीट्शस में कोई अनुसूचित जाति वर्ग का लड़का अपना एडमिशन करवा ले, यह बहुत बड़ी बात है और अगर एडमिशन हो गया तो उनका जो हजारों रुपये का खर्चा है वहां का, फीस का और दूसरा खर्चा है, रहने का है, खाना है, वह सब नहीं हो पाता था। समाज कल्याण विभाग ने इस बात को समझा और एक योजना हाथ में ली। बच्चों को उनके कम्पीटिशन टैस्ट में बिठाया और उनमें जिन-जिन लोगों का सलेक्शन हुआ उनका सारा खर्चा, वहां रहने का, वहां खाने का, सरकार ने देकर उनको उस बहुत महंगी और अच्छी कोचिंग का अवसर दिया ताकि वह लोग पी.एम.टी. और पी.ई.टी. में सलैक्ट हो सकें, पास हो सकें। यह जो नजरिया बदला है, यह जो दिशा बदली है इस पीड़ित, शोषित और दलित वर्ग की सेवा करने की, इसके लिए मैं एक बार फिर माननीय मंत्री महोदय को बधाई देता हूं और निवेदन करना चाहता हूं कि कुछ बातें और भी हैं जिनमें अभी और सुधार करना बाकी है।

मैं एक और बधाई देना चाहता हूं मंत्री महोदय और सरकार को। एन.एस.एफ.डी.सी. योजना केन्द्र सरकार की बहुत महत्वपूर्ण योजना है। 5 या 6 प्रतिशत ब्याज दर पर अनुसूचित जाति के, अनुसूचित जनजाति के लोगों को, माइनोरिटीज के लोगों को, ओ.बी.सी. के लोगों को लोन मिलता है। उसके लिए राज्य सरकार को गारंटी देनी पड़ती है। बीच में कुछ वर्षों के लिए वह गारंटी बन्द हो गयी। सिर्फ इसलिए बंद हो गयी कि पहले इस योजना में जो लोन दिये थे उनकी वसूली, रिकवरी ठीक नहीं थी। वसूली ठीक नहीं होने के कारण से गारंटी रोक दी गयी। सिर्फ एक व्यक्ति विशेष, किसी अधिकारी विशेष के दुराग्रह के कारण वह गारंटी रोकी गयी। हमने सरकार से निवेदन किया, उप मुख्य मंत्री जी से निवेदन किया, मुख्य मंत्रीजी से निवेदन किया, समाज कल्याण मंत्रीजी से निवेदन

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

किया। इन्होंने भी अपनी तरफ से पक्ष रखा और आखिर में जाकर के, दो साल उसके लिए मेहनत करनी पड़ी लेकिन पिछली साल से वह गारंटी सरकार ने वापस दी है। 4 करोड़ रुपये की पहले गारंटी दी, दो करोड़ रुपये की फिर बाद में दी और इतना ही लगभग वापस हमको केन्द्र सरकार से मिलता है। एन.एस.एफ.डी.सी. योजना में जितने भी लोनिंग होते थे वह सारी योजनाएं बन्दी पड़ी थीं। साल भर से वापस वह चालू हुई हैं और बन्द होने का आलम यह था कि 1990 में जालोर से इस योजना में मैंने कुछ एल्लोकेशन लगवायी। कोई 25-30 लोगों ने एप्लाई किया होगा। उनकी सारी जांच होने के बाद 19 लोगों को प्रशासनिक स्वीकृति 1991 में जारी हुई। 1991 में प्रशासनिक स्वीकृति जारी होने के बाद उनको उस ऋण का वितरण आज तक नहीं हुआ। सिर्फ इसलिए नहीं हुआ कि बाद में वह गारंटी देना बन्द कर दिया। यह स्थिति अब बदली है। अब गारंटी हमने देना शुरू किया है, फण्डस हमारे पास हैं।

मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि 19 आवेदनकर्ताओं को वापस देखें, उन आवेदनों को देखें, और उन्हें जिले में भेजकर उन 19 लोगों को लाभान्वित करने की दृष्टि से प्रयास करें। उनको पुराने हो गये और निरस्त कर दिया गया, ऐसा नहीं मानते हुए उस प्रशासनिक स्वीकृति को पुनर्जीवित करते हुए वित्तीय स्वीकृति जारी करें तो उनको लाभ मिल सकेगा।

एन.एस.एफ.डी.सी. योजना का लाभ सारे जिलों को मिले, यह सुनिश्चित करना बहुत आवश्यक है। आप पुराना रिकार्ड देखेंगे तो कुल योजना का 80 प्रतिशत से ज्यादा ऋण वितरण सिर्फ जयपुर जिले में हुआ और जयपुर जिले में भी गांवों में नहीं सिर्फ जयपुर शहर में हुआ। बाकी जिलों में और ग्रामीण क्षेत्रों में उसका लाभ नहीं पहुंचा है। तो उस दृष्टि से भी हमको इसकी मानीटरिंग करनी होगी। सारे जिलों में और सारी तहसीलों तक इसका लाभ मिले ताकि हर व्यक्ति तक इसकी कुछ न कुछ लहर पहुंचे, यह एक मेरा निवेदन माननीय मंत्री महोदय से है।

धन्यवाद देने से पहले मैं एक निवेदन करना चाहूंगा। अनुसूचित जाति की जो सूची बनी, पहले भी मैं कभी इस सदन में निवेदन कर चुका हूं, उसमें 27 नम्बर पर एक जाति अंकित है, उस जाति से मैं भी सम्बन्ध रखता हूं। चार नाम उसके दर्ज हैं-गरूड़ा, गरोड़ा, गुरड़ा और गारो, जी.ए.आर.ओ.। हिन्दी में उसका वर्जन हो गया गारो। अब गारो नाम की पूरे राजस्थान में कोई जाति नहीं है। वह शब्द था गुरू। गुरू का गरू हो गया और गरू का जी ए आर ओ स्पेल कर दिया किसी ने। उसका जब हिन्दी ट्रांसलेशन हुआ तो वह गारो हो गया। जैसे कि आबू रोड को इंग्लिश में लिख दिया ए.बी.यू.आर.ओ.ए.डी. और फिर जब उसका हिन्दी वर्जन किया तो अबू रोड़ हो गया। वर्षों तक टेलीग्राम में और रेलवे टिकट में अबू रोड चलता रहा। ठीक वैसी ही हालत हमारी हो गयी है। यह गारो

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

नाम की कोई जाति पूरे राजस्थान में नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं, स्पेलिंग मिस्टेक है यह और कुछ भी नहीं है, इसमें संशोधन करवाना है, यह गुरू शब्द है। यह शुद्ध संशोधन हो जाए तो पूरे राजस्थान में और विशेषकर मेवाड़ क्षेत्र में क्योंकि वहां गरोड़ा, गुरड़ा नाम से कोई जाने नहीं जाते, गुरू नाम से जाने जाते हैं और गुरू शब्द उस लिस्ट में नहीं होने से बहुत बड़ी परेशानी उनको हो रही है, बहुत कष्ट उनको हो रहा है, उनको कोई लाभ नहीं मिल रहा है अनुसूचित जाति का। कष्ट सारे भुगतने को तैयार मिल रहे हैं और लाभ रत्तीभर नहीं मिल रहा है। यह संशोधन सरकार तुरन्त करने के लिए केन्द्र सरकार को लिखे, निवेदन करे, यह मैं सरकार से आपके माध्यम से निवेदन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री परसादीलाल मीणा।

श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) : अध्यक्ष महोदय, आज विशेष पिछड़े वर्गों अनुसूचित जाति, जनजाति के वर्गों के ऊपर दोनों ही महकमों की एक साथ उनके कार्यकलापों के बारे में बहस रखी है।

मैं माननीय जनजाति मंत्री जी से कहना चाहूंगा, जैसा कि माननीय खैरवाड़ा से आने वाले सदस्य कह रहे थे कि आपकी सरकार के 1990 में आने के बाद आप कोई काम नहीं कर पाये। माननीय मंत्रीजी, आप दिसम्बर, 1993 से मंत्री हैं। जो जनजाति सलाहकार समिति, परामर्शदात्री समिति होती है, आपने इसका गठन किया, 1995 में गठन किया। आपने यह भी सवाल के जवाब में बताया कि इस कमेटी की मीटिंग हर तीन माह में बुलाना आवश्यक है। मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि आपने 4 साल में 4 मीटिंग बुलायी। आपको हर तीन महीने में मीटिंग बुलानी चाहिए थी वह आपने 4 साल में 4 बुलायी है। इससे आपके विभाग की और आपकी कार्यप्रणाली झांकी जा सकती है कि आपका काम काज कैसा रहा, आपने कैसे विभाग को चलाया और किस तरह आप इस विभाग को चलाना चाहते हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी समझकर ढाई साल तक पहले चुन्नीलालजी गरासिया को दी गयी और उसके बाद आपको दी गयी। आपने हर तीन महीने मे मीटिंग के स्थान पर तो यह किया।

आप जनजातीय विकास उप योजना क्षेत्र के ही मंत्री नहीं हो, आप माडा में जो गांव आते है उनके भी मंत्री हो। आप सहरिया विकास के भी मंत्री हैं और आपने जो अपनी परामर्शदात्री कमेटी बनायी उसमें इन जिलों के एक भी विधायक को माननीय अध्यक्ष सहित किसी को भी मैम्बर नहीं बनाया। यह आपकी लिस्ट है।

उसके बाद एक बार सचिवालय में मुख्य मंत्रीजी की अध्यक्षता में मीटिंग हुई थी तब एक सर्वसम्मत प्रस्ताव लिया गया

(244)

(श्री परसादी लाल मीणा)

था कि माडा की जो भी योजनाएं बनें, उनका पैसा, उन योजनाओं को बनाने का काम जिला स्तर पर गवर्निंग काउन्सिल करेगी। वह प्रस्ताव आज तक लागू नहीं हुआ। गवर्निंग काउन्सिल से जो प्रस्ताव इनके माडा कमिश्नर को जाते हैं, एक भी प्रस्ताव की क्रियान्विति आज तक नहीं हुई।

हमारे दौसा की गवर्निंग कौंसिल के जितने भी प्रस्ताव आश्रम छात्रावास के भेजे वह एक भी लागू नहीं हुआ। आखिर योजनाएं, इतने बेड-सेंटर खोल देंगे, इतने चिकित्सा के कैम्प लगा देंगे, इतने कुएं खोद देंगे, इतने गहरे करा देंगे। यह जो पैसा आ रहा है, यह एक तरह से इस माडा के नाम पर लूट है। हमारे दौसा जिले में 500 कुओं का पांच लाख या दस लाख रुपये आ रहा है, कुओं को गहरा कराने का है। हमारा पूरा जिला डार्क जोन है। हमारा पैसा पांच साल से ऐसा का ऐसा पड़ा हुआ है। आप योजनाएं वे बनायें इसमें जो वहां पर लागू हों, जिनसे वहां की आवश्यकता हो, जिनसे लोग उनका फायदा उठा सकें। सारा पैसा बरबाद किया जा रहा है। आपने विवरण दिया। दौसा में 56 लाख आये, फलां जिले में इतने आये। कहीं तो एक प्रतिशत राशि इनके काम में ली गयी है। कहीं 15 प्रतिशत राशि का उपयोग हुआ है, कहीं 10 प्रतिशत राशि का, कहीं 40 प्रतिशत राशि का उपयोग हुआ है। इस तरह से आपका पैसा क्यों पड़ा है? आपने कभी विधायकों से परामर्श नहीं किया। आपको जिला स्तर पर, जो जिले माडा में सलेक्ट हैं, वहां पर जिला सलाहकार समितियां इनको बनानी चाहिए। गवर्निंग कौंसिल होती है, सबके बाद में उस माडा के पन्ने को लगाते हैं। लास्ट एजेण्डा माडा का होता है। पहले जे. आर. वाई. का, बाद में और किसी का। 3-4-6 घंटे तक मीटिंग होती रहेगी। लास्ट में वह आऐगा जब सब थक गये होंगे और उसको हां-हूं करके चले जाते हैं। एक भी योजना इनकी कहीं लागू हुई है, एक भी आदमी को किसी माडा क्षेत्र में आपके हमारे, अध्यक्ष महोदय, इतने सारे गांव माडा में आते हैं। 3595 गांव 13 जिलों के माडा में आते हैं और इनकी माडा सलाहकार समितियां नहीं है। इनकी जो स्टेट लेवल की कमेटियां बनी हैं उनमें आखिर यहां के जिला प्रमुख या प्रधान या एम. एल. ए. या एम. पी., इसमें कोई मेम्बर नहीं है। आखिर आपकी योजनाएं कैसे चलेंगी? जो योजनाएं आ रही हैं चाहे कुआं गहरा कराने के नाम पर आये, चाहे बेड सेंटर के नाम पर आये, चाहे आपके किट पैकेट के बीच के नाम पर आये, चाहे कोई भी नाम से आये, सारा पैसा माडा का भ्रष्टाचार में जा रहा है।

मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आपका भी क्षेत्र माडा में आता है, सवाई-माधोपुर का भी आत है, करौली का भी आता है, दौसा का भी आता है, जयपुर का भी आता है। हमसे मंत्री महोदय ने कभी भी पांच साल में बुलाकर या इन्होंने कभी मीटिंग बुलाकर यह नहीं कहा कि ये

(श्री परसादी लाल मीणा)

हमारी योजनाएं हैं, हमारे विभाग का काम कैसा चल रहा है। यहां कभी यह डिमांड रखते हैं तो आपको सलाह देने के बाद कभी भी उस काम को आगे बढ़ाने का काम नहीं है।

जनजाति उपयोजना के बारे में माननीय दयाराम जी परमार बहुत बता गये। महाराष्ट्र पैटर्न लागू करने को, मंत्री जी आपने बहुत जोर-शोर से यहां घोषणा की थी कि हमारे मुख्य मंत्रीजी बहुत सक्षम हैं, जनजाति को बहुत चाहते हैं- उपयोजना के लोगों का विकास करना चाहते हैं और हम अगले वर्ष में इस महाराष्ट्र पैटर्न को लागू कर देंगे। आज तक आपने लागू नहीं किया। आपके विभाग की राजनैतिक इच्छा शक्ति, मंत्री महोदय, व्यक्तिगत रूप से या पार्टी की राजनैतिक इच्छा शक्ति नहीं है कि जनजाति के लोगों का जो पैसा भारत सरकार से राजस्थान में आ रहा है, उसका हम सदुपयोग करें। अध्यक्ष महोदय, मुझे भी एक बार, जब मैं पहली बार एम. एल. ए. बना था तो उपयोजना क्षेत्र की उदयपुर में वहां इनकी मीटिंग रखी थी। हम सारे ही इधर के एम. एल. एज. मेम्बर थे। मैं भी वहां उनके साथ, जोशीजी के साथ उस इलाके में गया था, वास्तव में आज वहां हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। झाड़खण्ड की मांग क्यों उठी, क्यों झाड़खण्ड की मांग के लिए लोग आन्दोलन कर रहे हैं?

अगर मंत्री महोदय इसी तरीके के हालात रहे तो दयाराम जी ने जो कहा है वह बात हो जायेगी। अलग से अपनी स्वायत्तशासी परिषद बना दीजिये आप, इनका अलग बजट दे दीजिये आप। क्यों नहीं देते आप? हमारे माडा का कमिशनर जयपुर में अलग से बैठा दीजिये, आप उनका जनजाति का कमिशनर अलग बैठा दीजिये। सहरिया, जो सबसे पिछड़ी जाति है, वहां के एम. एल. ए. को भी उस कमेटी में नहीं रखा है। आप किसके बलबूते विकास करना चाहते हैं? यह लिस्ट रही आपकी, देख लीजिये, यह आपका भेजा हुआ जवाब है। मैं गलत नहीं कह रहा हूं। आप इस विभाग को कैसे चलाना चाहते हैं, आपकी राजनैतिक इच्छा शक्ति होनी चाहिए। जनजाति के लोग राजस्थान के किसी भी हिस्से में रहते हों, वहां पर आपको उन योजनाओं में या जन प्रतिनिधि से बात करके, योजना कैसी चल रही है, आपका पैसा 56 लाख या 60 लाख रुपये आप दे रहे हैं, उसमें से 10 पैसा भी हमारा तो काम में नहीं आ रहा है। कैम्प लगा देंगे आयुर्वेद के, कैम्प लगा देंगे शल्य चिकित्सा के, उनका जनजाति के लोगों से क्या मतलब है? क्या उनमें जनजाति के लोग ही आएंगे, दूसरे लोग नहीं आएंगे? मेरा आपसे निवेदन है, अध्यक्ष महोदय, आपकी योजना जिला स्तर पर बननी चाहिए। जिला स्तर पर आपकी सलाहकार कमेटी भी बननी चाहिए। उसमें प्रमुख भी हो, जिसमें एम.पी. भी हो, उसमें प्रधान भी हो, उसमें एम. एल. ए. भी हो, तब जाकर के आपकी इन योजनाओं के लिए आप सीधा बजट जिले को दीजिये।

(श्री परसादी लाल मीणा)

दूसरी बात, हमारे मंत्रीजी बैठे हैं, मैं मंत्रीजी से कहना चाहता हूं, आप भी उसी वर्ग के हैं। माननीय समाज कल्याण मंत्रीजी, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, हमारे मेडिकल में बहुत समय से एक बहुत उलझा हुआ मामला है। मेडिकल में जो आरक्षण है, एस. सी. का 8 प्रतिशत है, एस. टी. का 6 प्रतिशत है जबकि सबमें हमारा 12 प्रतिशत और 17½ प्रतिशत है। आप मेडिकल में पी. एम. टी. वगैरह में क्यों नहीं इस आरक्षण को बढ़ाते, आप क्या करना चाहते हैं ? हमने जो कर दिया, उससे आगे नहीं बढ़ना चाहते, वहां की वहां रहना चाहते हैं ? इनकी बहुत लम्बे समय से एक पुरानी मांग है, मेडिकल में क्या हमारे पास योग्य लड़के नहीं है ? आप उनको आरक्षण दीजिये, उनको आगे बढ़ाइये। आप एस. सी. वर्ग के हैं। आपको पौने पांच साल हो गये। जाते जाते अगर आपकी चलती हो, आपकी सरकार को कहें, आपके मुख्य मंत्रीजी को कहें और जो मेडिकल की बहुत लम्बे समय से चली आ रही मांग है आरक्षण की हमारी, इसको बढ़ाकर लागू करिये।

छात्रावास के लिए पैसा आपने जरूर बढ़ाया है, यह सही बात है। आपने 250 का 350 किया, 350 का 450 किया और आपकी जो स्थिति छात्रावासों की है, उनका जो स्तर है, वह आज भी नहीं बदला है। आज भी वहां कहीं से गंदा गेहूं खरीदकर लाएंगे आटे के लिए, सारा सामान आप कभी देखिये, कहीं भी छात्रावास के व्यवस्था सुधार के नाम की चीज आज तक नहीं हुई है। वास्तव में नहीं हुई है। आप अगर इनका पैसा बढ़ा रहे हैं, आप व्यवस्था को भी सुधारिये।

श्री जोगेश्वर गर्ग : आपने छात्रावास में कभी भोजन किया है जाकर के ? करिये जाकर।

श्री परसादी लाल मीणा : मैं तो रोज ही देखता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय; आपने तो... (व्यवधान) मैंने एक कटमोशन लगाया है। कांग्रेस के समय से, 30–40 साल से एक छात्रावास लालसोट में चल रहा था एस. सी. का, मंत्री महोदय ने चार्ज सम्भालते ही यह छात्रावास बंद कर दिया, क्यों कर दिया ? अगर आपने बंद कर दिया मंत्री महोदय तो आपको लालसोट में दूसरा एस. सी. के लिए, वहां पर आपका कालेज भी है, आप की सीनियर सैकण्डरी स्कूल भी है, तहसील का हैड क्वार्टर भी है, आपने उस छात्रावास को बंद कर दिया। मैंने आपको कटमोशन भेजा, उसका जवाब दिया कि इसमें कोई दूसरा एस. टी. का छात्रावास है, उसी में हम इन लड़कों को भर्ती करेंगे। वहां सारी ही 50 लड़कों की व्यवस्था है, चार कमरे हैं। आप उनमें कैसे 50 लड़कों की व्यवस्था करेंगे। आप 25 छात्रावास जो खोल रहे हैं, आज जो भी व्यवस्था है, कहीं भी सुधार नाम की चीज, चाहे गरीबों के लिए आपने रिक्शा बांटे हों, आप अपनी सी. ए. जी. की रिपोर्ट उठाकर देख लीजिये। आपको एक प्रतिशत भी

(श्री परसादी लाल मीणा)

एचीवमेंट नहीं है। न आटो रिक्शा में है जो गरीबों के लिए आप बांटते है, जो गरीबों के लिए मिलने वाले साधन हैं, आप सी. ए. जी. की रिपोर्ट उठाकर देख लीजिये मंत्री महोदय, अपने विभाग का परीक्षण करवाइये कि उनमें कितना एचीवमेंट है ? कहीं 1 प्रतिशत, कहीं 2 प्रतिशत। पेंशन का ले लीजिये। आपने छात्रावासों पर बढ़ाया कि 125 रुपये एक पेंशनभोगी कहां से क्या उपयोग करेगा ? 100 रुपये से आपने 125 कर दिये। आप क्यों नहीं 200 रुपये 250 रुपये कम से कम, जिसका कुछ नहीं है, असहाय आदमी है, उस आदमी को आप 200 रुपये 150 रुपये जितना भी आप करना चाहें, आप उतना करिये।

मेरी एक पर्सनल शिकायत है। जिन लोगों की विधवा हैं या पत्नी जिनकी हो जाती है या जो आज जोड़ा होता है, उसमें से एक व्यक्ति की या पति-पत्नी में से एक की डेथ हो जाती है उसकी आप पेंशन दुबारा बनवाइये। उसके पहले ही, मान लें साल छह महीने लग गये तो आपके अधिकारी, आपका एक रूलस देखा कलक्टर के वहां, आपके अधिकारी उसको एरियर नहीं देंगे। अगर एक साल तक उसकी पेंशन बंद होगी तो उसको नये सिरे से शुरू करेंगे, उसका एरियर नहीं देंगे पिछला, आप उसको कटीन्यू रखिये और अधिकारियों की जिम्मेदारी फिक्स करिये अगर पति और पत्नी में से एक की मृत्यु होती है और उसकी सूचना आपको मिलती है तो तुरन्त आपको उस पेंशन का पंजीकरण करके दूसरी उसको पेंशन चाहे एक साल की बकाया हो, चाहे दो साल की बकाया हो, आप पूरी पेंशन का एरियर बनाकर दीजिये। आज जो आपकी योजनाएं हैं समाज कल्याण की....

अध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया, इसके लिए तो मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा आप जो 25 छात्रावास खोल रहे हैं इस साल में, उसमें से एक लालसोट पंचायत समिति मुख्यालय के ऊपर जो आपका छात्रावास बंद हो चुका है, जो अनुदानित छात्रावास था, उसकी जगह तुरन्त राजकीय छात्रावास खोलने के लिए मेरा आपसे निवेदन है कि इस वित्तीय वर्ष में आप छात्रावास खोलने की मेहरबानी करेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती इन्दिरा मायाराम।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम (सांगानेर) : अध्यक्ष महोदय, आज अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं समाज कल्याण की योजनाओं पर जो चर्चा चल रही है उसमें अपने आपको सम्मिलित करते हुए मैं यह निवेदन करना चाहती हूं कि....

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : हां पक्ष की तरफ से....

श्री अध्यक्ष : एक नाम है।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : यह जो आरक्षण किया गया था आजादी के बाद, इस दृष्टि से किया गया था कि जो हमारे समाज का एक वर्ग किन्हीं भी कारणों से आगे नहीं बढ़ पाया है और पीछे रह गया है, शोषित वर्ग है उसको हम आगे बढ़ा सकें और उसी को कल्याणकारी योजनाएं बनायी गयी। किन्तु मुझे खेद है इस बात का कि जिस तरह से उन योजनाओं को लागू करना चाहिए था, सरकार उन योजनाओं को लागू करने में न इतनी गम्भीर है, न उन योजनाओं को लागू कर रही है। मैं कुछ बातें यहां बताना चाहती हूं। सबसे पहले, जो हमारे अनुसूचित जाति या जनजाति के लोग हैं उनकी सबसे बड़ी जो समस्या होती है वह होती है पीने के पानी की। आज की स्थिति में मैं अपने क्षेत्र के बारे में बता दूं कि जो भी उनके मोहल्ले हैं उनमें कहीं भी उनके पीने के पानी का अलग से प्रबन्ध नहीं है, कोई दो किलोमीटर से लाता है, कोई तीन किलोमीटर से, कोई एक किलोमीटर से। बार-बार लिखने के बावजूद भी उनके पीने के पानी के लिए हैण्ड पम्प लगाया जाए, या उनकी कोई समस्या दूर की जाए, यह नहीं हुआ। वहां पर अगर टंकी बन जाती है तो एक अनुसूचित जाति का जो आपने बोर्ड बनाया है वह जिला स्तर पर भी बनाया है, अगर उनको हम कहते हैं कि इनको पाइप लाइन डालने का पैसा दे दो तो वह भी इनको नहीं दिया जाता है।

मेरे समझ में नहीं आता कि वह बोर्ड किस काम के लिए बना है। इसी प्रकार बिजली की लाइन डालने के लिए भी बोर्ड से पैसा नहीं दिया जाता। इसी प्रकार वहां पर मेरे क्षेत्र में केशुपुरा, सांगानेर में 55 में जो एक हमारे यहां कालोनी बनी थी उसके ऊपर 85 में एक 33 के. वी. लाइन खींच दी गयी कालोनी के ऊपर से और अब मैं बार-बार हटाने के लिए जब भी बोलती हूं तो बिजली विभाग वाले कहते हैं उन अनुसूचित जाति के गरीब लोगों से कि पैसा जमा करायें तब हम इस लाइन को हटाएंगे। मेरी समझ में नहीं आता कि यह जो बोर्ड बना है, यह अनुसूचित जाति की कल्याणकारी योजनाएं बनी हैं वह किस काम के लिए बनी हैं। अगर वही पैसा देकर हटा सकते तो फिर उसकी योजना बनाने की आवश्यकता नहीं थी, बोर्ड बनाने की आवश्यकता नहीं थी।

इसी प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में छात्रावास की अभी बात हो रही थी, मैं बड़े खेद के साथ यह कहना चाहती हूं कि जहां कन्सन्ट्रेटेड पापुलेशन है उसको तो आप मानते हैं कि यहां पर जनजाति के लोग रहते है इसलिए वहां पर कुछ विकास का काम होना चाहिए। लेकिन मेरे निर्वाचन क्षेत्र में पांच पंचायतें हैं, लूणियावास, जगतपुरा, दातली, सिरोली, बिदानी, यह इधर जो कि आगरा रोड पर पड़ती है, कुछ पंचायतें मेरे चाकसू के एरिया में पड़ती हैं, शिवदासपुरा, आकोडिया, बाराघाई इनमें सब में जनजाति के लोग रहते हैं। उसके बावजूद एक भी छात्रावास नहीं बनाया गया। मैं बराबर इसके बारे में लिखती रही हूं कि वहां से बच्चियों को जयपुर तक आकर पढ़ने की हिम्मत नहीं होती। गांव

(श्रीमती इन्दिरा मायाराम)

से आकर पैसा खर्च करके वह अपनी बच्चियों को नहीं पढ़ा सकते हैं। दसवीं तक स्कूल सिर्फ भी सांगानेर और बगरू के सिवाय महिलाओं के लिए कहीं नहीं है। उनके लिए छात्रावास बगरू में या सांगानेर में बनाना या शिवदासपुरा में बनाना बहुत आवश्यक है, इस पर भी ध्यान नहीं दिया जाता और कहा जाता है कि हम महिलाओं की शिक्षा पर, अनुसूचित जाति, जनजाति की बहनों के बारे में बड़े चिंतित हैं।

चौथा प्रश्न है रोजगार का। अनुसूचित जाति के पुरुषों को या जनजाति के आदमियों को या ओ. बी. सी. के आदमियों को रोजगार नहीं मिलता। यह बात तो सही है पर इस बारे में बहुत से लोग बोल लिये। वह बाहर जाकर के मजदूरी भी कर सकते हैं। पर मैं दुःखी इस बात से हूं कि उनकी जो औरतें हैं वह गांव में मैं कहीं भी जाती हूं तो मुझे घेर कर खड़ी हो जाती हैं कि बहनजी, रोजगार का प्रबन्ध कीजिये। मेरे समझ में नहीं आता कि यह सरकार उनके रोजगार के लिए कोई इंतजाम क्यों नहीं करती। उनके लिए रोजगार की बात करते हैं तो क्या

(19.25 बजे)

(श्रीमती तारा भण्डारी, सभापति, पदासीन)

उनको ट्रेनिंग दी जाती है, पंखे बनाने की, रस्सी बनाने की, यह। अभी हमने पूछा जाकर, सौ पंखे बनाती हैं, दस रुपये मिलते हैं। एक औरत एक दिन में पचास पंखे भी नहीं बना सकती। क्या उम्मीद करते हैं आप उनसे, किस चीज की ट्रेनिंग दे रहे हैं? रस्सी बनाने की। आप ऐसा क्यों नहीं वहां पर धन्धा शुरू करते जैसे सब्जियों का। सब्जी पैदा होती है हमारे क्षेत्र में बहुत ज्यादा, प्याज होती है, टमाटर होते हैं, बैंगन होते हैं, बहुत सी चीजें पैदा होती हैं, उनकी पैकिंग का इंतजाम किया जाय, टमाटर की सोस आदि चीजें बनाने का इंतजाम किया जाय। इस प्रकार के धन्धे उन अनुसूचित जाति, जनजाति की महिलाओं के लिए जो कर सके, और वहां उसी गांव में यह हाथकरघा का कोई काम शुरू किया जा सके। उनको लोन भी नहीं दिया जाता क्योंकि उनके पास में कोई ऐसी चीज नहीं है जिसकी कि वह वहां पर जमानत दे सके। कोई हाथकरघा का, या गोटा लगाने का काम करना भी चाहती हैं, कुछ बहनों को मैंने अपनी जिम्मेदारी पर पांच-पांच हजार रुपये बैंक से, अपनी गारन्टी पर दिलाये और आज मैं बड़े गर्व के साथ यह बात कर रही हूं कि उन बहनों ने पिछले चार साल में कुछ कुछ करके वह पैसा चुका दिया, दुबारा लोन ले लिया। पुरुष शायद कर्जा नहीं चुकाते, परन्तु बहनें कर्जा चुकाती हैं। लेकिन न उनको कर्जा दिया जाता है, क्योंकि उनके पास कोई चीज नहीं है जमानत देने के लिए। तो जो रोजगार का मामला है वह भी बहुत आवश्यक है। इस पर भी सरकार को विचार करना चाहिए।

(श्रीमती इन्दिरा मायाराम)

लड़कियों के लिए छात्रावास जो बनाये जायं, उनके लिए कमेटियां भी बनाई जायं। नहीं तो उनकी हालत वही हो जायेगी जो हमारी आवासनी बहनों की है, जो अभी हमारे एक भाई कह रहे थे। यहां पर अभी बहन सदस्या ताराजी ने यह बोला कि एक संस्था में बहुत ज्यादतियां हो रही है, उस संस्था की ठीक है, कहीं भी अगर ज्यादतियां हो रही हैं तो आपका फर्ज बन जाता है कि आप उसकी जांच करें, लेकिन क्या यह सरकार का फर्ज नहीं बनता कि सरकार के समाज कल्याण विभाग की जो संस्था चल रही है, उसमें आवासनियों के साथ, वहां पर रहने वाली औरतों के साथ जो बर्ताव हो रहा है, उसकी सरकार जांच करे। वहां पर कोई कमेटी जनप्रतिनिधियों की बनायें और उनका काम हो कि वह जाकर देखें कि उनके साथ क्या ज्यादतियां हो रही हैं, क्या व्यवहार हो रहा है। क्योंकि जिनके आदमी छोड़ देते हैं, जिनको घर से निकाल दिया जाता है, भगा ली जाती हैं लड़कियां, उनको लाकर वापस उसमें रखा जाता है तो वहां उनको वातावरण अच्छा मिलना चाहिए, इसके बजाय वहां पर जो उनको वातावरण मिलता है वह कितना खराब है। तो संस्था की तो करायें, लेकिन सरकार के हाथ में, आप खुद के हाथ में चीज है उसकी भी जांच करके कोई आप उसके बारे में कारगर कार्यवाही नहीं करें, यह तो बड़ी दुःखदाई स्थिति है।

अब मैं आपके सामने बहुत ही दुःखदाई प्रश्न उपस्थित कर रही हूं। अनुसूचित जाति, जनजाति, ओ. बी. सी. सब का नाम बहुत लिया जाता है लेकिन जो हरिजन लोग हैं, जो सफाई के मजदूर हैं उनकी जो दुर्दशा आज की तारीख में हो रही है वह कभी नहीं थी। सारी आफिसेज में आज ठेके दे दिये गये। सारे निगमों में म्युनिसिपलिटीज में उनकी नौकरी लगती थी, वहां आज ठेके दे दिये गये। सब जगह ठेके दे दिये गये और उनमें जरूरी नहीं है कि उन्हीं लोगों को रखा जाए। वह कहां जाएं? आज उनकी वह स्थिति हो गयी है कि कहीं के नहीं रहे, उनको कोई धन्धा नहीं, कोई नौकरी नहीं, दूसरी जगह कोई लेने वाला नहीं।

मैं यह चाहती हूं कि समाज कल्याण और आपकी जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उनमें हरिजनों के पढ़ने के लिए छात्रावास का अलग से इंतजाम किया जाए। उनको कोई साथ रखने के लिए तैयार नहीं है, उनका कोई प्रबन्ध करने को तैयार नहीं है, उनमें से कोई बहुत मुश्किल से ही आगे निकल पाता है। इसलिए वह जो लोग हैं उनके लिए अलग से कोई न कोई छात्रावास का भी, उनके लिए नौकरियों का भी इंतजाम किया जाय। आज स्कूलों में उनकी औरतें बोलती हैं, बहनजी, हमको आज भी पचास रुपये महीना दे रहे हैं सफाई के। क्यों नहीं उनको चपरासी की तनख्वाह दी जाती है। उनको पचास और तीस रुपये देकर के आज भी नौकरी रखा जाता है, सरकारी स्कूलों में यह हालत है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

घंटी आप बजा रही हैं मैडम मैं बहुत ही जरूरी

(श्रीमती इन्दिरा मायाराम)

बात कह रही थी। खैर, अब आपने बजा ही दी है तो मैं सिर्फ एक ही बात और कहना चाहती हूं। आपने घंटी बजाई, मैं आसन का सम्मान करती हूं।

एक विकलांग लोग जो हैं उनके लिए भी कोई काम का, रोजगार का प्रबन्ध नहीं है। कितनी ही चिट्ठियां समाज कल्याण विभाग को लिख दी आएं लेकिन उनकी मदद नहीं की जाती। न उनको कोई पेंशन दी जाती है, न उनकी कहीं नौकरियों में नाम है। मैं यह जानना चाहती हूं कि आज से पांच साल पूर्व तक का तो मुझे मालूम है कि समाज कल्याण बोर्ड में एक सूची हुआ करती थी, उसमें सबके नाम लिखे होते थे कि ये लोग विकलांग हैं इनको नौकरी दी जाएगी इतने पढ़े-लिखे हैं, लेकिन आज उसके बाद में कितनी बार इनके लिए चिट्ठी लिख चुकी हूं कि किसी का भी यह जवाब नहीं मिला कि आपने उनको सूची में दर्ज किया, उनकी नौकरी का कोई प्रबन्ध किया या उनके लिए कोई पेंशन का इंतजाम किया या उनकी गाड़ी का कोई इंतजाम किया या उनके लिए कोई लोन का इंतजाम किया तो इस प्रकार की जो स्थिति है उस पर भी आपकी सरकार जो अपने–आपको कल्याणकारी सरकार कहती है, उसको ध्यान देना चाहिए। आपने मुझे समय दिया उसके लिये धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति : श्री फूलचन्द मीणा।

श्री फूलचन्द मीणा (सलूम्बर) : माननीय सभापति महोदया, आज इस पवित्र सदन में ऐसे संवेदनशील और गम्भीर वर्ग के लोगों की, जो सदियों से पिछड़े हैं, जिन पर सदियों से अत्याचार के जुर्म ढाये हैं; सदियों से दुःख में रहे हैं उनकी चर्चा हो रही है उसमें मैं अपने–आपको सम्मिलित करता हूं। इसी आधार पर मैं सबसे पहले इस सदन का आभार व्यक्त करता हूं और माननीय अध्यक्ष महोदय का धन्यवाद करूंगा कि इन 50 वर्षों में पहली बार एक जनजाति के व्यक्ति को सर्वोच्च आसन पर बैठाया और आज वह दिन है इसलिए मैं सदन के माध्यम से सभी का आभार व्यक्त करता हूं और माननीय अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद कहता हूं।

श्री कैलाश मेघवाल : पात्रता भी है उनकी।

श्री फूलचन्द मीणा : साथ ही अभी सामने वाले सभी चर्चा कर रहे थे कि मैं जनजाति एरिये से आता हूं इसलिए मैं मांग संख्या-30 पर ही अपना ध्यान केन्द्रित करूंगा, क्योंकि आजादी के 50 वर्षों में से 25 वर्ष निकलने के बाद भारत सरकार की और राजस्थान सरकार की जो तात्कालीन सरकारें थीं उनको यह पता लगा कि अब आदिवासी पैकेट पर विकास करना है तब जाकर 1975 में नींद खुली। 50 साल बाद में आदिवासी विकास के लिए पैकेट का विकास करना और टी.एस.पी.आई.ए. के नाम से योजना बनाई तो क्या ये नींद में सोये थे ?

(श्री फूलचन्द मीणा)

आज जब माननीय मंत्री महोदय और मुख्य मंत्री महोदय, जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, उन्होंने यह सोचा कि इन आदिवासियों का विकास हमारे हाथ से हो रहा है तो इनके डर घुस गया कि ये तो काम कर रहे हैं, ये तो विकास कर रहे हैं ऐसी हालत में इनकी नींद खुली इन सबने देखा कि भाषण दो, हमारा वोट बैंक तैयार होगा अन्यथा वोट बैंक टूट जाएगा। इस हालत में यह सब जोर-जोर से बोल रहे हैं। जोर-जोर से इस सदन के माध्यम से धन्यवाद दे रहे हैं।

मैं आपका आभार व्यक्त करूंगा जो पूर्व में माननीय सदस्य बोले कि इतने काबिल और इतने योग्य आदमी को राजस्थान का जनजाति राज्य मंत्री बनाया। मेरे विपक्षी भाई, मेरे साथी यह भाषण दे रहे थे कि अगला मुख्य मंत्री होगा वह नंदलाल मीणा होगा। इसका मतलब वास्तव में योग्य हैं और अनुभवी हैं और वास्तव में काबिल हैं तभी तो इन्होंने तारीफ की है। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं उनको धन्यवाद देता हूं कि ऐसे ही आभार और ऐसे ही हमारे साथ बर्ताव करें और हमारी इस पार्टी में सम्मिलित हो जाएं यह भी मैं निवेदन करता हूं, अनुनय करता हूं, प्रार्थना करता हूं...(व्यवधान) वे जनजाति से नहीं हैं, जाति से हैं और राजस्थान में जब से श्री भैरोंसिंह शेखावत साहब के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी शासन में आयी है वह चाहे 1977 हो, चाहे 1990 हो और चाहे 1993 हो निश्चित रूप से श्री नन्दलाल मीणा और श्री कैलाश मेघवाल को मंत्रिमण्डल में भागीदारी दी और स्वतंत्र रूप से दी। इस बात को आप में से कोई कह दे, हमारे यहां सागवाड़ा से आने वाले नेलसन मंडेला साहब भी बैठते हैं। उनकी भी हालत क्या थी जो 1952 से लगातार 1975 तक मंत्री थे। वे आज तक कुछ भी नहीं कर पाए। आज भी वे अपनी छाती कूट रहे हैं कि मैं कुछ नहीं कर पाया, आप तो करो मैंने यह नहीं किया आप तो करो। मेरे को फलाने मुख्य मंत्री ने नहीं करने दिया। आज स्वतंत्र रूप से श्री नन्दलाल जी मीणा काम कर रहे हैं। श्री नन्दलाल जी मीणा ने विभिन्न तरह से विभिन्न स्तर पर काम किया।

ये अधिकारी वर्ग बैठे हुए हैं महीने में दो बार, तीन बार जब भी मौका मिला मीटिंगें आयोजित कीं, हमारे साथ कीं, महामहिम राज्यपाल महोदय के साथ की, माननीय मुख्य मंत्री के साथ की और इस सतत प्रयास में रहे कि इन आदिवासियों का विकास कैसे होवे, इनकी पीड़ा अपनी पीड़ा है। जनता में पीड़ा है ये स्वयं जानते हैं कि पीड़ा कैसे है, किस प्रकार से आदिवासी रहता है, क्या खाता है, क्या पीता है, किस प्रकार अपने सारे सामाजिक संस्कारों में पलते हैं इसलिए इनकी पीड़ा में सारे के सारे अधिकारियों की ड्यूटी लगा देते हैं कि जल्दी आ जाओ हमारे यहां मीटिंग करनी है और आदिवासियों का विकास करना है और यह धन सरकार से आया है, यह धन भारत सरकार से आया है और इसका उपयोग किस प्रकार हो सकता है।

श्री रामस्वरूप मीणा : अधिकारियों की मेहरबानी पर यह डिपार्टमेंट चल रहा है। नहीं, तो ढाई दिन के झोंपड़े हो आप, कितने दिन के हो आप चले जाओगे, क्या किया है आपने और क्या कर सकते हो आगे। इन्हीं की मेहरबानी है हो रहा है जो कुछ।

श्री फूलचन्द मीणा : इसका जीता-जागता परिणाम है इण्डिया इंटरनेशनल फ्रेंडशिप सोसायटी, नई दिल्ली, जिन्होंने अभी-अभी माननीय श्री नन्द लाल जी मीणा को अवार्ड दिया है कि आपका प्रबन्धन सबसे अच्छा रहा। क्या यह सबूत नहीं कहता कि श्री नन्द लाल मीणा काम करने योग्य हैं, सफल हैं अच्छा काम किया है और भारतीय जनता पार्टी के शासन में स्वतंत्र रूप से श्री भैरोंसिंह शेखावत ने इनको काम दिया। यही सबूत है आपके पास अब मैंने खुलकर बता दिया सब जाना आपने।

अभी सभी माननीय सदस्य भाषण के रूप में बोल रहे थे कि मेरे वोट कैसे पकाये जाएं इसी चिन्ता में थे, चिन्ता यह नहीं थी कि वास्तव में आदिवासियों का विकास किस प्रकार हो सकता है अगर इस पीड़ा को लेकर 50 साल से हम सब चिन्तित होते, हम सब काम करते तो आजादी के 50 साल बाद आज कोई आदिवासी कलक्टर नहीं है, डाक्टर नहीं है, तहसीलदार नहीं है, थानेदार नहीं है, एस.पी. नहीं है, आई.ए.एस. नहीं है, वन अधिकारी नहीं है, ये सब चिन्ता 50 साल पहले क्या हुई थी ? क्या सोये थे, आपका शासन नहीं था, क्या आपके पास कोई बुद्धि नहीं थी, क्या आपके पास विचार नहीं थे। क्या इस सदन में चर्चा नहीं हो रही थी और क्या कभी कोई विचार नहीं हुआ ? सब विचार हुआ लेकिन मनों में खोट थी। पीड़ा अपने-आप में थी नहीं केवल बताने के लिए थी कि घड़ियाली आंसू बहा लो, परन्तु काम नहीं करना। काम कर लेंगे तो हमारा राज चला जाएगा। यह चिन्ता थी काम कर लेंगे, इनका विकास कर लेंगे, इनको योग्य बना देंगे इनको बोलना सिखा देंगे तो हमारे पास आएंगे नहीं। अन्य पार्टियों में चले जाएंगे और राज हमारा चला गया, चला जाएगा फिर आएगा नहीं। इस चिन्ता में कभी भी विकास के लिए अपनी पीड़ा नहीं दर्शायी और वास्तविकता में नहीं की इसलिए हालत आज 50 साल में यह है कि हम भाषण दे रहे हैं कि आई.ए.एस. नहीं है, डाक्टर नहीं है फलाना नहीं है तो इस तरह से सारी बातें चली हैं।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : आप तो एक बात बता दीजिये कि अजीत जोगी जो हमारे कांग्रेस के ... (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्या, आप बैठिये इन्टरप्ट नहीं करें।

श्री रामस्वरूप मीणा : आप बोलती हैं तब ....(व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : ..वे आई.ए.एस. थे और आई.एस.एस. छोड़कर वे पार्टी में आये हैं और वे आदिवासी हैं।

श्री महावीर भगोरा (राज्य मंत्री, मत्स्य) : आप राजस्थान की बात करो।

श्री सभापति : देखिये, वे अपनी बात बोल रहे हैं आप इन्टरप्ट नहीं करें।

श्री फूलचन्द मीणा : अजीत जोगी के लिए संसद में चर्चा हो चुकी है वे स्वयं एस.टी. के हैं या नहीं आपने भी सुना है और मैंने भी सुना है।

श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी : वे ईसाई हैं, ईसाई।

श्री फूलचन्द मीणा : वे नहीं हैं और अपने आप में खुशी जाहिर करते हो, तो बहुत बढ़िया ऐसे और भर्ती कर लें आपके यहां।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : आदिवासी हैं वे।

श्री सभापति : आप बैठे-बैठे न बोलें।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : आप खड़ी नहीं होने देती हैं।

श्री फूलचन्द मीणा : माननीय सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि जनजाति एरिया में तीन चीजों के साथ संबंध है और तीन चीजों की कमी है जनजाति का आदिवासी जल, जमीन और जंगल से सम्बन्ध रखता है और तीन कमियों के साथ जुड़ा हुआ है। एक तो रोजगार नहीं है दूसरी अशिक्षा है, तीसरी भुखमरी है इन तीनों का अगर वास्तविक रूप से हम चिन्तन करके इनका निवारण कर दें तो आदिवासी आदिवासी नहीं है क्योंकि आदिवासी न तो दाता के रूप में न मांगने के रूप में नहीं होता है वह हमेशा छोटी-छोटी कास्ट में बंटा हुआ है लेकिन वह अपने आप में शान से जीना चाहता है। वह यह नहीं कहता कि मुझे भीख दो। वह तो यह कहता है कि मैं खुद कमा खाऊंगा चाहे मेरी छोटी जमीन हो।

इसलिए उनके प्रति इस प्रकार का सोच रखना चाहिए अगर उस सोच में हम आगे बढ गये और माननीय मंत्री जी निश्चित रूप से इस सोच में चल रहे हैं। कुशलगढ से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि शिक्षा की दृष्टि से हम सबसे पीछे कर दिये। उनके यहां कालेज दिया वह इसी सरकार ने दिया। सलूम्बर में कालेज दिया वह इसी सरकार ने दिया और श्री नन्दलालजी मीणा ने प्रत्येक पंचायत समिति में आश्रम विद्यालय स्थापित किये। इससे पहले क्या हुए थे ? 1977 में भी हुए थे। 1977 में भी आप मंत्री थे और आज जब ये सारी बातें देखते हैं तो इनको डर लगता है कि और आगे विकास हो जाएगा, इसलिए ये बोलते हैं कि श्री नन्द लाल जी की बढ़ाई करो, तीन महीने अब और बाकी हैं और सरकार यही आने वाली है इसलिए अभी से बढ़ाई करो तभी अपना काम अच्छा होगा अन्यथा कहीं न कहीं गड़बड़ हो जाएगी, कहीं अपने से नाराज नहीं हो जाएं इस डर से सारा वातावरण खड़ा किया जा रहा है कि हम कांग्रेस वाले अच्छे हैं। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, श्री भैरोंसिंह शेखावत की सरकार है और माननीय नन्दलाल जी मीणा मंत्री हैं, इनको बधाई और धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने आज सड़कों का विकास

(श्री फूलचन्द मीणा)

किया, एनीकट का विकास किया। पहले जलाशय लिफ्ट योजना में दो सौ लाख लगाये, अब ये चार सौ लाख लगा रहे हैं। तो यहां जा रहा है पैसा। जनता में भी लगा कि हम गरीबों की सुनने वाला व्यक्ति आज राज में बैठा है तभी जलाशय बन रहे हैं। अभी आप कह रहे थे कि ट्राइबल एरियाज में भी शिक्षा में कोई स्तर बना नहीं। आज की तारीख में ही अभी तीन बच्चे आर.ए.एस. में पास हुए। मन्नालाल रावत, परतावल का है, महावीर खराड़ी, घाटोल का है, चन्द्रप्रकाश परमार, खैरवाड़ा का है, डूंगरपुर का नहीं, खैरवाड़ा का है। यह कहां से निकले? 10 साल मे निकल गये हैं तो पिछले चालीस साल मे क्यों नहीं निकल पाये? क्या उस समय बुद्धि नहीं थी?

श्री शंकरलाल अहारी : 10 साल में निकल गये?

श्री फूलचन्द मीणा : अभी तो ट्रेनिंग है, पोस्टेड नहीं हुए अभी। माननीय सभापति महोदया, लेकिन उस क्षेत्र में कुछ कमियां हैं। आज रोजगार के लिये सारे बच्चे भटक रहे हैं। ट्रेनिंग शुदा है, सब कुछ है परन्तु सरकार ने किसी कारणवश बेन लगा रखा है। वह बेन टी.एस.पी. एरिया में तो नहीं होना चाहिये। अन्यथा न तो चपरासी लगा सकते हैं, अध्यापक जरूर लगा सकते हैं बाकी हरेक पद पर प्रतिबन्ध है। वह प्रतिबंध हटना चाहिये। हटना तो निश्चित रूप से स्केल नं. एक से छः तक जो 45 प्रतिशत आरक्षण किया है वह इसी सरकार ने किया है और इस सरकार की नीति साफ है, सोच साफ है, पर यह प्रतिबंध हटाकर उनको सीधा लाभ दिया जाना चाहिये। एस.टी., एस.सी. में भी 45 प्रतिशत आरक्षण करना चाहिये। बी. एड. में है जिस प्रकार से विशेष कोटे वाली स्कूलें, ट्रेनिंग शालाएं जो बन्द कर दी गई हैं, वह भी वापस चालू कर देनी चाहिये। भारत सरकार ने बन्द की हो चाहे राजस्थान सरकार ने बंद की हो। जब तक प्रशिक्षित नहीं मिलेंगे तब तक, हम नहीं कहते बिना प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्ति की नौकरी नहीं लगनी चाहिये, परन्तु प्रशिक्षण देकर उनको, जिस प्रकार पहले विधि थी 1990 से लगाकर 1997 तक, वही तरीका वापस अपनाना चाहिये।

जिस प्रकार ट्राइबल एरिया में स्वयं सेवी संस्थाओं का जाल फैल गया है जो जाल, पता नहीं अधिकारियों से मिलकर चलता है या कैसे भी चलता है, हर घर में रजिस्टर्ड संस्था है, हर जगह काम करने वाला आता है, कोई भी कह रहा है मैं अमुक योजना चला रहा हूं, कोई कहता है मैं वनों का विकास कर रहा हूं, कोई कहता है मैं महिला विकास कर रहा हूं, कोई कहता है मैं पुरुष विकास कर रहा हूं, कोई कहता है मैं बाल विकास कर रहा हूं, कोई कहता है मैं विकलांग विकास कर रहा हूं, इन पर पूरी-पूरी निगरानी रखी जाय क्योंकि मुझे लगता है कि इस प्रकार पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। उस दुरुपयोग को रोकने का माननीय मंत्री महोदय से भी

(256)

(श्री फूलचन्द मीणा)

निवेदन करेंगे कि इस ओर ध्यान दिया जाय।

मैं वस्तुस्थिति पर ध्यान दे रहा था कि आदिवासी तीन चीजों से संबंध है, और तीन चीजों की कमी है-जल, जमीन और जंगल। जल, जमीन की पूरी व्यवस्था हो जाय। जल के आधार पर छोटे-छोटे एनीकट बनाये जाएं। जिस प्रकार पांच सौ करोड़ की योजना इन्होंने दिल्ली सरकार को भेजी है वह स्वीकृत हो जाय तो आदिवासी निहाल हो जायेंगे। हर खेत को पानी मिल जायेगा, हर हाथ को काम मिल जायेगा तो निश्चित रूप से उनको आर्थिक सफलता मिलेगी। जब तक किसी आदमी के पास रोजगार नहीं हो तब तक उस आदमी का दिमाग काम नहीं करता, क्योंकि मेरी जेब में हजार रुपये होंगे तभी मेरा दिमाग हजार जैसा चलेगा, मेरी जेब में दस हजार होंगे तो दस हजार जैसा चलेगा, मेरी जेब में एक लाख होंगे तो लाख जैसा दिमाग चलेगा। जब खाने की भुखमरी है तो वह आदमी सुबह उठकर सारे विकास भूल जाता है। सारी चीजों को छोड़ कर एक ही चीज में लगता है कि मेरी पेट की अग्नि कैसे बुझाऊं। इस ओर हम सबको ध्यान देना पड़ेगा। रोजगार के साधन अधिक से अधिक तैयार करेंगे तभी जाकर आदिवासी एरिया में खुशहाली आयेगी। अन्यथा न तो वह अपने बच्चे को पढ़ाता है।

मंत्री महोदय, श्रम मंत्री भी हैं वह स्वयं जानते हैं कि छोटे-छोटे बच्चों को कोई मुम्बई भेज रहा है, कोई अहमदाबाद भेज रहा है। कोई शहरों में, जहां–जहां काम चलते हैं वहां भेज रहा है। क्योंकि रोजी–रोटी के लिये, खाने के लिये पहले व्यवस्था करनी पड़ती है। इस हालत में न तो वह पढ़ा पा रहा है, न कुछ और कर पा रहा है। जितने हास्टल खोले जा रहे हैं, आई.टी.आई. खोले जा रहे हैं, यह सारे अच्छे अवसर हैं। साधन है रोजगार उपलब्ध कराने के, परन्तु रोटी का इन्तजाम भी करना पड़ेगा। जब तक यह एनीकट बनाये जायं, सारे एनीकट बना दिये जायं तब जाकर लाभ होगा।

मैं थोड़ी-सी बात और कहना चाहता हूं। विशेष केन्द्रीय सहायता से जो पैसा आता है वह कुछ पैसा तो व्यक्तिगत लाभ के लिये आता है और कुछ पैसा अन्य निर्माण कार्य वगैरह के लिये आता है। परन्तु उसमें भी कहीं तो सी.डी. वर्क्स बना दिये जाते हैं, कहीं आवास गृह बना दिये जाते हैं कहीं और कार्यों में पैसे लगा दिये जाते हैं। यह कानून, गाइड लाइन चेंज कर दी जाय या फिर उनको सीधा लाभ मिल सके ऐसी व्यवस्था की जाए। उनको बकरियां दी जायं, मुर्गियां पालने की व्यवस्था की जाय और मछलियों के जो तालाब दिये जा रहे हैं, वह ज्यादा से ज्यादा दिये जायं। आपने समय दिया उसके लिये धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री प्रभूराम गरासिया।

श्री प्रभूराम गरासिया (पिंडवाड़ा) : सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में समाज कल्याण विभाग द्वारा छात्रावास खोले गए, उसके लिये मैं मंत्री महोदय को धन्यवाद दूंगा और जनजाति के लिए आश्रम स्कूलें खोली गई हैं। इसके साथ ही मेरे यहां आवासीय विद्यालय खोला गया है, उसके लिये मैं मंत्री महोदय को धन्यवाद दूंगा कि आदिवासी क्षेत्र में एक करोड़ का छात्रावास बनेगा और बच्चे पढ़ेंगे। पहले कांग्रेस वाले कह रहे थे कि हमने स्कूलों में पैसे लगाये, लेकिन आदिवासी बैल्ट के लिए आपने कभी भी यह नहीं सोचा कि पहली से लगा कर पांचवीं तक स्कूल खोले। आज दिन तक न तो फ्री किताबें दी हैं, न आपने इतने छात्रावास खोले हैं, न कोई आश्रम खोले हैं। बस सिर्फ आपने यही देखा कि शहरी एरिया में स्कूलें क्रमोन्नत हों।

आज भारतीय जनता पार्टी ने सभी जगह आदिवासी बैल्ट में, हर पंचायत हैड क्वाटर पर मिडल स्कूलें बनाई हैं और उनमें बच्चे पढ़कर आज कालेज में पढ़ रहे हैं। उनके लिये मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि जो कालेज में आदिवासियों के बच्चे पढ़ रहे हैं उनके ठहरने के लिये कोई व्यवस्था नहीं है और कालेजों में पढ़ने वाले बच्चों के लिये आवास आश्रम अगर खोला जाय तो बहुत ही अच्छा रहेगा और बच्चे आगे पढ़ते जायेंगे।

मैं आपसे एक और निवेदन करूंगा कि जहां ग्राम पंचायत आमली है वहां हमारे एक छात्रावास होना चाहिये। वहां कम से कम दो सौ, तीन सौ आदिवासी बच्चे पढ़ रहे हैं और घर से खाने के लिये रोटी आदि अपने साथ लेकर स्कूल आते हैं और शाम को घर जाते हैं। वहां, आदिवासी बैल्ट में, एक-एक आश्रम स्कूल भूला और आमली में खोला जाय तो बहुत ही अच्छा रहेगा। वैसे अभी माउंटआबू में एक छात्राओं का आश्रम स्कूल है। वहां यह किराये पर चल रहा है। वहां भूमि लेकर एक आश्रम का निर्माण किया जाय जिससे उन बच्चियों का भविष्य सुधर सके। वर्तमान में वहां भवन किराये पर है लेकिन वहां इतनी गंदगी है कि बच्चियां न तो पढ़ पाती हैं, न वहां रह सकती हैं। इसलिए माउंटआबू में एक भवन की व्यवस्था की जाए।

आदिवासी क्षेत्र में आपरीखेड़ा में, लोटाना में जो बच्चियों का छात्रावास है उस छात्रावास में जाने के लिये रोड नहीं है। पांच किलोमीटर नादिया से छोटी-छोटी बच्चियां पैदल जाती हैं और बीच में जंगल पड़ता है। इसलिए वहां एक रोड़ बनाया जाय जिससे बच्चियों के आने-जाने का साधन बन सके। रोड़ नहीं होने से वहां न कोई बस जा सकती है, न कोई टैक्सी जा सकती है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आपरीखेड़ा आश्रम स्कूल तक रोड नहीं है, वहां रोड बनाया जाय।

मेरा दूसरा निवेदन है कि हमारे यहां डी.ए.डी. के जितने भी काम होते हैं, रोडों के काम होते हैं, उनको मेंटेन करने के लिये वहां कोई अधिकारी नहीं है। जे. ईएन. कैडर का वहां अधिकारी रहता है। वहां

258

(श्री प्रभूराम गरासिया)

के लिए एक्स.ईएन. ग्राफिस राजसमंद है। हमारी कोई समस्या होती है तो हम राजसमंद नहीं जा सकते हैं। हमारे नजदीक का पी. डब्ल्यू. डी. का आफिस सिरोही में है। ग्रतः इन सड़कों का कार्य उनको सौंपा जाय तो रिपेयर की व्यवस्था हो सकती है और जो टूटी-फूटी रोड हैं, वह ठीक कराई जा सकती है। यह भी दिखवाएं कि टी. ए. डी. का जो पैसा आता है वह हमारे आदिवासी बैल्ट में खर्च हो। वुफालावेड़ा से डामबोर तक तो पक्की रोड बन गई है। आपने टी. ए. डी. क्षेत्र में करोड़ों रुपये लगाये हैं, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद दूंगा। अब इस रोड को आगे बढ़ाते हुए गुपाड़ा खेड़ा से सीधे अम्बा जी जाने के लिए, कोटेसर होते हुए डागबोर से कोटेसर तक के लिए रोड सैंक्शन करें तो मैं आपका आभारी रहूंगा। इतना कहकर समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : श्री हीरालाल सहरिया।

श्री हीरालाल सहरिया (किशनगंज): माननीय सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से आज जो समाज कल्याण और जनजाति की मांग संख्या-30 और 33 पर चर्चा चल रही है, उसमें अपने आपको सम्मिलित करते हुए केवल सहरिया समाज, जो कि सबसे ज़्यादा दलित है, जैसा कि माननीय सदस्य परसादीलाल जी ने कहा कि जनजाति क्षेत्र में एक परामर्शदात्री समिति गठित की गयी। मुझे खेद है कहते हुए कि जिस समाज के लिए, जिस जनजाति के विकास के लिए हम कुछ अपने सुझाव दे पाते, लेकिन हमें उसमें आपने सदस्य पद पर नियुक्त नहीं किया।

दूसरा, मेरा एक और निवेदन है कि शाहबाद में जो सहरिया परियोजना संचालित की जा रही है, जनजाति क्षेत्र के माध्यम से उसमें एक जो समिति गठित की गयी, उसके अन्दर ओ. बी. सी. के आदमी के बजाय, ओ. बी. सी. पर कुठाराघात करते हुए, इसको जगह अनुसूचित जनजाति जाति मीणा, जो पूर्व सदस्य रहे हैं, उनको आपने सम्मिलित किया है। यह तो आपकी काम करने की क्षमता है। जो ओ. बी. सी. का व्यक्ति आकर हमारे सुधार के लिए कोई सुझाव दे पाता, ठीक है, आप उनको किसी और दूसरे पद पर सुशोभित करते, मैं आपत्ति नहीं करूंगा, लेकिन कम से कम ओ. बी. सी का जो कोटा पूरा किया जाना चाहिए था उस समिति मे, उस कोटे से आपने बैक-डोर एंट्री करके इनको उस पर सुशोभित किया। यह मेरा आक्षेप है कि जनजाति सहरिया क्षेत्र से, जो कि केवल मात्र दो पंचायत समिति जिला बारां की हैं, किशनगंज और शाहबाद, और जिनकी जनसंख्या भी बहुत ही कम है, कुल जनसंख्या है 1,91,373 जिनमें से सहरिया केवल 47,822 हैं।

इस योजना को जब सन् 1975 में, जनजाति उपयोजना बनायी गयी थी, उसके बाद हमारे सहरिया ढेबरभाई कमीशन के माध्यम से इसका एक सर्वे कराया गया। उसमें इस उपयोजना को बनाया, जो सबसे पिछड़ी जाति है, इसको बनाया। वह हमारे

(श्री हीरालाल सहरिया)

शोषित परिवारों के आर्थिक उत्थान एवं सामाजिक उत्थान के लिए गठित की गयी। 20 वर्ष हो जाने के बावजूद भी मात्र 439 गांवों को जनजाति विभाग न तो कोई रोजगार दे पाया, न पानी की सुविधा मुहैया करा पाया और न ही इनके आर्थिक और शैक्षणिक विकास की योजना ही बनायी है।

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय, जो आप महाराष्ट्र पैटर्न को यहां लागू करवा चाह रहे हैं, मुझे भी सौभाग्य मिला है वहां जाने का, और हमने वहां देखा कि किस तरह से छात्रावास संचालित किये जा रहे हैं, किस तरह से वहां की योजनाओं को संचालित किया जा रहा है। आपने यहां आकर घोषणा तो की लेकिन वह दबाव में आ गये और दबाव में आने की वजह से उनको लागू नहीं कर पाये। और दबाव जैसा कि माननीय खोईवाल जी ने कहा था कि अधिकारियों की मंशा नहीं है। अगर चाहते तो हमारी इस पार्टी में भी बैठे हैं, उधर भी हैं, माननीय सदस्य बहुत से ऐसे हैं जो जनजाति से आते हैं, इनका भी दबाव होता माननीय मुख्य मंत्री जी के ऊपर।

मैं यह कह सकता हूं कि वह जरूर लागू होती और लागू होती तो हमारे अनुसूचित जाति,जनजाति वालों के लिए लाभ की एक योजना होती। लेकिन खेद है वह इस अवधि में तो शायद लागू हुई नहीं, आगे का भगवान ही मालिक है। आज जो हमारे क्षेत्र की चर्चा चल रही है उसमें उपयोजना के बारे में बताऊं, समाज कल्याण मंत्री जी से भी चाहूंगा कि जो कन्याओं के छात्रावास संचालित हो रहे हैं, उसमें पिछली बार भी सत्र में आपने कहा था कि उसमें अभी तक महिला व्यवस्थापक नहीं लगायी हैं। कभी भी किसी समय कोई भी दुर्घटना वहां घट सकती है क्योंकि पुरुष उसका संचालन कर रहे हैं जो अनुचित है। मेरी मांग है आप जैसे नाहरगढ़ छात्रावास है, समराणा छात्रावास है इसमें कन्याओं का छात्रावास होते हुए वहां पुरुष छात्रावास का संचालन कर रहे हैं। दूसरा आपका समराणा का छात्रावास और जलवाड़ा के छात्रावास की अभी तक बिल्डिंग नहीं बनी है उनका इस बजट में प्रावधान करते हुए बिल्डिंग बनवायें और संचालित करें।

जनजाति क्षेत्र में लैम्पस को पैसा दिया जाता है वह एक तरह से इसलिए दिया जाता है, पहले लैम्पस और पैक्स पैकेज इसलिए बनाये गये जो साहूकार हम आदिवासियों को ठगता था, आदिवासियों के साथ ज्यादा तोलता और कम मूल्य देता था। उसको खत्म करने के लिए हमारे लिए लैम्पस और पैक्स लागू किये और इसमें एक प्रावधान रखा कि इसमें व्यवस्थापक या इनके एजेंट आदिवासी ही होंगे। लेकिन मुझे कहते हुए खेद है, क्योंकि इन्होंने पैरेलल व्यवस्था चलायी। एक तरफ तो दुकान आदिवासी को दे दी, दूसरी तरफ दूसरे स्वर्ण जाति को दे दी। पैसा स्वर्ण जाति को दिया गया और आदिवासी को नहीं दिया गया। उसको और

(श्री हीरालाल सहरिया)

साबित किया गया और उसको साहूकार साबित किया गया।

नतीजा यह हो रहा है, माननीय सभापति महोदया कि इन्होंने पैटर्न बदल दिया जिससे अब लैम्पस के द्वारा हमारे आदिवासों का शोषण हो रहा है। आज वह ढोलमा, जो कि उदयपुर, डूंगरपुर में है, हमारी तरफ गिलोंदी कहते हैं। हमारी तरफ महुवा है, चिरोंजी है, आचार है, गोंद है, शहद है। इनका खरीददार कौन है? लैम्पस वाले। और हमारे आदिवासी इनका कलेक्शन करते हैं। आदिवासी तो हमेशा कलेक्शन करता ही रहा, लेकिन उसको उचित मूल्य अभी भी नहीं मिल रहा है। उसको अगर अनाज मिलेगा तो इतना घटिया मिलेगा जिसकी कोई हद नहीं। इन लैम्पस में जो पैसा, अनुसूचित जनजाति के प्लान्स का दिया जा रहा है इसमें कटौती करें। मेरा तो सुझाव है कि इनको कम पैसा दिया जाय ताकि इसका उपयोग सही हो।

दूसरा, सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहूंगा। जो अभी जनजाति क्षेत्र में सिचाई की बात चली। यहां ट्यूबवेल्स से सिचाई हो सकती है, लिफ्ट इरिगेशन हो सकती है। यहां एनीकट भी बन सकते हैं। सामूहिक ट्यूबवैल की योजना आपने ली है उसको अभी तक लम्बित कर रखा है। इसको विभाग में आगे घसीटा जा रहा है। इसका प्रावधान कौन करेगा? कौन-सा डिपार्टमेंट करेगा? अब यह तय हो गया कि इसको ग्रुप में करेंगे। जैसे लिफ्ट इरिगेशन के भागीदार काश्तकार होंगे उसी तरह इस ट्यूबवैल के भागीदार भी काश्तकार होंगे। इसलिए इनको आप बनायें।

सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूंगा कि समाज कल्याण मंत्री जी, यह जो अनुदानित छात्रावास हैं, हमारे आदिम जाति संस्थान द्वारा संचालित किये जा रहे हैं। उसमें आपने पैसा लगाया। समाज कल्याण के छात्रावासों के लिये पैसा भी बढ़ाया लेकिन निराश्रित बालगृहों में पैसा नहीं बढ़ाया है। कृपया आप उनका पैसा भी बढ़ावें। साथ ही इसमें निराश्रित बालगृहों की भर्ती के जो पैटर्न हैं, निराश्रित उसको कहते हैं जिसकी मां मर गयी हो, जिसका बाप जेल में गया हो या किसी तरह से वह निराश्रित हो। उसको छात्रावास में भर्ती किया जाना चाहिए।

लेकिन इसके भर्ती करने में यह व्यवधान आ रहा है कि मजिस्ट्रेट द्वारा आइडेंटिफाई करने के बाद ही उसको निराश्रित बालगृह में भर्ती करते हैं जो अनुचित है। इसके लिये आप अपने नियमों में संशोधन करके, जो पूर्व के नियम हैं कि निराश्रित वह होता है जिसके मां–बाप मर गये हैं, या वह जिसे मां छोड़कर चली गयी है। अनुसूचित जनजातियों में अकसर यह होता है कि मां किसी दूसरी जगह चली जाती है, बाप कहीं कुरीतियों का शिकार होकर दूसरी जगह चला जाता है। इसलिए यह भी उसमें प्रावधान रखें। इसमें नियमों में

(श्री हीरालाल सहरिया)

संशोधन करके वही पुराना प्रावधान रखें।

(20.00 बजे)

दूसरा यह कि आदिम जाति सेक्शन में जो मानदेय इन कर्मचारियों को दिया जा रहा है, जैसे माननीय सदस्य ताम्बीजी ने कहा कि उनको डेली वेजेज के बराबर भी मानदेय नहीं दिया जा रहा। जो बजट 1996-97 में रखा, वही का वही बजट आज 1998 में रखा है। इसलिए उनके मानदेय में भी, जो एक डेली वेजेज मजदूर को नहीं मिलता, उससे भी कम मिलता है। (व्यवधान) उसको भी आप बढ़ाने की कोशिश करें। आपने मुझे समय दिया, धन्यवाद।

श्री सभापति : पूरा करें, माननीय सदस्य। श्री रघुवीर सिंह मीणा, अन्तिम वक्ता।

श्री रघुवीर सिंह (सराड़ा) : अन्तिम वक्ता, अन्तिम खिलाड़ी जो होता है उसको आउट करने वाला भी जल्दी आउट करने की कोशिश करता है और घर के मैम्बर भी यह चाहते हैं कि फटाफट करे तो घर जावें। सभापति महोदया, आज मांग संख्या-30 ...(व्यवधान)

श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी : सिर्फ दो मिनट का समय मुझे भी दीजिए। (व्यवधान)

श्री सभापति : सुझाव दीजिए, सुझाव। विराजिए, आपको भी दूंगी दो मिनट।

श्री रघुवीर सिंह (सराड़ा) : सभापति महोदया, थोड़ा तो बोलने दो। हम तो कभी कभी ही बोलने वाले लोग हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति : सुझाव दे दो। इसलिए आपका नाम तो मैंने जोड़ा है। (व्यवधान)

श्री रघुवीर सिंह (सराड़ा) : बड़ी मेहरबानी की। (व्यवधान) मांग संख्या-30 और मांग संख्या-33 पर....(व्यवधान)

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : कांग्रेस के लोग इतनी चिन्ता करने वाले थे, वे सब चले गये, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की चिन्ता है। (व्यवधान) केवल आप धन्यवाद के पात्र हैं, शैलेन्द्रजी। (व्यवधान)

श्री हीरालाल सहरिया : माननीय सभापति महोदया, मैं एक मिनट लूंगा, आपका एक मिनट लूंगा।

श्री रघुवीर सिंह (सराड़ा) : चर्चा हो रही है, उसमें अपने आपको शामिल करते हुए कुछ सुझाव दूंगा। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय सभापति महोदया, इनके आदमी गिन लीजिए, केवल 20 आदमी बैठे हैं। (व्यवधान)

श्री हीरालाल सहरिया : माननीय सभापति महोदया, एक मिनट और लूंगा आपसे। (व्यवधान)

(262)

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : मतलब, कांग्रेस के जितने अनुसूचित जाति, जनजाति की चिन्ता करने वाले सदस्य थे, वे सब घर चले गए। केवल एक पंडितजी बैठे रह गये जो सम्भाले हुए हैं।

श्री सभापति : आप लिखित में दे दें। बैठे, लिखित में दे देना! बैठें, इनका नाम पुकार लिया।

श्री शैलेन्द्र जोशी : हम यहां कितने बैठे हैं यह नहीं देखें। लेकिन हम मैदान में मिलेंगे और अगली बार उधर भी मिलेंगे। (व्यवधान)

श्री सभापति : रामस्वरूपजी, बिराजिए। सदन का समय खराब मत कीजिए, बिराजिए। (व्यवधान) श्री रामस्वरूपजी, बिराजिए।

श्री रामस्वरूप मीणा : सभापति महोदया, +++ की बात है यह (व्यवधान) आपके लिए तो मैं अकेला ही बहुत हूं। (व्यवधान)

श्री सभापति : आप बिराजिए, रामस्वरूपजी। सदन का समय खराब मत कीजिए। (व्यवधान) अब आप बिराजिए, लिखित में दे देना।

श्री हीरालाल सहरिया : एक मिनट, आरक्षण की बात करनी है। आपके माध्यम से मेरा सरकार से यह अनुरोध है कि.... (व्यवधान)

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : एक पंडित बैठा हुआ है केवल सवर्ण जाति का। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : हमको बोलने का मौका ही नहीं दे रहे हैं, आप सुबह से। आप सोचते हैं कि हम लोग इस विषय पर बोल ही नहीं सकते हैं। आप कहेंगे तो हम बोलेंगे। (व्यवधान)

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : बाकी सब चले गये।

श्री हीरालाल सहरिया : सहरिया क्षेत्र से सहरिया ही विधायक हो, सहरिया ही एम एल.ए. हो, उनका ही आरक्षण किया जाए। कोई सी भी पार्टी का हो परन्तु सहरिया क्षेत्र के लिए सहरिया को ही आरक्षित किया जाए। मेरा आपके माध्यम से सरकार से यही निवेदन है।

श्री सभापति : श्री रघुवीरसिंह मीणा।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : हमको आपकी ही चिन्ता है। (व्यवधान)

श्री सभापति : शंकरलालजी, बैठिये, आपका समय कट जाएगा।

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री रघुवीरसिंह (सराड़ा) : सभापति महोदया, पांच मिनट तो देना ही पड़ेगा।

1991 की जनसंख्या के अनुसार टी.एस.पी. एरिया में कुल 35.39 लाख जनसंख्या है। उसमें एस.टी. की 24.01 लाख है। यह कुल क्षेत्र की 68.24 प्रतिशत जनसंख्या है। अब सबसे बड़ी बिडम्बना तो यह थी उस क्षेत्र की, और अभी भी है, कि 68 प्रतिशत जो लोग हैं उनको नौकरी में 12 प्रतिशत रिजर्वेशन मिल रहा है, और जो 32 प्रतिशत हैं उनको 88 प्रतिशत मिल रहा है। अब यहां एक बात यह आ सकती है कि 45 प्रतिशत हमने किया है। परन्तु मेरा यह आरोप है कि 45 प्रतिशत आरक्षण अभी तक किसी भी विभाग में लागू नहीं हुआ है। अगर हुआ हो तो मंत्रीजी अपने स्पष्टीकरण में बता दें। (व्यवधान) बता देंगे, तो देखूंगा, मंत्रीजी। अभी तक तो हमारी जानकारी में है कि किसी विभाग में लागू नहीं हुआ है। ईवन, ग्राम सेवकों की भर्ती में भी नहीं हुआ है, मास्टरों की भर्ती में भी नहीं हुआ है और पुलिस की भर्ती में भी नहीं हुआ है। पुलिस की भर्ती में अभी 28 लोग लगाये गये हैं, उनमें एस.सी., एस.टी. का मेरी जानकारी में एक भी नहीं है, जो अभी प्रमोट किये थे।

महाराष्ट्र पैटर्न की जहां तक बात है, सब लोगों की मांग यही है और आशा भी हमने यही की, जिस तरह से मंत्रीजी अपनी इच्छा शक्ति बता रहे थे पिछले समय से कि महाराष्ट्र पैटर्न इस सत्र में अवश्य लागू करेंगे। परन्तु यह हमारा दुर्भाग्य रहा और मंत्रिमण्डल का दुःसाहस रहा, शायद नीयत में कुछ खोट थी, उस वजह से वह लागू नहीं हुआ। फिर भी हम मंत्रीजी से पुरजोर शब्दों में मांग कर रहे हैं कि आप किसी भी तरह के दबाव में नहीं आएं और अपने दृढ़ संकल्प पर अड़े रहें। महाराष्ट्र पेटर्न कोई गलत बात नहीं थी। महाराष्ट्र पेटर्न बिलकुल सही एवं नपा तुला विकास का तरीका है। उसमें कोई किसी का बुरा नहीं हो रहा था, किसी समाज का नहीं हो रहा था, किसी विभाग का नहीं हो रहा था। परन्तु इसमें इच्छा शक्ति क्यों नहीं रही वह आप जानें।

अब चूंकि समय कम है इसलिए मैं ज्यादा लम्बी-चौड़ी बात नहीं कहकर मुख्य तौर पर सुझाव देना चाहूंगा। हमारे राजस्थान की सबसे बड़ी मुख्य भूमिका रहती है ट्राइबल सब प्लान में। विभाग के लेकुना और लापरवाही के कारण जिस तरह की योजनाओं का इम्पलीमेंटेशन होना चाहिए, उस तरह का नहीं होता है।

यह हमारे लिए बहुत दुःख की बात है। इस संचालक मण्डल के 17 सदस्य हैं और मुझे यह कहते हुए बड़ा अफसोस है कि जिस समाज के लिए हम विचार कर रहे हैं, जिस समाज के लिए ये योजनाएं लागू करने की बात कर रहे हैं, उस समाज की कमजोरियों को, उनकी आवश्यकताओं को समझने वाला व्यक्ति, इन 17 सदस्यों में, मेरे ख्याल से कोई अच्छी तरह से समझ ले, ऐसा एक भी नहीं है, एक्सेप्ट कमिशनर साहब के। कमिशनर साहब भी अभी आए हैं और वे इस बात को समझ सकते हैं। बाकी जो सभी

(श्री रघुवीर सिंह)

सदस्य लगे हैं, जो इस समाज की क्या आवश्यकता होती है, इनको किस तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं, वे लोग इसमें सम्मिलित नहीं हैं। तो मंत्रीजी को यह भी चाहिए कि इस सम्बन्ध में कोई ऐसी व्यवस्था करें और संचालक मण्डल में ऐसे सदस्य लें जो इस टी.सी.पी. एरिया में रहने वाले लोगों की मूलभूत आवश्यकताएं, इनकी सुविधाएं, इनकी कमजोरियां आदि से वाकिफ हों और अच्छा काम कर सकें। अच्छे सुझाव दे सकें।

दूसरा, हमारी सबसे बड़ी चीज शिक्षा से जुड़ी हुई है। ट्राइबल्स का उत्थान या विनाश शिक्षा से जुड़ा हुआ है। शिक्षा के क्षेत्र में चाहे हम हुए या आप हुए कोई भी हुए, हम हमेशा यही कहते हैं कि हम जनजातियों के लिये यह करना चाहते हैं, वह करना चाहते हैं, बड़ी चिन्ताएं जताते हैं। परन्तु माणिक्य–लाल वर्मा आदिम जाति शोध संस्थान है, जो एक बहुत बड़ा विकास का केन्द्र भी बन सकता है, क्योंकि वहां हाइली एजुकेटेड लोग होते हैं, कम्पीटीशन में आने वाले लोग होते हैं, पी.एम.टी. में आने वाले लोग होते हैं। उनको वहां प्रशिक्षण दिया जाता है, ट्रेनिंग कोचिंग क्लासेज चलती हैं।

दुर्भाग्य के साथ यह कहना पड़ रहा है कि इन लोगों की ट्रेनिंग के लिये या कोचिंग के लिये जो होस्टल खोल रखा है उस होस्टल का प्रयोजन किन्हीं और कार्यों के लिये किया जाता है। ईंधन, किराया तक लिया जाता है। तो हम क्या करना चाहते हैं ट्राइबल्स के साथ वहां? वहां पी.एम.टी. कोचिंग क्लासें, आर. ए. एस. मुख्य कोचिंग क्लासें, आर.ए.एस. प्रारम्भिक कोचिंग क्लासें, बैंक क्लर्क परीक्षा कोचिंग, विशेष पी.एम.टी. कोचिंग, इतनी तरह की कोचिंग क्लासेज की व्यवस्था है। परन्तु वहां मेरी जानकारी में तो इतनी उपलब्धि नहीं है। मंत्रीजी की जानकारी में हो तो मंत्रीजी अवश्य बताएंगे।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्री सभापति : अब तो हो गये, 7 मिनट।

श्री रघुवीर सिंह (सराड़ा) : इसके अलावा पी.एच.डी. होती है। पी.एच.डी. में मेरे ख्याल से ट्राइबल का पी.एच.डी. का कोई कैंडिडेट वहां ऐसा मुझे लग नहीं रहा है। वहां करीब 340 के आसपास पत्रिकाएं जो आती हैं, उन्हें कौन लोग पढ़ते हैं, किनके लिए मंगायी जाती हैं, कौन वहां ट्राइबल के नाम से पी.एच.डी. करता है? तो इस तरह की जो चीजें हैं, इन चीजों पर ध्यान देने की बहुत जरूरत है।

एक नर्स, कम्पाउंडर, आयुर्वेद में 40 का स्टाफ जो है, उसमें हम विभाग की तरफ से स्टाइफण्ड देते हैं, डेढ़ सौ रुपये मासिक, और उनसे वसूल करते हैं इक्कीस सौ रुपये एकमुश्त। एडमिशन के समय एक मुश्त इक्कीस सौ रुपये जमा कराएगा, फिर एडमिशन होगा। और हम मासिक डेढ़ सौ रुपये देते हैं। हर महीने डेढ़–सौ रुपये देते हैं। वह साल भर या 10 महीने जो भी देते हैं, अपन वह बराबर देते रहते हैं डेढ़-डेढ़ सौ

(श्री रघुवीर सिंह)

रुपये। क्या उस क्षेत्र के लोग ऐसे सक्षम हैं कि इक्कीस सौ रुपये एकमुश्त जमा कराकर एडमिशन ले सकें ?

श्री मन्दलाल मीणा : कांहे में ?

श्री रघुवीर सिंह (सराड़ा) : आयुर्वेदिक नर्सिंग कोर्स जो है, स्पेशल बैच है 40 जनों का। आप पता करा लीजिएगा।

कृषि के क्षेत्र में, जैसे मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। उस क्षेत्र में 489.9 लाख रुपये का प्रयोजन है। तो किस तरह की सुविधाएं हम दे रहे हैं कृषि के क्षेत्र में। परन्तु मैं स्वयं भी उस क्षेत्र में रहता हूं। वहां छोटी-छोटी जमीनें हैं लोगों की। वहां किसी तरह का खाद, बीज देते देखा नहीं, आज तक। अच्छा बीज देते नहीं देखा, अच्छे कोई औजार भी नहीं देते। लेकिन हम इतना लाखों रुपया शो तो कर रहे हैं किताबों में, परन्तु वह जा कहां रहा है।

यह जो मानिटरिंग की जहां तक बात है, मानिटरिंग की व्यवस्था भी अच्छे ढंग से करनी पड़ेगी। मैडम ने घंटी बजा दी इसलिए ज्यादा तो नहीं बोल पाऊंगा परन्तु एक हमारे यही कमी यह होती है कि जैसे हमने आई.टी.आई खोले। छह माह के लिये, आई टी.आई. एक साल के लिये आई.टी.आई. उसका कोई उद्देश्य नहीं है। खाली भर दिया हमने। बीस से भर दिये, चालीस भर दिये, पचास भर दिये। और छह महीने हुए, उनको रवाना कर दिया। न हम उनको कोई लोन देते हैं, न उनको किसी तरह का कोई एश्योरेंस नौकरी के लिये देते हैं। एक हमने चला दी साहब मोमबत्ती की ट्रेनिंग, कोई दरी की ट्रेनिंग, क्या करना चाहते हैं ? पैसा भी खर्च हो रहा है। दूसरी तरफ हम बैंकों में, एक चला-कि एक यूनिट, दस बकरी, और एक बकरा दे देंगे। वे इधर से पकड़ कर, लोन लेकर के उधर कर देंगे और उधर से पकड़ कर के इधर कर देंगे। तो वहां जो सब्सिडी है, वह सब्सिडी बिचौलिये खा जाते हैं। वह काश्तकार या जो गरीब, जो ट्राइबल है, वह नीडी तो कर्जे के कर्जे में ही रह जाएगा। इस तरह जो सिस्टम है, वह अनावश्यक है। मैं तो अनावश्यक कहता हूं इसको।

हम इसकी जगह पर यह कर सकते हैं कि सौ कम्प्रेशर दे दिये टायर ठीक करने के। सौ कम्प्रेशर। नेशनल हाई-वे पड़ता है उदयपुर से लेकर के डूंगरपुर, बांसवाड़ा तक। आप सौ कम्प्रेशर दे दो तो उन सौ जनों को परमानेंट रोजगार मिल जाएगा। आटोरिक्शा दे दो। इस तरह की जो परमानेंट चीजें हैं, जो परमानेंट इनकम देने वाली चीज है, यह अगर अपन नहीं देंगे तो यह मरने वाले और फालतू का कर्जा चढ़ाने वाली चीजों से तो ट्राइबल दिनों दिन गिरता जाएगा और ज्यादा कर्जे में चला जाएगा। उसकी आर्थिक हालत उससे भी ज्यादा बदतर हो जाएगी।

श्री सभापति : पूरा करें।

श्री रघुवीर सिंह (सराड़ा) : पूरा करता हूं, एक मिनट।

(266)

श्री सभापति : पूरा हो गया ?

श्री रघुवीर सिंह (सराड़ा) : एक जनजाति क्षेत्र में, चूंकि जनजाति मंत्री स्वयं जनजाति से हैं, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं। चाहे आपके विभाग से सम्बन्धित हो या नहीं हो पर आप जनजाति विकास के मंत्री हैं इसलिए आपसे निवेदन है कि पूरे जनजाति क्षेत्रों में चाय की होटलों की तरह दारू की दुकानें जो खोल दी हैं, उन दुकानों को किसी तरह से दबाव डालकर बन्द करवाइये वरना आप ट्राइबल्स को कितना भी फायदा दोगे, वह फायदा सारा का सारा खत्म हो जाएगा। माननीय मुख्य मंत्री महोदय से हमने स्वयं निवेदन किया था कि यह दारू की दुकानें चाय की होटलों की तरह....

श्री सभापति : बहुत अच्छा सुझाव है।

श्री रघुवीर सिंह (सराड़ा) : ....जो जगह-जगह खोली जा रही है, उनको बन्द करवाइये अन्यथा वहां के लोगों की हालत बड़ी दयनीय हो जाएगी। इसी तरह से आप ट्रैक्टर के लोन दिलवाइये, जीपों के लोन दिलवाइये। जो कर्जा देते हैं, ढाई हजार यूनिट कर दी, तीन हजार यूनिट कर दी, पांच हजार कर दी, यह कोई लोन है ? आपको लोन देना हो तो हम लोगों को दीजिये। पचास हजार दीजिये, पच्चीस हजार दीजिये। ताकि एक उसका स्ट्रक्चर तो खड़ा कर सकें और उसकी इनकम प्रोपर आये। एग्रीकल्चर में, ट्राइबल एरिया में कई वर्षों से, क्योंकि जमीन होती है छोटी, और आप यह उन्नत चूल्हा बनाना, लैट्रिन्स बनाना, इसको बन्द करवाइये। काश्तकार की जमीन को जो नहरें हैं, जो नालियां हैं, उनको आप लार्ज स्केल पर लेकर के, गांव के गांव लेकर के जो दूसरी तरफ फालतू खर्च करते हैं, उसकी बजाय जमीनों को अच्छा करने में पैसा लगाइये। एनीकट बनवाइये और मेडबंदी करवाइये।

श्री सभापति : बस, पूरा हो गया।

श्री रघुवीर सिंह (सराड़ा) : नालियां बनवाइये। एनीकट बनवाइये। इस तरह से आप....

श्री सभापति : श्री हरिनारायण बैरवा।

श्री रघुवीर सिंह (सराड़ा) : आपने समय दिया, उसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री हरिनारायण (खण्डार) : माननीय सभापति महोदया, आज मांग संख्या-30 और 33 पर चर्चा हो रही है, मैं भी अपने आपको इसमें सम्मिलित करता हूं। यह अनुसूचित जाति, जनजाति, ओ.बी.सी., जिनका कल्याण करना चाहते हैं, इनमें अगर जन चेतना और सामाजिक चेतना लानी है तो यह तभी आ सकती है जब शिक्षा का प्रसार हो। तो अनुसूचित जाति और जनजाति के जो क्षेत्र हैं, गांव हैं, वहां विद्यालय नहीं है जिसके कारण उनमें शिक्षा का अभाव है। इसलिए उन गांवों के अन्दर, उन ढाणियां में विद्यालय खोले जाएं। कन्या विद्यालय खोले जाएं। जनजाति क्षेत्र में जो विद्यालय हैं, उनको क्रमोन्नत किया जाए।

(श्री हरिनारायण)

परन्तु आज दिन तक जितने भी विद्यालय क्रमोन्नत हुए हैं, वे कस्बों में ही हुए हैं। जनजाति क्षेत्र के गांवों के जो विद्यालय हैं वहां पर क्रमोन्नत नहीं हुए हैं। अनुसूचित जाति, जनजाति और ओ.बी.सी. का जो मुख्य धन्धा है, वह खेती करना और पशुपालन है। खेती आज वही पुराने तरीकों से करते हैं। उनको नयी तकनीक का ज्ञान नहीं है। उनको उन्नत खाद और उन्नत बीज नहीं दिये जाते। सिंचाई के साधन नहीं हैं। यदि उनके पास कुएं हैं तो उन गांवों में बिजली नहीं है। इसलिए उनके विकास के लिये उनके गांवों के अन्दर उनके कुओं के लिये बिजली के कनेक्शन जल्दी से जल्दी दिये जाएं। पशुपालन में, आज भी उनके पास में वही पुरानी गायें और भैंसें हैं। दस दस जानवर रखते हैं पर वह एक-एक, दो-दो किलो दूध देते हैं। यदि उनको इतना समझा दिया जाए कि उन्नत नस्ल के जानवर आप रखो। यदि एक भैंस बीस किलो दूध दे देती है तो दस जानवर की जगह एक जानवर ही रखना फायदेमंद होगा। एक का खर्चा उनको वहन करना पड़ेगा। तो उनको उन्नत नस्ल के जानवर दिये जाएं। अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के अन्दर कुटीर उद्योग लगाये जाएं। महिलाओं, बालिकाओं और बच्चों को कुटीर उद्योग के माध्यम से धन्धे दिलाये जाएं और उन लोगों को आर्थिक विकास के लिये लोन दिया जाए। आपने जो समय दिया, उसके लिये धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री शंकरलाल अहारी।

श्री शंकरलाल अहारी (चौरासी) : माननीय सभापति महोदया, आज मांग संख्या–30 और 33 पर चर्चा हो रही है। जनजाति और समाज कल्याण विभाग वास्तव में एक महत्वपूर्ण विभाग है। मैं थोड़ी-सी भूमिका बनाऊंगा तभी तो मैं कह सकूंगा।

श्री सभापति : आप तो सुझाव ही दे दो। भूमिका तो बहुत लोगों ने बना ली। सुझाव लेओ सीधे ही।

श्री शंकरलाल अहारी : हम जनजाति उप योजना के अन्तर्गत आने वाले लोग, हमेशा विकास की बात करते हैं। हमारे मन में भूख है, तड़पन है कि हम विकास की ओर ज्यादा से ज्यादा कैसे जुड़ें। इस ओर आपका ध्यान दिलाते हुए यह अनुरोध करना चाहूंगा कि पिछले समय में यह दोनों जातियां बहुत पिछड़ी हुई थी और उसका शोषण होता था। उनका उत्थान होना असम्भव था। परन्तु हमारे कुछ अच्छे लोगों ने, महात्मा गांधी, पण्डित जवाहर लाल नेहरू, डाक्टर अम्बेडकर, इन लोगों ने हमको, हम नीचे पड़े हुए थे, हाथ पकड़ कर ऊपर उठाया। हमारी अंगुली पकड़ी और हमको चलना सिखाया। और भारतीय संविधान में हमारा एक दर्जा दिया।

मैं धन्यवाद देता हूं बाबा साहब अम्बेडकर को, हम उस पीढ़ी को भूल नहीं सकते, इन लोगों को भूल नहीं सकते, जिन लोगों ने हमारे इस समाज को आगे बढ़ाने के लिये, गति दी है। हम विकास की ओर बढ़े। उन लोगों की सोच थी, हम सामाजिक विकास की ओर उत्थान में आगे,

(श्री शंकरलाल अहारी)

धार्मिक उत्थान हुआ, शैक्षणिक उत्थान हुआ और सांस्कृतिक उत्थान हुआ। अनेक प्रबन्धों में हम आगे बढ़े।

श्री सभापति : मान्यवर, माननीय सदस्य अब तो सुझाव दीजिये। अभी जवाब दिलाने हैं।

श्री शंकरलाल अहारी : एक सेकण्ड। अब यह बिलकुल सही कह रहे हैं कि हम उन लोगों को कैसे भूल सकते हैं, जिन लोगों ने हमको राह बतायी है, जिन लोगों ने हमको मंजिल बतायी है।

श्री सभापति : सुझाव दीजिये। बिलकुल नहीं भूलना चाहिये पर अब आप अपने अमूल्य सुझाव दे दीजिये।

श्री शंकरलाल अहारी : और आज यह उन्हीं लोगों की देन है कि हम यहां बोलते हैं, विधान सभा में आकर हमारी बात कह रहे हैं। मैं आपका ध्यान टी. एस. पी. योजना की तरफ दिलाना चाहूंगा, जनजाति एरिया की तरफ ध्यान दिलाना चाहूंगा। यह नहीं कि पिछली सरकार ने कोई काम नहीं किया है, ऐसा कुछ नहीं है। इस सरकार ने काम नहीं किया, ऐसा कुछ नहीं है। सरकार आती है और सरकार जाती है।

हम आते हैं और दूसरे बदलते हैं। जो इधर बैठते हैं, वह उधर बैठते हैं। जो उधर बैठते हैं वह इधर बैठते हैं। कहीं कोई भिन्नता नहीं है। पर हमारी सोच में थोड़ी कमी है। और हमारी सोच में से जब तक यह कमी नहीं निकलेगी, तब तक हमारा विकास होना भी सम्भव नहीं है। आज इसी टी. एस. पी. योजना में करोड़ों रुपया आया और करोड़ों रुपया वास्तव में उस उप योजना के अन्तर्गत टी. एस. पी. एरिया में खर्च हुआ। खर्च होने के बावजूद भी आज वास्तव में यह हकीकत है कि हमारी स्थिति वही है। हम सिर्फ सफेद कपड़े पहनकर आप लोगों के सामने आकर बैठ गए और अच्छी-बुरी बात कर ली। बाकी वास्तव में हकीकत यह है कि मेरा भी घर का भौतिक सत्यापन करवा लीजिए कि मेरी क्या इनकम है। मेरे किस ढंग के आर्थिक स्रोत हैं, किस ढंग से मैं अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा हूं। यह मैं खुद की बात कर रहा हूं। यह निश्चित है कि हम लोगों को इस क्षेत्र की तरफ देखना पड़ेगा। आप सबको सोचना पड़ेगा इसके लिए। मंथन करना पड़ेगा इसके लिए। और मंथन करने के बाद हमको राह बदलनी पड़ेगी। हमको आगे बढ़ना पड़ेगा।

यह नहीं कि आज आपकी सरकार है, कल उनकी सरकार है। यूं करके अगर हम टालते-मटोलते रहेंगे तो हमारा विकास होना सम्भव नहीं है। इसलिए आप दोनों समाज के, अच्छे अंग के लोग बैठे हुए हैं। आप यह कह रहे हो कि हमारी उपेक्षा नहीं हुई। हम कह रहे हैं कि.. (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, वाद-विवाद में नहीं पड़िये। सुझाव देओ। सुझाव, सुझाव।

श्री शंकरलाल महारी : मोहनलाल सुखाड़िया के समय में हमारे भीखा भाई को कैबीनेट का दर्जा दिया था। आज माननीय मंत्रीजी जनजाति के हैं और बीस साल से लगातार आ रहे हैं। क्या इनको कैबिनेट का दर्जा नहीं देना चाहिए था? थोड़ी-थोड़ी ऐसी चीजें हैं, ऐसी विडम्बना है जिसमें हमारे लोगों में भी अगर इस प्रकार की भ्रान्ति आएगी तो आदमी विकास कैसे कर पायेगा? आपने हमें करोड़ों रुपये जनजाति क्षेत्र के लिए दिए।

अब मैं शिक्षा की तरफ आपका ध्यान दिलाऊंगा कि शिक्षा में, हमारी आदिवासी बस्ती है, वह बिखरी हुई बस्ती है। और बिखरी हुई बस्ती के कारण आपका जो मापदण्ड है, आपने एक तय किया कि प्रत्येक ग्राम पंचायत हैड क्वार्टर पर या उस पंचायत में एक मिडिल स्कूल होना चाहिए। हमारी जो ग्राम पंचायत है, वह 12-12, 13-13 किलोमीटर की परिधि में है। अब 10-12 किलोमीटर पैदल चलकर उस मिडिल स्कूल में मैं कैसे जाऊंगा, मेरा बच्चा कैसे जाएगा? इसलिए आपका यह मापदण्ड आदिवासी क्षेत्रों के लिए तो कम से कम छोड़ दीजिये और आप जहां भी आवश्यक समझो, छह-छह किलोमीटर की परिधि में आपको मिडिल स्कूल देने चाहिए। और बड़े-बड़े गांवों को भी आपको मिडिल स्कूलों से जोड़ना चाहिए। आप तो इस मापदण्ड के आधार पर कह देते हो कि हमने खोल दी। फिर प्राथमिक विद्यालय का खोलने का जो मापदण्ड आपने दिया है 150 की आबादी पर, हम यह चाहते हैं, आपसे विनम्र निवेदन करते हैं कि 150 की आबादी को छोड़कर 100 की आबादी पर आप प्राथमिक विद्यालय खोलिए।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (शिक्षा मंत्री) : यह कौन-से साल से होना चाहिए।

श्री शंकरलाल अहारी : कक्षा 6 तक का, मंत्रीजी का मानस है कि कक्षा 6 तक के बच्चों के लिए हम आवासीय विद्यालयों में आवासीय भवन की सुविधा उपलब्ध कराएंगे। यह सुझाव निश्चित ही अच्छा है। आपने और हमने, जब जब भी समय-समय पर मीटिंग हुई है, तो हमने चर्चा की है कि यदि कक्षा 6 से आवासीय विद्यालय खुल जाते हैं तो आदिवासी क्षेत्र के छात्र-छात्राओं को अधिक लाभ मिल सकता है। आपका एक और मापदण्ड है माध्यमिक विद्यालय और उच्च माध्यमिक विद्यालय

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

का लेकिन हम चाहते हैं कि 2500 और 4000 तक के आबादी के एरिए में कन्या विद्यालय खोलें और 3000 से 4000 तक का मापदण्ड जो है उसे आप लड़कों वाले में रखें।

एक हमारा विद्युतिकरण का है। आदिवासी बस्तियों में जो विद्युतीकरण करने की योजना है, टी. ए. डी. हैड में पैसा हमेशा जमा होता है, और जमा होने के बाद आर. एस ई. बी. के लोग उस पर ध्यान देते नहीं हैं। हम बार-बार कहते हैं तो वह कहते हैं कि आज यह हो गया, आज वह हो गया। यह हकीकत है कि

(श्री शंकरलाल अहारी)

टी. ए. डी. हेड में, आर. एस. ई. बी. में काफी पैसा जमा है। यह लोग काम तो कर रहे हैं परन्तु अभी मैंने क्वेश्चन किया था उसमें यह बताया कि इतना प्रतिशत हमने खर्च किया, इतना प्रतिशत और बकाया है। तो कब करेंगे यह ? दूसरा, मेरा यह सुझाव था कि (व्यवधान)

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्री सभापति : अब धन्यवाद का सुझाव है आपका। श्री ओमप्रकाश शर्मा।

श्री शंकरलाल अहारी : एक मिनट बस।

श्री सभापति : पूरा हो गया। अब आपके पास है ही नहीं सुझाव।

श्री शंकरलाल अहारी : जो वेतन शृंखला है, एक से छह तक के सभी पद (व्यवधान) और उसमें जो पद भरे हैं, यह वास्तव में सत्य है, आपको बराबर जाँच करने की जरूरत रहेगी कि हम जो सर्कुलर जारी कर रहे हैं, उसके मुताबिक विभाग चल रहा है या नहीं, यह देखने की आवश्यकता रहेगी।

खनन में, माइंस में हम लोगों को, आपने एस. सी., एस. टी. के परिवारों को खनन पट्टा... (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, पूरा हो गया अब। श्री ओमप्रकाश जी शर्मा। बैठिये पूरा हो गया। धन्यवाद। बिराजिये।

श्री शंकरलाल अहारी : मेरी मांग है 20 परसेंट आपने रखा है तो 50 परसेंट होना चाहिए। हमारे गांवों को 2000 तक पक्की सड़कों से....(व्यवधान)

श्री ओमप्रकाश शर्मा (बूंदी) : सभापति महोदया, मांग संख्या-30 पर चर्चा चल रही है। मैं भी उसमें अपने आपको शामिल करते हुए... (व्यवधान)

श्री शंकरलाल अहारी : एक तो आपने यहां बताया है कि 750 की आबादी को सन् 2000 तक सड़कों से आप जोड़ेंगे.... (व्यवधान)

श्री सभापति : धन्यवाद, अब बिराजिए।

श्री शंकरलाल अहारी : एक हमारे चिकित्सा की समस्या आ रही है। दूर-दराज के क्षेत्र में साधन मिलते नहीं हैं, आने-जाने की परेशानी है।

श्री सभापति : अब जो बाकी रह गया, वह लिखकर दे देना। बिराजें आप।

श्री शंकरलाल अहारी : हमारा जो मेडिकल, कम से कम पंचायत हैड क्वार्टर पर एक सब सेंटर होना चाहिए। दूरदराज के एरिये में हम रहते हैं। एक आदिवासी के लिए वहां मूलभूत समस्या हमने देखी है जीवन धारा कुआं की। जीवन धारा कुएं तो आपने खुदवा दिये और दर भी 35 हजार रखी है परन्तु खर्च करने के बाद पानी नहीं आता है तो ऐसे कुओं पर और

(श्री शंकरलाल अहारी)

कार्य करने के लिये टी.ए.डी. विभाग को अतिरिक्त राशि बढ़ाने का प्रावधान रखें।

श्री सभापति : धन्यवाद। विराजें।

श्री शंकरलाल अहारी : समाज कल्याण पर तो बोला ही नहीं। एक मिनट।

श्री ओम प्रकाश शर्मा : मांग संख्या-30 पर चर्चा चल रही है। मैं भी अपने आपको उसमें शामिल कर रहा हूं। आदिवासी क्षेत्रों की बात चली, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा.. (व्यवधान)

श्री शंकरलाल अहारी : मैं, माननीय समाज कल्याण मंत्रीजी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि फर्स्ट विधान सभा चालू हुई और आपने आदिवासी क्षेत्र जिला डूंगरपुर से नो छात्रावास एकदम स्टाप कर दिए। आपको ऐसी क्या जैलसि थी हम लोगों से? आपसे मेरा अनुरोध है कि वे समाज कल्याण छात्रावास वापस दीजिए। वह पूरा हण्डरेड परसेंट आदिवासी क्षेत्र है, आप उसको अछूता मत समझें। आपने मुझे समय दिया इसके लिए धन्यवाद।

श्री ओमप्रकाश शर्मा (बूंदी) : माननीय सभापति महोदया, माग संख्या-30 पर मैं भी अपने आपको शामिल कर रहा हूं। आदिवासी क्षेत्र की बात आयी। इसमें भील, मीणा भी आते हैं, शहरों भी आते हैं। केवल उदयपुर डिवीजन में ही आदिवासी रहते हों, ऐसी बात नहीं है। बूंदी जिले में, मेरे जिले के अंदर 18 पंचायतों में आदिवासी भील हैं और उनकी स्थिति बड़ी दयनीय है। मेरा निवेदन करना यह है कि मैं चाहूंगा कि राज्य सरकार भारत सरकार के नियमो मे ऐसे परिवर्तन कराएं, जहां पर भी इस जाति के लोग हैं, राजस्थान के चाहे किसी भी हिस्से में हो, उन सबको वही सुविधा मिलनी चाहिए, जो इनको सुविधा मिल रही है। तब जाकर उनको लाभ मिलेगा।

इसी के साथ-साथ आश्रम छात्रावास; जैसा मैंने निवेदन किया, 18 पंचायतें हैं। बूंदी तहसील में डाबी क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जिसके आस-पास 18 पंचायतें हैं, वहां एक भी छात्रावास नहीं है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि डाबी में एक छात्रावास खोला जाए। वह सारा पहाड़ी एरिया है। भौगोलिक स्थिति से वहां पर बरसात का पानी आता है। उस पानी को रोका जावे, पुराने एनीकट बने हुए हैं, इन एनीकटों को ठीक किया जाए।

पिछले साल मंत्री महोदय ने दो बड़े एनीकट मजूर किए थे, श्योपुरया महादेव और नाइयों का तालाब। इसके लिए वे बधाई के पात्र हैं। अभी जब श्योपुरया महादेव एनीकट का शिलान्यास करने मंत्री महोदय पधारे, वहां गए, तब इन्होंने देखा कि वहां के आदिवासियों की स्थिति, वहां के भील समाज की स्थिति उदयपुर में, जहां मत्रीजी बिराजते हैं, उनसे भी ज्यादा बदतर है, खराब है। मैं आपके माध्यम से

(श्री ओमप्रकाश शर्मा)

निवेदन करूंगा कि बूंदी के कुछ एरीकट हैं जैसे-डोरा, कंवरपुरा, करोंदी, तीन धारा महादेव, भवानीपुरा, बडी ओर धनेश्वर, इनको भी शामिल किया जावे ।

इसके साथ दो सुझाव दूंगा । जलोत्थान योजना, डीजल पम्प सैट,, डेव सेंटर और सीढ़ी वर्क्स, इनको भी वहां लागू किया जाए । आपने मुझे समय दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद ।

श्री सभापति : श्री शिवकिशोर सनाढ्य । (व्यवधान) श्री मदन दिलावर, समाज कल्याण मंत्री ।

श्री बनवारी लाल बैरवा : सभापति महोदया, एक मिनट ।

श्री सभापति : हो गया, अब मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं । विराजिये ।

श्री बनवारी लाल बैरवा : एक मिनट, सभापति महोदया ।

श्री सभापति : विराजिये, मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं । ....(व्यवधान).... अभी नहीं ।

श्री बनवारी लाल बैरवा : सभापति महोदया, मुझे एक मिनट का समय दीजिये।

श्री सभापति : विराजिये । एक मिनट भी नहीं ।

श्री बनवारी लाल बैरवा : एक मिनट लूंगा मैं । आपको मैं केवल एक बात ध्यान दिलाना चाहता हूं । (व्यवधान)

श्री सभापति : जब उनका नाम पुकारा, उन्होंने मना कर दिया । विराजिये आप ।

श्री शैलेन्द्र जोशी : सभापति महोदया, मैंने आपसे एक मिनट मांगा है ।

श्री सभापति : आप सदन का मूड पहचानिये । विराजिये ।

श्री बनवारी लाल बैरवा : सभापति महोदया, एक मिनट ।

श्री शैलेन्द्र जोशी : सभापति महोदया, मैंने एक मिनट मांगा है आप से ।

श्री सभापति : श्री मदन दिलावर, जवाब दीजिये । (व्यवधान)

श्री बनवारी लाल बैरवा : मेरे यहां अशक्तगृह, वृद्धाश्रम में इतनी बुरी व्यवस्था है कि वहां लोग मर गये । वहां उनके लिए खाने की व्यवस्था नहीं है, दवाओं की व्यवस्था नहीं है । उसकी व्यवस्था को सुधारने के लिए मैं मंत्रीजी से आग्रह करता हूं । वह स्वयं उसके लिए व्यवस्था करवा दें ।

श्री सभापति : बिराजिये, बैरवाजी। श्री मदन दिलावर।

श्री मदन दिलावर (राज्य मंत्री, समाज कल्याण) : सभापति महोदया, आज की इस चर्चा में समाज कल्याण विभाग पर चर्चा करते हुए लगभग 16 माननीय सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया और 51 कटौती प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। मैं उन सभी माननीय सदस्यों का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने बहुमूल्य सुझाव देकर मेरा ज्ञानवर्धन किया है और उन सुझावों में से जो अच्छे सुझाव आये हैं उन सुझावों के आधार पर सुधार कर के योजनाओं को ठीक प्रकार से चलाने का प्रयत्न करूंगा।

समाज कल्याण विभाग का जहां नाम आता है तो आप जानते हैं सारे समाज का कल्याण यह विभाग करेगा, ऐसा सोच बनता है। यह सच भी है। समाज कल्याण विभाग कोई एक जाति के विकास की बात करता हो, कोई समुदाय के विकास की बात करता हो, ऐसा नहीं है। जो निराश्रित, पराश्रित, उपेक्षित विकलांग, महिलाएं, वृद्ध, विमंदित लोग, शिशु, किशोर और कमजोर वर्ग जितना भी है, उन सब के विकास का काम समाज कल्याण विभाग के जिम्मे है।

आपको यह जानकर खुशी होगी कि समाज कल्याण विभाग को जो द्रुत गति से काम करने का अवसर दिया है वह 1990 से प्रारम्भ हुआ है। सभापति महोदया, हम जब आर्थिक दृष्टि से विचार करते हैं तो आप आश्चर्य करेंगी कि सातवीं पंचवर्षीय योजना में एक अरब 71 लाख रुपया खर्च हुआ जबकि आठवीं पंचवर्षीय योजना में चार अरब रुपया कमजोर वर्गों पर खर्च हुआ। यदि हम आंकड़ा देखते हैं तो दोगुना से भी ज्यादा है। अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिलाएं, वृद्ध, विकलांग, विधवा बहनें, छात्रवृत्ति इन सब पर मिला कर आठवीं पंचवर्षीय योजना में जैसा मैंने बताया, चार अरब रुपया खर्च हुआ है जो एक रिकार्ड है। आज तक मेरे सामने जो माननीय बंधु बैठे हैं, उन्होंने कभी विचार ही नहीं किया और इसके कारण से संभव नहीं हो पाया।

श्री बनवारी लाल बैरवा : विचार तो हमारा ही है।

श्री मदन दिलावर : हां, ठीक है.... (व्यवधान).... लालसोट से आने वाले माननीय सदस्य ने समाज कल्याण विभाग के छात्रावासों के बारे में चर्चा की है।

श्रीमती कमला : संतुलित बोलें थोड़ा सा।

श्री परसादी लाल मीणा : शुरू में ही मत उलझो आप।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। वो जवाब ही दे रहे हैं, आप इंटरप्शन नहीं करें।

श्री परसादी लाल मीणा : हम को छेड़ेंगे तो बोलेंगे।

श्री सभापति : कोई नहीं छेड़ते हैं, बिराजिये आप। वो अपनी बात कह रहे

(274)

(श्री सभापति)

है। आप कह रहे थे वो सुन रहे थे, वो अब अपनी बात कह रहे हैं... (व्यवधान) विराजिये। जवाब दे रहे हैं।

श्री मदन दिलावर : सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाह रहा हूं कि छात्रावासों की स्थिति के बारे में विचार करें तो 1990-91 में छात्रावासों में मैस भत्ता 170 रुपया प्रति बालक खर्च किया जाता था।

श्री बनवारी लाल बैरवा : गलत बात क्यों कहो जो हमारे गले नहीं उतरे।

श्री मदन दिलावर : इसको बढ़ा कर 250 किया, फिर 350 किया और इस बजट भाषण में माननीय वित्त मंत्रीजी ने 450 किया है।

श्री बनवारी लाल बैरवा। महंगाई भी तो बढ़ गयी इतनी।

श्री मदन दिलावर : यही नहीं, छात्रावासों को हमने संस्कार केन्द्र बनाने का प्रयत्न किया और विचार यह किया कि जितना पैसा सरकार खर्च करती है उसका सदुपयोग हो, उस मात्रा में गुणात्मक वृद्धि हो और ठीक प्रकार से बच्चे, जो विद्यार्थी हैं, वो निकल कर समाज के अच्छे नागरिक बनें। इस दृष्टि से मैं आपको एक छोटा सा निवेदन करना चाहता हूं। निवेदन यह है सभापति महोदया, कि जो समाज कल्याण विभाग के छात्रावासों का रिजल्ट रहता था उसकी एक छोटी सी जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं। 1990 से पहले हम उठा कर देखते हैं, छात्रावासों की बोर्ड की परिक्षाओं का रिजल्ट बताना चाहता हूं, कभी 30 परसेंट कभी 35 परसेंट। और 40 परसेंट से ऊपर कभी जाता ही नहीं था।

आज बोर्ड के रिजल्ट की हम बात कर रहे हैं। दसवीं कक्षा की बात करें तो 51.84 परसेंट रिजल्ट रहा है और जिसमें से, सभापति महोदया, 89 लड़कों ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। बाहरवीं की बात करते हैं तो उसका रिजल्ट 61.35 रहा है, यह प्रतिशत है। इनमें प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले बालकों की संख्या 161 है। केवल यह कोई 60 परसेंट अंक पाने वाले ही बालक हों या 61 परसेंट अंक पाने वाले ही बालक हों, ऐसा ही नहीं है। 88 परसेंट अंक पाने वाले बालक भी इसमें हैं, 80 परसेंट अंक पाने वाले बालक भी इसमें हैं, 75 परसेंट अंक पाने वाले बालक भी इसमें हैं। आपको यह जानकर खुशी होगी कि पिछले वर्ष दसवीं की बोर्ड की परीक्षा में आठवें क्रमांक पर वरीयता सूची प्राप्त की है। वे छात्र समाज कल्याण विभाग के छात्रावास की योजना से पढ़ रहे थे। यह रिजल्ट रहा है। परन्तु अब इसको यह नकारेंगे। यह ठीक नहीं है। यदि हम अभी के रिजल्ट की चर्चा करते हैं।

श्री राजेन्द्र पारीक : यह श्रेय तो शिक्षा मंत्रीजी को जाता है, आपका क्या सहयोग है इसमें ?

श्री मदन दिलावर : अभी के यदि बोर्ड के रिजल्ट की चर्चा करते हैं, इस वर्ष अभी दसवीं का रिजल्ट नहीं आया लेकिन बारहवीं का रिजल्ट आया है। सदन को

(श्री मदन दिलावर)

यह जानकर खुशी होगी कि 66 प्रतिशत बोर्ड की परिक्षाओं का रिजल्ट रहा है। 66 प्रतिशत, कहां 30 प्रतिशत और कहां 66 प्रतिशत। और हमने यह भी कहा, जैसा मैंने कहा कि इनको संस्कार केन्द्र बनाना चाहते हैं और इसलिए पूरी दिनचर्या दी है वंदेमातरम् से बालक की दिनचर्या प्रारम्भ होगी और जन गण मन से उसका दीप विसर्जित होगा, उसके बाद ही सोयेगा। और इसके बीच का भी पूरा टाइम टेबल दिया है कि कब क्या करेगा, कब पढ़ाई करेगा, किस प्रकार के गीत छात्रावास में होंगे, वहाँ पढ़ाई का एटमोस्फियर किस प्रकार से बनेगा। यही नहीं, हमने कहा कि जो कठिन विषय हैं उसमें चार महीने तक कोचिंग क्लास लगायी जायेगी जिसका खर्चा भी समाज कल्याण विभाग वहन करेगा।

श्री शैलेन्द्र जोशी : क्रीमीलेयर को हटाने के लिए आपने क्या किया ? (व्यव-धान)

श्री मदन दिलावर : हमने यह भी कहा कि वो विभिन्न विषयों में जानकारी रखे, हमने यह भी कहा था ।... (व्यवधान)....

श्री शैलेन्द्र जोशी : इसको कब हटा-ओगे ? राजस्थान में 52 साल में करोड़ों रुपये खर्च हो गये और एक व्यक्ति का भी नाम नहीं बता सकते जिसका विकास पूरा हो गया हो।

श्री मदन दिलावर : इसलिए सप्ताह में एक बार विषय विशेषज्ञ आकर उसको किसी न किसी विषय की जानकारी देगा, इस प्रकार का प्रयत्न किया है। और आज हम देख रहे हैं कि संस्कारित बालक उससे निकल रहे हैं।

श्री शैलेन्द्र जोशी : समाज कल्याण विभाग क्या करेगा, आपको स्क्रूटिनि करनी चाहिये। पब्लिक फाइनेंस का मिसयूज हो रहा है। आपको कमीशन बैठाना चाहिये और क्रीमीलेयर को सेपरेट करना चाहिये, आपने क्या किया ? (व्यवधान) आपको क्रीमीलेयर को हटाना चाहिये, स्क्रू-टनाइज करनी चाहिये। 52 साल में करोड़ों रुपया खर्च हो गया और....(व्यव-धान)...

श्री सभापति : माननीय शैलेन्द्र जोशी जी, विराजिये।

श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी : मेडिकल बोर्ड बैठा कर परीक्षण करा लो।

श्री शैलेन्द्र जोशी : आपने कुछ नहीं किया। (व्यवधान)

श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी : मेडिकल बोर्ड बैठा लो।(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : सारी फैसिलिटी क्रीमीलेयर एन्जोय कर रही है। आज क्रीमीलेयर को आप हटा नहीं सकते।

श्री सभापति : विराजिये आप। (व्यवधान)

276

श्री शैलेन्द्र जोशी : क्यों ? क्योंकि आप बोलेंगे तो आपका भी पत्ता साफ हो जायेगा। वह अभिजात्य वर्ग, जो जनजाति में पैदा हो गया उसके खिलाफ आप कुछ नहीं कर सकते, आपकी स्थिति ही नहीं है। आप स्क्रूटिनी कीजिये, उनको हटाइये। (व्यवधान)

श्री सभापति : आप बिराजिये।

श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी : इसके लिए मेडिकल बोर्ड बैठाओ। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, अंकित नहीं होगा। बिराजिये। अंकित नहीं होगा।

श्री शैलेन्द्र जोशी : ×××

श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी : ×××

श्री शैलेन्द्र जोशी : ×××

श्री मदन दिलावर : माननीय सभापति महोदया, हमने कहा कि छात्र किसी न किसी महापुरुष को अपना आदर्श मानें। इसीलिए हमने सारे छात्रावासों में पूज्य स्वामी विवेकानन्द और पूज्य अम्बेडकरजी का चित्र लगाना प्रारम्भ कर दिया है। इस साल से सारे छात्रावासों में स्वामी विवेकानन्दजी और अम्बेड़करजी के चित्र लगेंगे ताकि उनको आदर्श मानकर बच्चे आगे बढ़ सकें।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आप भी अपना लगवा दो।

एक माननीय सदस्य : इसमें गलत क्या हो जायेगा अम्बेड़करजी का चित्र लग गया तो ?

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : आप नहीं चाहते हो क्या ? कमाल कर रहे हो।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : इनका भी फोटो लगवा दिया जाए, यह सुझाव है हमारा तो।

श्री शंकरलाल अहारी : हम आपत्ति नहीं कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप बिराजिये। आप समझदार हैं। सदन का समय क्यों खराब करते हो ? (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : (व्यवधान) जारी रही तो थोड़े से दिन के बाद तो यह भी होगा।

श्री सभापति : बिराजिये आप। आप हर लाइन पर बोलते ही रहेंगे क्या ? बोलने दीजिये इनको।

श्री परसादी लाल मीणा : महावीरजी का भी लगवा दो। (व्यवधान)

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री मदन दिलावर : माननीय सभापति महोदया, छात्रावासों की स्थिति, हम नये-नये भवन बना रहे हैं। आज आधुनिक युग है। आज सभी सम्पन्न परिवारों के लोग गैस पर भोजन बनाते हैं। और इसलिए बनाते हैं कि उनका मकान काला नहीं हो जाए, भोजन बनाने वाले को धुंआ सहन नहीं करना पड़े और उससे गन्दगी नहीं हो। इसलिए हम इसी वर्ष से सभी छात्रावासों में गैस उपलब्ध करवा देंगे ताकि गैस पर बालक भोजन बना सकें।

माननीय सभापति महोदया, यही नहीं, 1990 के पहले की स्थिति आप देखें, तकिये नहीं। बिस्तर नहीं, पलंग नहीं और गद्दे नहीं, निरन्तर रूप से 90 तक। लेकिन अब हम धीरे–धीरे नया सामान उपलब्ध करवा रहे हैं और इस बार तो हमने ढ़ाई करोड़ रुपया सभी छात्रावासों में, जो अनुपयोगी सामान हो गया है, चाहे गद्दा हो, चाहे तकिया हो, चाहे बैडशीट हो और चाहे पलंग हो, सबको बदलने के लिए ढाई करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इससे अनुसूचित जाति और जनजाति के बालक सम्पन्न परिवारों के बालकों की तरह ऐसे भवनों में रह सकेंगे। अपना कमरा सुसज्जित रहे, देखने में ठीक प्रकार से लगे, शिक्षा का ठीक प्रकार से वातावरण बने, इसलिए ढाई करोड़ रुपया हमने इसके लिए रखा है।

माननीय सभापति महोदया, यही नहीं, बालकों का सर्वांगीण विकास होना चाहिए। इसलिए आप जानते हैं स्कूलों में खेल–कूद प्रतियोगिता में ठीक प्रकार से उनको अवसर नहीं मिल पाते। जिसके कारण वे प्रतिस्पर्धा में नहीं टिक पाते। इसलिए हमने सभी छात्रावासों में खेल-कूद प्रतियोगिता कराना प्रारम्भ किया है। खेल कूद प्रतियोगिता होगी तो उनको अवसर मिलेगा। अवसर मिलेगा तो आगे बढ़कर आयेंगे, स्वास्थ्य ठीक रहेगा और जितना मिट्टी में घुलते और मिलते हैं उनसे संस्कार भी बढ़ते हैं। भारत माता के प्रति प्रेम बढ़ता है। इसलिए हम इस भारत माता की रज को लूट-लूटकर ज्ञान की प्राप्ति करते रहें, ज्ञान को सुदृढ़ करते रहें और अपना शरीर हृष्ट-पुष्ट रहे। इसलिए सभी छात्रावासों में खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन कराकर हम प्रतिभाओं की खोज कर रहे हैं ताकि अच्छे खिलाड़ियों को हम खोज सकें।

माननीय सभापति महोदया, यही नहीं, हमने कहा कि छात्रावासों को चलाना है। छात्रावासों को अधीक्षक चलाता है। किस प्रकार से छात्रावास चलाये जाएं, इसके लिए उसको प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। पिछले दो वर्षों से हम छात्रावास अधीक्षकों को प्रशिक्षण दे रहे हैं तीन-तीन दिन का, ताकि छात्रावास ठीक प्रकार से चला सकें। ये प्रशिक्षण हम निरन्तर रूप से रखेंगे। और इस वर्ष तो हमने मंत्रालयिक कर्मचारियों का भी प्रशिक्षण प्रारम्भ करने की योजना बना ली है और मंत्रालयिक कर्मचारियों को भी प्रशिक्षित करवाएंगे।

माननीय सभापति महोदया, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा और खुशी भी होगी कि आज कुछ लोग काम नहीं करते हैं और कुछ लोग बहुत अच्छा काम करते

278

(श्री मदन दिलावर)

हैं। तो फिर इनमें अन्तर कैसे किया जाए ? इनको प्रोत्साहित कैसे करें ? हमने कहा कि जो छात्रावास अधीक्षक बहुत अच्छा रिजल्ट रखते हैं, अनुशासित हैं वहां की व्यवस्थाओं को ठीक रखते हैं, ऐसे अधीक्षकों को सम्मानित किया जाए ताकि प्रोत्साहन मिल सके। और इसलिए हमने जिला स्तर पर भी सम्मानित करने की बात कही और प्रदेश स्तर पर भी 15 अगस्त या 26 जनवरी को माननीय मुख्य मंत्री के द्वारा इनको हम सम्मानित करा सकें। हम दो साल से निरन्तर रूप से यह कर रहे हैं और अब की बार 15 अगस्त पर....

श्री रामस्वरूप मीणा : अच्छे मंत्रियों को सम्मानित करने की भी परम्परा डाल दो ताकि आपको भी इनाम मिल जाए।

श्री मदन दिलावर : .... श्री लल्लू प्रसाद कोली जो केलवाड़ा, बारां जिले के छात्रावास अधीक्षक हैं, उनको माननीय मुख्य मंत्रीजी के द्वारा 15 अगस्त को सम्मानित कराया जायेगा क्योंकि इनका छात्रावास देखते हैं तो ऐसा लगता है कि भव्य मन्दिर में आ गये हैं। और बच्चों को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि कितने अच्छे बच्चे हैं। लगता नहीं है कि गरीब परिवारों के बच्चे होंगे। लगता ही नहीं है कि वे कुछ नहीं जानते। पढ़ाई में अच्छे साफ-सुथरे। इन्होंने वहां होस्टल के वातावरण का सुरम्य निर्माण किया है। इसलिए हम उनको सम्मानित कर रहे हैं और यह योजना निरन्तर रूप से जारी रहेगी। छात्रावास अधीक्षकों को जिला स्तर पर सम्मानित करेंगे।

एक बात और, आजकल चलन बढ़ गया है गुटखा, जर्दा-विमल, श्री और बीड़ी, अनेक-अनेक प्रकार की चीजें जो बच्चे खाते रहते हैं, कर्मचारी खाते रहते हैं, आने-जाने वाले अभिभावक खाते रहते हैं और चाहे जहां थूक देते हैं, गन्दगी कर देते हैं। इसलिए हमने एक निर्णय लिया है, इसको हम लागू कर रहे हैं कि जो इनका प्रयोग छात्रावास परिसर में करेगा, उसको आर्थिक दृष्टि से दण्डित किया जायेगा। उस पर अर्थ दण्ड लगाया जायेगा।

श्री हरजीराम बुरड़क : भामड़ा साहब वहां चले जायेंगे तो ?

श्री मदन दिलावर : माननीय सभापति महोदया, मैंने कहा कि अर्थदण्ड से उसको दण्डित किया जायेगा और इसमें किसी को भी छूट नहीं है। चाहे मदन दिलावर हो, चाहे हमारे शासन सचिव जाएं या वहां के कलक्टर जाएं चाहे कोई और जाएं। किसी को भी छूट नहीं है। हमारे दो आवासीय विद्यालय हैं। और यही नहीं, हमने छात्रावासों में अध्ययनरत छात्र, जो प्रथम श्रेणी से परीक्षा में सफलता प्राप्त करेंगे, ऐसे सभी छात्रों को राजस्थान दर्शन, शैक्षणिक भ्रमण कराया जायेगा ताकि उनका जनरल नालेज बढ़ेगा और वे पूरे राजस्थान को देख पायेंगे। इस प्रकार की योजनाएं भी हमने बनायी हैं ताकि बच्चों को प्रोत्साहन मिले।

माननीय सभापति महोदया, आप तो जानती हैं और माननीय सदस्यों ने भी

(श्री मदन दिलावर)

कहा है कि 450 रुपये भत्ता कर दिया है। आवासीय विद्यालय चलते हैं। दो आवासीय विद्यालय हैं राजस्थान में। माननीय भैरोंसिंहजी शेखावत के नेतृत्व में इन योजनाओं की शुरूआत हुई है। इन आवासीय विद्यालयों से, आप कल्पना करेंगे, मैं इनके रिजल्ट की चर्चा करूंगा। यहां अटरू के आवासीय विद्यालय से 22 छात्र आठवीं में बोर्ड की परीक्षा में बैठे। सभी 22 ने प्रथम स्थान प्राप्त किया और 100 प्रतिशत रिजल्ट रहा। टोंक के आवासीय विद्यालय से 17 छात्राओं ने परीक्षा दी और 16 पास हुई। जिसमें से 13 ने प्रथम स्थान प्राप्त किया और सभी 17 प्रथम स्थान प्राप्त करतीं लेकिन यह आवासीय विद्यालय इस वर्ष में मात्र चार महिने ही चला। इस प्रकार का परीक्षा परिणाम रहा। यह आवासीय विद्यालयों की योजना थी। यह इसलिए थी कि बालकों को अवसर नहीं मिलते हैं।

एक बार गरीब बालकों को ऐसा अवसर देकर देखें ताकि उनकी प्रतिभा का विकास हो सके और हमने अवसर दिये हैं और सिद्ध कर दिया है कि किसी भी व्यक्ति को चाहे कितना ही विपन्न हो, ऐसे व्यक्ति को अवसर दिया जाए तो निश्चित रूप से वह प्रतिभा का विकास करके आगे बढ़ सकता है। कई गरीब और कमजोर लोगों को अवसर नहीं मिलने के कारण वह आगे नहीं बढ़ पाते हैं और यहां के यदि बच्चों को आप देखेंगे तो बहुत अच्छे, सुन्दर और साफ-सुथरे हैं। अब बाहर के लोग देखने आते हैं तो ऐसा लगता है कि कहीं वे तीर्थ स्थलों में आये हैं क्या? ऐसा देखने से लगता है। जगह-जगह हर कमरे में महापुरुषों के चित्र और साफ-सुथरे कोटेशंस मुझे ऐसे विद्यालय और कहीं भी देखने को नहीं मिले इनका जो मैस भत्ता था वह पिछले वर्ष तक यानि अभी तक वह 425 रुपये प्रतिमाह, प्रति बालक था। माननीय वित्त मंत्री जी और माननीय मुख्य मंत्री जी की कृपा हुई कि आपने उसको 425 रुपये से बढ़ाकर 550 रुपया कर दिया है।

सभापति महोदया, विकलांगों की चर्चा आयी थी कि विकलांगों के कल्याण के लिये कुछ नहीं करते। सांगानेर से आने वाली माननीय सदस्या इन्दिरा मायाराम जी, ने चिन्ता की कि विकलांगों के लिये कुछ नहीं करते। विकलांगों के लिये हमने बहुत काम किया है और पांच मेडिकल कालेज राजस्थान में है। सारे मेडिकल कालेजों में जिला पुर्नवास केन्द्र हेतु बजट दिया है, ताकि उससे विकलांगों को वहां छोटा-मोट एड मिल सके। जोधपुर मेडिकल कालेज को 20.5 लाख रुपया, बीकानेर को 22.5 लाख रुपया, उदयपुर को 22.25 लाख रुपया और अजमेर को 16.5 लाख रुपया हमने उपलब्ध करवाये हैं। माननीय सभापति महोदया, जो विकलांग भाई हैं वह घर में बैठे रहते हैं। उनकी बहुत उपेक्षा होती है। घरवाले भी उपेक्षा करते हैं, बाहर वाले भी उपेक्षा करते हैं। हीन भावना से देखते हैं। उनको

280

(श्री मदन दिलावर)

अवसर नहीं देते, उनकी प्रतिभाओं का विकास नहीं हो पाता। इसलिये हमने कहा कि विकलांगों की खेल-कूद प्रतियोगिताएं करवाकर उनको खेल के मैदान में लाएंगे और उनका मनोबल बढ़ाएंगे। हम पिछले साल से निरन्तर विकलांग खेल कूद प्रतियोगिताओं को करवा रहे हैं। आप आश्चर्य करेंगे....

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : आपकी एजेन्सी कौनसी है, किससे बात की जाय ?

श्री मदन दिलावर : नेत्रहीन बालक हाकी खेलते हैं। मैं उदयपुर में गया। वहां नेत्रहीन बंधुओं की हाकी करवायी, कबड्डी करवायी और यहां पूरे देश भर के विकलांग बंधुओं को बुलवाकर हमने कोटा, जयपुर और उदयपुर में विकलांग बंधुओं की राष्ट्रीय क्रिकेट प्रतियोगिता करवायी और जिसमें राजस्थान सरकार ने तीनों वर्ष दो-दो लाख रुपये उस प्रतियोगिता के लिये दिये ताकि उनका विकास हो सके। कोई क्रिकेट प्रतियोगिता ही करवायी ऐसा नहीं है, हमने टेबल टेनिस प्रतियोगिता भी यहां करवायी और इससे उनका निरन्तर रूप से विकास हो रहा है। लोग घरों से निकलकर आ रहे हैं कि हमारे लिये कई प्रकार की योजनाएं हैं।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आप क्रिकेट ही खिलाते रहोगे या काम की बात भी करोगे ?

श्री मदन दिलावर : मैं काम की बात कर रहा हूं। विकलांगों की बात करने लगता हूं तो काम की बात नहीं लगती है। विकलांगों के उपकरणों हेतु, आपको जानकर आश्चर्य होगा, प्रसन्नता होगी 1990 के पहले पूरे साल में उन विकलांगों को उपकरण देने के लिये दस लाख रुपये से कम का प्रावधान होता था। 1990 के बाद 12 लाख का, उसको 1992-93 में कर दिया हमने 62 लाख, 1995-96 में कर दिया 111 लाख, और अब जो प्रावधान रखा है 1998-99 में वह है 3500 लाख, साढ़े तीन करोड़ (व्यवधान).. सारी, क्षमा करेंगे तीन सौ पचास लाख रुपये का हमने प्रावधान रखा है। और उसमें यह कहा है कि राजस्थान के सभी विद्यालयों में पढ़ने वाले बालकों को जिस प्रकार के उपकरणों की उनको आवश्यकता है शरीर संचालन में, और में, वे सब प्रकार के उपकरण हम उपलब्ध करवायेंगे। यही नहीं, चाहे वह बच्चे हों या किसी भी उम्र के हों, सामान्य समाज में रहने वाले विकलांगों को हम सभी प्रकार के उपकरण उपलब्ध करायेंगे। ..(व्यवधान).. सभापति महोदया, यही नहीं हम तो विमन्दित बुद्धि के लोगों को भी खेल-कूद प्रतियोगिताएं करवा रहे हैं। चाहें तो शामिल हो सकते हैं।

श्री अर्जुनदास मदान : मंत्री महोदय, कोई मंद बुद्धि वालों का है कुछ ? (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : हां है। (व्यवधान) अब विकलांगों की शादी की बात..

श्री शैलेन्द्र जोशी : मंद बुद्धि का कौन

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

है, 25 में से 5 सीट जिताकर जनता ने सिद्ध कर दिया कि मद बुद्धि के आप हो या हम हैं।

श्री मदन दिलावर : माननीय सभापति महोदया, विकलांगों की शादी आसानी से होती नहीं। विकलांग का जो पिता होता है वह किसी के सामने शादी का प्रस्ताव अपने बेटे के लिये, बेटी के लिये रखने के बाद उसको डर रहता है। और डर यह लगता है कि कहीं ना न हो जाय। और इसलिये सकुचाता रहता है कि मेरी बेटी का कैसे प्रस्ताव रखूं, बेटे का कैसे प्रस्ताव रखूं। इसी उलझन में कई विकलांग बंधु कुंवारे रह जाते हैं। इसका भी हमने इलाज किया है कि विकलांग वैवाहिक परिचय सम्मेलन कराना प्रारम्भ किया और उसके माध्यम से सैकड़ों की संख्या में विकलांग बंधु और बहनें....(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बार-बार इन्टरप्ट नहीं करें, बैठिये आप। बैठिये।

श्री रामस्वरूप मीणा : मंत्री महोदय, गृह मंत्री जी की करवा दो शादी।

श्री सभापति : बैठिये।

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय सभापति महोदया, पूरे सदन की चिन्ता है, गृह मन्त्री जी की चिन्ता ...(व्यवधान)....

श्री सभापति : गृह मंत्री विकलांग नहीं हैं।

श्री रामस्वरूप मीणा : अटल बिहारी बाजपेयी की करा दो, अटल बिहारी की और इनकी दोनों की करा दो।

श्री मदन दिलावर : सभापति महोदया, हमने इस नयी योजना को प्रारम्भ किया और विकलांग वैवाहिक परिचय सम्मेलन के माध्यम से 37 जोड़ों की शादियां करवा दीं, और इसकी एक इसकी डायरेक्ट्री बना दी। सब छपवा दिया ताकि उसके माध्यम से कोई बेटी का पिता, बेटे का पिता उसको पढ़कर आपस में सम्पर्क कर लें, मिल लें ताकि अपने बेटा और बेटी का सम्बन्ध कर सकें। (व्यवधान)

श्री सभापति : क्यों आप सदन का समय खराब करते हैं? जवाब तो देंगे ही वह।

श्री मदन दिलावर : विकलांग की शादी में पांच हजार रुपया सरकार की तरफ से देते हैं ताकि वह गरीबी के कारण ऐसा नहीं हो कि कुंवारा रह जाय। इसलिये पांच हजार रुपया सरकार की तरफ से हम देते हैं।

नेत्रहीनों को पाठ्य पुस्तकों की चिन्ता कभी नहीं हुई। हमने गंगानगर में 32 लाख रुपये स्वयं सेवी संस्था को देकर ब्रेल प्रेस की स्थापना की और इस ब्रेल प्रेस के माध्यम से राजस्थान के सभी नेत्रहीन छात्रों को निःशुल्क पुस्तकें उपलब्ध करवायी जा रही हैं। और यही नहीं मूक

(श्री मदन दिलावर)

बधिरों को भी पाठ्य पुस्तकें निःशुल्क, विमन्दितों को भी पाठ्य सामग्री और पाठ्य पुस्तकें निःशुल्क उपलब्ध करवायी जा रही हैं।

माननीय समापति महोदया, विमन्दितों के साथ बड़ी दिक्कत होती है क्योंकि उनका कोई सिलेबस भी नहीं है। ऐसी स्वयं सेवी संस्थाओं से जो विमन्दित संस्थाओं से जुड़ी हुई हैं, हमने एक बार उनकी मीटिंग बुलाकर तय किया है कि इस प्रकार की पाठ्य सामग्री और पाठ्य पुस्तकें इनको दी जायं और उनके माध्यम से हम उनको आगे बढ़ा सकें।

नेत्रहीन छात्रों का रीडर भत्ता प्रतिमाह पचास रुपये है। जो नेत्रहीन है उसको दूसरे से पढ़ाना पड़ता है। इसके लिये सरकार प्रयास कर रही है। सरकार का विचार है कि इस मैस भत्ते को कैसे बढ़ाया जाय और इसके लिये मैं वित्त मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस पर गम्भीरता से विचार करें। (व्यवधान)

श्री समापति : आप तो बोलते जाइये, सबको खुशी हो रही है आपकी बातों से।

श्री मदन दिलावर : यही नहीं, माननीय समापति महोदया, अनुसूचित जाति को लोन मिले, अनुसूचित जनजाति को लोन मिले। अनुसूचित जाति, जनजाति, वित्त विकास, सहकारी निगम के माध्यम से उनको 6 परसेंट पर लोन मिले। हम इस वर्ष से विकलांगों को भी 6 प्रतिशत पर ऋण देने की कार्यवाही प्रारम्भ करने जा रहे हैं इसके लिये एक करोड़ की गारंटी दी जाएगी।

माननीय समापति महोदया, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं और जो ऐसे निराश्रित, पराश्रित विकलांग लोगों के विषय में काम करते हैं....

श्री बनवारी लाल बैरवा : समापति महोदया, जो हमारे यहां वृद्ध, अशक्त गृह है उसके बारे में क्या कुछ दे रहे हैं आप.. (व्यवधान)

श्री समापति : आप इनको पूरा करने दीजिये फिर पूछियेगा। बैठिये... बैठिये, कल्याणकारी बातें सुननी चाहिए।

(21.00 बजे)

श्री मदन दिलावर : विमंदितों के लिये भी हम यहां संबंधित संस्थाओं के माध्यम से स्कूल चलाते हैं, और नेत्रहीनों के लिये भी है, और कई विकलांग हैं उनके लिये भी है। लेकिन जो तुतलाते हैं उनके लिये अभी तक हमारे पास कोई योजना नहीं है। इसलिये जिला पुनर्वास केन्द्र, कोटा में स्पीच इस वर्ष थेरेपी सेंटर खोला जाएगा ताकि वाणी दोष को ठीक करने का प्रयत्न कर सकें। माननीय समापति महोदया, आप तो जानती हैं कि माननीय चिकित्सा मंत्रीजी ने पोलियो का उन्मूलन करने का बहुत बड़ा काम किया है। इसके लिये तो वह बहुत-बहुत धन्यवाद के पात्र हैं लेकिन इनकी योजना के पहले कई बंधु विकलांग हो गये। पोलियो से ग्रस्त हो गये।

(श्री मदन दिलावर)

इसलिये इस वर्ष से हम पोलियो करेक्शन कैम्प लगाएंगे ताकि पोलियो का आपरेशन, कैम्प में अच्छे अनुभवी डाक्टर बुलाकर उनका इलाज कराया जा सके। हमने ऐसा प्रयास किया है। अक्टूबर में एक कैम्प लगाया हमने पिछली बार। उसमें सरकार का सहयोग तो नहीं था, जनता का सहयोग था। श्रमणशील शल्य चिकित्सा इकाई गयी थी और प्रसन्नता होगी कि यह देश का पहला कैम्प था जिसमें 84 विकलांगों के 207 आपरेशन वहीं मौके पर किये गये। आज हम जब उन पोलियो वालों को चलता देखते हैं, ठीक प्रकार से चलता देखते हैं तो मन में बड़ी प्रसन्नता होती है। इसलिये हमने पोलियो करेक्शन कैम्प की भी योजना रखी है।

माननीय सभापति महोदया, प्रतिभावान विकलांग बालक-बालिकाओं को भी विकलांग दिवस पर सम्मानित किया जाएगा। कई खेल में प्रतिभावान होते हैं, कई पढ़ने में प्रतिभावान होते हैं। कोई बहादुर होते हैं। कई प्रतिभाएं छिपी रहती हैं। ऐसी प्रतिभाओं को उजागर कर उनको प्रोत्साहित करने के लिये विकलांग दिवस पर उनको सम्मानित करने की हमारी योजना है।

अब महिलाओं के ऊपर कितना संकट रहता है, इससे तो आप परिचित हैं। किसी का पति दुर्भाग्यवश इस संसार से चल बसे, विधवा हो जाए और वह बेटियां छोड़ जाए जिनकी शादी करनी है। विधवा के पास पैसे नहीं। पैसे के अभाव में वह शादी करने में असमर्थ है। ऐसे समय में किसी घर में जवान बहन और बेटी कुंवारी बैठी रहे, यह हमारा समाज ठीक महसूस नहीं करता है और जल्दी से जल्दी उनके हाथ पीले हों ऐसी सब मां-बाप की इच्छा रहती है। उसी को ध्यान में रखते हुए हमने विधवा महिलाओं की पुत्रियों की शादी में पांच हजार रुपया प्रति बहन की शादी में देना प्रारम्भ किया है। और इस वर्ष ऐसी 221 बहनों को हमने पांच-पांच हजार रुपये की सहायता देकर उनकी शादी करवायी है। अब की बार इसके लिये 30 लाख रुपये का बजट में प्रावधान किया गया है....

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : किसी को नहीं दिया गया। यह किस विभाग से मिलेगा? मैं तो लिख-लिखकर थक गयी, एक को भी नहीं दिया गया है आज तक। यह कौनसा विभाग है जो देगा?

श्री रामस्वरूप मीणा : आपके रिश्तेदारों को बंट रहा है यह सारा पैसा। अपने रिश्तेदारों के अलावा नहीं दिया कहीं भी। सब रिश्तेदारों को दिया है पैसा।

श्री सभापति : माननीय, माननीय सदस्या.... (व्यवधान) बिराजिये.. (व्यवधान) नहीं, बिराजिये। अभी उनकी स्पीच पूरी होने दीजिये। माननीय राजेन्द्रजी बिराजिये। अभी नहीं, बिराजिये..

श्री राजेन्द्र पारीक : यह पांच हजार रुपया भारत सरकार से... (व्यवधान) हो तो फिर यह कहां से है, एक छोटी-सी जानकारी चाह रहा हूं।

श्री समापति : बिराजिये। बाद में। बिराजिये।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : आपने भी कहा था जानकारी करने का अधिकार है। मैं जानकारी यह कर रही हूं कि कौनसा विभाग....

श्री समापति : बिराजिये, माननीय सदस्या।

श्री मदन दिलावर : माननीय समापति महोदया, महिला सदन में आवासनियों की शादी कई वर्षों से नहीं हुई और इसके लिये अनेक प्रकार की चर्चाएं सुना करते थे पहले। हमने कहा जो शादी....(व्यवधान)

श्री समापति : आर्डर प्लीज।

श्री मदन दिलावर :... लायक बहनें हो गयी हैं वहां, और जो शादी की इच्छा जाहिर करती हैं, उनके लिये योग्य वर ढूंढकर शादी की जाए। और इसलिये पिछले तीन वर्ष में हमने 70 बहनों की शादी करके उनको पुनर्वासित किया है। और उनकी शादी में हम एक हजार प्रति जोड़ा खर्च करते थे। माननीय मुख्य मंत्रीजी, उप मुख्य मंत्रीजी ने बढ़ा करके इसको एक हजार से पांच हजार कर दिया है। और शादी कैसे होती है, आपको प्रसन्नता होगी, सामान्य परिवार का व्यक्ति अपने घर पर इस प्रकार की शादी नहीं कर सकता। (व्यवधान) सौ प्रतिशत राजस्थान सरकार देती है (व्यवधान) माननीय समापति महोदया, शादी इतनी बढिया, बड़े-बड़े बैंड, घोड़े, हाथी, ऊंट और कई माननीय मंत्री महोदय उस शादी में पहुंचते हैं। कई शादी में पहुंचते हैं और सामाजिक संस्था है....

श्री समापति : इस बार आप इन्दिरा मायारामजी को बुलाना।

श्री मदन दिलावर : उपहार के रूप में संस्थाएं खुले मन से, उदारमना होकर के सहयोग करती हैं कि मैं तो मेरी बेटी की शादी में ...

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : हमने तो देखा आप नाराज थीं बहुत, सुबह से, अब आप खुश तो हुईं।

श्री मदन दिलावर :... इतना उपहार नहीं दे पायेंगी, जितना इन महिला सदन में होने वाली बहनों की शादी करते हैं हम। इतना उपहार देते हैं। कई बहनों की हम शादी करते हैं। बच्चों को शिशु पालना गृह से गोद देते हैं। अब इनका क्या हुआ आगे, इसकी चिन्ता कौन करेगा? आज तक इसकी चिन्ता नहीं हुई। पिछले दो-तीन वर्ष पहले से चिन्ता कर रहे हैं हम। प्रतिवर्ष उनको बुलाते हैं कि हमने जिन महानुभावों को बच्चे गोद दिये थे, हमारे बच्चे सुरक्षित हैं कि नहीं हैं। जिन बहनों की हमने शादी की थी वह अपना घर ठीक प्रकार से चला रही हैं, या ठीक प्रकार से रह रही हैं कि नहीं रह रही हैं। आपको जानकर खुशी होगी कि इसमें से 98 प्रतिशत बहनें और बच्चे बहुत खुश हैं। आनन्द से रह रहे हैं और अपना जीवन ठीक प्रकार से यापन कर रहे हैं।

(श्री मदन दिलावर)

महिला दिवस पर प्रतिवर्ष हम गोद दिये बच्चों के मां-बाप को, और जिन बहनों की शादी की है उन भाइयों को यहां बुलाएंगे। ताकि हम उनका मूल्यांकन कर सकें।

शिशु पालना गृह। शिशु पालना गृह की स्थिति से आप सभी, आप तो महिलाएं हैं, परिचित हैं। छोटा सा बालक कोई बहन छोड़ जाती है। एक दिन का, दस घण्टे का, पांच दिन का। तो हमारे शिशु पालना गृह में लाया जाता है। शिशु पालना गृह में जब लाया जाता है तो उसकी सफाई की व्यवस्था, उसको नहलाना-धुलाना एक मां तो कर सकती है लेकिन दूसरा व्यक्ति कैसे करेगा? बड़ा कठिन होता है। धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे कर्मचारियों को कि इस काम को बड़े हंसते-हंसते करते हैं। आज हमारे शिशु पालना गृह को आकर देखेंगे तो प्रसन्नता होगी कि आधुनिक तरीके के झूले, अच्छे-अच्छे खिलौने, अच्छे-अच्छे उनके कपड़े, सारी की सारी अच्छी व्यवस्था की है और शिशु पालना गृह के लिये हमने नया सुविधा भवन बनाया है जिसमें आनन्दपूर्वक बालक रह सकें। इसकी भी पूरी व्यवस्था की गयी है।

अब सदन कहेगा आपने बालकों की तो चिन्ता की, विकलांगों की भी चिन्ता की, छात्रों की भी चिन्ता की, आखिर में वृद्धों का क्या होगा? वृद्धों की भी चिन्ता की है। माननीय शिवनाथजी यहां से गये, वह पूछ रहे थे, बनवारी लालजी पूछ रहे थे, ताम्बीजी पूछ रहे थे, हमने वृद्धों की भी चिन्ता की है। सम्माननीय मीणा भाई साहब और कल आप भी पूछेंगे.... (व्यवधान) पिछले वर्ष वृद्धों के लिये दस देख-भाल केन्द्र खोले गये अनुदानित संस्थाओं के माध्यम से। और प्रत्येक सेंटर को डेढ़ लाख रुपये हम सरकार की तरफ से देते हैं ताकि वहां आकर रोज तो नाश्ता करें, अखबार पढ़े, टी.वी. देखें और आराम से दिन भर सोए। अपने साथ चाहे तो पोते को लाए, खिलायें, उनको सिखाएं, या उनके नहीं हों तो पड़ौस वाले बच्चों को लाकर लिखाएं-पढ़ाएं। उनको अनुभवों का लाभ दें। इस प्रकार की व्यवस्था की है और इस बार भी...

श्री परसादी लाल मीणा : कैलाशजी किसको लाएंगे?

श्री मदन दिलावर : ....दस डे केयर सेंटर और खोले जा रहे हैं ताकि हम वृद्ध लोगों की ठीक प्रकार से देख-भाल कर सकें। उनको ऐसा न लगे कि कहीं घर में परेशानी हो गयी तो उनका कौन रखवाला है कहां जाए किसके पास जाकर बैठें इस प्रकार से हमने ऐसी व्यवस्था की है।

महाराणा प्रताप की 400वीं पुण्यतिथि हम मना रहे हैं। अब महाराणा प्रताप के साथ लड़ने वाले, मेवाड़ को स्वतंत्र कराने में सहयोग करने वाले, गाड़िया लुहारों की स्थिति आप और हम सब जानते हैं। उन्होंने संकल्प किया था कि मेवाड़ जब तक स्वतंत्र नहीं हो जायेगा हम एक जगह पर नहीं रहेंगे। मेवाड़ स्वतंत्र हो गया।

(श्री मदन दिलावर)

देश स्वतंत्र हो गया लेकिन उनकी सुधि, मैं समझता हूं किसी ने ली नहीं। माणिक्य लालजी वर्मा साहब ने, मैं उनका आभार व्यक्त करता हू कि उन्होंने इस प्रकार की योजना को प्रारम्भ किया था। लेकिन दो-तीन साल, जब तक वह रहे तब तक इस योजना को देखा गया, बाद में मेरे सामने आने वाले बंधु भूल गये। हमने कहा जब राज्य सरकार ने कहा, राजस्थान सरकार ने....

श्री परसादी लाल मीणा : बंधु नहीं, माननीय सदस्य कहें। आप अपनी भाषा सुधारें।

श्री मदन दिलावर : माननीय सभापति महोदया, क्षमा कीजियेगा, माननीय सदस्य।

श्री सभापति : यह समाज कल्याण मंत्री हैं ना, विश्व बंधुत्व से बधें हुए हैं... (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : यह आर.एस.एस. की भाषा है, बंधु।

श्री सभापति : आर.एस.एस. में नहीं बोलते हैं।

श्री परसादी लाल मीणा : यह विधान सभा है...

श्री शैलेन्द्र जोशी : यह संघ नहीं है।

श्री सभापति : बैठिये। आर.एस.एस. में बंधु नहीं बोलते।

श्री शैलेन्द्र जोशी : यह संघ नहीं है संघ। आप संघ चला रहे हैं ?

श्री रामस्वरूप मीणा : यहां कोई शाखा नहीं लग रही है।

श्री सभापति : यह सदन की भाषा बोल रहे हैं। बैठिये, माननीय सदस्य।

श्री रामस्वरूप मीणा : यह विधान सभा है।

श्री मदन दिलावर : सभापति महोदया, पहले शहरों में गाड़िया लुहारों को 50 वर्ग मीटर भूखण्ड निःशुल्क देने का प्रावधान था। राजस्थान सरकार से और विशेषकर माननीय स्वायत्त शासन मंत्री जी से मैंने निवेदन किया कि शहरों में 100 वर्ग मीटर जमीन प्रति परिवार देनी चाहिए। गाड़िया लुहारों के पास कितना ताम-झाम होता है। उसकी दुकान है, उसकी गाय है, उसका बैल है, गाड़ी है, मुर्गा, मुर्गी है। यह सब होता है तो सरकार द्वारा उनको 50 वर्ग मीटर से बढ़ाकर के 100 वर्ग मीटर जमीन निःशुल्क, गाड़िया लुहारों को दी जा रही है। और हमने जितनी भी नगर पालिकायें हैं, नगर निगम हैं, नगर परिषदें हैं, ग्राम पंचायतें हैं, सबको लिखा है। और कई नगर पालिकाओं, जिला परिषदों और पंचायतों ने बहुत अच्छा काम किया है। और पांच हजार से भी ज्यादा

(श्री मदन दिलावर)

गाड़िया लुहारों को निःशुल्क भूखण्ड दिला चुके हैं। निःशुल्क भूखण्ड दिलाने के बाद इनको मकान बनाने के लिए हम सहायता करते हैं। उस सहायता मे पांच हजार रुपये मकान बनाने के लिए अनुदान के रूप में देते हैं और उसका लाभ गाड़िया लुहार उठा रहे हैं ... पांच हजार कहा है।

एक माननीय सदस्य : आपने कुछ नहीं किया इसलिए यह स्थिति है।

श्री मदन दिलावर : सभापति महोदया, स्वच्छकार बंधु, अनुसूचित जाति को हम ऋण देते हैं, अनुसूचित जनजाति को देते हैं। विकलांगों को भी देना प्रारम्भ कर दिया। स्वच्छकारों को अलग से अब, क्योंकि अनुसूचित जाति के काम्पीटिशन में नहीं आ पायेंगे, कई प्रकार की परेशानियां उनके सामने हो जायेंगी इसलिए स्वच्छकार बंधुओं को एन.एस.एफ.डी.सी के माध्यम से एक करोड़ की गारंटी देकर, उनको हम 6 प्रतिशत ब्याज पर लोन देना प्रारम्भ कर रहे है ताकि ठीक प्रकार से अपना जीवन यापन कर सकें। स्वच्छकार से मेरा मतलब है सफाई कर्मचारी जो सफाई का काम करते हैं। उनके लिए योजना है।

सभापति महोदया, अनुसूचित जाति विकास निगम के माध्यम से, अनुसूचित जाति जनजाति वित्त विकास निगम के माध्यम से बहुत सारी योजनाएं हम चला रहे हैं। एक हजार अध्यापकों को बी.एड. और एस.टी.सी. जो करते हैं, जो अध्यापक हैं, उनको प्रतिवर्ष हम विशेष ट्रेनिंग कराकर के सारा खर्चा अनुसूचित जाति विकास निगम के माध्यम से वहां दे रहे हैं। और अब की बार तो हमने एक नई योजना चलाई है पिछले वर्ष से, पी.एम.टी., पी.ई.टी., आई. आई.टी. आदि जो करना चाहते हैं और जो इनकी कोचिंग करना चाहते हैं, इसके लिए हाई रेपुटेड संस्थाओं का चुनाव हुआ है, कोटा में ऐलेन इंस्टीट्यूट बहुत बड़ा नाम है। कैरियर पाइंट बहुत बड़ा नाम है और बंसल बहुत अच्छा नाम है। इनमें जिन शिड्यूल्ड कास्ट के बच्चों का एडमीशन हो जायेगा उनको कोचिंग का खर्चा समाज कल्याण विभाग की तरफ से दिया जायेगा। 500 रुपये प्रतिमाह उन्हें भोजन इत्यादि की व्यवस्था के लिए दिया जायेगा और एक हजार रुपया उन्हें स्टेशनरी के लिए भी दिया जायेगा। इसमें इस बार, वैसे तो अभी जो रिजल्ट आया है वह बता रहा हूं, 35 का परिणाम प्राप्त हुआ है। अभी पी. एम.टी. का रिजल्ट नहीं आया। अभी पी. ई.टी. और आई.आई.टी. का बता रहा हूं। 35 का परीक्षा परिणाम प्राप्त हुआ है। इसमें 23 का चयन हो गया है। 22 का तो पी.ई.टी. में हो गया और एक का आई.आई.टी. में हो गया है। इसी प्रकार से पी.एम.टी. में भी बहुत अच्छा रिजल्ट रहने की संभावना है। इसलिए बहुत बड़ा काम इस अनुसूचित जाति विकास निगम के माध्यम से हम कर रहे हैं। एक सेल्फ हैल्प ग्रुप योजना चलाई है....

श्री शैलेन्द्र जोशी : कितना प्रतिशत हुआ है ? (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर: सभापति महोदया, हम इससे प्रोत्साहित हुए हैं और इसलिए हमने अनुसूचित जाति जनजाति विकास निगम के माध्यम से फूड क्राफ्ट की ट्रेनिंग भी प्रारंभ की है। इस बार 45 बालक बालिकाओं को अनुसूचित जाति विकास निगम के खर्चे पर हम फूड क्राफ्ट की ट्रेनिंग करवायेंगे, ताकि वह होटलों आदि में ठीक तरीके से काम कर सकें। इसी प्रकार से पर्यटन का विकास, माननीय मंत्री महोदया करती जा रही हैं और नये-नये पर्यटन सेंटर खोल रही हैं। इसलिए इस वर्ष 50 टूरिस्ट गाइड का प्रशिक्षण भी अनुसूचित जाति-जनजाति विकास निगम के खर्चे पर दिलवाया जायेगा।

सभापति महोदया, मेरे से ढोली समाज के लोग मिले। उन्होंने कहा कि हमारा तो सारा ही धंधा छिन गया है। बड़े-बड़े बैण्ड आ गये हैं। हम काम्पीटशन में आ नहीं पा रहे हैं। हमारे भूखों मरने की स्थिति हो गयी है, इसलिए हमारा कोई उपाय करें। मैंने उसी दिन विचार किया कि आखिर इनके लिए क्या किया जाये? तो ढोली समाज को हम निःशुल्क ग्रास बैण्ड, अनुसूचित जाति जनजाति वित्त विकास निगम के माध्यम से उपलब्ध करवायेंगे। एक बैण्ड तो हमने उपलब्ध करा दिया है। 16 लोगों का एक ग्रुप बनाया था, तो 82 हजार रुपये का एक बैण्ड निःशुल्क उपलब्ध करा दिया है। स्वीकृति हो गयी है। या तो कल आ गया होगा या आ जायेगा। और भी जितने भी ढोली समाज के लोग अपना ग्रुप बनाकर आयेंगे; सबको निःशुल्क ग्रास बैण्ड दिये जायेंगे और हम ढोल बजा देंगे इनका।

सभापति महोदया, अनुसूचित जाति के लोगों की जाति, अब आप जानते हैं, रेवेन्यू रिकार्ड में पुराने समय से बैरवा, मेघवाल, रैगर, मोची इनको लिख दिया। खाते में, रेवेन्यू रिकार्ड में चमार लिख दिया। यह अच्छा शब्द नहीं है और अच्छा लगता भी नहीं है सभ्य समाज को। इसलिए रेवेन्यू मिनिस्टर साहब से मैंने निवेदन किया कि रेवेन्यू रिकार्ड में इस प्रकार का जो नाम है, और मजबूरी में उनको कोई भी प्रमाण पत्र लेने के लिए जाति के सामने चमार लिखना पड़ता है जो अच्छा नहीं है। इसलिए बैरवा, मेघवाल, रैगर लिखने की अनुमति दी जाये। उन्होंने आदेश जारी कर दिये हैं और निरन्तर रूप से अब वह चमार की जगह संशोधन करके मेघवाल, रैगर, बैरवा जो भी जाति है वह लिखे जा रहे हैं।

सभापति महोदया, अनुसूचित जाति बाहुल्य के जो गांव हैं, जहां बहुलता है अनुसूचित जाति के लोगों की जनसंख्या की, वह अधिक संख्या में वहां रहते हैं गरीब हैं। कोई शादी हो तो उनकी बरात कहां जाये, कहां रुके। कोई कमरा नहीं, कोई भवन नहीं। उनके ठीक प्रकार से मकान नहीं। तो ऐसी स्थिति में हमने संबल, क्योंकि संबल गांव हमने उसको कहा है जिसमें अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या 50 प्रतिशत या उससे ज्यादा हो। ऐसे ही पिछली बार भी हमने लगभग 100 गांवों में अम्बेडकर भवन के निर्माण की स्वीकृति

(श्री मदन दिलावर)

कारी की थी और इस बार भी 100 अम्बेडकर भवन हम संबल गांव में बनाने जा रहे हैं, ताकि अनुसूचित जाति के लोग ठीक प्रकार से अपने सांस्कृतिक प्रोग्राम, शादी, ब्याह आदि ठीक प्रकार से कर सकें। और संबल गांवों में विकास की हम एक विस्तृत योजना बना रहे हैं ताकि जहां 80 प्रतिशत से ज्यादा जनसंख्या अनुसूचित जाति के लोगों की है, वहां सभी प्रकार की सुविधाएं मुहैया हो जायें। इसलिए हम सब विभागों से निवेदन कर रहे हैं कि आप पहले जहां 80 प्रतिशत अनुसूचित जाति के लोग हैं वहां सब प्रकार की सुविधाएं देने का प्रयत्न करें ताकि इनका सर्वांगीण विकास हो सके।

माननीय सभापति महोदया, छात्रवृत्ति के बारे में भी थोड़ा सा निवेदन कर रहा था 1990-91 में पांच लाख तेइस हजार पांच सौ साठ लोगों को छात्रवृत्ति मिलती थी उस पर खर्चा होता है 1407 लाख रुपये। 1997-98 में 7,62,000 बालकों को हम छात्रवृत्ति दे रहे हैं और 2700 लाख रुपये हम इस पर खर्च कर रहे हैं ताकि ये छात्र छात्रवृत्ति पाकर ठीक प्रकार से अध्ययन कर सकें।

हमने पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की दरें, पिछले दो वर्ष से लगभग डेढ़ गुनी कर दी है। कई सदस्य कह रहे थे, यहां सदन में तो नहीं कहा लेकिन बाहर मुझसे कह रहे थे कि छात्रवृत्ति बढ़नी चाहिए। हमने दो वर्ष पहले पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति बढ़ाई है।

पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति में आय का काइटेरिया था कि 40,500 रुपए वार्षिक आय से अधिक आय वाले परिवारों के बच्चों को यह छात्रवृत्ति नहीं दी जाति थी। इससे नीचे के छात्रों को ही छात्रवृत्ति दी जाती थी। हमने इसको बढ़ाकर 50,920 रुपए कर दिया है, ताकि इस काइटेरिया में आने वाले बालक भी छात्रवृत्ति ले सकें।

सभापति महोदया, पेंशन-विधवाओं को पेंशन, विकलांगों को पेंशन और इस पेंशन को 100 रुपए से बढ़ाकर, माननीय वित्त मंत्रीजी ने उदारमना होकर इसको 125 रुपए कर दिया है। आपको यह जानकर हर्ष होगा कि वर्ष 1990-91 के पहले लगभग 1,50,000 लोगों को यह पेंशन दी जाती थी जिस पर 1,738 लाख रुपए खर्च होते थे। अब 229900 लोगों को हम पेंशन दे रहे हैं और इस पर 2,250 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं। अब जो प्रावधान रखा है, वह 2500 लाख रुपए का है। यानी 2500 करोड़ का प्रावधान रखा है ताकि इसमें पेंशन पा सकें और कोई भी पात्र व्यक्ति छूटे नहीं। इस प्रकार की सरकार की योजना है।

सभापति महोदया, भारत सरकार का हम पर बार-बार दबाव आता रहता है कि वेश्या उन्मूलन का कार्यक्रम होना चाहिए। हमारे यहां वेश्यावृत्ति सामान्यतया होती नहीं है, फिर भी कहीं न कहीं चोरी-छिपे होती

(290)

(श्री मदन दिलावर)

हो तो उसे किस प्रकार से ठीक किया जा सकता है, मुख्य धारा में कैसे लाया जा सकता है, इसके लिये हमने लगभग 3 वर्ष पूर्व हरसूलिया गांव में पूज्य स्वामी बसंतानंदजी महाराज के सहयोग से इस प्रकार के काम में लगी बहनों और भाइयों को बुलाया और उनको समझाया। तीन-चार दिन तक प्रवचन हुए और उनसे ही आपस में चंदा करके लगभग 10 लाख रुपए में वहां मंदिर का निर्माण किया। और मंदिर का निर्माण ही नहीं किया, उनमें श्रद्धा जाग्रत करके हमने उन्हें उस धंधे से हटाकर किसी को कहा कि तुम पान की दुकान लगा लो, किसी को कहा कि तुम चाय की दुकान लगा लो। लगभग 50-60 परिवार ऐसे हैं जो अपने धंधे में लग गए हैं और इस धंधे से दूर हट गए हैं।

हमने प्रदेश में इस प्रकार की एक उच्च स्तरीय कमेटी गठित कर दी है और प्रत्येक जिले में इस प्रकार की कमेटी गठित करने जा रहे हैं ताकि इस प्रकार के धंधे में लगी हुई बहनें हैं या भाई हैं, इस धंधे को छोड़कर मुख्य धारा में आ जाएं। अब यह क्यों होता है ? प्रदूषित वातावरण, अनेक-अनेक प्रकार का गलत साहित्य, इसके कारण से यह सब होता है। इसलिए समाज कल्याण बोर्ड के माध्यम से ऐसे स्थानों पर, कच्ची बस्तियों में, संस्कार मंदिर (केन्द्र) चलाने का हमारा कार्यक्रम है ताकि हम उनको ठीक प्रकार से शिक्षा दे सकें।

सभापति महोदया, 50 छात्रावास हम इस बार खोलेंगे और 50 नए छात्रावासों का निर्माण करेंगे। और सारे छात्रावासों, मैक्सिमम छात्रावासों की मरम्मत करवाने की हमारी योजना है ताकि उनमें ठीक प्रकार का वातावरण निर्माण हो सके।

कई माननीय सदस्यों ने चर्चा की और, माननीय सभापति महोदया, इस समय आप वहां बिराजी हैं, जब इधर बिराज रही थीं तब आपने यहां पर चर्चा की थी। और चर्चा इस प्रकार की थी कि बाल रश्मि सोसायटी में एक बालिका की हत्या हो गई। बाल रश्मि सोसायटी ने किसी विधवा का घर उजाड़ने का प्रयत्न किया, उसकी जो संचालिका है + + + यह सच है, मैंने मेरे अधिकारियों से जांच करवाई थी और जांच में यह तथ्य आए और वह जांच भी पारिवारिक न्यायालय के न्यायाधीश के निर्देश से करवाई। उसमें क्या तथ्य सामने आए कि जहां बच्चे गोद दिए हैं, उनकी पहले से दो बेटियां हैं। यानि उनकी पुत्र वधू के बेटियां पहले से हैं। उनकी पुत्र वधू विधवा है। वह गोद नहीं ले सकती। जहां बेटे हों उनको सामान्यतया गोद पर नहीं देते। न्यायालय में भी उन्होंने बच्चे गोद लेने के लिए एप्लीकेशन लगाई, जिसे न्यायालय ने रिजैक्ट कर दिया। फिर भी बाल रश्मि सोसायटी की संचालिका + + + जबरदस्ती उनको किसलिये रखा है ? इसकी जांच में आया है कि वह उसकी सम्पत्ति को हड़पना चाहती थी इसलिए हमने कहा ....।

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री पूनमचन्द विश्नोई (फलोदी) : किसी महिला का नाम नहीं लिया जाना चाहिए।

श्री सभापति : नाम तो संचालिका है, तो नाम आएगा ही, उसी के तो दस्तखतों से काम होता है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आपकी तो स्वयं की व्यवस्था है।

श्री सभापति : समाज कल्याण विभाग के मंत्री हैं और इसकी विभाग से जांच हुई है।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : वह नहीं कहा जाना चाहिए। आप उसके पद से कह सकते हैं। नाम लेने से उस व्यक्ति की बदनामी होती है। वह अपना स्पष्टीकरण नहीं दे सकता। वह उपस्थित नहीं है।

श्री सभापति : वह उपस्थित कैसे हो सकती हैं यहां पर ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (ऊर्जा मंत्री) : अपराधी यहां पर कौन उपस्थित रहता है ?

श्री महावीर प्रसाद जैन : एक अपराधी का क्या नाम होगा ? कोई मुलजिम है, वह गिरफ्तार हुआ है। (व्यवधान)

श्री भीमराज भाटी : जो अपराध करे, उसकी बदनामी होनी ही चाहिए।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : मैंने तो सुझाव दिया है। आप चाहें तो और लेवो, मेरा क्या जाता है ?

श्री महावीर प्रसाद जैन : आपकी स्वयं की व्यवस्था है।

श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) : आप उसका स्टेटस बता दीजिए कि उस संस्था में उसका यह स्टेटस है।

श्री भीमराज भाटी : आदरणीय विश्नोई साहब, ऐसी महिला की तो आप वकालत नहीं करें कम से कम ...(व्यवधान)...।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : आप घर घर लगा कर देखें, किसी घर की महिला का नाम हो तो उसका क्या हश्र होगा ? और क्या आनन्द आता है ?

श्री सभापति : यह किसी के घर की महिला का नाम नहीं है, संचालिका का नाम है, संचालिका है वह।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : उसकी संस्था का नाम ले लीजिए, उसको संचालिका बुला लें।

श्री परसादी लाल मीणा (लालसोट) : महिलाओं का बलात्कार करने वालों का नाम ले लें ? चाहे कोई भी हो। कल को मैं उठाऊंगा इस मामले को कि फलां आदमी ने महिला से बलात्कार किया है। कल कहूंगा। कार्यवाही से आप एक्सपंज मत करवाना। मैं उठाऊंगा इस मामले को। कल जब आप आसन पर रहेंगी तब ही उठाऊंगा।

श्री राजेन्द्र पारीक : संस्था का नाम लें, संचालिका बोलें।

श्री परसादी लाल मीणा : मैं उठाऊंगा, जिस किसी ने महिला से बलात्कार किया है, मैं उसका नाम लूंगा ।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : प्रावासनियों का मामला उठाया था, उस बारे में भी बोलिए, उसमें मंत्रियों के नाम भी शामिल हैं....(व्यवधान)....

श्री मदन दिलावर : इन सारी गड़बड़ियों के प्राधार पर मैं उसका अनुदान निलम्बित करता हूं। प्राज से अनुदान निलम्बित करता हूं । माननीय सभापति महोदया, गलत तरीके से वहां गोद लिए हुए बच्चों को, मैं प्रधिकारियों को निर्देश देता हूं कि सात दिन में समाज कल्याण विभाग के निराश्रित गृह में वह बालिका प्रा जाए प्रौर वहां प्रनधिकृत तरीके से बालक नहीं रहें । उन बालकों को रखा जा रहा है नौकरों की तरह । भोजन बनवाया जा रहा है, सफाई करवाई जा रही है । ठीक तरीके से भोजन नहीं दिया जाता है । प्राखिर ऐसा प्रन्याय इस कल्याणकारी सरकार के होते हुए कैसे हो सकता है ? इसलिए यह निर्णय लिया जाता है ।

सभापति महोदया, एक चर्चा प्राई थी कि यहां एक लड़की की हत्या हुई है । इसकी जांच पुलिस कर रही है प्रौर पुलिस के जो तथ्य प्राए हैं, उनके बारे में कार्यवाही की जाएगी, इससे प्रधिक मैं कुछ निवेदन नहीं कर सकता ।

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : महिला सदन में गर्भवती हो गई थी, उनका क्या किया प्रापने ? कैसे हुआ प्राप यह बताप्रो ।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : प्रौर उनमें कौन-कौन व्यक्ति शामिल थे प्रौर उनकी क्या-क्या जांच हुई ?

श्री शैलेन्द्र जोशी : महिला सदन में जो-जो प्रव्यवस्थाएं हुई, गड़बड़ियां हुई, उसके बारे में भी बता दीजिए प्राप । We are not naming any man.

श्री मदन दिलावर : मैं प्रभी जवाब दूंगा ।

श्री शैलेन्द्र जोशी : हमारे कहने के बाद प्राप जवाब देंगे, पहले देते ।

श्री मदन दिलावर : महिला-बालिका विकास हेतु किशोर बालिका विकास योजना चलती है जो 15 जिलों में चल रही है । इससे लगभग 10200 बालिकाओं को लाभांवित किया जा रहा है । राज्य में सक्रिय महिला समूहों की संख्या 2963 है । इसमें महिलाएं समूह बनाकर प्रपनी बचत करती हैं प्रौर उस बचत को एक जगह इकट्ठा करती हैं । प्रौर फिर सरकार उनको 5000 रुपए उस पर प्रनुदान के रूप में देती है ताकि वह प्रथवा छोटा-मोटा धंधा कर सकें, छोटा-मोटा काम कर सकें । किसी को ऋण की प्रावश्यकता हो, वह उससे ले सकें ।

इसी प्रकार से महिला राजगीर योजना भी महिला बाल कल्याण विभाग के माध्यम

(श्री मदन दिलावर)

से चलाई जा रही है। यह 20 जिलों में चलायी जा रही है। इसके माध्यम से कई महिलाएं कारीगर बन गई हैं अपना काम-धंधा प्रारम्भ कर दिया है और पुरुषों से भी अच्छा चुनाई का काम वे करने लग गई हैं। इसी प्रकार से कई प्रकार की ट्रेनिंग दी जा रही हैं।

सामूहिक विवाह हेतु भी इस वर्ष 542 दम्पतियों के लिए 5 लाख 42 हजार रुपये का अनुदान दिया गया है। पहले 25 जोड़ों से ज्यादा हो या 25 जोड़े हों, तब अनुदान दिया जाता था। माननीय वित्त मंत्री महोदय ने इसकी संख्या 10 जोड़ों तक कर दी है ताकि कोई छोटा समाज भी छोटे गांव में सामूहिक विवाह सम्मेलन हो तो उसका वे लाभ उठा सकें। इसका बड़ा लाभ हुआ और दहेज पर प्रतिबंध लग गया है। गरीब बाप अपनी बेटी-बेटे की शादी आसानी से कर देता है, ज्यादा खर्चा नहीं होता। इससे जो समाज में कुरीतियां थीं उन पर भी पाबन्दी लग गई है।

माननीय सभापति महोदया, यहां पर कई प्रकार की चर्चाएं की गई हैं। महिला सदन की चर्चा भी यहां की गई। महिला सदन की चर्चा गलत तरीके से की गई कि बलात्कार हो रहे हैं। मैं उनको बताना चाहता हूं कि सरकार ने यह व्यवस्था की है कि जब भी बहन इस लायक हो जाएगी, शादी के लायक हो जाएगी तो शादी करके उनका पुनर्वास कर दिया जाएगा। माननीय सभापति महोदया, महिला सदन में किसी भी प्रकार से गड़बड़ नहीं हुई है। जो आरोप लगाए हैं वे मिथ्या हैं। अब वे कहेंगे कि विमंदित महिला गृह में हुआ। विमंदित महिला गृह में हमारे सारे कर्मचारी महिलाएं थीं। दुर्भाग्य से एक स्वीपर बंधु पुरुष कर्मचारी था उसकी गलत नीयत के कारण साफ-सफाई की व्यवस्था में कैसे हो गया, क्या हो गया, लेकिन वह निश्चित रूप से गर्भवती थी। लेकिन उसमें कहीं सरकार का दोष नहीं है। हमने तो इतनी बढ़िया व्यवस्था की, उसके बाद तो कोई भी कर्मचारी पुरुष नहीं होगा, सब प्रकार की ठीक व्यवस्था होगी। कुछ लोग सरकार के खिलाफ...(व्यवधान)

श्री सभापति : सुन तो लीजिए। आप पूरा सुनिए। (व्यवधान) सुन तो लें आप।

श्री मदन दिलावर : माननीय सभापति महोदया, सरकार के खिलाफ हाईकोर्ट में गए, मेरे को पार्टी बनाया। लेकिन हाईकोर्ट ने इसको अमान्य कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। माननीय सभापति महोदया, जब मैं यहां चर्चा करूंगा, जब मुंह खुल गया तो कह देता हूं यहां ओ.बी.सी. की चर्चा की गई थी। ओ.बी.सी. की चर्चा यह की गई थी कि ओ.बी.सी. के लिए इस किताब में कुछ नहीं लिखा। क्या गाड़िया लुहारों के लिए हम छात्रावास नहीं चला रहे हैं? क्या वे ओ.बी.सी. में नहीं आते? क्या विधवा महिलाओं को जो पांच हजार रुपये की सहायता दे रहे हैं इनमें कोई जाति बंधन है? उसमें क्या ओ.बी.सी. को हम लाभ नहीं दे रहे हैं? क्या ओ.बी.सी. के बंधु को आरक्षण का

(294)

(श्री मदन दिलावर)

लाभ नहीं दिया है ? 21 प्रतिशत आरक्षण नियुक्तियों में दिया है।

यहां चर्चा की गई कि एस.सी. और एस.टी. को 16 व 12 पर्सेन्ट रिजर्वेशन देना चाहिए था वह 8 और 6 पर्सेन्ट है। यह सच है माननीय सभापति महोदया। वह 8 और 6 पर्सेन्ट है। मुझे भी इस बात का दुःख है। परन्तु यह सामने बैठने वाले लोग, मैं तो अभी आया हूं।

श्री परसादी लाल मीणा : लोग नहीं माननीय सदस्य।

श्री मदन दिलावर : क्षमा करेंगे, माननीय सदस्य। (व्यवधान) माननीय मुख्यमंत्री जी की तीव्र इच्छा है। जब अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग उनसे मिले तो उन्होंने मुझे कहा कि इसको देखो, ऐसा क्यों हुआ। मैं जानकारी करके उन तक पहुंचा रहा हूं और निश्चित रूप से माननीय मुख्य मंत्री जी इस पर ठीक प्रकार का निर्णय लेंगे ताकि जिन लोगों ने गलत काम किया है, उसको ठीक प्रकार से ठीक दिशा में ला सकें और अधिक से अधिक लोगों को उसका लाभ मिल सके।

यही नहीं ओ.बी.सी के लिए......

श्री रामस्वरूप मीणा : पाइन्ट आफ आर्डर।

श्री मदन दिलावर : माननीय सभापति महोदया, अन्य पिछड़ा वर्ग के कई लोग गरीब हैं। ऐसे गरीब लोगों के लिए भी राजस्थान में दो आवासीय विद्यालय खोलने का विचार सरकार कर रही है। उन आवासीय विद्यालयों में 400 बालक रहेंगे। इनका सारा खर्चा सरकार देगी ताकि ओ.बी.सी. के बालक भी ठीक प्रकार से पढ़ सकें।

श्री रामस्वरूप मीणा : सभापति महोदया, पाइन्ट आफ आर्डर। यह सदन की क्या व्यवस्था है ? मैं पाइंट आफ आर्डर मांग रहा हूं और आप हमारे लिए व्यवस्था नहीं दे रही हैं। पाइन्ट आफ आर्डर। पाइन्ट आफ आर्डर सुन लीजिए, उसके बाद ये कहें।

श्री सभापति : मंत्री जी, बिराजिए। आप बोलिए।

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय सभापति महोदया, मेरा पाइंट आफ आर्डर यह है कि....

श्री जोगेश्वर गर्ग : किस नियम के अंतर्गत है ?

श्री रामस्वरूप मीणा : मैं बोल रहा हूं, आप बैठिए। आप सभापति नहीं हैं। कौन होते हैं, आप पूछने वाले? बैठ जाओ।

श्री जोगेश्वर गर्ग : आप हमेशा खड़े हो जाते हैं। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : आप बैठ जाइए।

श्री जोगेश्वर गर्ग : सभापति महोदया, पाइंट ग्राफ ग्राडंर का इतना दुरुपयोग करते हैं कि कोई समय नहीं। किसी भी बात को पाइंट ग्राफ आर्डर के द्वारा उठा लेते हैं। ग्राप बताइए कौनसे नियम के ग्रंतर्गत बोल रहे हैं? ग्राप नियम बताइए उसके बाद बोलिए। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय सभापति महोदया, मेरा पाइंट ग्राफ ग्राडंर सीधा है। पढ़ाये बिना वेतन मांगने वाले ग्रध्यापकों के खिलाफ ग्रौर व्याख्याताग्रों के खिलाफ ग्रापने कार्यवाही की है, लेकिन क्या कारण है इस कार्यवाही को ग्रापने दबा दिया ग्रौर ग्राज तक कार्यवाही क्यों नहीं हुई ?

श्री सभापति : यह पाइंट ग्राफ ग्राडंर नहीं है मीणा जी। बिराजिए। रिजेक्ट।

श्री मदन दिलावर : माननीय सभापति महोदया, यहां यह भी चर्चा ग्राई थी, माननीय सदस्य ने चर्चा की थी..

श्री सभापति : जो मर्जी ग्राए बोल दो पाइंट ग्राफ ग्राडंर के माध्यम से।

श्री मदन दिलावर : माननीय सभापति महोदया, माननीय सदस्यों ने चर्चा की थी ग्रौर चर्चा यह थी कि पति–पत्नी की संयुक्त पेंशन होती है।

श्री सभापति : ग्रापकी योजनाएं बड़ी ग्राकर्षक हैं। ग्रभी ग्रौर कितनी हैं?

श्री मदन दिलावर : जो संयुक्त पेंशन होती है उसमें यदि पति की दुर्भाग्यवश मृत्यु हो गई तो उसकी पेंशन रुक जाती है। नया आवेदन होना चाहिए। हम ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं कि एक की किसी कारण से दुर्भाग्यवश मृत्यु हो जाए तो सारी पेंशन नहीं रुकेगी। एक की पेंशन तो चालू रहेगी। ग्रौर यदि किसी कारण से गैप हो गया तो उसका एरियर भी उसको मिलेगा। ग्राप जानते हैं पति की मृत्यु हो जाती है तो पत्नी तो ग्रपने ग्राप विधवा हो गई। इसलिए उसको 125 रुपये प्रतिमाह पेंशन मिलेगी।

माननीय सभापति महोदया, बहुत सारी चर्चा मैं बहुत दिनों से सुन रहा था। सुन रहा था कि ग्रनुसूचित जाति ग्रौर जनजाति के लोगों पर बहुत ग्रत्याचार हो रहे हैं। मुझे बड़ा कष्ट हो रहा था कि ये ग्रत्याचार नहीं होने चाहिए। चाहे बहुत कम संख्या में हुए हों, पर जो भी हुआ उसकी निन्दा करनी चाहिए। नहीं होना चाहिए। माननीय गृह मंत्री जी ने पूरी व्यवस्था की है। और इक्का–दुक्का कहीं हो जाता है, उसका बहुत बवेला यहां मचाने का प्रयत्न किया गया।

ग्रापके माध्यम से सदन को जानकारी दे रहा हूं 7 जनवरी, 1987 को ग्रधिकारियों के हाथों सहरिया ग्रौरतों का सतीत्व खतरे में बताया गया। इसकी जांच वरिष्ठ ग्राई.ए.एस. ग्रफसर एम.एल. मेहता थे, उन्होंने की। और उसमें यह कहा गया कि अधिकारी काम कराने के बदले उनकी बहनों को, उनकी बच्चियों को, उनकी बहुग्रों को

(296)

(श्री मदन दिलावर)

बुलाने का प्रयत्न करते हैं। यह जांच में है। एक इतने वरिष्ठ अधिकारी ने जांच की 1987 में। आश्चर्य हो गया। कांग्रेस के शासनकाल में गरीब महिलाओं का सतीत्व खतरे में पड़ गया।

श्री परसादी लाल मीणा : क्या हुआ, आपकी सत्तारूढ़ पार्टी के एम.एल.ए ने कैलादेवी में क्या किया ? (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : शालिनी शर्मा को किसने समाज कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष बनाना चाहा ? (व्यवधान)

श्री परसादी लाल मीणा : वह भी अखबारों में छपा है। कोर्ट में इस्तगासा हुआ है, 164 में बयान हुए हैं। यह पुरानी बात है आज की बात करो। आप 1987 की क्या, आज की बात करो। आप उनको हाउस में तो लेकर आओ। उन एम.एल.ए. को हाउस में तो लेकर आओ। आप पहले अपनी खुद की देखो। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : शालिनी शर्मा को समाज कल्याण बोर्ड की अध्यक्ष बनाने के लिए दिल्ली में नाम भेजा। (व्यवधान) आपने रिकमण्ड करके नाम भेजा था मंत्री महोदय। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : सम्माननीय राजीव गांधी जी वहां पधारे और उन्होंने कांग्रेस के नेताओं को कहा। आदेश दिया कि मण्डावरी के जो प्रताड़ित लोग हैं इनको 10 दफा कहा। लेकिन कांग्रेस के लोगों ने उन कंजरों को कोई राहत नहीं दी। (व्यवधान)

श्रीमती कमला : माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदय पिछले सालों में हुई कुछ घटनाओं का उल्लेख करके क्या उस पीरियड में हुई घटनाओं को जस्टीफाई कर रहे हैं ?

श्री सभापति : माननीय सदस्या, बिराजिए। मंत्रीजी को बोलने दीजिए।

श्रीमती कमला : ऐसी घटनाएं किसी भी वक्त निन्दनीय हैं। इसलिए आप पहले की घटनाओं को उल्लेखित करके, आज से 60 वर्ष पहले की घटनाओं को जस्टीफाई करना चाह रहे हैं क्या ? आप काहे के लिए उदाहरण पेश करना चाह रहे हैं। ठीक है, सब जगह पर होते हैं।

श्री सभापति : बिराजिए माननीय सदस्या। माननीय कमला जी, आप पार्टी की वरिष्ठ सदस्य हैं। (व्यवधान)

श्रीमती कमला : इनका तरीका गलत है।

श्री परसादी लाल मीणा : +++ (व्यवधान)

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री सभापति : विराजिए आप । (व्यवधान)

श्री परसादी लाल मीणा : आपके मंत्रियों के +++ कह रहे हैं । (व्यवधान)

श्री बनवारी लाल बैरवा : सभापतिजी, मंत्रीजी समाज कल्याण के विषय में बात करें तो ठीक है । यह एलीगेशन लगाने का काम इनका नहीं है । (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आप सीधी बात करिये । (व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज । विराजिये । (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : आपका +++ देखिये । (व्यवधान)

श्री सभापति : विराजिये माननीय सदस्य ।

श्री राजेन्द्र पारीक : क्यों बोलेंगे आप? (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : आपका समाज कल्याण बोर्ड..(व्यवधान).. को आपके नाम किया । क्या कहेंगे आप ? (व्यवधान)

श्री सभापति : विराजिये ।

श्री रघुवीर सिंह (सराड़ा) : कागज लाये हो क्या ?

श्री नन्दलाल मीणा (राज्य मंत्री, जन जाति क्षेत्रीय विकास) : अपना काम फीस्टाइल है । माननीय सभापति महोदया, मांग संख्या 30 जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, राजस्थान पर माननीय सदस्यों ने जो महत्वपूर्ण सुझाव दिये हैं, मैं उनके प्रति आभार प्रकट करता हूं । मैं उन महानुभावों के प्रति भी आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने अपने दिल और दिमाग से राजनीति से ऊपर उठकर आजादी के 50 साल बाद इस सदन में इस बात को स्वीकारा है कि पिछले 10 वर्षों में राजस्थान क्षेत्र में, उपयोजना क्षेत्र के रहने वाले और राज्य के अन्य जिलों में रहने वाली जनजातियों के बारे में, उनके सामाजिक उत्थान के लिए, उनके आर्थिक विकास के लिए, उनके शैक्षणिक और सांस्कृतिक उत्थान के लिए जो-जो भी योजनाएं लागू की गयीं, उनका परिणाम जो सामने आया, उसी का प्रतिफल है कि आज खेरवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य भाई श्री दयाराम परमार ने इस सदन को एक ऐसे वातावरण में, काल्पनिक वातावरण में डाल दिया । और मेरे ख्याल से वह स्वयं भी सपने में खो गये कि यदि इस प्रकार से आदिवासी क्षेत्र का विकास चलता रहा, नन्दलाल मीणा के नेतृत्व में चलता रहा, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में चलता रहा तो, उन्होंने इस बात को इस सदन में

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया ।

(श्री नन्दलाल मीणा)

स्वीकारा है कि हम नन्दलाल मीणा को भावी मुख्य मंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। सभापति महोदया, यह किस बात को अंगीकार करना चाहते हैं? मैंने एक काल्पनिक प्रदेश की बात की है।

सभापति महोदया, मैं डूंगरपुर से आने वाले माननीय सदस्य श्री नाथूरामजी के प्रति आभार प्रकट करता हूं। उन्होंने भी अपनी अन्तरात्मा से इस बात को स्वीकारा है कि सन 1947 में देश आजाद हुआ, और 1998 में उन्हें इस बात का अहसास हो गया कि लगभग 40–42 वर्षों तक इस प्रदेश में कांग्रेस का शासन रहा। होना तो यह चाहिए था आरक्षण की दृष्टि से, शैक्षणिक उत्थान की दृष्टि से कि इस आदिवासी क्षेत्र के विकास के लिए वह सारे साधन मुहैय्या कराकर जो आरक्षण नौकरियों में है, उसकी पालना कराते। परन्तु गांव और कस्बे, मजरे और ढाणियां शिक्षा से महरूम रखे गये। जनजाति विकास के नाम से योजनाएं बनीं। जनजाति के नाम से योजनाएं बनीं। परन्तु इसके पीछे जो चाल रची गयी वह मैं आपके सामने निवेदन करना चाहता हूं। लगभग इस उपयोजना क्षेत्र में 40 लाख आदिवासी हैं जो कुल आबादी का 68 प्रतिशत उस क्षेत्र का है। उस आबादी के लिए....

एक माननीय सदस्य : एम.पी. में हार गये।

श्री नन्दलाल मीणा : एम.पी. में हार गये तो राजस्थान में जीत जाएंगे। उन्होंने इस बात को स्वीकार किया सभापति महोदया...

श्री कालीचरण सराफ : सरकार तो फिर भैरोंसिंहजी की बनेगी।

श्री शैलेन्द्र जोशी : सपने देखो।

श्री परसादी लाल मीणा : एक मीणा बोल रहा है तो आपको बरदाश्त नहीं है।

श्री नन्दलाल मीणा : इस समाज के शैक्षणिक विकास के लिए इसको शिक्षा की दृष्टि से उन्नत करना चाहिए था। प्राथमिक शिक्षा के आधार पर, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा के आधार पर स्कूल गांवों में खुलें, उपयोजना क्षेत्र में खुलें। परन्तु उन गांवों में खुले जहां पर रहने वाले लोग इस राजस्थान की राजनीति को प्रभावित करते थे। उन स्थानों पर खुले, जहां की आबादी घनी थी। पहाड़ों और कन्दराओं में रहने वाला आदिवासी टुकुर-टुकुर देखता रहा कि कभी शिक्षा की बहार हमारे गांव में, कस्बे में, मजरे में भी आयेगी। परन्तु अब पिछले समय में राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तब, मैं माननीय ललितकिशोरजी चतुर्वेदी और माननीय गुलाबचन्द जी कटारिया को बधाई अर्पित करता हूं कि उन्होंने शैक्षणिक नीति निर्धारित की। रेगिस्तानी इलाकों और आदिवासी इलाकों में, राजस्थान में 250 की आबादी के राजस्व ग्राम में प्राथमिक विद्यालय खुले। जबकि जनजाति क्षेत्र में 150 की आबादी में प्राथमिक

(श्री नन्दलाल मीणा)

विद्यालय प्रारम्भ करके एक संकेत किया, एक शंखनाद किया उस इलाके में शिक्षा के बारे में कि बालकों खड़े हो जाओ। अब तक आपको 40-42 वर्ष तक शिक्षा से महरूम रखा था, आपके लिए शिक्षा के दरवाजे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने खोले है। और आज इसी की वजह से गांव-गांव में स्कूल है, मिडल स्कूल हैं, सीनियर सैकण्डरी स्कूल हैं, सैकण्डरी स्कूल हैं, मिनी आई.टी.आई., आई.टी.आई. हैं।

मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं कि 1990 के पहले आदिवासी इलाके की क्या स्थिति थी और आज राजस्थान के शेष भाग की तुलना में आदिवासी इलाके की क्या स्थिति है। समापति महोदया, उच्च माध्यमिक विद्यालयों में वर्ष 1996 में राज्य में एक लाख की जनसंख्या के ऊपर 2.65 प्रतिशत का एवरेज था, जबकि आज जनजाति उपयोजना क्षेत्र में 2.76 प्रतिशत है। मतलब कि राजस्थान के गैर आदिवासी इलाके की तुलना में ट्राइबल सब प्लान एरिया में, सीनियर सैकण्डरी स्कूल ज्यादा हैं। अनुपातिक दृष्टि से ज्यादा हैं।

इसी तरह से राठोड़ साहब, जो चिकित्सा मंत्री हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, समापति महोदया, आप सिरोही से आती हैं, वहां पर भी आदिवासी बन्धु, गरासिया बन्धु रहते हैं। हम लोग प्रकृति के पुजारी हैं। दवाखानों के दरवाजे हमने नहीं देखे, डाक्टरों की शकल से हम परिचित नहीं हैं। हम प्रकृति के पुजारी होने की वजह से गांवों में झाड़-फूंक के आधार पर, गांव की देशी दवाइयों के आधार पर, आयुर्वेद दवाइयों के आधार पर जो कुछ ग्रामीण अनुभव था, जो भी आदिवासी संस्कृति की दवाइयों की धरोहर थी, उस धरोहर के आधार पर हम उपचार किया करते थे। और उसका नतीजा यह होता था कि लम्बे समय तक इलाज के साधन वहां पर नहीं होने की वजह से आदिवासी बन्धु अकाल मौत के शिकार हुआ करते थे। पिछले 10 वर्षों में प्रत्येक एक लाख की आबादी पर राजस्थान में 4.16 प्रतिशत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं तो जनजाति क्षेत्र में 5.40 प्रतिशत हैं। यह सोच बताती है कि हम इनके साथ राजनीतिक खिलवाड़ कर रहे हैं या इनके जीवन को बनाने में लगे हैं।

इसी तरह से आप यह भी अच्छी तरह से जानते हैं कि इन आदिवासी इलाकों में, दूर दराज तक सड़कों के साधन नहीं हैं। यातायात के साधन नहीं हैं। संचार के साधन नहीं हैं। ऐसी परिस्थिति में डाक्टर नहीं रह सकता और न रहने की वहां पर व्यवस्था है। ऐसी स्थिति में उप स्वास्थ्य केन्द्र, जो उस इलाके में स्वास्थ्य की एक जड़ है, रीढ़ की हड्डी है उस दृष्टि से भी मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं सदन में कहना चाहता हूं कि प्रत्येक 10,000 की जनसंख्या के ऊपर राजस्थान में 2.56 प्रतिशत उप स्वास्थ्य केन्द्र हैं जबकि जनजाति इलाके में 3.2 प्रतिशत है। क्यों ? इसके पीछे सोच यही थी कि यह आदिवासी इलाका आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से, बौद्धिक दृष्टि और स्वास्थ्य की दृष्टि से पिछड़ा हुआ है। इसमें, संविधान

(300)

(श्री नन्दलाल मीणा)

में प्रावधान करके उपयोजना क्षेत्र बना। उपयोजना क्षेत्र के साथ माडा का क्षेत्र, माडा क्लस्टर और बिखरी हुई आबादी, इस तरह से चार खण्ड मे आदिवासी क्षेत्र को बांटा गया है। सभापति महोदया, मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए मेरे मूल बिन्दुओं पर आना चाहता हूं। (व्यवधान)

सभापति महोदया, प्राथमिक विद्यालय के बारे में जैसा मैंने निवेदन किया कि 150 की आबादी पर प्राथमिक विद्यालय खोले गये। परन्तु आज हम इस बात के लिए चिंतित हैं, गम्भीर हैं, इसके बारे में क्या योजना बनाई जाये कि राजस्व ग्राम में 150 की आबादी तक तो हमने प्राथमिक विद्यालय खोल दिये परन्तु ऐसे मजरे और ढाणियां, जहां 150 से अधिक आबादी है परन्तु वह राजस्व ग्राम नहीं है, वहां पर प्राथमिक विद्यालय नहीं है। पहाड़ी इलाका है, पहाड़ी इलाका होने की वजह से कैसे पहाड़ के एक किनारे एक गांव है, और दूसरे किनारे दूसरा गांव है। वहां नदी–नाले बहते हैं। पहली क्लास का बच्चा उस पहाड़ को लांघकर, चाहे वह एक किलोमीटर का फासला है, परन्तु उसको पार नहीं कर सकता है। इसलिए आने वाले वित्तीय वर्ष में हमारा यह स्पष्ट मत है, ऐसे मजरे और ढाणियां जहां पर आबादी 150 से ज्यादा है, वहां पर भी जनजाति क्षेत्र में प्राथमिक विद्यालय हों, इस बात की व्यवस्था की है।

सभापति महोदया, मैं माननीय सदस्यों से कुछ निवेदन करना चाहता हूं। जैसा मैंने पूर्व में भी निवेदन किया कि नाथूराम जी के विचारों से, जो उन्होंने बिल की भावना व्यक्त की, मैं उनका समर्थन करता हूं। 1990 के पहले इस आदिवासी इलाके के पांच जिलों में 3850 प्राथमिक विद्यालय थे जो वर्तमान में बढ़ाकर 5130 किये गये। यानि 1280 प्राथमिक विद्यालय ज्यादा हुए और जिसका प्रतिशत 33.03 है....

श्रीमती कमला : ये 3000 के अलावा हैं या उनको शामिल करके ? आप पीछे वालों को मिलाकर अपने हिस्से में मिलाते जाओ। (व्यवधान)

अनेक माननीय सदस्य : अलावा हैं।

श्री नन्दलाल मीणा : सभापति महोदया, जब साक्षरता की जनगणना होती थी तो इस आदिवासी क्षेत्र में रहने वाले और अन्य गैर आदिवासी समाज के लोग, वे भी सम्मिलित थे। परन्तु उसका जब अनुपात निकालते थे तो अनुपात में उस क्षेत्र के सब बालक-बालिकाओं की गणना होती थी। आदिवासी बालक-बालिकाओं की गणना नहीं होती थी। इसलिए 1990–91 से 1997-98 तक ...

श्रीमती कमला : योजना का कितना प्रतिशत बढ़ा, उसके अनुपात में कितना हुआ ?

श्री नन्दलाल मीणा : वह बाद में बताऊंगा। चार लाख 33 हजार नये नामांकन वहां के ट्राइबल एरिया में हुए।

सभापति महोदया, आश्रम छात्रावास

(श्री नन्दलाल मीणा)

प्राइमरी विद्यालय खोल देने, मिडल से सैकण्डरी और सीनियर सैकण्डरी स्कूल कर देने से आदिवासी समाज के बालक बालिकाओं की शैक्षणिक पूर्ति सम्भव नहीं है। यह मेरा मत है। और आप सभी का मत यही होना चाहिए। क्योंकि उनकी निर्धनता की वजह से चाहे सैकण्डरी हो, सीनियर सैकण्डरी हो या कालेज हो, जब तक वहां पर उनके आवास के लिए छात्रावास की व्यवस्था नहीं होगी किराये की व्यवस्था नहीं होगी, तब तक आदिवासी बालक और बालिका अपनी पढ़ाई सम्पन्न नहीं कर सकते। इसलिए मुझे यह कहते हुए इस बात की खुशी है कि 1990 तक इस आदिवासी उपयोजना क्षेत्र में 4400 बालक-बालिकाओं के लिए आवासीय छात्रावास की व्यवस्था थी, जो अब बढ़ाकर 7525 के लिए कर दी गई।

सभापति महोदया, इसके साथ-साथ जहां-जहां भी कालेज थे, प्रतापगढ़ में कालेज, बांसवाड़ा में कालेज, कुशलगढ़ में कालेज, सागवाड़ा में कालेज, डूंगरपुर में कालेज, उदयपुर में कालेज, आबू रोड में कालेज और सलूम्बर में कालेज है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा में बालिका महाविद्यालय है। इन बालिकाओं के लिए कालेज में छात्रावास की व्यवस्था नहीं थी। मैं भुक्तभोगी हूं, सभापति महोदया। मेरी बच्ची प्रतापगढ़ में पढ़ती थी। उसको कालेज में पढ़ाने के लिए 2-3 बच्चियों का और खर्चा मुझे वहन करना पड़ता था। सबसे पहले इन महाविद्यालयों में जहां पर कन्या महाविद्यालय हैं, हमने छात्रावास की व्यवस्था की है। प्रतापगढ़ में हो चुकी है, बांसवाड़ा में हो चुकी है, कुशलगढ़ में काम चल रहा है और डूंगरपुर में हो चुकी है। आबू रोड, सलूम्बर और उदयपुर में इसी सत्र से काम प्रारम्भ कर दिया जायेगा ताकि आदिवासी बालिकाएं बिना कठिनाई कालेज तक शिक्षा प्राप्त कर सकें।

श्रीमती कमला : कटारियाजी, आप भी ऐसे कर लेते।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : 50 छात्रावास की स्वीकृति निकाल दी है, जो आपके ध्यान में नहीं आई है।

श्रीमती कमला : निकाल दी है तो बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : 12½ करोड़ रुपये की स्वीकृति निकाल दी है 25 में अभी। (व्यवधान)

श्री नन्दलाल मीणा : सभापति महोदया, केवल शैक्षणिक उत्थान से हम संतुष्ट नहीं हैं। इसके अतिरिक्त आपने लिम्बाराम का नाम सुना होगा जिन्होंने अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर न केवल राजस्थान का बल्कि हिन्दुस्तान का नाम रोशन किया है। उससे प्रेरणा लेकर हमने बांसवाड़ा में आदिवासी इलाके में एकलव्य छात्रावास की स्थापना की है। आज उदयपुर संभाग के हर जिले में, इस तरह के धनुर्धारी और एथलेटिक्स में जाने वाले, फुटबाल, बालीबाल के ऐसे विद्यार्थियों का एडमिशन होता

(श्री नन्दलाल मीणा)

है। और आने वाले वित्तीय वर्ष में बालिकाओं के लिए भी इस आदिवासी क्षेत्र में बालिका खेल छात्रावास की स्थापना की जायेगी ताकि उनके अवसरों को भी खुला कर दिया जाये।

सभापति महोदया, बड़ी विडम्बना है, राजस्थान स्पोर्ट्स कौंसिल रामनिवास बाग में है। यहां पर एक स्पोर्ट्स होस्टल चलता है। होस्टल तो है आदिवासी उपयोजना क्षेत्र का, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, प्रतापगढ, कुशलगढ के बच्चों के

(21.56 बजे)

(श्री समर्थलाल मीणा, अध्यक्ष, पदासीन)

लिए, परन्तु चलता तो जयपुर में है। छात्र संख्या 25। बालक बांसवाड़ा, सिरोही से आये, डूंगरपुर से आये, प्रतापगढ़ से आये। यहां रहे नहीं, सांस्कृतिक मेल नहीं, मित्रता नहीं। ऐसी परिस्थितियों में बालक यहां पर एडमिशन लेते थे, प्रवेश पाते थे, परन्तु बीच में भाग जाते थे। इस बार, जो यहां पर स्पोर्ट्स होस्टल चलता था, उसको हमने बांसवाड़ा शिफ्ट कर दिया है ताकि उस इलाके के विद्यार्थी, जो खिलाड़ी हैं, उनको वहां पर लाभ मिल सके। इस दृष्टि से हमने सारा काम किया है। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, इन छात्रावासों में गुणवत्ता के आधार पर प्रवेश मिले, इसलिए बोर्ड की परीक्षा में पिछले वर्ष, यह पहला अवसर है अध्यक्ष महोदय, आज 180 बालक प्रथम श्रेणी में, जनजाति उपयोजना क्षेत्र में, उत्तीर्ण हुए हैं। और उसी की प्रेरणा लेकर आदिम जाति शोध संस्थान में हमने और भी कई प्रकार के प्रशिक्षण, कम्प्यूटर का प्रशिक्षण, आर.ए.एस. का, आर.टी.एस. का, आई ए एस. का, मेडिकल साइड का, प्रशिक्षण प्रारम्भ किया है और हमारे तीन बालक पहली बार आर.ए.एस. में चयनित हुए हैं। यह हमारे विभाग की कठोर तपस्या और परिश्रम का परिणाम है। और इसी से प्रेरणा लेकर हमने सारे आदिवासी इलाके के ऐसे चुनिन्दा बालकों को जो कि इन प्रतियोगी परीक्षाओं के पूर्व प्रशिक्षण के लिए आ सकते हैं, उनके लिए दरवाजे खुले हैं।

अध्यक्ष महोदय, कुछ दिनों पहले कोटा गया था....

श्रीमती कमला : यह संख्या और ज्यादा बढ़ाओ।

श्री अध्यक्ष : कृपया बीच मे नहीं बोलें।

श्री नन्दलाल मीणा : कोटा में स्वर्गीय आदरणीय भैरूंलाल कालाबादल के नाम से छात्रावास चलता है। मुझे वहां बुलाया गया। मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं। 1977 में मंत्रिमण्डल में हम साथ थे। उनके नाम से छात्रावास चलता है। छात्रावास भवन अधूरा, बालकों की संख्या कम और वहां पर तकनीकी शिक्षा का सेंटर बना हुआ है। वहां पर आदिवासी बच्चे अध्ययन करते हैं। परन्तु उनको किसी प्रकार की छात्रवृति जनजाति विकास विभाग से नहीं मिलती है। अनुसूचित जाति के जो बच्चे अध्ययन करते हैं, उनको

(श्री नन्दलाल मीणा)

मिलती हैं। अध्यक्ष महोदय, हमने आते ही यहां पर अधिकारियों से विचार विमर्श और परामर्श करके यह निर्णय लिया कि जो बालक आज की तारीख में वहां पढ़ रहे हैं और भविष्य में भी वहां पर प्रशिक्षण के लिए जायेंगे, जनजाति विकास विभाग उन्हें प्रशिक्षण के लिए विशेष भत्ते की व्यवस्था करके उनको साधन मुहैय्या करायेगा।

(22.00 बजे)

श्री परसादी लाल मीणा : छक्के ही छक्के लग रहे हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : छक्के तो अब लगायेंगे, अभी तो यह टुक–टुक ही कर रहे हैं।

श्री नन्दलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, बड़े गौरव की बात है, सलूम्बर से आने वाले माननीय सदस्य ने, मुझे दिल्ली मे जो सम्मानित किया, पुरस्कृत किया, उसका हवाला दिया। वह केवल इसलिए दिया कि इस जनजाति क्षेत्र मे जिस गति से एक नब्ज पर हाथ रख कर, उनके दर्द को पहचान करके, योजना प्रारम्भ की, उसकी वजह से मुझे सम्मानित किया था। और आज इसी का प्रतिफल है कि हमने आदिवासी क्षेत्र में पहली बार पिछले साल, एक से छह स्केल में रिजर्वेशन किया, 45 प्रतिशत रिजर्वेशन किया। मेरे छोटे भाई सराड़ा से आने वाले यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष, इन्होंने बड़ा आश्चर्य व्यक्त किया कि 45 प्रतिशत आरक्षण तो कर दिया पर पुलिस में कोई भर्ती नहीं। चपरासी में कोई भर्ती नहीं। टीचर में किसी प्रकार की कोई भर्ती नही। न ग्रामसेवक में किसी प्रकार की भर्ती। मुझे बड़ा तरस आता है। यह पहले बड़े जागरूक थे जब यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं थे। परन्तु यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष बनने के बाद यूथों ने जिस प्रकार इनकी धोती खिचाई का काम किया, अभियान शुरू किया, शायद उन्होंने यही समझ लिया होगा कि जनजाति विकास विभाग में भी ऐसा ही होता होगा। (व्यवधान) अब लूंगी पहना देंगे।

अध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि आदिवासी उप योजना क्षेत्र में पिछले वर्ष पुलिस में कांस्टेबल की भर्ती हुई। 253 पदों को भरा गया। 253 में से शिड्यूल ट्राइब के 95 व्यक्तियों का चयन उसमें हुआ। प्रतिशत हुआ 37.55। कम रहा, इसका मुझे दुःख है परन्तु फिजीकल टैस्ट में, रिटर्न टेस्ट में, सभापति महोदय, उसके नोर्म्स हैं।

श्री अध्यक्ष : अध्यक्ष महोदय।

श्री नन्दलाल मीणा : सारी, अध्यक्ष महोदय। उसके नोर्म्स होते हैं। आपको बधाई। मैं माननीय गृह मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश मे उत्तराखण्ड के लिए, गोरखों के लिए जो रिलेक्सेशन फोज में, पुलिस में भर्ती के लिए किया गया है, राजस्थान में इस उप योजना क्षेत्र के लिए भी कुछ न कुछ रिलेक्सेशन देकर 45 प्रतिशत आरक्षण

(श्री नन्दलाल मीणा)

की पूर्ति हो, ऐसा मेरा आपसे निवेदन है।

अध्यक्ष महोदय, सहायक अध्यापक, थर्ड ग्रेड के टीचर-पूरे ट्राइबल सब प्लान में 1209 अध्यापकों की भर्ती हुई जिसमें से शिड्यूल ट्राइब के 682 अध्यापकों का चयन किया गया जिसका प्रतिशत बनता है 56.41। 45 से ज्यादा। इसी तरह से शारीरिक इन्सट्रक्टर कुल भरे गये पद 85। 85 में से 69, 81.18 प्रतिशत शिड्यूल ट्राइब के भरे गये। ड्राइवर, 25 पद ड्राइवरों के भरे गये उनमें से 16 पद एस. टी. के आशार्थियों से भरे गये जिसका प्रतिशत 64 बनता है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, कांग्रेस के राज में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का भी बैकलाग रहता था। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भी उपलब्ध नहीं थे एस.सी. और एस.टी. के। परन्तु हमारा साहस देखिये आप, कुल 45 लोगों को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया और 45 में से 44 व्यक्ति शिड्यूल ट्राइब के चयनित हुए। 97.77 प्रतिशत। कनिष्ठ लिपिक के 35 लोगों का चयन किया गया और 35 में से 28 शिड्यूल ट्राइब के व्यक्तियों को नियुक्ति दी गई जिसका प्रतिशत 80 बनता है। वन रक्षक, वन और वनवासी का चोली-दामन का संबंध है। और अब तक वन उजड़ने के लिए दोषारोपण किया जाता था कि वनकर्मी वन को उजाड़ते हैं। ठेकेदार उजाड़ते हैं। और उधर से, प्रतिपक्ष का यह आरोप आता था कि वहां के रहने वाले आदिवासी वन को उजाड़ते हैं। जब तक वन संरक्षण का काम उस क्षेत्र के आदिवासियों के हाथ में नहीं दिया जायेगा तब तक वन संरक्षित नहीं रह सकेंगे।

इसी दृष्टि से, वन विभाग में जो वन रक्षकों के 99 पद भरे गये, उनमें से 95 पद शिड्यूल ट्राइब के व्यक्तियों से, आशार्थियों से भरे गये। पशुधन सहायक-13 पद भरे गये। 13 में से 13 ही पद अनुसूचित जनजाति के आशार्थियों से भरे गये। ए.एन.एम., राजेन्द्रसिंह जी राठौड़ साहब विराज रहे हैं, 42 पद ए.एन.एम. के, नर्सों के भरे गए। 42 में से 12 पद केवल अनुसूचित जनजाति से भरे गये। उसका कारण है, मुझे कहते हुए बड़ा अफसोस है और मुझे उनकी बुद्धि पर तरस भी आता है। जब 1993 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी उसके पहले विशेष बैच चलते थे एस टी.सी. के, बी.एड. के, ए.एन.एम. के, आयुर्वेद नर्सिंग ट्रेनिंग के, एनीमल हसबैण्ड्री के। उस वक्त कांग्रेसी बन्धुओं ने, जब अपरोक्ष रूप से राजस्थान की हुकूमत कांग्रेस के हाथों में थी, जब कह करके, जो विशेष बैच जनजाति विकास विभाग के चलते थे, बंद कर दिये कि अध्यापकों की जरूरत नहीं, नर्सों की जरूरत नहीं है। ज्यों ही राजस्थान में 1993 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने इस विभाग का दायित्व मुझे सौंपा, सबसे पहली कलम से, जो संस्थाएं प्रशिक्षण के कार्य करती थीं, मैंने पहली कलम से उनको वापस प्रारम्भ किया। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मैं परसादी लाल जी की बड़ी इज्जत करता हूं—

श्री रामस्वरूप मीणा : आदिवासी की मजाक मत करो।

श्री नन्दलाल मीणा : वैसे रामस्वरूप जी की भी, रामस्वरूपजी से मैं डरता हूं।

श्री परसादी लाल मीणा : धन्यवाद।

श्री नन्दलाल मीणा : मैं परसादी लाल जी की इज्जत करता हूं। परन्तु आज मुझे दुःख है थोड़ा, उन्होंने यह कह दिया कि जनजाति सलाहकार समिति की बैठक नहीं हुई चार वर्ष में चार बार। माडा क्षेत्र के बारे में नहीं हुई। मैं माननीय सदस्यों से पूछना चाहूंगा औपचारिक रूप से, अनौपचारिक रूप से जब-जब भी माडा क्षेत्र के बारे में चर्चा हुई, रावतभाटा में मीटिंग रखी हो, चाहे सचिवालय में रखी हो, चाहे उदयपुर में रखी हो, चाहे मैं जब भी इलाके के दौरे पर गया हूं, मैंने उन माननीय सदस्यों के विचार टटोलने की कोशिश की कि आखिरकार वह इस जनजाति क्षेत्र के लोगों का विकास किस स्वरूप में देखना चाहते हैं। इन्होंने कह दिया, और अभी कोई बाहर बता रहा था कि कामराज जी मुख्य मंत्री थे, आठ वर्ष तक मुख्य मंत्री रहे, उन्होंने कुल सात बार मंत्रिमण्डल की बैठक बुलाई।

श्री परसादी लाल मीणा : वही आप करोगे।

श्री नन्दलाल मीणा : इसके मायने यह नहीं। परन्तु जिस मंत्री से, जिसकी समस्या थी, बुलाकर के उसकी समस्या का समाधान किया। फिर भी मैं एक बात कहना चाहूंगा कि कुछ हमको अपने गिरेबान में भी झांकना चाहिए। जब इस प्रदेश में कांग्रेस का राज था....

श्री परसादी लाल मीणा : मैंने तो सही कहा था, चार बैठक बुलाई है आपने।

श्री नन्दलाल मीणा : जनवरी, 1983 में उप मंत्री गोविन्द राम जी आमलिया ने मीटिंग ली थी। 1984 में श्री दूलारामजी मंत्री थे उन्होंने मीटिंग की थी। उसके बाद 1985-86 में मीटिंग नहीं हुई। अप्रेल, 1987 में माननीय अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री ने इसकी मीटिंग ली। 1987 के बाद 1988 में नहीं हुई। 1989 में हनुमान प्रसादजी प्रभाकर ने मीटिंग ली। 1989 के बाद राजस्थान में हुकूमत बदली। भारतीय जनता पार्टी के हाथ में राजस्थान का नेतृत्व आया। श्रीमान् चुन्नीलाल जी गरासिया ने अगस्त, 1990 में मीटिंग ली। अगस्त, 1991 में चुन्नीलाल जी गरासिया ने ली। जनवरी, 1992 में मुख्य मंत्री भैरोंसिंह जी ने ली। जुलाई, 1992 में जोवसाज जी कटारा, राज्य मंत्री ने ली। और उसके बाद राष्ट्रपति शासन था अतः कोई मीटिंग नहीं हुई। उसके बाद अब मैं आ गया।

अध्यक्ष महोदय, सितम्बर, 1995 में मीटिंग, दिसम्बर, 1995 में मीटिंग, अगस्त, 1996 में मीटिंग और जून, 1997 में मीटिंग। और आने वाली 29 जुलाई को मैंने इन सबको आमंत्रित किया था मेरे गांव, मेरे विधान सभा क्षेत्र प्रतापगढ़ में परामर्शदात्री समिति के सदस्य के रूप में। आप प्रतापगढ़ आयें। मुझे भी सेवा का मौका दें। मेरा घर भी पवित्र करें। परन्तु इनका इस रूप

(श्री नन्दलाल मीणा)

मैं कहना कि मीटिंग नहीं बुलाई... मैं कह सकता हूं कि कांग्रेस की तुलना में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदिवासियों के सर्वांगीण विकास के लिए ज्यादा चिन्तित हैं।

श्री रामस्वरूप मीणा : अगली मीटिंग में जब आप हमारे जिले में जाएंगे तभी आपको पता लगेगा। अपने घर में बुला लो वहां पर।

श्री परसादी लाल मीणा : मेरा निवेदन यह है कि, अभी विधान सभा भी चल रही है और हम भी यहीं हैं, आप यहीं मीटिंग बुला लें कभी, तो हमारी सलाह तो हो जाएगी। आपका विभाग है, यहीं बुला लो।

श्री नन्दलाल मीणा: यहीं बुला लेंगे। मैं चाहता यह था कि विधान सभा के बाद आप, मैं रहूं कि नहीं रहूं, तो कम से कम मेरा घर आप देख लेते। मेरी झोंपड़ी को पवित्र कर लेते।

श्री परसादी लाल मीणा : चलो ठीक है आपके वहां रख लो। अच्छा मंजूर है।

श्री नन्दलाल मीणा : इसलिए मैंने रखा था। अब मैं यहीं पर अगस्त के लास्ट वीक तक, यहीं पर मीटिंग कर लूंगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस संघ के बारे में सभी माननीय सदस्यों ने चिन्ता जाहिर की यह सही है कि जिस हेतु जनजाति सहकारी विकास निगम का गठन किया गया कि आर्थिक शोषण से आदिवासियों को मुक्ति मिले यही इसका मुख्य उद्देश्य था। तात्कालिक आर्थिक समस्याएं हैं उनका समाधान कैसे हो सकता है इसका समाधान राजस संघ था। परन्तु हम हमारी कसौटी पर खरे नहीं उतरे। इसके लिए चूंकि यह सहकारी संस्थान के आधार पर रजिस्टर्ड है. सराड़ा के माननीय सदस्य ने कहा कि वहां पर कुछ नहीं हुआ।

अध्यक्ष महोदय, दो वर्ष पहले, तीन वर्ष पहले, मैंने इस राजस संघ का संचालन किस ढंग से हो, मत्स्य मार्केट की व्यवस्था कैसे हो, किस प्रकार राजस संघ घाटे से उबर करके फायदे में आये, इसके लिए विधान सभा के पांच माननीय सदस्यों की एक समिति गठित की थी। और उसमें कांग्रेस के श्री दयाराम जी परमार, बी.जे. पी. के श्री चुन्नीलाल जी गरासिया, महावीर जी भगोरा, फूलचन्द जी मीणा कांग्रेस के श्री रघुवीरसिंह जी और प्रभुराम जी गरासिया थे। मुझे अफसोस है कहते हुए कि जिन्होंने यहां पर आब्जेक्शन किया; एतराज किया, उन माननीय सदस्यों ने एक भी मीटिंग में हिस्सा नहीं लिया। कभी भी जनजाति सहकारी विकास निगम में जाकर के नहीं देखा....

श्री रघुवीर सिंह (सराड़ा) : हम गये हैं मीटिंग में।

श्री नन्दलाल मीणा : और गये होंगे तो एम. डी. के चेम्बर में बैठकर के चाय-वाय पीकर के वापस लौट आये हैं। वहां की प्रोसीडिंग मैंने देखी है अध्यक्ष महोदय।

(श्री नन्दलाल मीणा)

प्रोसीडिंग में कहीं कोई हस्ताक्षर नहीं। अब मैं यह चाहूंगा कि माननीय सदस्यों की भावना के अनुसार इस जनजाति सहकारी विकास निगम का संचालन किस ढंग से हो, कैसे हो ...

श्री परसादी लाल मीणा : आश्रम छात्रावास खोलो कोई एक–दो।

श्री नन्दलाल मीणा : वह तो अभी आएगा। बताऊंगा न क्या-क्या करने वाला हूं। उसके बारे में जनजाति आयुक्त, जो वहां पर संभागीय आयुक्त हैं, उनको मैं निर्देशित करूंगा कि जनजाति सहकारी निगम में जो भी प्रवृत्तियां चल रही हैं, कौन सी उपयोगी हैं, कौन सी आदिवासियों के लिए फायदेमन्द हैं, कौन सी निरर्थक हैं, और वहां का जो स्टाफ जो लगा हुआ है उसमें किस प्रकार से और कटौती की जा सकती है। कटौती करके, एक लाभ की दृष्टि से निगम चले, आदिवासियों के आर्थिक शोषण से मुक्ति दिलाने का काम करे, इस दृष्टि से वे राय देंगे। उसके हिसाब से काम किया जायेगा।

श्री रामस्वरूप मीणा : ज्यादा काम मत कर लेना कि जितनी जल्दी हो खत्म करो सब।

श्री नन्दलाल मीणा : नहीं। अध्यक्ष महोदय, एक बात और आयी। रतनलाल जी ताम्बी ने एक बात कही कि माडा सलाहकार समिति का गठन नहीं किया। मैंने रावतभाटा में मीटिंग बुलाई। मैंने उदयपुर में मीटिंग बुलाई। माननीय भूतपूर्व विद्युत मंत्री इस बात के साक्षी हैं, इस बात के लिए ओम जी शर्मा साक्षी हैं, सारे माडा क्षेत्र के जो विधायक हैं वे साक्षी हैं। परन्तु अध्यक्ष महोदय, जो मीटिंग में नहीं आये उसकी मेरे पास कोई दवाई नहीं है। इसलिए मैं रतनलाल जी ताम्बी से निवेदन करता हूं कि कृपया मीटिंग में पधारा करें।

श्री रतनलाल ताम्बी : मैं नहीं आया मीटिंग में ?

श्री नन्दलाल मीणा : और सवाईमाधोपुर में जो बात कही गई है----

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय, जो मीटिंग में नहीं आये उसके लिये खेद पत्र लिखना चाहिए आपको।

श्री रतनलाल ताम्बी : नहीं-नहीं, मैं मीटिंग में नहीं आया, आप यह कह रहे हैं ? एक रावतभाटा के अलावा तमाम मीटिंगों में आया हूं।

श्री नन्दलाल मीणा : सवाईमाधोपुर में माननीय रामप्रसाद जी ने मुझ पर, अध्यक्ष महोदय, इस बात का आरोप लगाया कि केवल आदिवासियों के क्षेत्र में ही घूमते हैं। बाहर नहीं जाते हैं। मैं सवाईमाधोपुर भी गया हूं।

श्री रतनलाल ताम्बी : हिण्डौन नहीं गये।

श्री नन्दलाल मीणा : टोडाभीम नहीं गया। यह टोडाभीम है या टेढ़ाभीम है यह तो मुझे मालूम नहीं है। परन्तु अध्यक्ष महोदय, यह बात जरूर है कि चाहे मैं किसी पंचायत समिति में नहीं गया हूं परन्तु सारे जिलों में दौरा किया है। जनजाति विकास विभाग के मंत्री की हैसियत से फिर भी सवाईमाधोपुर में माननीय अध्यक्ष महोदय,....

श्री रतनलाल ताम्बी : टोडाभीम जाएंगे अब।

श्री नन्दलाल मीणा : लगभग .... हां बता रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, सवाईमाधोपुर में आज की तारीख में आश्रम छात्रावास चल रहे हैं। और माननीय रामप्रसाद जी को अगर कोई शिकायत है तो सवाईमाधोपुर में या करोली में, आने वाले वित्तीय वर्ष में अगर प्रावधान होगा, तो वहां और आश्रम छात्रावास खोल दिये जाएंगे। परन्तु जिले का बाइफरकेशन हुआ। करोली जिला अलग बना, सवाईमाधोपुर अलग बना उस हिसाब से....

श्रीमती कमला : इनको मत देना, साहब, ये मेज नहीं थप-थपा रहे।

श्री नन्दलाल मीणा : कौन सा ?

श्री परसादी लाल मीणा : मैं थप-थपा रहा हूं।

श्री नन्दलाल मीणा : मैं माननीय ताम्बी साहब से निवेदन करना चाहूंगा कि इस वर्ष आपके भीलवाड़ा जिले के लिए, माडा क्षेत्र के लिए 45.36 लाख का प्रावधान है। लघु सिंचाई की योजनाएं, सीधे लाभ की योजनाएं, जो भी आप उचित समझें वह प्रस्ताव मुझे दे दें। निश्चित रूप से आपकी भावना की कद्र करते हुए उनकी स्वीकृति दे दी जाएगी।

श्री परसादी लाल मीणा : मंत्री महोदय, ताली मैं बजा रहा हूं आप छात्रावास इनको दे रहे हैं।

श्री नन्दलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, सहरिया परियोजना, 1975 में उपयोजना क्षेत्र का गठन हुआ। और इसके तत्काल बाद अल्पायु में मुझे इस विभाग का दायित्व मुख्य मंत्री जी शेखावत साहब ने दिया। हमने 1977–78 में बारां जिले के शाहबाद और किशनगंज इलाकों में रहने वाले सहरिया समुदाय के मेरे भाइयों के बारे में किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं, उसके लिए एक परियोजना बनाई। और वहां पर आश्रम छात्रावास आदि का प्रबंध उस योजना के अन्तर्गत किये। परन्तु इस बार अध्यक्ष महोदय, बांसवाड़ा जिले में कुशलगढ़, उदयपुर जिले में कोटड़ा, सिरोही जिले में आबू रोड़ और बारां जिले में केलवाड़ा में चार सौ, दो सौ बालक और दो सौ बालिकाओं का, आवासीय छात्रावास खोल दिया है। और मैं माननीय सदस्य को कहना चाहता हूं कि चाहे आप धन्यवाद दें या नहीं दें, परन्तु आने वाली पीढ़ी इस भारतीय जनता पार्टी की ऋणी रहेगी। इस बात के लिए मैं सदन को आश्वस्त कर सकता हूं।

श्री परसादी लाल मीणा : यह गलत कह दिया और सब यही कहा।

श्री नन्दलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, अब दूरदराज में आश्रम छात्रावास, पहले कहा जाता था यहाँ पर आदिवासी बालक बालिकाओं और दूरदराज के रहने वाले आदिवासियों ने रेल नहीं देखी। हवाई जहाज नहीं देखा। हमने इस बार इस बात का फैसला किया है कि चाहे आश्रम छात्रावास लडकों का हो या लड़कियों का, उनके लिए टी. वी. मुहैया कराया जाएगा रंगीन टी. वी., ताकि उनको समाचार मिल सकें।

अध्यक्ष महोदय, गुणवत्ता के आधार पर आश्रम छात्रावास खोले हैं परन्तु प्रतिभावान बालकों के बारे में क्या व्यवस्था की गई। हाथी, गधे और घोड़े एक डंडे से नहीं हांके जा सकते है। प्रत्येक जिले में एक-एक, सौ-सौ बालकों का, प्रतिभावान छात्रावास चल रहा है। बालिकाओं के लिये प्रतिभावान छात्रावास नहीं है। आने वाले वित्तीय वर्ष में प्रत्येक जिले में एक-एक बालिका के लिये प्रतिभावान छात्रावास हो, इस बात की हम व्यवस्था करेंगे ताकि हमारा प्रतिभावान बालक और बालिकाएं देश की मुख्य धारा में आगे आ सकें। आश्रम छात्रावासों में आपने कभी देखा होगा, अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के, यह जनजाति विकास विभाग के आश्रम छात्रावास इस हिन्दुस्तान के लिये एक अनुकरणीय उदाहरण हैं। हिन्दुस्तान में राजस्थान का व्यवस्था के मामले में सर्वप्रथम स्थान है। व्यवस्था और सुव्यवस्थित हो। इस वर्ष हमने प्रत्येक आश्रम छात्रावास के लिये पचास-पचास हजार रुपये की, उसका सौंदर्यकरण करने की, सुदृढ़ीकरण करने की व्यवस्था की है।

अध्यक्ष महोदय, खेल-कूद का इन्तजाम किया है। यह सामुदायिक भवन, आपने यह मेला देखा होगा। अभी सिरोही जिले के गरासिया बंधुओं को हमारे आदिम जाति संस्थान के निदेशक, प्रगति मैदान, दिल्ली, में प्रतियोगिता में ले गये थे। यह जानकारी जब मुझे मिली, मैं भी दिल्ली गया। उनके साथ फोटो खिचवाये। उन अनपढ़ लोगों की मांग थी, कि हमारी आदिवासी संस्कृति की यह धरोहर है। इसे तब तक जिन्दा नहीं रखा जा सकता जब तक इसके लिये रंगमंच की व्यवस्था नहीं होगी। इसी को ध्यान में रखते हुए हर पंचायत समिति स्तर पर, 23 पंचायत समितियां ट्राइबल सब-प्लान एरिया में हैं, वहां पर सांस्कृतिक भवन, इस बजट से प्रारम्भ करने की योजना हमने हाथ में ली है ताकि सारे लोग अपनी सांस्कृतिक धरोहर की रक्षा कर सकें।

अध्यक्ष महोदय, एक बात माननीय सदस्य ने कही। मैं इस बात के लिये सहमत हूं, लिफ्ट इरिगेशन। उसका 10 प्रतिशत पैसा पहले हम पुनर्भरण करते थे जनजाति क्षेत्र में। परन्तु यह अनुभव में आया कि यह 10 प्रतिशत पैसा भी आदिवासी बंधु, जैसा कुशलगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने इस मसले को उठाया, वास्तव मे वहन नहीं कर सकते। हमने इस बार तय किया है कि यह 10 प्रतिशत पैसा भी जनजाति विकास विभाग उन लोगों को ऋण के रूप में देगा। और जब

(श्री नन्दलाल मीणा)

उनकी पैदावार बढ़ेगी, वह इस स्थिति में होंगे कि वह अपना कर्जा चुका सकें, वह धीरे-धीरे अपना कर्जा चुकायें। ताकि वह 10 प्रतिशत उनके अप-लिफ्ट के लिये रोड़ा नहीं बने। इस प्रकार की व्यवस्था हमने की है।

श्री अध्यक्ष : एक्सीलेंट।

श्री नन्दलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, होस्टल सेंट्स समाज कल्याण विभाग की तरह हम भी देते हैं। परन्तु इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ इलाके में, और जो काश्तकार कुएं पर तीन हार्स पावर की मोटर लगाना चाहते हैं, उनके लिये कोई प्रावधान नहीं था। इस बजट से हमने प्रावधान किया है कि 5 से कम समूह में जो लोग आवेदन करेंगे, जनजाति विकास विभाग मुफ्त में उनको तीन हार्स पावर की मोटर उपलब्ध कराने की व्यवस्था करेगा। माडा में भी, हम सब जगह लागू कर देंगे।

अध्यक्ष महोदय, उप योजना क्षेत्र में विद्युतीकरण। इस बात का भी विवाद है कि ग्रामीण विद्युतीकरण किया जाय या कूओं का विद्युतीकरण किया जाय। अब तक के अनुभव के आधार पर मैं यह कह सकता हूं कि घर पर उसके बिजली लगेगी जिसकी माली हालत ठीक होगी। हमने इस बार तय किया है कि कुटीर ज्योति की इस योजना को बंद करके जो गांव इलेक्ट्रिफाइड हैं, कुए पर मोटर लगवाना चाहते हैं, खम्बे के पैसे, ट्रांसफार्मर के पैसे, सारा जनजाति विकास विभाग वहन करेगा। ताकि उस काश्तकार की जमीन पर बिजली के जरिए पानी पहुंचे, उसकी माली हालत सुधरे, माड़ा में भी।

अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा हमारा आदिम जाति शोध संस्थान है। जिस तरह से तकनीकी शिक्षा के बारे में, मेडिकल साइड, इंजीनियरिंग साइड में लड़के प्रशिक्षित हो रहे हैं, पी.एच.डी. के लिये इस वर्ष तीन बालक जनजाति के वहां पर अध्ययन कर रहे हैं। हमें एक ताकत मिली है और जो बालक आर.ए.एस में आये हैं, मेरा स्पष्ट मत है कि इस विधान सभा सत्र के बाद उन तीन बालकों का सार्वजनिक तौर पर सम्मान किया जाना चाहिये ताकि आने वाली पीढ़ी और वह बालक, जो आज विद्यालय में और महाविद्यालय में अध्ययनरत हैं, उनको भी प्रेरणा मिल सके कि वह भी आगे बढ़ कर काम्पीटेटिव एग्जामिनेशन में आगे आयें।

अध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए केवल इतना ही कहना चाहूंगा अब, कि जिस गति से और जिस उत्साह से आदिवासियों के सर्वांगीण विकास में सरकार का प्रयास रहा है, मुझे इस सदन में सभी माननीय सदस्यों का, मंत्रिमण्डल के वरिष्ठ सदस्यों का, आदरणीय मुख्य मंत्री जी का पूरा समर्थन और सहयोग मिला है। इन्हीं के कारण मैं आज कुछ कर पाया हूं। परन्तु आज एक बात उठी महाराष्ट्र पेटर्न की। आदरणीय मीणा भाई जी कहा करते हैं कि एक छतरी के नीचे सारी व्यवस्था हो। मैं कांग्रेसी बंधुओं को भी साथ

(श्री नन्दलाल मीणा)

लेकर महाराष्ट्र, आन्ध्रा, गुजरात, मध्य-प्रदेश और हम अभी बंगाल जाने वाले हैं, उनका अध्ययन किया। अध्ययन करके इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि जनजाति विकास का हर विभाग में पैसा मांग संख्या 30 के अन्तर्गत ईयर मार्क्ड है। 12.44 प्रतिशत ईयर मार्क्ड है। परन्तु जनजाति विकास विभाग का आयुक्त या सचिव या मंत्री, उस इलाके के लिये मैडिकल विभाग क्या कर रहा है, शिक्षा विभाग क्या कर रहा है, सिंचाई विभाग क्या कर रहा है, यह नहीं देखते हैं। हम मूकदर्शक हैं। महाराष्ट्र पैटर्न इसी बात का सबूत है कि जनजाति इलाके में रहने वाले आदिवासियों की मूलभूत आवश्यकता क्या है, उनकी प्राथमिकता क्या है? जब तक प्राथमिकता के आधार पर काम नहीं होगा तब तक द्रुत गति से उस इलाके का और समाज का विकास नहीं हो सकता। मंत्रिमण्डल में मामला विचाराधीन है।

अध्यक्ष महोदय, जनजाति विकास विभाग का मंत्री बोल रहा हूं, जवाबदेही के हिसाब से बोल रहा हूं, विचाराधीन है और मुझे कहते हुए इस बात का गर्व है कि आज जो भी विभिन्न विभागों के पैसे, जो मांग संख्या 30 में अलग हैड में है, जनजाति क्षेत्र में 10 प्रतिशत से ज्यादा व्यय हो रहा है। इसमें और प्रगति की आवश्यकता है। मैंने हरेक मंत्री महोदय को पत्र भी लिखा है कि उप योजना क्षेत्र का पैसा जो 12.44 प्रतिशत बनता है, वह उस इलाके के लिये खर्च करने की व्यवस्था है। उसका सकारात्मक पहलू भी सामने आया है। मैं सदन को केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि, माननीय उप मुख्य मंत्री जी यहां बिराजे हुए हैं, मेरे क्षेत्र के बाहर की चीज है परन्तु एक मंत्री के नाते पुनः मैं मंत्रिमंडल में विचारार्थ इस मसले को रखूंगा और मुझे पूरा भरोसा है कि आदिवासी क्षेत्र के त्वरित गति से विकास के लिये यह योजना भी स्वीकृत होगी। आपने मुझे शांतिपूर्वक सुना इसके लिये आप सबके प्रति मैं आभार प्रकट करता हूं।

कई माननीय सदस्य : बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बधाई हो, बधाई हो।

श्री नन्दलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, मैं अन्त में आपके द्वारा सदन से मांग करता हूं कि मांग संख्या 30 में जो राशि निर्धारित की है, उसको सर्व सम्मति से पास किया जाय।

मांग संख्या–33 का पारण

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि मांग संख्या–33-सामाजिक सुरक्षा व कल्याण के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1999 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 3,28,04,50,000/– (तीन अरब अट्ठाईस करोड़ चार लाख पचास हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे?

(स्वीकृत)

(श्री अध्यक्ष)

माँग स्वीकार की गयी।

माँग संख्या–30 का पारण

प्रश्न यह है कि माँग संख्या-30-जनजाति क्षेत्रीय विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1999 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 3,41,54,23,000/- (तीन अरब इकतालीस करोड़ चौवन लाख तेईस हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे?

(स्वीकृत)

माँग स्वीकार की गयी।

सदन की कार्यवाही शनिवार, दिनांक 25 जुलाई, 1998 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही 22.32 बजे शनिवार, 25 जुलाई, 1998 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

परिशिष्ट-1

(समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिए जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर)

असहाय व्यक्तियों को पेंशन राशियों में वृद्धि

266. श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : क्या समाज कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकार वृद्ध, अपाहिज, विधवाओं तथा असहाय लोगों को पेंशन देती है ? यदि हां, तो किस किस योजना में किन-किन नियमों के अन्तर्गत ? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त वर्ग के व्यक्तियों को केन्द्र सरकार की ओर से भी पेंशन दिये जाने की योजना है ? यदि हां, तो नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त वर्गों को कितनी-कितनी पेंशन दिये जाने का प्रावधान है ?

(4) क्या सरकार उक्त पेंशन की राशि में वृद्धि करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और कितनी ?

उत्तर

(1) जी हां । राज्य सरकार वृद्ध अपाहिज लोगों को पेंशन देती है। नियमों की प्रति संलग्न है।

(2) जी हां । राष्ट्रीय पेंशन योजना के अन्तर्गत 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को 75/-रु. प्रतिमाह पेंशन दी जाती है। नियमों की प्रति संलग्न है।

(3) वृद्ध एवं विकलांगों को 100/-रू. प्रति व्यक्ति प्रतिमाह पेंशन दी जाती है। युगल पेंशनरों को 150/-रू. प्रतिमाह पेंशन दी जाती है। राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अन्तर्गत 65 वर्ष या इससे अधिक आयु के निराश्रित व्यक्तियों को 75/-रु. प्रतिमाह पेंशन दी जाती है। इन पेंशनरों को 25/-प्रति व्यक्ति प्रतिमाह राज्य सरकार के बजट से पेंशन दी जाती है। इस प्रकार इन्हें भी 100/-रु. प्रतिमाह पेंशन दी जाती है।

(4) राज्य सरकार ने विधवाओं एवं विकलांगों को दी जाने वाली पेंशन की राशि को 100/-रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 125/-रु. प्रतिव्यक्ति प्रतिमाह कर दिया है।

(प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

टौंक की आगामी वर्षों हेतु पेयजल योजना

267. श्री सीताराम (मालपुरा) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(314)

(श्री जीतराम)

(1) क्या यह सही है कि टोंक शहर के लिए पेयजल योजना वर्ष 1995 तक की ही बनी हुई है ?

(2) क्या यह भी सही है कि टोंक शहर के लिए वर्ष 2011 व 2021 तक की पेयजल योजना बनाई ही नहीं गई है ? यदि हां, तो क्यों और नहीं, तो क्या योजना बनाई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) अब टोंक शहर के लिए वर्ष 2011 व 2021 तक पानी उपलब्ध करवाने की योजना कब तक बना दी जावेगी व अब तक नहीं बनाने के लिए कौन दोषी हैं ?

(4) क्या दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध सरकार कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं। टोंक शहर के लिए 2011 तक की जनसंख्या को पेयजल उपलब्ध करवाने हेतु प्राथमिक प्रस्ताव बनाये गये हैं। जिनकी तकनीकी जांच की जा रही है तथा साथ में विभिन्न जल स्त्रोतों की सम्भाविता की जांच की जा रही है। जल स्रोतों के अन्तिम चयन के अनुसार पुनर्गठित योजना को अन्तिम रूप दिया जा सकेगा।

(3) उपरोक्त-2 के अनुसार। समय-समय पर आवश्यकतानुसार संवर्द्धन कार्य भी किये गये हैं। अतः इस विषय में विलम्ब का कोई प्रश्न नहीं है। योजना तकनीकी उपयुक्तता एवं धन उपलब्धता के अनुरूप ही स्वीकृत की जा सकेगी।

(4) जी नहीं। कोई अधिकारी कर्मचारी दोषी नहीं है।

तहसील लालसोट (दौसा) के स्वास्थ्य/उप स्वास्थ्य केन्द्र हेतु भवन निर्माण

268. श्री परसादी लाल मीणा (लालसोट): क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) पंचायत समिति लालसोट (दौसा) में किस-किस प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/उप स्वास्थ्य केन्द्र के भवन नहीं बनाए गये हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बगड़ी (लालसोट) में खोलने की स्वीकृति वर्ष 1992-93 में होने के बाद भी भवन निर्माण की स्वीकृति अब तक नहीं की गई है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार उक्त तहसील में भवन रहित केन्द्रों के भवन की स्वीकृति जारी करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) पंचायत समिति लालसोट (दौसा) में उप स्वास्थ्य केन्द्र, किशोरपुरा, कांकरिया संवारा, चांदसेन, तलावगांव, हेमल्यावास समेल, इन्द्रावा, मिर्जापुर, होदायली, नयाबास एवं डूंगरपुर के भवन नहीं बनाये गये। शेष भवन रहित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं उप स्वास्थ्य केन्द्र के भवन निर्माण की स्वीकृति जारी की जा चुकी है।

(2) जी नहीं, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बगड़ी के भवन निर्माण की स्वीकृति वित्तीय वर्ष 1997-98 में जारी की जा चुकी है।

(3) जी हां। आगामी वित्तीय वर्षों में समुचित वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर राज्य में अन्य भवन रहित चिकित्सा संस्थानों के भवन निर्माण कराये जाने के साथ-साथ उक्त भवन रहित केन्द्रों के भवन निर्माण कराये जाने पर विचार किया जाना संभव हो सकेगा।

जिला नागौर में सिंचाई विभाग द्वारा निर्माण कार्य

269. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सरकार द्वारा चालू वित्तीय वर्ष में नागौर जिले में क्या-क्या कार्य कहां-कहां पर कितनी लागत के कराये जा रहे हैं ?

(2) गत तीन वर्षों में सरकार ने क्या-क्या कार्य कहां-कहां पर कराये जिस पर कितनी-कितनी राशि व्यय की गई ?

(3) क्या उक्त कार्यों के अतिरिक्त जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के द्वारा प्रदत्त राशि से भी कार्य कराये गये ? यदि हां, तो कौन-कौन से कितनी-कितनी राशि के कहां-कहां पर ? चालू वर्ष सहित गत तीन वर्षों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सिंचाई खण्ड मेड़ता-सिटी के अधीन नागौर जिले में, चालू वित्तीय वर्ष में जो कार्य करवाये जा रहे हैं, योजनावार कार्यों की सूचना संलग्न परिशिष्ट–1 पर अंकित है।

(2) सिंचाई खण्ड, मेड़ता-सिटी द्वारा नागौर जिले में गत तीन वर्षों में विभिन्न मदों में कराये गये कार्यों की पंचायत समिति वार सूची मय खर्चों के संलग्न परिशिष्ट-2 पर अंकित है।

(3) जी हां। गत तीन वर्षों का व्यय (चालू वर्ष सहित) का विवरण संलग्न परिशिष्ट–3 व 3 ए पर अंकित है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

बायोगैस मिस्त्री ग्रेड II का सेवा प्रकरण

270. श्री बनवारी लाल शर्मा (धौलपुर) : क्या विशिष्ट योजना संगठन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(316)

(श्री बनवारी लाल शर्मा)

क्या यह सही है कि सरकार द्वारा प्रदेश में बायोगैस योजना समाप्त कर दी गई है ? यदि हां, तो कब और भर्ती की अधिकतम आयु सीमा पार कर चुके बायोगैस मिस्त्री ग्रेड II की सेवाएं समाप्त होने के बाद क्या सरकार उन्हें पुनः सेवा में लिये जाने के विचार रखती है ?

उत्तर

जी नहीं। बायोगैस योजना केन्द्रीय प्रवर्तित योजना है एवं वर्तमान में राज्य में क्रियान्वित की जा रही है। जी नहीं।

स्थगित प्रश्न

दिनांक 13 जुलाई, 1998

जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा रियायती दर पर भूमि आवंटन

90. श्री भीमराज भाटी (पाली) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जयपुर विकास प्राधिकरण को 1 दिसम्बर, 1993 से 15 जून, 1998 तक किन-किन सामाजिक संस्थाओं एवं किन-किन जाति संगठनों ने रियायती दर पर भूमि आवंटन हेतु आवेदन किया है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) रियायती दर पर भूमि आवंटन की कितनी राशि निर्धारित की गई है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) जिन लोगों ने भूमि आवंटन हेतु आवेदन किया है, उन्हे कब तक भूमि आवंटित कर दी जावेगी, इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्राधिकरण में 1 दिसम्बर, 1993 से 15 जून, 1998 तक जिन सामाजिक संस्थाओं एवं जाति संगठनों ने रियायती दर पर भूमि आवंटन हेतु आवेदन दिये हैं उनकी सूची परिशिष्ट"क" पर संलग्न है।

(2) शहरी भूमि निस्तारण नियम 1974 के नियम 18 के अन्तर्गत सामाजिक शैक्षणिक आदि संस्थाओं को प्राधिकरण द्वारा आरक्षित दर के 50 प्रतिशत तक भूमि आवंटन किये जाने का प्रावधान है। राज्य सरकार प्रत्येक प्रकरण में गुणावगुण के आधार पर इससे कम दर पर भी भूमि आवंटन करने का आदेश कर सकती है।

(3) विभिन्न सामाजिक एवं जातीय संस्थाओं द्वारा अपूर्ण आवेदन पत्र प्रस्तुत करने अथवा इच्छित स्थान पर भूमि उपलब्ध न होने के कारण आवंटन नहीं किए जा सके हैं। पूर्ण सूचनाएं प्राप्त होने तथा भूमि की उपलब्धता के आधार पर शीघ्रताशीघ्र गुणावगुण के आधार पर आवंटन की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

परिशिष्ट–"क"

जयपुर विकास प्राधिकरण को 1 दिसम्बर; 1993 से 15 जून, 1998 तक उपलब्ध रेकार्ड के अनुसार विभिन्न सामाजिक संस्थाओं एवं जाति संगठनों द्वारा रियायती दर पर भूमि आवंटन हेतु प्रस्तुत प्रार्थना-पत्रों की सूची

क. सं.	सामाजिक संस्था/जाति संगठन का नाम	प्राधिकरण में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की दिनांक
1	2	3
1.	खटीक समाज विकास संस्थान	21-12-93
2.	सम्याज्ञान प्रचारक मण्डल	13-1-94
3.	श्री जैन श्वेताम्बर संस्था	18-1-94
4.	श्री अवतारधाम न्यास	4-1-94
5.	मेडिकल प्रेक्टिसनर्स सोसायटी	23-2-94
6.	स्वच्छ नगर संस्था	25-5-94
7.	डा. श्यामा प्रसाद मुकर्जी स्मारक समिति	26-8-94
8.	राजस्थान राज्य कूर्मि क्षत्रिय समाज	2-7-94
9.	बडवा (राव) महासभा	15-7-94
10.	अंजुमन तालिमूल मुस्लिमीन	4-7-94
11.	निर्माण नगर विकास समिति	29-11-94
12.	राजस्थान आदिवासी मीणा सेवा संघ	12-9-94
13.	अग्रवाल समाज सेवा समिति (टोंक रोड)	23-8-94
14.	गांधी मेमोरियल पिछड़ा वर्ग उत्थान परिषद	27-9-94
15.	विश्व वंश विज्ञान संस्थान	21-11-94
16.	श्री वर्धमान जैन साधना समिति	1-6-94

318

1	2	3
17.	राजस्थान प्रदेश अनुसूचित चेतना जाति समिति	27-1-95
18.	विनोबा भावे सोसीयल डवलपमेंट ट्रस्ट आफ इण्डिया	18-9-95
19.	श्री रामकथा आयोजन समिति	5-9-95
20.	अग्रवाल समाज सेवा समिति कोटवाड़ा	22-4-95
21.	श्री रेंगर विकास परिषद	1-9-94
22.	जयपुर जिला मेघवंश बलाई विकास संस्थान	7-12-95
23.	जैन श्वेताम्बर संस्थान	22-5-95
24.	मरूधर ओसवाल समाज	22-6-95
25.	बनीपार्क धर्मार्थ संस्थान	29-7-95
26.	अहले इस्लाम कमेटी कब्रिस्तान	16-9-94
27.	अखिल भारतीय श्री ब्राह्मण स्वर्णकार महासभा	8-8-96
28.	राजस्थान ब्राह्मण महासभा	21-9-94
29.	लायन्स क्लब इन्टरनेशनल	4-1-94
30.	बाबू जगजीवनराम इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलोजी	10-12-97
31.	श्री अरोड़वंश सभा	23-3-98
32.	राजस्थान प्रदेश अनुसूचित जाति चेतना समिति	15-2-94
33.	अखिल भारतीय डा. अम्बेडकर विचार मंच (समिति)	वर्ष 1998
34.	झुन्झुनूं प्रगति संघ (संस्था)	7-10-96
35.	अखिल भारतीय जांगिड़ ब्राह्मण महासभा	13-4-98
36.	बाबा मोहनदास ट्रस्ट	30-8-96
37.	टाक कलाल समाज विकास समिति	30-8-96
38.	श्री दिगम्बर जैन समाज (श्यामनगर)	30-8-96

1	2	3
39.	दी राजस्थान ग्रहलुवालिया समाज	30-8-96
40.	शुभम संस्था	31-8-96
41.	श्री ग्रहिंसा प्रचार सोसायटी	31-8-96
42.	श्री ग्रग्रवाल सेवा सदन	31-8-96
43.	ह्यूमन रिसोर्स डवलपमेंट सोसायटी	31-8-96
44.	राजस्थान यदुवंशी विकास समिति	31-8-96
45.	राजस्थान वैश्य वार्ष्णेय सभा	31-8-96
46.	गौड़ विप्र समाज संस्था	31-8-96
47.	श्री खण्डेलवाल वैश्य समिति, मालवीयनगर	30-8-96
48.	श्री विश्वकर्मा विकास ट्रस्ट	31-8-96
49.	श्री ग्रग्रवाल समाज सेवा समिति	31-8-96
50.	ग्रखिल भारतीय विजयवर्गीय वैश्य महासभा	31-8-96
51.	मेघवाल महासभा समिति	31-8-96
52.	माली (सैनी) समाज सामूहिक विवाह समिति	31-8-96
53.	कोली युवा संस्था	31-8-96
54.	श्री धाकड़ समाज समिति	31-8-96
55.	श्री सनातन धर्मसभा	31-8-96
56.	जाट समाज समिति	31-8-96
57.	डा. भीमराव ग्रम्बेडकर सेवा समिति	31-8-96
58.	राजस्थान बलाई समाज विकास एवं कल्याण समिति	31-8-96
59.	श्याम नगर जन कल्याण समिति	31-8-96
60.	रोटरी क्लब जयपुर (राउण्ड टाउन)	31-8-96
61.	जयपुर जाट समाज संस्थान	31-8-96

320

1	2	3
62.	राजस्थान राव राजपूत महासभा	11-10-96
63.	श्री बालाजी महाराज घाटा मेहन्दीपुर ट्रस्ट	26-11-96
64.	श्रीमती सावित्री देवी जोशी चेरीटेबिल ट्रस्ट	9-12-96
65.	दिगम्बर जैन अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी	24-12-96
66.	धानका समाज युवा संस्था	26-9-96
67.	रामप्यारी बाई मानमलजी मालपानी न्यास	7-12-96
68.	भीलवाड़ा समाज	21-3-97
69.	राजस्थान प्रदेश कोली समाज	9-2-98
70.	विश्व दीपक साहित्य संस्थान	2-4-98
71.	वैदिक सेवा संस्थान	27-9-96
72.	श्री दिगम्बर जैन समाज महावीर नगर	1–5–97
73.	लाल बहादुर शास्त्री मैमोरियल फाउण्डेशन ट्रस्ट	वर्ष 1997

झोथरी कला कंथारियां (डूंगरपुर) में विद्युत कनेक्शन

271. श्री शंकरलाल प्रहारी (चौरासी): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि डूंगरपुर जिले के झोथरी कला कंथारियां में आदिवासी बस्तियों को घरेलू कनेक्शन लेने हेतु आदिवासी कृषकों द्वारा प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किये गये हैं ? यदि हां, तो इन्हें आज तक घरेलू कनेक्शन नहीं दिये जाने के क्या कारण रहे ?

(2) क्या सरकार झोथरी कला कंथारियां के लिए कुटीर ज्योति योजना अंतर्गत आदिवासी बस्तियों को कनेक्शन देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी नहीं । डूंगरपुर जिले के ग्राम झोथरी कला कंथारियां के आदिवासी बस्तियों में घरेलू कनेक्शनों हेतु कोई आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुआ है ।

(2) वर्ष 1997-98 में कुटीर ज्योति योजना में पंचायत समिति द्वारा ग्राम झोथरी कला कंथारियां के चयनित परिवारों की सूची में नाम नहीं देने के कारण कुटीर ज्योति योजना में कनेक्शन नहीं दिये गये । इस योजनान्तर्गत उक्त ग्राम के चयनित परिवारों की सूची प्राप्त होने पर लक्ष्यों के अनुसार कनेक्शन दिया जाना संभव हो सकेगा ।

उदयपुर में उप निदेशक जनसम्पर्क के पद का सृजन

272. श्री शिवकिशोर सनाढ्य (उदयपुर) : क्या जन सम्पर्क राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) उदयपुर सूचना केन्द्र में जन सम्पर्क अधिकारी का पद कब से रिक्त है ? उक्त रिक्त पद को अब तक नहीं भरने के क्या कारण हैं ?

(2) क्या उदयपुर संभागीय मुख्यालय पर सरकार उप निदेशक, जन सम्पर्क का पद सृजित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि उदयपुर शहर में विभिन्न साहित्यिक, सांस्कृतिक गतिविधियों के आयोजन में सूचना केन्द्र हॉल का उपयोग होता रहा है ? क्या सरकार ने अब सूचना केन्द्र के हॉल को किराये पर देना तय कर लिया है ? यदि हां, तो उसका किराया क्या है ?

(4) सूचना केन्द्र के हाल का किराया कब से तय किया गया है और उससे 1 जनवरी, 98 से अब कुल कितनी आमदनी हुई है ?

(5) सूचना केन्द्र उदयपुर में कार्यरत पदों और रिक्त पदों का विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(322)

उत्तर

(1) जनसम्पर्क अधिकारी उदयपुर का पद दिनांक 4–2–98 से रिक्त है। प्रशासनिक कारणों से नियुक्ति/पदोन्नति में विलम्ब होने से रिक्त चल रहा है।

(2) जी नहीं। प्रशासनिक दृष्टि से आवश्यकता नहीं है।

(3) जी हां। सूचना केन्द्र के हाल को किराये पर देने का प्रकरण अभी राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(4) सूचना केन्द्र के हाल का किराया अभी तय नहीं हुआ है।

(5) सूचना केन्द्र उदयपुर में 10 पद सृजित हैं। इनमें एक पद रिक्त है। विवरण परिशिष्ट–क पर संलग्न है।

परिशिष्ट–क

सूचना केन्द्र उदयपुर में स्वीकृत पदों का विवरण निम्न प्रकार है :–

क्र.सं.	पद नाम	स्वीकृत पद	कार्यरत/रिक्त
1.	सहायक जनसम्पर्क अधिकारी	एक	कार्यरत
2.	पूछताछ सहायक	एक	"
3.	स्वागतकर्ता	एक	"
4.	कनिष्ठ लिपिक	एक	"
5.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	तीन	"
6.	चौकीदार	एक	"
7.	केटलॉगर	एक	रिक्त
8.	लाईब्रेरी बिदरर	एक	कार्यरत

323

जयपुर में राजकीय आवासों का आवंटन

273. श्री रामस्वरूप मीणा (टोडा-भीम) : क्या मुख्य (सामान्य प्रशासन) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जयपुर स्थित राजकीय आवासों का आवंटन शासन सचिवालय तथा शेष अन्य विभागों में दो श्रेणियों में वर्गीकृत कर पृथक्-पृथक् कोटा निर्धारित कर किया जा रहा है ? यदि हां, तो कोटा किस आधार पर निर्धारित किया गया है ? शासन सचिवालय के लिए कितने प्रतिशत कोटा निर्धारित है ? शासन सचिवालय तथा अधिनस्थ विभागों के कोटे के अनुसार अब किस वर्ष के आवेदकों को आवास आवंटित किये जा रहे हैं ?

(2) क्या अन्य विभागों के कर्मचारियों की संख्या तथा शासन सचिवालय के कर्मचारियों की संख्या के अनुपात में, शासन सचिवालय के कर्मियों हेतु कोटा अधिक निर्धारित है ?

(3) क्या सरकार उक्त नीति को समाप्त कर प्रत्येक विभाग के कर्मचारियों की समान प्रतिक्षा सूची बनाकर आवास आवंटित करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) जयपुर स्थित राजकीय आवासों की श्रेणीवार संख्या तथा आवंटन संबंधी दिशा निर्देशों की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी, हां । जयपुर स्थित चतुर्थ एवं पंचम श्रेणी के राजकीय आवास शासन सचिवालय तथा अन्य विभागों के कर्मचारियों को क्रमश: 1:3 तथा 1:1 के अनुपात में आवंटित किये जाते हैं । यह अनुपात शासन सचिवालय तथा अन्य विभागों के आवास आवंटन के प्रतीक्षारत कर्मचारियों की संख्या के आधार पर निर्धारित किया गया है ।

वर्तमान में चतुर्थ श्रेणी एवं पंचम श्रेणी के आवास शासन सचिवालय के क्रमश: वर्ष 1996 तथा 1992 के आवास आवंटन हेतु प्रतिक्षारत कर्मचारियों को आवंटित किये जा रहे हैं ।

(2) जी, नहीं । वर्ष 1983 में निर्धारित किया गया अनुपातिक कोटा प्रतिक्षारत कर्मचारियों की संख्या के अनुपात के आधार पर निर्धारित किया गया है ।

(3) जी, नहीं ।

(4) आवास राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के अनुसार आवंटित किये जाते हैं । जिसकी प्रति संलग्न है । जयपुर में सामान्य पूल में श्रेणीवार राजकीय आवास नियमानुसार उपलब्ध हैं :-

(मुख्य (सामान्य प्रशासन) मंत्री)

श्रेणी	आवास संख्या
प्रथम	89 (मंत्रीगण व जिला पूल सहित)
द्वितीय	243 बजाज नगर सहित
तृतीय	387
चतुर्थ	498
पंचम (5 एवं जी)	405
पंचम (एच-टाइप)	198

(प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

जिला बूंदी की योजनाओं के कार्यों की समीक्षा

274. श्री ओमप्रकाश शर्मा (बूंदी) : क्या आयोजना राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की देखरेख के लिये मन्त्रीगण भी जिला मुख्यालय पर जाकर कमियों को दूर करने के निर्देश देते हैं ? यदि हां, तो बून्दी जिले में 20 सूत्री कार्यक्रम की देख-रेख हेतु किस-किस मंत्री या मुख्य मंत्री ने बैठक करके कार्य की समीक्षा की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

जी हां, मंत्रीगण समय-समय पर विभिन्न योजनाओं की सफल क्रियान्विति हेतु जिला मुख्यालय एवं क्षेत्र में जाकर प्रगति को देखते हैं एवं यदि कोई कमी पाई जाती है तो उसके समाधान हेतु निर्देश प्रदान किये जाते हैं।

बीस सूत्री कार्यक्रम हेतु बून्दी जिले के लिये श्री मदन दिलावर, समाज कल्याण राज्य मंत्री, प्रभारी मंत्री मनोनीत किये गये हैं जो इस जिले हेतु बीस सूत्री कार्यक्रम के आयोजन, समन्वय एवं क्रियान्वयन हेतु गठित प्रथम स्तरीय समिति के अध्यक्ष भी हैं। प्रभारी मन्त्री श्री मदन दिलावर द्वारा दिनांक 15-2-96, 8-8-96, 19-2-97 एवं 9-7-97 को बूंदी जिला मुख्यालय पर बैठक आयोजित कर कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रगति की समीक्षा की गई।

बीस सूत्री कार्यक्रम की राज्य स्तरीय समिति के उपाध्यक्ष, श्री जगदीश प्रसाद माथुर जिन्हें मन्त्री स्तर का दर्जा प्राप्त है, के द्वारा भी बूंदी जिला मुख्यालय पर दिनांक 18-9-96 एवं 19-2-97 को बैठक आयोजित कर कार्यक्रम के अंतर्गत प्रगति की समीक्षा की गई।

पीपल्दा (कोटा) में अनुसूचित जाति/जनजाति का भूमि आवंटन प्रकरण

275. श्री रामगोपाल बैरवा (पीपल्दा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री रामगोपाल बैरवा)

(1) क्या विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा (कोटा) की तहसीलों में अनुसूचित जाती/जनजाति के व्यक्तियों को गत पांच वर्षों में सिवाय चक, सिलिंग की भूमि आवंटित की गई थी ?

(2) उक्त भूमि में कितने व्यक्तियों का नाम राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद कर लिया गया है व कितने प्रकरण शेष हैं ?

(3) क्या यह सही है कि जो भूमि आवंटित की गई और उसका राजस्व रेकार्ड में अमल तो दरामद कर लिया गया है किन्तु मोके पर उनका कब्जा नहीं होकर प्रभावशाली व्यक्तियों का कब्जा है ? यदि हां, तो प्रत्येक तहसीलवार ऐसे व्यक्तियों की संख्या सूची सदन की मेज पर रखें ।

(4) क्या सरकार ऐसे प्रकरणों में प्रभावशाली व्यक्तियों के कब्जे को हटाने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा (कोटा) की तहसील पीपल्दा में अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों को गत 5 वर्षों में सिवाय चक, सिलिंग भूमि का आवंटन नहीं किया गया, परन्तु विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा के अन्तर्गत तहसील मांगरोल जिला बारां में अनुसूचित जाति के 17 व्यक्तियों को तथा अनुसूचित जनजाति के 10 व्यक्तियों को तथा इसी विधान सभा क्षेत्र के तहसील इन्द्रगढ़ जिला बूंदी में क्रमशः 24 85 व्यक्तियों को भूमि का आवंटन किया गया ।

(2) जिला बारां के तहसील मांगरोल में 27 अनुसूचित जाति तथा जनजाति के व्यक्तियों को भूमि आवंटन किया गया उन में से एक आवंटी का अमल दरामद सकूनत बदल देने के कारण नहीं हुआ । बून्दी जिले की तहसील इन्द्रगढ़ में सिवायचक के भूमि आवंटन के किसी प्रकरण में अमल दरामद शेष नहीं हैं ।

(3) जी नहीं ।

(4) ऐसा कोई प्रकरण राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

ग्राम सोढ़ावड़ा (जोधपुर) में पेयजल प्रकरण

276. श्री पूनमचन्द विश्नोई (फलौदी) : क्या भू-जल राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा ग्राम सोढ़ावड़ा, पंचायत समिति बाप, जिला जोधपुर में एक टेस्ट ट्यूबवैल का निर्माण किया गया है ? यदि हां, तो इसमें प्रति घन्टा कितना गैलन पानी उपलब्ध है ?

(2) क्या इस नलकूप का पानी पीने योग्य है ?

उत्तर

(1) जी हां, सोडावड़ा में वर्ष 1997-98 में कृषि विकास परियोजना के अन्तर्गत जल स्तर नापने हेतु एक पिजोमीटर का निर्माण करवाया गया। इसकी कुल गहराई 150 मीटर तथा जल स्तर 44.70 मीटर है। इस पिजोमीटर में 1500 गैलन प्रति घण्टा पानी उपलब्ध है।

(2) जी नहीं, इस पिजोमीटर के पानी की इलेक्ट्रीकल कन्डक्टीविटी (ई.सी) 20,000 माइक्रोसिमन्स प्रति सेन्टीमीटर है अर्थात पानी में घुलनशील पदार्थ 12,000 मी. ग्राम प्रति लीटर के लगभग है जो कि पीने योग्य नहीं है।

तहसील बामनवास की कृषि भूमि का मुआवजा

277. श्री हीरालाल (बामनवास) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि मोरेल बान्ध की नहर निकालने हेतु वर्ष 1984-85 में तहसील बामनवास की भूमि अधिग्रहित की गई थी ? यदि हां, तो किन-किन ग्रामों की भूमि अधिग्रहित की गई ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि अधिग्रहण की गई भूमि की कृषकों को 18 साल बाद भी मुआवजा नहीं दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं। वर्ष 1984-85 में मोरेल की नहर हेतु तहसील बामनवास की कोई भूमि अधिग्रहण नहीं की गई।

(2) जी नहीं। भूमि अधिग्रहण ही नहीं की गई अतः मुआवजा देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

राजस्थान विश्वविद्यालय में विशिष्ट पौध प्रजातियों की देखभाल

278. श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान विश्वविद्यालय परिसर में 50 हैक्टेयर बंजर भूमि पर विशिष्ट पौध प्रजातियों से हरी-भरी करने के लिये केन्द्र सरकार से राशि प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो कब और कितनी ?

(2) क्या यह भी सही है उक्त कार्य परियोजना पूर्ण होने के बाद उसकी समुचित देखभाल नहीं होने के कारण इन दिनों नष्ट होने के कगार पर पहुंच गई है ? क्या सरकार विशिष्ट पौध प्रजातियों की समुचित देखभाल के लिये पर्याप्त व्यवस्था करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो किस रूप में और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। नोन कन्वेन्शनल सोर्स आफ एनर्जी विभाग केन्द्र सरकार के पत्र दिनांक 15-1-92 के पत्र द्वारा 5 लाख रुपये की राशि की स्वीकृति प्राप्त हुई। यह राशि चार वर्ष की अवधि में प्राप्त हुई।

(2) जी नहीं। यह अवश्य है कि यदा कदा अतिक्रमण की वजह से कुछ प्रतिशत नुकसान हो जाता है, जिसकी उचित देख रेख की जाती है। परियोजना की देखभाल की जिम्मेदारी राज्य सरकार की नहीं विश्वविद्यालय की है। विश्वविद्यालय द्वारा इसकी देखभाल के लिए विजिलेंस गार्ड के लिये क्वार्टर वहीं बना रखा है, इसकी देखभाल की समस्त जिम्मेदारी उक्त गार्ड की है एवं एक दो गार्ड और लगाये जाने की व्यवस्था की जा रही है।

तहसील बल्लभनगर के ग्रामों में पेयजल योजना

279. श्री गुलाबसिंह शक्तावत (बल्लभनगर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि सरकार के समक्ष राज्य में 1500 एवं इससे अधिक आबादी वाले गांवों को पेयजल हेतु जल प्रदाय योजना प्रारम्भ किया जाना विचाराधीन है ? यदि हां, तो इस योजना के अन्तर्गत तहसील बल्लभनगर जिला उदयपुर के कितने गांवों को जल प्रदाय योजना से लाभान्वित करना था ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजना के अन्तर्गत कितने गांवों को लाभान्वित किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार अपनी घोषणा के अनुसार सभी गांवों को वर्ष 1998-99 में लाभान्वित करेगी ?

उत्तर

(1) जी हां। तहसील बल्लभनगर में 1991 की जनगणनानुसार 1500 से अधिक आबादी के 25 ग्राम हैं। इनमें से 4 ग्रामों को पाइप्ड योजना, एक ग्राम रीजनल योजना 2 ग्रामों को टी.एस.एस., 13 ग्रामों को पम्प एवं टैंक योजना से लाभान्वित किया हुआ है। 5 ग्रामों को लाभान्वित करना शेष है, जिनकी सूची परिशिष्ट–"अ" पर है।

(2) 1500 से अधिक आबादी वाले 20 ग्रामों को लाभान्वित किया जा चुका है तथा दो ग्रामों की योजना स्वीकृत की जा चुकी है एवं कार्य प्रगति पर है। चूंकि घोषणा अनुसार राजस्थान के सभी जिलों में 1500 से अधिक आबादी की योजनाएं चरणबद्ध तरीके से धन उपलब्धता अनुसार स्वीकृत की जा रही है। अतः एक ग्राम की योजना इसी वर्ष स्वीकृत किया जाना प्रस्तावित है तथा दो ग्रामों की योजना वर्ष 1999-2000 में स्वीकृत किया जाना प्रस्तावित है।

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

(3) घोषणा के अनुसार इस तहसील की शेष अलाभान्वित 1500 से अधिक जनसंख्या वाले ग्रामों को पम्प एवं टैंक योजना से वर्ष 2002 तक लाभान्वित करने के प्रयास किये जावेंगे ।

परिशिष्ट "अ"

तहसील वल्लभनगर 1991 की जनगणनानुसार 1500 से अधिक आबादी वाले अलाभान्वित ग्रामों की सूची

क्र.सं.	ग्राम का नाम	कोड सं.	आबादी 1991	प्रस्तावित योजना का प्रकार
1.	अभिन्धा	139	1764	पम्प एवं टैंक
2.	कीकावास	30	1693	〃 〃
3.	बडगांव	94	1589	〃 〃
4.	माल की टूक	65	1567	
5.	तारावट	15	1565	

परिशिष्ट-अ

तहसील वल्लभनगर 1991 की जनगणनानुसार 1500 से अधिक आबादी वाले ग्रामों की लाभान्वित सूची।

क्र.सं.	ग्राम का नाम	कोड सं.	आबादी 1991	योजना का प्रकार
1	2	3	4	5
1.	वासेडा	89	2257	पी एण्ड टी
2.	खेरोदा	40	5188	पाइप्ड
3.	खरसाण	41	1938	पी एण्ड टी
4.	सालेडा	101	1589	,, ,,
5.	वल्लभनगर	19	8374	पाइप्ड
6.	नवानिया	29	3584	पाइप्ड
7.	रूण्डेरा	31	5152	,, ,,
8.	वाना	37	2130	पी एण्ड टी
9.	मेनार	38	4528	,, ,,
10.	भटेवर	42	3050	,, ,,
11.	महाराज की खेडी	47	2257	,, ,,
12.	मोडी	53	2794	,, ,,
13.	टूंस डांगीयान	58	2149	,, ,,
14.	दरोली-ममरासिया	49-50	2236-954	रीजनल
15.	करणपुर	22	3827	टी.एस.एस

(330)

1	2	3	4	5
16.	कूतवास	145	1837	टी.एस.एस.
17.	छीता	110	2343	पी एण्ड टी
18.	अमरपुरा	87	1888	पी एण्ड टी
19.	बाठेडा कला	137	1510	पी एण्ड टी
20.	नान्दवेल	60	1751	पी एण्ड टी

औषधी निरीक्षकों का नियुक्ति प्रकरण

280. श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर): क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में औषधी निरीक्षक के कितने पद स्वीकृत हैं और उनमें से कितने पद कहां-कहां और किस दिनांक से रिक्त हैं। इन रिक्त पदों में से कितने पदों का केन्द्र सरकार व्यय वहन करती है ?

(2) क्या सरकार ने लोक सेवा आयोग से चयनित औषधी निरीक्षकों की आरक्षित सूची में से भी नाम मगवाये हैं ? यदि हां, तो किस दिनांक को एव कितने पदों के लिये ?

(3) क्या राजस्थान लोक सेवा आयोग ने कोई नाम भेजे हैं ? यदि हां, तो कब ?

(4) क्या सरकार उक्त पदों पर इन्हें नियुक्ति देने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) राज्य में औषधि निरीक्षकों के कुल 44 पद स्वीकृत हैं। रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार है :—

जिला	रिक्त पदों की सं.	दिनांक जिससे पद रिक्त है
उदयपुर	1	11-5-98
टोंक	1	8-6-98
धोलपुर	1	6-6-98
श्री गंगानगर	1	3-6-98
सवाई माधोपुर	1	6-7-97
रक्त सुरक्षा (एड्स कार्यक्रम के अन्तर्गत)	1	9-10-95
कुल :	6	

(राज्य मंत्री, चिकित्सा)

रक्त सुरक्षा के एक पद का व्यय केन्द्र सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है।

(2) जी हां, दिनांक 2-5-97 को औषधि निरीक्षक के 5 पदों हेतु आरक्षित सूची से नाम मंगवाये गये थे।

(3) जी हां, राजस्थान लोक सेवा आयोग ने उनके पत्र दिनांक 20-5-97 के द्वारा पांच नाम आरक्षित सूची से भिजवाये थे।

(4) जी नहीं।

श्रीगंगानगर में चोरियों की रोकथाम

281. श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला गंगानगर में इन दिनों चोरी की घटनाओं में वृद्धि हो रही है? क्या सरकार इनकी रोकथाम हेतु कोई कदम उठाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(2) उक्त जिले में जनवरी, 1998 से जून, 1998 तक कितनी चोरियां हुई हैं? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त चोरियों के सम्बन्ध में सरकार ने कितने चोरों को गिरफ्तार कर कितना माल बरामद किया है? क्या बरामद माल मालिकों को सुपुर्द कर दिया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। श्री गंगानगर जिले में जनवरी, 1997 से 30 जून, 1997 तक चोरियों के कुल 427 अपराध दर्ज हुए तथा इस अवधि में वर्ष 1998 में कुल 432 अभियोग दर्ज हुए हैं सिर्फ 5 अपराधों की वृद्धि रही है जो नगण्य है। चोरियों की रोकथाम हेतु रात्रि गश्त, नाकाबन्दी, रोड़ गश्त, लगातार की जा रही है।

(2) कुल 432 अभियोग चोरी संबंधी दर्ज हुए हैं। थानेवार विवरण परिशिष्ट "अ" में संलग्न है।

(3) उक्त चोरियों के सम्बन्ध में 167 चोरों को गिरफ्तार कर 33,18,670/- रुपए कीमत का माल बरामद किया जा चुका है, बरामद माल में से 22,75,570/ रु. कीमत का माल मालिकों को सुपुर्द कर दिया गया है। थानेवार विवरण परिशिष्ट "अ" में अंकित है।

332

परिशिष्ट–'ग्र'

1-1-98 से 30-6-98 तक चोरियों की घटना बाबत थानावार विवरण जिला–श्री गंगानगर।

क.सं.	नाम पुलिस थाना	कुल दर्ज अभियोग	चालान	अंतिम प्रतिवेदन	जैर तफ. पुलिस	कुल माल चोरी गया	गिर. मुलजिम	माल बरामद	माल सुपुर्द मालिकान
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	कोत. श्री गंगानगर	53	7	32	14	1253662	15	565000	560000
2.	पुरानी ग्राबादी	8	—	8	—	108400	—	43000	43000
3.	जवाहर नगर	29	—	28	1	549650	—	—	—
4.	सदर थाना	27	11	14	2	391390	23	321000	321000
5.	हिन्दूमल कोट	14	6	6	2	497528	11	442040	159440
6.	सादुल शहर	15	5	8	2	106650	9	20150	15150

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.	चुनावढ़	10	2	7	1	32800	3	12500	5000
8.	मटीली राठान	9	2	7	—	6670	3	3200	200
9.	लालगढ जाटान	20	—	16	4	39000	—	—	—
10.	करणपुर	11	5	4	2	616200	8	441400	435000
11.	घुमड़वाली	6	—	5	1	2000	—	2000	—
12.	पदमपुर	12	4	8	—	694400	9	422400	397000
13.	गजसिंहपुर	2	—	1	1	8700	—	—	—
14.	केसरीसिंहपुर	7	3	3	1	14970	8	7300	6800
15.	रायसिंह नगर	25	3	19	3	200000	3	39700	—
16.	मुकलावा	4	1	2	1	2000	1	1500	—
17.	विजयनगर	25	6	10	9	446150	12	228500	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18.	घड़साना	50	14	21	15	383316	28	14600	14600
19.	रावला	24	5	14	5	149000	9	105500	102500
20.	अनूपगढ़	30	4	21	5	3634550	6	214500	11500
21.	रामसिंहपुर	11	3	6	2	211000	7	10000	10000
22.	सूरतगढ़	32	2	18	12	801080	6	237000	7000
23.	राजियासर	8	4	4	—	193380	6	187380	187380
	कुल योग:--	432	87	262	83	7090246	167	3318670	2275570

सोलर/नेफ्था आधारित विद्युत् उत्पादन गृह

282. डा. जितेन्द्र सिंह (खेतड़ी) एवं श्री दीपेन्द्र सिंह (श्री माधोपुर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में सोलर तथा नेफ्था आधारित विद्युत् उत्पादन के प्रोजेक्ट्स कहां-कहां स्थापित किये जाने की कब से योजना सरकार के विचाराधीन है ? उक्त इकाइयों की स्थापना के लिए अब तक क्या प्रगति हुई है ?

(2) उक्त इकाइयों की स्थापना किस के द्वारा की जानी है ?

(3) उक्त इकाइयों में कितनी विद्युत् उत्पादन कब प्रारम्भ हो जायेगी ?

उत्तर

(1) प्रदेश में सोलर व नेफ्था पर आधारित परियोजनाओं के लिये राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र में संयंत्र स्थापित करने के लिये 21 कम्पनियों को आशय पत्र जारी किये थे, जिनकी सूची संलग्न परिशिष्ट 'अ' पर दर्शायी गई है।

इनके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा सौर ऊर्जा व द्रव ईंधन पर आधारित एक परियोजना मथानिया (जोधपुर) में लगाने की योजना भी है। इनमें से किसी भी परियोजना का वित्तीय समापन अभी तक नहीं हुआ है। इसके बाद ही परियोजना स्थापित की जा सकेगी।

(2) कम्पनियों के नाम उक्त परिशिष्ट 'अ' में दर्शाये गये हैं।

(3) उक्त इकाइयों में विद्युत् उत्पादन की अनुबन्ध प्रभावी दिनांक (effective Date) परिशिष्ट 'अ' में दर्शायी गई है अनुबन्ध प्रभावी दिनांक में वित्तीय समापन होना मुख्य है।

परिशिष्ट–अ

विभिन्न निजी कम्पनियों के साथ किए गए आशय पत्रों का विवरण

क्र.स.	उत्पादक कम्पनी/संयोजक का नाम	आशय पत्र दिनांक	विद्युत क्रय अनुबन्ध दिनांक	स्थान	क्षमता मेगावाट	ईंधन आवंटन मेगावाट	अनुबन्ध प्रभावी दिनांक (EFFECTIVE DATE) से विद्युत उत्पादन हेतु संभावित समय
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	मैसर्स सनसोर्स इण्डिया लिमिटेड, अहमदाबाद	25-11-95	26-2-96	जिला बाड़मेर	50	—	××
2.	मैसर्स एमको एनरॉन, सोलर पावर डवलपमेंट	18-11-95	1-3-96	जिला जैसलमेर	50	—	××
3.	एनरजेन इन्टरनेशनल लि.	4-11-95	—	जिला जोधपुर	200	—	

336

1	2	3	4	5	6	7	8
4.	इन्डोकाल पावरवेन्चर्स लिमिटेड, चेन्नई	2-3-96	1-6-96	ग्राम कनकानी जोधपुर जिला	100	100	18-24 माह
5. ×	आर.पी.जी., धौलपुर पावर कम्पनी लि.	17-2-94 (MOU)	29-8-96	धौलपुर	702.7	635	28 माह
6.	जोधपुर इलेक्ट्रिक पावर कम्पनी लिमिटेड	4-12-95	16-9-96	जोधपुर	2 × 75	50	18 से 24 माह
7.	बर्धन इन्फ्रास्ट्रक्चर लि.	1-10-96	3-10-96	आबू रोड (सिरोही)	100	50	18-24 माह
8.	भिवाडी पावर कम्पनी लिमिटेड	25-11-95	25-10-96	सारे खुर्द (अलवर)	50	50	18-24 माह
9.	भिवाडी जनरेशन लिमिटेड	1-1-96	25-10-96	सारे खुर्द अलवर	100	—	18-24 माह
10.	पोयशा पावर प्रोजेक्ट लिमिटेड	9-12-95	26-10-96	बारां	140	—	18-24 माह

337

1	2	3	4	5	6	7	8
11.	ग्लोबल बोर्ड लिमिटेड	26-12-95	30-10-96	केशोरायपाटन (बूंदी)	166	130	18-24 माह
12.	जोधपुर इलेक्ट्रिक पावर कम्पनी लिमिटेड	6-12-95	31-10-96	भरतपुर या बांसवाड़ा	2 × 75	50	18-24 माह
13.	डी.एल.एफ.पावर लि.	6-12-95	31-10-96	सवाईमाधोपुर उदयपुर झालावाड़	3 × 100 तीन स्थान	50	18–24 माह
14.	पोयना पावर जेनरेशन लिमिटेड,	7-12-95	31-10-96	अलवर	140	50	18-24 माह
15.	पूरो पावर कंसोर्टियम इण्डिया लिमिटेड	1-6-96	31-10-96	हनुमानगढ़, भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़,	5 × 100	100	18–24 माह
16.	भगत पावर लि.	1-6-96	1-11-96	केशोरायपाटन बूंदी जिला	100	50	18–24 माह
17.	विराज पावर जनरेशन प्रा. लि.	23-11-96	23-11-96	हनुमानगढ़	150	100	18-24 माह

1	2	3	4	5	6	7	8
18.	चित्तौड़गढ़ पावर लिमिटेड	15-11-95	4-12-96	चित्तौड़गढ़	100	—	18-24 माह
19.	भीलवाड़ा पावर लिमिटेड	15-11-95	4-12-96	भीलवाड़ा	100	—	18-24 माह
20.	उदयपुर पावर लिमिटेड	15-11-95	4-12-96	उदयपुर	100	—	18-24 माह
21.	राजसमन्द प्राइवेट लिमिटेड	15-11-95	4-12-96	राजसमन्द	100	—	18–24 माह
22.	बांसवाड़ा पावर लिमिटेड	15-11-95	4-12-96	बांसवाड़ा	100	—	18-24 माह

×× विद्युत क्रय अनुबन्ध अनुसार प्रथम 0.25 मेगावाट इकाई दिसम्बर 2001 तक आनी थी, पर इसमें विलम्ब की सम्भावना है।

× मैं. आर.पी.जी. धौलपुर पावर कम्पनी के साथ दिनांक 17-2-94 को (MOU) हस्ताक्षरित किया था।

(340)

अजमेर में राजकीय आवासों का आवंटन

283. श्री गोविन्द सिंह गुर्जर (नसीराबाद) : क्या मुख्य (सामान्य प्रशासन) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) अजमेर शहर में प्रतिक्षा सूची का उलंघन कर कितने राजकीय आवास गृह किन व्यक्तियों को 1 जनवरी, 1997 से 30 जून, 1998 तक आवंटित किये गये ? कारण सहित श्रेणीवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्तमान में कितने व्यक्ति अजमेर शहर में राजकीय आवास गृह पाने की प्रतिक्षा सूची में हैं ? श्रेणीवार सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सूचना परिशिष्ट 'अ' अनुसार सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) सूचना परिशिष्ट "ब" अनुसार सदन की मेज पर रख दी गई है।

परिशिष्ट–'अ'

अजमेर शहर में दिनांक 1-1-97 से 30-6-98 तक प्रतीक्षा सूची लांघ कर किये गये राजकीय आवास आवंटन का विवरण:–

क.सं.	नाम अधिकारी	आवंटित आवास की श्रेणी	आवंटन के कारण
1.	श्री अतुल भार्गव, क.लि.	पंचम श्रेणी "जी"	बिना पारी आवंटन विशेष कारणों जैसे संक्रामक रोगी विकलांग तथा आपात कालीन सेवा को ध्यान में रखकर किये गये हैं।
2.	श्री अनिल शर्मा, क.लि.	पंचम श्रेणी "जी"	
3.	श्री गोपाल स्वरूप माथुर, क.लि.	पंचम श्रेणी "जी"	
4.	श्री रामकरण, अमीन	पंचम श्रेणी "जी"	
5.	श्री दयाराम बैरवा, च.श्रे.क.	पंचम श्रेणी (एच)	

1	2	3	4
6.	श्री गोविन्द सिंह, च.श्रे.क.	पंचम श्रेणी "एच"	क्र.सं. 2 श्री अनिल शर्मा एवं 4 श्री रामकरण अमीन द्वारा राजकीय आवास रिक्त कर दिया गया है।

परिशिष्ट—'ब'

वर्तमान में अजमेर शहर में राजकीय आवासगृह पाने की प्रतीक्षा सूची।

(दिनांक 30-6-98)

आवास श्रेणी	वर्तमान में राजकीय आवासगृह पाने की प्रतीक्षा सूची में प्रतीक्षारत व्यक्तियों की संख्या
प्रथम	27
द्वितीय	77
तृतीय	153
चतुर्थ	93
पंचम "बी" टाईप	453
"एच" टाईप	104

ह0/-

अति. संभागीय आयुक्त, अजमेर।

पाली शहर में भू-रूपान्तरण के शिविर

284. श्री भीमराज भाटी (पाली) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पाली शहर में भू-रूपान्तरण के शिविर लगाये गये थे? यदि हां, तो कौन-कौन सी बस्तियों में एवं कब-कब ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) प्रत्येक बस्ती के शिविर में कुल कितनी भू-रूपान्तरण की पत्रावलियां प्रस्तुत की गई, उनमें से कितनी पत्रावलियों का निस्तारण किया गया, कितने भू-खण्डधारियों को पट्टे जारी किये गये एवं कितनी पत्रावलियों को लंबित रखा गया है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त लम्बित पत्रावलियों में से प्रत्येक पत्रावली के भू-खण्डधारी को पट्टा जारी नहीं करने के क्या-क्या कारण हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) भू-रूपान्तरण की इस कार्यवाही से नगर परिषद पाली एवं राज्य सरकार को कुल कितनी आय प्राप्त हुई ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां, यह सही है कि पाली नगरीय सीमा में कृषि भूमि रूपान्तरण के शिविर लगाये गये थे। सूची संलग्न है।

(2) पाली नगरीय सीमा में लगे शिविरों में कुल 532 पत्रावलियां प्रस्तुत हुई जो निम्न प्रकार है :—

क्र.सं.	शिविर	प्राप्त पत्रावली
1.	बापू नगर विस्तार	261
2.	जनता कालोनी	56
3.	रामदेव रोड के आस-पास	215

प्राप्त 532 पत्रावलियों में से शिविरों में 202 पत्रावलियों में पट्टे विलेख जारी किये गये। शेष 330 पत्रावलियों में आवश्यक औपचारिकता पूर्ण नहीं होने से लम्बित रही। सूची संलग्न है।

(3) लम्बित 330 पत्रावलियों में कौन सी औपचारिकता पूर्ण नहीं करने के कारण पत्रावलीवार संलग्न सूची में अंकित है।

(4) भूमि रूपान्तरण से राज्य सरकार को कुल 26.39 लाख रुपये तथा नगर परिषद पाली को 16.67 लाख रुपये आय के रूप में प्राप्त हुये हैं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

बांकली बांध (जालौर) का नहर प्रकरण

285. श्री मगराज चौधरी (आहोर): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि जिला जालौर स्थित बांकली बांध की नहरों की क्षमता को बढ़ाने, नहरों एवं माइनर नहरों की मरम्मत करने, लम्बे खालों को माइनर नहरों में बदल कर निर्माण करने एवं कच्ची माइनर नहरों को पक्का बनाने आदि कार्य कर सिंचाई क्षमता को सुधारने हेतु एक योजना विश्व बैंक से स्वीकृति हेतु विचाराधीन है? यदि हां, तो सरकार द्वारा इस योजना को स्वीकृत कर कब तक इसका कार्य चालू करवा दिया जावेगा ?

उत्तर

जी, हां। ऐसी एक योजना राजस्थान जल संसाधन समेकित कार्यक्रम के अन्तर्गत तैयार की जा रही है। यह योजना विश्व बैंक की आर्थिक सहायता पर निर्भर होगी।

इस योजना को जल्द स्वीकृत करा कर कार्य प्रारम्भ करने की कार्यवाही की जा रही है।

विधान सभा क्षेत्र बयाना की अपूर्ण सड़कें

286. श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा (बयाना) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) वर्ष 1994 से 1998 तक विधान सभा क्षेत्र बयाना की कौन-कौन सी सड़क किस-किस योजना के अन्तर्गत स्वीकृत हुई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त स्वीकृत सड़कों में से कौन सी सड़क पूर्ण हो चुकी है और अपूर्ण सड़कें कब तक पूर्ण कराई जावेगी।

उत्तर

(1) वर्ष 1994 से 1998 तक विधान सभा क्षेत्र बयाना में निम्नानुसार स्वीकृतियां दी गई:—

1. एम.एन.पी. (सामान्य)	17
2. ग्रामीण सड़कें	1
3. नगरीय सड़क	1
4. आधुनिकीकरण	1
5. नाबार्ड योजना	3
6. कृषि विस्तार परियोजना	5
7. डांग विकास (डी.आर.डी.ए)	3
8. निबंन्ध योजना	1
योग	32

विवरण प्रपत्र "अ" में सदन की पटल पर प्रस्तुत है।

(2) पूर्ण किये गये कार्यों का विवरण निम्न प्रकार है:—

(३५५)

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

1. एम.एन.पी. (सामान्य)	8
2. नगरीय सड़क	1
3. आधुनिकीकरण	1
4. डांग विकास (डी.आर.डी.ए.)	3
5. निर्बन्ध योजना	1
योग	14

उक्त पूर्ण एवं अपूर्ण सड़कों का विवरण तथा पूर्ण करने की सम्भावित तिथि प्रपत्र "ब" में सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

(प्रपत्र विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

विधान सभा क्षेत्र भरतपुर को पेयजल योजना

287. श्री आर.पी. शर्मा (भरतपुर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र भरतपुर के लिये अधिशाषी अभियन्ता, भरतपुर द्वारा पेयजल समस्या के समाधान हेतु कब-कब कितनी योजनायें प्रस्तावित कर सरकार को भिजवाई गई ?

(2) सरकार ने उक्त योजनाओं की स्वीकृति के सम्बन्ध में क्या-क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र भरतपुर के लिये अधिशाषी अभियन्ता भरतपुर द्वारा पेयजल समस्या के समाधान हेतु वर्ष-96 से जून-98 तक प्रस्तावित सभी 12 योजनाओं की स्वीकृति की जा चुकी है विवरण परिशिष्ट 'अ' पर है।

(2) उपरोक्त एक के अनुसार।

विधान सभा क्षेत्र भरतपुर के पेयजल समस्या समाधान हेतु प्रेषित योजनाओं का विवरण प्रपत्र "ब"

क्र.सं.	शहर/गांव का नाम	कोड सं.	योजना का प्रकार	स्वीकृत हुई अथवा नहीं	लागत रु. लाखों में	स्वीकृति संख्या व दिनांक	वर्तमान स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	बराखुर	84	पनघट	हां	0.92	अति.मुख्य अभि. पत्रांक 7241 दिनांक 5-2-98	कार्य पूर्ण
2.	समहूली	175	,, ,,	हां	0.88	अति.मु.अ. पत्रांक 7241 × 2-2-98	कार्य पूर्ण
3.	नगला हुवेनी	72	,, ,,	हां	1.27	,, ,, 432/ 22-5-98	स्त्रोत निर्माण कार्य प्रगति पर है।
4.	बरसो, बसोला	(113,115)	क्षेत्रीय	हां	4.60	मु.अ.(प्रा.) संख्या 1/8-9-97	भूजल विभाग द्वारा बनाया नलकूप असफल हो जाने के कारण पुनः स्रोत

1	2	3	4	5	6	7	8
							बन जाने के प्रयास किये जा रहे हैं।
5.	मोगाया	83	पम्प एवं टैंक	हां	1.80	जिला कलक्टर पत्रांक 5359/ 8-9-97	कार्य पूर्ण
6.	जिरोली	82	पनघट	हां	1.80	,, ,, भरतपुर ,, ,,	कार्य पूर्ण
7.	जादोली रथमान	76	क्षेत्रीय	हां	4.53	मु.प. (ग्रा.) जयपुर 1/2-6-98	स्त्रोत निर्माण की निविदाएं आमंत्रित की गई है। पाइप उपलब्ध होने पर लाइन का कार्य किया जावेगा।
8.	पीपला	79	पम्प एवं टैंक	हां	0.47	अति.मु.प. पत्रांक 628/20-6-98	पाइप उपलब्ध होने पर लाइन डाली जावेगी।

1	2	3	4	5	6	7	8
9.	महुचोली	93	पम्प एवं टैंक	हां	4.13	वित्त समिति 249/29-1-97	कार्य पूर्ण
10.	मालोनी	117	" "	हां	1.68	प्रति.मु.प्र.पत्रांक 7242/5-2-97	स्त्रोत का निर्माण कार्य प्रगति पर है।
11.	पुनर्गठित शहरी योजना भरतपुर		संशोधित योजना	हां	58.63	वित्त समिति 291/3-2-97	कार्य पूर्ण
12.	बन्ध बरेठा पाइप लाइन शहरी जल योजना भरतपुर		" "	हां	58.80	" " " "	कार्य प्रगति पर है।

347

348

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कालू (बीकानेर) का प्रतिनियुक्ति प्रकरण

288. श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कालू (बीकानेर) में वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी का पद स्वीकृत है ?

(2) क्या यह भी सही है कि वर्ष 1997-98 में उक्त पद पर किसी वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी को कालू में नियुक्ति न देकर देशनोक में प्रतिनियुक्ति दी गई है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी को वेतन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कालू से दिलाया गया है ?

(4) क्या यह सही है कि सरकार को शिकायतें प्राप्त होने के बाद में भी उक्त प्रतिनियुक्ति रद्द नहीं की गई है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं, वर्ष 1997-98 में उक्त पद पर किसी वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी का पदस्थापन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कालू में नहीं किया गया।

(3) जी हां, डा. सुभाष सहगल, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, देशनोक का वेतन माह मई, 1997 से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कालू से वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के पद से माह मई, 1998 तक वेतन आहरित किया गया है।

(4) जी हां, प्रतिनियुक्ति निरस्त कर दी गई है।

ग्राम घूणसी से बेंथली सड़क मार्ग पर दुर्घटनायें

289. श्री बनवारी लाल बैरवा (निवाई): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) ग्राम घूणसी से बेंथली तक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 पर गत दो वर्षों में कितनी सड़क दुर्घटनायें हुईं एवं उनमें कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई? नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त राजमार्ग पर हुई दुर्घटनाओं के मृतकों को कितनी सहायता दी गई ? दिनांक 12-4-98 को ग्राम सोयला पर घटित दुर्घटना के सम्बन्ध में विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) ग्राम घूणसी से बेंथली तक वर्ष 96 में 169 सड़क दुर्घटनाएं हुईं और इनमें 54 व्यक्तियों की मृत्यु हुई व वर्ष 97 में 181 सड़क दुर्घटनाएं हुईं और इनमें 58 व्यक्तियों की मृत्यु हुई। वर्ष 98 में माह अप्रेल तक 80 सड़क दुर्घटनाएं हुईं और इनमें 24 व्यक्तियों की मृत्यु हुई। मृतकों का नाम सहित विवरण परिशिष्ट

(गृह मंत्री)

"क" पर दिया गया है जो संलग्न है।

(2) उक्त राजमार्गों पर हुई सड़क दुर्घटनाओं में मृतकों के आश्रितों को प्रदत्त सहायता राशि का विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है। दिनांक 12-4-98 को ग्राम सोयला पर कोई दुर्घटना घटित नहीं हुई है अपितु 11-4-98 को घटना घटित हुई थी जिसका विवरण परिशिष्ट "ख" पर संलग्न है।

(परिशिष्ट विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

पंचायत समिति महुवा के ग्राम को सम्पर्क सड़क

290. श्री हरिसिंह (महुवा) : क्या विशिष्ठ योजना संगठन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जिला ग्रामीण विकास अभिकरण दौसा द्वारा पंचायत समिति महुवा के गांव खावदा एवं पंचायत मुख्यालय केशरा को सम्पर्क सड़क से जोड़े जाने के लिये स्वीकृति प्रदान कर अपेक्षित राशि सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड दौसा को भेज दी गई थी? यदि हां, तो इन सड़कों के लिये स्वीकृति कब प्रदान की गई थी?

(2) क्या यह भी सही है कि पंचायत मुख्यालय केशरा को सड़क वाया केशरी बांध स्वीकृत की गई थी? क्या सार्वजनिक निर्माण विभाग ने मूल स्वीकृति की अवहेलना कर एस.आर. मंडावर महुवा रोड़ सड़क से सीधा केशरा को सड़क निर्माण का कार्य प्रारम्भ कर दिया, जिसको बाद में रोक दिया गया?

(3) क्या सरकार स्वीकृतिनुसार सड़क निर्माण नहीं करने वाले दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(4) अब उक्त दोनों सम्पर्क सड़कों का कार्य मूल प्रस्ताव की स्वीकृति अनुसार कब तक प्रारम्भ कर दिया जावेगा?

उत्तर

(1) जी हां। खावदा की सम्पर्क सड़क की स्वीकृति दिनांक 26-2-97 को एवं महुवा मण्डावर सड़क से केशरा वाया केसरी सड़क के निर्माण की स्वीकृति दिनांक 17-5-95 (0-3 किलोमीटर के लिए) एवं 31-8-96 (3 से 6 किलोमीटर के लिए) की प्रदान की गई।

(2) जी हां। सार्वजनिक निर्माण विभाग ने अभिकरण में जो खर्च का ब्यौरा दिया है उसमें मण्डावर-महुवा रोड़ सड़क से सीधा केशरा के लिए अलग से कार्य पर कोई खर्च नहीं दर्शाया गया है। स्वीकृति के अनुसार 0-3 किलोमीटर की सड़क पर कार्य में खर्चा हुआ है।

(3) सड़क निर्माण कार्य स्वीकृति अनुसार अलाईनमेन्ट से ही सम्पादित किया

350

(राज्य मंत्री, विशिष्ठ योजना संगठन)

जा रहा है। अतः कोई अधिकारी दोषी नहीं है।

(4) सार्वजनिक निर्माण विभाग को इसी वर्ष के तत्काल बाद कार्यों को चालू कर इसी वर्ष में पूरा करने के निर्देश दिये गये हैं।

विधान सभा क्षेत्र मकराना के ग्रामों में विद्युत आपूर्ति

291. श्री रूपाराम (मकराना) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र मकराना में ऐसे कितने विद्युतीकृत गांव हैं, जिनमें बिजली नहीं पहुंचाई गई है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार की उक्त विद्युतीकृत ग्रामों में बिजली पहुंचाने की क्या योजना है? उक्त ग्रामों में अब कब तक बिजली पहुंचा दी जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र मकराना में ऐसा कोई भी विद्युतीकृत गांव नहीं है, जिसमें बिजली नहीं पहुंचाई गई है।

(2) विधान सभा क्षेत्र मकराना के सभी विद्युतीकृत घोषित ग्रामों में बिजली उपलब्ध है।

इंदिरा गांधी नहर परियोजना के लम्बित हैड वर्क्स निर्माण कार्य

292. श्री अर्जुन दास मदान (लाड़पुरा) : क्या मुख्य (इंदिरा गांधी नहर परियोजना) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) इंदिरा गांधी नहर परियोजना के अंतर्गत कोलायत, गजनेर, पोकरण और फलोदी उलोत्थान सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जावेगा? अब तक हुये कार्य एवं उस पर खर्च की गई राशि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त उलोत्थान सिंचाई योजनाओं में हैड वर्क्स का काम पूरा हो चुका है? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) हैड वर्क्स के काम शुरू करने में हुई देरी और इनकी लागत बढ़ने हेतु विभाग ने किन-किन अधिकारियों की जिम्मेदारी निर्धारित की है?

(4) अब उक्त हैड वर्क्स का कार्य कब तक पूर्ण हो जायेगा?

उत्तर

(1) इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के अन्तर्गत कोलायत, गजनेर, पोकरण व फलोदी उलोत्थान सिंचाई योजनाओं के निर्माण कार्य वर्ष 2005 तक पूर्ण करने का कार्यक्रम है। मार्च, 98 तक इन चारों उलोत्थान सिंचाई योजनाओं पर कुल 205 किलोमीटर लम्बाई में लाईनिंग का कार्य

(मुख्य (इंदिरा गांधी नहर परियोजना) मंत्री)

एवं 40 पक्के कार्य पूर्ण कर दिये गये हैं तथा चारों जलोत्थान योजनाओं के 13 पम्पिंग स्टेशनों पर कार्य प्रगति पर है। इन चारों जलोत्थान सिंचाई योजनाओं पर मार्च, 1998 तक किये गये कार्यों पर 127 करोड़ रुपये की राशि व्यय की जा चुकी है।

(2) उक्त चारों जलोत्थान सिंचाई योजनाओं में मुख्य नहर से जोड़ने के लिये हैडवर्क्स बनाना प्रस्तावित नहीं है केवल मुख्य नहर के किनारों में स्थान बनाकर लिफ्ट नहरों को लिंक करना है। कोलायत गजनेर व फलोदी जलोत्थान योजनाओं के जोड़ने (लिंक करने) के कार्य किये जा चुके हैं और पोकरण योजना का जोड़ने का कार्य आगामी मुख्य नहर की बंदी में कराये जाने का कार्यक्रम है।

(3) हैडवर्क्स के काम में देरी अथवा लागत बढ़ाने जैसी कोई स्थिति नहीं है और किसी अधिकारी की जिम्मेदारी तय करने का प्रश्न नहीं है।

(4) जैसा कि भाग 2 में बताया मात्र पोकरण जलोत्थान योजना को मुख्य नहर से जोड़ने का कार्य शेष है जो कि आगामी मुख्य नहर में बंदी लेने पर कराया जायेगा।

जिला झुन्झुनूं के भूमि हीनों को आवंटित काश्त भूमि

293. श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सरकार द्वारा जिन भूमि हीनों को काश्त हेतु जमीन आवंटित की जाती है उस पर नियमानुसार कितने समय में कब्जा लेकर काश्त शुरू करना आवश्यक है ?

(2) क्या यह सही है कि निर्धारित अवधि में कब्जा नहीं लेने पर आवंटन स्वतः ही निरस्त हो जाता है ?

(3) यदि हां, तो झुन्झुनूं जिले की उदयपुरवाटी तहसील के ग्राम बागडी में 1970-71 में अलोट की गई जमीनों के सम्बन्ध में इस कानून का उल्लंघन क्यों हुआ है ?

उत्तर

(1) राजस्थान भू-राजस्व (कृषि भूमि आवंटन) नियम, 1970 के नियम 14 (3) में प्रावधान है कि 50 प्रतिशत आवंटित भूमि आवंटित वर्ष के प्रथम वर्ष में काश्त करना आवश्यक है एवं शेष रकबे को द्वितीय वर्ष में काश्त करना आवश्यक है।

(2) उक्त नियम 1970 के नियम 15 (1) (बी) के अन्तर्गत आवंटिती को तुरन्त कब्जा दिये जाने का प्रावधान है एवं नियम 15(1) (सी) में प्रावधान है कि वास्तविक कब्जा एक माह में नहीं प्राप्त हो तो वह जिला कलक्टर को कब्जा लेने हेतु आवेदन कर सकता है। आवंटन शर्तों, जिसमें काश्त की शर्त भी सम्मिलित है, की पालना नहीं करने पर कलक्टर स्वयं या अन्य व्यक्ति के आवेदन पर आवंटन सुनवाई के पश्चात निरस्त कर सकता है।

(राजस्व मंत्री)

(3) प्रश्न के भाग (2) के उत्तर अनुसार प्रावधान स्पष्ट है। वर्ष 1970-71 में आवंटियों को कब्जा हाल ही में वर्ष 1998 में दिया गया है पर इनमें कोई नियमों का उल्लंघन नहीं हुआ है।

बीसलपुर परियोजना की बायीं मुख्य नहर का निर्माण कार्य

294. श्री फूलचन्द (सलूम्बर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) बीसलपुर परियोजना की बायीं मुख्य नहर व वितरिकाओं का कार्य जून, 1998 तक लक्ष्य के अनुसार कितना किलोमीटर होना चाहिये था तथा कितना कार्य हुआ है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या लक्ष्य के अनुसार कार्य नहीं हुआ है ? यदि हां, तो क्यों और इसके क्या कारण हैं तथा इसके लिये कौन जिम्मेदार है ?

उत्तर

(1) बीसलपुर परियोजना की बायीं मुख्य नहर का निर्माण कार्य का लक्ष्य माह जून, 1998 तक 23 कि.मी. लम्बाई में था, जिसके विरुद्ध 21.50 कि.मी. लम्बाई में नहर बन चुकी है। इसी प्रकार वितरिकाओं का माह जून, 1998 तक 85 कि.मी. निर्माण का लक्ष्य रखा गया था, जिसके विरुद्ध 84.75 कि.मी. लम्बाई में वितरिकाओं का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया।

(2) जी हां। भूमि अवाप्ति अधिकारी का पदस्थापन नहीं होने के कारण भूमि अवाप्ति की कार्यवाही पूरी नहीं की जा सकी और इसी कारण से लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकी, इसके लिये कोई दोषी नहीं है।

परिशिष्ट 2

(अतारांकित प्रश्न संख्या 338 का विवरण)

राजस्थान सरकार

स्थानीय स्वायत्त शासन विभाग

वर्तमान-उद्घोषणा

अधिसूचना

संख्या एफ 1/ए/6/एल.एस.जी.54 जयपुर दिनांक 29 जून, 1955

राजस्थान टाउन म्युनिसिपेल्टीज अधिनियम 1951 की धारा 5 उपधारा 2 के अन्तर्गत राजस्थान सरकार सागवाड़ा नगरपालिका की सीमा का निम्न प्रकार निर्धारित करती है :—

बड़ियों की टेकरी पर से गामठवाड़ा के पास चूनाखाण वाली टेकरी पर होते हुये सीधे माराड़ा की खाण पर हो डिनौरा वाली मगरी पर हो, सिनरोड़िया वाली मगरी पर हो, गमेला वाली डूंगरी पर हो, बादर पटेल के खली वाली डूंगरी पर हो, मडी वाली डूंगरी पर हो, आगे डूंगरी पर और वहां से आड़ी डूंगरी पर होकर खेड़ा डूंगरे पर होते हुये मगरे पर बड़ी नई के पीछे होकर वेला डागोर के ग्राम के पास वाली मगरी पर होते हुये खताणियां तालाब के पास पगडण्डी रास्ता जो गोवाड़ी जाता है, उसके पास हो खेरेटे की मगरी की टोंच पर होते हुये सीधे वापस बड़ियो की टेकरी पर। इस तरह कुल म्यूनिसिपल सीमा के 14 निशान हद बन्दी नम्बरी नक्शे के अनुसार है।

श्रीमान् राजप्रमुख की आज्ञा से,

ह0 जे0एस0झाला
शासन-सचिव

354

राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर

क्रमांक एफ 191 एल एस जी । 69/15407– दिनांक 24-11-76

अधिसूचना

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 1995 (अधिनियम संख्या 38 सन् 1959) की धारा 6 की उपधारा (1) के अनुसरण में नगरपालिका सागवाड़ा की सीमा वृद्धि के संबंध में जन आपतियां आमंत्रित करने हेतु इस विभाग की उद्घोषणा दिनांक 5–9–75 निर्गमित की गई थी तथा जो राजस्थान राजपत्र भाग 6 (क) में दिनांक 18-9-75 को प्रकाशित हुई थी और इस प्रकार उपरोक्त धारा के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में कोई आपतियां प्राप्त नहीं हुई। अतः राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 1959 की धारा 4 की उपधारा (1) (बी) (सी) व (डी) के अन्तर्गत प्रदत अधिकारी का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार एतद द्वारा नगरपालिका सागवाड़ा की सीमा को निम्न प्रकार से विस्तृत करती है-

(अ) उत्तर:—में रखते और माविल से मिलने वाली सीमा पर अंकित चान्दा खसरा नम्बर 256 (तिगड्डा) तक अर्थात सागवाड़ा रेवेन्यू की सीमा तक।

(ब) दक्षिण :—में हुडमाला व बजोरी ग्राम सीमा पर अंकित चान्दा खसरा नं. 7195 तक जिसमें फला तलाईया एवं बेहुणियां की बस्ती सम्मिलित करते हुये अर्थात सागवाड़ा रेवेन्यू की सीमा तक।

(स) पूर्व:—में ग्राम बजोरी व जेठाना की सीमा पर अंकित चान्दा खसरा नं. 8126 (तिगड्डा) पर होते हुये माणकरपुरा व जेठाना ग्राम की सीमा पर अंकित चान्दा खसरा नं. 3849 (तिगड्डा) तक तो आगे ग्राम आरा व माणकपुरा की सीमा पर अंकित चान्दा खसरा नं. 2199 (तिगड्डा) पर होते हुये सुदूर ग्राम बड़तियां बरसीगपुर की सीमा पर अंकित चान्दा खसरा नं. 2021 पर होकर रखते माविल तक जिसमें फला पालिया, कूकडिया, नई आबादी पटेलान, एवं कसारो की माताजी की बस्तियां सम्मिलित हैं। अर्थात सागवाड़ा रेवेन्यू की सीमा तक।

(द) पश्चिम:— में ग्राम मडकोला गोवाडी की सीमा पर अंकित चान्दा खसरा नं. 5233 (तिगड्डा) तथा इससे आगे ग्राम गोवाडी हड़माला की सीमा पर अंकित चान्दा खसरा नं. 5320 (तिगड्डा) तक फला चाचेता की बस्ती सम्मिलित करते हुये। अर्थात सागवाड़ा रेवेन्यू की सीमा तक।

राज्यपाल की आज्ञा से
(सत्यनारायण सिंह)
शासन उप सचिव

————

राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांक:एफ 1( ) सीमा/एलएसजी/89/4188-99 जयपुर, दिनांक: 11-11-97

अधिसूचना

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 1959 (अधिनियम सं. 38 सन् 1959) (संशोधन 1994) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा नगरपालिका सागवाड़ा जिला डूंगरपुर को प्रस्तावानुसार एवं जिला कलक्टर की अभिशंषानुसार नगरपालिका सागवाड़ा की वर्तमान सीमा में निम्नलिखित क्षेत्र को शामिल किया जाकर नगरपालिका सागवाड़ा की सीमा विस्तार करती है:–

लक्ष्मणगढ़ राजस्व ग्राम की बाउण्ड्री से गोवाडी गांव के खसरा नम्बर 1415, 1467, 1670, 1752, 3806, 3097, 2494, 2526, 2568, 2587 जिसमें पुनर्वास कोलोनी सागवाड़ा के ब्लाक संख्या सी.डी. भी सम्मिलित है तथा डूंगरपुर रोड क्रोस कर खसरा नम्बर 2705 तक वहां से मडकोला ग्राम शिवपुरी का सम्पूर्ण एरिया तथा शिवपुरी की बाउण्ड्री से माविता ग्राम को खसरा नम्बर 1986, 1512, 1419, 1442, 1248 तथा उदयपुर रोड क्रोस कर खसरा नम्बर 1212,

(356)

1217, 1050, 1174, 1100, 1096 तथा सागवाड़ा बाउण्ड्री से माणकपुरा का सम्पूर्ण एरिया तथा जोठापा ग्राम के खसरा नम्बर 195, 906, 917 से बांसवाड़ा रोड क्रोस कर खसरा नम्बर 1288, 1612, 1530, 2127, 2109, 3103, 3043, 2572 लिमडो बाउण्ड्री तक तथा लोमडो बाउण्ड्री से हूडमाला एवं लक्ष्मणपुरा, का सम्पूर्ण क्षेत्र।

राज्यपाल की आज्ञा से
(सी.आर. चौधरी)
उप शासन सचिव

परिशिष्ट—3 परिशिष्ट—'अ'

(अतारांकित प्रश्न संख्या 339 का विवरण)

क्र.सं.	प्रार्थी का नाम	भूखण्ड संख्या एवं योजना का नाम	अवैध निर्माण का विवरण एवं की गयी कार्यवाही
1	2	3	4
1.	श्री सुनील शर्मा वगैरह जयपुर	भूखण्ड संख्या सी-91 लालकोठी योजना	बिना स्वीकृति के अतिरिक्त मंजिल का निर्माण एवं गैराज पर 2 मंजिल अतिरिक्त निर्माण किया जिस पर दिनांक 8-7-98 को धारा-32 का नोटिस जारी किया गया तथा किये गये अनाधिकृत निर्माण के विरुद्ध ए.सी.जे.एम. कोर्ट में अविलम्ब चालान प्रस्तुत करने की कार्यवाही की जा रही है।
2.	श्री रणदीप धनकड़	सी-119 लालकोठी योजना	बिना स्वीकृति के भूखण्ड के सेट बैक्स में निर्माण एवं भवन की ऊंचाई 1/2 मीटर

1	2	3	4
			अधिक ऊंचाई बढ़ाई गई दिनांक 19-7-97 को धारा-32 का नोटिस जारी करते हुए स्वस्तीकरण किया गया।
3.	श्री शांतिलाल जैन	डी 6 लालकोठी योजना	बिना स्वीकृति के 4 अतिरिक्त समितियों का निर्माण किया गया जिसके विरुद्ध दिनांक 2-11-96 को धारा 32 का नोटिस जारी किया गया एवं प्रकरण को ए.सी.जे.एम. की कोर्ट में चालान प्रस्तुत किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।
4.	श्री शांतिलाल जैन	डी–11, लालकोठी शापिंग सेन्टर	—उपरोक्तानुसार—
5.	श्रीमती सौभाग्य कुमारी	भूखण्ड संख्या 1 व 2 तारा नगर	बिना स्वीकृति के 2 भूखण्डों को मिलाकर, चार मंजिले भवन का निर्माण किया गया जिसके विरुद्ध दिनांक 24-2-97 को धारा 32 का नोटिस जारी किया गया एवं ए.सी.जे.एम. कोर्ट में चालान प्रस्तुत किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।
6.	श्रीमती सरोजनाथ	भूखण्ड संख्या 2, मिशन कम्पाउण्ड	स्वीकृति के विपरीत सेट बैंक्स कवर करते हुए (सामने व पीछे की ओर) अतिरिक्त फ्लोर का निर्माण किया गया जिसके विरुद्ध दिनांक 12-3-97 को धारा-32 का नोटिस जारी किया गया एवं ए.सी.जे.एम. कोर्ट में चालान प्रस्तुत करने की कार्यवाही की जा रही है।

1	2	3	4
7.	मैसर्स शान इण्डिया	श्री राम कालोनी स्टेशन रोड, शनिश्चर जी के मन्दिर के पीछे।	बिना स्वीकृति के एक कोठरी का निर्माण किया गया। राज्य सरकार के यथास्थिति के आदेश हैं।
8.	श्री के.के.पोद्दार श्री ऋषि पोद्दार एवं लेखक पोद्दार	डी ब्लाक श्याम नगर	बिना स्वीकृति के पूरा भवन अवैध निर्मित हुआ है। धारा 32,33 का नोटिस दिया गया था बाद में भूमि प्राधिकरण की पाये जाने पर धारा 72 के अन्तर्गत इस्तगासा पेश किया गया।

अतिरिक्त आयुक्त (समन्वय)

कार्यालय जयपुर नगर निगम, जयपुर

बिना अनुमति बनाये गये बहुमंजिले भवनों की सूची

सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा प्राप्त बिना अनुमति के बनाये गये बहुमंजिले भवनों की सूची एवं विवरण निम्न प्रकार प्रेषित है

क्र.सं.	नाम निर्माणकर्ता	निर्माण की दिनांक	की गई कार्यवाही का विवरण
1	2	3	4
1. हवामहल जोन पश्चिम			
1.	श्रीमती राजकुमारी पत्नी श्री महेन्द्र कुमार घी वालों का रास्ता, चौ. विश्वेश्वरजी,	मार्च-96	प्रार्थिया ने दिनांक 14-3-96 को भवन निर्माण स्वीकृति हेतु आवेदन पेश किया था जिसे भवन निर्माण समिति ने दिनांक 10-4-96 को अस्वीकृत कर दिया गया प्रार्थिया ने पुनः दिनांक 5-6-96 को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया किन्तु प्रार्थिया से स्वीकृति से पूर्व बिना ईजाजत के तहखाना सहित 5 मंजिल का निर्माण करा लिया गया जिसका राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 1959 के तहत समय-समय पर नोटिस जारी किये गये हैं व निर्माण कार्य रूकवाया गया है। अब प्रार्थिया ने राजीनामा हेतु मानचित्र पेश किये हैं जिसमें भवन निर्माण समिति द्वारा निर्णय लिया जाना शेष है।

360

1	2	3	4
2.	(ए) श्रीमती अनिता सोढ़ी पत्नी श्री विजेन्द्र सिंह सोढ़ी । (बी) श्री विजेन्द्रसिंह सोढ़ी पुत्र श्री एम.एस. सोढ़ी, म.नं. 169-71 गोलीमार सदन रामगढ़ मोड के पास चौ.हु.श.श.शुमाली ।	जून-1996	प्रार्थिया ने एवं प्रार्थी ने 1-5-1996 को भवन निर्माण स्वीकृति हेतु मानचित्र पेश किये जिसे भवन निर्माण एवं आयोजना समिति ने प्रस्तावित निर्माण कृषि भूमि पर होने के कारण अस्वीकृत कर दिया गया, प्रार्थियान द्वारा बिना ईजाजत के निर्माण कार्य करने पर राज.न.पा. अधि. 1959 के तहत समय–समय पर नोटिसेज जारी किये गये तथा कार्य रूकवाया गया । प्रार्थियान ने बिना ईजाजत कराये गये निर्माण का राजीनामा हेतु आवेदन मय मानचित्र के पेश किया है, जो भवन एवं आयोजना समिति के निर्णय हेतु लम्बित है ।
3.	श्री महेशचन्द गुप्ता पुत्र श्री प्रेमचन्द गुप्ता, वार्ड नं. 1(पुराना) जगत-शिरोमणी, मन्दिर रोड, आमेर ।	सूचना नहीं दी गई	प्रार्थी ने निर्माण कार्य की स्वीकृति के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र पेश किया था जो भवन निर्माण एवं आयोजना समिति द्वारा प्रस्ताव संख्या 37 दिनांक 20/22-2-97 द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया । प्रार्थी द्वारा उक्त आदेश के विरुद्ध की गई अपील को सम्मानीय आयुक्त महोदय जयपुर द्वारा स्वीकार किया जाकर नगर निगम, जयपुर के आदेश को निरस्त कर दिया गया प्रार्थी के पक्ष में सम्मानीय आयुक्त महोदय जयपुर द्वारा यह आदेश दिया गया

1	2	3	4
			कि प्रार्थना पत्र स्थगन इस प्रकार स्वीकार किया जाता है कि आगामी पेशी तक निर्माणाधीन कार्य में किसी प्रकार की बाधा व व्यवधान उत्पन्न न करें। तथा किसी प्रकार की स्वीकृति की कार्यवाही न करें इस आधार पर प्रार्थी के द्वारा निर्माण कार्य कराया जा रहा है।

2. हवामहल जोन पूर्व

4.	श्री श्यामलाल पुत्र श्री बंशीधर, म.नं. 2585 रास्ता धोबालान, नागरियों का चौक, घाटगेट, जयपुर।	अप्रेल-1996	दिनांक 3-4-96 को नोटिस दिया गया। चालान 3/2053 ईमारत/
5	श्री कमलचन्द पुत्र बिरधी चन्द, रास्ता हल्दियान कोठी मनीराम की म.नं.223 (घाटगेट)	मई-1996	दिनांक 30-5-96 को नोटिस दिया गया।
6.	श्रीमती शांतिदेवी पत्नी ओमप्रकाश, म.नं. 333 रामगंज बाजार,(घाटगेट)	दिसम्बर 1996	दिनांक 10-12-96 को नोटिस दिया गया।
7.	श्री किशन पुत्र रामगोपाल रास्ता हल्दियान म.नं. 40/11	अगस्त 97	दिनांक 11-8-97/2054 को ध्वस्त की कार्यवाही में तोड़ा गया।

1	2	3	4
8.	श्री माणकचन्द पुत्र रतन लाल जैन, रास्ता घीवालान म.नं.844 चौबे का चौक	फरवरी-98	पत्रावली संख्या 85-2054 ई. वस्तीकरण हेतु दिनांक 17-2-98 को नोटिस दिया गया।
9.	श्री दिनेश गुप्ता पुत्र श्री प्रकाशचन्द गुप्ता म.नं. 1 दशहरा कोठी, ग्रामेर रोड, जयपुर।	जून-98	दिनांक 22-6-98 को नोटिस दिया गया
3. मोतीडूंगरी जोन			
10.	—	—	बिना ग्रनुमति के गत दो वर्ष में कोई भवन नहीं बनवाये गये।
4. सांगानेर जोन			
11.	थोमस कंगन चीफ कम मैम्बर सैक्रेट्री सांगानेर।	—	ग्राई.ग्राई.ग्रार.एम. बहुमंजिली भवन निर्मित कराया गया। जोन कार्यालय स्तर पर उक्त संस्था के भवन को नियमन एवं ग्रवैध निर्माण को नियमानुसार कम्पाउण्ड कराने हेतु लिखा गया था तथा ग्रवैध निर्माण को ध्वस्त भी कर दिया गया।
5. सिविल लाइन जोन			
12.	श्री इकबाल सिंह जी.जी. काम्पलेक्स न्यू कालोनी	—	इस कार्यालय द्वारा नोटिस जारी किया गया एवं ग्रग्रिम कार्यवाही विचाराधीन है।

363

1	2	3	4
13.	श्री गोपाल टावर कृष्णा मार्ग, सी-स्कीम	–	इस कार्यालय द्वारा नोटिस जारी किये गये उक्त प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है।
14.	श्री कैलाशचन्द शर्मा 2-सी, 1-ए,न्यू कालोनी,	–	इस कार्यालय द्वारा नोटिस जारी किये गये एवं अग्रिम कार्यवाही विचाराधीन है।
15.	श्री राजेन्द्र मूंदड़ा, गोपीनाथ मार्ग, न्यू कालोनी	–	कार्यालय द्वारा समय–समय पर नोटिस जारी किये गये एवं अग्रिम कार्यवाही विचाराधीन है।
16.	श्री सी.एल.अग्रवाल, 9 जयन्ती मार्केट, न्यू कालोनी	–	इस कार्यालय द्वारा नोटिस जारी किया गया उक्त प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है।
17.	श्री एम.एम. अग्रवाल जीवन बिहार, क.क. न्यू कालोनी	–	इस कार्यालय द्वारा नोटिस जारी किया गया एवं अग्रिम कार्यवाही विचाराधीन है।
6. विद्याधर नगर जोन			
18.	श्री गुरमुखदास व श्री जयराम, 22 डी.पी. कालोनी,	6-3-96 18-4-96	मामला भवन निर्माण समिति में विचाराधीन है।
19.	श्री गुरमुखदास व जयराम 23, डी.पी. कालोनी,	15-6-96	मामला भवन निर्माण समिति में विचाराधीन है।

1	2	3	4
20.	श्री मदनमोहन पारीक 25, डी.पी.कालोनी,	28-4-98	अग्रिम कार्यवाही हेतु आयोजना शाखा में भेजी हुई है।
21.	श्री गोरधनदास, 50 डी.पी. कालोनी,	11-12-95 25-12-96	मामला भवन निर्माण समिति में विचाराधीन है।
22.	श्री गोरधनदास, 21; डी.पी. कालोनी,	15-8-95 21-6-95	मामला भवन निर्माण समिति में विचाराधीन है।

परिशिष्ट-5

(अतारांकित प्रश्न संख्या-342 की सूची)

कार्यालय नगरपालिका सोजत

पालिका क्षेत्र में किये गये अतिक्रमणों की सूची

क्र.सं.	अतिक्रमणी का नाम	भूखण्ड का नाम	अतिक्रमण किये जाने का वर्ष
1	2	3	4
1.	लक्ष्मण पुत्र किशनलाल जाति ढोली	15×10	9/92-93
2.	श्री हजारी पुत्र बोजाराम गवारिया	20×10	10/92-93
3.	श्री हाफूजी पुत्र हेमाराम कुमार	10×15	11/92-93
4.	श्री ओम प्रकाश पुत्र मिश्रीलाल मेघवाल	10×10	12/92-93
5.	श्री मिठालाल जटीया	10×15	13/92-93
6.	श्री ढलजी पुत्र श्री बिरदाराम वादी	10×15	14/92-93
7.	श्री वाईदान पुत्र लिम्बाजी मोची	10×15	15/92-93
8.	श्री देवजी वादी	10×15	16/92-93
9.	श्री अचलाराम पुत्र देवा कुमार	10×15	17/92-93
10.	श्री भंवरलाल पुत्र पेमाराम माली	10×15	18/92-93
11.	श्री कालू पुत्र पुखराज कोम कुमार	10×15	19/92-93
12.	श्री पारसमल पुत्र मालाराम गवारिया	20×10	20/92-93

परिशिष्ट-4

(अतारांकित प्रश्न संख्या-340 का विवरण)

(व्यय मद लाखों में)

नगरपालिका मकराना

वर्ष	प्रशासनिक व्यय	कर वसूली	जन स्वास्थ्य	सार्वजनिक रक्षा	रोशनी	उद्यान	सार्वजनिक हितकारी व जनस्वास्थ्य	विकास कार्य	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1995–96	10.22	12.27	34.80	00.47	4.52	0.33	0.68	30.00	93.29
1996–97	12.00	17.00	48.00	46.00	8.00	0.69	0·79	35.00	121.94
1997–98	13.00	18.00	50.00	0.47	5.00	0.70	0.80	20.00	107.97

1	2	3	4
13.	श्री मिश्रीलाल पुत्र बीजाराम गवारिया	10×10	21/92-93
14.	श्री शंकर पुत्र श्री भीकाजी गवारिया	10×20	22/92-93
15.	श्री बन्शी पुत्र माना कुमार	10×15	23/92-93
16.	श्री कालू पुत्र गेन्दूशाह फकीर	10×15	24/92-93
17.	श्रीमती तारा पत्नी घीसाराम सरगरा	10×15	25/92-93
18.	श्री सलीम पुत्र असगर अली सिपाही	12×30	26/92-93
19.	श्री ओमप्रकाश पुत्र रामसिंह राव	10×15	27/92-93
20.	श्री गंगासिंह पुत्र सुजान सिंह राव	25×40	28/92-93
21.	श्री मांगीलाल पुत्र तेजा माली	10×15	29/92-93
22.	श्री चम्पालाल पुत्र मांगीलाल माली	40×50	30/92-93
23.	श्री भोराम पुत्र मिनजी कौम काली	10×15	31/92-93
24.	श्री गणपतलाल पुत्र बन्शी कुमार	10×15	32/92-93
25.	श्री हरदूनाथ पुत्र श्री केसाजी नाथ	10×15	33/92-93
26.	श्री जीवन पुत्र लादूराम मोची	10×15	34/92-93
27.	श्री बेनाराम पुत्र खिवजी माली	10×15	5/93-94
28.	श्री चोथूलाल पुत्र पन्नजी माली	10×15	6/93-94

1	2	3	4
29.	श्रीमती पिस्ता पत्नी चम्पालाल सरगरा	10 × 15	7/93-94
30.	श्रीमती कन्या पत्नी रूपाराम सरगरा	10 × 15	8/93-94
31.	श्री रतन लाल पुत्र सोनाराम सरगरा	10 × 15	9/93-94
32.	श्री भंवरलाल पुत्र पुखराज सरगरा	10 × 15	10/93-94
33.	श्री मदनलाल पुत्र मांगीलाल सरगरा	20 × 20	11/93-94
34.	श्री लाल सिंह पुत्र सूरसिंह राजपूत	8 × 15	12/93-94
35.	श्री भंवरलाल पुत्र बिरमाराम सरगरा	20 × 10	13/93-94
36.	श्री गिरधारी पुत्र रामाजी सरगरा	15 × 10	24/93-94
37.	श्री मदन लाल पुत्र मूरजी माली	10 × 15	25/93-94
38.	श्रीमती सदोरीदेवी पत्नी मोहनलाल	12 × 10	2/94-95
39.	श्री मिश्रीलाल पुत्र बीन्जा गवारिया	10 × 10	4/94-95
40.	श्री हजारी पुत्र बीन्जा गवारिया	20 × 10	5/94-95
41.	श्री चम्पालाल पुत्र मांगीलाल माली	40 × 50	6/94-95
42.	श्री रामचन्द्र पुत्र उन्दरजी माली	36 × 50	7/94-95
43.	श्री अचलाराम पुत्र देवाराम कुमार	10 × 15	8/94-95
44.	श्री माधू पुत्र जसाराम ढोली	15 × 10	9/94-95

1	2	3	4
45.	श्री सोमत अली पुत्र श्री समसु खां घोसी	10×15	10/94-95
46.	श्री गंगासिह सुजानसिह राव	25×40	11/94-95
47.	श्री सलीम खां पुत्र असगर खां सिपाही	12×30	12/94-95
48.	श्री सुलेमान पुत्र बाबू खां तैली	10×15	13/94-95
49.	श्री कालू पुत्र पुखाराम कुम्हार	10×15	14/94-95
50.	श्री पारसमल पुत्र मालाराम गवारीया	20×10	15/94-95
51.	श्री लाल सिह पुत्र सूरसिह रावणा राजपूत	8×15	16/94-95
52.	श्रीमती बिदामी पत्नी भीमाजी गवारिया	15×10	17/94-95
53.	श्री शंकर पुत्र भीखाराम गवारिया	10×20	18/94-95
54.	श्रीमती सायरी पत्नी सांगीलाल सरगरा	15×10	19/94-95
55.	श्री बहूर खां पुत्र अब्दुल खां मुसलमान	25×10	20/94-95
56.	श्री जगदीश पुत्र चम्पालाल सुथार	15×10	21/94-95
57.	श्री हरिद्वारनाथ पुत्र केसुनाथ	10×15	22/94-95
58.	श्री कालू शाह पुत्र गेन्दू शाह फकीर	10×15	23/94-95

(370)

1	2	3	4
59.	श्री घीसूलाल पुत्र दुदाजी सरगरा	12×10	24/94-95
60.	श्री किशोर पुत्र बंशीलाल ढोली	15×10	25/94-95
61.	श्री लक्ष्मण पुत्र किशनलाल ढोली	15×10	26/94-95
62.	श्री मोमाराम पुत्र श्री	15×12	27/94-95
63.	श्री सोनाराम पुत्र सूरजी कुम्हार	25×50	28/94-95
64.	श्री सोहनलाल पुत्र शंकर माली	20×30	29/94-95
65.	श्री सत्तार पुत्र मिसरूजी सिपाही	15×10	30/94-95
66.	श्री मांगीलाल पुत्र मगजी मेघवाल	10×10	31/94-95
67.	श्री प्रभू पुत्र पुखजी माली	10×15	34/94-95
68.	श्री माईदराम पुत्र जगाराम राईका	25×50	35/94-95
69.	श्री वीरमराम पुत्र भीकाराम गवारिया	30×12	36/94-95
70,	श्री मदन लाल पुत्र रामपाल कुमार	15×20	37/94-95

ह.

अधिशाषी अधिकारी

नगर पालिका सोजत

परिशिष्ट–6

(अतारांकित प्रश्न संख्या–348 की प्रति)

कार्यालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट ब्यावर

क्रमांक:–एसीएम/जांच/97/243 दिनांक :- 23 अप्रेल, 1997

निमित्त :

श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय,
ब्यावर।

विषय :– परिषद कर्मचारियों द्वारा अनैतिक पूर्ण तरीके अपनाकर अवैध निर्माण एवं सरकारी भूमि पर धोखाधड़ी करने के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक निवेदन है कि प्रताप कालोनी ब्यावर की मौके पर पटवारी हल्का को लेकर जांच करने पर तथ्यात्मक विवरण निम्न प्रकार पाया गया :–

(1) प्रताप कालोनी की भूमि हजारी वल्द प्रताप गूर्जर के नाम से आप द्वारा दर्शाये गये नवीन खसरा नम्बर 1304, 1305, 1310, 1311, 1312, 1313, 1314, 1315, 1316, 1319, 1320, 1323, 1328, 1329, 1330, पर विद्यमान है जिसका कुल रकबा 29–12–10 है। जो सही पायी गयी।

(2) पुराने नगर परिषद नं. 2/862 हाल में नगर परिषद नं. 15 प्लाट जिसका नगर परिषद, ब्यावर द्वारा दिनांक 24-4-1982 को कामर्शियल दुकानों का नक्शा 396 वर्ग गज का स्वीकृत करवाया, तत्पश्चात् श्री हजारी गूर्जर पुत्र प्रताप गूर्जर निवासी ब्यावर ने इस स्वीकृत स्थल पर आवासीय मकान निर्मित कर लिया तथा बाद में इसी म्युनिसिपल नं. 15 प्लाट की रजिस्टरी बेचान में हवाला देते हुए निम्नलिखित व्यक्तियों को कृषि भूखण्डों का कब्जा दिया। इसका खसरा नं. 1320 है।

1. अशोक कुमार पुत्र पारसमल मांडोत निवासी ब्यावर 196.84 व.ग.

(372)

2. अरूण कुमार मांडोत पुत्र पारसमल निवासी ब्यावर 198.00 व.ग.

3. मोरतमल पुत्र गुलाबचन्द जैन निवासी ब्यावर 116.87 व.ग.

4. श्रीमती प्रेमलता उर्फ लादी पत्नि प्रतापमल कोठारी
निवासी ब्यावर 28.40 व.ग.

क्र. सं. 1 व 2 व्यक्तियों को मौके पर कब्जा रामकृष्ण कालोनी के प्लाट नं. 17 217 व. ग. व फेसेलिटी एरिया 177 व. ग. है। जिस फेसेलिटी एरिया का मालिक नगर परिषद ब्यावर व प्लाट नं. 17 रामकृष्ण कालोनी मे स्थित है, जिसका मालिक श्री रामनिवास शर्मा निवासी ब्यावर है।

क्र सं. 3 श्री मोरतमल को बेचान म्युनिसिपल नं. 15 प्लाट का किया और कब्जा ख. न. 1327 में दिया जो इस हजारी गूजंर के नाम पर नहीं है यह भूमि मुरलीधर व मुन्नालाल पि गिरधारी आचार्य के नाम पर जमाबन्दी में है।

(3) नगर परिषद के भू. विभाजन मानचित्र पुराना ख. न. 1098, 1091, 1246, 1247, 1253, 1255, 1256, 1258, 1259, 1261, 1262, व 1263, इन खसरों के नये नम्बर 1319, 1315, 1323, 1317, 1316, 1312, 1313, 1305, 1306, 1310, 1307, 1330, 1828 है।

(4) बिन्दु सख्या 4 के सन्दर्भ में पाया गया कि न्यायालय अति. जिलाधीश (भू.ख.) के आदेश वर्ष 1982 के अनुसार रोड 25 फिट के बजाय 30 फिट की गयी, मगर मौके पर ख. नं. 1319 में करीब 18 फिट ही है, जबकि नियमानुसार (आदेशानुसार) 30 फिट होना चाहिए लेकिन वर्तमान में रोड क्षेत्र में पुराने कमरे विद्यमान हैं जो हजारी गूजंर के स्वामित्व में है। इस कारण रास्ता 30 फिट छोड़ा जाना स्वीकृत मानचित्र अनुसार मौके पर नहीं छोड़ रखा है, जो नियम विरुद्ध है। अर्थात रास्ते पर नाजायज मकान बनाकर कब्जा कर रखा है। रास्ते पर नाजायज कब्जा अन्य व्यक्तियों द्वारा भी किया गया है।

(5) ख. नं. 1306 व 1307 की वर्ष 1982 को हुजारी गूजंर ने 30 हिस्सेदारान को संयुक्त रूप से रजिस्टर्ड बेचान नामा द्वारा भूमि का विक्रय कर दिये जाने के बाद वर्ष 1985 में इसी भूमि का ले-आऊट प्लान स्वयं ने अपने नाम से न. परि.

ब्यावर में स्वीकृत करवा लिया तथा बिल संयुक्त हिस्सेदाराान की सहमति के ही प्लाटिंग व फेसेलिटी भूमि दर्शा कर नियम विरुद्ध कार्यवाही कर डाली, जबकि 1982 में विक्रय के पश्चात भूमि संयुक्त हिस्सेदाराान के स्वामित्व की थी ।

हजारी गूजर ने ख नं. 1306 व 1307 को भूमि वर्ष 1982 में विक्रय कर दी गयी थी, विक्रय करने के पश्चात् हजारी गूजर ने प्रथम ले-आऊट वर्ष 1985 में स्वीकृत करवाया उसमें स्वयं की भूमि के साथ 30 हिस्सेदाराान की बिना सहमति के उनकी क्रय शुदा प्रापर्टी के मनमर्जी से प्लाट बनाकर जिसमें कुछ छोटे प्लाट व कुछ बड़े प्लाट बनाकर स्वयं के हस्ताक्षर से स्वीकृत करा दिया तथा 884 गज में फेसेलिटी स्कूल व मन्दिर की बिना क्रेताओं की सहमति से दर्शा दिया तथा स्वयं की भूमि में फेसेलिटी लैण्ड नहीं छोड़ी विक्रय की गयी भूमि के फेसेलिटी छोड़कर क्रेताओं के साथ चीटिंग धोखाधड़ी कर डाली । तथा द्वितीय ले-आऊट और स्वयं की भूमि के साथ ख. नं 1306 व 1307 को स्वीकृत करवा दिया जबकि इसको स्वीकृत करवाने का नियमानुसार अधिकार नहीं था । फेसेलिटी लैण्ड 30 हिस्सेदाराान की भूमि में छोड़कर क्रेताओं के साथ धोखा किया गया है । ले-आऊट की स्वीकृति तिथि छाया प्रति में दृष्टिगोचर नहीं होती है । 884 वर्ग गज फेसेलिटी लैण्ड में से एक प्लाट करीब 200 वर्ग गज का द्वितीय ले-आऊट में दर्शा दिया गया, जिसका नम्बर 56-ए है, जो नियम विरुद्ध है तथा पूर्व ले-आऊट प्लान व द्वितीय ले-आऊट प्लान में 200 वर्ग गज का एक नवीन प्लाट बना दिया जो नियमानुसार सही नहीं है ।

(6) यह कि मुख्य मार्ग से प्रताप कालोनी में आने के लिए दो रास्ते हैं, जो कि वर्तमान में करीबन 15-16 फिट के है जबकि नक्शे के अनुसार 30-30 फिट के रास्ते होने चाहिए थे । इस तरह से बाकी बचे हुए आम रास्तों पर अवैध कब्जा किया गया है । जबकि नियमानुसार आम रास्ता 30-30 फिट का छोड़ा जाना आवश्यक है । इस रास्ते पर भी अन्य व्यक्तियों द्वारा भी कब्जा किया गया है ।

(7) यह कि म्युनिसिपल नम्बर 2/862 नया नं. 15 मार्केट के नाम से नगर परिषद से स्वीकृत करा रखा है जिसका क्षेत्रफल करीबन 360 वर्ग गज है, लेकिन मौके पर नाप के अनुसार करीबन 600 वर्ग गज पर मकान बनाकर अवैध कब्जा किया गया है । तथा म्युनिसिपल नं. 15 मार्केट के नाम से म्युनिसिपल से पास करवाया है । उसका कार्माशियल कनवरशन की फीस भी नगर परिषद या

(374)

नियोजन कार्यालय में जमा नहीं करवायी है। आबादी भूमि का उपयोग कब परिवर्तन हुआ की स्वीकृति भी नगर नियोजन कार्यालय से प्राप्त नहीं की है।

(8) यह कि म्युनिसिपल प्लाट नं. 15 जो कि फेसेलिटी लैण्ड रामकृष्ण कालोनी के लिए छोड़ी गयी है, उसकी भी रजिस्टरी श्री हजारी गूर्जर ने अपने स्वयं के नाम से करवा रखी है। अतः फेसेलिटी भूमि नहीं छोड़ी गयी है।

(9) खसरा नं. 1329 के नाम से मकान का नक्शा नगर परिषद के पास करवाकर मकान ख. नं. 1327 में बनाया है जो कि श्री मुरलीधर आचार्य की खातेदारी का है। इस मकान का करीबन 10 फिट भाग आम सड़क पर बना हुआ है।

(10) इसी 15 नवम्बर नोहरे के नाम से एक प्लाट जिसका क्षेत्रफल करीबन 117 वर्ग गज है जो कि श्री नोरतमल जैन को बेचान कर दिया गया है। इसी नोहरे की जमीन 360 वर्ग गज होती है यह हजारी गूर्जर ने करीबन 800 वर्ग गज पर अपना कब्जा कर दो मकान बना दिये है एवं करीबन 500 वर्ग गज जमीन बेचान कर रजिस्ट्रीयां भी करवायी गयी है।

(11) खसरा नम्बर 1263 नया 1306, 1307 कुल रकबा 3-14-10 जिसका क्षेत्रफल करीबन 7500 वर्ग गज जमीन को दिनांक 12-1-1982 को 30 हिस्सेदारों को बेचान कर रजिस्टरी करवा दी गयी है। जबकि 1263 को स्वयं के नाम से 21-9-1995 को नक्शा पेश कर कालोनी पास करवा दी है। जिसमें स्कूल की भूमि 30 आदमियों की जमीन में से ही दिखला दी गयी है जबकि उक्त जमीन का मालिकाना हक रजिस्टरी करवाने के बाद समाप्त हो गया था। स्कूल का भी ले–आउट प्लान नगर परिषद से स्वीकृत करवा दिया है।

(12) वर्ष 1985 में प्रताप कालोनी की भूमि का प्रथम ले-आउट प्लान पास करवाया गया उसमें नाले की तरफ भूखण्ड संख्या 105, 104, 87, 83, 85, 84 प्लाट नम्बर आराजी में दर्शाये गये थे तथा इसके बाद नाले हेतु भूमि छोड़ी थी। द्वितीय ले-आउट प्लान स्वीकृत करवाया उसमें नाले की तरफ 105/ए, 104/ए, 87/ए, 83/ए, 84/ए, 85/ए नवीन प्लाट और बना दिये जो स्वतः ही नियमानुसार नहीं है।

375

इसके प्रतिरिक्त भूखण्ड संख्या 194, 146; 147 नाले की तरफ करीबन 13 फिट रेकार्ड से नाले की भूमि पर बने हुए हैं, जो नियम विरुद्ध है। इसके प्लाट नम्बर 87/ए को विक्रय श्री पुरमराम को कर दिया है, जिसके बेचाननामे की प्रति वक्त जांच प्रस्तुत हुई, जो सलग्न है।

(13) ख.नं. 1263 में स्कूल के नाम छोडी गयी जमीन में से 56-ए प्लाट नया बनाकर दर्शाया गया है जो भी नगर परिषद ब्यावर की सम्पत्ति अवगत करायी गयी।

(14) प्रताप कालोनी के प्रथम ले–आउट में प्लाट सं. 1 से 146 तक प्लाट अंकित कर नक्शा स्वीकृत किया गया जिसमें फेसेलिटी भूमि छोड़ी गयी थी, जिसका क्षेत्रफल 2634 वर्ग गज है लेकिन द्वितीय रिवाइज्ड नक्शा स्वीकृत करवाया जिसमें प्लाट नं. 147 से 217 तक का विस्तार किया गया जिसमें कोई फेसेलिटी भूमि एवं सार्वजनिक उपयोग की जगह नहीं छोड़ी गयी जबकि नियमानुसार छोड़नी आवश्यक है।

(15) बिन्दु सं 15 के सन्दर्भ में जांच की गयी तो पाया गया कि रिवाइज्ड नक्शा में प्लाट सं. 12 के उत्तर की तरफ प्लाट 12-ए बनाया गया है जो कि खसरा नं. 1327 में स्थित है जो कि हजारी गूर्जर की खातेदारी भूमि नहीं है। वक्त जांच पाया गया कि ख.नं. 1323 में भी रकबे से ज्यादा भूमि पर कब्जा कर विक्रय कर दिया गया है। इस कारण पड़ोसी खातेदार की स्वीकृत शुदा कालोनी के क्षेत्रफल में कमी हो चुकी है।

सामान्य :

उपरोक्त जांच से यह स्पष्ट होता है कि प्रताप कालोनी की भूमि के नक्शे स्वीकृत करवाने व विक्रय करने में भयंकर अनियमितताएं की गयी हैं तथा अन्य पड़ोसी खातेदारों एवं नाले की भूमि को भी विक्रय कर गैर कानूनी कृत्य किया है। कालोनी में काफी मकानात निर्मित हो चुके हैं। इसमें नगर परिषद विभाग द्वारा भी कानून की अनदेखी कर नक्शे स्वीकृत किये गये हैं। इस कारण वर्तमान में विवाद उत्पन्न हो हो रहा है। कृषि भूमि मौके पर नहीं होने से मौके पर से नष्ट हो जाने से

करीब से भू-माप किया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है । लाल रंग से दर्शाये गये ब्याट नाले हेतु छोड़े गये हैं जो कि नाले में ही शामिल है ।

रिपोर्ट सूचनार्थ प्रस्तुत है ।

भवदीय

ह.

सहायक कलक्टर एवं

कार्यपालक मजिस्ट्रेट, ब्यावर

परिशिष्ट-7

(अतारांकित प्रश्न संख्या–349 का विवरण)

(परिशिष्ट-'म')

उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार हटाये गये अध्यक्षों/उपाध्यक्षों की सूची

क्रम सं.	नाम अध्यक्ष/उपाध्यक्ष	पद	नाम नगरपालिका	विषय	दिनांक
1.	श्रीमती किस्तूरी देवी	अध्यक्षा	झालरापाटन	पद का दुरुपयोग व नियम विरुद्ध कार्य	20-1-98
2.	श्री इन्द्रचन्द टेलर	उपाध्यक्ष	गुलाबपुरा	" " "	19-5-98
3.	श्री खूबचन्द	अध्यक्ष	टोडाभीम	" " "	4-6-98
4.	श्री विमल चन्द पाटनी	अध्यक्ष	भवानीमण्डी	" " "	11-6-98
5.	श्री भंवरलाल छाबड़ा	अध्यक्ष	केकड़ी	" " "	22-6-98
6.	श्री परमानन्द पालीवाल	अध्यक्ष	राजसमन्द	" " "	7-1-98

(378)

(परिशिष्ट-'ब')

उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार निलम्बित अध्यक्ष/उपाध्यक्ष की सूची

क्र.सं.	नाम अध्यक्ष/उपाध्यक्ष	पद	नगरपालिका का नाम	विषय	दिनांक
1	2	3	4	5	6
1.	श्री सुभाष पुनियां	अध्यक्ष	पीलीबंगा	नियम विरुद्ध कार्य एवं पद का दुरुपयोग	12-5-95
2.	श्री इन्दर चन्द टेलर	उपाध्यक्ष	गुलाबपुरा	" "	2-5-95
3.	श्री गोपी लाल सैनी	का. अध्यक्ष	नैनवां	" "	7-6-95
4.	श्री राजकुमार पारख	उपाध्यक्ष	रामगंजमण्डी	" "	27-5-96
5.	श्री पप्पू सोनी	उपाध्यक्ष	तारानगर	मारपीट करने	13-6-96
6.	श्री विश्वास जांगिड़	उपाध्यक्ष	भीलवाड़ा	दो से अधिक सन्तान	24-2-97
7.	श्री रूड़मल सैनी	अध्यक्ष	उदयपुरवाटी	" "	24-2-97
8.	श्री नन्दन खटीक	उपाध्यक्ष	कांमा	मारपीट करने	6-3-97
9.	श्री शिवरतन सिंह	अध्यक्ष	उनियारा	पद का दुरुपयोग एवं अतिक्रमण	19-3-97
10.	श्री सुरेश चन्द	अध्यक्ष	कपासन	सफाई का ठेका देने	5-4-97
11.	श्री लाला राम	अध्यक्ष	आबू पर्वत	दो से अधिक सन्तान	1-5-97

1	2	3	4	5	6
12.	श्री रामेश्वरलाल छीपा	अध्यक्ष	रावतसर	नियम विरुद्ध कार्य व पद का दुरुपयोग	17-5-97
13.	श्री बाबूलाल बैरवा	अध्यक्ष	फुलेरा	,, ,, ,,	19-6-97
14.	श्री रमेश चन्द	अध्यक्ष	गजसिंहपुर	,, ,, ,,	8-7-97
15.	श्री परमानन्द पालीवाल	अध्यक्ष	राजसमन्द	,, ,, ,,	19-7-97
16.	श्री लुम्बाराम मेड़तिया	अध्यक्ष	सुमेरपुर	,, ,, ,,	18-9-97
17.	श्री ध्यानचन्द सर्राफ	उपाध्यक्ष	खेड़ली	दो से अधिक सन्तान	22-9-97
18.	श्री मीसा खां	उपाध्यक्ष	करौली	,, ,, ,,	11-11-97
19.	श्री गोपाल लाल मेघवाल	अध्यक्ष	अन्ता	,, ,, ,,	24-11-97
20.	श्री रामनिवास सैनी	अध्यक्ष	टोडारायसिंह	,, ,, ,,	6-3-98
21.	श्री ज्ञानचन्द	अध्यक्ष	डीग	नियम विरुद्ध कार्य व पद का दुरुपयोग	25-3-98
22.	श्रीमती रामेश्वरी देवी	अध्यक्षा	आसीन्द	,, ,, ,,	25-4-98
23.	श्रीमती विमला बोहरा	अध्यक्षा	भीनमाल	,, ,, ,,	27-4-98
24.	श्री सत्यनारायण रामावत	उपाध्यक्ष	पुष्कर	,, ,, ,,	11-6-98

379

380

परिशिष्ट-8

(अतारांकित प्रश्न संख्या–359 का विवरण)

वर्ष 1997-98 में तहसील नादोती में स्वीकृत हैण्ड पम्प्स की सूची

क्र.सं.	तहसील	गांव का नाम	कोड संख्या	स्वीकृत हैण्ड पम्प का स्थान	स्वीकृत हैण्ड पम्प की सं.	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1.	नादोती	गुडली	86	बैरवा बस्ती	1	हैण्ड पम्प
2.	,, ,,	खुडाचैनपुर	89	जगनलाल की ढाणी	1	चालू है ।
3.	,, ,,	मीलापाडा	13	मीना ढाणी	1	,, ,,
4.	,, ,,	मीलापाडा	13	हरिजन ढाणी	1	,, ,,
5.	,, ,,	धौलेटा	10	कोली चौकी ढाणी	1	,, ,,
6.	,, ,,	धौलेटा	10	चोन्दू मीणा ,, ,,	1	,, ,,

1	2	3	4	5	6	7
7.	मादोती	जीतकीपुर	66	बैरवा ढाणी	1	हैण्ड पम्प चालू हैं
8.	,, ,,	ललावद	81	मीना ढाणी	1	,, ,,
9.	,, ,,	सिकन्दरपुर	33	दादू की ढाणी	1	,, ,,
10.	,, ,,	बालाखेड़ा	33	पठान की ढाणी	1	,, ,,
11.	,, ,,	बाढ़ कैमरी	36	छोट्या की ढाणी	1	,, ,,
12.	,, ,,	राजपुर	5	ब्राह्मणों की ढाणी	1	
13.	,, ,,	रामपुरा	3	पण्डित ढाणी	1	शीघ्र चालू
14.	,, ,,	गांवड़ी	72	मीना ढाणी	1	किये जायेंगे
15.	,, ,,	राजपुर	5	राजपूतों की ढाणी	1	,, ,,

परिशिष्ट–9

(अतारांकित प्रश्न संख्या 361 का विवरण) परिशिष्ट—"क"

पंचायत समिति मकराना में वर्ष 1997-98 में विभिन्न स्वीकृत ग्रामों की ढाणियों में जोड़ी गई पाइप लाइन की सूची

क्र.सं.	योजना का नाम	ग्राम का नाम	स्वीकृत जोड़ी गई ढाणियों का नाम	डाली गई पाइप लाइन की लम्बाई	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6
1.	पंप एवं टैंक	कचोलिया	1. कासियों की ढाणी	2496 मीटर	कार्य पूर्ण कर
			2. कैर की ढाणी	1998 मीटर	पेयजल वितरण
2.	पंप एवं टैंक	डोडवाडी	1. जाटों की ढाणी	1726 मीटर	किया जा रहा
3.	टी. एस. एस.	जुसरिया	1. घरमियों की ढाणी	1998 मीटर	है
			2. बोष की ढाणी		
4.	पंप एवं टैंक	कालवा छोटा बास	1. भामियों की ढाणी	2400 मीटर	कार्य पूर्ण कर
5.	टी. एस. एस.	सरनावडा	1. बावरियों की ढाणी	2498 मीटर	पेयजल वितरण
			2. राईका की ढाणी		किया जा रहा है
			3. बुम्बाड़ी नाडी की ढाणी		वर्ष 1999 में कार्य

1	2	3	4	5	6
			4. सिपाहियों की ढाणी		पूर्ण कर पेयजल
			5. खोरीयों की ढाणी		उपलब्ध कराने का
6.	टी. एस. एस.	खारडियां	1. भोगरा की ढाणी		प्रयास जारी है
			2. जोधा की ढाणी	3000 मीटर	,,
			3. बावरियों की ढाणी		कार्य पूर्ण कर पेय-
7.	पाइल्ड	रायलिया	1. लोछवा की ढाणी	1500 मीटर	जल वितरण
8.	क्षेत्रीय योजना	मेड़ाकलां	1. किरडोलिया की ढाणी	1694 मीटर	किया जा
	बांकापट्टी		2. कूंकणा की ढाणी	402 ,,	रहा है।
			3. मामियों की ढाणी	604 ,,	वर्ष 1999 में कार्य
			4 कसवा की ढाणी	1200 ,,	पूर्ण कर पेयजल उप-
9.	टी. एस. एस.	बाजोली	1. मीवंता की ढाणी	3000 ,,	लब्ध कराने का
					प्रयास जारी है
			2. चौयला की ढाणी	1194 ,,	कार्य पूर्ण कर
			3. नेतड़ा की ढाणी	1698 ,,	पेयजल वितरण
10.	बांकापट्टी	कुचिपला	1. सारणा/मींचरा की ढाणी	2100 मीटर	किया जा

1	2	3	4	5	6
11.	बांकापट्टी	गुढ़ा चक	1. सियोगों जाटों की ढाणी	500 मीटर	रहा है।
12.	बांकापट्टी	दाबड़ीया	1. कुजोड़ की ढाणी	1252 ,,	,,
13.	बांकापट्टी	मैंया खुर्द	1. माथा की ढाणी	600 ,,	,,
14.	पाइप्ड योजना	जुसरी	1. पुरोहितों की ढाणी	500 ,,	वर्ष 1999
15.	पंप एवं टैंक	मासरवा	1. राड़ों की ढाणी	2000 ,,	में कार्य
			(नलकूप नगवाडा खुर्द से मासरवा)		पूर्ण कर पेयजल
16.	टी. एस. एस.	मामड़ोली	1. लोछवा की ढाणी	2050 मीटर	उपलब्ध
			2. मामियों की ढाणी		कराने
17.	क्षेत्रीय बांकापट्टी	नगवाड़ा	1. मुवालों की ढाणी	800 ,,	का
18.	,, कालवा-कजाना	कालवा-कजाना	1. नाल्वों की ढाणी	2000 ,,	प्रयास
			2. जाजड़ों की ढाणी	1500 ,,	जारी
19.	,, कालवा-कजाना	मोखमपुरा	1. मादवों की ढाणी	2000 मीटर	है।
20.	,, कालवा–कजाना	गिगालिया	1. गुवली की ढाणी	700 मीटर	,,
21.	,, कालवा-कजाना	मैंया कला	1. गुजरों की ढाणी	1392 मीटर	,,
			2. रैबारियों की ढाणी	366 ,,	,,

1	2	3	4	5	6
			3. देवजी व मेघवाल बस्ती	1620 मीटर	वर्ष 1999 में
			4. नक्का की ढाणी	780 ;;	कार्य पूर्ण कर पेयजल
22.	क्षेत्रीय कालवा-कजाना	जलतवा	1. मेघवाल बस्ती	390 ,,	उपलब्ध कराने का
23.	;; कालवा-कजाना	पालड़ी राजा	1. पालड़ी राजा	410 ,,	प्रयास जारी है
24.	;; कालवा कजाना	असवन्तपुरा	1. मेघवाल बस्ती	200 ;;	;;
25.	;; कालवा-कजाना	चैया खुर्द	1. चैया खुर्द	600 ;;	,,

385

परिशिष्ट–'ख'

सहायक अभियन्ता मकराना के अधीन कनिष्ठ अभियन्ता गच्छीपुरा को वर्ष 1997-98 में विभिन्न योजनाओं पर उपलब्ध कराये गये पाइपों एवं डाले गये पाइपों का विवरण

क्रम सं.	ग्राम का नाम	ढाणियों का नाम	उपलब्ध कराये गये पाइपों का विवरण		योजना पर डाले गये पाइपों का विवरण		विशेष विवरण
			साईज	लम्बाई	साईज	लम्बाई	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	गैड़ा कलां	1. फिरडोलियों की ढाणी	63 एम.एम. पीवीसी.	3600 मीटर	63 एम.एम. पीवीसी.	1694 मीटर	शेष पाइप 300 मीटर गिगांलियों की ढाणियों में से बचे हुए डाले गये।
		2. कसवा ,,	,,		,,	1200 मीटर	
		3. मालियों ,,	,,		,,	604 मीटर	
		4. कूंकणा ,,	,,		,,	402 मीटर	
						3900 मीटर	
2.	गिगांलिया	1. गुदली ,,	,,	1000 मीटर	,,	700 मीटर	शेष 300 मीटर पाइप गेड़ाकलां की

1	2	3	4	5	6	7	8
							ढाणियों में डाले गये। क्र.सं. में दर्शाया है।
3.	मैया कलां	1. गुजरों की ढाणी	63 एमएम.	1392 मी.	63 एमएम.	1392 मीटर	
		2. रैबारियों की ढाणी	पीवीसी.	366 मी.	पीवीसी.	366 मीटर	
		3. देवजी की मेघवाल बस्ती	75 एमएम. पीवीसी.	1500 मीटर	75 एमएम. पीवीसी	1620 मीटर	120 मीटर पाइप रायका, नायका की
		4. नरूका की ढाणी	63 एमएम. पीवीसी.	780 मीटर	63 एमएम. पीवीसी.	780 मीटर	ढाणी, अलतवा में वर्ष 95-96 के शेष
4.	बाजोली	1. मेतड़ा की ढाणी	,,	1698 मी.	,,	1698 मीटर	बचे हुए पाइप
		2. चोचला की ढाणी	,,	1194 मी.	,,	1194 मीटर	लगाये गये।
		3. मोवंता की ढाणी	,,	2500 मी.	,,	2500 मीटर	
5.	कुचिपला	1. सारना/मींचरा की ढाणी	,,	2100 मी.	,,	2100 मीटर	
6.	दाबड़िया	1. दुजोड़ की ढाणी	,,	1252 मी.	,,	1252 मीटर	

1	2	3	4	5	6	7	8
7.	मैया खुर्द	1. नाथा की ढाणी	63 एमएम. पीवीसी.	600 मी.	63 एमएम. पीवीसी.	600 मीटर	
8.	मलतवा	1. मेघवाल बस्ती	,,	390 मी.	,,	390 मीटर	
9.	पालड़ी राजा	1. पालड़ी राजा	,,	410 मी.	,,	410 मीटर	
10.	गुड़ाचक	1. सियाग जाटों की ढाणी	,,	500 मी.	,,	500 मीटर	
11.	जसवन्तपुरा	1. मेघवाल बस्ती	,,	200 मी.	,,	200 मीटर	
12.	मैया खुर्द	1. मैया खुर्द	75 एमएम. पीवीसी.	500 मी.	75 एमएम. पीवीसी.	500 मीटर	

परिशिष्ट-10

(अतारांकित प्रश्न संख्या 365 का विवरण)

परिशिष्ट "क"

श्री गंगानगर में हत्या; लूट; डकैती, बलात्कार एवं अपहरण के दर्ज अभियोगों बाबत आंकड़े मय निस्तारण।

हत्या

क्र.सं.	नाम थाना	वर्ष	दर्ज
1	2	3	4
1.	कोतवाली	1997	2
		1998	2
2.	पुरानी आबादी	1997	3
		1998	4
3.	जवाहरनगर	1997	1
		1998	1
4.	सदर	1997	2
		1998	3
5.	हिन्दूमलकोट	1997	1
		1998	1
6.	चुनावढ़	1997	1
		1998	—
7.	मटीलीराठान	1997	2
		1998	1
8.	सादुलशहर	1997	4
		1998	5
9.	लालगढ़	1997	7
		1998	2
10.	करणपुर	1997	2

1	2	3	4
		1998	—
11.	केसरीसिहपुर	1997	1
		1998	1
12.	पदमपुर	1997	7
		1998	—
13.	घुमड़वाली	1997	3
		1998	—
14.	गजसिहपुर	1997	—
		1998	1
15.	रायसिह नगर	1997	8
		1998	6
16.	विजयनगर	1997	4
		1998	3
17.	मुकलावा	1997	—
		1998	1
18.	अनुपगढ़	1997	8
		1998	2
19.	घड़साना	1997	7
		1998	3
20.	रावला	1997	6
		1998	2
21.	रायसिहपुर	1997	3
		1998	—
22.	सूरतगढ़	1997	10
		1998	2
23.	राजियासर	1997	3
		1998	3
	योग	1997	85
		1998	45

डकैती

1	2	3	4
1.	जवाहरनगर	1997	1
		1998	—
2.	सदर	1997	1
		1998	—
3.	केसरीसिंहपुर	1997	1
		1998	—
4.	सूरतगढ़	1997	1
		1998	—
	योग	1997	4
		1998	—

बलात्कार

1.	पु. आबादी	1997	1
		1998	1
2.	जवाहर नगर	1997	2
		1998	2
3.	सदर	1997	1
		1998	—
4.	चुनावढ़	1997	1
		1998	—
5.	सादुलशहर	1997	1
		1998	1
6.	लालगढ़	1997	1
		1998	1
7.	करणपुर	1997	1
		1998	—

1	2	3	4
8.	केसरीसिंहपुर	1997	3
		1998	2
9.	पदमपुर	1997	4
		1998	—
10.	घुमड़वाली	1997	2
		1998	1
11.	गजसिंहपुरा	1997	1
		1998	—
12.	रायसिंहनगर	1997	2
		1998	1
13.	विजयनगर	1997	1
		1998	—
14.	मुकलावा	1997	3
		1998	—
15.	अनूपगढ़	1997	8
		1998	4
16.	घड़साना	1997	8
		1998	10
17.	रावला	1997	4
		1998	1
18.	रायसिंहपुर	1997	1
		1998	1
19.	सूरतगढ़	1997	8
		1998	3
20.	राजियासर	1997	2
		1998	—
	योग	1997	55
		1998	28

1	2	3	4
37.	खाटली महुवी मोकमपुरा सड़क	4 किमी.	1 किमी.
38.	रामगढ़ बसूनी सड़क	6.5 किमी.	2 किमी.
39.	कुशलगढ़ मोयनवाटी सड़क	27 किमी.	5 किमी.
40.	मोलकुआ कुशलगढ़ सड़क	25 किमी.	4 किमी.
41.	कलिजरा कुशलगढ़ सड़क	28 किमी.	3 किमी.
	कुल योग	610.50 किमी.	311 किमी.

394

परिशिष्ट-

कुशलगढ़ क्षेत्र में प्रश्न संख्या 2 में वर्णित सड़कों का विवरण

क्र.सं.	सड़क का नाम	कुल लम्बाई	पेच नहीं हुये
1.	कुशलगढ़ से पाटन	30 किमी.	4 किमी.
2.	कुशलगढ से कोटड़ा	19 किमी.	2 किमी.
3.	कुशलगढ़ से मोयनघाटी	27 किमी.	5 किमी.
4.	कलिजरा से कुशलगढ़ वाया ताम्बेसर	28 किमी.	3 किमी.
5.	डूंगरा से कुशलगढ़	10 किमी.	1 किमी.
6.	मोलकुआं से डूंगरा	15 किमी.	3 कि
7.	डूंगरा से सातसेरा वाया हिम्मतगढ़	14 किमी.	
		143 किमी.	